

सन् बयालीस का वि द्रो ह

सप्रेम भेंट
श्रीमती मायादेवी
श्रुति स्व० श्री राम स्वरूप धीमान्

लेखक

श्री गोविन्दसहाय, एम. एल. ए.
पार्लामेंटरी सेक्रेटरी, संयुक्त प्रांतीय सरकार

भूमिका-लेखक

श्री जयप्रकाश नारायण

१९४६

नवयुग साहित्य सदन
इन्दौर


प्रकाशक
गोकुलदास घूत
नवयुग साहित्य सदन, इन्दीर ।

प्रथम बार : १९४६
मूल्य
साढ़े छः रुपये

मुद्रक
अमरचंद्र
राजहंस प्रेस, दिल्ली ।

सन् बयालीस
का वि द्रो ह

सप्रेम भेंट
श्रीमती मायादेवी
पति स्व० श्री राम स्वरूप धीमान्



भूमिका

सन् बयालीस की क्रांति इस देश के इतिहास में इस समय तक वही स्थान रखती है जो फ्रांस या रूस की क्रांतियों का अपने-अपने देश में है। जिस पैमाने पर ४२ की क्रांति हुई थी वह इतिहास में अपना सानी नहीं रखता। इतने बड़े जन-समुदाय ने दूसरी किसी क्रांति में भाग नहीं लिया था। लेकिन केवल विस्तार और विशालता ही इस, क्रांति की विशेषताएँ न थीं। सन् ४२ ने देश की काया-पलट कर दी, एक नए भारत का निर्माण किया, उसकी राज-नीति को एक नई दिशा प्रदान की। स्वतंत्रता की लड़ाई ने पहले वैयक्तिक हिंसा का पथ ग्रहण किया, फिर असहयोग का। बयालीस में लड़ाई ने जन-क्रांति का रूप लिया। असहयोग के अमोघ अस्त्र के लिए पर्याप्त नैतिक बल की कमी देखकर आजादी के सिपाही जब हतोत्साह हो रहे थे तो '४२ ने अकस्मात् उनके लिए एक नई राह प्रशस्त कर दी। अब तक हम जेलों को भरा करते थे। अब देखा गया कि नेतृत्व-हीन, शस्त्र-हीन जनता ने विद्युत् गति से जगह-जगह पर विदेशी राज के अड्डों का नाश कर उन पर सहज ही अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। अंग्रेजी राज का किला, जो अब तक इतना सुदृढ़ और दुर्भेद्य दीख रहा था, अकस्मात् टूटने लगा। कहीं दीवार टूटी तो कहीं कंगूरा, कहीं कुछ पाये तो कहीं मेहराव। जनता ने समझ लिया कि यह बालूकी भीतों का बना हुआ किला है, और उसने सीख लिया उन भीतों का ढाह देने का एक नया तरीका। अब भारत में कभी भी क्रांति होगी, जनता की राह यही होने वाली है, चाहे थोड़े से चुने हुए देवत्व के साधक कोई और ही राह पकड़ें। सन् बयालीस मेरे लिए तो यही अर्थ रखता है।

लेखक ने अपने "विषय-प्रवेश" में लिखा है कि "मैं मानता हूँ कि हर लेखक का अपना एक दृष्टि-कोण और ध्येय होता है।" उनका भी अपना एक दृष्टिकोण है, और वह एक खास नुक्ते से विस्फोट को निहारते हैं। उनके दृष्टि-कोण से मैं हर जगह सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि उन्होंने अपने इस मुश्किल काम में मानसिक सच्चाई बरती है जो एक क्रांति का इतिहास लिखने से अधिक मुश्किल है।

'४२ की क्रांति इस विशाल देश के कोने-कोने में फैली हुई थी। इतनी बड़ी घटना का इतिहास इतने थोड़े अर्थों में एक व्यक्ति के लिए लिख डालना असम्भव है। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों ने जो रिपोर्टें तैयार कराई हैं उनमें अधिकतर अंग्रेजों के दुष्कर्मों का ही रोना रोया गया है। क्रांति का इतिहास उनमें कम मिलता है। वह इतिहास तो भोग्य रूप से दरसों में ही तैयार हो सकता है और वह भी भिन्न-भिन्न लेखकों के श्रम से। इस समय तो उस इतिहास की सब बातें प्रकाशित भी नहीं की जा सकतीं। मैंने अपने एक मित्र से सितारा, मिदनापुर और बलिया जिलों की क्रांतियों का इतिहास एक खास दृष्टिकोण और मतलब से तैयार कराया है। उस प्रयास से मुझे पता चला कि '४२ जैसी एक ऐतिहासिक घटना कितनी बहुरंगी और बहुमुखी होती है, और यह भी, कि जब हम उस घटना के इतने समीप होते हैं तो उसकी कथा रचना और कहना कितना कठिन होता है।

ऐसी हालत में प्रस्तुत पुस्तक को देखने से पता चलता है कि बाबू गोविन्द-सहाय ने अथक परिश्रम किया है। जो लोग सन् बयालीस को आजादी का पथ-प्रदर्शक मानते हैं वह इस पुस्तक का ध्यान से अध्ययन करेंगे और भविष्य का मार्ग ढूँढने में उससे सहायता लेंगे।

लेखक की ओर से

मेरी और प्रकाशक का यह हार्दिक अभिलाषा थी कि यह पुस्तक मेरठ-अधिवेशन से पहले तैयार हो जाय। पर प्रकाशक और प्रेस के अपार परिश्रम के बाद भी हम उसमें सफल न हो पाए। देहली में यकायक साम्प्रदायिक तना-तनी बढ़ने व दंगे के फ़ैलने आदि के कारणों से तथा दूसरी कठिनाइयों के कारण प्रेस अपनी शक्तिभर काम न कर सका और पुस्तक ठीक समय पर तैयार न हो सकी। आशा है इस बेबसी के लिए पाठक क्षमा करेंगे।

अन्त में मैं श्री शोभालालजी गुप्त (सहायक सम्पादक 'हिन्दुस्तान') और श्री कृष्णचन्द्र (गीता प्रेस) को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। श्री शोभालालजी ने जिस कार्य-क्षमता तथा लगन से इसकी भाषा इत्यादि को ठीक करने में मेरी मदद दी उसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ।

कौंसिल हाउस,
लखनऊ।

गोविन्दसहाय

प्रकाशक की ओर से

इस पुस्तक में टाइप की खराबी के कारण कई स्थानों पर बहुत-सी भूलें प्रतीत होंगी। खासकर ए. ई. ऊ. और अनुस्वार तथा कई अन्य मात्राएं छपते समय टूट गई हैं, इसके कारण पाठकों को होने वाली असुविधा के लिए हम क्षमा-प्रार्थी हैं।

सप्रेम भेंट
श्रीमती मायादेवी
पत्नि स्व० श्री राम स्वरूप धीमान्

इस विशाल देश के कोने-कोने में फैली हुई थी। इतनी बड़ी घटना का इतिहास इतने थोड़े अक्षरों में एक व्यक्ति के लिए लिख डालना असम्भव है। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों ने जो रिपोर्टें तैयार कराई हैं उनमें अधिकतर अंग्रेजों के दुष्कर्मों का ही रोना रोया गया है। क्रांति का इतिहास उनमें कम मिलता है। वह इतिहास तो भोग्य रूप से बरसों में ही तैयार हो सकता है और वह भी भिन्न-भिन्न लेखकों के श्रम से। इस समय तो उस इतिहास की सब बातें प्रकाशित भी नहीं की जा सकतीं। मैंने अपने एक मित्र से सितारा, मिदनापुर और बलिया जिलों की क्रांतियों का इतिहास एक खास दृष्टिकोण और मतलब से तैयार कराया है। उस प्रयास से मुझे पता चला कि '४२ जैसी एक ऐतिहासिक घटना कितनी बहुरंगी और बहुमुखी होती है, और यह भी, कि जब हम उस घटना के इतने समीप होते हैं तो उसकी कथा रचना और कहना कितना कठिन होता है।

ऐसी हालत में प्रस्तुत पुस्तक को देखने से पता चलता है कि बाबू गोविन्द-सहाय ने अथक परिश्रम किया है। जो लोग सन् बयालीस को आजादी का पथ-प्रदर्शक मानते हैं वह इस पुस्तक का ध्यान से अध्ययन करेंगे और भविष्य का मार्ग ढूँढने में उन्हें सहायता मिलेगी।

लेखक की ओर से

मेरी ओर प्रकाशक का यह हार्दिक अभिलाषा थी कि यह पुस्तक मेरठ-अधिवेशन से पहले तैयार हो जाय। पर प्रकाशक और प्रेस के अपार परिश्रम के बाद भी हम उसमें सफल न हो पाए। देहली में यकायक साम्प्रदायिक तना-तनी बढ़ने व दंगे के फ़ैलने आदि के कारणों से तथा दूसरी कठिनाइयों के कारण प्रेस अपनी शक्तिभर काम न कर सका और पुस्तक ठीक समय पर तैयार न हो सकी। आशा है इस बेवसी के लिए पाठक क्षमा करेंगे।

अन्त में मैं श्री शोभालालजी गुप्त (सहायक सम्पादक 'हिन्दुस्तान') और श्री कृष्णचन्द्र (गीता प्रेस) को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। श्री शोभालालजी ने जिस कार्य-क्षमता तथा लगन से इसकी भाषा इत्यादि को ठीक करने में मेरी मदद दी उसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ।

कौंसिल हाउस,
लखनऊ।

गोविन्दसहाय

प्रकाशक की ओर से

इस पुस्तक में टाइप की खराबी के कारण कई स्थानों पर बहुत-सी भूलें प्रतीत होंगी। खासकर ए. ई. ऊ. और अनुस्वार तथा कई अन्य मात्राएं छपते समय टूट गई हैं, इसके कारण पाठकों को होने वाली असुविधा के लिए हम क्षमा-प्रार्थी हैं।

सप्रेम भेंट

श्रीमती मायादेवी


परिन स्व० श्री राम स्वरूप धीमान्

सप्रेम भेंट
श्रीमती मायादेवी

कथित हव० श्री राम स्वरूप धीमान्

विषय-सूची

१. विषय-प्रवेश	पृष्ठ ३-८
२. वैज्ञानिक विश्लेषण	९-४५
क्रान्ति-विज्ञान	९
सन् १९४२ से पहले	११
क्रिप्स-मिशन	१२
नी अगस्त सन् १९४२	१३
कांग्रेस का नेतृत्व	१४
आन्दोलन की लपटों में	१५
युद्धकालीन नेता एवं राष्ट्र के कर्णधार	१९
कार्यक्रम	१९
कार्यक्रम किसने दिया	२०
कोई कार्यक्रम क्यों नहीं दिया गया	२१
आन्दोलन के तूफानी केन्द्र	२२
महत्वपूर्ण बातें	२३
व्यर्थ की बहस	२५
अहिंसात्मक शिक्षा	३०
खुला विद्रोह	३१
अहिंसा की शक्ति	३३
दमन के साधन	३४
कांग्रेस पर सरकार के आरोप	३६
तलपट	३७
हानि	३९
संघर्ष जारी है	३९
नया नेतृत्व बनाम कांग्रेस हाई कमांड	४०



३. मनोवैज्ञानिक वातावरण	४६-६६
अ० भा० कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन	४६
सरदार पटेल	५२
गांधीजी का भाषण	५३
४. बम्बई प्रान्त आग की लपटों में	६७-१०८
बम्बई के खुले विद्रोह के सरकारी आंकड़े	६८
गुजरात प्रान्त	७९
अहमदाबाद	८२
तोड़-फोड़ के कार्य	८५
खेड़ा जिला	८५
सूरत जिला	८७
भड़ोंच जिला	८८
पंचमहल जिला	८९
महाराष्ट्र	९०
पूना में गोली-काण्डों की भरमार	९०
पूर्वी व पश्चिमी खानदेश	९१
नासिक	९३
अहमदनगर	९३
सितारा	९३
कर्नाटक	९६
गांधीजी का सन्देश	९७
आन्दोलन की गति विधि	९७
तोड़-फोड़	९८
वीरतापूर्ण कार्य	१०३
विद्यार्थियों और मजदूरों का योग	१०३
आन्दोलन की विशेष बातें	१०४
अन्तिम प्रयास	१०४
कुछ आंकड़े	१०५
गोली-काण्डों में जन-हानि	१०५
जूल्मों की अन्य घटनाएं	१०६
अन्य कार्य	१०६
डाकखानों की हानि	१०७

युद्ध-सम्बन्धो क्षति	१०८
पुलिस को निहत्था बनाना	१०८
५. बिहार में खुला विद्रोह	१०९-१४५
कुछ आंकड़े	१०९
बिहार का बलिदान	१०९
आन्दोलन का रूप	१११
आन्दोलन की विशेषता	११२
जेलों पर हमला	११२
विद्यार्थियों का कार्य	११३
तोड़-फोड़	११३
मजदूरों का सहयोग	११४
चर्खा-संघ पर हमला	११६
पटना जिला	११६
मुंगेर जिला	१२०
चम्पारन जिला	१२२
शाहाबाद जिला	१२३
गया जिला	१२६
हजारीबाग जिला	३२७
वा० जयप्रकाशनारायण का साहसपूर्ण कार्य	१२८
भागलपुर जिला	१३१
मुजफ्फरपुर जिला	१३४
पूर्णिया जिला	१३७
सारन जिला	१३८
रांची जिला	१४०
दरभंगा जिला	१४०
मानभूमि जिला	१४३
सिंहभूमि जिला	१४४
पलामू	१४५
संथाल परगना	१४५
६. आसाम में आन्दोलन	१४६-१७०
एक नजर में	१४६

३. मनोवैज्ञानिक वातावरण	४६-६६
अ० भा० कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन	४६
सरदार पटेल	५२
गांधीजी का भाषण	५३
४. बम्बई प्रान्त आग की लपटों में	६७-१०८
बम्बई के खुले विद्रोह के सरकारी आंकड़े	७८
गुजरात प्रान्त	७९
अहमदाबाद	८२
तोड़-फोड़ के कार्य	८५
खेड़ा जिला	८५
सूरत जिला	८७
भड़ोंच जिला	८८
पंचमहल जिला	८९
महाराष्ट्र	९०
पूना में गोली-काण्डों की भरमार	९०
पूर्वी व पश्चिमी खानदेश	९१
नासिक	९३
अहमदनगर	९३
सितारा	९३
कर्नाटक	९६
गांधीजी का सन्देश	९७
आन्दोलन की गति विधि	९७
तोड़-फोड़	९८
वीरतापूर्ण कार्य	१०३
विद्यार्थियों और मजदूरों का योग	१०३
आन्दोलन की विशेष बातें	१०४
अन्तिम प्रयास	१०४
कुछ आंकड़े	१०५
गोली-काण्डों में जन-हानि	१०५
जुल्मों की अन्य घटनाएं	१०६
अन्य कार्य	१०६
डाकखानों की हानि	१०७

युद्ध-सम्बन्धो क्षति	१०८
पुलिस को निहत्था बनाना	१०८
५. बिहार में खुला विद्रोह	१०९-१४५
कुछ आंकड़े	१०९
बिहार का बलिदान	१०९
आन्दोलन का रूप	१११
आन्दोलन की विशेषता	११२
जेलों पर हमला	११२
विद्यार्थियों का कार्य	११३
तोड़-फोड़	११३
मजदूरों का सहयोग	११४
चर्खा-संघ पर हमला	११६
पटना जिला	११६
मुंगेर जिला	१२०
चम्पारन जिला	१२२
शाहाबाद जिला	१२३
गया जिला	१२६
हजारीबाग जिला	३२७
बा० जयप्रकाशनारायण का साहसपूर्ण कार्य	१२८
भागलपुर जिला	१३१
मुजफ्फरपुर जिला	१३४
पूर्णिया जिला	१३७
सारन जिला	१३८
रांची जिला	१४०
दरभंगा जिला	१४०
मानभूमि जिला	१४३
सिंहभूमि जिला	१४४
पलामू	१४५
संथाल परगना	१४५
६. आसाम में आन्दोलन	१४६-१७०
एक नजर में	१४६

कुछ अपूर्व बलिदान	१५०
उत्तरी आसाम	१५१
नोगांव जिला	१६०
दारांग	१६०
कामरूप	१६१
ग्वालपाड़ा जिला	१६५
७. युक्तप्रान्त में सन् ४२ का विद्रोह	१७०
जनता एवं सरकार को हुई क्षति का विवरण	१७०
बलिया	१७०
जनता की सरकार	१७०
पाशविक दमन	१७०
कुछ रोमांचकारी कहानियां	१७०
कुछ आंकड़े	१८०
गाजीपुर	१८०
दमन के आंकड़े	१८०
आजमगढ़ जिला	१८०
वनारस जिला	१८०
विश्वविद्यालय पर फौजा कब्जा	१८०
इलाहाबाद	१९०
डिप्टी कमिश्नर को कुरवानी	
जौनपुर	
गोरखपुर	
पश्चिमी जिलों में आन्दोलन	
कानपुर	
लखनऊ	
आगरा	
मथुरा	
वृन्दावन	
अलीमढ़	
मुरादाबाद	
बिजनौर	
गढ़वाल	

अलमोड़ा	२०७
८. बंगाल प्रान्त में खुला विद्रोह	२११-२३७
जन-प्रयास और दमन के आंकड़े	२११
बंगाल का विद्रोह	२१२
मिदनापुर	२१४
तामलुक और कंटाई के तूफानी केन्द्र	२१५
राष्ट्रीय सरकार के कार्य	२१६
विद्युत् वाहिनी सेना	२१९
ब्रिटिश सरकार के काले कृत्य	२२०
भयानक तूफान	२२०
कण्टाई में गोली-काण्ड	२२१
कंटाई के कुछ आंकड़े	२२३
स्त्रियों के साथ बलात्कार	२२४
बैलूर घाट सब डिवीजन	२२६
कलकत्ता	२२६
मुशिदाबाद	२३१
नदिया	२३१
ढाका	२३१
तिपरा	२३३
सिलहट	२३३
फरीदपुर	२३४
मेमनसिंह	२३४
राजशाही	२३४
दीनापुर	२३५
रंगपुर	२३५
जलपाई गुरी	२३५
दोरजिलिग	२३५
बर्दमान	२३५
हावड़ा	२३६
हुगली	२३६
६. मद्रास में विद्रोह	२३८-२४४
आंध्र	२३६

१०. केरल भी पीछे न रहा	२४५-२५८
तामिलनाड	२५१
जिलों में आन्दोलन	२५३
आन्दोलन के तूफानी केन्द्र	२५५
११. उड़ीसा प्रान्त	२५६-२६६
कारापट	२६२
बालासोर	२६४
कटक	२६६
पुरा	२६८
गंजम	२६८
सम्भलपुर	२६६
१२. मध्यप्रान्त का कौशल	२७०-२८६
मराठी मध्यप्रान्त	२७१
भण्डारा जिला	२७१
नागपुर जिला	२७२
वर्धा जिला	२७६
महाकोशल	२८०
विदर्भ	२८४
१३. राजधानी में खून की होली	२८७-२९१
१४. अजमेर-मेरवाड़ा	२९२-२९३
१५. सिन्ध प्रान्त	२९४-२९८
१६. सीमाप्रान्त	२९९
१७. पंजाब में आन्दोलन	३०२-३०४
१८. भारतीय रियासतों का भाग	३०५-३२५
मध्यभारत की रियासतें	३०७
राजपूताना की रियासतें	३०९
उड़ीसा की रियासतें	३१२
काठियावाड़ की रियासतें	३१७
बड़ौदा	३१९
मैसूर रियासत	३१९

अन्य रियासत

३२५

१६. युद्ध और मुख्य राजनीतिक दल

३२६-३३७

कांग्रेस

३२६

मुस्लिम लीग

३२८

कांग्रेस समाजवादी पार्टी

३३२

कम्युनिस्ट पार्टी

३३४

हिन्दू महासभा

३३७

 सप्रेम भेंट

श्रीमती मायादेवी

पत्नि स्व० श्री राम स्वरूप घीमान्



सप्रेम भेंट
श्रीमती मायादेवी
पति स्व० श्री राम स्वरूप घीमान्

सन् वयालीस

का

विद्रोह

सप्रेम भेंट

श्रीमती मायादेवी

पत्नि स्व० श्री राम स्वरूप धीमान्

विषय-प्रवेश

‘हवा का झोंका जो चलना होता है, चलता ही है, घटनाएं जो होनी होती हैं, होकर ही रहती हैं। पर हम केवल उनके कारणों का विवेचन मात्र करते हैं।’

—विक्टर ह्यूगो

ही सकता है मेरा यह प्रयास भी ऐसा ही हो। पर इच्छा हुई कि क्यों न इस महान् आन्दोलन पर, जिसके वेग में लाखों नर और नारी, बूढ़े और जवान आशा, जोश एवं तड़प से यकायक उठे, आगे बढ़े और अन्त में कुछ पीछे हटते से भी दीख पड़े, कुछ लिखूँ; क्यों न इस अखिल भारतवर्षीय क्रांति के, जिसके उन्माद में होनी वाली अनेक मुख्य घटनाओं की खबर हर प्रकार से दुनिया से छिपाई गई और जिसके नेताओं को तथा उनके उद्देश्य एवं ध्येय को हर तरह के बुरे व भद्दे अर्थ पहनाकर दुनिया की आंखों में धूल झाँकने के यहाँ, और बाहर, अनेक असफल प्रयत्न किये गये, ध्येय, नीति, उत्पत्तिकाल, विकास, गतिविधि, व्यूह-रचना नारों आदि के सम्बन्ध में निष्पक्ष दृष्टि से और वैज्ञानिक ढंग पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करूँ ?

मेरा विश्वास है कि दुनिया के इतिहास में दबे-पिसे व पद-दलित लोगों के अनेक सफल व असफल प्रयत्न हुए हैं; पर सन् १९४२ का ‘खुला विद्रोह’ पुराने सब प्रयत्नों से ध्येय, नीति-निपुणता, संगठन, बलिदान, विस्तार और जनोत्साह आदि सभी बातों में कहीं बढ़ा-चढ़ा है। सन् १८५७ का गदर-फ्रांसीसी राज्यक्रांति, सन् १९१७ की रूसी लाल क्रांति सभी कितनी ही बातों में उसके सामने फीके जान पड़ते हैं। यह वह महान् प्रयत्न था जिसमें प्रायः सभी भारतीय नवयुवकों ने, जिनके हृदय में जरा भी आजादी की कसक व तड़प/बाकी थी, किसी-न-किसी रूप में हिस्सा लिया। यह वह सामूहिक प्रयत्न था, जिसकी चिनगारी गाँव-गाँव में फैल गई। ऐसा लगता था कि सारा राष्ट्र गहरी नींद से

जागकर यकायक उठ रहा है। भारत में अंग्रेजों के दिन इने-गिने दिखाई देते थे।

वास्तव में यह काल इतिहास का एक रोचक काल बन गया है। एक निहत्थे राष्ट्र ने यकायक जागृत होकर अपने पैदाइशी हक के लिए प्राणों की बाजी लगा दी, जिससे मालूम पड़ता था कि स्व० लोकमान्य तिलक का मंत्र 'स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है' हरेक के कानों में गूँज गया है और उस पर सेवाग्राम के सन्त की मुहर लग गई, जो उन्हें 'करो या मरो' का आदेश दे रहा था। इस प्रकार क्रान्ति के अन्य सभी कारणों की मौजूदगी और गान्धीजी के नेतृत्व ने मिलकर देश में एक अजीब बेचैनी पैदा कर दी थी, जिससे जनता में कुछ करने की तीव्र इच्छा पैदा हो गई थी। ये सब बातें इतनी तेजी से हो रही थीं कि आश्चर्य होता था कौन जादू क्रान्ति की यह सब सामग्री जुटा रहा है। आदमी, औरतें, मर्द, बूढ़े, जवान सब अनुभव करते थे कि उन्हें आग के साथ खेलना होगा; वे अनुभव करते थे कि क्रान्ति का कोई प्रयत्न करना एक चट्टान से सर तोड़ने के समान होगा। वे यह भी जानते थे कि उन्हें उस ब्रिटिश-राज्य से लड़ाई लड़नी होगी, जिसके पास आज तवाही व बरवादी मचाने के सभी वैज्ञानिक साधन मौजूद हैं। उन्हें इस बात का भी ज्ञान था कि साम्राज्यशाही एक हृदयहीन शासन-व्यवस्था है जिसमें न न्याय होता है, और न नियम। जनता तथा गान्धीजी यह भी अच्छी तरह जानते थे कि वे अंग्रेजी साम्राज्य से उस समय लड़ने की घोषणा कर रहे हैं जब कि अंग्रेजों में यूरोप तथा दूर पूर्व की निरन्तर-हारों के कारण एक तीव्र भुंभुलाहट पैदा हो गई है और ऐसी स्थिति में, जब कि उनका विरोधी स्वयं कठिनाइयों व परेशानियों में है, किसा प्रकार का आन्दोलन करना जलते हुए घावों पर नमक छिड़कना और उसके गुस्से को और भी अधिक भड़काना होगा। पर यह सब जानते हुए भी भारतवर्ष के हर मर्द-औरत ने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि समझा। उनके हृदय में यह प्रश्न उठा कि जब दुनिया भर के लोग अपनी-अपनी आजादी के लिए जीवन-मरण का खेल खेल रहे हैं, आहुतियां दे रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं और तरह-तरह के कष्ट और यातनायें सह रहे हैं तो क्या हम अपने देश की आजादी के लिए केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? जनता की इस मनोवृत्ति का पता गान्धीजी के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में दिए गए ८ अगस्त सन् १९४२ वाले भाषण से चलता है। उन्होंने कहा—“ईश्वर मुझसे पूछेगा कि जब दुनिया में चारों ओर अग्नि घघक रही थी, क्रान्ति की लपटें प्रचण्ड होकर उठ रही थीं, हिंसा का साम्राज्य था, तो क्यों न तूने मेरे उस महामन्त्र अर्थात् क्रान्ति के पाठ को

दुनिया के सामने रखा, क्यों न अंधेरे में उजाले का सन्देश दिया, असत्य के वातावरण में सत्य का नाम लिया ?” यही कारण है कि यद्यपि उपरोक्त लड़ाई प्रारम्भ करने का श्रेय ब्रिटिश नौकरशाही को है जिसने यकायक विजली की भांति भारतीय आशाओं व आकांक्षाओं पर ६ अगस्त के सवेरे से एक भयंकर प्रहार किया, पर उसका नतीजा यह निकला कि भारतवर्ष की दबी हुई आकांक्षाओं का विस्फोट सारे देश में हुआ और उसने अपनी लपटें कोने-कोने में फैला दीं। जनता की आशा, उत्साह, तड़प और कसक के साथ उठी। ब्रिटिश नौकरशाही के आक्रमणों से ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह सब मोर्चों पर हीनें वाली अपनी हारों की पूर्ति निहत्थी भारतीय जनता की आकांक्षाओं को कुचलकर करना चाहती है और इस प्रकार खोएहुए सम्मान को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं।

आन्दोलन के पश्चात् आन्दोलन के विकास, गतिविधि तथा साधनों के बारे में तरह-तरह की चर्चें होइयां हुईं। कुछ लोगों ने अन्दाज लगाए कि यदि कांग्रेस नेता गिरफ्तार न किए जाते तो क्या होता? कोई कहता था कि गान्धीजी वायसराय से प्रार्थना करते। दूसरों का कहना था कि तब इन बातों का समय निकल चुका था, केवल शिष्टाचार के नाते गान्धीजी ऐसा प्रयत्न करते। पर इस विषय पर बहस करना केवल दिमागी कसरत ही है। वास्तविक बात तो यह है कि देश में क्रान्ति के सारे कारण अपनी परिपक्व स्थिति को पहुँच चुके थे। एक दूरदर्शी नेता की भांति गान्धीजी ने उपयुक्त मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार कर दिया था। वह संगठन को सुदृढ़ बनाने की बातें सोच रहे थे। जनता को ‘करो या मरो’ का नारा दे चुके थे। ‘खुले विद्रोह’ की बातें भी जनता के कानों में गूँज रही थीं। इस प्रकार देश में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक मनोवैज्ञानिक मोर्चा बन चुका था। जनता को विश्वास हो चला था कि वह अपनी शान्ति व रक्षा के लिए अंग्रेजों के हथियारों पर निर्भर नहीं रह सकती। जनता यह भी जानती थी कि बावजूद अनेक सुनहरी बातों के ब्रिटिश साम्राज्यशाही भारत को अपने आधीन रखने की कल्पना कर रही है। इस प्रकार हर हिन्दुस्तानी के हृदय में घाव था, असन्तोष था। ऐसा मालूम पड़ता था मानो हर हिन्दुस्तानी एक जिन्दा बम (live bomb) बन गया है जिसमें केवल चिनगारी लगने की देर है। ठीक उसी समय जब उसके नेता उससे छिन लिए गए तो उसके लिए युद्ध प्रारम्भ हो गया और यह युद्ध पीड़ित और अत्याचारी, शासक और शासित, लुटेरे और लुटे हुए के बीच प्रारम्भ हुआ।

सच तो यह है कि यह जनता का सचा युद्ध था। यद्यपि हमने अपने

सैकड़ों साधियों को सदा के लिए खोया, हमारी माताओं और बहनों का अपमानित व लज्जित किया गया, उन्हें मारा-पीटा गया, और कहीं-कहीं तो उन्हें सैनिकों तथा नौकरशाही के कल-पुर्जों की पाशविक वृत्ति का शिकार भी होना पड़ा, गाँव के गाँव लुटे, वीरान हुए, आग की प्रचंड लपटों से करोड़ों रुपये की क्षति हुई, पर यह सब बलिदान उस ध्येय के सामने क्या हैं जिसे हम प्राप्त करना चाहते थे।

हम जानते हैं कि ब्रिटिश नौकरशाही ने करोड़ों रुपया खर्च किया और झूठी आजादी का दिखावा खड़ा करके हमारी न्यायाचित व सच्ची आवाज़ का गला घोटना चाहा और दूसरे देशों में हम पर तरह-तरह के झूठे आरोप लगाए गए। हम विश्वासघाती कहे गए। हमें धुरी-राष्ट्रों का मित्र बताया गया। पांचवें दस्ते का खिताब दिया गया। पीछे से वार करने वाले देशद्रोही बताने के भी प्रयत्न किये गये। पर अन्त में दुनिया ने देखा कि सत्य की जीत हुई। प्रारम्भ में मित्र राष्ट्रों के जनमत ने हमारे इस कदम पर रोष प्रकट किया। पर ज्यों-ज्यों उसे हमारी सच्चाई का पता चलता गया, वैसे ही वैसे जनमत हमारी ओर बदलने लगा और उसी का आज यह नतीजा है कि कितने ही पीड़ित, दबे व शोषित देश भारत के नेतृत्व से प्रोत्साहन लेकर अपना मार्ग निश्चित कर रहे हैं। इस आन्दोलन से हमको अनेक प्रकार के लाभ हुए जिन्हें विस्तार से दूसरी जगह बताऊँगा। यहाँ तो केवल संकेत रूप में यह बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि इस आन्दोलन ने हमें अंग्रेजी साम्राज्यशाही के गिरते, लड़खड़ाते व बिखरते ढाँचे का वास्तविक रूप दिखाया है और यह भी दिखाया है कि किस प्रकार हम संगठित हिंसा के विरुद्ध संगठित अहिंसा से सफल हो सकते हैं, अंधेरे में उजाले की टिमटिमाती हुई रोशनी लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार कितने ही लोगों का अहिंसा की शिक्षा, शक्ति व साधनों पर पहले से कहीं अधिक विश्वास बढ़ गया है। आज अहिंसा बहुतों के लिए जीवन का एक तत्त्वज्ञान बन गया है। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, पारसी सभी ने यह अनुभव किया है कि उनके दुःख मिटने का एक ही मार्ग है और वह यह कि ब्रिटिश शासन यहाँ से उठ जाय। यही कारण है कि इस आन्दोलन में सैकड़ों मुसलमानों ने, बावजूद जिन्ना साहब के, अपने अन्य भाइयों के साथ भाग लिया।

मैं भी उन करोड़ों आदमियों में से एक हूँ जिन्होंने किसी-न-किसी रूप में इस आन्दोलन में क्रियात्मक भाग लिया है। वचन से ही मुझे इन सब बातों के जानने की उत्सुकता रही है और सन् १९३० से तो मैंने अपने को आजादी की लड़ाई के सैनिकों की टुकड़ी में शामिल कर दिया है। पर इन १२ सालों में मुझमें कभी इतना उत्साह, इतनी शक्ति व स्फूर्ति न थी जितनी सन् १९४२

के इन दिनों में रही ।

मैंने सन् १९४२ के अगस्त मास के इन दिनों में जनता में जो स्फूर्ति, उत्साह, जाश, क्रोध, भुंभलाहट देखी उतनी पहले कभी नहीं देखी । मालूम पड़ता था कि सारा राष्ट्र गोली से घायल तथा क्रोध से पागल होकर किसी चीज को मिटाने के लिए उठ रहा है; जिसने निरन्तर उसे पीसा है अब वह उसका अन्त करना चाहता है । उस समय युक्त प्रान्त के पूर्वी जिले तथा बिहार की कुछ जगहों के जोश तथा तड़प से उभरी हुई जनता को देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ । उन दिनों के अभूतपूर्व हृदय-विदारक तथा उत्साह पैदा करने वाले दृश्यों ने मेरे हृदय में एक तड़प पैदा कर दी थी कि मैं इस महान् आन्दोलन पर अवश्य कुछ लिखूँ । मैंने अनुभव किया कि यद्यपि हिन्दुस्तान में कई सामूहिक व व्यक्तिगत आन्दोलन हुए हैं, पर उन सब पर सूबेवार व जिलेवार आबद्ध रूप में बहुत कम साहित्य लिखा गया है । अखिल भारतीय पैमाने पर तो कोई भी ऐसा प्रयत्न नहीं दीख पड़ा । मेरी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों न विशाल जन-समूह के इस महान् प्रयत्न पर एक वैज्ञानिक दृष्टि से चर्चा की जाय और सारे प्रान्तों तथा रियासतों में होने वाले इस व्यापक तथा सामूहिक प्रयत्न पर प्रकाश डाला जाय । मैंने सोचा कि घटनाओं के मुख्य-मुख्य स्थानों में जाकर लोगों से मिला जाय और उनके प्रयत्नों की जानकारी प्राप्त की जाय । किन्तु मैं बीच में ही जेल में बन्द कर दिया गया । पर इस काल में भी मैंने अपनी इस तीव्र इच्छा को बनाए रखा और जेल से छूटने के एक दो माह पश्चात् ही हिन्दुस्तान के सारे सूबों का दौरा किया और यथासम्भव आन्दोलन सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त करने का प्रयत्न किया । निस्सन्देह मुझे इस कार्य में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा । एक ओर सेंसर की कठोरता, दमन की उग्रता तथा लोगों का इस ओर अधिक ध्यान न होने के कारण तथा दूसरी ओर भ्रमण की असुविधा, प्रमुख कार्यकर्त्ताओं की अनुपस्थिति, कांग्रेस के गैर-कानूनी होने आदि के कारण मेरे लिए यह कहना ठीक न होगा कि मैंने इस आन्दोलन सम्बन्धी सभी प्रकार के आंकड़े इकट्ठे कर लिए हैं । पर मैंने इस दिशा में प्रयत्न अवश्य किया और उस प्रयत्न के पीछे एक लगन थी जिसने निरन्तर दिक्कतों के बावजूद भी मुझे इसमें जुटाए रखा ।

मैं मानता हूँ कि हर लेखक का अपना एक दृष्टिकोण और ध्येय होता है और उसी से प्रोत्साहित होकर वह पुरानी घटनाओं को अपने तरीके से रखने का सफल अथवा असफल प्रयत्न करता है । कोई इस बात को स्वीकार करे या न करे, पर यह एक नग्न सत्य है । मेरा भी इस पुस्तक के लिखने का अपना

एक ध्येय और दृष्टिकाण है और उसी ने मुझे इस कार्य को करने के लिए प्रेरित किया है। फिर भी मैंने इस बात की पूरी कोशिश की है कि अपने निजी विचारों, रहमान व लगाव को घटनाओं के आंकने तथा उनकी तह में उतरने के काम पर हावी न होने दूँ। मैंने इस आन्दोलन की सारी घटनाओं को पक्षपात रहित होकर आंकने और उन पर प्रकाश डालने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, मैंने इस काल अर्थात् १९४२-४४ में होने वाला घटनाओं के सम्बन्ध में स्वयं जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है और कितनी जगह अपने कुछ साथियों को भेजा है। स्वयं जाकर लोगों से बातचीत की है। सरकार ने घटनाओं के सम्बन्ध में जो वक्तव्य प्रकाशित किए हैं उन्हें पढ़ा है और अखबारों के पन्नों को भी पलटा है। फिर भी मेरा विश्वास है कि जो आंकड़े घटनाओं के वर्णन में दिये गये हैं वे वास्तविकता से कुछ कम ही हैं। मुझे यह जानकर कुछ संतोष होता है कि मैंने इस काम को ऐसे समय में किया है जब कि हमारे पास उन विभिन्न आन्दोलनों के बारे में बहुत कम साहित्य है जो भारत में समय-समय पर हुए हैं। मैं अपने परिश्रम को सफल समझूँगा यदि पाठकगण इस पुस्तक से स्वतंत्रता के इस महान् आन्दोलन के बारे में संगठित रूप में सूबे, जिले तथा मुख्य रियासतवार कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें और उन्हें यह तसल्ली हो जाए कि वास्तव में इस दिशा में किया गया प्रयत्न एक आवश्यक प्रयत्न था और इस प्रकार संग्रहीत आंकड़े तथा घटनाओं के वर्णन इस आन्दोलन के समझने में मददगार साबित होंगे। हो सकता है यह पुस्तक पाठकों के हृदय में अनेक प्रकार की अच्छी कल्पनाएँ तथा अपनी मातृभूमि के प्रति सर्वस्व बलिदान करने के भावों को जागृत कर सके। अन्त में मैं उन सब साथियों को, जिन्होंने मुझे इस कार्य में अनेक प्रकार से मदद दी है, धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता और साथ ही उन साथियों को भी, जिन्होंने इस आन्दोलन में अपने बलिदान देकर तथा अनेक प्रकार के कष्ट सहकर मेरे हृदय में हमेशा स्फूर्ति को बनाए रखा है और उस ज्योति को जलाए रखा है जिसके कारण मैंने अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी अपने इस प्रयत्न को जारी रखा। साथ ही कांग्रेस के उन नेताओं तथा कांग्रेस-कार्य-समिति के उन सदस्यों के प्रति भी मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिनके निरंतर कारावास ने सारे देश में आन्दोलन की अग्नि को एक कसक व तड़प के रूप में मेरे तथा अनेक देशवासियों के हृदयों में प्रज्वलित रखा है।

अन्त में मैं अपने मित्र मिस्टर एन० ए० भंडारी को, जिन्होंने मुझे इस किताब को पूरा करने में काफी मदद दी है, धन्यवाद देता हूँ।

वैज्ञानिक विश्लेषण

क्रान्ति-विज्ञान

विद्रोह यकायक फूट नहीं पड़ते । क्रान्ति फौरन विजली की तरह साफ व नीले आसमान से टूट नहीं पड़ती । न कोई आन्दोलन जादू की लकड़ी द्वारा खड़ा ही किया जा सकता है और न किसी आन्दोलन को स्थायी रूप से दमन द्वारा दबाया ही जा सकता है । वास्तव में आन्दोलन, क्रान्ति, विद्रोह रौंदी हुई जनता की दबी आकांक्षाओं के बाह्य रूप होते हैं ।

जिन कारणों से क्रान्ति अथवा आन्दोलन का जन्म होता है, उनमें से कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

१. जनता में बढ़ा हुआ आर्थिक व राजनैतिक असंतोष ।
२. राजनैतिक आकांक्षाओं और अभिलाषाओं की वृद्धि, राष्ट्रीय सम्मान के भावों की प्रगति तथा मान-अपमान की तड़प ।
३. सरकार की सत्ता व शक्ति से विश्वास का हटना ।
४. जनता में परिवर्तन की तीव्र इच्छा और भविष्य में संघर्ष करने की उत्कंठा ।
५. देश के विभिन्न वर्गों, पार्टियों व दलों में सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के प्रति बढ़ता हुआ असन्तोष और उनमें किसी एक मांग पर मिलकर जोर लगाने की इच्छा ।

६. हाकिमों की उपेक्षापूर्ण, हृदयहीन और दमनकारी नीति तथा जनता की उचित न्यायपूर्ण मांगों के प्रति सख्त, क्रूर व अन्यायकारी रुख इत्यादि ।

ये सब ऐसे कारण होते हैं जो प्रायः सतह के नीचे अन्दर-ही-अन्दर विरोधाग्नि सुलगाते रहते हैं और समय पाकर जनता में स्फुरित हो उठते हैं । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वातावरण संघर्षमय बनता रहता है । ठीक ऐसी ही

एक ध्येय और दृष्टिकाण है और उसी ने मुझे इस कार्य को करने के लिए प्रेरित किया है। फिर भी मैंने इस बात की पूरी कोशिश की है कि अपने निजी विचारों, रुझान व लगाव को घटनाओं के आंकने तथा उनकी तह में उतरने के काम पर हावी न होने दूँ। मैंने इस आन्दोलन की सारी घटनाओं को पक्षपात रहित होकर आंकने और उन पर प्रकाश डालने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, मैंने इस काल अर्थात् १९४२-४४ में होने वाला घटनाओं के सम्बन्ध में स्वयं जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है और कितनी जगह अपने कुछ साथियों को भेजा है। स्वयं जाकर लोगों से बातचीत की है। सरकार ने घटनाओं के सम्बन्ध में जो वक्तव्य प्रकाशित किए हैं उन्हें पढ़ा है और अखबारों के पन्नों को भी पलटा है। फिर भी मेरा विश्वास है कि जो आंकड़े घटनाओं के वर्णन में दिये गये हैं वे वास्तविकता से कुछ कम ही हैं। मुझे यह जानकर कुछ संतोष होता है कि मैंने इस काम को ऐसे समय में किया है जब कि हमारे पास उन विभिन्न आन्दोलनों के बारे में बहुत कम साहित्य है जो भारत में समय-समय पर हुए हैं। मैं अपने परिश्रम को सफल समझूँगा यदि पाठकगण इस पुस्तक से स्वतंत्रता के इस महान् आन्दोलन के बारे में संगठित रूप में सूबे, जिले तथा मुख्य रियासतवार कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें और उन्हें यह तसल्ली हो जाए कि वास्तव में इस दिशा में किया गया प्रयत्न एक आवश्यक प्रयत्न था और इस प्रकार संग्रहीत आंकड़े तथा घटनाओं के वर्णन इस आन्दोलन के समझने में मददगार साबित होंगे। हो सकता है यह पुस्तक पाठकों के हृदय में अनेक प्रकार की अच्छी कल्पनाएँ तथा अपनी मातृभूमि के प्रति सर्वस्व बलिदान करने के भावों को जागृत कर सके। अन्त में मैं उन सब साथियों को, जिन्होंने मुझे इस कार्य में अनेक प्रकार से मदद दी है, धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता और साथ ही उन साथियों को भी, जिन्होंने इस आन्दोलन में अपने बलिदान देकर तथा अनेक प्रकार के कष्ट सहकर मेरे हृदय में हमेशा स्फूर्ति को बनाए रखा है और उस ज्योति को जलाए रखा है जिसके कारण मैंने अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी अपने इस प्रयत्न को जारी रखा। साथ ही कांग्रेस के उन नेताओं तथा कांग्रेस-कार्य-समिति के उन सदस्यों के प्रति भी मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिनके निरंतर कारावास ने सारे देश में आन्दोलन की अग्नि को एक कसक व तड़प के रूप में मेरे तथा अनेक देशवासियों के हृदयों में प्रज्वलित रखा है।

अन्त में मैं अपने मित्र मिस्टर एन० ए० भंडारी को, जिन्होंने मुझे इस किताब को पूरा करने में काफी मदद दी है, धन्यवाद देता हूँ।

वैज्ञानिक विश्लेषण

क्रान्ति-विज्ञान

विद्रोह यकायक फूट नहीं पड़ते । क्रान्ति फौरन बिजली की तरह साफ व नीले आसमान से टूट नहीं पड़ती । न कोई आन्दोलन जादू की लकड़ी द्वारा खड़ा ही किया जा सकता है और न किसी आन्दोलन को स्थायी रूप से दमन द्वारा दबाया ही जा सकता है । वास्तव में आन्दोलन, क्रान्ति, विद्रोह रींदी हुई जनता की दबी आकांक्षाओं के बाह्य रूप होते हैं ।

जिन कारणों से क्रान्ति अथवा आन्दोलन का जन्म होता है, उनमें से कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

१. जनता में बढ़ा हुआ आर्थिक व राजनैतिक असंतोष ।
२. राजनैतिक आकांक्षाओं और अभिलाषाओं की वृद्धि, राष्ट्रीय सम्मान के भावों की प्रगति तथा मान-अपमान की तड़प ।
३. सरकार की सत्ता व शक्ति से विश्वास का हटना ।
४. जनता में परिवर्तन की तीव्र इच्छा और भविष्य में संघर्ष करने की उत्कंठा ।

५. देश के विभिन्न वर्गों, पार्टियों व दलों में सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के प्रति बढ़ता हुआ असन्तोष और उनमें किसी एक मांग पर मिलकर जोर लगाने की इच्छा ।

६. हाकिमों की उपेक्षापूर्ण, हृदयहीन और दमनकारी नीति तथा जनता की उचित न्यायपूर्ण मांगों के प्रति सख्त, क्रूर व अन्यायकारी रुख इत्यादि ।

ये सब ऐसे कारण होते हैं जो प्रायः सतह के नीचे अन्दर-ही-अन्दर विरोधाग्नि सुलगाते रहते हैं और समय पाकर जनता में स्फुरित हो उठते हैं । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वातावरण संघर्षमय बनता रहता है । ठीक ऐसी ही

स्थिति में नेता जनता को उठाता है, कारणों को ठीक रूप से तरतीब देता है और वेचैनी को आशा में, परेशानी को हरकत में बदलकर संघर्ष के लिए वातावरण पैदा कर देता है। क्षणिक कारण नीचे बिछी हुई वारूद में सुलगती हुई चिनगारी की तरह प्रचण्ड रूप धारण कर आन्दोलन, क्रान्ति अथवा विद्रोह को उग्र रूप दे देते हैं। आन्दोलन, संगठित भी हो सकता है और असंगठित भी, हिंसात्मक और अहिंसात्मक भी, सफल और असफल भी। ये सब बातें देश की स्थिति, संस्कार, नेता के विचार व संगठन-शक्ति, संस्था के प्रभाव व संगठन, नारे की उपयोगिता तथा शक्ति इत्यादि अनेक बातों पर निर्भर होती हैं। फिर भी जनता की ओर से उठा हुआ कोई भी आन्दोलन अपने प्रभाव व ध्येय में सर्वथा विफल नहीं होता। हरेक आन्दोलन से दबी हुई जनता कुछ-न-कुछ सीखती ही है। हरेक आन्दोलन जोश, आशा, विश्वास, साहस, संगठन, संघर्ष करने का प्रवृत्ति आदि अनेक बहुमुखी शक्तियों की वृद्धि करता हुआ संघर्ष करने तथा सामूहिक रूप से सोचने के लिए बल प्रदान करता है। इस प्रकार एक आन्दोलन की विफलता ही आगामी आन्दोलन की सफलता की सीढ़ी बन जाती है।

संघर्ष, जद्दोजहद व खींचातानी के वातावरण में किसी एक पक्ष का दूसरे पर प्रहार कर देना तथा यकायक किसी भयंकर घटना का हो जाना, जैसे सरकार का अकारण जनता पर प्रहार कर देना, दोनों पक्षों में से किसी एक का धैर्य खो बैठना और उतावले होकर कोई कार्य कर बैठना, दोनों पक्षों का निरन्तर कठोर रवैया रखना और इस प्रकार झूठी शान की भावना पैदा कर लेना इत्यादि ऐसी अनेक बातें हो सकती हैं, जो चारों तरफ फैली हुई वारूद में चिनगारी बनकर भयंकर विस्फोट का कारण बन जाती हैं। ऐसे वातावरण में कोई छोटी-सी घटना भी कभी उग्र रूप धारण कर लेती है और विद्रोह, क्रान्ति अथवा वगावत के रूप में बदल जाती है। पर यह सब कुछ तभी होता है जब क्रान्ति के स्थायी कारण अपनी परिपक्व स्थिति को पहुँच चुके हैं। हर आन्दोलन की सफलता के लिए यह जरूरी है वह परिपक्व होने के पश्चात् उठा हो और उसके वेग में उठने वाले लोगों का ध्येय उचित व न्यायसंगत हो अर्थात् उनकी मांगों के पीछे नैतिक बल हो। यदि किसी आन्दोलन का आधार न्यायसंगत व नैतिक न होगा तो तेजी से उठने पर भी वह अपने ध्येय में सफल नहीं हो सकता। अतः हर आन्दोलन के लिए यह आवश्यक है कि जहाँ ध्येय अच्छा हो वहाँ साधन भी अच्छे हों। उदाहरण के तौर पर हमारे देश में सन् १८५७ का ग़दर हुआ, पर साधन ठीक न होने के कारण

हमारी हार हुई और लगभग ७० वर्ष तक भारतीय जनता सिर न उठा सकी। किन्तु कौन जानता है कि युक्तप्रान्त के पूर्वी जिले, बिहार प्रान्त तथा सतारा जिला वही इलाके हैं, जो सन् १८५७ में अन्त समय तक लड़ते रहे और सन् ४२ में भी आन्दोलन के मुख्य तूफानी केन्द्र रहे। सन् १८५७ में इन इलाकों की भूमि खून से रंगी जा चुकी थी और इस कारण इनमें विद्रोह की अग्नि कभी-न-कभी अवश्य सुलगनी थी।

सन् १९४२ से पहले

सन् १९१६ व २१ के असहयोग आन्दोलन से पहले इसी प्रकार स्थायी कारण परिपक्व हो चुके थे। रीलेट कानून, जलियानवाला बाग हत्या-कांड तथा खिलाफत के मसले ने इस आन्दोलन की विरोधाग्नि को प्रज्वलित किया। सन् १९३० व ३२ के नमक-सत्याग्रह व लगानबन्दी के आन्दोलनों से पहले भी घटनाओं के जमघट ने एक प्रौढ़ आन्दोलन के लिए आवश्यक भूमिका तैयार कर दी थी। गान्धी जी की 'डाँडी यात्रा' और देश भर में होने वाली गिरफ्तारियों के तांते ने इसे आन्दोलन का रूप दिया। सन् ३२ में सीमा प्रांत व युक्त-प्रान्त में लगानबन्दी और सरकारी दमन आन्दोलन के तात्कालिक कारण बने। ठीक इसी प्रकार सन् १९४२ के 'खुले विद्रोह' से पहले देश में स्थायी कारण अपनी परिपक्व अवस्था को पहुंच चुके थे। जनता की बेचैनी, परेशानी और असन्तोष ने उग्र रूप धारण कर लिया था। लड़ाई के नारों के साथ-साथ भारतीय आकाश्यों व आशाएं भी उभर चुकी थीं। उनके साथ अब शाब्दिक मखौल नहीं किया जा सकता था। आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही थीं। खाद्य पदार्थ बाजार से लोप हो रहे थे। चान्दा का सिक्का गायब हो रहा था। नोटों की भरमार थी। हांगकांग से ब्रह्मा तक जापानी जीत ने अंग्रेजों के प्रति जनता में अविश्वास पैदा कर दिया था और उसे विश्वास होचला था कि अब अपनी रक्षा के लिए अंग्रेजा सैनिक शक्ति पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। ब्रह्मा से भागे हुए लोगों की करुण कहानी व जातीय विद्वेष की अनेक बातों ने अंग्रेजों के प्रति भयंकर घृणा के भाव पैदा कर दिये थे। अंग्रेज सैनिकों द्वारा रंगून में किए गए अग्निकांड व सम्पत्ति की लूट ने जनता को सचेत कर दिया था और उसका अंग्रेजी न्याय व सत्ता परसे बिलकुल विश्वास उठ गया था। पूर्वी बंगाल व आसाम में हवाई अड्डों तथा अन्य फौजी कामों के लिए जमीनों की ज़ब्ती ने घृणा व द्वेष को और भी भड़का दिया था। आतंक व भय से भरी जनता अपने नेताओं की ओर देख रही थी। उधर 'क्रिष्ण मिशन' की विद्र-

लता ने देश के सभी वर्गों में ब्रिटिश नीति के विरुद्ध अविश्वास पैदा कर दिया था। लोगों में आम चर्चा थी, "यदि अंग्रेज अपनी हार के समय ही हमें कुछ नहीं दे सकते, तो जब ये जीत जायंगे तब तो कुछ भी न देंगे।" इस प्रकार देश में निराशा, घृणा, वैचैनी, क्षोभ, अविश्वास व असन्तोष। बराबर दिनों-दिन बढ़ रहे थे। भारतीय नौकरशाही उपेक्षा और दमन नीति पर आरुढ़ थी। उसे अपनी सैनिक शक्ति पर भरोसा था। उसने अमेरिकन, आस्ट्रेलियन तथा ब्रिटिश सैनिकों को काफी मात्रा में हिन्दुस्तान बुला लिया था। शायद ब्रिटिश हाई कमांड दूसरे मोर्चों पर होने वाली हारों की क्षति-पूर्ति हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचल कर करना चाहती थी।

क्रिप्स-मिशन

सन् १९४२ में जब कि एक ओर जापानी भारत के दरवाजे खटखटा रहे थे और दूसरी ओर मुल्क में चारों ओर वैचैनी थी, अव्यवस्था का साम्राज्य था, अंग्रेजी सरकार की ओर से सर स्टेफर्ड क्रिप्स एक मसविदा लेकर भारतीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हिन्दुस्तान आये थे। यह वह समय था जब कि जापानी फौजें विजली की तरह आगे बढ़ रही थीं और ब्रिटिश सरकार को इस बात का ज्ञान हो गया था कि वह अपने साम्राज्य को सुरक्षित नहीं रख सकेगी। उसकी समुद्री शक्ति क्षीण हो चुकी थी और उसके सैनिकों का नैतिक बल भी हांवांडोख हो रहा था। पश्चिमी मोर्चे पर भी उसे निरन्तर पीछे हटना पड़ रहा था और रोम की फौजें सिकन्दरिया के दरवाजे पर आ खड़ी हुई थीं। उधर स्टेलिनग्राड की वस्तियां भी आए दिन जर्मन रूसियों के हाथ से छीन रहे थे और स्टालिन-ग्राड का पतन सन्निकट था। ऐसे भीषण समय में भी ब्रिटिश सरकार ने भारतीय आकांक्षाओं के साथ मखौल करना ही उपयुक्त समझा। सर स्टेफर्ड क्रिप्स से, जिन पर भारतीयों का गहरा विश्वास था, कभी भी ऐसी आशा न थी कि वह कोई ऐसा मसविदा पेश करेंगे जिसमें केवल कोरे वायदे हों और वास्तविक रूप में भारतीय हाथों में राजसत्ता सौंपने के कोई ठोस प्रस्ताव न हों। सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना मिस्टर चर्चिल, एमरी तथा सर क्रिप्स की मिली हुई भावनाओं का सार था। जिसमें एक ओर पूर्ण स्वतंत्रता देने का वचन था तो दूसरी ओर उस वचन को निष्क्रिय तथा निकम्मा बनाने के सारे उलभाव व प्रतिबन्ध मौजूद थे। इस प्रकार क्रिप्स-प्रस्ताव ने भारतीय आकांक्षाओं को गहरी चोट पहुंचाई और उसकी विफलता ने जनता में और भी अधिक क्षोभ, वैचैनी, भुंभुला-हट और रोष पैदा कर दिया। लोगों को यह विश्वास हो चला था कि अंग्रेज

भारत का तब तक न छोड़ेंगे जब तक कि उनसे अधिक शक्तिशाली ताकत उनको मारकर निकाल न दे। इस प्रकार के विचारों ने देश में अंग्रेजों के प्रति गहरा अविश्वास, घृणा व द्वेष पैदा कर दिया था जो अप्रत्यक्ष तरीके से घुरी राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति के रूप में बदलने लगा था।

ठीक ऐसे ही समय कई प्रमुख ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि अगस्त मास में १३ से २३ तारीख तक भयंकर परिवर्तन होंगे। इसका भी लोगों पर जादू जैसा असर पड़ा। जनता ने कहा, 'अंग्रेज हारे' और गांधीजी ने कहा, 'अंग्रेजो भारत छोड़ो'। दोनों बातों ने गहरा मेल खाया। यह था वातावरण अगस्त-विद्रोह से पहले, जब कि सड़कों पर, दूकानों पर, रेलों पर, चौराहों पर, चारों तरफ लोगों में इसी तरह की बातें चल रहीं थीं। ६ अगस्त की नेताओं की गिरफ्तारी ने देश में बिछी हुई वारूद में चिनगारी लगा दी। जनता पागल हो उठी। उसने कांग्रेस व कांग्रेस नेताओं पर हुए प्रहार को अपनी आशाओं, अभिलाषाओं और आकांक्षाओं पर प्रहार ससभा।

नौ अगस्त सन् १९४२

भारतीय इतिहास में नौ अगस्त एक महत्वपूर्ण दिन रहेगा। अगस्त के अन्य दिनों की तरह इस रोज भी बम्बई में एक भयंकर तूफान की आशा की जा रही थी। चारों तरफ वादल घिरे हुए थे। तूफान अवश्य आया पर था वह राजनैतिक। इस तूफान ने भारतीय राजनीति के सारे रूप को ही बदल दिया। ब्रिटिश नौकरशाही का अपनी पूर्व संगठित योजनानुसार कांग्रेस पर विद्युत् आक्रमण प्रारम्भ हुआ। यह जापानियों के पर्ल हारबर पर किये गये कमीने हमले से भी कहीं बड़ा-चढ़ा था। कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन ८ तारीख के रात के १० बजे समाप्त हुआ। 'अंग्रेजो भारत छोड़ो' का प्रस्ताव पास हुआ। गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखने का संकेत किया। उधर ब्रिटिश नौकरशाही ने ९ अगस्त को सारे देश में अपना हमला बोल दिया। कई दिन पहले से नेताओं की गिरफ्तारी के वारन्ट हर जिले में भेजे जा चुके थे। पकिल सरकुलर द्वारा केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों को कुछ हिदायतें दे दी थीं कि किस प्रकार उन्हें कांग्रेस तथा उसकी मांग के विरुद्ध यहां तथा बाहरी देशों में जनमत तैयार करना चाहिए। यह सब बातें इस बात का सबूत देती हैं कि ब्रिटिश नौकरशाही ने अपने को पहले ही से एक निश्चित व पूर्ण संगठित आक्रमण के लिए तैयार कर रखा था। प्रस्ताव के पास होते ही हुकूमत की

सारी नागरिक और सैनिक मशीनरी हरकत में आ गई। कार्य-समिति के सदस्य तथा हर सूबे, जिले, शहर और गांव के कांग्रेसी नेता पकड़ लिए गये। अखबारों के गले घोट दिए गये। आर्डिनेंसों और 'भारत रक्षा कानून' का राज्य स्थापित हुआ। इन आर्डिनेंसों का एक ही अभिप्राय था कि जनता में नेताओं की गिर-फ्तारी के विरुद्ध कोई प्रदर्शन न हो। कांग्रेस-संगठन और कानूनी करार दे दिया गया। कांग्रेस-दफ्तरों पर ताले पड़ गये व उनकी सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया। इस प्रकार सारे देश में अर्द्ध-फौजी कानून स्थापित किया गया। सारा ही देश एक बड़ा जेलखाना बन गया और कांग्रेस तथा जनता पर जबरदस्ती संघर्ष लादा गया। स्वभावतः इसकी प्रतिक्रिया हुई। जोश व रोष से परिपूर्ण जनता ने विरोध प्रदर्शन किये, सभायें कीं, हड़तालें कीं, दफा १४४ को तोड़ा और 'अंग्रेजो भारत छोड़ो' के नारे से प्रभावित तथा खुले विद्रोह की प्रवृत्ति से प्रोत्साहित जनता विभिन्न कार्यक्रमों की तलाश में भटकने लगी।

कांग्रेस का नेतृत्व

प्रत्येक आन्दोलन में एक नेता की आवश्यकता होती है, जो उसके रूप एवं उसकी गति-विधि को निर्धारित करता है तथा परिस्थितियों के कारण इधर-उधर खिखरी हुई जनता की शक्ति को एक निश्चित लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। वह आक्रमण करने तथा आक्रमण से बचने के ऐसे ढंग निकालता है जिनसे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्यशाही के चंगूल से छुटकारा पाने के प्रयत्न में जनता को सदा ही ऐसा नेतृत्व प्रदान करती आई है और सन् १९४२ के खुले विद्रोह में भी वह अपने इस कर्तव्य को पूरा करने में तनिक भी पीछे नहीं रही। सन् १९१४ के बाद प्रथम महायुद्ध की घटनाओं के कारण जो एक जागृति का काल आया, उसमें कांग्रेस ने बड़ी शक्ति हासिल की और वह एक सुसंगठित संस्था बन गई। देश के सुख-दुःख में तथा उसकी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक प्रगति में पूरा सहयोग देने के कारण उसने जनता का हृदय जीत लिया है और उसका प्रभाव देश के एक कोने से दूसरे कोने तक छा गया है। उसने अपने अनुभव एवं दूरदर्शिता के आधार पर साम्राज्यशाही के जुए को उतार फेंकने के लिए अहिंसा, असहयोग एवं सत्याग्रह की एक नूतन कला की सृष्टि की है, नवीन टंकनीक ईजाद की है। महात्मा गांधी ने इसे एक ऐसा सुदृढ़ नेतृत्व प्रदान किया है, जो सन् १९२०-२१, १९३०-३१, १९४० व ४६ के

विपत्तिपूर्ण एवं नाजूक समय में भी खरा उतरा। इन आन्दोलनों तथा इनसे प्राप्त होने वाले फायदों के कारण भारतवासी आशावादी हो गये और उनका अपने नेताओं तथा अपने लक्ष्य की सफलता में पूरा विश्वास जम गया।

सन् १९४२ का विपत्तिकाल कांग्रेस नेतृत्व की परीक्षा का समय था, जिसमें वह पूरी तरह सफल सिद्ध हुआ है। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण मिले जब कि किसी नेतृत्व को ऐसे विचित्र एवं नाजूक समय का सामना करना पड़ा हो। कांग्रेस नेतृत्व को जिस विपत्ति का सामना करना पड़ा, वह स्थानीय या राष्ट्रीय नहीं थी, वह तो सच्चे अर्थ में विश्व-व्यापी थी। साथ ही विपक्षियों के साधन इतने अधिक थे कि उनकी शक्ति का निर्धारण करना आसान न था। छिपाव एवं दगावाजी की कूटनीति चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी। युद्ध इतना भयंकर रूप धारण कर चुका था कि साधारण आदमी के लिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया था कि दूसरे ही क्षण क्या होने वाला है। समस्त संसार छिन्न-भिन्न हो रहा था। बड़े-बड़े राष्ट्र विजेता के चरणों में नतमस्तक हो रहे थे। हरेक वस्तु पतन के कगारों पर खड़ी थी और समस्त संसार एक तूफानी समुद्र के रूप में बदल गया था।

ऐसे घोर विपत्तिकाल में कांग्रेस को भारत जैसे महान् देश के ४० करोड़ नर-नारियों का नेतृत्व करना था और वह भी इस ढंग से कि मुसीबत न उठानी पड़े और सफलता भी मिल जाय। एक छोटी सी गलती के कारण देश को एक ऐसे खतरे के गड्ढे में जा गिरने का डर था जहाँ से वह पीढ़ियों तक वापस न निकल पाता। अतएव जब हम इन परिस्थितियों के साथ सन् १९४२-४६ की भयानक घटनाओं की जांच करते हैं तो हमें महात्मा गांधी की दूरदर्शिता, बुद्धिमानी एवं अनुभव का पता चल जाता है। वास्तव में महात्मा गांधी ने बहुत सी विपत्तियों से हमारी रक्षा की है। जिस राजनैतिक स्थिति को लोग पराजय की दृष्टि से देखते थे वही आज गौरवपूर्ण जीत दिखाई दे रही है।

प्रत्येक नेतृत्व में सावधानी, दृढ़ता एवं जोश इन तीन बातों की बड़ी आवश्यकता होती है। एक बढ़ती हुई विपत्ति की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में कभी सावधानी, कभी दृढ़ता और कभी जोश से काम लेना पड़ता है। सर्व प्रथम सावधानी की जरूरत है। एक योग्य नेता के लिए अपनी तथा विपक्षी की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन अनिवार्य होता है। उसे अपने द्वारा तथा विपक्षी द्वारा अपनाए जाने वाले सभी सम्भव साधनों को पहले से ही सोच कर इन्तजाम कर लेना पड़ता है और साथ ही इन सब के परिणामों पर विचार

ध्यान रखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त तेजी से फैलते हुए युद्ध के प्रारम्भ काल में ही जनता को किसी बड़े आन्दोलन के लिए खड़ा कर देना अदूरदर्शिता-पूर्ण एवं असामयिक होता है। यही कारण है कि कांग्रेस नेतृत्व उस विषम परिस्थिति में इन सब बातों को सोच समझ कर बड़ी सावधानी तथा दृढ़ता के साथ अपने कदम रख रहा था। पर लोग इस बात का उस समय समझ न पाये थे। अतः कुछ लोग उस पर अस्थिरता का और कुछ डरपोकपन का दोषारोपण करने लगे। कुछ इससे और आगे बढ़े और उन्होंने उस पर सम्भाव्य क्रान्ति के मौके पर दगाबाजी करने का लाञ्छन लगाया। किन्तु वाद की घटनाओं ने उनके इन आरोपों को बिल्कुल शलत साबित कर दिया तथा यह बात भी साफ तौर से प्रकट कर दी कि कांग्रेस ने युद्ध के प्रारम्भकाल में जिस नीति को अपनाया था वह सोलह आने विवेक-पूर्ण थी।

ज्यों ही परिस्थिति कुछ गम्भीर हुई और आने वाली घटनाओं का चित्र सामने आया त्यों ही कांग्रेस-नेतृत्व को एक ऐसी सुदृढ़ तजवीज तैयार करने का मौका मिला जिसे वह संकट-काल के अन्त तक अपनाता। मलाया, बर्मा आदि में स्थान-स्थान पर हार होने के कारण लोगों का विश्वास अंग्रेजों की शक्ति पर से हटता जा रहा था। अंग्रेजों की थल, जल एवं हवाई शक्ति को बुरी तरह हानि पहुँच चुकी थी। या यों कहिए कि अंग्रेज काफ़ी हद तक परास्त हो चुके थे। अतः स्वाभाविक रूप से ही अंग्रेजों का प्रभाव उठ गया था तथा नैतिक दृष्टि से भी उनमें शक्ति-क्षीणता, कमीनापन एवं पतन के चिन्ह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ने लग गये थे। इसलिए कांग्रेस-नेतृत्व के लिए विरोध करने तथा अपनी मांग दृढ़तापूर्वक रखने का यह अच्छा मौका था। उसने इस बात को समझा और अपनी मांगें तैयार कीं तथा देश का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। ज्यों-ज्यों समय के साथ युद्ध भारत की सामा पर-पहुँचता गया, त्यों-त्यों कांग्रेस की आवाज़ तीव्र होती गई और उसके नेता अपने संगठन को दृढ़ करने तथा युद्ध के आधार पर जनता को तैयार करने का अथक प्रयत्न करते गये।

इस प्रकार सन् १९४२ का नाजुक समय आ पहुँचा और जापान हांग-कांग से इम्फाल तक आश्चर्यजनक गति से बढ़ आया, जिससे इन प्रदेशों में ब्रिटिश शासन-सत्ता बिल्कुल नष्ट होगई। अतएव यह वह मौका था जब कि एक ऐसा कदम उठाया जा सकता था जो निहत्थे लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने का इच्छा एवं सामर्थ्य प्रदान करता और उनको तेजी से छिन्न-भिन्न होते हुए सामाजिक ढाँचे के स्थान पर एक उन्नत समाज का निर्माण करने के लिए

जी-जान से प्रयत्न करने को प्रेरित करता। सचमुच यह वह भवसर था जिसकी भारतवासी सदियों से प्रतीक्षा कर रहे थे; क्योंकि निर्दयी एवं अत्याचारी ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा जबरन लादी हुई समाज-व्यवस्था ने उनको पीस दिया था और उनका आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक पतन हो चला था। अतएव वे एक ऐसे मौके की वाट में थे जब कि वे अपने बन्धनों को तोड़ फेंकें और एक विलकुल नवीन, उदार एवं उन्नत व्यवस्था की स्थापना कर सकें।

सन् १९४२ का सुनहला प्रभात आया। समय के साथ सदा की भांति ग्रीष्म एवं पतझड़ ऋतुयें वारी-वारी से आईं और हमें बसन्त ऋतु प्रदान करके चली गईं। पर इस बार वे देश को बसन्त के साथ एक उपहार और दे गयीं। वह उपहार था आज़ादी एवं उन्नति हासिल करने के लिए क्रान्ति का सन्देश। ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रकृति के अकाट्य नियमों के अनुसार गुलामी की जंजीरों की कड़ियां स्वतः ही छिन्न-भिन्न होना चाहती हैं। अतएव भारतवासियों के सामने यह प्रश्न था कि वे इस सुभवसर का लाभ उठा कर कुछ करेंगे या हाथ पर हाथ धरे समय निकाल देंगे। जनता में क्रांति की एक तीव्र लालसा दिखाई पड़ रही थी और लोग बड़ी आतुरता से कांग्रेस के नेतृत्व की ओर देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि कांग्रेस ऐसे मौके पर उनका नेतृत्व करेगी या कर्तव्य पूरा न कर सकने के कारण अपना प्रभाव खो बैठेगी। भला कांग्रेस ऐसे भवसर पर कब चूकने लगी? उसने लोगों को सचेत किया, "संगठित एवं नियन्त्रित रूप में आगे बढ़ो और गुलामी की जंजीरों को तोड़कर फेंक दो। अपने-आपको पूर्ण स्वतंत्र समझो और उसी रूप में काम करो। जो भूमि अपने हिस्से की है उसे अपने अधिकार में कर लो और यदि कोई शक्ति, चाहे वह जर्मन हो, चाहे जापान, चाहे अंग्रेज हो, चाहे और कोई, तुमसे उसको छीनना चाहे तो उसका पूर्ण दृढ़ता से मुकाबला करो।"

वास्तव में जब कोई सेना अपनी इच्छित भूमि को हथियाने के लिए बढ़ती है तो उसे अपनी रक्षा करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होती है। क्या कांग्रेस-नेतृत्व ने आन्दोलन के लिए तैयार जनता को ऐसा कोई साधन दिया जिससे वह शत्रु के प्रतिघात को नाकामयाब बनाने में सफल हो सके? क्या उसने जनता को पीछे हटने का कोई साधन दिया? हमें इसी प्रकार के नाजुक प्रश्नों के आधार पर कांग्रेस की जांच करनी चाहिए; क्योंकि इससे ही हम उसकी बुद्धिमानी, निपुणता, सावधानी, आदर्शवादिता, विपत्तियों का सामना करने की दृढ़ता आदि गुणों को जान सकते हैं।

आन्दोलन की लपटों में

इस प्रकार देश एक भीषण आन्दोलन की लपटों से घिर गया और जैसी कि आशा की जाती थी, नेता लोग जेल के सीखचों में बन्द कर दिए गए। अतः जब नेता लोग नहीं रहे तो हर एक स्त्री-पुरुष पर अपने नेतृत्व की जिम्मेवारी आ गई और जनता ने अपने विश्वस्त नेताओं के अभाव में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का सब उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। मदान्व सांभ्राज्यवाद के निर्दयतापूर्ण दमन ने लोगों के हृदय में तीव्र लगन एवं दृढ़ता उत्पन्न कर दी थी कि शारीरिक यातनायें सहन करके भी उन्हें अंग्रेजी शासन का मुकाबला करना चाहिए तथा उसे पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अतएव जनता ने विपक्षी पर आक्रमण करने के नए साहसपूर्ण तरीके ईजाद किये और उनके आधार पर आन्दोलन को चलाया। इस बीच आजादी के कुछ नए एवं पुराने सैनिक आगे आए और शत्रु पर आक्रमण करने के लिए जनता का पथ-प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने जनता के हृदय में अधिकार प्राप्त करने की इच्छा जाग्रत कर दी और उसे कार्य रूप में लाने का मार्ग भी बता दिया। अतएव स्वाभाविक रूप से ही इन नेताओं को कल्पनातीत ख्याति प्राप्त हुई। वास्तव में युद्ध काल से ही दूसरे देशों की परिस्थितियों के कारण राष्ट्रीय कांग्रेस में एक क्रांतिकारी दल तैयार हो रहा था जो राष्ट्रीय युद्ध-नीति को क्रांतिकारी रूप देना चाहता था। श्री सुभाषबाबू इस प्रकार की विचार-धारा के प्रतीक थे। जब तक वह भारत में रहे, निरन्तर इस नीति को प्रोत्साहन देते एवं कार्य-रूप में परिणत करने की कोशिश में लगे रहे। और जब वे देश से बाहर चले गये तो वहाँ पर उन्होंने अपने इस प्रयत्न को अन्त तक जारी रखा। सिंगापुर में प्रसिद्ध आजाद हिन्द फौज का निर्माण कर तथा बर्मा एवं भारत की सीमा पर आजाद हिन्द फौज की अंग्रेजों के साथ लड़ाइयाँ लड़वाकर श्री सुभाषबाबू ने अपनी इसी भावना का परिचय दिया।

इधर भारत में भी उस समय बहुत से व्यक्ति सुभाषबाबू की इस नीति को आगे बढ़ाने के लिए किसी उपयुक्त अवसर की वाट देख रहे थे। सीभाग्य से १९४२-४३ में भारतीय जनता ने जो क्रांतिकारी प्रयत्न किए उनके कारण इन लोगों को अपनी इस नीति का प्रयोग करने का अच्छा अवसर मिल गया। इस प्रकार पिछले वर्षों की अपेक्षा अब हम अधिक अनुभवशील हैं। जब वातावरण शान्त हो जाय तो हमें इन विभिन्न प्रकार की घटनाओं एवं प्रगतियों की वैज्ञानिक ढंग पर निष्पक्ष जाँच करनी चाहिए,

ताकि राष्ट्रीय ज्ञान-कोष समृद्धिशाली बने और हमारे भावी आन्दोलन अधिक सफल हो सकें।

युद्धकालीन नेता एवं राष्ट्र के कर्णधार

यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी हम अवहेलना नहीं कर सकते। एक राष्ट्रीय युद्ध में अनेक नायक उत्पन्न हो जाते हैं और खूब ख्याति प्राप्त करते हैं। हाल ही में समाप्त होने वाले महायुद्ध में रोमेल, मोन्टगुमरी, मैकआर्थर, टिमोशेन्को आदि अनेक जनरलों ने महत्त्वपूर्ण काम किये और ख्याति के शिखर पर पहुँचे। परन्तु युद्ध के समाप्त होने और सामाजिक अवस्था के स्वभाविक स्थिति में आने पर हमें प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक परिस्थिति के अनुरूप ही स्थान देना चाहिए। शान्ति-काल में किसी युद्धनायक के हाथों में राष्ट्र की वागडोर सौंप देना बहुत ही घातक होगा, क्योंकि इससे सम्पूर्ण सामाजिक ढाँचा अस्त-व्यस्त हो सकता है।

सैनिक दृष्टि से भी किसी खास मोर्चे पर समय एवं परिस्थिति के अनुरूप काम में लाई जाने वाली अस्थायी नीति का एकांगी महत्त्व ही होता है, उसकी सम्पूर्ण युद्ध-नीति के साथ समता नहीं की जा सकती; क्योंकि सम्पूर्ण युद्ध-नीति में युद्ध की तैयारी, शान्ति-काल की कूटनीति, प्रचार, आक्रमण करना, विपक्षी के आक्रमण का मुकाबला करना, समय पड़ने पर पीछे हटना, रसद इकट्ठी करना तथा उसे विभिन्न मोर्चों पर भेजना, सैनिक भर्ती, सन्धि करना आदि अनेक जटिल समस्याएँ शामिल हैं। इस प्रकार इंग्लैंड, रूस, अमेरिका आदि देशों में उन जनरलों को, जिन्होंने कठिन मोर्चों पर विजय प्राप्त की है तथा आक्रमण करने एवं विपक्षी के आक्रमण से बचने के अनेक लाभप्रद एवं सफल तरीके निकाले हैं, अनावश्यक महत्त्व देना हानिप्रद सिद्ध होगा।

सच्चे एवं स्थायी हित की दृष्टि से देश की वागडोर उन्हीं नेताओं के हाथ में सौंपनी चाहिए जिनका अनुभव परिपक्व हो, जिनको बहुत पुराना तजुर्बा हो, जिन्होंने अपनी ईमानदारी, लगन एवं त्याग के द्वारा जनता के नेतृत्व का अधिकार प्राप्त किया हो तथा जो अपने आदर्शों के आधार पर एक बड़े और उन्नत राष्ट्र के गौरव के अनुरूप सामाजिक संगठन निर्माण करने की क्षमता रखते हों।

कार्यक्रम

क्रोध एवं रोष से उन्मत्त और जोश से भरी हुई जनता कुछ करना चाहती

थी। उसमें साहस था, जोश था और थी अपने-आपको स्वतंत्र करने की तीव्र इच्छा। बढ़ते हुए दमन-चक्र तथा दिल दहलाने वाली घटनाओं के रूप में लोग ब्रिटिश साम्राज्यशाही का नंगा नाच देख चुके थे और उधर जेल के सीखचों में से उन्हें अपने प्रिय नेता महात्मा गान्धी का 'करो या मरो' का गगन-भेदी स्वर सुनाई पड़ रहा था।

आन्दोलन को चलाने के लिए उन्हें एक निश्चित कार्यक्रम कौन देगा? क्या नेताओं ने अपने पीछे कोई निश्चित कार्यक्रम छोड़ा है? यदि नहीं तो क्यों? कोई कार्यक्रम न पाने की सूरत में उन्हें क्या करना है? इस प्रकार के कितनेही प्रश्न थे जिन पर जनता के लिए ठंडे दिल से विचार करना आवश्यक था। परन्तु जब जनता आन्दोलन प्रारम्भ कर देती है तो वह किसी प्रकार का अवरोध सहन नहीं कर सकती और उसके सामने जो भी हथियार आता है, चाहे वह कितना ही खराब क्यों न हो, उसे अपने क्रान्तिकारी उपयोग में ले आती है। यह एक नियम है। यही बात नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यहां हुई। उस समय देश में यह बात जोरों से फैल चुकी थी कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शासन-सूत्र को पंगु बना देना अत्यन्त आवश्यक है। इतने ही में भारत-मंत्री श्री एल० एस० एमरी ने कांग्रेस को बदनाम करने एवं उस पर दोषारोपण करने की नीयत से तोड़-फोड़ का एक कार्यक्रम ब्राडकास्ट किया जिसमें ११ बातें थीं। जनता ने इस ब्राडकास्ट को अपनी उत्तेजित भावना से देखा और उसके मामले जो भी ब्रिटिश शासन का चिन्ह आया उसे वह नष्ट करने पर तुल गई। परिणाम-स्वरूप पुलिस थाने जला दिये गए या तहस नहस कर दिये गये, डाकखाने लूट लिए गए, मीलों तक रेलवे लाइनें उखाड़ डाली गईं, सरकारी रिकार्ड फूंक दिये गये और इसी प्रकार अनेक तरीकों से सरकारी शासन पर प्रहार किया गया और उसे काफी क्षति पहुंचाई गई।

कार्यक्रम किसने दिया ?

यह कार्यक्रम किसने दिया, यह एक बहुत ही विवादास्पद प्रश्न बन गया है। कुछ लोग इसे एमरी के दिमाग की उपज बताते हैं। कुछ कहते हैं घुरी रेडियो एवं श्री सुभाष बाबू के ब्राडकास्ट द्वारा जनता ने इसे प्राप्त किया और कुछ लोग इससे भी आगे बढ़ते हैं और वे इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के उन नेताओं पर डालते हैं जो प्रथम दौर में गिरफ्तार न किये जा सके और जो इस प्रकार कार्यक्रम बनाने तथा उसका प्रचार करने को स्वतन्त्र थे। हमारी समझ में ये सब बातें व्यर्थ की हैं। यह बात सभी जानते हैं कि जब प्रधान नेता गिरफ्तार कर

लिये गये तो उनके पीछे देश में एक अत्यन्त क्रान्तिकारा भाव उबाल खा रहे थे। बम्बई में लोगों ने 'कौंसिल आफ एक्शन' यानी 'संघर्ष समिति' की स्थापना करके अपने हृदय के इन भावों को दुनिया के सामने व्यक्त कर दिया। यह पहली संगठित क्रान्तिकारी संस्था थी और इसमें कांग्रेस के उन नेताओं ने भी, जो गिरफ्तार नहीं किये जा सके थे, भाग लिया था। इस संस्था के कार्यकर्ताओं ने अपना एक स्वतंत्र प्रेस तथा ब्राडकास्ट स्टेशन बना लिया था, जिनके द्वारा ये अपने इधर-उधर बिखरे हुए साथियों एवं जनसाधारण को आन्दोलन चालू रखने के सम्बन्ध में हिदायतें देते थे। ये लोग तीन बातों पर खास जोर देते थे—१. यातायात के साधन नष्ट करना। २. गावों में सरकारी सिक्के का बहिष्कार कर उसके स्थान पर वस्तु के बदले वस्तु देने की प्रथा की स्थापना तथा ३. पुलिस एवं फौज का विरोध। वैसे लोगों को सरकारी संस्थाओं, जैसे पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों, डाकघरों, माल गोदामों, अदालतों आदि पर कब्जा करने तथा मिलों, फैक्ट्रियों, स्कूल-कालेजों आदि में हड़ताल कराने के लिए भी उत्साहित किया जाता था।

कोई कार्यक्रम क्यों नहीं दिया गया ?

नेताओं ने जनता को कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं दिया ? इस सम्बन्ध में दो बातें विचार करने की हैं। क्या नेता लोग बिना किसी पूर्व चेतावना के गिरफ्तार लिये गये ? या क्या कोई निश्चित कार्यक्रम देने के प्रश्न को उन्होंने उस समय जान-बूझ कर टाल दिया था ?

जों महात्मा गांधी की प्रकृति को जानते हैं उनके लिए इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। यह सभी जानते हैं कि कोई कार्यक्रम तभी दिया जा सकता है जब कि उसे पूरा करने की मशीनरी तैयार हो और उसमें एक निर्दयी विपक्षी के प्रहार को सहने की क्षमता हो। उस समय जो परिस्थिति थी उससे यह स्पष्ट दिखाई पड़ता था कि ज्यों ही आन्दोलन प्रारम्भ हुआ कि नेता लोग जनता से छीन कर जेल के सीखचों में बन्द कर दिये जायंगे और इस प्रकार लोगों को अपना नेतृत्व स्वयं करना पड़ेगा। ऐसी हालत में यह विलकुल अनुचित था कि बिना किसी नेतृत्व के लोगों को तोड़-फोड़ का क्रान्तिकारी कार्यक्रम दे दिया जाता। गांधीजी को यदि यह विश्वास होता कि वह अपने कार्यक्रम को अन्त तक कार्यान्वित कर सकेंगे तथा एक अहिंसक आन्दोलन में लोगों का नेतृत्व करने के लिए खुले छोड़ दिये जायंगे तो वे एक निश्चित कार्यक्रम अवश्य देते, क्योंकि वे स्वयं ऐसा करना चाहते थे। किन्तु अचानक वह कैद कर लिये गये।

और उनकी नीति एवं व्यवहार-कुशलता ने उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह लोगों को अपनी प्रकृति तथा सामर्थ्य के अनुरूप स्वयं ही अपना कार्यक्रम तैयार करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दें। फीजी दृष्टि से भी उनके लिए किसी कार्यक्रम के लिए हुकम देना विलकुल अनुचित एवं हानिकर था। हुकम वे ही अफसर दे सकते हैं जो स्वयं घटनास्थल पर सिपाहियों के साथ ऊची-नीची स्थिति का सामना करते हैं एवं उसका निरंतर अध्ययन करते हैं। जब इस बात की निश्चितता न हो तो नेता के लिए यही बात शेष रह जाती है कि वह जनता को आन्दोलन के विषय में साधारण बातें बता दे अर्थात् नारा, चेतावनी आदि दे दे। कांग्रेस-नेतृत्व ने अपने इस कर्तव्य को पूरा किया और ज्यों-ज्यों आंदोलन शुरू होने का समय आता गया, नेताओं ने बार-बार अपने भाषणों द्वारा लोगों को इन बातों का ज्ञान कराया तथा अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी के सामने भाषण देते हुए अग्रस्त को तो महात्मा गांधी ने विलकुल खुले शब्दों में इन बातों का निर्देश कर दिया।

कोई निश्चित कार्यक्रम न देने का एक और भी मुख्य कारण है। कोई भी नेता आन्दोलन के बीच में उत्पन्न होने वाली तमाम सम्भाव्य परिस्थितियों का पहले से ही अनुमान नहीं लगा सकता। अतः जब नेता को स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि परिस्थिति के अनुसार वह अपने हुकम को बदल सकने के लिए स्वतंत्र न होगा तो ऐसी अवस्था में पहले से ही अपनी सेना को एक निश्चित हुकम दे देना कितना घातक हो सकता है यह सभी जानते हैं। ऐसी अवस्था में युद्ध-स्थल पर उचित नेतृत्व न कर सकने के कारण नेता पर एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी आ जाती है। उस दशा में सैनिक एक अजीब परिस्थिति में पड़ जाते हैं और पीछे हटना, बगल से आक्रमण करना आदि असम्भव हो जाता है। इस प्रकार सैनिकों का जीवन अपने नेता के हाथों में चला जाता है जो स्वयं अपने निर्दयी चालाक विपक्षी की दया पर ही जीवित रह सकता है। इन बातों को सोचते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय की अजीब परिस्थिति में यदि कोई कार्यक्रम तैयार किया जाता तो वह हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होने के अलावा विपक्षी के लिए भी बहुत लाभप्रद सिद्ध होता और इस प्रकार हम दोहरी मार खाते और पिस जाते।

आंदोलन के तूफानी केन्द्र

प्रारम्भ में सारे देश में हड़तालें, विरोध प्रदर्शन, जुलूस व सभाएं हुईं। पर मायही साथ जहाँ-जहाँ भी मिस्टर एमरी की कांग्रेस-प्रोग्राम सम्बन्धी

घोषणा, सुभाषबाबू के नाम पर धुरी रेडियो द्वारा ब्राडकास्ट किया जाने वाला प्रोग्राम तथा अखिल भारतीय कांग्रेस के नाम से बाँटे गये पर्चे पहुँचते गए वहाँ-वहाँ पर सरकारी इमारतों, संस्थाओं तथा सरकारी सत्ता के चिन्हों, जैसे कचहरियों, यानों, डाकखानों इत्यादि पर जनता के सामूहिक प्रयत्न प्रारम्भ हुए। पर यह प्रोग्राम केवल उन्हीं इलाकों में अधिक फला-फूला और स्वभावतः अपनाया गया जहाँ पर या तो युद्ध के विविध दबावों के कारण जनता तंग आ चुकी थी या अधिक परेशानी बढ़ चुकी थी या कांग्रेस नेतृत्व का जनता पर गहरा प्रभाव था या क्रांति के लिए अन्य उपयुक्त कारण अपनी परिपक्व अवस्था को पहुँच चुके थे। उन इलाकों में यह प्रोग्राम तेजी से चला। इसीलिए आन्दोलन के तूफानी केन्द्र आसाम घाटी के जिले, बंगाल के पश्चिमी जिले, मिदनापुर, बिहार के उत्तरी, पूर्वी व पश्चिमी इलाके, युक्तप्रान्त के पूर्वी जिले, उड़ीसा में बालासोर जिला, महाराष्ट्र में सतारा, पूर्वी खानदेश, पश्चिमी खानदेश विशेष रूप से रहे। यह प्रश्न किया जा सकता है कि आखिर इन्हीं इलाकों में आन्दोलन का तूफान अधिक क्यों उठा? उत्तर बड़ा सरल है। वहाँ पर शिक्षा का अधिक प्रचार है, गाँव-गाँव में पढ़े-लिखे लोगों की काफी संख्या है, फौजी भर्ती के ये केन्द्र हैं और सन् १८५७ के गदर के समय भी ये सब जिले अन्त समय तक अपनी आजादी के लिए लड़ते रहे थे। यहाँ पर बहादुर लोग रहते हैं। भौगोलिक दृष्टि से यहाँ के लोग लुक-छिप कर लम्बी लड़ाई लड़ने के लिए अधिक समर्थ हैं। यहाँ इस लड़ाई में जनता पर हर प्रकार के बोझ पड़ चुके थे। अपने युद्ध-प्रयत्नों को सफल बनाने के लिए ब्रिटिश नौकरशाही ने तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगा रखे थे। चूँकि इन इलाकों से काफी अधिक संख्या में लोग फौज में भर्ती हो चुके थे, इसलिए उनके भाई व रिश्तेदार जो इन इलाकों में बसते थे, कुछ ऐसा सोचने लगे थे कि अब अपने फौजी भाइयों से मिलने का केवल एक ही उपाय है कि हिन्दुस्तान मुक्त हो जाय। इन बातों के अलावा ये वे इलाके हैं जहाँ पर कांग्रेस नेतृत्व का जनता पर गहरा प्रभाव था।

इस आन्दोलन का दूसरा विशेषता यह रही कि इसके तूफानी केन्द्र मुख्यतः उन इलाकों में रहे जो जापानी बमबाजी के नज़दाक पड़ते थे। वहाँ की जनता को विश्वास हो चला था कि जापानियों के जुल्म भी उन्हीं को सहने पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि जब मरना ही है तो अपनी आजादी के लिए ही क्यों न मरें। यही कारण है कि पुरी, पूर्वी गोदावरी, गन्टूर, कोयम्बटूर, बंगाल में कन्टाई इत्यादि जितने भी पूर्वी तट के इलाके हैं उन सब में

भयंकर विस्फोट हुआ। हमारा तात्पर्य यहां पर उन कारणों को बताने का नहीं है जिनकी वजह से यह सब इलाके आन्दोलन के मुख्य केन्द्र बने। केवल संकेत रूप से यह बताना है कि क्यों इन खास इलाकों में आंदोलन तेजी से रहा और क्यों एक विशेष प्रकार का आन्दोलन इन्हीं इलाकों में हुआ। उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त और भी ऐसे ही कारण थे जो इन इलाकों के आंदोलन में सहायक हुए थे।

तूफान उठा, वेग से बढ़ा और अन्त में यहाँ तक दीख पड़ा कि करोड़ों ने किसी-न-किसी रूप में इसमें सहयोग दिया। पाँच-छः माह बाद आन्दोलन का सामूहिक रूप खत्म हुआ। देश में सैनिक शक्ति स्थापित हुई। सरकार की ओर से कुछ आंकड़े छपे हैं, उनके अनुसार:—

पुलिस तथा फौज की गालियों से मरे व्यक्तियों की संख्या	६४०
पुलिस तथा फौज की गोलियों से घायल व्यक्तियों की संख्या	१,६३०
कितनी बार गोलियाँ चलाई गयीं	५३८
गिरफ्तार हुए व्यक्तियों की संख्या	६०,२२९
नजरबन्द किए गए व्यक्तियों की संख्या	१८,०००
उन स्थानों की संख्या जहाँ फौज बुलाई गयी	६०
उन स्थानों की संख्या जहाँ हवाई जहाजों से बम गिराए गए (पटना, भागलपुर, नदिया, मुंगेर, तलकेरा और तमलक)	६
स्टेशनों की संख्या जो दिसंबर मास तक बरबाद किए गए	३१८
गिराई गयी गाड़ियों की संख्या	५६
तोड़-फोड़ द्वारा रेलवे विभाग की क्षति	रु० १८,००,०००
मोटर लारियों की क्षति	रु० ९,००,०००
स्टेशन की इमारतों की क्षति	रु० ८,५०,०००
स्टेशनों की अन्य सामग्री की क्षति	रु० ६,५०,०००
पोस्ट आफिसों की संख्या जिन पर हमले किये गये।	९५४

नोट—इनमें से ६० पूर्णरूपेण बरबाद किए गए, २५२ बुरी तरह से बरबाद किए गए और बहुत से गोलीबार द्वारा बरबाद किए गए।

नकद तथा दूसरी तरह से की गयी क्षति रु० २,००,०००

कितनी जगह टेलीफोन व टेलीग्राफ के तार काटे गये १२,०००

उपरोक्त हर्जाने के अलावा डाकखानों तथा तारघरों के आफिसों में १,००,००० रुपए से अधिक का फरनीचर बरबाद कर दिया गया। सैंकड़ों स्कली

इमारतों को बरबाद करने से जो क्षति हुई है, उसकी संख्या भी हजारों और लाखों के करीब है।

सरकार का यह भी कहना है कि ६० स्थानों पर सेना को बुलाना पड़ा और लगभग ५३८ वार पुलिस को भीड़ को छिन्न-भिन्न करने के लिए ६ मरतवा हवाई जहाजों से भी गोलियां चलानी पड़ीं। सरकार द्वारा यह भी बताया गया है कि जनता ने थानों, डाकखानों, स्टेशनों, सरकारी इमारतों आदि पर सामूहिक प्रहार किये तथा उनको जलाया।

उपरोक्त आंकड़ों के बावजूद सरकार का कहना है कि आन्दोलन के कारण उसकी कोई खास क्षति नहीं हुई, किन्तु आन्दोलन काल में उसी के सप्लाय डिपार्ट-मेंट की ओर से एक विज्ञप्ति निकली थी जिसका सार हम नीचे देते हैं। इसको पढ़कर पाठक अनुमान लगा लेंगे कि सरकारी युद्ध-प्रयत्नों पर आन्दोलन का कितना अधिक प्रभाव पड़ा था। विज्ञप्ति में कहा गया है—

“कांग्रेस आन्दोलन का प्रभाव कपड़ा मिलों पर बहुत पड़ा है। अहमदाबाद के करीब ९० प्रतिशत सूत कातने वालों ने काम छोड़ दिया। मद्रास प्रान्त में बकिंधम मिल और करनाटक की कुछ मिलें २५ अगस्त तक बन्द रहीं। इससे एक करोड़ की जगह केवल ५ लाख गज कपड़ा तैयार हो सका। बड़ौदा, इन्दौर, नागपुर तथा देहली की मिलों में भी विभिन्न समय तक हड़तालें चलती रहीं। इस प्रकार आन्दोलन के प्रथम महीने में कुल मिलाकर करीब ढाई करोड़ गज कपड़े का नुकसान हुआ। ऊनी कपड़े में भी लगभग इतनी ही हानि हुई। कैलिको मिल तथा मेसर्स हत्थीसिंह एण्ड कम्पनी के बन्द हो जाने से सिलाई के काम में आने वाला धागा न मिल सका और इस प्रकार सिलाई के काम को काफी धक्का पहुंचा। लाहौर आदि कई स्थानों में तो बिल्कुल भी काम न हो सका, क्योंकि वहां पर धागे का स्टॉक नहीं था।

तम्बाकू के काम में भी काफी हानि हुई और इम्पीरियल तम्बाकू कम्पनी की कलकत्ता, बम्बई, बंगलोर एवं संहारनपुर की फैक्ट्रियां निश्चित समय पर अपना माल तैयार करके न दे सकीं। इतना ही नहीं, मुगेर की फैक्ट्री में काफी तोड़-फोड़ किया गया जिससे न तो सिगरेट बनाने का कागज ही मिल सका और न छपाई आदि का काम ही हो सका।

कानपुर आदि के चमड़े के कारखानों में आन्दोलन के कारण ५० प्रतिशत काम कम हुआ। बीजापुर में करीब एक लाख रेलवे स्लीपर तथा एक लाख २० हजार बांस जलाकर भस्म कर दिये गये। आन्दोलन का वेग इतना भयंकर था कि जंगल का काम बन्द करना पड़ा।

गहूँ तथा गेहूँ की बनी चीजें भी आन्दोलन के प्रभाव से न बचसकीं । सबसे अधिक नुकसान देहली की गणेश-पलोर मिल्स को उठाना पड़ा । आन्दोलनकारी इसकी वर्कशाप के तमाम औजार आदि उठाकर ले गये । उन्होंने अन्न के स्टॉक को भी हार्नि पहुँवाई तथा करीब १५० टन अन्न लूट लिया । मशीनों आदि को क्षति पहुँचने के कारण लगभग ४००० टन माल कम तैयार हुआ ।”

जनता के अपने आंकड़े भी हैं, किन्तु नेताओं के पकड़े जाने के बाद सारे देश के अखबार बन्द होगये और जो अखबार निकलते थे उन्हें आन्दोलन सम्बन्धी खबरें छापने का अधिकार न था ।

महत्वपूर्ण बातें

इस आन्दोलन की तीन महत्वपूर्ण बातें हैं ।

१. आन्दोलन की ज्वाला देशी रियासतों में फैली ।

२. विद्यार्थियों का अभूत-पूर्व कार्य, जिन्होंने कांग्रेस नेताओं के पश्चात् आन्दोलन का नेतृत्व किया ।

३. किसी जगह हिन्दू-मुस्लिम उत्पात का न होना अथवा दूसरे शब्दों में मुस्लिम जनता का मिस्टर जिन्ना की अनेक धमकियों के होने हुए भी आन्दोलन के प्रति हमदर्दी प्रकट करना ।

सन १९४२ में राष्ट्रीय आन्दोलन का सर्व प्रथम देशी रियासतों की प्रजा के आन्दोलन के साथ गठबन्धन हुआ । क्रांति की ज्वालां सब बाह्य नुमायशो बन्धनों को तोड़ती हुई रियासतों में धधकी और आन्दोलन की गतिविधि वहाँ पर भी ऐसी ही रही जैसी कि ब्रिटिश भारत में । मध्य भारत की रियासतों में आन्दोलन बड़ी तीव्र गति से फैला और भरतपुर, कोटा, इन्दौर, ग्वालियर, रतलाम और बड़ोदा आदि में हड़तालें हुई, विरोध-प्रदर्शन हुए, सरकारी सत्ता पर आक्रमण हुए । दक्षिण भारत की रियासतों में भी इसकी लपटें फैलीं और विशेषकर मैसूर में तो उसका गति-विधि बहुत ही बढ़ी-चढ़ी रही । यहाँ पर जनता ने सरकारी राज-सत्ता पर प्रहार कर कब्जा करने के सफल व असफल प्रयत्न किये । उधर उड़ीसा और महाराष्ट्र की देशी रियासतों में शोले उठे । निस्सन्देह देशी रियासतों में जो आन्दोलन हुआ, उसका श्रेय वहाँ के प्रजामण्डलों को है, जिन्होंने राज्य में जागृता ववेचनी पैदा कर दी थी और इस कारण इस आन्दोलन की बाह्य गति के समाप्त होते ही सारी रियासतों में प्रजामण्डलों

का संगठन और सम्मान बढ़ा और प्रायः राजाओं ने अपने प्रजामण्डलों से किसी-न-किसी प्रकार समझौता करने की चेष्टा की।

२. जहाँ तक विद्यार्थियों का सम्बन्ध है इसमें कोई शक नहीं कि विद्यार्थियों की एक शक्ति भारताय राष्ट्रीय आन्दोलन की एक सञ्चित शक्ति थी। आन्दोलन से पहले विद्यार्थियों पर मुख्यतः कम्पानस्टों का प्रभाव था, पर ९ अगस्त को देश में आग लगते ही विद्यार्थियों ने जिस अपूर्व उत्साह, हिम्मत और वलिदान का परिचय दिया उससे विद्यार्थी-जगत् के प्रति एक महान् सहानुभूति व सम्मान पैदा होगया है। हजारों ने कालेज व स्कूल छोड़ दिये और अपनी समझ के अनुसार आन्दोलन का नेतृत्व करने का प्रयत्न किया। इन नवसिखिये व उत्साही युवकों से कांग्रेस की अहिंसा नीति का अक्षरशः पालन करने की आशा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि न उन्हें कोई ट्रेनिंग थी और न किसी आन्दोलन की गतिविधि के साथ इनका कोई गहरा सम्बन्ध ही रहा था। बम्बई के विद्यार्थी आन्दोलन में सबसे आगे थे और उन्होंने साम्राज्यशाही के बिजला जैसे तेज आक्रमण का मुकाबला गोलियाँ और लाठियाँ खाकर किया। अहमदाबाद, शोलापुर व अन्य शहरों में भी विद्यार्थियों ने आन्दोलन में हिस्सा लिया। विद्यार्थियों में लगी हुई यह आग चारों ओर फैली और युक्तप्रांत, मध्यप्रांत, आसाम आदि सब जगह के विद्यार्थियों ने इस आन्दोलन में सैकड़ों की तादाद में हिस्सा लिया। धूलिया जिले के नन्दावाजार और खैर जिले के विद्यार्थियों के ऊपर जो अमानुषिक अत्याचार हुए उसकी अपनी एक हृदय-विदारक कहानी है। युक्तप्रांत में केवल बनारस डिवीजन में ३२ हजार विद्यार्थियों ने सारे पूर्वी जिलों में एक नवजीवन व स्फूर्ति पैदा कर दी थी। वे सब इन जिलों में फैल गये और वहाँ के आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण किया।

३. यद्यपि एक प्रकार से उस समय हिन्दुस्तान में आंग्ल-मुस्लिम गुट बन गया था और ऐसा मालूम पड़ता था कि मिस्टर जिन्ना ने कांग्रेस आन्दोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश नीकरशाही के साथ कोई षड्यंत्र कर रखा है, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि यदि कांग्रेस ने कोई आन्दोलन शुरू किया तो देश भर में गृहयुद्ध हो जायगा, आपसी झगड़े व उत्पात होंगे। ९ अगस्त को जब देश भर में दबी-पिसी जनता ने अंग्रेजी नीकरशाही व साम्राज्यवाद के विरुद्ध खुली बशावत की तो उस काल में एक भी जगह साम्प्रदायिक झगड़ा न हुआ। बल्कि इसके विपरीत

हजारों मुसलमानों ने खुले रूप से इस आंदोलन में यत्र-तत्र हिस्सा लिया । संयुक्त प्रान्त के पूर्वी जिलों में, बिहार में विशेषतः पूर्णिया जिले में, बंगाल के चटगांव आदि जिलों में मुसलमानों ने इस विद्रोह में हाथ बटाया और इस प्रकार दुनिया ने देखा कि भारत का मुस्लिम जनता भी साम्राज्यशाही के उतनी ही विरुद्ध है जितनी कि हिन्दू । यह दुर्भाग्य की बात थी कि मुस्लिम-नेता जनता की सरकार विरोधी भावना को ठीक तरीके से जाग्रत व संगठित नहीं करना चाहते थे ।

व्यर्थ की बहस

ब्रिटिश प्रचार विभाग ने दुनिया के सामने इस बात का भरपूर प्रचार किया कि कांग्रेसी नेताओं की इस आन्दोलन को चलाने की एक संगठित योजना थी और उसमें हिंसा व तोड़फोड़ भी शामिल है । इसलिए देश में जो उत्पात हुए, सम्पत्ति का विनाश हुआ, हिंसात्मक काण्ड हुए, उनका उत्तरदायित्व कांग्रेस पर है । दुर्भाग्य से कुछ थके, पस्त कांग्रेसी भी इस प्रचार के शिकार बन गए और उन्होंने जनता के इस सामूहिक आन्दोलन को कांग्रेसी आन्दोलन न कहकर कुछ दिलचले, बहके नौजवानों का ऊटपटांग प्रयत्न बताने की चेष्टा की और जनता की ओर से जो हिंसात्मक कार्य हुए थे उनका निन्दा करनी शुरू कर दी । वास्तव में यह घातक दृष्टिकोण है, हालांकि हमारा विश्वास है कि हिंसा तथा गुप्त कार्य, चाहे वे किसी भी रूप में किये जायं, एक सामूहिक आन्दोलन व प्रयत्न की प्रगतिके लिए घातक होते हैं । यदि वे न होते तो आन्दोलन की ओर भी शक्ति मिलती । किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि जो जनता सैकड़ों की तादाद में उठी, उसने आम हिंसात्मक प्रयत्न किये । वास्तव में जनता के प्रयत्न कांग्रेस की पुरानी शिक्षा के अनुसार ही थे । यह दूसरी बात है कि यत्र-तत्र गोलियों की बौछारों व लाठियों के प्रहारों से पीड़ित जनता ने ढेले आदि फेंके हों और किसी जगह आवेश में आकर क्रोधित जनसमूह हिंसात्मक कार्य करने के लिए तैयार हो गया हो, असंगठित हिंसा कर बैठा हो । पर, जहां तक आन्दोलन के रूप का ताल्लुक है, हम ऐसे इक्के-दुक्के कांडों से उसे हिंसात्मक रूप नहीं दे सकते । जनता की ओर से जितने सामूहिक प्रयत्न हुए उनको जानने से पता चलता है कि हर जगह लोग कांग्रेसी नेताओं के नारे व जय बोलकर आगे बढ़ते थे और अधिकांश जगहों पर उनकी मांग यही थी कि अब से सरकारी कर्मचारी कांग्रेसी हुकूमत को मानें । उनके हृदय में प्रारम्भ में हिंसात्मक भावना नहीं थी ।

हमें इसी काल में शुद्ध अहिंसात्मक प्रयत्नों के अनेक ऐसे गौरवपूर्ण उदाहरण मिलते हैं जिनमें लोगों ने सामूहिक रूप से अहिंसात्मक रहने का परिचय दिया है। यहाँ तक कि आवेशपूर्ण व बहुसंख्यक जनता ने भी सरकारी कर्मचारियों पर हाथ नहीं उठाया। आसाम घाटी में जहाँ पर २० लाख से अधिक लोगों ने सरकारी कानूनों को खुले रूप से तोड़ा तथा अदालतों थानों व डाकखानों आदि पर सामूहिक प्रहार किये, बलिदान, त्याग और अहिंसा के ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। बिहार और युक्त-प्रान्त के पूर्वी जिलों में ऐसी अनेक घटनाएँ हुई हैं। कर्नाटक में जहाँ पर आन्दोलन अत्यन्त ही संगठित रूप में चल रहा था, हजारों सुसंगठित नवयुवकों ने हिस्सा लिया और एक भी सरकारी नौकर नहीं मारा गया।

अवश्य ही जनता की ओर से कितनी ही जगह हिंसात्मक काण्ड भी हुए हैं, पर उनकी संख्या उन घटनाओं के सामने पकी पड़ जाती है जो कि देश भर में अहिंसात्मक प्रयत्नों की साक्षी हैं। सैकड़ों जगह जन समूह पर दस-दस मिनट के बाद गोलियाँ चलाई गईं। इन गोलियों के प्रहार से जनता पीछे हटी, अपने मरे व ज़रूमी लोगों को उठाकर ले गई और थोड़े समय बाद वह गोलियों का मुकाबला करने के लिए फिर आगे बढ़ती देखी गई। इन घटनाओं से पता चलता है कि आन्दोलन का वास्तविक रूप अहिंसात्मक था और जनता के अन्दर पिछले आन्दोलनों द्वारा प्राप्त अनुभव और संगठन काम कर रहा था। यद्यपि जनता के संगठित रूप से हिंसा करने के सारे कारण मौजूद थे और उसकी तादाद सरकारी कर्मचारियों के मुकाबिले में कई गुना अधिक थी, फिर भी जितनी हिंसा हुई वह बहुत कम थी। जनता को जिस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा था, उसे देखते हुए तो कहीं अधिक हिंसा की आशा की जाती थी। जनता में जोश था, तड़प थी और कुछ करने की महान् अभिलाषा थी। उसके नेता छिन चुके थे। उस पर एक बज्र प्रहार करने का प्रयत्न किया जा रहा था। चारों ओर से उसे घोड़ों की टापों, गोलियों की बीछारों और लाठियों के प्रहारों से दबाने के संगठित प्रयत्न किये जा रहे थे।

लाखों इस तूफान के वेग में उठे, आगे बढ़े और जीवन-मरण के खेल खेले। इतना विशाल सामूहिक विद्रोह होते हुए भी सुना जाता है कुछ थोड़े इने गिने सरकारी अफसर मरे और घायल हुए। केवल यही इस बात का सबूत है कि आन्दोलन का रूप वास्तविक रूप में अहिंसात्मक था और यह कांग्रेस के पिछले आन्दोलनों द्वारा दी गई ट्रेनिंग व शिक्षा का ही फल था।

निस्सन्देह सरकारी दमन का चक्र जब जनता को रौंदता ही गया ता आन्दोलन का रूप सतह से हटकर सतह से नीचे चला गया और पश्चिमी क्रान्तियों के नियमों से प्रभावित सैकड़ों कार्यकर्त्तियों ने समझा कि सम्पत्ति को क्षति पहुँचाना हिंसा नहीं है, वह अहिंसा की परिभाषा में आ सकता है । इस तरह से गुप्त-आन्दोलन, गुरिला-युद्ध व तोड़-फोड़ इत्यादि विचारों का जन्म हुआ । कुछ दिलचले नौ जवान सशस्त्र क्रान्ति की बात सोचने लगे । किन्तु यह सब आन्दोलन का बहुत छोटा-सा रूप था और सरकारी प्रचार विभाग ने इसे केवल इसलिए बड़ा-चढ़ा कर दिखाया कि वह निहत्थी जनता पर अपने द्वारा का गई हिंसा के लिए कोई वहाना ढूँढ़ सके । जहाँ तक इन इक्के-दुक्के असंगठित हिंसात्मक कार्यों की जिम्मेदारी का ताल्लुक है, ब्रिटिश सरकार एक भी ऐसी बात पेश नहीं कर पाई जिसके द्वारा कांग्रेसी नेताओं पर अभियोग लगाया जा सके । सच तो यह है कि उस जमाने में कौन था जो कांग्रेस के पक्ष को रखता और सरकारी अभियोगों का उत्तर देता ।

अहिंसात्मक शिक्षा

जनता को केवल तीन ही प्रकार से किसी सरकार के विरुद्ध संगठित किया जा सकता है ।

१. संगठित सामूहिक अहिंसा ।
२. संगठित हिंसा ।
३. असंगठित हिंसा ।

देश के सांस्कृतिक विचार, अन्दरूनी हालात, जनता की मनोवृत्ति तथा अन्य कई कारणों से हमारे देश में गांधी जी के नेतृत्व ने जनता को संगठित सामूहिक अहिंसा की कला का सिखाया और गांधी जी ने कई आन्दोलनों द्वारा जनता को अहिंसात्मक युद्ध की शिक्षा दी । इस प्रकार राजनीति में एक नये शस्त्र का प्रयोग हुआ, जिसके द्वारा निहत्थी तथा निस्सहाय जनता संगठित हिंसा का विरोध कर सकती थी । इन आन्दोलनों ने भारत की पिटी, पिसी, विखरी, असंगठित जनता में आशा, उत्साह, बलिदान और संगठन इत्यादि अनेक बातें पैदा कीं । साथ ही यह भी दिखाया कि सामूहिक अहिंसा द्वारा कभी जनता की हार नहीं हो सकती । इन आन्दोलनों के विभिन्न रूप रहे । कभी कुछ चुने हुए कानून तोड़ गये तो कभी व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया । पर हर आन्दोलन के पश्चात् कांग्रेस अधिक बलशाली तथा संगठित निकली ! खुला विद्रोह इस संगठित अहिंसात्मक आन्दोलन का एक स्वाभाविक

नतीजा था। जो शिक्षा सन् १९२० में दी गई थी, जिस बीज को सन् १९२० में बोया गया था उसका स्वाभाविक नतीजा यह होना था एक रोज खुले रूप से संगठित अहिंसा के शस्त्र द्वारा जनता ब्रिटिश साम्राज्यशाही के विरुद्ध विद्रोह करे। पर यह बात सर्वथा ग़लत और अमाननीय है कि गांधीजी तथा कांग्रेस का नेतृत्व संगठित हिंसात्मक आंदोलन चाहता था। हाँ, यह बात ठीक हो सकती है कि वह जनता का खुला विद्रोह चाहता था। यह दूसरी बात है कि वह इसका नेतृत्व न कर सका और उसे अपने ढंग पर न चला सका। जहाँ तक संगठित हिंसा का ताल्लुक है उसके लिए न तो हमारे देश में सब साधन ही मौजूद हैं और न व्यावहारिक दृष्टि से हम उस पर अमल ही कर सकते हैं। आज संगठित हिंसा के रूप में जब कि सरकार के पास लड़ाई के सारे साधन रेल, तार कलें तथा हथियार बनाने के कल-कारखाने इत्यादि मौजूद हैं, हिंसा की बागें करना कोरी कपोल कल्पना ही होगी। इसलिए गांधीजी ने शस्त्रों द्वारा संगठित प्रयत्न करने की बात कभी भी नहीं सोची। उन्होंने सदैव ही गुप्त संगठन तथा गुप्त कार्य करने का विरोध किया। अतः आज यह कहना कि गांधीजी तथा कांग्रेस का नेतृत्व संगठित हिंसा चाहता था, उन्हें बदनाम करने का अच्छा साधन हो सकता है, पर जिस आदमी को जरा भी अक्ल है वह स्वयं सोच सकता है कि जब गांधीजी तथा कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने सदैव अहिंसा द्वारा हर प्रकार से जीत ही पाई है तो वह किस आवेश व तजुबों की बिना पर हिंसात्मक साधन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते और जब कि वे स्वयं देख रहे थे कि समस्त छोटे-छोटे राष्ट्र हिंसात्मक साधनों की कमी के कारण अपने बड़े व अधिक सुसंगठित प्रतिद्वन्दा के विरुद्ध हारते जा रहे हैं। सच तो यह है कि हमारे पास हिंसा के कुछ भी साधन न थे और इसलिए हम उनसे काम लेने की कल्पना भी न कर सकते थे।

जहाँ तक असंगठित हिंसा का ताल्लुक है, कोई भी नेता उसका समर्थन नहीं कर सकता। यह दूसरी बात है कि कहीं-कहीं आवेश तथा जोश के वशीभूत होकर जनता इधर-उधर असंगठित हिंसा कर बैठी हो। पर कोई भी नेता उसे अच्छा नहीं कह सकता। फिर उसकी जिम्मेदारी अधिकतर उन लोगों पर है जिन्होंने जनता पर प्रहार किये, उसके भावों की रौंदा और उसके प्यारे ध्येय व आदर्श को सदैव के लिए मिटाना चाहा।

खुला विद्रोह

हमारा विश्वास है कि सन् १९४२ का खुला विद्रोह पिछले सभी आंदो-

लनों से ध्येय, युद्धनीति, संगठन, आकार, विस्तार इत्यादि की दृष्टि से भिन्न था। इसे अहिंसात्मक सत्याग्रह का एक अन्तिम रूप ही समझना चाहिए।

ध्येयः—इसका ध्येय एक ओर ता पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था और दूसरी ओर अपने देश को जापानी आक्रमण से बचाना था; साथ ही इस युद्ध को जनता जहां तक हो जनता के वास्तविक युद्ध में बदलना था।

युद्धनीतिः—इसकी युद्ध नीति यह थी कि यदि सम्भव हो तो बिना जनता को युद्ध की आग में ढकेले हुए ब्रिटिश सरकार से भारत की पूर्ण स्वतंत्रता स्वीकार करा ली जाय और युद्धकाल में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जाय। दूसरी ओर सारे मित्र राष्ट्रों में विशेषकर अमरीका में भारतीय आजादी व आकांक्षाओं के प्रति एक प्रबल जनमत तैयार किया जाय और भारतीय प्रश्न को अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न बनाने की चेष्टा की जाय। साथ ही सारी दुनिया के दबे, पिसे तथा गुलाम लोगों का साम्राज्यशाही के विरुद्ध मोरचा तैयार किया जाय यदि इस महान् उद्देश्य के लिए एक सामूहिक संगठित प्रयत्न तथा आन्दोलन की आवश्यकता हो तो उसके लिए जनता को मनो वैज्ञानिक तथा संगठित दृष्टि तैयार किया जाय और देश में इस प्रकार का वातावरण पैदा किया जाय।

नाराः—इस आन्दोलन का नारा था 'अंग्रजो भारत छोड़ो' जो स्वाभाविक दृष्टि से उस समय जनता के हृदय की पुकार थी। स्वयं जनता ऐसा कह रही थी और जमाना भी चाहता था। इस नारे ने जनता में एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति व जीवन पैदा कर दिया और भारतीय प्रश्न को एक नया रूप, जीवन व धारणा प्रदान की।

तत्त्वज्ञानः—इस आन्दोलन का मन्तव्य था कि प्रत्येक सरकार जनता से सत्ता प्राप्त करती है। जो सरकार अपने इस नैतिक आधार को खो बैठती है और केवल पशुवल द्वारा जनता पर हुकूमत करती है उस सरकार के प्रति विद्रोह करना जनता का एक स्वाभाविक हक है। ब्रिटिश सरकार ने अपनी कार्रवाइयों द्वारा जनता पर से अपना नैतिक प्रभाव खो दिया था। उसने बिना जनता की इच्छा के देश को लड़ाई में भोंक दिया था और वह अपने युद्ध-प्रयास को सफल बनाने के लिए मनमाने तरीकों से काम ले रही थी। इस प्रकार उसने भारत पर जापानी आक्रमण की दावत दी थी। अतः आन्दोलन की धारणा थी कि ऐसी सरकार के विरुद्ध बग़ावत करना और उसकी सत्ता पर अधिकार करना जनता का कर्तव्य है। 'खुली बग़ावत' का अर्थ है जनता का सरकार पर चौतरफा प्रहार करना, अपने को आजाद समझना तथा उसके किसी भी कानून

को अपने पर बन्धन न मानना ।

अब तक जो आन्दोलन कांग्रेस ने किये थे उसमें कुछ चुने हुए कानूनों को तोड़ा जाता था, क्योंकि जनता में 'खुले विद्रोह' की मनोवृत्ति पैदा करने का ध्येय न था । इसलिए इस आन्दोलन का रूप पिछले सभी आन्दोलन से भिन्न था । यद्यपि इसका मन्तव्य बड़ा सीधा और सरल था, पर इसका रूप बड़ा ही उग्र और व्यापक था ।

अहिंसा की शक्ति

सन् १९४२ के 'खुले विद्रोह' से हमने बहुत से मधुर व कटु अनुभव प्राप्त किये । उसने एक ओर सिद्ध किया कि सरकार की संगठित हिंसा का इक्के-दुक्के छिपे गुरिला प्रयत्नों से मुकाबला नहीं किया जा सकता । जिस समय कांग्रेस ने भारत में 'खुले विद्रोह' की दुन्दुभी बजाई, दुनिया के हालात ही निराले थे । अंग्रेज साम्राज्यशाही पहले कभी भी सैनिक दृष्टि से इतनी संगठित नहीं थी । रोजाना हिंसा के नय-नये हथियारों की ईजादें हो रही थीं । यूरोप के कितने ही राष्ट्र जर्मनी की संगठित हिंसा का शिकार बन चुके थे और उन्हें अपनी मुक्ति की किसी प्रकार भी आशा न थी । जर्मनी और जापान के आगे बिना शर्त आत्म-समर्पण करना होगा, अतः मित्र-राष्ट्र धुरी राष्ट्रों के मुकाबिले में संगठित हिंसा के शस्त्रों को दिनों-दिन बढ़ा रहे थे । ठीक उन्हीं घटनाओं के साये में ८ अगस्त को एक पतले दुबले निहत्थे सरदार ने निहत्थे हिन्दुस्तानियों को 'खुले विद्रोह' का पाठ पढ़ाया और इस आशा से पढ़ाया कि चारों तरफ फैली हुई संगठित हिंसा के बीच केवल उसका अहिंसा-शस्त्र ही सफल हो सकता है । यद्यपि जनता ने अपने नेता की बातों पर पूर्णतया अमल नहीं किया, पर यह केवल अहिंसात्मक साधनों का ही फूल है कि उस अग्नि-परीक्षा में कांग्रेस पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली, प्रभाव-शाली व सम्मानित होकर निकली और अंग्रेज साम्राज्यशाही के प्रबल आक्रमण की शक्ति शीघ्र ही नष्ट हो गई । कांग्रेस ने आत्म-समर्पण नहीं किया । अपने प्रस्ताव को आज तक वापस नहीं लिया, पर ब्रिटिश साम्राज्यशाही को कांग्रेस नेताओं को छोड़ना पड़ा, कांग्रेस से समझौता करना पड़ा अथवा दूसरे शब्दों में बिना शर्त हिन्दुस्तान में आत्म-समर्पण किया और हिंसात्मक लड़ाई के दूसरे मोर्चों पर अपने प्रतिद्वन्द्वी से आत्म-समर्पण कराया । इससे केवल हम यही नतीजा निकाल सकते हैं कि अहिंसा की अपनी महान् शक्ति है जिसमें हार के लिए कोई गुंजाइश नहीं और जिसमें लड़ाई अपने प्रतिद्वन्द्वी के हथियारों के विरुद्ध

आत्मिक बल से मन, हृदय व मस्तिष्क के जरिए होती है । इस प्रकार की लड़ाई का फंसला हथियारों के वार, तेजी व तवाही से नहीं किया जा सकता, बल्कि अपने ध्येय एवं कार्य की उच्चता, महानता और नैतिकता से किया जाता है ।

दमन के साधन

सन् १९१९ से सन् १९४२ तक राष्ट्रीय आन्दोलनों की गतिविधि के साथ-साथ दमन के साधन भी बदलते रहे हैं । हर आन्दोलन ने जहाँ जनता को कुछ शक्ति दी, वहीं सरकार ने भी उसे दवाने, उसे काबू में रखने, कुचलने के साधनों में तरक्की की और इस प्रकार दमन के साधन तथा आन्दोलन की शक्ति अपने-अपने तरीके से बढ़ते ही गये । सन् १९१९ व २१ की 'गान्धी की आन्धी' को नौकरशाही ने विशेषतः १४४ दफा द्वारा काबू कर लिया था, यद्यपि कहीं-कहीं आतंक फैलाने के लिए उसे फौजी कानून भी घोषित करना पड़ा था सन् १९३० में जनता ने कुछ विशेष चुने हुए कानून तोड़े । नौकरशाही ने विशेषतः लोगों को जेलों में भेजने, छोटे-छोटे हल्कों में लाठी चार्ज करने, अस्त्रधारों पर पाबन्दी लगाने इत्यादि तरीकों को अपनाया । सन् १९३२ में देश में लंगानवन्दी के रूप में कुछ विशेष कानून तोड़े गये । नौकरशाही ने पकड़-घकड़, घुड़सवारों द्वारा मार-पीट, बड़े पैमाने पर लाठी चार्ज, सामूहिक जुमले इत्यादि शस्त्रों को विशेषतः अपनाया । सन् १९४२ में देश ने खुला विद्रोह किया । नौकरशाही ने सारे देश में शान्ति स्थापित करने के लिए अर्द्ध फौजी कानून का ऐलान कर दिया और व्यापक रूप से गोलियों की बौछारों से आन्दोलन का स्वागत किया । इस प्रकार हर आन्दोलन की शक्ति के विकास के साथ उसके दवाने के साधन भी व्यापक और कठोर बरते गये ।

सन् १९४२ में सरकारी दमन-साधनों को हम मिस्टर नियोगी एम० एल० ए० के कथनानुसार निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं:—

१. ग्राम तौर पर जनता में पुलिस द्वारा आतंक बैठाने के प्रयत्न करना तथा खुले रूप से जनता को लूटना, उनके घरों में आग लगाना तथा मारपीट करना । इस प्रकार के काम विशेषतः बिहार, युक्त प्रांत के पूर्वी जिलों, मध्य प्रान्त और आसाम की घाटी के जिलों में हुए ।

२. जनता के समूहों तथा व्यक्तियों पर बिना किसी कारण ऊटपटांग तरीके से गोलियां चलाना ।

३. निहत्थी, निर्दोष जनता पर संगठित रूप से गोलियां चलाना और

इस प्रकार जिन लोगों ने उत्पात किया था उनको कोई विशेष हानि न पहुंचा-
कर उन इलाकों की समस्त जनता के हृदय में आतंक जमाना । इस प्रकार
ही घटनाएं देहली, कलकत्ता, आसाम प्रान्त की घाटी और युक्त प्रान्त के पूर्वी
जिलों में विशेषतः हुई हैं ।

४. असंगठित समूहों पर बिना किसी इत्तिला के गोलियां चलाना ।
अपरिचित लोगों द्वारा जहां-कहीं भी कर्फ्यू आर्डर की थोड़ी-सी अवहेलना
हुई, वहां उन पर निर्दयता पूर्वक गोलियां चलाना । इस प्रकार की घटनाएं
देहली तथा उन सब स्थानों में हुईं जहां आन्दोलन का रूप व्यापक और
उग्र था ।

५. छोटे बच्चों के खुले रूप से कोड़े लगवाना व उन्हें बे-रहमी से पीटना
और प्रतिष्ठित आदमियों तक को जनता के सामने अपमानित करना, जैसे गलियों
को साफ करवाना कांग्रेसी भंडों का जलवाना इत्यादि ।

६. जनता के सामने कांग्रेस वालों के घरों को जलाना और फौज के
द्वारा औरतों का सतीत्व नष्ट कराना । सवर्ण हिन्दुओं को अछूत कहलाने वाली
फौजी टुकड़ियों के सैनिकों से अपमानित कराना । ऐसी घटनाएं मध्यप्रान्त,
आसाम और बिहार में अधिक हुईं ।

मिस्टर नियोगी ने केन्द्रीय असेम्बली में भाषण देते हुए कितनी ही घटनाओं
का वर्णन किया जिससे सरकारी दमन के निर्दयता-पूर्ण कांडों की भलक मिल
सकती है । अपने भाषण के दौरान में राज्य-परिषद् के एक सदस्य और मुज-
फरपुर जिले के राष्ट्रीय युद्ध मोर्चे के एक नेता की बातों का हवाला देते हुए
मिस्टर नियोगी ने बताया कि सैनिकों और पुलिस के सिपाहियों को खुला छोड़
दिया गया । उन्होंने वहाँ मनमाने ढंग से निहत्थी जनता को लूटा, सम्पत्ति
को नष्ट किया, गांवों को जलाया, रुपया ऐंठा और पकड़ लेने की धमकियां दीं ।
उन्होंने यह भी बताया कि वहाँ मने अपनी आंखों से देखा कि बाजार की सारी
मालदार दूकानें लूटी गईं । गांव के गांव सैनिकों व पुलिसों द्वारा जलाये गये ।
मैं इन घटनाओं को तथा इन दृश्यों को जीवन-पर्यन्त नहीं भूल सकता ।”

उन्होंने आगे गाजीपुर जिले के एक आनरेरी मजिस्ट्रेट द्वारा युक्तप्रान्त की
सरकार को भेजे गये एक नोटिस का जिक्र करते हुए, जिसमें जमींदार ने
सरकार से अपने गाँव में सैनिकों द्वारा की गई बरवादी का हरजाना मांगा
था, बताया “चार यूरोपियन सिपाही १५० देशी सिपाहियों के साथ रायफलों
द्वारा सुसज्जित होकर २४ अगस्त को उसके गाँव में आये और उस गाँव के
सारे आदमियों को गाँव छोड़ने का हुक्म दिया और थोड़ी देर बाद उन्होंने

सारी श्रीरतों को घरों से बाहर निकलने का आदेश दिया और धमकाया कि जो बाहर नहीं आया उसको गोली मार दी जायगी । उसके पश्चात् उन सिपाहियों ने उन सब श्रीरतों के जेवरों को छीन लिया और उनके घरों पर आक्रमण किया और जितना भी जेवर, रुपया और सामान था सब पर कब्जा किया । इन सिपाहियों ने मेरे किसानों के २० घरों में आग लगा दी और इस प्रकार गांव के सब लोगों को राइफल की नोकों से धमकाया और डर दिखाया, उन्हें रोने और चीखने तक को मना किया गया ।”

उपरोक्त एक आघ उदाहरणों के द्वारा केवल यह बताने का चेष्टा की गई है कि देश-भर में नौकरशाही के दमन-चक्र द्वारा निर्दोष और निहत्थी जनता पर हर प्रकार से अत्याचार हुए । आवश्यकता पड़ने पर आसमान से मशीनगन का भी प्रयोग किया गया । इस सब दमन का एक अभिप्राय था । जनता की उभरती हुई आवाज का फौरन गला घोट दिया जाय, उसकी सामूहिक शक्ति को तोड़ा जाय और उसके हृदय में आतंक बैठाया जाय ।

कांग्रेस पर सरकार के आरोप

इस किताब में सरकारी दमन-कांडों पर कोई विशेष जोर नहीं दिया गया है, क्योंकि पुस्तक लिखने का मुख्य ध्येय जनता के कार्यों पर प्रकाश डालना है । केवल मिसाल के तौर पर कुछ सरकारी दमन के साधनों को बताने की चेष्टा की गई है । आंदोलन के थोड़े दिनों पश्चात् सरकार ने एक पुस्तक छापी; जिसमें कांग्रेस को उन तमाम उत्पातों, हिंसा तथा तोड़-फोड़ के कार्यों का दोषी ठहराते हुए दुनिया को यह बताने की चेष्टा की गई कि हिन्दुस्तान में जो कुछ उत्पात हुआ, जानें व धन की क्षति हुई, जनता को कष्ट पहुँचा उस सब की जिम्मेदारा कांग्रेस पर है । जहाँ उस किताब में एक ओर यह सब कुछ दिखाने की चेष्टा की गई है वहाँ दुनिया को यह भी दिखाने का असफल प्रयत्न किया गया है कि आन्दोलन व्यापक नहीं था । उसने मित्र-राष्ट्र को युद्ध-प्रयास में कोई खास क्षति नहीं पहुँचाई । यह दोनों बातें जब एक ही किताब में पढ़ने को मिलती हैं तो कुछ आश्चर्य-सा होता है; क्योंकि एक ओर तो सरकार ने कांग्रेस को सारे आन्दोलन का जिम्मेदार ठहराने के लिए आन्दोलन की गति-विधि का बड़े ही उग्र, तीव्र व व्यापक ढंग से प्रकट किया दूसरी ओर दूसरे देशों की जनता व सरकार की आँखों में धूल भोंकने के लिए इस आन्दोलन की गति को कम व थोड़ी बताने का असफल प्रयत्न किया है । सरकारी प्रचार-विभाग कुछ भी कहे, पर यह उनके की चोट कहा जा सकता है कि सन्

१९४२ का 'खुला विद्रोह' ध्येय, राजनीति, निपुणता, व्यूह-रचना तथा आकार, विस्तार, त्याग, बलिदान, संगठन, जनतासाह, आदि की दृष्टि से कहीं बढ़ा-चढ़ा था। सन् १८५७ का गदर, फ्रांसीसी राजक्रान्ति, रूस की लाल क्रान्ति सभी कई बातों में इसके सामने फीकी जान पड़ती हैं।

तलपट

हर महान् आन्दोलन के बाद प्रतिक्रिया-काल आता है। इस काल में नेता व कार्यकर्ता आन्दोलन-काल में होने वाली घटनाओं, अपने द्वारा की गई गलतियों एवं हानि-लाभों को आंकने का प्रयत्न करते हैं, ताकि उस आन्दोलन की त्रुटियों व गलतियों से लाभ उठाकर आने वाले आन्दोलन में उन्हें न होने दें। हर आन्दोलन के लिए यह अनिवार्य काल है और यह इसी प्रकार आता है जिस तरह रात के बाद दिन तथा कार्य के बाद थकान। हमारे सारे आन्दोलन १९१९, २१, १९३० व १९३२, १९४० व ४२ के पश्चात् ऐसा काल आया कि उसकी सतह पर शान्ति दिखाई दी, आन्दोलन का बाह्य रूप धीमा दिखाई देने लगा और नौकरशाही ने समझा कि अब उन्होंने आन्दोलन को दबा लिया है। पर हुआ इसके विपरीत अपने हर आन्दोलन का प्रोग्राम नारा व युद्ध-नीति रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि गान्धीजी ने समय, जनता की शक्ति, देश की बाह्य स्थिति व असहनीय हालत सब को पूरे तरीके से आंककर समयानुसार आन्दोलन के लिए, ध्येय, प्रोग्राम व नारे जनता को दिये। जनता उठी, आगे बढ़ी और थकान से पस्त होकर क्षणिक काल के लिए पीछे हटी। किन्तु हर एक आन्दोलन ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में जनता को क्रान्ति की कला की शिक्षा दी है। इसी प्रकार सन् १९४२ ने भी हमें अमूल्य सबक सिखाये हैं।

आन्दोलन की शिक्षायें

१. हमें इस बात का अनुभव हुआ है कि यद्यपि जनता में क्रान्तिकारी मनोवृत्ति पैदा होगई है और देश में काफी क्रान्तिकारी शक्ति उत्पन्न हो चुकी है, पर हमारा संगठन ऐसा बिखरा हुआ है कि हम शक्ति का पूर्णतया प्रयोग करने के लिए मजबूत व सुदृढ़ नहीं हैं। अतः कांग्रेस को अपना संगठन व्यापक, सरल और सुदृढ़ बनाना चाहिए, ताकि क्रान्ति-काल में वह लम्बे असें तक कायम रह सके और जनता पर इसका नियंत्रण रहे।

२. इस आन्दोलन में हमने अनुभव किया कि हमारे अहिंसा व हिंसा के प्रश्न पर मिले-जुले विचार हैं। अपनी इस अनिश्चित मानसिक स्थिति के कारण

हमें दोनों शस्त्रों के दुष्परिणाम तो भोगने पड़ते हैं, पर न तो हम जनता को पूर्णतः अहिंसा के लिए तैयार कर पाते हैं और न संगठित हिंसा के लिए ही। और इस प्रकार असंगठित अहिंसा और सुसंगठित हिंसा दोनों का नुकसान होता है। इस आन्दोलन ने हमें बताया कि असंगठित अहिंसा व सुसंगठित हिंसा से भारत कभी सफल नहीं हो सकता, अतः उसे अपना जान-बूझकर कुएँ में गोते लगाना है। इस कारण हमें संगठित अहिंसा की ओर अधिक प्रयत्न करना चाहिए।

३. इस आन्दोलन के पश्चात् कांग्रेस-जन तथा सभी राजनीतिक विषयों पर सोचने वाले लोग इस बात पर एकमत हैं कि अब कांग्रेस के संगठन को बदलती हुई हालत के मुताबिक नये ढंग से चलाना होगा और उसकी बुनियाद किसी दार्शनिक आधार पर होनी चाहिए।

४. कांग्रेस-जन, विशेषकर साधारण कांग्रेस-जन इस बात को अनुभव करने लगे हैं कि कांग्रेस में अन्दरूनी आपसी मेल व परस्पर गहरी जानकारी होना आवश्यक है।

५. गान्धी जी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का अधिक विश्वास बढ़ रहा है।

लाभ

१. सन् १९४२ के 'खुले विद्रोह' ने ठीक वही किया जो नाटक से पहले रिहर्सल (पूर्व तैयारी) द्वारा पूरा होता है। इस आन्दोलन ने जनता को खुले विद्रोह की कला तथा शक्ति छीनने की नीति का ज्ञान कराया।

२. इसने भारतवर्ष के सारे दबे-पिसे गुलाम लोगों का नेतृत्व किया। अतः आज इस आन्दोलन के कारण भारतवर्ष सारे एशिया के दबे हुए राष्ट्रों का मार्ग-प्रदर्शन करता है। इधर पश्चिम में अरब एक ओर खुले रूप से 'अंग्रेजों निकल जाओ' का नारा उठा रहा है तो दूसरी तरफ मलाया, जावा, सुमात्रा, इंडोचीन, चीन आदि सारे सुदूरवर्ती पूर्वीय देश हमसे 'अंग्रेजों निकल जाओ' का नारा सुनकर अपने-अपने यहां साम्राज्यशाही के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं।

३. इस आन्दोलन ने भारत का सम्मान यहां और बाहरी देशों में काफी बढ़ा दिया है और स्वयं ब्रिटिश जनता में विचारों के आधार पर दो वर्ग पैदा कर दिये हैं। प्रगतिशील वर्ग अपने यहां की जनता को यह बताने की चेष्टा कर रहा है कि स्वतंत्र भारत हमारे लिए शक्तिशाली और अच्छा मित्र हो सकता है और दूसरी ओर साम्राज्यशाही विचारों के लोग वही पुराने साधन व मार्ग अपनाने का स्वप्न देख रहे हैं।

४. इस आन्दोलन ने जनता को अंग्रेजी शासन-व्यवस्था, उसकी शक्ति व उसके संगठन का ज्ञान कराया और यह भी बताया कि कितनी कम शक्ति से हम करोड़ों भारतीयों पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को लादे हुए हैं ।

५. इस 'खुले विद्रोह' ने जनता को एक ऐसा नारा दिया जो सदा ही उसके हृदय में एक कसक और तड़प बनाये रखेगा और जिसके कारण उसमें एक नया जीवन और स्फूर्ति पैदा हो गई है ।

हानि

जहां तक हमारी क्षति का सम्बन्ध है उसे केवल शारीरिक क्षति, भौतिक नुकसान, जैसे माल, सामग्री, रुपया-पैसा आदि का नुकसान तथा मानसिक यातनाओं के रूप में समझ सकते हैं। जैसे लोग जेलों में गये, कष्ट भोगे, सामूहिक व व्यक्तिगत जुर्मनि दिये, गाँवों में आग लगी, हजारों खानदान वीरान हुए और तरह-तरह के अमानुषिक अत्याचार हुए। पर हम इस क्षति का यूरोप में होने वाली क्षति, कष्ट तथा यातनाओं से मुकाबला करते हैं तो यह सब उसके सामने बड़ी फीकी दिखाई पड़ती है। इस महायुद्ध में लाखों मारे गये, घायल हुए और करोड़ों की सम्पत्ति का नाश हुआ। कुछ देश स्वतंत्र रह सके तो कुछ पराधीन होगये। किन्तु हमारे यहां ता इसके विलकुल विपरीत हुआ। नौकरशाही को मुंह की खानी पड़ी। अन्त में उसको अपने दमन के सारे ही साधन निरर्थक दिखाई दिये। उसने स्वयं अपने प्रहार को वापस लिया। कांग्रेसी नेता छोड़े गये और कांग्रेस के साथ समझौता करना पड़ा। इसका बहुत कुछ श्रेय हमारे नारे और युद्ध-नीति को है।

संघर्ष जारी है

आज केन्द्र में अस्थायी राष्ट्रीय सरकार कायम हो चुकी है और अधिकांश प्रान्तों में कांग्रेस मंत्रिमण्डल कायम है। साधारण आदमी सोचते हैं कि शायद भारत को स्वराज्य मिल गया। अब अंग्रेज हुकूमत व कांग्रेस के बीच कोई संघर्ष बाकी नहीं रहा। पर वास्तव में बात इसके विपरीत है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद और भारतीय राष्ट्रवाद में तब तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक या तो ब्रिटिश साम्राज्यशाही अस्त-व्यस्त न हो जाय और ब्रिटिश जनमत इस बात को स्वीकार न कर ले कि दूसरों को गुलाम रखना कोई फायदे की चीज नहीं है, बल्कि इसके विपरीत उसके लिए बहुत बड़ी कामत देनी पड़ती है। युद्ध होते हैं, अरबों व करोड़ों की सम्पत्ति का नाश होता है और देश की बहुमूल्य शक्ति यानी नौजवानों के खून की आहुति देनी पड़ती

है। अतः इस प्रकार की आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था को नष्ट ही कर देना चाहिए, जिसके कारण न तो अपने देश को लाभ होता है; वल्कि दूसरे देशों को गुलाम बनाने और उनका पतन करने का अभिशाप व्यर्थ में लगता है। युद्ध यद्यपि एक कठोर साधन है पर उसके द्वारा कौमों को अनेक सबक भी मिलते हैं। उसी के द्वारा जीवन के दृष्टिकोण तथा विचारों में भारी उथल-पुथल होती है और युद्ध-काल में अनेक लोग राष्ट्रीयता का नशा पीकर एक दूसरे की जान के भूखे होते हैं, मरते और मारते हैं। और वाद में जब वह नशा कुछ फीका पड़ जाता है तो उन्हें उसकी असली उत्पत्ति, कारण तथा उसकी निरर्थकता का पता चलता है। प्रत्येक साम्राज्यशाही राष्ट्र में भी एक भयंकर क्रांतिकारी परिवर्तन होता है और उस देश के लोग स्वयं अपने साम्राज्य को अपने कंधे से उतार फेंकने का प्रयत्न करते हैं। यही कारण है कि यद्यपि युद्ध-काल में ब्रिटिश जनता ने चर्चिल को अपना नेता स्वीकार किया, पर युद्ध के बाद उन्हें अपने कंधे से उतार फेंकना ही मुनासिब समझा, क्योंकि उसने अनुभव किया कि जो नेता युद्ध-काल में जिता सकता है, आवश्यक नहीं कि शांति-काल का भी वही नेता हो। साम्राज्यवाद का विनाश एक ओर युद्धों के द्वारा होता है, दूसरी ओर उसके गृह में स्वयं विद्रोह और वगावत प्रारम्भ होती है और ठीक इसी काल में दबे-पिसे राष्ट्रों के लोग करोड़ों की तादाद में उसके विरुद्ध विद्रोह करते हैं। हम आज उस स्थिति में से गुजर रहे हैं और हमें विश्वास है कि संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक ब्रिटिश जनमत भाई-चारे तथा एक-दूसरे राष्ट्र की बराबरी के सिद्धांत को स्वीकार न कर लेगा। इतिहास हमारी तरफ है, घटनाएं हमें मदद दे रही हैं। साम्राज्यशाही ढांचा अपने निरन्तर प्रतिस्पर्धात्मक कारणों से टूट रहा है। उसके विरुद्ध यहां और बाहर चारों ओर मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार है और अन्त में जैसा कि संघर्ष का नियम है, संघर्ष अपने अन्तिम काल में केवल नीति, विचार, धारणाओं व मानसिक शक्ति पर निर्भर रहता है। इस कारण हम यह कह सकते हैं कि इस दृष्टि से भी नैतिक पक्ष हमारा ही दृढ़ है। न्याय, नैतिकता, इतिहास, विचारों की प्रगति, दुनिया का जनमत सभी हमारी ओर हैं। अतः हमारी विजय अवश्य होगी।

नया नेतृत्व बनाम कांग्रेस हाई कमाण्ड

हर आन्दोलन की प्रतिक्रिया होती है। यह एक अनिवार्य काल है। उन काल में तरह-तरह के प्रश्न व पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। अन्दरूनी और

बाहरी दोनों ही ओर से नेतृत्व के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। जनता में निराशा फैलती है। साथी कार्यकर्ता हताश होकर व्यर्थ की समालोचनाएं करने लगते हैं। कुछ उग्रदल वाले दूसरा नेतृत्व स्थापित करने की चर्चा करने लगते हैं। संगठन शिथिल हो जाता है। इस प्रकार इस काल में नेतृत्व को एक ओर जनता की निराशा को आशा में बदलना होता है; हार को जीत का रूप देना होता है, दूसरी ओर विरोधी शक्ति से बचाव करना होता है और आने वाले आन्दोलन के लिए नई नीति, कला और कार्यक्रम सोचने पड़ते हैं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जिसे हम कांग्रेस हाई कमान्ड के नाम से सम्बोधित करते हैं कई बार इस अनिवार्य काल में से होकर गुजरा है। जब कितने ही राजनीति के पंडित इस प्रकार की घोषणा करने लगे थे कि अब इस नेतृत्व के पुनः शक्ति में आने की कोई आशा न रही और दूसरी ओर कुछ मन-चले उग्रवादी कार्यकर्ता नई नीति व नए प्रोग्राम की बातें करने लगे थे, तब भी हमने पिछले २६ सालों में देखा कि हर आन्दोलन के पश्चात् कांग्रेस हाई कमान्ड अधिक शक्तिशाली और सम्मानित होकर निकला।

सन् १९४२ के आन्दोलन के पश्चात् देश में एक अजीब बहस प्रारम्भ हुई और उस बहस के परिणाम-स्वरूप नए नेतृत्व की बात जोर पकड़ती रही। सन् १९४२ में तोड़-फोड़ के जो अनेक संगठित व असंगठित कार्य हुए और जिनमें काफी लोगों ने भाग लिया, उन्हें कांग्रेस हाई कमान्ड ने अपनाते से इन्कार कर दिया। स्वभावतः दूसरे लोगों ने जो नई कला, नई नीति व नए प्रोग्राम की बात करते हैं; उन कार्यों को अपनाया और इस प्रकार हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय आन्दोलन में दो स्पष्ट विचार-धाराओं के चिह्न दृष्टिगोचर हुए। आज देश के सामने दो विचार-धाराएं स्पष्ट रूप से मालूम पड़ती हैं। इन दोनों के अपने तरीके हैं। अतः अब हमारे लिए यह प्रश्न केवल कल्पना और बहस का नहीं है, बल्कि एक जीवित प्रश्न है और उसका उत्तर हमें स्पष्टतः देना है। प्रश्न है कि यदि समझौते की मौजूदा बातें जो आजकल हो रही हैं, असफल हो गईं या टूट गईं और ब्रिटिश साम्राज्यशाही ने समझौते द्वारा सत्ता सौंपने की नीति को छोड़ दिया तो कांग्रेस नेतृत्व क्या करेगा? यदि उसने आन्दोलन छोड़ा तो वह किस प्रकार का होगा और उस का क्या प्रोग्राम होगा अथवा वह सन् १९४२ की तरह जनता को बिना किसी प्रोग्राम के फिर छोड़ देगा।

आज नये नेतृत्व ने, जो हमारे सामने है, अपने ढंग से मौजूदा स्थिति विश्लेषण किया है। उसका कहना है कि आज देश में क्रान्तिकारी ब्रेव समाज का हर तबका सरकार के विरुद्ध उठ रहा है। आन्दो

वढ़कर उपयुक्त समय दूसरा नहीं हो सकता । एक ओर ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर हो चुका है तथा दूसरी ओर उसका भीतरी ढाँचा निकम्मा हो चुका है । इस लिए आज उससे कोई समझौता न करके उसके विरुद्ध एक सामूहिक क्रान्तिकारी आन्दोलन शुरू कर दिया जाय । यदि यह आन्दोलन शुरू न किया गया तो ब्रिटिश साम्राज्यशाही, जो इस समय केवल समय का लाभ उठाकर समझौता करने के लिए मजबूर हुई है, पुनः अपने को मजबूत कर लेगी और वाद में राष्ट्रीय आन्दोलन को क्षीण करने का प्रयत्न करेगी और उपयुक्त समय पर प्रहार भी करेगी । अतः समय की दृष्टि से, नीति के खयाल से मौजूदा समय क्रान्ति करने का समय है । इस समय साम्राज्यवादी ढाँचे को अस्त-व्यस्त करके शक्ति छीनी जा सकती है और अपना राज्य स्थापित किया जा सकता है ।

इस नेतृत्व का अपना प्रोग्राम है । उसका कहना है कि जेल जाने के प्रोग्राम में अब कुछ रोचकता नहीं रह गई और हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन उस सीढ़ी को पार कर चुका है । अब आन्दोलन करने का समय नहीं है; क्योंकि आज समाज के सारे ही वर्ग, क्या मजदूर, क्या किसान, क्या मध्यम श्रेणी के लोग, क्या उच्च श्रेणी के लोग ब्रिटिश साम्राज्यशाही के विरुद्ध हैं । उनमें विद्रोह करने की शक्ति जोर मार रही है । अतः इस समय हमारे लिए आवश्यक है कि शक्ति छीनने की कला और तरीकों की जनता को शिक्षा दी जाय । सन् १९४२ के आन्दोलन ने तो रिहर्सल का काम किया है । आने वाला आन्दोलन हमें शक्ति छीनने और साम्राज्यशाही सत्ता को नष्ट कर जनता का प्राधिपत्य स्थापित करने से प्रारम्भ करना चाहिए ।

उनके प्रोग्राम के आक्रमणात्मक और रक्षात्मक दोनों पहलू हैं । आक्रमणात्मक प्रोग्राम द्वारा नये नेता जनता को गाँव, जिले और सूबेवार दस्तों में संगठित करना चाहते हैं और फिर इन सब सूबों को एक मखिल भारतीय संगठन के रूप में । उनका कहना है कि यह दस्ते सरकारी सत्ता पर प्रहार करें । गाँव की जनता को ग्राम पंचायतों के रूप में संगठित किया जाय । एक ओर जनता में, जिसमें आक्रमण करने की शक्ति क्षीण हो चुकी है, शक्ति पैदा की जाय और दूसरी ओर इस शक्ति को कायम रखने के लिए सैनिक-बल को बढ़ाया जाय । ब्रिटिश नौकरशाही की राज्य-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने के लिए तोड़-फोड़ के कार्यों को व्यापक रूप से चलाया जाय । रेल, तार, सड़कें, पुल इत्यादि को नष्ट कर दिया जाय । इस प्रोग्राम को चलाने के लिए यह लोग गुप्त साधनों में विश्वास करते हैं और इन लोगों का खयाल है कि हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन अब इस अवस्था को पहुँच गया है कि जब सरकारी

फौज व पुलिस के लोग हमारे साथ आ जायंगे और इस प्रकार जनता का आंदोलन अवश्य ही सफल होगा। यह लोग अहिंसा और हिंसा की बातों में नहीं पड़ते। अतः जिस साधन से उन्हें सफलता मिलती हो उसको ही अपनाने में उनका विश्वास है। इस प्रकार के नए नेतृत्व को आन्दोलन-काल में काफी सफलता भी मिली है। यह सफलता यद्यपि ध्येय तक पहुँचने की दृष्टि से नहीं के बराबर है, पर इस प्रकार के गुप्त आंदोलन का एक रोचक तरीका होता है। एक शक्तिशाली दुश्मन की आँखों से अपने को बचाना, इधर-उधर छिपकर सी० आई० डी० की आँखों में धूल भोंकना, गुप्त प्रेस चलाना इत्यादि ऐसी अनेक रोचक बातें हैं जो नवयुवकों को खास तौर पर बड़ी अपील करता हैं। इस प्रोग्राम के नेताओं से स्पष्टतः पूछा जाय कि इस नई युद्ध-कला द्वारा जनता में कुर्बानी करने की कितनी शक्ति पैदा हुई और किस प्रकार उनके साधनों द्वारा आन्दोलन ने व्यापक रूप धारण करके अपनी गतिविधि को शक्तिशाली बनाया तो वह कुछ अधिक नहीं कह सकते।

कांग्रेस हाई कमाण्ड का स्थिति-विश्लेषण इस से विभिन्न है। उनका कहना है कि देश में क्रान्ति के लिए न तो उपयुक्त मनोवैज्ञानिक तैयारी ही है और न संगठन ही। निस्संदेह जनता में बेचैनी व परेशानी है। ६ सालों में जनता काफी तकलीफों में होकर गुजरी है। आज कांग्रेस मंत्रिमंडलों के स्थापित हो जाने तथा ब्रिटिश शक्ति के क्षीण हो जाने के कारण जनता के विभिन्न वर्गों में चीखने-चिल्लाने तथा अपने दुखों को जोर से कहने की शक्ति बढ़ गई है। उस शक्ति के आधार पर हम यह अवश्य कह सकते हैं कि जनता क्रान्ति चाहती है। पर उसकी अन्तरात्मा इस समय कुछ काल तक शान्ति चाहती है। वह अपने कष्टों का निवारण चाहती है। दूसरे हाई कमाण्ड का विश्वास है कि यदि ब्रिटिश साम्राज्यशाही धोखा करेगी तो वह साहस से मुकाबला करने को तैयार है। उसके लिए आवश्यक है कि कुछ काल तक ब्रिटिश नौकरशाही की शासन-व्यवस्था पर, जिसका जाल गाँव-गाँव में फैला हुआ है, कब्जा करके अपने को अन्दर-ही-अन्दर और सुदृढ़ कर लिया जाय ताकि समय पड़ने पर इस शक्ति का प्रयोग आन्दोलन की गतिविधि को बढ़ाने में किया जा सके। इस काल में दुनिया की अन्य सरकारों के साथ अपने स्वतन्त्र सम्बन्ध स्थापित करके देश के सम्मान को बढ़ाया जा सकेगा।

हमारे नेताओं का विश्वास है कि इस नीति के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यशाही में उतनी भी शक्ति न रह पायगी कि वह किसी दूसरे आक्रमण की कल्पना कर सके। इसलिए कांग्रेस हाई कमांड ने आज शांति और सुख की

नीति को अपनाया है। उसका विश्वास है कि इस तरह हम बहुत थोड़े समय में अपने ध्येय के नजदीक पहुँच सकेंगे।

तोड़-फोड़, गुप्त कार्य तथा गुरिला मोर्चेबन्दी आदि के बारे में कांग्रेस हाई कमांड का कहना है कि इन तरीकों से हम आज़ादी के नजदीक नहीं पहुँच सकते, बल्कि यह सब साधन किसी भी सामूहिक आन्दोलन की गतिविधि के लिए घातक हैं। अतः एक ओर सामूहिक आन्दोलन करना जिसमें लाखों-करोड़ों आदमी साहस, धर्म व जोश के साथ जुट सकें, खुलकर बलिदान कर सकें और दूसरी ओर गुप्त साधनों की बातें सोचना एक साथ विभिन्न प्रकार की दो कल्पनायें करना है। कांग्रेस हाई कमाण्ड की यह भी राय है कि जनता की ओर से की हुई कोई भी हिंसा सरकार की संगठित हिंसा को प्रोत्साहन देती है और इस प्रकार उसे निहत्थी जनता के विरुद्ध संगठित हिंसा करने का मौका मिल जाता है। हिंसा का सीधा नियम यह है कि जिसके पास अधिक शक्ति होती है वही जीतेगा। अतः यह नेतृत्व उस शतरंज पर खेलना नहीं चाहता जिस पर उसे पूर्ण विश्वास है कि उसके मोहरों से ही उसे मात मिल सकती है। इसलिए वह हिंसा का विरोधी है और वह समझता है कि तोड़फोड़ के कार्यों से इतना अधिक लाभ नहीं हो सकता जितना कि नुकसान। अन्त में उसका यह भी कहना है कि तार, पुल इत्यादि जनता के पैसे से ही बने हैं, इसलिए उनका नाश करना अपना नुकसान करना है। इसके विपरीत यह कहीं अच्छा है कि जनता सामूहिक रूप में लगानबन्दी कर दे और सरकारी नियमों को न मानकर अपना संगठन स्थापित कर ले। यदि आन्दोलन का सामूहिक रूप कायम है और जनता उसमें शरीक है तो तोड़-फोड़ के कार्यों की आवश्यकता ही नहीं। इस प्रकार यह नेतृत्व इस प्रोग्राम से सहमत नहीं है।

किसी नये नेतृत्व का प्रश्न तभी उठता है जब या तो पुराने नेतृत्व से अनेक पराजयों के कारण जनता ऊब उठी हो या उससे अधिक अच्छा नेतृत्व पैदा हो गया हो, जिसकी जड़ें समाज के अन्दर जम गई हों। जब हम इस प्रश्न को इस दृष्टि से देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वर्तमान कांग्रेस हाई कमांड आज पहले से अधिक सम्मानित व शक्तिशाली है। आज उसे जनता का अटूट प्रेम और विश्वास प्राप्त है। नेतृत्व का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने सैनिकों को पराजय की स्थिति से निकालकर जीत की स्थिति में रख दे। क्या आष्टी, चिमूर, सितारा, मिदनापुर, युक्त-प्रान्त के पूर्वी जिलों आदि के अपने सैनिकों को, जिन्हें ब्रिटिश नौकरशाही ने लम्बी-लम्बी और मौत तक की सज़ाएं दी थीं, इस ने साफ़ नहीं छुड़ा लिया? इस प्रकार इस नेतृत्व ने सन् १९४२ की हार को

आज एक ऐसी जीत में बदल दिया कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही को उन नेताओं के साथ, जिनको वह छोड़ने को तैयार न थी, बात करना नहीं चाहती थी, समझौता करने तथा अपने ही हाथों से शक्ति देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अतः इस नेतृत्व की शक्ति क्षीण होने का प्रश्न तो उठता ही नहीं। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या नये नेतृत्व ने समाज के अन्दर अपना इतना गहरा प्रभाव व लगाव पैदा कर लिया है कि समाज उसकी ओर आकर्षित हो जाय अर्थात् उसे अपनी आशाओं और आकांक्षाओं का केन्द्र समझे। अभी तो ऐसा हुआ नहीं है। इसके अलावा युद्ध-काल में जो नेता होते हैं ज़रूरी नहीं कि वही शान्ति-काल में भी हों। इस कारण हमारा विश्वास है कि देश की बागडोर मौजूदा कांग्रेस हाई कमांड के हाथ में रहेगी और यदि देश को नये आन्दोलन के लिए विवश होना भी पड़ा तो अगला आन्दोलन गान्धीवादी नेतृत्व में ही होगा।

नीति को अपनाया है। उसका विश्वास है कि इस तरह हम बहुत थोड़े समय में अपने ध्येय के नजदीक पहुँच सकेंगे।

तोड़-फोड़, गुप्त कार्य तथा गुरिला मोर्चेवन्दी आदि के बारे में कांग्रेस हाई कमांड का कहना है कि इन तरीकों से हम आजादी के नजदीक नहीं पहुँच सकते, बल्कि यह सब साधन किसी भी सामूहिक आन्दोलन की गतिविधि के लिए घातक हैं। अतः एक ओर सामूहिक आन्दोलन करना जिसमें लाखों-करोड़ों आदमी साहस, धर्म व जोश के साथ जुट सकें, खुलकर बलिदान कर सकें और दूसरी ओर गुप्त साधनों की बातें सोचना एक साथ विभिन्न प्रकार की दो कल्पनायें करना है। कांग्रेस हाई कमाण्ड की यह भी राय है कि जनता की ओर से की हुई कोई भी हिंसा सरकार की संगठित हिंसा को प्रोत्साहन देती है और इस प्रकार उसे निहत्थी जनता के विरुद्ध संगठित हिंसा करने का मौका मिल जाता है। हिंसा का सीधा नियम यह है कि जिसके पास अधिक शक्ति होती है वही जीतेगा। अतः यह नेतृत्व उस शतरंज पर खेलना नहीं चाहता जिस पर उसे पूर्ण विश्वास है कि उसके मोहरों से ही उसे मात मिल सकती है। इसलिए वह हिंसा का विरोधी है और वह समझता है कि तोड़फोड़ के कार्यों से इतना अधिक लाभ नहीं हो सकता जितना कि नुकसान। अन्त में उसका यह भी कहना है कि तार, पुल इत्यादि जनता के पैसे से ही बने हैं, इसलिए उनका नाश करना अपना नुकसान करना है। इसके विपरीत यह कहीं अच्छा है कि जनता सामूहिक रूप में लगानवन्दी कर दे और सरकारी नियमों को न मानकर अपना संगठन स्थापित कर ले। यदि आन्दोलन का सामूहिक रूप कायम है और जनता उसमें शरीक है तो तोड़-फोड़ के कार्यों की आवश्यकता ही नहीं। इस प्रकार यह नेतृत्व इस प्रोग्राम से सहमत नहीं है।

किसी नये नेतृत्व का प्रश्न तभी उठता है जब या तो पुराने नेतृत्व से अनेक पराजयों के कारण जनता ऊब उठी हो या उससे अधिक अच्छा नेतृत्व पैदा हो गया हो, जिसकी जड़ें समाज के अन्दर जम गई हों। जब हम इस प्रश्न को इस दृष्टि से देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वर्तमान कांग्रेस हाई कमांड आज पहले से अधिक सम्मानित व शक्तिशाली है। आज उसे जनता का अटूट प्रेम और विश्वास प्राप्त है। नेतृत्व का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने सैनिकों को पराजय की स्थिति से निकालकर जीत की स्थिति में रख दे। क्या आष्टी, चिमूर, सितारा, मिदनापुर, युक्त-प्रान्त के पूर्वी जिलों आदि के अपने सैनिकों को, जिन्हें ब्रिटिश नौकरशाही ने लम्बी-लम्बी और मौत तक की सजाएँ दी थीं, इस ने साफ़ नहीं छोड़ा लिया? इस प्रकार इस नेतृत्व ने सन् १९४२ की हार को

आज एक ऐसी जीत में बदल दिया कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही को उन नेताओं के साथ, जिनको वह छोड़ने को तैयार नहीं थी, बात करना नहीं चाहती थी, समझौता करने तथा अपने ही हाथों से शक्ति देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अतः इस नेतृत्व की शक्ति क्षीण होने का प्रश्न तो उठता ही नहीं। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या नये नेतृत्व ने समाज के अन्दर अपना इतना गहरा प्रभाव व लगाव पैदा कर लिया है कि समाज उसकी ओर आकर्षित हो जाय अर्थात् उसे अपनी आशाओं और आकांक्षाओं का केन्द्र समझे। अभी तो ऐसा हुआ नहीं है। इसके अलावा युद्ध-काल में जो नेता होते हैं ज़रूरी नहीं कि वही शान्ति-काल में भी हों। इस कारण हमारा विश्वास है कि देश की बागडोर भीजूदा कांग्रेस हाई कमांड के हाथ में रहेगी और यदि देश को नये आन्दोलन के लिए विवश होना भी पड़ा तो अगला आन्दोलन गान्धीवादी नेतृत्व में ही होगा।

मनोवैज्ञानिक वातावरण

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन

“परन्तु इससे क्या हुआ ? यह युद्ध भारत ने तो शुरू किया नहीं है।”

“भाई, इसे मैं जानता हूँ। अवश्य ही उन्होंने हमारे नेताओं से परामर्श किये बिना ही भारत को युद्धग्रस्त घोषित कर दिया और इस प्रकार वे हमारे जन, धन और साधनों का उपयोग कर रहे हैं। किन्तु वे आखिर स्वाधीनता व प्रजातंत्र के लिए ही तो यह युद्ध लड़ रहे हैं।”

“स्वाधीनता और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, बिलकुल भूठ। यह कहो कि अपने साम्राज्य और वेईमानी से प्राप्त दूसरे लाभों की रक्षा के लिए यह युद्ध लड़ा जा रहा है। चाहे हमारे देश के वीर युद्ध में जायं या न जायं, परन्तु इस बार साम्राज्यवादियों की कुशल नहीं है। उनके ग्रह बुरे हैं। क्या तुमने वच्चू सूर की भविष्यवाणी के बारे में कुछ नहीं सुना ? उनका कहना है कि १३ अगस्त से २३ अगस्त तक का समय अंग्रेजों के लिए बहुत कठिन है। उनका पतन अवश्यम्भावी है।”

“हाँ; लक्षण तो कुछ ऐसे ही हैं, परन्तु हम ग्रहों के भरोसे क्यों बैठे रहें ? रूस व चीन की तरह हम भी क्यों न अपने पैरों पर खड़े हो जायं ? अपनी स्वाधीनता के लिए हम भिक्षा नहीं माँग सकते। उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा और हमें ऐसा करना ही चाहिए। यही उपयुक्त समय है।”

“तुम ठीक कहते हो। सरकार राजी-खुशी कभी कुछ नहीं देती। स्वाधीनता कभी उपहार के रूप में नहीं दी जाती। जिस स्वाधीनता और प्रजातंत्र के लिए अंग्रेज आज लड़ने का दावा कर रहे हैं, हमारे नेताओं ने भी वही चीज़ उनसे माँगी थी, परन्तु मिला क्या ? पहली बार लार्ड क्लिन्-लियगो द्वारा एक परामर्शदात्री असेम्बली, दूसरी बार एमरी की अगस्त-घोषणा और तीसरी और अन्तिम बार सारे ब्रिटिश मंत्रिमण्डल का उपहार—

क्रिप्स-प्रस्ताव । हमने माँगी थी रोटी, परन्तु मिले हमें पत्थर, वह भी एक नहीं तीन ।”

“इसीलिए अब गांधीजी ने उनसे भारत से चले जाने के लिए कहा है । हम लोग भी उनसे अब उकता गये हैं । जितनी जल्दी वे इस देश से चले जायं उतना ही अच्छा है । लेकिन जब तक उन्हें भगाया नहीं जायगा तब तक वे टलने वाले जीव नहीं हैं ।”

“वैसे तो मैं राजनैतिक बातों को कम समझता हूँ, परन्तु एक बात जरूर जानता हूँ । वह यह कि गांधीजी को ईश्वरीय-प्रेरणा है । वे भविष्य की बातों को जान सकते हैं और उनका यह कहना है कि यह अन्तिम संग्राम होगा और उसे अन्त तक लड़ा जायगा । जो कुछ वे कहते हैं वह होकर ही रहेगा । गांधीजी अंग्रेजों के लिए वैसे ही हैं जैसे कृष्ण कंस के लिए थे । अंग्रेजों का अन्त निश्चित है ।”

“चारों ओर यह अफवाह फैली हुई है कि इस बार गांधीजी एक ऐसा नया कार्यक्रम रखने वाले हैं जिससे देखते-देखते सारी सरकारी व्यवस्था पंगु हो जायगी, ताश के पत्तों की तरह बिखर जायगी । ९ ता० के बाद रेलगाड़ियाँ, मोटर बस, टेलीफोन इत्यादि कार्य करना बंद कर देंगे ।”

“क्या तुम नहीं जानते कि कांग्रेस के नेतागण बम्बई में जमा हो रहे हैं ? देखना है, ये लोग वहाँ क्या निश्चय करते हैं । यह एक महत्त्वपूर्ण अधिवेशन होगा । हमारी दृष्टि उसी ओर लगी है । कमर बांधकर तैयार रहना चाहिए । यदि इस समय न लड़े तो फिर आग की लपटें हम को घेर लेंगी ।”

“भाई, गांधीजी महात्मा से कहीं अधिक एक राजनीतिज्ञ हैं । वे जानते हैं कि यदि इस बार हम न लड़े तो मृत्यु, नाश और नैतिक अधःपतन हमारा स्वागत करने के लिए तैयार हैं । हमें एक वीर के सदृश मरना चाहिए । गांधीजी की मान्यता है कि चाहे अंग्रेज हों चाहे जापानी, भारत को स्वाधीनता के शत्रुओं से लड़ना ही चाहिए ।”

रेलगाड़ियों, मदिरालयों, बाजारों तथा चौराहों आदि में लोग इसी प्रकार की बातें करते हुए पाये जाते थे । वातावरण आतंकपूर्ण था । इस सन-सनी के कारणों को हूँह निकालना कुछ कठिन नहीं । भारत की भूमि पर पहला बम गिरने और शत्रु के भारत की सीमा तक पहुँचने से भी बहुत पहले से देश में घोर भय फैल गया था । लोगों ने बड़े-बड़े नगरों को छोड़कर दूसरे स्थानों की ओर भागना शुरू कर दिया था । इसका कारण था । प्रथम तो कई पीढ़ियों से अंग्रेजी शासन में रहते-रहते लोग नपुंसक हो गये थे और उनमें

किसी भी आतंक का मुकाबला करने की अधिक शक्ति न रह गई थी। दूसरे अन्य देशों से युद्ध के आरम्भ में भयंकर तबाही के जो समाचार प्राप्त हुए, उनसे उनका रहा-सहा साहस भी जाता रहा। ऐसे वातावरण में अगस्त की ८ वीं तारीख को कांग्रेस-कार्य-समिति के प्रस्ताव पर अपना अन्तिम निर्णय देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन में अधिवेशन हुआ। उसमें अंग्रेजों से भारत छोड़कर चले जाने के लिए केवल इसलिए नहीं कहा गया था कि भारतवासियों की स्वाधीनता की मांग पूरी हो जाय, बल्कि उस समय यह भारत और मित्रराष्ट्रों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक था। लोगों का विचार था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का यह अधिवेशन कांग्रेस और भारत के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना होगी और उसका प्रभाव संसार के इतिहास पर भी पड़ सकता है। इसलिए सारे विश्व का इस अधिवेशन की ओर उत्सुकतापूर्वक देखना आश्चर्य की बात न थी। अंग्रेज और अमेरिकन पत्र-प्रतिनिधियों के अतिरिक्त चीन और रूस के पत्र-प्रतिनिधि भी उसमें उपस्थित थे। ५० विदेशी पत्रकारों सहित कुल ३५० पत्र-प्रतिनिधि-पास वांट गये थे। देखने में यह बैठक वार्षिक अधिवेशन के समान ही भव्य थी, परन्तु महत्त्व और जनता के उत्साह की दृष्टि से यह उससे भी कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी थी। अधिवेशन के आरम्भ होने से लगभग एक सप्ताह पहले से कांग्रेस-भवन में बड़ी चहल-पहल मची हुई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों, अतिथियों, दशकों व कार्यकर्तियों का तांता-सा लगा हुआ था। कर्मचारी, कार्यकर्ता, स्वयंसेवक आदि बड़ी उमंग और जोश से आदेश देने और उन्हें पूरा करने के लिए इधर-उधर दौड़ते हुए दिखलाई दे रहे थे। लोगों के भुंड-के-भुंड प्रवेश-टिकट पाने के लिए इच्छुक थे। परन्तु कोशिश करने पर भी टिकटों की बढ़ती हुई मांग को पूरा नहीं किया जा सका। बहुत से निराश होकर लौट गये। कुछ लोगों ने स्थिति का लाभ उठाते हुए निजी तौर से १० रुपये के टिकट को १००० तक में बेच डाला। इस अधिवेशन के लिए एक लाख रुपये की लागत से गवालिया टैंक मैदान में बहुत बड़ा पंडाल खड़ा किया गया था।

३५००० वर्ग फीट पंडाल का हर इंच जनता से खचाखच भर गया था। हजारों आदमी पंडाल के बाहर उत्सुकता से राष्ट्रीय पार्लियामेंट की कार्रवाई को सुनने के लिए एक-दूसरे से चिपटे खड़े थे। लगभग ३००० स्वयंसेवक, जिनमें २०० के करीब सेविकाएं भी थीं, दशकों, अतिथियों तथा कांग्रेस-सदस्यों का स्वागत तथा इंतजाम करने में संलग्न थे। चारों तरफ तिरंगे भंडे सारे दृश्य

को मनोहारी बना रहे थे। अधिवेशन शुरू होने से ठीक पहले एक घटना आश्चर्यजनक तरीके से देखने में आई। उसका अभी तक मेरे मस्तिष्क पर प्रभाव है। उसने वहाँ पर एकत्र समस्त जनता पर अपनी छाप डाली। वह घटना यह थी कि एक हवाई जहाज कांग्रेस पंडाल के ऊपर अधिवेशन शुरू होने से कुछ मिनट पहले उड़ा। पता नहीं उसका क्या तात्पर्य था। हो सकता है कि उसके द्वारा ब्रिटिश-शक्ति का प्रदर्शन किया गया हो या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को इस बात की चेतावनी दी गई हो कि यदि उसने सरकार को चुनौती देने वाला प्रस्ताव स्वीकार किया तो उसका अच्छा परिणाम न होगा। शायद वह आगे चलकर बिहार में की गई हवाई गोलावारी की पूर्व-सूचना थी।

ठीक २॥ बजे 'वन्देमातरम्' गान के साथ अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। देश के सम्मानित नेता मंच पर बैठे थे। इन बहादुर नेताओं को, जिनका सारा जीवन देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में कटा था, देखकर साधारण आदमियों में उत्साह पैदा होता था। वे उनकी ओर उत्सुकता, श्रद्धा, विश्वास और चाह की दृष्टि से देख रहे थे। राष्ट्रीय नारों की गगनभेदी ध्वनि के साथ राष्ट्रपति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मंच पर आकर बैठे। कुर्सी पर बैठे-बैठे उन्होंने बोलना शुरू किया। उनको सुनकर कौन था जो यह कह सकता कि वह उनसे अधिक भारत की रक्षा के लिए उत्सुक है। उन्होंने वारदोली प्रस्ताव के पहले के हालात और युद्ध के प्रति कांग्रेस के रवैये पर प्रकाश डाला। उनके मुँह से शब्द निकल रहे थे और श्रोताओं पर एक अजीब प्रभाव पड़ रहा था। उन्होंने अधिवेशन में दो भाषण दिये—एक प्रारम्भ में और दूसरा अधिवेशन की कार्रवाई समाप्त करते हुए। दोनों भाषण लोगों को बहुत दिनों तक याद रहेंगे।

६ अगस्त वाला प्रस्ताव, जो 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव के नाम से मशहूर है, पं० जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया और सरदार पटेल ने उसका समर्थन किया। प्रस्ताव पर अंग्रेजी में बोलते हुए पं० नेहरू ने कहा—“प्रस्ताव कोई धमकी नहीं है। यह तो एक निमंत्रण है। इसके द्वारा हमने बताया है कि हम क्या चाहते हैं। हमने सहयोग का हाथ आगे बढ़ाया है। किन्तु उसके पीछे एक साफ इशारा भी है कि यदि कुछ बातें न हुईं तो परिणाम क्या हो सकता है। यह स्वतंत्र भारत के सहयोग का दावतनामा है। किसी दूसरी शर्त पर हमारा सहयोग नहीं हो सकता। उसके अलावा हमारा प्रस्ताव केवल संघर्ष और लड़ाई का वादा करता है।”

आगे चलकर पं० नेहरू ने कहा—“दूसरे देशों में रहने वाले हमारे कुछ

दोस्तों का खयाल है कि हम गलती कर रहे हैं। पर मैं ऐसा नहीं कहता कि वे गलतफहमी में हैं; क्योंकि जिस खास वातावरण में वे लोग रहे हैं, उसमें वह और कुछ सोच नहीं सकते। लेकिन मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि हम अपनी धारणा में निश्चित हैं। उसके बारे में किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम एक समुद्र-तट पर खड़े हुए हैं और यदि ज़रूरत हो तो गोता लगाने के लिए भी तैयार हैं।”

आगे चलकर पं० नेहरू ने बताया—“जब यह प्रस्ताव पास हो जायगा तो यह केवल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का फैसला न होगा, बल्कि उसके द्वारा समस्त भारत की दबी हुई आवाज़, धारणा तथा इच्छा का प्रतिनिधित्व होगा। इतना ही नहीं, मैं तो यहां तक कह सकता हूँ कि उसके द्वारा हम समस्त संसार की दबी हुई जनता की आवाज़ का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। अगर ब्रिटेन इस प्रस्ताव को मंजूर करेगा और उसके मुताबिक कार्य करेगा तो भारत में तथा सारी दुनिया में एक आश्चर्यजनक तब्दीली देखने को मिलेगी। उससे सारी लड़ाई का नकशा व रूप ही बदल जायगा और युद्ध के बीच एक क्रान्ति-कारी परिवर्तन पैदा हो जायगा।”

नेहरू जी ने बताया—“यह लड़ाई केवल लड़ाई ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक महत्त्व रखती है। इस युद्ध की गोद में आने वाली भयंकर क्रांति छिपी है जो सारे संसार को ढक लेगी। युद्ध हो सकता है समाप्त हो जाय और यह भी हो सकता है कि कुछ और वक्त तक चञ्चल रहे। लेकिन तब तक शान्ति नहीं हो सकती जब तक दुनिया के पराधीन देश आज़ाद नहीं हो जाते। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछली लड़ाई में युद्ध के नेताओं ने कुछ नहीं सीखा और न उन्होंने युद्ध द्वारा होने वाली क्रांति को ही समझा। वर्तमान युद्ध के नेता भी इस युद्ध को पुराने ढंग से चला रहे हैं और सोचते हैं कि हम अधिक जहाज़ और हवाई जहाज़ बनाकर लड़ाई जीत लेंगे। हो सकता है कि उनकी अवस्था में मैं भी यही करता। पर मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि ये नेता जनता की भावनाओं के आधार को नहीं समझ रहे हैं। जब तक ये उसे नहीं जानेंगे, उन्हें सफलता नहीं होगी, हालांकि मुझे आशा है कि यह कुछ सवक सीखेंगे और यह भी आशा है कि इसमें अधिक देरी न होगी।”

चर्चिल तथा उनके जैसे अन्य अंग्रेजों की आलोचना करते हुए पं० नेहरू ने कहा कि मिस्टर चर्चिल एंग्लो-सेक्सन जातीय आधिपत्य की दृष्टि से सोचते हैं। मैं अंग्रेजों और अमरीकन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि संसार में इन जातियों के अलावा और भी जातियां रहती हैं जो इस जातीय भेद-भाव व

आधिपत्य की वरदास्त नहीं कर सकेंगी। मित्र-राष्ट्रों के ध्येय की ओर संकेत करते हुए पंडित जी ने कहा—“अभी तक उनके ध्येय नेकारात्मक दृष्टि से केवल इसलिए ठीक हैं कि जर्मनी और जापान इनसे भी बुरे हैं। लेकिन यदि भारत स्वतन्त्र कर दिया जाय तो उससे लड़ाई का रूप बदल जायगा और मित्र राष्ट्रों का ध्येय व्यवहारतः भी ठीक हो जायगा। उसका नाजी लोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा और जो उनकी मदद कर रहे हैं उन पर भी एक गहरा और जबर-दस्त नैतिक प्रभाव पड़ेगा। मुझे अफसोस है कि इंग्लैण्ड और अमेरिकन लोग इस प्रश्न पर संकीर्ण दृष्टि से सोच रहे हैं और उनके ध्यान में यह बात अभी तक नहीं आई कि भारत की आजादी का इस लड़ाई से क्या सम्बन्ध है।” कुछ जोश में आते हुए पं० जवाहरलाल ने कहा कि “कुछ लोग हमें धमकी दे रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि ऐसे नाजुक मौके पर धमकी का और भी भयंकर परिणाम हो सकता है और यह उनके लिए भी घातक हो सकता है। मैं तो भारतीय लोगों से अपील करूंगा कि वे इस संशय, धमकी व तनातनी के वातावरण में अपने सच्चे ध्येय और धारणा को न भूल जायं, वे भारत की आजादी के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त दुनिया के लोगों की आजादी और विशेषकर रूस व चीन की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। मैं एक राष्ट्रवादी हूँ और मुझे इसका गर्व है, लेकिन मैं एक संकीर्ण राष्ट्रवाद के चंगुल में नहीं फँस सकता। हमें अपने में अन्तर्राष्ट्रीय भावना पैदा करनी है।”

आगे चलकर पं० नेहरू ने कहा—“हमारे रास्ते में बहुत-सी कठिनाइयाँ हैं। उन अंग्रेजों और अमेरिकनों से, जो यह समझते हैं कि हम गलती कर रहे हैं, मैं यह कहूँगा कि यह हमारी परेशानी है और उसे हम ही ठीक कर सकते हैं। हम अंग्रेजों और अमेरिकनों से कहीं अधिक जानते हैं कि गुलामी क्या चीज है; क्योंकि हम उसके अभिशापों को सहन कर रहे हैं। आखिर युद्ध में जापान ने भारत पर आक्रमण किया तो हमें ही कठोर कुर्बानी और तकलीफें वरदास्त करनी होंगी। हमें ही आग की लपटों में झुलसना होगा। अब तो हम आग में कूद पड़े हैं, या तो सफल होकर निकलेंगे या उसी में जलकर भस्म हो जायेंगे। जहाँ तक हिन्दू-मुस्लिम का प्रश्न है, मैंने मि० जिन्ना से जाकर बातचीत की और पूछा कि मुस्लिम लीग क्या चाहती है। मैंने उनसे पत्र लिखकर भी पूछा, लेकिन मुझे कोई भी उत्तर नहीं मिला। मिस्टर जिन्ना का रवैया वही है जो नाजी जर्मनी और फासिस्ट इटली का है। लेकिन फिर भी ‘बम्बई क्रानिकल’ हमसे यह कहता नहीं थका है कि मुस्लिम लीग से कांग्रेस को फँसला कर लेना चाहिए। मैं ‘बम्बई क्रानिकल’ के सम्पादक से

पूछना चाहता हूँ कि उनका इस पुराने तार को बजाने से क्या तात्पर्य है? जब कि कांग्रेस ने हर समय मुस्लिम लीग के पास मुलह की पेशकश की, हमारे सामने दरवाजा बन्द कर दिया गया और फिर उलटा हमारे ऊपर इलजाम लगाया गया। आखिर हम कब तक ऐसा अपमान सहते रहेंगे?" (करतल ध्वनि)

सरदार पटेल

इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सरदार पटेल खड़े हुए, जिन्होंने एक सीधी और स्पष्ट वक्तृता द्वारा समस्त जनता में विजली-सी पैदा कर दी। उनके शब्दों में बल था, निश्चित धारणा थी, स्पष्टता थी, और था जनता की भावना का प्रदर्शन। उन्होंने वही कहा जो जनता चाहती थी, अनुभव करती थी व किसी के द्वारा सुनना चाहती थी। यही कारण था कि उनकी वक्तृता के दौरान में उत्साह से भरी हुई जनता ने बार-बार करतल-ध्वनि द्वारा अपने भावों का परिचय दिया। निस्सन्देह उनकी वक्तृता में कुछ अप्रिय लगने वाले व तीखे वार भी थे। किन्तु यह एक ऐसे सरदार की वक्तृता थी जो मरते हुए लोगों में भी जीवन पैदा कर सकते हैं। सरदार ने कहा, 'सरकार चाहती है कि हम उसमें और उसके हथियारों में विश्वास करें। क्या हम उन्हीं हथियारों का विश्वास करें, जिन्होंने वर्मा और मलाया के लोगों की रक्षा की? क्या हम ऐसे ही भाग्य का स्वागत करें जो उनका हुआ? वह उन देशों से भाग खड़ी हुई और वहाँ के लोगों को जापानियों के रहमो-करम पर छोड़ दिया। कौन जानता है कि वह हमें उसी तरह नष्ट और तबाह करके यहाँ से नहीं चली जायगी। हम वादों पर कैसे विश्वास करें जब कि धोखों का तांता लगा हुआ है।'

इस प्रस्ताव में बहुत-सी तरमीमें पेश हुईं, जिनमें मुख्य वह थी जो कम्युनिस्टों ने पेश की थी।

प्रस्ताव तथा संशोधनों पर मत लेने से पहले मौलाना आज़ाद ने बताया कि किस प्रकार कांग्रेस बराबर दो साल से हिन्दू-मुस्लिम मेल का प्रयत्न कर रही है। लेकिन यह केवल एक-तरफा प्रयत्न रहा है। दूसरी पार्टी ने ज़रा भी हमारे बड़े हुए हाथ की न तो सराहना की और न अपनी ओर से क्रियात्मक कदम ही उठाया। जहाँ तक कांग्रेस का तात्लुक है, उसका रवैया विलकुल साफ है। उसका दरवाजा सदा सबके लिए खुला हुआ है। इसलिए कांग्रेस को कुछ कहने की क्या ज़रूरत है? जो लोग हिन्दू-मुस्लिम फँसले की बातें कहकर शोर-गुल मचा रहे हैं, अच्छा होता कि वे लोग का दरवाजा खटखटाते, जो हमारे लिए न केवल बन्द कर दिया गया है, बल्कि जिसमें कीलें

ठोक दी गई है।" इसके बाद मौलाना आज़ाद ने प्रस्ताव व संशोधनों पर मत लिये। केवल कम्युनिस्टों द्वारा पेश हुए संशोधन के पक्ष में १२ मत आये और शेष संशोधन या तो वापस ले लिये गए या गिर गए। इस प्रकार महान् करतल ध्वनि के बीच ८ अगस्त सन् १९४२ का वह ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुआ। ठीक उसके पश्चात् महात्मा गांधी ने २॥ घंटे तक अंग्रेजी आर हिन्दुस्तानी में एक ओजपूर्ण तथा सारगर्भित भाषण दिया जिसका दर्शकों व सदस्यों पर जादू का-सा प्रभाव पड़ा। पूरे ढाई घंटे तक एक अजीब सन्नाटा रहा। उस समय महात्मा गांधी की वाणी से निकला हुआ एक-एक शब्द मालूम पड़ता था लोगों के हृदयों व स्नायु-मण्डल पर अपना प्रभाव डाल रहा है। जिस समय गांधी जी बोल रहे थे तो मालूम देता था कि उनके ज़रिए सारा राष्ट्र अपने हृदय को खोलकर रख रहा है।

गांधीजी का भाषण

सबसे पहले गांधीजी ने उन लोगों को, जिन्होंने बड़ी दिलेरी व हिम्मत के साथ इस प्रस्ताव के विरुद्ध अपनी राय दी थी, बधाई दी। वे यह जानते थे कि प्रस्ताव बहुमत से पास होगा, फिर भी उन्होंने अपने विचारों व विश्वासों का प्रदर्शन किया। इस प्रकार गांधीजी ने कहा कि उन्होंने उस उसूल की रक्षा की है जो वह ५० साल से बराबर सेवके सामने रखते रहे हैं। आगे चलकर हिन्दू-मुस्लिम एकता पर बोलते हुए महात्मा गांधी ने कम्युनिस्ट भाइयों का ध्यान मौलाना आज़ाद व पं० जवाहरलाल नेहरू के भाषणों की ओर दिलाया कि किस प्रकार कांग्रेस ने एकता के प्रयत्न किये हैं और कहा, "एक जमाना था जब मुसलमान कहते थे कि हिन्दुस्तान हमारा मुल्क है। उस समय वे नाटक नहीं करते थे। वे हमारे साथ लड़े थे। खिलाफत में शरीक हुए थे। उनके साथ मैं बरसों रहा। लोग कहते हैं कि मैं भोला हूँ। पर इसके मानी यह थोड़े ही हैं कि मैं यह मान लेता हूँ। पर मैं सुन लेता हूँ। मुझे धोखेवाज़ बनने के बजाय भोला कहलाना अच्छा लगता है। मेरा तो यह स्वभाव है, कि जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आती, मैं ऐतबार कर लेता हूँ। यह चीज़ प्रस्ताव में भरी है। मुसलमान और हिन्दू भी कहते हैं कि हिन्दू-मुस्लिम एकता होनी चाहिए। दूसरी सभी कौमों का भी इतिहास होना चाहिए। होता है, तो अच्छा ही है। कुछ लोग मुझसे आकर कहते हैं कि तू जब तक जिन्दा है, तभी तक यह बनेगा। लेकिन मेरा हृदय इसे कबूल नहीं करता। जिसे मेरा दिल कबूल नहीं करता उसमें मुझे रख नहीं है। मैं तो जब छोटा बच्चा था, तब से इस चाज़ को

जानता था। मदरसे में हिन्दू, मुसलमान और पारसी सब थे। उनसे मैंने दोस्ती की थी। मैं जानता था कि यदि हम हिन्दुस्तान में अमन से रहना चाहते हैं, तो पडीसी के फ़र्जा का भली-भांति पालन करना चाहिए। अफ़्रिका भी गया तो मुसलमानों का काम लेकर गया और सबका दिल हरण कर लिया। जो मेरे उसूलों के मुख़ालिफ़ थे, उन्होंने भी मुझ पर विश्वास किया। वे जानते थे, कि यह जो बात कहेगा, वह न्याय की ही होगी। वहां से आया, सो भी हारकर नहीं आया। सबको रोते हुए छोड़कर आया। यहां भी वही चीज़ मेरे सामने पंदा हो गई। बड़ी काम किया, तो मुसलमानों के लिए भी किया। उस समय मुझे कोई दुश्मन नहीं मानता था। ख़िलाफत में मैंने क्या स्वार्थीपन किया? मैं गाय की पूजा करता हूँ। हम एक हैं, तो सिर्फ़ इन्सान ही नहीं जीव-मात्र एक हैं। सब खुदा के बन्दे हैं। इसकी फिलासफी आज में समझाना नहीं चाहता। वे दोनों भाई और मौलाना वारी मेरी गवाही दे सकते हैं कि मैंने गाय के बारे में क्या कहा था। मैंने कहा था कि गाय को बचाने के लिए मैं सौदा करना नहीं चाहता। अगर आप स्वतन्त्र रूप से ऐसा करेंगे, तो अच्छा होगा। मैं तो मुसलमानों के साथ खाना भी खा लेता हूँ। लोग उस जमाने में इसे अच्छा नहीं मानते थे। अब तो सब जान गये कि यह तो भंगी के साथ भी खा लेता है। लेकिन उन दिनों मौलाना वारी ने कहा कि मैं आपको अपने यहां नहीं खिलाऊंगा। उस समय यह उनके लिए बड़ी शराफत की बात थी। बड़ी तंगी से मकान में रहते थे। उनके पास कोई महल थोड़े ही पड़ा था? फिरंगी महल के एक कोने में रहते थे। मेरे लिए ब्राह्मण रखते थे। शराफत के साथ शराफत चलती थी। यह सब मैं सबको सुनाना चाहता हूँ। जिन्ना साहब को भी। वे भी तो कांग्रेसी थे। भले ही आज बिगड़ गये तो क्या हुआ? भाई तो हैं। खुदा उनको बड़ी उमर दे। वे तब याद करेंगे कि गांधी ने कभी घोखा नहीं दिया, भूठी बात नहीं की। आज वे या मुसलमान नाराज हैं, तो मैं क्या करूँ। मारना चाहें तो मार भी सकते हैं। मेरे पास क्या है, मेरी गर्दन तो उनकी गोद में पड़ी है। और कोई मेरे गले में छुरी भी मार दे, तो बुरा भी नहीं लग सकता। मैं बुरा क्यों मानूँ? वह कोई सच्चे गांधी को थोड़े ही मारना चाहते हैं, वह तो उस गांधी को मारना चाहते हैं जिसे वह बुरा मानते हैं। तो मैं तो वही आदमी हूँ। इस बात को मुसलमान न भूलें। गालियां देना चाहें तो दें। इससे मुझे ईजा नहीं पहुंचती। इस्लाम को मैं जानता हूँ। वह तो कहता है दुश्मन को भी गालियां देना बुरा है। मुहम्मद साहब भी यही कहते थे। वे दुश्मन को अपनाते थे। उसके साथ नेकी करते थे। अगर मुसलमान इस्लाम के

हैं तो जो पादमी खुदा को हाजिर नाजिर कहकर कोई बात कहता है, तो उस पर विश्वास करना चाहिए। जो गालियाँ देते हैं, वे तो गोलियाँ चलाते हैं। वे गोलियों से मेरा खातमा कर दें, तो भी मुझ पर असर नहीं कर सकते। पर इस्लाम का क्या ? वे बारह आदमी हैं। उन्हें मौलाना साहब ने कितना सम्झाया, पर उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। पर इसकी कोई बात नहीं। जहाँ हमारी फिलासफी की बात हो, वहाँ दोस्ती इस्तेमाल न की जाय। आपको जो सही लगे, सो ही करें। कोई काम मेरे लिए नहीं, इस्लाम की भलाई के लिए करे हैं।

अगर पाकिस्तान सही चीज है, तो वह जिन्ना साहब की जेब में पड़ा ही है। हर मुसलमान की जेब में पड़ा है। पर अगर वह सही चीज नहीं है, तो उसे कौन हजम कर सकता है। तकवरी से तो खुदा भी भागता है कोई क्या जाने कि जिन्ना क्या चाहते हैं। जिन्ना साहब बड़े नाराज होते हैं। एक बार उन्होंने लिखा, 'मेरे खत पढ़कर आपको बहुत दुःख होता होगा। आपको मेरी बात बहुत चुभती होगी। पर मैं क्या करूँ ? जो दिल में है, सो कहता हूँ।' मैं उन्हें इसके लिए मुबारकबादी देता हूँ। लेकिन आप जो उस चीज को नहीं मानते, उनसे मैं कहता हूँ कि आपको जो बात सही मालूम हो, वही करें। सबकी राह न देखें। अरब में करोड़ों लोग पड़े थे। लाखों थे उनमें अकेले। उनमें अकेले पैगम्बर साहब की क्या विसात थी ? पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि जब मेरे साथ करोड़ों होंगे तभी इस्लाम जारी करूँगा। मैं आपसे कहता हूँ, जिसे सही न मानें, उसे कबूल न करें। राजाजी से भी मैंने यही कहा। वे कहते थे कि दे दो। दे देंगे तो वे मांगेंगे नहीं। मेरी शराकत होगी। पर मैं इस चीज को ठीक नहीं मानता। मैं तो जिन्ना साहब से भी कहता हूँ कि जो महज आपको मनाने के लिए बात करते हैं, उसे आप कभी कबूल न करें। मेरे पास कई मुसलमान आते हैं। वे कहते हैं, पाकिस्तान बुरी चीज है। पर दे दो। पर पीछे इसका नतीजा क्या होगा ? यह बुरी बात है। और जब तक उसे मैं बुरा मानता हूँ, साथ न दूँगा। पर इसके मानी क्या हैं ? समझ लें हम मुसलमानों को दवा कर कोई बात नहीं करना चाहते। इस तरह विश्वास कैसे हो सकता है ? वह अहिंसा से हा होगा। इसलिए कहता हूँ कि जो हक की बात है, उसे मान लें। यह मैं कांग्रेस का तरफ से कहता हूँ। पंच भी बना सकते हैं। पर उनमें भी हमारा एतवार तो होना चाहिए। उसे भी नहीं मानेंगे, तो आपकी जबरदस्ती नहीं तो क्या है ? उसे कोई कैसे मानेगा ? एक जिन्दा चीज के टुकड़े करेंगे ? जिन्दा चीज को मारकर क्या लेंगे ? हां, हम यह कहते हैं कि कोई किसी को मजबूर

नहीं कर सकता । लड़ाई करके ले सकते हैं । मुंजे ता खुल्लम-खुल्ला कहते हैं, ऐसा हिन्दू में नहीं हूँ । कांग्रेस ऐसे हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती । अगर आप कांग्रेस का एतवार नहीं करते, तो आपके हिन्दुस्तान के नसीब में झगड़े ही झगड़े हैं । पर यह ठीक रास्ता नहीं है । अगर मुझसे खुदा ठीक बोल रहा है, तो आप इससे मुझे जिन्दा नहीं पाएंगे । अगर चीज सही नहीं है तो तलवार के बल पर लेंगे, यह कहना क्या ठीक है ? मुहम्म साहब ने यह तरीका नहीं बताया ।

मैंने बहुत वक्त लिया । सारी रात भर सोचता रहा । पर तन्दुरुस्ती की भी फिक्र रखनी पड़ती है । डॉक्टरों ने भी फरमाया कि सम्हलकर काम करा । पर जो चीज खुदा ने दे दी है, उसे तो उसके लिए खर्च करना ही है । और अभी तो जवान चल रही है । पहले तो मैं हिन्दू-मुसलमानों की बात करता हूँ । हम एक बन जायें, सही माने से मान लें, दिल में कोई परदा नहीं रखें और हिन्दुस्तान को विदेशी कब्जे से छुड़ाने के लिए यत्न करें । पाकिस्तान भी तो आखिर हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है । इसलिए पहली बात यही है कि हिन्दुस्तान के लिए लड़ें । अगर ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी कामयाब होंगे । छः महीने तो बड़ी बात है । आज रात को भी ले सकते हैं । पर एक बात याद रख । हिन्दू-मुसलमान एकता तो चाहिए । पर अगर नहीं मिलती, तो भी आजादी तो लेनी ही है ।

पर हम यह समझकर नहीं लें कि अकेले हिन्दुओं के लिए लेना है । पंतीस करोड़ के लिए लेना है । हक की बात है । जिन्ना साहब कहते हैं कि मुस्लिम राज होगा । मौलाना साहब की आँफर का यह मतलब नहीं की मुस्लिम राज होगा । हा जाय तो उसकी भी परवा नहीं । पर जा हमने आँफर की सो जिन्ना साहब की मुसलमानों की बादशाहत के लिए नहीं की । वह ता हिन्दू मुसलमान पारसी वगैरा सबकी होगी । मेरा लड़का मुसलमान हो गया, तो उसका होम-लैंड कहां होगा ? और अब तो वह आर्य समाजी है । उसकी हालत क्या होगी ? उसका कौन-सा मुल्क होगा, उसे कहां रखेंगे ? वह अपने बाप को थोड़े ही भूल गया है । उसकी मां ने खत लिखा । वह पक्की हिन्दू है । राम को मानती है । पर उसका खुदा तो भोला है । अनपढ़ औरत है । पर उसका खुदा उसकी सुन लेता है । उसका नाम लिख लेता है । ऐसा बेवकूफ खुदा है, सो उसने लिखा कि मेरा लड़का मुसलमान हो गया, इसकी मुझे शिकायत नहीं । पर वह शराब पीता है, उसे आप कैसे बरदाश्त करते हैं ? उसका लड़का खतरा उठाकर भी मुसलमानों के बीच यह देखने के लिए गया कि उसके बाप ने शराब और श्यभिचार दोनों में से एक भी छोड़ा या नहीं । पर उसने एक भी नहीं छोड़ा ।

पर मैंने उससे सबक लिया। इस चीज को समझ सब जायं। इस लड़ाई में जितने हिन्दू हैं, उतने ही मुसलमान भी आ सकते हैं। मुसलमानों को कांग्रेस के दफतर में कौन-सी रुकावट है। वह तो बड़ा डेमोक्रेटिक आरगोनाइजेशन है। इसलिए पहला सबक यह है कि आप जो लड़ते हैं, सिर्फ हिन्दुओं के लिए नहीं लड़ते। सब साइनोरिटीज के लिए लड़ते हैं। मुसलमान भी लड़ें। सबके लिए लड़ें। आपस में जरा भी नहीं लड़ना चाहिए। किसी हिन्दू ने मुसलमान को मार डाला या किसी मुसलमान ने हिन्दू को मार डाला यह मैं नहीं सुनना चाहता। हिन्दू मुसलमान एक दूसरे के लिए अपनी जान दे दें। यह मसला सबका है। भगड़े के मीके हर वक्त आने वाले हैं। इसलिए कहता हूँ, सब करें। कोई एक मारे तो आप दो न मारें। मुसलमान भी ऐसा ही करें। कोई तलवार चलाता है, तो अपनी गर्दन उसके हाथ में रख दें। मेरी हिदायत सबके लिए है। क्योंकि यह Mass Struggle कैसे चलेगा, सो बता रहा हूँ। यह छोटी-से-छोटी शर्त है।

पकल साहब का फर्मान पढ़ें। उसे छापकर मैंने सरकार की खिदमत की है। 'हरिजन' में दे नहीं सकता था। आपको पता चल जायगा कि सरकार कैसे चलती है। पर उसका रास्ता टेढ़ा है। आपका सीधा है। आप आंखें मूंदकर भी उस पर चल सकते हैं। यही सत्याग्रह का रास्ता है।

कोई कहते हैं, यह जल्दी होगी। तैयारी की जरूरत है। जितनी मुसाफरी मैंने की, उतनी किसी ने नहीं की जो जिन्दा है। मैं लोगों को जानता हूँ, मेरा तो दिल उनके पास है। और तैयारी का क्या कहूं? मेरी तैयारी कच्ची, मैं कच्चा और मेरा लश्कर भी कच्चा। पर हमला आगया तो क्या कहूं? अब तैयारी कर लें। खुदा क्या कहेगा? वह तमाचा नहीं मारेगा? क्या वह यह नहीं कहेगा कि तुम्हको मैंने जो खजाना दिया, उसे तो निकाल देता। बाकी तो पीछे मैं था ही। मैं सिर्फ हिन्दुस्तान के लिए नहीं लड़ता। यों तो मेरे पास बहुत-सी लड़ाइयां पड़ी थीं। पहले कहते थे, परेशान नहीं करेंगे। पर अब ऐसे कब तक बैठेंगे? वे बारह भाई जूझते हैं, तब मैं क्यों नहीं जूझूँ? आप मेरे दिल को समझ सकते हैं।

अब क्या करना है, वह सुना दूँ। आपने रेजोल्यूशन तो पास कर लिया। पर हमारी सच्ची लड़ाई शुरू नहीं हुई। आप मेरे मातहत होगये। अभी तो वाइसराय से मिन्नत करूँगा। समय तो देना होगा, उस बीच आपको क्या करना है।

मोलाना साहब ने पूछा कि तब तक कोई कार्यक्रम ता

तो बताइए। मैंने कहा, चरखा है। मौलाना साहब निराश होगये। मैंने कहा चौबीस घण्टे काम करना है, तो कुछ तो चाहिए। इसलिए चरखा बताया। और भी कहता हूँ। तब मौलाना खुश होगये। अब सुनाता हूँ, सब क्या कर सकते हैं।

आप मान लें, कि हम आजाद बन गये। आजादी के माने क्या हैं? गुलाम की जंजीरें तो छूटीं। उसके दिल से तो छूटीं। अब वह तदवीर करता है। अपने मालिक से कहता है, मैंने गुलामी छोड़ दी। लेकिन आप से नहीं डरूंगा। आप जिन्दा रखना चाहते हैं, तो जिन्दा रखें। आप मुझे खुराक देते थे। पर वह तो मेरी ही पैदा की हुई थी।

अब बीच में समझौता नहीं है। मैं नमक की सुविधायें या शराबबन्दी लेने को नहीं जा रहा हूँ। मैं तो एक ही चीज लेने जा रहा हूँ आजादी। नहीं देना है, तो कत्ल करें। मैं वह गांधी नहीं, जो बीच में कुछ चीज लेकर आ जाय। आपको तो मैं एक मन्त्र देता हूँ, 'करेंगे या मरेंगे।' जेल को भूल जायें। आप सुबह शाम यही कहें, कि खाता हूँ, पीता हूँ, सांस लेता हूँ, तो गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए। जो मरना जानते हैं उन्हीं ने जीने की कला जानी है। आज से तय करें कि आजादी लेनी है। नहीं लेनी है तो मरेंगे। आजादी डरपोकों के लिए नहीं। जिनमें करने की ताकत है, वही जिन्दा रह सकते हैं। हम चीटियां नहीं। हम हाथी से भी बड़े हैं, हम शेर हैं।

पहले तो मेरे सामने अखबार हैं। वे या तो सरकार की आवाज हैं और अगर हमारी आवाज हैं, तो दबकर काम करते हैं। पर वह जंजीर से छूट जायें। आजादी के लिए सबको बुलाता हूँ। आप तो इस मैदान में आजायें। अपनी कलम मुझे दे दें। अगर यह भय हो कि सरकार छापेखाने ले लेगी। तो मैं इतना ही कहता हूँ कि अखबारबन्द कर दें। खामखाह जमानत न दें। अगर देना चाहें तो दे दें। पर कलम को न रोकें। वह भी बहादुरी का काम है। मैंने क्या किया? इतना बड़ा कारखाना चलता था। सबको बन्द कर दिया। और अब फिर नया प्रेस पैदा हो गया। फिर मैंने तो आपको एक मध्यम मार्ग बताया। अखिरी चीज आपके सामने नहीं रखी। एलान कर दें कि अब स्टैंडिंग कमेटी को छोड़ देंगे। सिर्फ आजाद हिन्दुस्तान की सरकार को ही मानेंगे। अगर आर बहुत दूर नहीं जा सकते, तो कहें आपकी चीज भी देंगे और कांग्रेस की भी देंगे। अगर वरदास्त नहीं कर सकते, तो नहीं करना है।

आजादी आ रही है, और इसके लिए राजा लोगों से तो मैं वह भी नहीं

भांगता । उनसे कहता हूँ कि मैं आपका खैरखाह हूँ । काठियावाड़ का हूँ । मेरे पिता तीन जगह दीवान रहे । आपका नमक खाया । मैं नमकहराम कभी नहीं हुआ । आपके सामने एक नमकहलाल मिन्नत करता हूँ । अब तक आप सल्तनत के रहे । उससे सत्ता पाई । पैसे लिये । पैसे तो पिताजी ने भी पाये । पर उन्होंने पोलिटिकल एजेन्ट से लड़ाई की । एक दिन हजालात में भी रहे । उनका मैं लड़का हूँ । मेरे जिन्दा रहते आप कुछ काम करेंगे तो आपके लिए जगह है । मेरे पीछे करेंगे तो भी जवाहरलाल नहीं मानेंगे । वह तो कहता है राजा लोग, पूंजीपति, जमींदार किसी के लिए अब जगह नहीं है । वह तो प्लान्ड एकोनामी वाला है । उसकी बहुत-सी बातें पी जाता हूँ । वह तो उड़ने वाला आदमी है । चाहेगा तो हवाई जहाज में बैठकर चीन भी चला जायगा । पर मेरे पास तो सबके लिए जगह है । एक मंत्र है, तुझे कोई चीज अपनाना है, तो पहले खुदा को दे दे, उसको छोड़ दे । हिन्दुस्तान में इतने लोग हैं । मैं तो इन्हीं की मारफत खुदा को पहचानता हूँ । वही खुदा है । अगर वह नहीं है तो मैं दूसरे खुदा को नहीं जानता । इसी तरह राजा लोग भी प्रजा से कह दें, राज आपकी ही मिलकियत है । तब राजाओं को किसी बात की कमी न रहेगी । प्रजा उन्हें दोनों हाथों से देगी । वह राजा रहेगा । वंश-परम्परा नहीं । वंश-परम्परा भी रहेगी अगर वे दुनिया की सेवा करते रहेंगे । इसलिए राजाओं से कहना चाहता हूँ कि आप गुलामी में न रहें । रहना है, तो हिन्दुस्तानियों की सल्तनत में रहें । पोलिटिकल डिपार्टमेंट को लिख दें कि खल्कत उठ गई तो हम कहां रहें । चक्रवर्ती तो मातहत राजाओं को बचाता है । जिसको राजा उठाते हैं, वह चक्रवर्ती नहीं । इसलिए कह दीजिए कि हम तो रैयत के होगये । वह बैठा-एगी तो बैठेंगे । हम उसका साथ देंगे । इसमें कोई कानूनी कठिनाई नहीं । राजाओं के लिए कोई कानून नहीं । पोलिटिकल डिपार्टमेंट की जबानी बातों को ही मानें तो मैं क्या करूँ ? यह तो आप दावा नहीं कर सकते कि हम अलग हैं । अगर आप रैयत के साथ रहेंगे, तो आप उसके सरदार रहेंगे ।

राजाओं से इस तरह साफ-साफ कह दें । और इतने पर वे मारें तो मर जायें । तेरह हों तो तेरह । कोई बात छिपाकर नहीं करनी है । इस लड़ाई में गुप्तता तो है ही नहीं ।

अब जज वगैरह से । वे भी अभी कुछ न करे । आज ही इस्तीफा न दें । रोक लें । पर अपनी आजादी कायम रखें । कह दें, मैं तो कांग्रेस का आदमी हूँ । रानाडे ने यही किया था । सिर्फ एक मर्यादा का पालन करूंगा । न्यायासन पर न कांग्रेस का हूँ न सरकार का । आजाद । कोई कानून नहीं जो

मुझे यह कहने से मना करे। रानाडे जब तक जिन्दा थे ऐसा ही करते थे। कांग्रेस में बराबर जाते थे, पर भाग नहीं लिया। समाज-सेवा-संघ पैदा कर दिया। उस जमाने में यह कम नहीं था। आज भी जज ऐसा कर सकते हैं। गुप्त हिदायतें निकलें, उनको न मानें। कह दें कि हम तो कांग्रेस के आदमी हैं। यह सरकार को मंजूर हो, तो रहें नहीं तो निकल जायं।

अब सिपाही ! वे इतना तो कह दें कि अब तक तो हमने अपने दिल की बात छिपा कर रखी, पर अब तो हम कहते हैं कि हम कांग्रेस के हैं।

कई सिपाही मेरे पास आये, जवाहरलाल के पास भी आये, मीलाना साहब के पास आये, और अलीभाइयों के पास भी आये थे। सिपाही नहीं बड़े-बड़े अफसर भी। पर हम उनको रोकते रहे। पर अब वे एलान कर दें कि हम पेट के लिए काम करते हैं, पर आदमी तो कांग्रेस के हैं। आप हमारे ही लोगों पर गाला-लाठी चलाने की बात कहेंगे, तो नहीं मानेंगे। अपने दुश्मन पर चला देंगे। इतना कह देंगे तो बहुत बड़ी आवोहवा पैदा हो जायगी है। कितने ही ऐरोप्लेन आयें, हमें परवाह नहीं।

इसी तरह से प्रोफेसर और विद्यार्थी। उनको भी आज तो खींचना नहीं चाहता। वे भी इतना तो कह दें कि हम तो कांग्रेस के हैं। प्रोफेसर भी कह दें। वे तो उस्ताद हैं। पर काम तो हमारा ही करते हैं। मेरी भी एक गाना सिखाने वाली उस्ताद थी। वायोलिन सिखाती थी। कितनी मुहब्बत से वह सिखाती थी। नौकर की तरह काम करती थी। मैं तो English Gentleman बनने जा रहा था। उसका ठीक-ठीक अर्थ बताने वाला शब्द तो मेरे पास है ही नहीं। वाशिंगटन आयरलिंग ने इसकी ठीक परिभाषा लिखी है। सो वह मुझे इंग्लिश जेंटिलमैन बनाने के लिए वायोलिन सिखाती थी। जो फीस लेती थी उसका पूरा बदला देती थी। इसी तरह प्रोफेसर भी सिखाते हैं। उनसे हम कह दें, कि आप सलतनत के हैं, या हमारे। हमारे हैं, तो अच्छा है। मकान खाली करने की आज जरूरत नहीं, इनमें से जिनको निकालना चाहूंगा, निकालूंगा। हवाई बात नहीं करता।

मेरे दिल में तो कहने को बहुत है। पर सब अंधे बाहर कर सकूँ, इतना समय नहीं है। मुझे अभी थोड़ा अंग्रेजी में भी बोलना बाकी है। रात हो गई है, बहुत देर होगई है, फिर भी इतनी शान्ति से, इतने ध्यान से आपने मुझे सुना इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सच्चे सिपाही ऐसा ही करते हैं।

बाईस वर्ष तक बोलने-लिखने में मैंने संयम रखा है, ताकत इकट्ठी की है। जो अपनी ताकत हमेशा खर्च नहीं करता वह ब्रह्मचारी—पाकदामन—कहा

जाता है। वह हमेशा जीभ पर काबू (संयम) रखकर दबी जवान से बोलेगा। जिन्दगी भर मेरा प्रयत्न इस दिशा में रहा है, फिर भी आज इतने सारे लोगों को इतनी रात तक रोक रखकर—आपके ऊपर जबर्दस्ती करके भी—मुझे आपको आज जो कहना चाहिए था, वह कह दिया। उसका मुझे पश्चात्ताप नहीं है। आपकी माफ़त सारे हिन्दुस्तान को कह दिया।

इसके बाद अंग्रेजी भाषा में बोलते हुए गांधीजी ने बताया कि जिनकी सेवा के लिए अभी आपने मुझे नियुक्त किया, उनके सामने मेरे अन्तर के मन्थन को बाहर उंडेलने में मैंने आपका बहुत समय ले लिया है। मुझे नेता-गिरी बरूही गई—फौजी परिभाषा में मुझे सेनापति पद दिया गया, पर मैं इस दृष्टि से नहीं देखता। मेरे पास अपना सेनापति पद चलाने के लिए प्रेम के अलावा दूसरा शस्त्र नहीं है। जिस लकड़ी के सहारे मैं चलता हूँ उसे तो आप आसानी से तोड़कर फेंक सकते हैं, ऐसी है। ऐसे अपङ्ग आदमी को जब ऐसी लड़ाई का बोझा उठाने के लिए आमन्त्रित किया जाय तो इसमें उसके लिए पीरुष अनुभव करने जैसा क्या है? मेरा यह बोझा आप तभी हल्का कर सकते हैं जब कि मैं आपके सेनापति के रूप में नहीं बल्कि आपके नम्र सेवक की तरह खड़ा रहूँ। जो सेवा में सबसे चढ़कर हो वह समान दरजे के सेवकों में अगुआ सेवक है, इतना ही इसका अर्थ है।

इसलिए पहली सीढ़ी पर ही मैं आपसे क्या-क्या अपेक्षा रखता हूँ, इस बाबत अपने मन के उद्गार मैंने अब तक आपके सामने रखे। ध्यान रहे कि आज भी अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है। अभी भी मुझे शरिस्ते मुजब अनेक विधियाँ करनी पड़ेंगी। जो बोझा मुझ पर आया है, सच ही वह असह्य है। मुझे ऐसों के सामने जाकर विनय-प्रार्थना करनी है जिनका आज मुझ पर विश्वास नहीं है। दुनिया भर के अनेक मित्रों के आगे भी आज मैं अपनी साख खो बैठा हूँ। मेरी समझदारी पर, बल्कि मेरी प्रामाणिकता पर भी उनके मन में शङ्का खड़ी हो गई है। मेरी समझदारी की कीमत कम आँकी जाय, इसका मुझे दुःख नहीं है, पर मेरी नीयत के बारे में शङ्का उठाई जाय, यह तो मेरे लिए दारुण आघात है। लेकिन आज तो यही स्थिति है।

ऐसे प्रसंग आदमी की जिन्दगी में आते हैं, पर सत्य के शोधक के लिए जिसे डर या पाखण्ड के बिना मानव जाति अथवा देश की यथाशक्ति सेवा करनी है, उसे तो यह सब सहने ही पड़ते हैं। पचास वर्ष की अपनी शोध में शुद्ध सेवा का इससे दूसरा रास्ता मैंने नहीं जाना। मैंने मानव जाति की, साम्राज्य की एक से अधिक प्रसंगों पर यथाशक्ति सेवा बजाई है और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कहीं

भी अपने किसी निजी स्वार्थ अथवा बदले की आशा से मैंने कोई काम नहीं किया। लार्ड लिन्लियगो के साथ मेरी मित्रता है, जो उनके ओहदे की सीमा को भी लांघ गई है। अपनी लड़की के साथ भी उन्होंने मेरा परिचय कराया। उनकी लड़की और जमाई दोनों मेरी तरफ आकर्षित हुए। उनके जामाता ए. डी. सी० हैं और वे महादेव के खास मित्र बन गए हैं। इनकी लड़की आज्ञाकारिणी और सबको प्रिय लगने वाली है। इन सब पवित्र व्यक्तिगत सम्बन्धों का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लार्ड लिन्लियगो और मेरे बीच जो व्यक्तिगत प्रेम सम्बन्ध है, उसका आपको पता चल जाय। और ऐसा होने पर भी नम्रता पूर्वक जाहिर करता हूँ कि यदि कभी ऐसे लार्ड लिन्लियगो के सामने, साम्राज्य के प्रतिनिधि रूप में, मरणान्त लड़ाई छेड़ना मेरे नसीब में लिखा होगा तो यह व्यक्तिगत प्रेम-सम्बन्ध रत्ती भर भी बीच में नहीं आएगा। मैं सल्तनत के पशु-बल का सामना करोड़ों भारतीयों की मूक-शक्ति से करूँगा, जिन्होंने लड़ाई के लिए उपयुक्त अहिंसा के सिवाय और कोई मर्यादा नहीं रखी होगी। मेरे लिए अत्यन्त कठिन काम होगा कि जिनके साथ मेरा ऐसा घरोपा है, उन्हीं के सामने मैं लड़ाई छेड़ूँ। उन्होंने एक से अधिक अवसरों पर मेरे शब्दों पर विश्वास किया है, मेरे लोगों पर भी विश्वास रखा है। यह कहते हुए मुझे गर्व और सुख होता है और यह मैं इसलिए कहता हूँ जिसमें सब जान लें कि जिस सल्तनत का मैं वर्षों तक वफ़ादार रहा और जिसकी मैंने सेवा बजाई, वह सल्तनत जब मेरे विश्वास की पात्र नहीं रही तब, जो अंग्रेज उस सल्तनत का प्रतिनिधि था, उसको उसके सामने लड़ाई छेड़ने के पहले मैंने पूरी खबर कर दी थी।

ऐसे मौके पर चार्ली एंड्रूज की पवित्र याद आये बिना कैसे रह सकती है? एंड्रूज की आत्मा इस समय मेरे आस-पास मंडरा रही है। मेरी नजर में अंग्रेजी संस्कृति की सबसे उज्ज्वल परंपराओं के वे संस्कार-मूर्ति थे। हिन्दुस्तानियों की अपेक्षा भी उनके साथ मेरा अधिक निकट का नाता था। मेरे ऊपर उनका गले तक विश्वास था। हमारे बीच में कुछ भी प्राइवेट (खानगी) नहीं था। रोज हम एक दूसरे के साथ अपने हृदय की बात खोलकर रख देते थे। जरा भी आनाकानी या मन की चोरी (छिपाव) बिना वह मुझे सब बता देते थे। गुरुदेव के भी वे मित्र थे जरूर, पर गुरुदेव की आत्मा से वे चकाचौंध होते और उनका अदब करते थे। पर मेरे तो वे प्राणप्रिय मित्र बन गये थे। वर्षों पहले वे गोखले का परिचय-पत्र लेकर मेरे पास आये। पीयसंन और एंड्रूज दोनों अंग्रेजों के नमूने थे। मैं जानता हूँ कि उनकी आत्माएँ अभी भी मेरी वेदना-वाणी सुन रही हैं।

कलकत्ता के मेट्रोपोलिटन (ईसाई धर्माचार्य) का भी हितैषिता से भर-पूर मुबारकवादी का पत्र मिला है। उनको मैं पाकदिल खुदापरस्त पुरुष गिनता हूँ। मेरी कमनसीवी से वे भी आज मेस यह कदम पसंद नहीं करते। फिर भी उनका दिल मेरे साथ है। उनके दिल की भाषा मैं पढ़ सकता हूँ।

यह सारी पार्श्वभूमि उपस्थित करके मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि पश्चिम में रहने वाले अनेक मित्रों का विश्वास आज मैंने खो दिया है— और उसका मुझे दुःख है—तो भी उन सबकी मैत्री और प्रेम की खातिर भी मैं अपने अन्दर से उठने वाली आवाज को दबा नहीं सकता। आत्मा कहिये, मूलगत स्वभाव कहिये, वह, या मेरे भीतर रहने वाले मेरे दिल का दर्द, मेरी व्यथा पुकार-पुकारकर कह रही है, आज मुझे प्रेरित कर रही है। मैं भूत दया जानता हूँ। मनुष्य स्वभाव का भी मैंने थोड़ा-बहुत अभ्यास किया है। ऐसा आदमी अपने अन्तरोत्मा को समझ सकता है। आप उसे जो चाहें नाम दें, पर यह अन्दर की आवाज मुझे कह रही है—'तुम्हें अकेला बिना सहारे खड़ा रहना पड़े तो भी आज तमाम दुनिया के सामने खड़ा होने से ही तेरा छुटकारा है। दुनिया लाल-पीली, रक्तपूर्ण आंखों से तेरे सामने घूरे तो भी तुम्हें उसकी नजर के सामने नजर मिला करके खड़े रहना है। डर मत। अपने अन्दर की आवाज को ही सुन। यह आवाज तुम्हें कहती है कि पुत्र, स्त्री, सम्पत्ति, शीश सब कुछ समर्पण कर देना, पर जिस चीजके लिए तू जिया करता है और जिसकी खातिर तुम्हें मरना है, उस सत्य की पुकार करते-करते मरना।' मित्रो, इस बात का विश्वास रखिये कि मुझे मरने की जल्दी नहीं है। मुझे अपने सौवें वर्ष तक जीना है। बल्कि मैंने तो आयु की सीमा १२० वर्ष तक आँकी है। इतने में तो हिंद आजाद होगया होगा—दुनिया भी आजाद हुई रहेगी। आज तो मैं इंग्लैंड को या अमेरिका को भी आजाद मुल्क के रूप में नहीं मानता। अपनी रीति से ये भले ही आजाद हों—ये आजाद हैं दुनिया की रंगीन जातियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखने के लिए। इन कौमों की आजादी के लिए क्या आज अमेरिका और इंग्लैंड लड़ रहे हैं? तो फिर मुझे इस लड़ाई के पूरी होने तक रुकने को मत कहो। मेरी आजादी की परिभाषा को किसलिए आप संकुचित करते हैं? इंग्लैंड और अमेरिका के आचार्य, उनका इतिहास, उनका उदात्त काव्य-भंडार यह नहीं सिखाता कि आजादी की व्याख्या को संकुचित रखा जाय, विशाल नहीं बनाया जाय और ऐसी व्याख्या के गज से जब मैं नापता हूँ तब मुझे कहना ही पड़ता है कि इंग्लैंड क्या और

अमेरिका क्या, कोई भी आजाद नहीं है। उनके आचार्यों ने और कवियों ने जिस स्वतंत्रता के गाने गाये हैं, उसकी उनको पहचान नहीं है। इसकी पहचान करनी ही तो उनको हिन्दुस्तान के चरणों में बैठना होगा। घमंड और गुस्ताखी के साथ नहीं, पर सच्चे सत्यशोधक बनकर आना पड़ेगा। बाईस वर्ष से हिन्द इस आधारभूत सत्य का प्रयोग कर रहा है। यों तो कांग्रेस अपने जन्म-काल से ही जाने या अनजाने अहिंसा की—वैधानिक मर्यादा में रहकर आंदोलन करने की—राह से चलती आई है और ऐसा होने पर भी दादाभाई और फीरोजशाह जैसे नेता हिन्द को अपनी अंगुली पर नचाते थे—वे विद्रोही थे, कांग्रेस-प्रेमी थे, कांग्रेस के कर्ता-धर्ता थे, तब भी उसके सच्चे सेवक थे, खून-खराबी और छिपे कामों को प्रश्रय देने वाले नहीं थे। आज कांग्रेस में बहुत से रंगे सियार भी हैं, यह मैं मंजूर करता हूँ। सारा देश अहिंसक लड़ाई में ही कूदेगा ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में रही हुई भलाई और विषम अवसरों पर सत्य को परखने और उस पर दृढ़ रहने की उसकी कुदरती शक्ति पर मेरा विश्वास है। पर मेरा विश्वास खोटा भी साबित हो तो भी मैं अपनी राह से विचलित होने वाला नहीं हूँ, डिगने वाला नहीं हूँ। कांग्रेस की राह शुरू से ही शान्ति की रही है। आगे चलकर उसमें स्वराज्य का समावेश हुआ और बाद की पीढ़ियों ने उसमें अहिंसा-असहकार का तत्त्व शामिल कर दिया। दादाभाई ने जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रवेश किया, साल्सवरी ने उन्हें काला आदमी कहा। पर अङ्गरेज-जनता ने दादाभाई को अपनाया—चुना और साल्सवरी हारे। हिन्द खुशी से पागल होगया। पर हिन्द के लिए आज ये सारी बातें पुरानी हो गईं। पर इन सब पिछली भूमिकाओं को ध्यान में रखकर मैं अङ्गरेजों से, यूरोप से और मित्रराष्ट्रों से पूछता हूँ कि वे अपने हृदय पर हाथ रखकर कहें कि हिन्द जो आजादी मांगता है, उसमें कौन-सा गुनाह है? ऐसी कार्रवाइयों और पचास से अधिक वर्ष तक ऐसी सेवाओं के इतिहास वाली संस्था पर अविश्वास करना, उसकी बदनामी करना और अपने हाथ के विशाल साधनों का उपयोग करके दुनिया भर में उसकी शिकायत करना यह क्या शोभा की बात है? आकाश-पाताल एक करके चाहे जैसे रास्ते से, विदेशी अखबारों की मदद लेकर, अमेरिका के प्रेजिडेंट की मदद लेकर, चीनी सेनापति मार्शल चांगकाइशोक की भी मदद लेने के प्रयत्न करके हिन्दुस्तान को भद्दे विकृत रूप में दुनिया में पेश करना क्या उचित है? सेनापति चांग से मैं मिला हूँ। श्रीमती शोक ने हमारे बीच दुभापिया का काम किया। उनकी सहायता से मैंने सेनाधिपति शोक का परिचय पाया और यद्यपि सेनापति को

में पार नहीं पा सका तो भी उन्होंने श्रीमती शेक की मार्फत उनके मन के मुकाब का मुझे परिचय पाने दिया। हमारे मुकाबले में आज सारी दुनिया को खड़ा किया गया है—उभाड़ दिया गया है। सभी अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। कहते हैं कि हम भूल कर रहे हैं। हमारी प्रवृत्ति असमय की है। ब्रिटिश मुत्सद्दीगिरी के लिए मेरे मन में मान था। आज उसकी गन्दगी से मेरा जी अकुला रहा है। पर नौसिखुए अभी भी इसके चरणों में अपना सवक ले रहे हैं। इन तरीकों से ये शायद चार दिन दुनिया के लोकमत को अपने पक्ष में रख सकेंगे। किन्तु हिन्दुस्तान तमाम दुनिया के लोकमत के इस तरह के अघटित सङ्गठन के सामने खड़ा होकर भी आज अपनी पुकार बुलन्द करेगा। सारा हिन्दुस्तान मेरा त्याग करे तो भी मैं दुनिया को सुनाऊँगा—तुम ठोकर खा रहे हो, तुम भूल में हो। हिन्द की आजादी मजबूती से पकड़ रखने वालों के पास से भी हिन्द अहिंसा के बल पर यह आजादी ले लेगा। यह आजादी आने के पहले भले ही मेरी आँखें बन्द हो जायँ, मैं भले ही रुक जाऊँ, पर अहिंसा रुकेगी नहीं। बहुत ज्यादा देरी से लेना वसूल करने के लिए कदमबाशा करने, विनती करने वाले हिन्द की आजादी का विरोध करके चीन और रूस का भी तुम क्या भला कर सकने वाले हो। तुम उनको प्राणघातक धक्का ही लगाओगे। किसी महाजन को देनदार की आजिजी करते जाना है? और उसके सामने ऐसे-ऐसे विरोध-बाधाएं उपस्थित करने पर भी कांग्रेस तो आज विरोधियों को कहती है कि "हम साफ शराफत की लड़ाई लड़ेंगे, पीठ में धाव नहीं करेंगे, हम अहिंसा को अङ्गीकार कर चुके हैं।" ब्रिटिश सरकार को दिक् न करने की कांग्रेस की नीति का प्रचारक मैं खुद ही तो था? तो भी आज यह सख्त भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ हमारी शराफत के लायक ही यह बात है। इसमें अयुक्त—अनुचित ऐसा क्या है? किसी आदमी ने मुझे गर्दन से पकड़ रखा हो और वह मुझे डुबाना चाहता हो तो क्या मैं उसकी पकड़ में से छूटने के लिए उसी क्षण चेष्टा न करूँ? कांग्रेस के निश्चय में अयुक्त अथवा असङ्गत ऐसा कुछ भी नहीं है।

विदेशों के अखबार वाले यहां इकट्ठे हुए हैं। उनकी मारफत दुनिया को और मित्र राष्ट्रों की प्रजाओं को—जिनका कहना है कि हिन्द का साथ उन्हें चाहिए—मैं कहता हूँ कि हिन्द को आजाद जाहिर करके तुम्हारी नीयत सच्ची करके दिखलाने का आज अवसर है। इसे खो दोगे तो जिन्दगी में ऐसी घड़ी आने वाली नहीं है और इतिहास इस बात को अंकित करेगा कि तुमने अवसर पर अपना फर्ज अदा न करके सब कुछ खो दिया। तुम्हारी मार्फत मैं दुनिया का

आशीर्वाद मांगता हूँ कि मैं विरोधियों को मनाने में सफल बनूँ। मित्ररोष्ट्रों की जनता से मुझे उनका खुला फर्ज अदा करने के बाद और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। अहिंसा अथवा शस्त्र-संन्यास करने को मैं उन्हें नहीं कहता। फासिज्म और उन लोगों के साम्राज्यवाद, जिसके सामने मैं लड़ रहा हूँ, दोनों के बीच भी मौलिक भेद रहा हुआ है। ब्रिटिश सल्तनत को अभी हिन्दुस्तान से जैसा चाहिये, वैसा क्या मिल रहा है? मिल रहा है, वह तो गुलाम से मिल रहा है। हिन्दू आजाद दोस्त के रूप में साथ दे तो कितना फर्क पड़े, इसका विचार करके देख लो। आजादी यदि उसे मिलने वाली हो तो वह आज ही आनी चाहिए। ऐसा होने में तुम मदद कर सकते हो। ऐसा होने पर भी मदद न करो तो बाद में आजादी मिले, उसमें स्वाद नहीं रहेगा। आज करो तो इस आजादी के चमत्कार से जो बात अशक्य लगती है, वह कल शक्य हो जायगी। हिन्दू मुक्त होगा तो चीन को मुक्ति दिलाएगा, रशिया की मदद को दौड़ेगा। बर्मा-मलाया में अंग्रेजों ने तो प्राण विछाये नहीं थे, हिन्दुस्तानियों की ही शक्तियों का नाश किया। किस तरह से विगड़ी बाजी सुधारी जा सकती है, इस पर विचार कर लो। मैं कहाँ जाऊँ—चाँलीस करोड़ को कहाँ ले जाऊँ? आजादी के स्पर्श बिना करोड़ों की जनता को दुनिया की मुक्ति के यज्ञ में दिल से भाग लेने की और क्या कोई रीति हो सकती है? आज तो जनता के प्राण शोषित हो गये हैं—पीस दिये गये हैं, उनकी निस्तेज आँखों में तेज लाना हो तो आजादी कल नहीं, आज ही आनी चाहिए। इसी से मैंने आज कांग्रेस से यह बाजी लगवाई है, या तो कांग्रेस देश को आजाद करेगी अथवा खुद फना हो जायगी। 'करेंगे या मरेंगे।'

गांधीजी के इस स्फूर्तिदायक एवं प्रेरणाप्रद भाषण ने देश को इस कोने से उस कोने तक हिला दिया। उससे संघर्ष की भूमिका और भी दृढ़ हो गई, जो पिछले कुछ समय से देश में तैयार हो रही थी। इसलिए जब सरकार ने ९ अगस्त को सुबह नेताओं की सामूहिक गिरफ्तारी करके कांग्रेस पर प्रहार किया, तो देश का वच्चा-वच्चा 'करेंगे या मरेंगे' की भावना से प्रेरित हो उठा। स्वतंत्रता का संघर्ष शुरू हो गया और उसमें देश ने कितना औरदपूर्ण हिस्सा लिया, यह हम अगले अध्यायों में बताने का प्रयास करेंगे।

सप्रेम भेंट श्रीमती मायादेवी

पति स्व० श्री राम स्वरूप धीमान्

: ४ :

बम्बई प्रान्त आग की लपटों में

अब हम भारत के विभिन्न प्रान्तों एवं रियासतों में आन्दोलन जिस कार चला, उसका कुछ खुलासा वर्णन देने का प्रयत्न करेंगे। सर्व प्रथम हम बम्बई को ही लेंते हैं। यह वह स्थान है जहाँ अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी का महत्त्वपूर्ण इतिहास-प्रसिद्ध अधिवेशन हुआ था, यह वह जगह है जहाँ राष्ट्र प्रिय नेतागण राष्ट्र से छीनकर जेल के सीखचों में बन्द कर दिये गये थे, यह वह नगर है जहाँ गवालिया मैदान में एकत्रित स्वतंत्रता के सिपाहियों (जिनमें अधिक संख्या महिला स्वयंसेविकाओं की थी) तथा उत्तेजित जनता ने ब्रिटिश सरकार ने सर्व प्रथम अपनी गोलियों का लक्ष्य बनाया था।

बम्बई एक प्रसिद्ध नगर है। यह एक द्वीप पर बसा हुआ है तथा आशा और भव्य बन्दरगाह एवं जहाजी गोदियों से युक्त है। यह बड़ी तीव्र गति से कलकत्ता को व्यापारिक क्षेत्र में पछाड़ रहा है। यह ऐसे महत्त्वपूर्ण स्थान पर स्थित है, जहाँ से यह पूर्वीय देशों के व्यापार का केन्द्र बन सकता है। रुई के व्यापार के लिए तो यह संसार का एक प्रधान केन्द्र है ही। इसमें सभी वर्गों के लोग रहते हैं तथा इसके मुख्य-मुख्य उद्योग पारसियों के हैं। पारसी लोग बहुत उन्नतिशील हैं। ये सदा से ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता समर्थक रहे हैं। यों तो ये भारत के प्रायः सभी हिस्सों में थोड़ी-बहुत संख्या बसे हुए हैं, किन्तु बम्बई शहर में इनका आधिक्य है। ये प्राचीन भारत की उस जाति की संतान हैं जो अग्नि देवता की उपासक थीं। अतएव स्वभावतः इनमें अपने पूर्वजों की भाँति स्वतंत्रता एवं न्याय के लिए तीव्र अनुराग तथा विश्वास है। इन्हीं कारणों से जब-जब भारतीय स्वतंत्रता का आन्दोलन छिड़ा है, बम्बई नगर सर्वदा सबसे आगे रहा है। इसकी बनावट ब्रिटिश नगरों से अधिक आकर्षक लती-जुलती है, जिससे यह एक अन्तराष्ट्रीय स्थान बन गया है। इसका आकार बहुत विस्तृत होते हुए भी यह अन्य नगरों की अपेक्षा अधिक साफ-सुथरा है। शिक्षा, कला, विज्ञान, उद्योग तथा व्यापार का यह मुख्य केन्द्र है।

भारत के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध व्यापारीगण इसी नगर में हैं, तथा उन पर महात्मा गान्धी एवं कांग्रेस का बहुत प्रभाव है। भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में जब-जब रूपए की आवश्यकता पड़ी है, इन्होंने खुले हाथों सहायता दी है। अतएव हम यह कह सकते हैं कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को पुष्ट करने में बड़ी मदद की है। यहां के तथा इस प्रान्त के मजदूरों पर महात्मा गान्धी के प्रयत्नों का बहुत असर पड़ा है। वे सब आपस में एक सुव्यवस्थित संगठन के सूत्र में गुंथे हुए हैं तथा उनके व्यवसाय-संघ काफी हद तक राष्ट्रीय हैं और जब-जब भारतीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता का युद्ध छोड़ा है, तब-तब इन संघों ने अपनी एक सुदृढ़ फौज तैयार करके मैदान में लाकर खड़ी कर दी है। बम्बई शहर की उन्नति का श्रीगणेश अमेरिका के गृह-युद्ध से ही समझना चाहिए, जब कि इसे अपने रुई के व्यवसाय को बढ़ाने का अच्छा अवसर मिला था। इस समय करीब ग्यारह लाख इकसठ हजार नर-नारी इसमें रहते हैं।

बम्बई प्रान्त का दूसरा नाम पश्चिमी प्रेसीडेन्सी है। इसके अन्तर्गत २६ ब्रिटिश जिले तथा १६ इधर-उधर बिखरी हुई रियासतें हैं। यह भू-भाग समतल और उपजाऊ है तथा इसके उत्तरी भाग में नर्मदा नदी बहती है। इसका दक्षिणी हिस्सा पठारी है। उत्तरी भाग में, जो अधिक उपजाऊ है, रुई, अफीम और गेहूँ मुख्यतया उत्पन्न होते हैं। दक्षिणी हिस्से में लोहे की खानें हैं, किन्तु कोयले का अभाव है। इस कारण इस प्रान्त को बिहार आदि प्रदेशों से, जहां कोयले की खानें हैं, अपना सम्बन्ध बनाये रखना पड़ता है। किनारे एवं मैदानी भाग का जलवायु उष्ण एवं नम है, किन्तु पठारी प्रदेश बहुत सुहावना है। यहां के सुहावने एवं स्वास्थ्य-वर्द्धक जलवायु, के कारण भारत के भिन्न-भिन्न भागों के लोग स्वास्थ्य-लाभ के लिए इस प्रान्त में आते हैं। इस कारण यहां कई प्रसिद्ध आरोग्य-मन्दिर बने हुए हैं। यहां सभा-संस्थाओं के जत्से भी प्रायः होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप यह प्रदेश भारत का एक बहुत उन्नत तथा जाग्रत भाग बन गया है। इस प्रदेश में रुई के व्यवसाय ने बेहद उन्नति की है तथा यहां से रुई, कपड़ा, चीनी, चाय, ऊन आदि विदेशों को भेजे जाते हैं। इस प्रान्त की जन-संख्या करीब एक करोड़ अस्सी लाख है तथा इसका क्षेत्रफल ७७,२२१ वर्ग मील है।

सम्पूर्ण बम्बई प्रान्त में तथा खासकर बम्बई शहर में कांग्रेस का बहुत अधिक जोर है। यहां के राष्ट्रीय सिपाही बहुत उत्साही तथा मजबूत हैं और राष्ट्रीय भावनायें उनके हृदयों में बड़ी मजबूती से धर कर चुकी हैं। जब ९ अगस्त को अंग्रेजी सरकार ने यकायक राष्ट्र पर हमला बोल दिया, तो इस प्रान्त ने

अंग्रेजी साम्राज्यवाद का साहसपूर्ण मुकाबला किया और उसे मुंह-तोड़ उत्तर दिया। नेताओं को जेल में ठूस दिये जाने के बाद भी बम्बई प्रान्त ने ही जनता को आन्दोलन जारी रखने के लिए सलाह, नेतृत्व तथा सामग्री प्रदान की थी। इस प्रकार बम्बई ने स्वतंत्रता के आन्दोलन का मुख्य मोर्चा बनने का गौरव प्राप्त किया।

९ अगस्त का दिन बम्बई में अपनी विशेषता लिये हुए आया। ८ अगस्त की रात को चारों ओर बादल छाए हुए दिखाई देते थे और किसी भयंकर तूफान की आशा की जाती थी। तूफान आया अवश्य, किन्तु वह था राजनैतिक, जिसके वेग में करोड़ों हिन्दुस्तानी आशा, उत्साह, तड़प, कसक व भुंभुलाहट से उठे। यह तूफान बम्बई तक ही सीमित न रहकर सारे हिन्दुस्तान में विजली की भांति फैला। रात में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अवि-वेशन के पश्चात् में कमेटी के कुछ सदस्यों तथा अन्य साथियों के साथ अपने डेरे पर लौटा। हम लोग रात को एक अजीब प्रकार के मिश्रित विचारों को लेकर सोए। अब क्या होगा? हमें क्या करना होगा? गान्धीजी क्या प्रोग्राम देंगे? आन्दोलन किस प्रकार चलेगा? इसी प्रकार के विषयों पर हम लोग काफी देर तक आपस में बातचीत करते रहे। सुबह गान्धीजी ने हर प्रान्त के १०-१२ प्रमुख कार्यकर्ताओं को अपने विचार एवं प्रोग्राम देने को बुलाया था। मैं भी उनमें से एक था और इस प्रकार मेरे हृदय में भी तरह-तरह की कल्पनाएं पैदा हो रही थीं। यकायक सबेरे चार बजे अखबार बेचने वालों ने आवाज दी, "कांग्रेस नेता गिरफ्तार कर लिये गये।" हम लोग सब-के-सब अवाक हो उठे एक-दूसरे की ओर देखने लगे। हम सभी की स्थिति किंकर्तव्य विमूढ़-सी हो गई। सबने यही निश्चय किया कि विड़ला हाउस चले और अपने अन्य साथियों से मिलें। पर सबेरे ७ बजे न कोई सवारी थी और न कोई अन्य साधन। चारों ओर आश्चर्य-चकित एवं क्रोधित लोगों के गिरोह दिखाई देते थे। सब एक दूसरे से यही पूछ रहे थे कि अब क्या होगा, हमें अब क्या करना है? सबके हृदय में 'करो या मरो' का मन्त्र अपना कार्य कर रहा था।

६ अगस्त के घुंघले प्रभात का जिसमें भारत की आजादी की लड़ाई ने सहसा एक नए मोड़ पर कदम रखा था, सदैव ही अपना एक विशेष स्थान रहेगा।

६ अगस्त को सुबह ८ बजे गवालिया मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की परेड हुई थी। लेकिन उस समय तक सारे बम्बई ही क्या देश भर

में यह खबर फैल चुकी थी कि कांग्रेस नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। चारों तरफ से लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे, अतएव सब गवालियाँ मैदान में इकट्ठे हुए। स्वयंसेवकों के अतिरिक्त देश-सेविकाएं भी अपना केशरिया बाना पहने हुए कतारों में आ-आकर इकट्ठी हो रही थीं, किन्तु जन-समूह के आने से पहले ही गवालिया मैदान पर पुलिस का कब्जा हो चुका था। फिर भी एक कार बड़ी होशियारी के साथ उस मैदान के बीच अपने रास्ते को चीरती हुई आगे बढ़ी और झण्डे के पोल के पास तक पहुंची। उसमें श्री भूलाभाई के सुपुत्र बैठे हुए थे। दक्षिण भारत के कुछ थोड़े से कांग्रेसी भी बीच तक पहुंच गये। उन्होंने झंडे को पोल के कुछ गज के फासले से सलामी दी।

फौरन ही एक यूरोपियन सारजेण्ट उनके पास पहुंचा और उन्हें बताया कि गवालिया मैदान पर पुलिस का कब्जा है। स्वयंसेवकों तथा अन्य लोगों को वहां पहले से अलग कर दिया जाय, वरना उनके विरुद्ध अश्रु गैस का प्रयोग होगा। श्रीयुत् ए० नीलकान्त ऐयर, जो कोचीन प्रजा-मण्डल के प्रधान थे, ने कहा, "मैं इस उत्सव का इंचार्ज नहीं हूँ। अतः अच्छा हो यदि आप उक्त सज्जन को यह बात बताएं" और यह कहकर श्रीयुत् ऐयर ने श्रीमती अरुणा आसफअली को सर्जन के हुक्म की इत्तिला दी और कहा कि लड़के और लड़कियाँ, जो गवालिया मैदान में अपनी-अपनी जगह खड़े हैं, अच्छा हो आने वाले खतरे से बाहर निकल जायं। इस पर वे बाहर चले गये। अरुणा आसफअली ने बोलना प्रारम्भ किया। इसी बीच पुलिस ने अपने खौफनाक व मनहूस गैस टोपों को अपनी गाड़ियों से निकाल लिया और गैस-बक्सों को अपने हाथों में ले लिया। अफसरों ने एक बार फिर चेतावनी दी कि लोग मैदान से निकल जायं। पर कोई भी अपने स्थान से न हिला। अरुणा आसफअली का भाषण खतम हो चुका था। राष्ट्रीय झण्डा ऊपर चढ़कर हवा में फहराने लगा था। पुलिस के लिए यह बात असहनीय थी। उसने स्वयंसेवकों के गिरोह पर, जो मैदान में था, गैस छोड़ दी। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद पर पर्लहार्वर जैसा आक्रमण प्रारम्भ हुआ। स्वयंसेवक तथा अन्य लोग ज़मीन पर लेट गये और दो मिनट के पश्चात् सारा समूह फिर उठ खड़ा हुआ। पुलिस का दूसरा आक्रमण शुरू हुआ और वह भी विफल रहा। इस प्रकार लगभग ६ हमलों के बाद पुलिस ने अपनी युक्तियों को बदल दिया। अश्रु-गैस को छोड़कर अब उन्होंने लाठी-प्रहार का आसरा लिया। कुछ स्वयंसेवक नेता पुलिस की हिरासत में ले लिये गये और

इस प्रकार लाठियों के प्रहारों से जनता तितर-बितर होने लगी। श्रीयुत ऐयर पर, जो अश्रु-गैस के प्रभावों से अपनी जलती हुई आँखें पोंछ रहे थे, लाठियों के प्रहार प्रारम्भ हुए। श्रीमती मृदुला बहन या मणि बहन पटेल ने, जो वहाँ पर थीं, तेज प्रहारों को सहा और मिस्टर ऐयर से अपने प्रान्त में लौटकर कांग्रेस का पैगाम देने के लिए कहा। इस प्रकार कुछ देर राष्ट्रीय झंडा फहराता रहा और अन्त में उस ब्रिटिश अफसर ने उसे खींचकर नीचे उतार लिया।

पूर्व निश्चयानुसार शाम को शिवाजी पार्क में गान्धीजी तथा अन्य नेता बोलने वाले थे। यहाँ पर भी सैनिक पुलिस ने अपना आधिपत्य जमाने का विफल प्रयत्न किया। चौराहों और शिवाजी पार्क को जाने वाले रास्ते पर पुलिस-शक्ति का गहरा प्रदर्शन था, ताकि लोग डरकर वहाँ न जायें। फिर भी लगभग २ लाख आदमी चारों ओर से इस पार्क में इकट्ठा होगये। वहाँ जन समूह समुद्र की भाँति उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। यद्यपि बोलने वाले नेता न थे, पर कितने ही नेता जनता में से आकर बोल रहे थे। कस्तूरबा वहाँ पर आने वाली थीं, पर वह पहले ही पकड़ ली गईं। इस समूह पर चारों ओर से लाठी-प्रहार तथा अश्रु-गैस के आक्रमण हो रहे थे, पर लोम दृढ़ता और खुशी के साथ इन वारों का मुकाबला कर रहे थे। पार्क के अतिरिक्त चारों ओर के मकानों की ऊपर की मंजिलों में अनगिनत जनता खड़ी हुई थी और कपड़े, रुमाल व तौलिये भिगो-भिगोकर जनता के उस विशाल समूह के बीच फेंक रही थी, ताकि वह सफलता से अश्रु गैस का मुकाबला कर सके। वह अभूतपूर्व संघर्ष था। ब्रिटिश नौकरशाह अश्रु-गैस द्वारा जनता को भगाना चाहती थी। जनता अश्रु-गैस पर काबू कर विरोध प्रदर्शन करना चाहती थी। इस प्रकार ९ अगस्त को बम्बई में जगह-जगह लाठी-प्रहार किये जाने व गोलियां बरसाये जाने की खबरें मिलीं। लगभग १५ जगह पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं और सरकारी आंकड़ों के अनुसार ८ आदमी मरे और १६९ आदमी गोलियों से जखमी हुए।

इस प्रकार ९ अगस्त से बम्बई ने पूरे अगस्त मास तक यह न जाना कि शान्ति से बैठना कंसा होता है? सड़कों पर चारों ओर पत्थर, छोटे-मोटे पेड़ व अन्य रुकावटों के साधन पड़े हुए थे। दीवारों पर, चौराहों पर, जमीन पर, यहाँ तक कि हर जगह गान्धी जी का 'करो या मरो' का आदेश लिखा हुआ था।

शहर में हड़ताल थी और कालेजों में भी। आधी से अधिक मिलें बन्द थीं और सरकारी रेलवे कारखाने भी बन्द करने पड़े थे। उत्साही नवयुवक जिस मोटर व ट्राम को देखते थे, जला देते थे। इस प्रकार कई दिनों तक

बम्बई में ट्रामें बन्द रहीं। पुलिस-स्टेशन तथा अन्य सरकारी इमारतों पर सामूहिक आक्रमण हुए। टेलीग्राफ के तार काटे गये। इतना ही नहीं, कितनी ही जगह रेल की पटरियों को उखाड़कर अस्त-व्यस्त करने के भी प्रयत्न किये गये। कहीं-कहीं तो स्टेशन जला दिये गये। सारांश यह कि जिस प्रकार से भी जनता अपना विरोध-प्रदर्शन कर सकती थी, वह सब उसने किया।

१० अगस्त को १० जगह पुलिस ने गोलियां चलाई और ५ जगह फौज को गोलियां चलानी पड़ीं। लाठी-चार्ज और अश्रु-गैस के प्रहारों की तो गिनती ही न थी। सरकारी आंकड़ों ने बताया कि १६ आदमी मरे और ११४ घायल हुए। १० अगस्त को सरकारी बयान द्वारा बताया गया कि सोमवार के दिन चारों ओर विरोध-प्रदर्शन हुआ और गिरगांव और दादर में विशेष प्रकार के कांड हुए। दोपहर में वी० बी० सी० आई० रेलवे के दादर स्टेशन पर आग लगाने का प्रयत्न किया गया, जिसे पुलिस ने रोक लिया। ६ पुलिस-स्टेशनों पर आग लगाई गई, जिनमें से २ जलकर भस्म हो गये। कुछ टेलीग्राफ के तार व पोस्ट बक्सों को तोड़ा-फोड़ा गया और एक ट्राम और एक म्युनिसिपल लारी में आग लगाई गई। फोर्ट एरिया में भी बहुत-सी जगह छोटी-छोटी सड़कों व गलियों में पत्थर व ईंटें व अन्य गन्दा सामान इकट्ठा करके रास्तों को बिल्कुल रोक दिया गया। ज्यों ही पुलिस ने इस सब सामान को उठाकर रास्तों को साफ किया, जनता ने उसमें फिर वैसा सामान लाकर रख दिया। इतना ही नहीं, कुछ जगह प्रदर्शन-कर्त्ताओं ने मजदूरों की बस्तियों में जाकर उन्हें काम पर न जाने की प्रेरणा भी दी।

११ अगस्त को बम्बई सरकार ने जनता के उभरते हुए क्रोध-प्रदर्शन तथा उसकी भावना को कुचलने के लिए कोड़ेमार कानून का उपयोग किया। उधर सारे शहर के विभिन्न स्थानों में अंग्रेजी हैट, टाई व यूरोपियन पोशाक का सामूहिक रूप से चौराहों पर जलाने का सिलसिला प्रारम्भ हुआ। उस दिन भी पहले रोज की तरह पुलिस ने दो जगह गोलियां चलाईं। उस दिन प्रायः सारे शहर में बस सविस तथा मोटरों का आवागमन बन्द रहा। इतना ही नहीं, जी० आई० पी० और वी० बी० सी० आई० रेलवे की लाइनों को कई जगह से उखाड़ा गया और माटुंगा रेलवे स्टेशन पर जनता ने सामूहिक आक्रमण कर उसमें आग लगा दी और सिगनल इत्यादि सब चीजों को तोड़ डाला। परेल की ओर भी प्रदर्शन हुआ। स्कूल और कालेज बन्द रहे। बम्बई सिटी कारपोरेशन ने अपने मेयर की गिरफ्तारी के विरोध में अपनी बैठक स्थगित कर दी। उन्मादित जनता चारों ओर रेल, तार, डाकघानों, पुलिस-

चौकियों, रेलवे स्टेशनों पर आक्रमण करने व उन्हें जलाने लगी। लगभग १० बार से ज्यादा पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं।

१२ अगस्त को भी यही हाल रहा।

१३ अगस्त को अंधेरी और विले पारले में डाकखाने जलाये गये। तार भी उखाड़े गये। इस प्रकार सारे इलाके में अन्धेर छा गया। सिडनम कालेज के विद्यार्थियों ने भी विरोध-प्रदर्शन किये और शहर के प्रायः सारे ही स्ट्राइक एक्सचेंज बन्द रहे और मंगलदास बाजार तथा इस इलाके के अन्य सारे बाजारों में हड़ताल रही। इस रोज़ तोड़-फोड़ का भी कितना ही काम हुआ। १३ तारीख तक बम्बई में लगभग १००० के करीब कार्यकर्ता पकड़ लिये गये। इस रोज़ सरकारी कथनानुसार ३ बार गोली चली और ३ आदमी मरे तथा ४२ ज़ख्मी हुए।

१४ अगस्त को कालवादेवी में तथा कुछ अन्य जगहों पर प्रदर्शन हुआ। स्ट्राइक एक्सचेंज, रुई, सोना चांदी व कपड़े के बाजार पूर्णतः बन्द रहे। ५० आदमी पकड़े गये। २५ प्रमुख व्यापारी भी पकड़े गये। पुलिस ने कई बार गोलियां चलाईं और २ आदमी मरे।

इस प्रकार अगस्त मास में हर रोज़ किसी-न-किसी इलाके में विरोध-प्रदर्शन होता रहा। बाजारों में हड़तालें रहीं, तार काटे गये, आवागमन के रास्तों को अस्त-व्यस्त करने का प्रयत्न किया गया। आन्दोलन का यह रूप प्रायः सारे ही अगस्त मास तक रहा। सारे शहर में कर्फ्यू था। पुलिस को सख्त हिदायत थी कि तोड़-फोड़ करने वाले को फौरन गोली मार दी जाय।

अगस्त के तीसरे सप्ताह से यद्यपि जाहिरा तौर पर बाजार कहीं-कहीं पर खुले पाये जाते थे, पर उनमें किसी प्रकार का भी व्यापार न होता था। सरकारी दमन-नीति के विरोध में कितनी ही म्युनिसिपैलिटियों से प्रमुख लोग इस्तीफे दे रहे थे। उधर सरकार भी अपने दमन के साधनों को उग्र रूप दे रही थी। हड़ताल करने वालों को घमकी दी गई थी कि उनकी दुकानों के ताले तोड़ दिये जायंगे। मिलों पर सरकारी कब्जा कर लिया जायगा। स्वभावतः इस उग्र दमन के कारण आन्दोलन का बाह्य रूप दिनों-दिन कुछ घटता हुआ-सा दिखाई देने लगा। किन्तु अब बाह्य-प्रदर्शन के बजाय आन्दोलन को अधिक लम्बे समय तक चलाने के लिए एक सुदृढ़ संगठन बनाने के सक्षम दिखाई देने लगे थे। शक्ति का ठीक तरीके से प्रयोग करने के लिए उस समय के नये नेताओं ने अपने ही प्रोग्राम बनाये। उन्होंने निश्चित किये और तय किया कि उन दिनों कोई-न-कोई स...

बम्बई में ट्रामें बन्द रहीं। पुलिस-स्टेशन तथा अन्य सरकारी इमारतों पर सामूहिक आक्रमण हुए। टेलीग्राफ के तार काटे गये। इतना ही नहीं, कितनी ही जगह रेल की पटरियों को उखाड़कर अस्त-व्यस्त करने के भी प्रयत्न किये गये। कहीं-कहीं तो स्टेशन जला दिये गये। सारांश यह कि जिस प्रकार से भी जनता अपना विरोध-प्रदर्शन कर सकती थी, वह सब उसने किया।

१० अगस्त को १० जगह पुलिस ने गोलियां चलाई और ५ जगह फौज को गोलियां चलानी पड़ीं। लाठी-चार्ज और अश्रु-गैस के प्रहारों की तो गिनती ही न थी। सरकारी आंकड़ों ने बताया कि १६ आदमी मरे और ११४ घायल हुए। १० अगस्त को सरकारी वयान द्वारा बताया गया कि सोमवार के दिन चारों ओर विरोध-प्रदर्शन हुआ और गिरगांव और दादर में विशेष प्रकार के कांड हुए। दोपहर में वी० वी० सी० आई० रेलवे के दादर स्टेशन पर आग लगाने का प्रयत्न किया गया, जिसे पुलिस ने रोक लिया। ६ पुलिस-स्टेशनों पर आग लगाई गई, जिनमें से २ जलकर भस्म हो गये। कुछ टेलीग्राफ के तार व पोस्ट बक्सों को तोड़ा-फोड़ा गया और एक ट्राम और एक म्युनिसिपल लारी में आग लगाई गई। फोर्ट एरिया में भी बहुत-सी जगह छोटी-छोटी सड़कों व गलियों में पत्थर व ईंटें व अन्य गन्दा सामान इकट्ठा करके रास्तों को विल्कुल रोक दिया गया। ज्यों ही पुलिस ने इस सब सामान को उठाकर रास्तों को साफ किया, जनता ने उसमें फिर वैसा सामान लाकर रख दिया। इतना ही नहीं, कुछ जगह प्रदर्शन-कर्त्ताओं ने मजदूरों की बस्तियों में जाकर उन्हें काम पर न जाने की प्रेरणा भी दी।

११ अगस्त को बम्बई सरकार ने जनता के उभरते हुए क्रोध-प्रदर्शन तथा उसकी भावना को कुचलने के लिए कोड़ेमार कानून का उपयोग किया। उधर सारे शहर के विभिन्न स्थानों में अंग्रेजी हेट, टाई व यूरोपियन पोशाक का सामूहिक रूप से चौराहों पर जलाने का सिलसिला प्रारम्भ हुआ। उस दिन भी पहले रोज की तरह पुलिस ने दो जगह गोलियां चलाईं। उस दिन प्रायः सारे शहर में बस सविस तथा मोटरों का आवागमन बन्द रहा। इतना ही नहीं, जी० आई० पी० और वी० वी० सी० आई० रेलवे की लाइनों को कई जगह से उखाड़ा गया और माटुंगा रेलवे स्टेशन पर जनता ने सामूहिक आक्रमण कर उसमें आग लगा दी और सिगनल इत्यादि सब चीजों को तोड़ डाला। परेल की ओर भी प्रदर्शन हुआ। स्कूल और कालेज बन्द रहे। बम्बई सिटी कारपोरेशन ने अपने मेयर की गिरफ्तारी के विरोध में अपनी बैठक स्थगित कर दी। उन्मादित जनता चारों ओर रेल, तार, डाकखानों, पुलिस-

चौकियों, रेलवे स्टेशनों पर आक्रमण करने व उन्हें जलाने लगी। लगभग १० बार से ज्यादा पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं।

१२ अगस्त को भी यही हाल रहा।

१३ अगस्त को अंधेरी और विले पारले में डाकखाने जलाये गये। तार भी उखाड़े गये। इस प्रकार सारे इलाके में अन्धेर छा गया। सिडनम कालेज के विद्यार्थियों ने भी विरोध-प्रदर्शन किये और शहर के प्रायः सारे ही स्टॉक एक्सचेंज बन्द रहे और मंगलदास बाजार तथा इस इलाके के अन्य सारे बाजारों में हड़ताल रही। इस रोज़ तोड़-फोड़ का भी कितना ही काम हुआ। १३ तारीख तक बम्बई में लगभग १००० के करीब कार्यकर्ता पकड़ लिये गये। इस रोज़ सरकारी कथनानुसार ३ बार गोली चली और ३ आदमी मरे तथा ४२ ज़ख्मी हुए।

१४ अगस्त को कालवादेवी में तथा कुछ अन्य जगहों पर प्रदर्शन हुआ। स्टॉक एक्सचेंज, रुई, सोना चांदी व कपड़े के बाजार पूर्णतः बन्द रहे। ५० आदमी पकड़े गये। २५ प्रमुख व्यापारी भी पकड़े गये। पुलिस ने कई बार गोलियां चलाईं और २ आदमी मरे।

इस प्रकार अगस्त मास में हर रोज़ किसी-न-किसी इलाके में विरोध-प्रदर्शन होता रहा। बाजारों में हड़तालें रहीं, तार काटे गये, आवागमन के रास्तों को अस्त-व्यस्त करने का प्रयत्न किया गया। आन्दोलन का यह रूप प्रायः सारे ही अगस्त मास तक रहा। सारे शहर में कर्फ्यू था। पुलिस को सख्त हिदायत थी कि तोड़-फोड़ करने वाले को फौरन गोली मार दी जाय।

अगस्त के तीसरे सप्ताह से यद्यपि जाहिरा तौर पर बाजार कहीं-कहीं पर खुले पाये जाते थे, पर उनमें किसी प्रकार का भी व्यापार न होता था। सरकारी दमन-नीति के विरोध में कितनी ही म्युनिसिपैलिटियों से प्रमुख लोग इस्तीफे दे रहे थे। उधर सरकार भी अपने दमन के साधनों को उग्र रूप दे रही थी। हड़ताल करने वालों को धमकी दी गई थी कि उनकी दुकानों के ताले तोड़ दिये जायेंगे। मिलों पर सरकारी कब्जा कर लिया जायगा। स्वभावतः इस उग्र दमन के कारण आन्दोलन का बाह्य रूप दिनों-दिन कुछ घटता हुआ-सा दिखाई देने लगा। किन्तु अब बाह्य-प्रदर्शन के बजाय आन्दोलन को अधिक लम्बे समय तक चलाने के लिए एक सुदृढ़ संगठन बनाने के सखण दिखाई देने लगे थे। शक्ति का ठीक तरीके से प्रयोग करने के लिए उस समय के नये नेताओं ने अपने ही प्रोग्राम बनाये। उन्होंने कुछ दिन निश्चित किये और तय किया कि उन दिनों कोई-न-कोई सामूहिक प्रदर्शन अवश्य किया

जाय । साथ ही उन्होंने अपना एक गुप्त संगठन भी बना लिया । प्रारम्भ में महीने में ऐसे तीन दिन निश्चित किये गये । यह थे ९ तारीख १५ तारीख और हर महीने का आखिरी इतवार । इन दिनों भंडा सलामी की जाती थी, जुलूस निकाले जाते थे और सभायें की जाती थीं । इन दिनों के अतिरिक्त स्वतंत्रता-दिवस, तिलक-दिवस, राष्ट्रीय-सप्ताह, गान्धी-जयंती आदि समारोह भी मनाये जाते थे ।

आन्दोलन का यह रूप सन् १९४४ के फरवरी मास तक रहा । सितम्बर मास में वम्बई में कालेज खुले । लेकिन सैकड़ों विद्यार्थियों ने विरोध-प्रदर्शन किया और कालेज पर धरना दिया । इस सिलसिले में एल्फिस्टन कालेज की ५ लड़कियां और कुछ लड़के पहली सितम्बर को गिरफ्तार हुए ।

वम्बई प्रान्त में दो साल में लगभग ५० हजार आदमी विभिन्न अभियोगों में पकड़े गये । इनमें से लगभग एक हजार ऐसे लोग थे जो दो माह के बाद छोड़ दिये गये । साढ़े चार सौ से ५ सौ तक लोगों को ६ सप्ताह से लेकर ५ साल तक की सजायें हुईं । इनमें से भंडा फहराने वालों तक को कई जगह २॥ साल की सजाएं हुईं । रेडियो वाले विख्यात केस में एक कांग्रेसी को ५ साल और एक स्वयंसेवक को ४ साल की सजा हुई । लोग निम्नलिखित अभियोगों में पकड़े गये:—

१. किसी गैर कानूनी संस्था के मेम्बर होने पर ।
२. किसी प्रदर्शन में शरीक होने पर ।
३. हड़ताल करने व सभायें करने के अभियोग में ।
४. दूकानों पर धरना देने और दूकानदारों की हड़ताल कराने पर ।
५. आपत्तिजनक पत्रें बांटने, छापने और पोस रखने के अभियोग में ।
६. सरकार विरोधी नारे लगाने या दीवारों व सड़कों पर लिखने के अभियोग में ।
७. मजदूरों की हड़ताल करवाने या उसमें मदद देने पर ।
८. ढेले व सोडावाटर की बोतलें फेंकने के अभियोगों में ।
९. तोड़-फोड़ सम्बन्धी कार्यों, जैसे तारों को काटने, ढेले फेंकने, रेल की पटरियों को अस्त-व्यस्त करने और विस्फोटक पदार्थ रखने के अभियोग में ।
१०. डाक, तार, रेडियो इत्यादि के नियमों की अवहेलना करने पर ।
११. कपयू आर्डर तोड़ने तथा गैर-कानूनी शस्त्र रखने के अभियोग में ।
१२. किसी भागे हुए अभियुक्त को पनाह देने पर ।

१३. सरकार विरोधी अन्य कोई कार्य करने पर ।

बम्बई में पहला बम सन् १९४२ के आखिरी सितम्बर में फटा । फिर उसके बाद तो बमों के फटने का एक तांता-सा लग गया । अन्त में सन् १९४३ के फरवरी मास में गांधीजी के उपवास के समय उनकी गति धीमी हुई ।

३ अक्टूबर सन् १९४२ को पजगांव कोर्ट के अहाते में एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे वहां की इमारतें जलकर राख हो गईं ।

१८ अक्टूबर सन् १९४२ को फिर एक भयंकर विस्फोट हुआ जिसके कारण अरगेली रोड पर 'टाइम्स आफ इंडिया' अखबार का गोदाम जल गया । इसमें लगभग दो लाख रुपये की हानि हुई । पुलिस ने इस सम्बन्ध में बहुत से लोगों को पकड़ लिया, उनमें से कुछ छूट गये और कुछ पर मुकदमे चले । लेकिन अन्त में सभी मजिस्ट्रेट के यहां से बरी हुए । जिन्हें मजिस्ट्रेट की अदालत से सजा भी मिली, वे हाईकोर्ट से बरी हो गये । पर पुलिस ने इन सब लोगों को किसी-न-किसी मौके पर पकड़ लिया । इन लोगों के साथ जो बर्ताव किया गया, वह बड़ा ही बर्बर था । इनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के हृदय विदारक तरीके अपनाये गये । कुछ लोग मार-पीट से बचने के लिए सरकारी गवाह भी होगये । इसी सम्बन्ध में वरली जेल में दो बार लाठी-चाज भी हुआ ।

तोड़-फोड़ के मुख्य प्रयत्न अगस्त के पहले सप्ताह में खुले रूप से हुए, जब कि सैकड़ों की तादाद में लोग उनमें भाग ले रहे थे । पर पुलिस के दमन-चक्र के सामने यह सामूहिक रूप न ठहर सका और इसलिए सितम्बर के अन्त से उसने गुप्त रूप धारण कर लिया ।

बम्बई ने हर आन्दोलन में कुछ-न-कुछ नवीनता प्रस्तुत की । पिछले आन्दोलनों में बम्बई ने आर्थिक सहायता के अलावा सारे देश के आन्दोलनों को नये विचार दिये । इस खुले विद्रोह में भी बम्बई ने—वावजूद कितनी ही पाबन्दियों के—कुछ नई बातें कीं । उनमें एक यह थी कि रेडियो द्वारा सारे हिन्दुस्तान में आन्दोलन सम्बन्धी खबरें भेजी जाती थीं । इस काल में रेडियो ब्राडकास्टिंग के सामान को इकट्ठा करने और उसे सुचारु रूप से चलाने के लिए महान संगठन की जरूरत थी । पुलिस ने इस ब्राडकास्टिंग स्टेशन को ढूँढ़ने के लिए सिर-तोड़ प्रयत्न किये । आखिर १९४२ के नवम्बर में उसने इस स्टेशन पर छापा मारा और उसका सामान जप्त कर लिया । कई लोगों को गिरफ्तार भी किया और उन्हें ४,५ साल तक की सख्त सजाएं दी गईं ।

बुलेटिनों की तो बम्बई में भरमार ही रहती थी । बड़े अजीबोगरीब

तरीके से यह वुलेटिन लोगों और सरकारी कर्मचारियों के पास पहुंचाए जाते थे। कितनी ही बार कई मोटरों गिरफ्तार भी हुईं और लाखों वुलेटिन पकड़े गये।

१० अगस्त सन् १९४२ को केन्द्रीय सरकार ने सारे अखबारों तथा छापाखानों, इत्यादि को सख्त ताकीद कर दी थी कि वे किसी भी रूप में आन्दोलन सम्बन्धी खबरें न छापें। वम्बई के मुख्य अखबारों ने इस अपमानजनक स्थित को मंजूर नहीं किया और छापाखानों ने कांग्रेस वुलेटिन इत्यादि छापने में काफी मदद दी। कई छापाखानों व अखबारों की जमानतें भी जप्त होगईं।

यद्यपि सरकार ने इस प्रकार की कड़ी हिदायतें जारी कर दी थीं ताकि दूकानदार व बड़े-बड़े व्यापारी किसी भी प्रकार इस आन्दोलन में हिस्सा न ले सकें, फिर भी वम्बई के बड़े-बड़े बाजार कितने ही दिनों तक पूर्णतः बन्द रहे और उसके पश्चात् माह में एक-दो मर्तवा कांग्रेस-प्रोग्राम के दिन बन्द रहते थे। १७ अगस्त सन् १९४२ को भारतीय व्यापारी संघ से सम्बन्धित लगभग ४० संस्थाओं के प्रतिनिधि एकत्र हुए। उन्होंने सरकार की दमन-नीति की घोर निन्दा की और विशेषतः इस बात को बड़ी घृणा से देखा कि सरकार ने भोलेस्वर, माटुंगा और दादर में जमा हुए कूड़े को शहर के सम्मानित व्यक्तियों से साफ करवाया। कांग्रेस के ८ अगस्त वाले प्रस्ताव का समर्थन भी किया गया। इस प्रकार वम्बई के बाजार कांग्रेस के साथ रहे और जब कभी उन्हें हड़ताल करने का आदेश दिया गया तो उन्होंने उसका पालन किया।

सन् १९४२ के खुले विद्रोह में वम्बई के मजदूरों ने उतना अच्छा भाग नहीं लिया जितना कि अहमदाबाद के मजदूरों ने। कारण स्पष्ट है। कुछ तो इन लोगों पर कम्युनिस्टों का प्रभाव था और दूसरे मुस्लिम मजदूर यद्यपि हृदय से आन्दोलन के साथ थे, पर वह खुले रूप से इसमें शरीक न हुए। इस कारण वम्बई की कपड़ा मिलें ९ अगस्त से आठ-दस रोज तक तो बन्द रहीं, लेकिन फिर चलनी शुरू हो गई। फिर भी शुरू के दिनों में सारे मजदूरों ने आन्दोलन में भाग लिया।

वम्बई के विद्यार्थियों को सबसे पहले इस आन्दोलन में अपने जोहर दिखाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कौन जानता है इन्हीं के आदर्श को लेकर सारे हिन्दुस्तान के विद्यार्थी आन्दोलन में कूदे हों। लगभग ८० प्रतिशत विद्यार्थी आन्दोलन के प्रारम्भिक दिनों में स्कूल-कालेजों से बाहर निकल आये। यद्यपि यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने कई दफा एक निश्चित तारीख तक स्कूल-कालेजों

म लौटने की धमकी दी, लेकिन विद्यार्थी अपने संकल्प से न हटे। यह सिलसिला ३,४ माह तक रहा। उसके पश्चात् इसका जोश घीमा पड़ गया और विद्यार्थी स्वयं ही कालेजों में जाने लगे। इस काल में विद्यार्थियों ने दिल खोलकर आन्दोलन में हिस्सा लिया और सब यातनाओं को सहर्ष सहा।

सन् १९४२ में बम्बई कारपोरेशन पर कांग्रेस का कब्जा था। कांग्रेस-नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कारपोरेशन ने कांग्रेस की भांगों का समर्थन किया और सरकार की आलाचना की। कारपोरेशन की बैठकों को कई बार स्थगित होना पड़ा। १० अप्रैल सन् ४३ को कारपोरेशन के मेम्बरों ने नगीनदास टी. मास्टर को, जो उस समय जेल में नजरबन्द थे, अपना मेयर चुना। कारपोरेशन के ६३ कांग्रेसी मेम्बरों में से ३३ नजरबन्द थे।

बम्बई बार ने भी आन्दोलन-काल में एक महत्त्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने चार प्रतिष्ठित एडवोकेटों की एक कमेटी बनाई जिसका काम जनता के नागरिक अधिकारों की हिफाजत करना था। इस कमेटी के मेम्बर मिस्टर डी० एन० बहादुर भूतपूर्व एडवोकेट जरनल, मिस्टर के० पी० पुरनपोवाला भूतपूर्व जज बम्बई हाईकोर्ट और मिस्टर के० एम० मुंशी, भूतपूर्व होम मिनिस्टर थे। इन लोगों ने सरकारी दमन-नीति की तीव्र आलोचना की और नागरिकों पर जो तरह-तरह के गैर कानूनी प्रतिबन्ध लगाये जा रहे थे उनका विरोध किया। एक कानूनी सहायता कमेटी भी बनाई। उसने लोगों पर चलाये जाने वाले मुकदमों में काफी कानूनी मदद दी।

बम्बई के नागरिकों ने इन्हीं दिनों एक 'राजनैतिक पीड़ित सहायता फंड' भी खोला। इसके द्वारा विभिन्न प्रान्तों में कितने ही कार्यकर्ताओं व उनके परिवारों को मदद दी गई। बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के कयनानुसार सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या इस प्रकार है:—

महाराष्ट्र ८३, गुजरात १३, कर्नाटक ३७५, तामिलनाड ६, मल्लार ५, आंध्र ८७, बिहार ३८, बम्बई १५, उड़ीसा १७१, युक्त प्रान्त १३३, मध्य प्रान्त ३८। इस प्रकार इस कमेटी ने भारतवर्ष के कोने-कोने में मदद भी पता चला मदद देने की कोशिश की।

बम्बई की बावत यह अनुमान लगाना कठिन है कि कितने लोगों ने खुले रूप से आन्दोलन में अपना विरोध प्रदर्शित किया। पर प्रायः सभी में बम्बई की काफी वस्तियां ऐसी थीं जिनके सारे लोग इस आन्दोलन में हिस्सा न-किसी रूप में हिस्सा ले रहे थे। मालूम पड़ता था कि बम्बई के लोग आन्दोलन के पीछे पागल हैं।

बम्बई के गुले विद्रोह के सरकारी आंकड़े

बम्बई सरकार की ओर से अगस्त विद्रोह के सिलसिले में ६ फरवरी १९४३ तक के जो अंक प्राप्त हुए हैं वे नीचे दिये जाते हैं। इन अंकों में गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंक भी शामिल हैं।

गिरफ्तारियां	५०००
कितनी बार पुलिस ने गोलियां चलाईं	११५
कितने आदमी मरे	१०६
कितने आदमी घायल हुए	३३२
कितने आदमी पुलिस के मरे	५
कितने आदमी पुलिस के घायल हुए	५२७
कितने अवसरों पर टियर (आंसू बहाने वाली)	
गैस का प्रयोग किया	११
कितने अन्य सरकारी नौकर मरे	१
नोटः—एक रेवेन्यू हेड क्लर्क, जिसे भीड़ ने इसलिए अपने आगे कर लिया था कि उस पर पुलिस सामने से हमला न कर सके, पुलिस के गोली चलाने से मर गया।	
कितने अन्य सरकारी नौकर घायल हुए	११५
कितनी बार फौज ने गोलियां चलाईं	१४
कितने आदमी मरे	८
कितने आदमी घायल हुए	३२
कितने पुलिस स्टेशन या चौकियां और संतरियों के खड़े होने के अड्डे बरबाद कर दिये गये या उनको सख्त नुकसान पहुंचाया गया	४३
प्रान्तीय सरकार की अन्य कितनी इमारतें बरबाद कर दी गईं या उनको सख्त नुकसान पहुंचाया गया	१८२
सरकारी इमारतों के अलावा अन्य कितनी ऐसी इमारतें जैसे म्युनिसिपैलिटी की मिल्कियत, स्कूल, अस्पताल इत्यादि को बरबाद कर दिया गया या उनको सख्त नुकसान पहुंचाया गया	३८
कितनी महाहर प्राइवेट इमारतें बरबाद कर दी गईं या उनको सख्त नुकसान पहुंचाया गया	११
कितने बम फटे	३७५
कितने ऐसे बम या बारूदी चीजें पाई गईं जिनसे कुछ नुकसान नहीं हुआ। (इनमें ऐसे बम या बारूदी चीजें शामिल हैं जिनको पुलिस ने तलाशी	

लेते समय अपने कब्जे में कर लिया) ।	२४३
कितने सरकारी नौकर मरे (इनमें फौज के चार बड़े अफसर भी शामिल हैं)	५
कितने सरकारी नौकर घायल हुए (इनमें फौज के १६ बड़े अफसर भी शामिल हैं)	६२
जनता के कितने लोग मरे (इनमें बम मारने वाले खुद भी शामिल हैं)	
मर्द ९ और बच्चे ४	१३
जनता के कितने लोग घायल हुए (इनमें बम बनाने वाले खुद भी शामिल हैं) मर्द ७८, औरतें ९०, बच्चे २०	१८८
बिजली कम्पनियों की मशीनें इत्यादि तोड़ फोड़ डाली गईं	२७
उन लोगों की संख्या जो ऐसी घटनाओं में मरे जो आन्दोलन के कारण घटित हुईं	
(अ) सरकारी या रेलवे कर्मचारी	३
(ब) जनता के लोग	११
उन लोगों की संख्या जो ऐसी घटनाओं में घायल हुए जो आन्दोलन के कारण घटित हुईं	
(अ) सरकारी या रेलवे कर्मचारी	५
(ब) जनता के लोग	३१
रेलवे स्टेशनों की संख्या जो बरबाद कर दिये गये या उन्हें सख्त नुक-सान पहुंचाया गया	१६
कितनी रेलगाड़ियां तोड़-फोड़ के कारण उलटी गईं	१३
उन गांवों या कस्बों की संख्या जिन पर सामूहिक जुर्माने किये गये	१४०
सामूहिक जुर्मानों की रकम	६,६३,४५०
वसूलशुदा सामूहिक जुर्मानों की रकम	६०४,९६५
स्थानीय संस्थाओं की संख्या जिन्हें भारत रक्षा नियम ३८ ब. के अधीन या किसी और प्रकार से तोड़ दिया गया	२२

गुजरात प्रान्त

भारतीय आजादी के संग्राम में गुजरात का एक महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। उसकी अपनी ख्याति है। जहां एक ओर गुजरात ने अखिल भारतीय ख्याति के बड़े-बड़े नेता जैसे महात्मा गान्धी, स्वर्गीय विठ्ठलभाई पटेल, सरदार वल्लभभाई पटेल आदि पैदा किये हैं, वहां दूसरी ओर गुजरात को कई आन्दो-

लन चलाने का श्रेय भी प्राप्त है। गुजरात को यदि महात्मा गान्धी की अहिंसात्मक युद्ध-कला की प्रयोगशाला कहा जाय तो अनुचित न होगा। सन् १९१५ के पश्चात् जब गान्धीजी अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने अहमदाबाद को अपना केन्द्र बनाया और यहीं से उन्होंने अहिंसा के प्रयोग तथा सत्याग्रह के शस्त्र को अमल में लाने के लिए इस छोटे से प्रान्त को अपना कार्य-क्षेत्र बनाया। उन्होंने इस महान् कार्य के लिए यहां उपयुक्त वातावरण पैदा किया और योग्य कार्यकर्ताओं को जन्म दिया। गुजरात ने गान्धीजी के प्रत्यक्ष नेतृत्व में अन्याय के विरुद्ध तीन संघर्ष किये। इन संघर्षों द्वारा गान्धीजी के सत्याग्रह शस्त्र का विकास हुआ और आगे चलकर सारे हिन्दुस्तान में उसका सामूहिक व व्यापक प्रयोग किया गया। सन् १९१८ में सर्व प्रथम खेड़ा जिले में मालगुजारी न देने का सत्याग्रह किया गया। इसके कुछ दिनों बाद अहमदाबाद के मजदूरों की व्यापक व बिख्यात हड़ताल हुई और उसके परिणामस्वरूप अहमदाबाद में मजदूर महाजन संघ जैसी शक्तिशाली मजदूर यूनियन का निर्माण हुआ। इसके बाद रोलैंट एक्ट के विरुद्ध आन्दोलन हुआ और गान्धीजी ने जनता की अहिंसात्मक एवं संगठित तरीके से उठने का पाठ पढ़ाया। सन् १९२० के असहयोग आन्दोलन में गुजरात का काफी नाम रहा और कई प्रमुख व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में आये। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई और प्रान्त में कितने ही आश्रम खुले। असहयोग आन्दोलन के पश्चात् एक छोटे से इलाके वोरसद में सत्याग्रह हुआ जो सरकारी लगान की ज्यादाती के विरुद्ध था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया। बारदोली के लगानबन्दी सत्याग्रह ने गुजरात का नाम और भी ऊंचा उठा दिया। सन् १९३० व ३१ में रही-सही कमी को गान्धीजी की 'डांडी-कूच' व 'नमक-सत्याग्रह' ने पूरा कर दिया और इस प्रकार गुजरात ने भारतीय राजनीति में एक अभूतपूर्व स्थान ग्रहण किया।

गुजरात में ५ जिले हैं। सूरत, खेड़ा, भड़ौच, अहमदाबाद और पंचमहाल। आर्थिक दृष्टि से इस प्रान्त की हालत बहुत अच्छी है। सूरत, खेड़ा और भड़ौच की जमीन उपजाऊ है। अहमदाबाद सारे प्रान्त के व्यापार का केन्द्र है। निःसन्देह पंचमहाल कुछ पिछड़ा है। इसमें लगभग दो लाख भील रहते हैं और इसका बहुत बड़ा भाग बड़ोदा रियासत से मिलता है। गुजरात के लोग स्वभावतः गांधीजी के भक्त हैं और सरदार वल्लभभाई पटेल को बहुत मानते हैं। यद्यपि सन् १९४२ में क्रांति के आर्थिक व सामाजिक कारण इस प्रान्त में अपनी परिपक्व स्थिति को न पहुंचे थे, पर अन्य सारी बातें यहाँ मौजूद थीं। गुजरात लोग महात्मा गान्धी तथा सरदार पटेल को अपनी आशाओं व

आकांक्षाओं का केन्द्र समझते हैं। अतः ६ अगस्त १९४२ को जब कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी हुई तो अन्य प्रान्तों की तरह गुजरात के लोगों ने गांधीजी तथा पटेल से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण उन पर हुए प्रहार को अपने ऊपर प्रहार समझा। वे गुस्से से भुंभुलाकर सैकड़ों की तादाद में उठ खड़े हुए।

अहमदाबाद के लोगों ने नौकरशाही के विरुद्ध एक संगठित व लंबी लड़ाई लड़ी, जिसका वर्णन मैं आगे करूंगा। गुजरात के गांव-गांव व कस्बे-कस्बे में आन्दोलन के प्रारम्भ के दिनों में सरकारी नीति के विरुद्ध विरोध-प्रदर्शन, हड़तालें व सभाएं हुईं। विद्यार्थियों ने भी इस आन्दोलन में बहुत बड़ा भाग लिया। सैकड़ों विद्यार्थी स्कूल कालेजों से पढ़ाई छोड़कर गांवों में फैल गये और कांग्रेस के सन्देश को घर-घर पहुंचा दिया। स्वभावतः सरकार ने आन्दोलन को उसके प्रारम्भिक काल में ही दबाने के सब प्रयत्न किये। अहमदाबाद में तो ६-७ तारीख से ही पुलिस के जमाव इधर-उधर दिखाई देते थे। यकायक सारे नेता ८ तारीख से ही पकड़े जाने शुरू होगये। सूरत जिले के बारदोली व जलालपुर ताल्लुकों में सरकार को भय हुआ कि कहीं लगानबन्दी सत्याग्रह न प्रारम्भ हो जाय, इसलिए उसने वहां पर लगान पहले से ही इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पुलिस गांवों को घेर लेती थी और फिर लोगों से लगान वसूल किया जाता था। यही खेड़ा प्रान्त में भी हुआ। बारदोली में विलोची सिपाहियों का प्रयोग किया गया और गांवों पर सामूहिक जुर्माना किया गया जिसे बड़ी सख्ती के साथ वसूल किया गया।

गुजरात प्रान्त की म्युनिसिपैलिटियों व पंचायतों में से ६० प्रति शत पर कांग्रेस का कब्जा था। इन संस्थाओं ने बड़ी दिलेरी के साथ कांग्रेस-प्रस्ताव का समर्थन किया। अतः उनमें से बहुतों को मुअत्तिल कर दिया गया।

अन्य प्रान्तों की भांति जब आन्दोलन का व्यापक रूप यहां भी धीमा पड़ने लगा तो तोड़-फोड़ का कार्य आरम्भ हुआ। डाकखानों को बरबाद किया गया। टेलीफोन के तारों को भडौच और सूरत जिलों में सैकड़ों मीलों तक काट दिया गया। काठियावाड़ में दो-तीन जगह रेल गिराने की दुर्घटनाएं भी हुईं, जिनमें एक पालघर स्टेशन और दूसरी कलुवी आर. एन. रेलवे स्टेशन के पास हुई। कुछ स्टेशनों को जलाया गया। बी. बी. एण्ड सी. आई. रेलवे के भी कई स्टेशन जलाये गये। सन् १९४४ के मई मास से १९४५ के मई मास तक इस प्रकार के कार्य होते रहे, जिनमें डाकखानों को जलाना और पुलिस-थानों पर आक्रमण करना भी सम्मिलित था। खेड़ा जिले में लगभग ३० डाक ल जाने वाले हरकारों के थैले जलाये गए और उनका सामान ले लिया

गया। इस प्रकार डाक-व्यवस्था अस्त-व्यस्त करने के प्रयत्न हुए। गुजरात प्रान्त के आन्दोलन का जिलेवार विस्तार से वर्णन करने का यहां प्रयत्न किया जायगा।

अहमदाबाद

सन् १९४२ के आन्दोलन में अहमदाबाद को वही श्रेय प्राप्त है जो यूरोपियन महायुद्ध में स्टेलिनग्राड को था। ९ अगस्त के सबेरे अहमदाबाद के १७ प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता पकड़ लिये गये। कांग्रेस भवन पर पुलिस ने कब्जा कर लिया। शहर को बाहर की दुनियां से बिल्कुल काट दिया गया। शहर में ५ आदमी से अधिक इकट्ठे न होने की घोषणा कर दी गई। फिर भी सारे शहर में सैकड़ों आदमी इकट्ठे भंडे लेकर निकलने लगे। सारे शहर में पूर्ण हड़ताल रही। ६ व ७ तारीख से अहमदाबाद में सनसनी थी। पुलिस चारों ओर किसी प्रतीक्षा में दिखाई देती थी। अहमदाबाद कुछ ऐसे तरीके से बसा हुआ है कि वहां के लोग संगठित तरीके से जमकर बहुत असें तक लड़ाई लड़ सकते हैं। नेताओं पर प्रहार होते ही सारे शहर में खलवली मच गई। ऐसा मालूम दिया कि अहमदाबाद के नागरिक नौकरशाही के इस आक्रमण का संगठन, धैर्य व वीरता से उत्तर देना चाहते हैं। शहर में सामूहिक हड़ताल हुई। आमदोरफ्त के सारे जरिये बन्द हो गये और मजदूर-महाजन-संघ ने अनिश्चित समय तक हड़ताल करने की घोषणा की। अतः हजारों मजदूर शहर छोड़कर चले गये। आन्दोलन-काल में गुमाश्ता संघ का भी निर्माण हुआ। गुमाश्तों, विद्यार्थियों तथा मजदूरों ने मिलकर अपनी एक सत्याग्रह समिति बनाई। इस प्रकार आन्दोलन को एक लम्बे काल तक चलाने की योजना बनाई गई। गुजरात-विद्या-प्रचारक मण्डल तथा स्वयंसेवक दल ने भी आन्दोलन में काफी स्याति प्राप्त की। १० व ११ तारीख के बीच शहर में विद्यार्थी संगठन कमेटी की स्थापना हुई जिसने अपना दैनिक पत्र निकालना प्रारम्भ किया। विद्यार्थी संघ ने गुजरात प्रान्त को ८ हिस्सों में बाँट दिया और अपनी एक केन्द्रीय कमेटी भी बना ली। १० तारीख के सबेरे गुजरात कालेज के विद्यार्थियों ने एक जुलूस निकाल कर कांग्रेस भवन तक जाने का प्रयत्न किया। उधर दूसरी ओर शहर से एक जुलूस निकलकर आने वाला था और दोनों जुलूसों को मिलकर कांग्रेस-भवन के सामने आना था। पुलिस ने विद्यार्थियों के जुलूस को अस्त-व्यस्त करने के लिए कालेज के आगे और पीछे के दरवाजों पर आक्रमण किया। यहां श्री विनाद किनारीवाला

नामक एक बहादुर नवयुवक को, जो कांग्रेस भंडा लिये हुए था, गोली का शिकार बनाया गया। विनोद किनारीवाला ने सीना खोलकर गोली का स्वागत किया और इस प्रकार भंडा दूसरे विद्यार्थी के हाथ में पहुँचा। पुलिस ने भंडा छीनने के बहुत से प्रयत्न किये, पर वह असफल रही। पुलिस ने भीड़ को लाठियों के प्रहारों से तितर-बितर करना चाहा। इस भीड़ में अधिकांश विद्यार्थी थे, जिन्होंने पुलिस के वार को असफल करने के लिए एक नई नीति को अपनाया। जब भी पुलिस भीड़ के पास आती थी, वे छोटी-छोटी टुकड़ियों में बंट जाते थे। उस दिन कई लड़के जख्मी हुए। पुलिस ने इन जख्मी लड़कों के पास किसी को न आने दिया। कितनों को इस प्रयत्न में मार भी पड़ी। इस जुलूस में २॥ व ३ हजार लड़के थे। जुलूस को तितर-बितर करने के लिए अशु-गैस का प्रयोग भी हुआ। फल स्वरूप यह जुलूस अपनी योजनानुसार कांग्रेस-भवन तक न पहुँच सका। इसी बीच अन्य कालेजों व स्कूलों के विद्यार्थी जुलूसों के रूप में नारे लगाते हुए आगे बढ़े। पुलिस ने उनकी शक्ति को देखकर उन्हें पुल पार करने दिया। जनता के उमड़ते हुए जोश तथा शक्ति को देखकर १० तारीख को शहर में फौजें बुलाई गईं। थोड़ी देर पश्चात् ही ७०० सैनिक लाठियों में भरकर आये और उन्होंने लड़कियों तथा लड़कों के जुलूस पर भयंकर लाठी चार्ज प्रारम्भ किया। छात्रों का यह जुलूस जमीन पर बैठ गया और उन्हें इन निर्दयी सैनिकों ने उठा-उठाकर ढेलों की तरह निर्दयतापूर्ण तरीके से फेंकना शुरू कर दिया।

११ अगस्त १९४२ को नौकरशाही ने जनता की उमड़ती हुई बाढ़ को रोकने के लिए अत्यन्त क्रूर शस्त्रों को अपनाया। टैंकों और मशीनगनों का शहर में प्रदर्शन किया गया, ताकि लोगों के हृदय में आतंक बैठ जाय। पुलिस गलियों में घुसी और आदमियों तथा बच्चों व श्रीरतों तक को मारना-पीटना शुरू कर दिया। बड़े तक उनके क्रूर और निर्दय हाथों से न बच सके। यह मार-पीट इतना अन्वाधुन्वी से की गई कि बड़े-बड़े मिल-मालिकों को भी निर्दोष ही इसका शिकार होना पड़ा। सारा शहर बियाबान हो गया। मिल, बाजार, स्कूल, कालेज सब बन्द थे। उधर उन्मत्त जनता ने डाकखानों, तार-घरों इत्यादि पर हमले शुरू कर दिये। अहमदाबाद में गोलियाँ चलना जीवन की एक साधारण घटना बन गई।

१२ तारीख को पुलिस ने ८ बार गोलियाँ चलाईं और अपने रहने के लिए फौज ने सिनेमाघर पर कब्जा कर लिया।

अहमदाबाद का शहर किले की तरह बसा हुआ है। इसमें अन्दर-ही-

अन्दर बहुत-सी पोलें हैं और एक सरकिल से दूसरे सरकिल में जाने के लिए रास्ते इस तरह बने हुए हैं कि जनता पुलिस व फौज के विरुद्ध सामूहिक व संगठित मोर्चा आसानी से कायम कर सकती है। इस किलेबन्दी की वजह से जनता को काफी सहूलियत हुई। जब लाठियों के प्रबल प्रहारों तथा अन्य दमनकारी उपायों के कारण आन्दोलन का बाह्य रूप धीमा पड़ने लगा तो जनता ने अपनी सुविधा व स्थिति के अनुसार विरोध प्रदर्शन के तरीके भी बदल दिये। रात को लोग अपनी छतों पर चढ़-चढ़कर कांग्रेसी नारे बोलते थे और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती थी और न देख ही पाती थी। इसका प्रतिकार करने के लिये फौज ने विजली की बड़ी-बड़ी रोशनियों का प्रयोग किया और घोषणा की कि जो कोई उस उजाले में दिखाई पड़ेगा, उसको मार दिया जायगा। रात के समय अलग-अलग पोलों में एक-एक दो-दो हजार के जुलूस निकलते थे और जब पुलिस और फौज के सैनिक एक पोल में जाते थे तो ठीक उसी समय दूसरी पोल में जुलूस निकलना शुरू हो जाता था।

इस प्रकार जन-आन्दोलन कितने ही मास तक चलता रहा। इस आन्दोलन में नौजवानों, गुमाशतों, मजदूरों तथा विद्यार्थियों ने विशेष रूप से भाग लिया। शहर के प्रमुख व्यापारियों की हमदर्दी भी उनके साथ थी। पुलिस ने गुस्से में आकर रास्ते चलते नागरिकों को मारना-पीटना शुरू कर दिया था।

जहां तक गिरफ्तारियों का सम्बन्ध है, अहमदाबाद में रोजाना ही पुलिस कितने ही लोगों को पकड़-पकड़ कर अपनी लारियों में भरकर ले जाती थी और शहर से बहुत दूर कहीं छोड़ आती थी। प्रारम्भ में दो-तीन सौ गिरफ्तारियां रोजाना हुईं। नवयुवक अधिकतर पकड़े गए। बहुत से लोग पुलिस-चौकियों से ही छोड़ दिये गए। अहमदाबाद में १०५७ आदमी पकड़े गए, ३९७ नजरबन्द रहे और ४३० को सजा हुई।

सन् १९४२ के आन्दोलन में अहमदाबाद सारे गुजरात के आन्दोलन का केन्द्र रहा। यहीं आन्दोलन के संगठन और संचालन के आवश्यक साधन जुटाये गए। लगभग ५०० विद्यार्थियों ने प्रतिज्ञा की कि वे आन्दोलन को चलाने के लिए अपना पूरा समय लगायेंगे। यह लोग एक निश्चित प्रोग्राम और योजनानुसार देहात की ओर पिल पड़े। पहले अहमदाबाद जिले में गये और फिर दूसरे जिलों में।

समय के साथ आन्दोलन धीमा पड़ता गया। फिर भी अहमदाबाद में लोगों ने महीने में दो-तीन रोज ऐसे निश्चित किये, जब कि वे कई सामूहिक व व्यक्तिगत प्रदर्शन करते थे। विद्यार्थियों की हलचलें लगभग एक साल तक

रहीं। कपड़ों की मिलों की हड़ताल लगभग ३॥ माह तक रही। बड़े व छोटे बाजार लगभग ४ माह तक बन्द रहे। म्युनिसिपल बोर्ड के कर्मचारियों की हड़ताल लगभग ४ माह तक रही। अखबारों ने भी काफी समय तक हड़ताल रखी। अनगिनत वार लाठी चार्ज हुए। प्रारम्भिक दिनों में तो उनका तांता ही बन्धा रहा। लगभग २० वार पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं। प्रायः एक-डेढ़ साल तक माह की ९ तारीख के प्रदर्शनों पर गोलियां चलीं। १५ से २५ वर्ष तक की अवस्था के लोगों ने एक बहुत बड़ी संख्या में आन्दोलन में हिस्सा लिया। १४ से अधिक आदमी मरे, २२५ आदमी जिनके सख्त चोटें आई थीं, शफाखानों में भर्ती हुए और जिन लोगों ने अपना दूसरी जगह इलाज कराया उनकी संख्या का कुछ पता नहीं चलता। सरकारी इमारतों पर भी हमले हुए। इनमें १२ काण्ड मशहूर हैं।

१, दसोराई, ताल्लम, ममलतदार, मदलपुरा, चोर, जुडिशियल कोर्ट, पुलिस सिटी हेडक्वार्टर, बहुत से छोटे-छोटे डोकखाने, अस्थायी पुलिस चौकियां, म्युनिसिपल स्कूल, बिजलीघर, मेडिकल हास्पिटल, छोटे रेलवे पुल, म्युनिसिपलिटी, पुलिस सब इंस्पेक्टरों के बंगले।

तोड़-फोड़ कार्य

नीचे लिखे स्थानों पर तोड़-फोड़ के काय हुए:—

१. पांच बिजला के स्टेशन। २. विक्टोरिया की मूर्ति। ३. मेडिकल स्कूल होस्टल। ४. एलिस पुलिस चौकी। ५. घनकामता पुलिस चौकी। ६. प्रेम दरवान पुलिस चौकी। ७. मनु नायक वम केस। ८. पिपादी पोल वम केस। ९. गवर्नमेंट लेबर वेलफेयर सेन्टर। इसके अतिरिक्त १० जगह और वम फटे। रेल गिराने के तीन प्रयत्न हुए। २० मिलों में तथा गवर्नमेंट वर्कशाप और ए० आर० पी० के आफिस में टेलीफोन के तार कटे और प्रायः शहर के सभी जगह के तार काटे गये। कुछ लारियां जो फौजी सामान लिये जा रही थीं, लूटी गईं।

खेड़ा जिला

खेड़ा गुजरात का महत्त्वपूर्ण जिला है। यहां की भूमि बहुत ही उपजाऊ है और यहां के बहुत से लोग हिन्दुस्तान के बाहर के देशों में व्यापार करते हैं। अहमदाबाद की घटनाओं ने खेड़ा जिले के लोगों को बता दिया था कि उन्हें क्या करना है और उनके ऊपर क्या बीतना है। अतएव खेड़ा जिले की कपड़ा मिल भी अहमदाबाद की भांति बन्द कर दी गई और प्रमुख कस्बों में प्रायः

सभी स्कूल तथा कालेज बन्द रहे व बाजारों में हड़तालें रहीं। जिले के निवासियों ने संगठन-शक्ति का काफी परिचय दिया और यहां से जो दूब व अन्य खाद्य-सामान फौज के लिए जाता था उसे भेजने से इन्कार कर दिया।

लाठी-चाज तो उन दिनों गांवों और कस्बों की दिनचर्या बन गई था। नडियाद, आनन्द, कपड़ध्वज, डाकोर, उमरेठ, बोरसद, घवा, चकला, इत्यादि स्थानों में कई लाठी-कांड हुए। बिना किसी विशेष कारण के लाठी-प्रहार किये जाते थे। मालूम होता था कि पुलिस के सिपाहियों को ऊपर से कुछ ऐसा ही करने की आज्ञा थी। खेड़ा जिले में १६ बार गोलियां चलीं। जिन स्थानों में गोलीकांड हुए, उनमें नडियाद, डाकोर, आदास, चकला, मदरन, कारगसहत कस्बों के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें आदास और डाकोर के नाम तो सारे हिन्दुस्तान में मशहूर हो चुके हैं। आदास में जिस हृदयहीन तरीके से विद्यार्थियों पर गोलियां चलाई गई उसकी अपनी हृदय विदारक कहानी है।

वड़ीदा से ५० विद्यार्थियों की एक टोली ने निश्चय किया कि वह गांव-गांव में प्रचार करती हुई तथा जनता को कांग्रेस का प्रोग्राम बताती हुई आगे बढ़ती जायगी। ऐसा मालूम पड़ता है कि उनके साथ कोई पुलिस पार्टी भी उनका पीछा करती हुई चली। सूरत और खेड़ा जिले के गांवों में आदास रेलवे स्टेशन पर यह टोली दो हिस्सों में बंट गई। सायंकाल का समय था। विद्यार्थीगण पास के एक खेत में, जो स्टेशन के करीब था, भ्रमण करने लगे। ठीक उसी समय पुलिस की टोली हवलदार सहित स्टेशन पर पहुंची। पुलिस वालों ने उन विद्यार्थियों को रेल में बैठने का आदेश दिया। हवलदार के बर्ताव तथा दारोगा की बातों से मालूम पड़ता था कि उन लोगों ने शराब पी रखी थी। पुलिस जमादार, जो पहले से विद्यार्थियों का पीछा कर रहा था और जिसे आस-पास के गांवों में जनता की ओर से कुछ सुनना भी पड़ा था, उन लोगों पर अधिक क्रोधित था। कस्बे में आते ही उसने विद्यार्थियों को खेत में बैठने का आदेश दिया। ये लोग गाड़ी से जाना चाहते थे, पर यह समझकर कि जमादार का हुक्म उन्हें गिरफ्तार करने का है, वे वहीं बैठ गये। ट्रेन छूट चुकी थी। आदास का स्टेशन गांव व शहर के बाहर था। इस प्रकार इन निहत्थे छात्रों पर पुलिस ने गोलियां चलाई जिससे ५ छात्र तो फौरन ही मर गये और १३ जखमी हुए। गालियों की आवाज तथा लड़कों की चीख-पुकार ने गांव के लोगों का ध्यान इस घटना की ओर खींचा। पर पुलिस वालों ने उन्हें खड़कों के पास न जाने दिया। उन्होंने यहां तक बबरंता की कि घायलों को पानी तक देने की सुविधा न दी। वे सारी शाम और तपाम रात उसी स्थिति में पड़े

रहे। सुबह सामान के पुलन्दों की तरह उन्हें लारियों में भरकर शफाखाने पहुंचाया गया और लुत्फ तो यह था कि यह सब करने के बाद भी पुलिस ने उल्टा उन्हीं पर मुकदमा चलाया।

डाक़ोर गोली-कांड आदास से भी अधिक हृदय-विदारक है। रंचोद-राई के प्रमुख शिवाले के पास पुलिस ने निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दिया। पुलिस के दबाव के कारण जनता छोटी-छोटी गलियों में भागने लगी। पर पुलिस ने उनका पीछा किया और तब तक गोलियां चलाना जारी रखा जब तक कि उनका सारा गोला-बारूद खंतम न होगया। फिर भी जनता का उत्साह भंग न हुआ और उसने पुलिस पर आक्रमण करना चाहा। लेकिन स्वर्गीय छोटाभाई मुखी के हस्तक्षेप पर पुलिस का बाल भी बाँका न हुआ, अन्यथा पुलिस का एक भी आदमी जिन्दा न बचता। पर थोड़ी ही देर बाद दूसरी पुलिस-पार्टी वहां पर आ गई और उसने छोटाभाई मुखी को अपनी गोली का शिकार बनाया। यहाँ पर यह बात उल्लेखनीय है कि श्रीयूत छोटाभाई मुखी को थाने के पास मारा गया और घंटों तक उनकी लाश वहीं पड़ी रही। आश्चर्य की बात तो यह है कि पुलिस के सिपाही, जो उनके पास थे, वही थे जिन्हें छोटाभाई मुखी ने जनता के प्रचंड क्रोध से बचाया था। इस प्रकार इन दो कांडों में ७-८ विद्यार्थी मरे। घायलों की संख्या का तो पता ही नहीं चला। खेड़ा जिले में निम्नलिखित सरकारी इमारतों पर जनता के सामूहिक आक्रमण हुए। नड़ियाद आय-कर आफिस, गवर्नमेंट हाउस, धर्मराज हाई स्कूल सौचित्र हाई स्कूल।

१. नड़ियाद और अहमदाबाद में बम फटे और नड़ियाद के आय-कर आफिस में आग लगाई गई।

२. कितनी ही जगह तार काटे गये।

३. लगभग ७५ डाकखानों के डाक के थैलों को लूटा गया और ३० फोसदी डाकखाने बन्द कर दिये गए।

४. खेड़ा जिले में १० हजार रुपया सामूहिक जुर्माना हुआ। इस जिले में २९६ गिरफ्तार और ११२ नज़रबन्द किये गए। ११७ आदमियों को सजाएँ दी गईं।

सूरत जिला

हड़तालें प्रायः सभी कस्बों में रहीं और कई जगह काफी असें तक चलीं। कपड़ा-मिलें ३॥ मास तक, बाजार दो मास तक और विद्यार्थियों की हड़ताल एक साल तक रही। गोलियां सूरत, जलालपुर और बारडोली में कई बार चलीं।

सूरत गुजरात प्रान्त का एक महत्वपूर्ण जिला है। व्यापार तथा खुदा-हाली यहां पर काफी है। सूरत में मुसलमानों की तादाद भी काफी है। सूरत जिले में आन्दोलन का उतना व्यापक रूप तो न रहा, पर सूरत शहर में काफी चहल-पहल रही। विद्यार्थियों के आन्दोलन का रूप बहुत काफी बढ़ा-बढ़ा रहा।

सूरत में ३० से अधिक पुलिस-चौकियों पर जनता के सामूहिक व गुरिला आक्रमण हुए, बहुत से डाकखानों को भी जलाया गया तथा किशन और तिवरवा रेलवे स्टेशनों पर भी आक्रमण किये गए।

तोड़-फोड़ के कार्य में सूरत पीछे नहीं रहा। सूरत शहर व जलालपुर ताल्लुके में निरन्तर तार काटने का प्रोग्राम चलता रहा। बारडोली में काफी दूर तक रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं। दिपाली और जलालपुर में भी रेल की पटरियां उखाड़ी गईं। तापती वैली में ९ माह तक बराबर रेल की पटरियों को उखाड़ने का सिलसिला जारी रहा।

सूरत जिले में १,६५,३५० रुपया सामूहिक जुर्माना हुआ, पर इससे कहीं अधिक गुण्डों की मदद से वसूल किया गया। सूरत जिले के सारे कांग्रेस-संगठन पर पावन्दी लगा दी गई। जितने आश्रम थे उन पर कब्जा कर लिया गया। सूरत की म्युनिसिपैलिटी ने आन्दोलन में काफी मदद दी और इसीलिए उसको मुअ्तिल कर दिया गया।

सूरत जिले में कुल १२८१ गिरफ्तारियां हुईं और ३७६ व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया। इसके अलावा ९०५ व्यक्तियों को सजायें हुईं।

भड़ौच जिला

भड़ौच जिले के जम्भूसर ताल्लुके में आन्दोलन की गतिविधि तीव्र रही। यहां के आन्दोलन ने महाराष्ट्र सूबे के सतारा जिले के आन्दोलन जैसा रूप ग्रहण किया। यहां के प्रमुख नेता श्री छोटाभाई का हिंसा के सावनों में विश्वास है। उन्होंने इस आन्दोलन-काल में अपनी शक्ति के अनुसार जनता को हिंसात्मक साधन अपनाने का प्रोत्साहन दिया। अतः कुछ नवयुवक इस विचार-धारा से प्रभावित होकर ताल्लुके में अपनी सरकार कायम करने तथा पुलिस-चौकियों व थानों पर आक्रमण करने की नीति को अपनाने लगे। ये नवयुवक विशेषतः वही लोग थे जो आन्दोलन-काल से पहले अखाड़ों में व्यायाम आदि करते थे। इनके विचार प्रारम्भ से ही हिंसा की ओर झुके हुए थे। ठीक इसी समय इन लोगों को प्रमुख वाणी मेघजी नायक का भी सहयोग प्राप्त हुआ। मेघजी भड़ौच जिले में एक विचित्र वाणी हैं जिनके लिए जनता में बड़े विचित्र खयाल

हैं। मेघजी ने, सुना जाता है, कभी भी किसी गरीब को नहीं लूटा। इसके विपरीत वे अमीरों को लूटकर गरीबों की सहायता किया करते हैं। इस जिले में धानों पर आक्रमण किये गये और सरकारी हथियारों को छीनकर वहाँ से हटाने के सफल व असफल प्रयत्न हुए। भडोच जिले में आमदोरपत के रास्ते भी थोड़े हैं, और इसलिए पुलिस आक्रमणकारियों को तेजी से पकड़ने में सफल नहीं हुई। उसके विपरीत मेघजी और छोटाभाई के लूटने के अपने प्रोग्राम सफल रहे। उन लोगों ने पुलिस की बर्दियां पहनकर कई धानों पर प्रहार किये और इस प्रकार ३ माह तक इन लोगों ने अपने-अपने इलाकों में अपना राज्य स्थापित रखा।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस जिले में १७१ गिरफ्तारियां हुई, ६६ नजरबन्द किये गए और ७२ को सजायें दी गईं। गैर-सरकारी सूत्रों के अनुसार गिरफ्तारियों की संख्या इससे कहीं अधिक रही।

पंचमहल जिला

नेताओं की गिरफ्तारी के पश्चात् इस जिले में भी हड़तालें और सामूहिक प्रदर्शन प्रारम्भ हुए और सरकार ने लाठियों की बौछारों से उसका स्वागत किया। विद्यार्थियों ने स्कूल कालेज छोड़े और हड़ताल करने के कारण कितने ही दूकानदार पकड़े गये। इस जिले में गोलीकांड केवल एक बार ही हुआ। एक फरार को पकड़ने के लिए पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं। ठीक इसी तरह तोड़-फोड़ के कार्य भी कम हुए। हां, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आफिस जलाये गए और कलोल में दो-तीन पुलिस-चौकियों पर बम के विस्फोट हुए। कलोल तालुके में शिवराज ग्राम के पास गुजरात रेल की पटरी उखाड़ी गई। इसका तात्पर्य यह था कि पुलिस और फौज की टुकड़ियां जो कलोल में दमन करने के लिए आ रही थीं, उनको रोका जाय। इस उद्देश्य के लिए कलोल रेलवे पुल को तोड़ने के प्रयत्न किये गए। इस प्रकार कई गाड़ियां गिर पड़ीं और सैनिकों के चोटें आईं। मेनसेना और कलोल में भी रेल का चलना बन्द हो गया था। कलोल के नजदीक हजारों आदमी एक मेले में इकट्ठे हुए और वे अपने साथ लाठियां व बर्छी इत्यादि शस्त्र भी लाये। पुलिस और जनता में झगड़ा हुआ। इस जिले में औरतों ने भी काफी संख्या में भाग लिया। करौंदी ग्राम में कुछ थोड़े से गुरिल्लों ने पुलिस की टुकड़ियों से हथियार रखवा लिये। पर फौज ने गांव वालों से इस कार्य का काफी बदला लिया। कलोल में रेवेन्यू दफ्तर भी जला दिया गया। इन इलाकों में पुलिस और गुरिला दस्तों के इक्के-

दुक्के कई झपट्टे हुए । इस जिले में २८३ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए, ३१ नजरबन्द रखे गये और २४४ को विभिन्न सजायें दी गई ।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र का भारत के इतिहास में अपना निराला स्थान है । यहाँ के लोग मेहनती, जफाकश, हृष्टपुष्ट, गठीले तथा तीव्र बुद्धि हैं । इस इलाके की भौगोलिक स्थिति और खासकर पथरीली और पहाड़ी जमीन का यहाँ के लोगों के जीवन, शरीर तथा विचार-धारा पर गहरा प्रभाव पड़ा है । स्वभावतः महाराष्ट्र के लोग गुरिला लड़ाई के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं । उनका इतिहास भी उन्हें इस ओर प्रोत्साहन देता है ।

महाराष्ट्र में ब्राह्मण व अर्ब्राह्मण दो पार्टियाँ हैं । विशेषतः सरकार के सारे महकमों पर तथा उन्नति के सारे सावनों पर ब्राह्मणों का ही आधिपत्य है, पर अब कांग्रेस की गतिविधि के साथ अर्ब्राह्मण लोगों में बड़ी जागृति फैल रही है और उनके पढ़े-लिखे लोग हर क्षेत्र में छा जाना चाहते हैं । महाराष्ट्र में कई जिलों में आन्दोलन ने जो जोर पकड़ा उसका एक कारण यह भी था कि ब्राह्मण लोग ज्यादातर सरकारी कर्मचारी थे और उनके विरुद्ध जनता में काफी भाव थे । अतः सन् १९४२ में इन इलाकों में जब जनता उठी तो उसे इस बात से भी प्रोत्साहन मिला कि वह ब्रिटिश नौकरशाही के साथ इस ब्राह्मण-शाही का भी अन्त कर देगी । महाराष्ट्र में इस आन्दोलन में गाँव के लोग अधिक आये और आन्दोलन की गति खानदेश, सतारा, कोल्हापुर रियासत और शोलापुर में अधिक रही ।

महाराष्ट्र के देहातों व प्रायः सभी कस्बों ने सन् १९४२ में अपना खेल खेला । सरकार ने अपनी पूरी शक्ति के साथ जनता के इस महान् एवं प्रबल प्रयत्न को कुचलने की कोशिश की । प्रारम्भ में बड़े-बड़े शहरों में हड़तालें और प्रायः विराट प्रदर्शन शुरू हुए । बाद में पूना, शोबापुर, नासिक और अहमदनगर के सभी स्कूल व कालेज बन्द होगये और इस प्रकार हजारों विद्यार्थियों ने आन्दोलन की गतिविधि को बढ़ाने में सहायता दी ।

पूना में गोली-काण्डों की भरमार

१० अगस्त को परसराम भाऊ कालेज के सामने विद्यार्थियों का एक विशाल समूह इकट्ठा हुआ । पुलिस ने गोलियाँ चलाई । जनता गोलियों की बौछारों में इधर-उधर भागने लगी । पुलिस वालों ने गलियों तथा बाजारों में भागने वाला जनता को लाठी से मारना शुरू कर दिया और डाक्टरों तक को

किसी प्रकार की मदद न करने दी। इस प्रकार सैकड़ों आदमी घायल हुए। पर पूना-निवासी बिना किसी भय के निरन्तर अपन जुलूस निकालते रहे। अनेक मर्तवा लाठी-चर्पा तथा गोलियों की वीछारें हुईं। विद्यार्थियों के एक समूह ने शिवाजी मंदिर पर एक भंडा लगाकर शहर में जुलूस निकालने का प्रयत्न किया। पुलिस ने गोलियाँ चलाई और कई दर्जन विद्यार्थी घायल हुए। रात को जनता की टुकड़ियों ने पुलिस के थानों व चौकियों पर आक्रमण किया। गोलियाँ चलीं और दो आदमी मरे। पूना की पुलिस ने जब कांग्रेस तथा अन्य लोक-नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तो हजारों की तादाद में विद्यार्थी सैनिकों व पुलिस के सिपाहियों के घेरों को चीरते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करने लग। पुलिस ने गोलियाँ व लाठियाँ चलाईं। दो रोज के बाद पूना शहर को फौज के आधीन कर दिया गया जिसने कितनी ही बार इधर-उधर अन्वाधुन्ध गोलियाँ चलाईं। इस प्रकार चार रोज तक शहर में फौज का अधिकार रहा। आन्दोलन सतह से हटकर गुप्त षड्यंत्र का रूप धारण करने लगा। आन्दोलन को जीवित रखने के लिए लोगों ने गुप्त संगठन कायम कर लिये।

शव शहर में तोड़-फोड़ के कार्य अधिक मात्रा में होने लगे। कैपिटल सिनेमा में बम फटा। इस सिनेमा में अधिकतर गोरे सिपाही आते थे। इस विस्फोट में ५ गोरे सैनिकों की मृत्यु हुई। पूना के निकट गोली-बारूद के एक गोदाम में भयंकर आग लगी, जिसके कारण एक करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।

जो गोली-बारूद इन विभिन्न काण्डों में इस्तेमाल किया गया, सुना जाता है कि वह कुर्की के फौजी गोदाम से आया था। यदि यह सच हो तो ऐसा फौज के सैनिकों और अफसरों की सहानुभूतिपूर्ण रवये के कारण ही हुआ होगा। बाद में एक महाशष्ट्र षड्यंत्र केस भी चला जिसमें इस फैक्ट्री के २५ आदमी पकड़े गये थे। पूना में आन्दोलन ज्यादा काल तक न रहा, किन्तु जो कुछ हुआ उसमें विद्यार्थियों का विशेष हाथ था। लगभग ३० व ४० जगह टेली-फोन के तार भी काटे गये। तोड़-फोड़ के कार्य अक्टूबर व नवम्बर मास में अधिक हुए।

पूर्वी व पश्चिमी खानदेश

पूर्वी व पश्चिमी खानदेश में यद्यपि आन्दोलन का रूप अधिकतर सामूहिक न रहा, पर पूर्वी खानदेश के कुछ इलाकों में, विशेषकर नन्दुवार और अमलनेर के इलाकों में आन्दोलन का रूप बड़ा ही उग्र और व्यापक रहा। प्रारम्भ में इन जिलों के शहरों में हड़तालें, जुलूस और सभायें हुईं जिनको

लाठी-प्रहारों द्वारा तितर-बितर कर दिया गया। १४ व १५ अगस्त को नन्दू-बार में विद्यार्थियों का एक जुलूस निकला जिस पर पुलिस ने गोलियां चलाईं। यद्यपि विद्यार्थियों का जुलूस शान्तिपूर्वक सड़कों व गलियों में से गुजर रहा था, किन्तु पुलिस ने उन पर बेंतों की बौछारें शुरू कर दीं। बहुत से विद्यार्थी घरों में घुस गये। जो किसी जगह न घुस सके उन पर एक थानेदार ने गोली चलाई। वह उत्तेजना से पागल होकर कुछ छात्राओं की तरफ लपका। इसी समय उसके सामने एक लड़का आया जिसने अपना सीना खोलकर उससे गोली मारने के लिए कहा। थानेदार ने लड़के के गाली दाग दी, पर सौभाग्य से वह उसे न लगी। लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के थानेदार को फिर गोली मारने की दावत दी। इस बार उसने फौज के सिपाहियों से उसे पकड़ने के लिए कहा और इस प्रकार उसे पकड़कर गोली मार दी गई। यह वीर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके पश्चात् थानेदार एक टोली में घुसा और एक लड़के को गोली मारी। इस प्रकार ४ लड़के मरे और १७ जख्मी हुए। उन्हें किसी भी प्रकार की डाक्टरी सहायता नहीं दी गई। एक वकील को, जो गांधी टोपी पहने पास ही तांगे में बैठे जा रहे थे और जिन्होंने इन जख्मियों के प्रति सहानुभूति दिखानी चाही थी, तांगे से नीचे खींच लिया गया और कोड़े लगाये गये।

पूर्वी खानदेश के अमलनेर इलाके में आन्दोलन का रूप उग्र रहा। यह वह इलाका है जहां महाराष्ट्र प्रांत के कितने ही प्रमुख किसान व मजदूर नेता पैदा हुए हैं। साने गुरुजी यहीं के रहने वाले हैं। इस इलाके में युवतियों ने भी काफी हिस्सा लिया। यहां के नेता डा० उत्तम पाटिल थे जो कि एक किसान के घर में पैदा हुए थे। इनके पीछे इनकी बीबी लीला पाटिल ने भी आन्दोलन में बहुत हिस्सा लिया और तोड़-फोड़ के अभियोग में उन्हें ६ साल की सजा हुई। वह पूना हॉस्पिटल से पुलिस की हिरासत से फरार हो गई। सन् १९४४ में डा० उत्तम पाटिल भी गिरफ्तार हुए, परन्तु वह भी पुलिस हिरासत से भाग गये और गुरिला आन्दोलन का संचालन करते रहे।

अमलनेर में इन लोगों ने एक सामूहिक मोर्चा लगाया जिस पर लगभग ३ हजार आदमी [जमकर दृढ़ता के साथ पुलिस से लड़े और पुलिस-स्टेशनों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों तथा ताल्लुका कचहरी पर कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए आक्रमण किये। काफी लोग पकड़े गये और अन्त में गोली भी चलाई गई। कुछ असें बाद आन्दोलन का सामूहिक रूप छिन्न-भिन्न होने लगा और वह गुरिला युद्ध के रूप में बदल गया। इन दोनों जिलों को भूमि और भौगोलिक स्थिति गुरिला युद्ध के लिए उपयुक्त भी है।

नासिक

नासिक शहर में नेताओं की गिरफ्तारी के बाद फौरन ही हड़ताल हुई और रोजाना जुलूस निकलने शुरू होगये। पुलिस कुछ लोगों को पकड़ने के लिए आई तो लोगों ने पुलिस के हथियार छीन लिये। उसके बाद पुलिस ने नासिक में लाठियों की बीछारों से आतंक फैलाना शुरू कर दिया। गोली भी चली। आन्दोलन ने गुप्त रूप धारण कर लिया। तार काटने, डाकखानों को जलाने, रेलवे लाइनों को उखाड़ने के सामूहिक काम भी हुए। ब्रिटिश नौकरशाही ने सामूहिक जुमनि किये। नासिक जिले के देहातों में भी आन्दोलन हुआ। इसमें मुख्यतः किसान लोग थे। सवा महीने पश्चात् नासिक में अन्न के लिए आन्दोलन शुरू हो गया।

अहमदनगर

कांग्रेस-कार्य-समिति के सदस्य अहमदनगर में रखे गये, इस कारण इस जिले का महत्व आन्दोलन की दृष्टि से और भी बढ़ गया। सच तो यह है कि आन्दोलन-काल में सारे देश की आंखें अहमदनगर के किले की ओर ही लगी रहीं। कितने ही मुझिये दिल आशा व प्रोत्साहन के लिए किले की ओर देखते थे। यह किला पिटी व पिसी जनता की आशाओं व आकांक्षाओं का केन्द्र बन गया। पटवर्धन बंधु भी यहीं के रहने वाले थे। यहां के आन्दोलन में मुख्यतः किसानों ने हिस्सा लिया। प्रारम्भ में हड़तालें हुईं, विरोध-प्रदर्शन हुए, सभायें हुईं और अन्त में आन्दोलन का रूप गुरिला युद्ध में बदल गया। तोड़-फोड़ के कार्य भी काफी हुए। अहमदनगर जिले के एक बँच मजिस्ट्रेट की अदालत में आग लगाई गई। केण्टोनमेण्ट में गुरिला तबके ने पुलिस के सिपहियों की बर्दी उतरवा ली।

जिले के अन्दर गांवों में भी आन्दोलन फैला। कोपर गांव और शेगांव में काफी समय तक निरन्तर तार काटने का कार्य चलता रहा और अविकारियों के लिए अपना काम चलाना काफी मुश्किल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ तथा मॉडर्न हाईस्कूल और लड़कियों के स्कूलों में कई बार बम-विस्फोट भी हुए। स्कूल बहुत दिनों तक बन्द रहे। तोड़-फाड़ सम्बन्धी कार्यों का पता चलाने के लिए पुलिस ने काफी तलाशियां लीं। इन तलाशियों में दो फौजी ठेकेदारों और एक दूकानदार के यहां भी तलाशी हुई।

सितारा

सन् १९४२ के छुले विद्रोह में सितारा जिले ने अपना एक निराला

लाठी-प्रहारों द्वारा तित्तर-वितर कर दिया गया। १४ व १५ अगस्त को नन्दू-बार में विद्यार्थियों का एक जुलूस निकला जिस पर पुलिस ने गोलियां चलाईं। यद्यपि विद्यार्थियों का जुलूस शान्तिपूर्वक सड़कों व गलियों में से गुजर रहा था, किन्तु पुलिस ने उन पर बंदूकों की वीछारें शुरू कर दीं। बहुत से विद्यार्थी घरों में घुस गये। जो किसी जगह न घुस सके उन पर एक थानेदार ने गोली चलाई। वह उत्तेजना से पागल होकर कुछ छात्राओं की तरफ लपका। इसी समय उसके सामने एक लड़का आया जिसने अपना सीना खोलकर उससे गोली मारने के लिए कहा। थानेदार ने लड़के के गाली दाग दी, पर सौभाग्य से वह उसे न लगी। लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के थानेदार को फिर गोली मारने की दावत दी। इस बार उसने फौज के सिपाहियों से उसे पकड़ने के लिए कहा और इस प्रकार उसे पकड़कर गोली मार दी गई। यह वीर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके पड़चात् थानेदार एक टोली में घुसा और एक लड़के को गोली मारी। इस प्रकार ४ लड़के मरे और १७ जख्मी हुए। उन्हें किसी भी प्रकार की डाक्टरी सहायता नहीं दी गई। एक वकील को, जो गांधी टोपी पहने पास ही तांगे में बैठे जा रहे थे और जिन्होंने इन जख्मियों के प्रति सहानुभूति दिखानी चाही थी, तांगे से नीचे खींच लिया गया और कोड़े लगाये गये।

पूर्वी खानदेश के अमलनेर इलाके में आन्दोलन का रूप उग्र रहा। यह वह इलाका है जहां महाराष्ट्र प्रांत के कितने ही प्रमुख किसान व मजदूर नेता पैदा हुए हैं। साने गुरुजी यहीं के रहने वाले हैं। इस इलाके में युवतियों ने भी काफी हिस्सा लिया। यहां के नेता डा० उत्तम पाटिल थे जो कि एक किसान के घर में पैदा हुए थे। इनके पीछे इनकी बीबी लीला पाटिल ने भी आन्दोलन में बहुत हिस्सा लिया और तोड़-फोड़ के अभियोग में उन्हें ६ साल की सजा हुई। वह पूना हॉस्पिटल से पुलिस की हिरासत से फरार हो गई। सन् १९४४ में डा० उत्तम पाटिल भी गिरफ्तार हुए, परन्तु वह भी पुलिस हिरासत से भाग गये और गुरिला आन्दोलन का संचालन करते रहे।

अमलनेर में इन लोगों ने एक सामूहिक मोर्चा लगाया जिस पर लगभग ३ हजार आदमी [जमकर दृढ़ता के साथ पुलिस से लड़े और पुलिस-स्टेशनों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों तथा ताल्लुका कचहरी पर कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए आक्रमण किये। काफी लोग पकड़े गये और अन्त में गोली भी चलाई गई। कुछ असें बाद आन्दोलन का सामूहिक रूप छिन्न-भिन्न होने लगा और वह गुरिला युद्ध के रूप में बदल गया। इन दोनों जिलों को भूमि और भौगोलिक स्थिति गुरिला युद्ध के लिए उपयुक्त भी है।

नासिक

नासिक शहर में नेताओं की गिरफ्तारी के बाद फौरन ही हड़ताल हुई और रोजाना जुलूस निकलने शुरू हो गये। पुलिस कुछ लोगों को पकड़ने के लिए आई तो लोगों ने पुलिस के हथियार छीन लिये। उसके बाद पुलिस ने नासिक में लाठियों की बीछारों से आतंक फैलाना शुरू कर दिया। गोली भी चली। आन्दोलन ने गुप्त रूप धारण कर लिया। तार काटने, डाकखानों को जलाने, रेलवे लाइनों को उखाड़ने के सामूहिक काम भी हुए। ब्रिटिश नौकरशाही ने सामूहिक जुमने किये। नासिक जिले के देहातों में भी आन्दोलन हुआ। इसमें मुख्यतः किसान लोग थे। सवा महीने पश्चात् नासिक में अन्न के लिए आन्दोलन शुरू हो गया।

अहमदनगर

कांग्रेस-कार्य-समिति के सदस्य अहमदनगर में रखे गये, इस कारण इस जिले का महत्व आन्दोलन की दृष्टि से और भी बढ़ गया। सच तो यह है कि आन्दोलन-काल में सारे देश की आंखें अहमदनगर के किले की ओर ही लगी रहीं। कितने ही मुझिये दिल आशा व प्रोत्साहन के लिए किले की ओर देखते थे। यह किला पिटी व पिसी जनता की आशाओं व आकांक्षाओं का केन्द्र बन गया। पटवर्धन बंधु भी यहीं के रहने वाले थे। यहां के आन्दोलन में मुख्यतः किसानों ने हिस्सा लिया। प्रारम्भ में हड़तालें हुईं, विरोध-प्रदर्शन हुए, सभायें हुईं और अन्त में आन्दोलन का रूप गुरिला युद्ध में बदल गया। तोड़-फोड़ के कार्य भी काफी हुए। अहमदनगर जिले के एक बेंच मजिस्ट्रेट की अदालत में आग लगाई गई। केण्टोनमेण्ट में गुरिला तबके ने पुलिस के सिपहियों की वर्दी उतरवा ली।

जिले के अन्दर गांवों में भी आन्दोलन फैला। कोपर गांव और शेगांव में काफी समय तक निरन्तर तार काटने का कार्य चलता रहा और अविकारियों के लिए अपना काम चलाना काफी मुश्किल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ तथा माँडर्न हाईस्कूल और लड़कियों के स्कूलों में कई बार बम-विस्फोट भी हुए। स्कूल बहुत दिनों तक बन्द रहे। तोड़-फाड़ सम्बन्धी कार्यों का पता चलाने के लिए पुलिस ने काफी तलाशियां लीं। इन तलाशियों में दो फौजी ठेकेदारों और एक दूकानदार के यहाँ भी तलाशी हुई।

सितारा

सन् १९४२ के खुले विद्रोह में सितारा जिले ने अपना एक निराला

ही इतिहास बनाया है। इस जिले की अपनी विशेष स्थिति है, जिसका वहां के आन्दोलन के विकास व गतिविधि पर खास प्रभाव पड़ा है। यह एक पहाड़ी जिला है और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। मराठा साम्राज्य का सितारा एक प्रमुख शहर रहा है और मराठे अपने सैनिक गुणों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हुए हैं। उनमें बड़े उच्च श्रेणी के नेता हुए हैं। भारतीय सेना में भी सितारा के सिपाहियों की काफी बड़ी संख्या है। यह जिला अंग्रेजों के लिए सैनिकों की भर्ती का केन्द्र है। सितारा के आदमी हृष्ट-पुष्ट, गठीले तथा बहादुर हैं। पूर्व की ओर सितारा जिला पश्चिमी घाटों और नीरा नदी के साथ उत्तर से शुरू होता है और दक्षिण में बरना नदी के साथ समाप्त होता है। पश्चिमी भाग पहाड़ी कतारों से भरा पड़ा है। इसी जिले में महाबलेश्वर का विख्यात पहाड़ है। कृष्णा नदी भी यहीं से निकलती है। पूर्वी भाग कम उपजाऊ है जहां वर्षा भी कम होती है।

सन् १९२१ से यहां पर जन-आन्दोलन का जन्म हुआ। प्रारम्भ म सत्यशोधक आन्दोलन का श्रीगणेश हुआ। इस आन्दोलन का उद्देश्य कुछ सामाजिक सुधार करना था। सन् १९२७-२८ में बारदोली में किसान-संघर्ष और लगानवन्दी आन्दोलन शुरू हुआ तो सितारा के किसानों में भी जागृति पैदा हो गई और वह बारदोली के किसानों से प्रोत्साहन लेने लगे। इसके थोड़े दिनों बाद सन् १९३० का सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ और गान्धीजी के डान्डी कूच ने सितारा जिले के किसानों में एक नई स्फूर्ति व आजादी की इच्छा पैदा कर दी। लगभग ५७ आदमी इस जिले से जेल गये और हजारों किसानों ने जंगल-सत्याग्रह में भाग लिया। तम्बूरा, रेठरी और विलेशी गाँवों में इस सत्याग्रह ने विशेष स्थान प्राप्त किया। उस समय यहां अपनी सरकार बनाने के प्रयत्न हुए, पर पुलिस की बड़ी ताकत द्वारा उन्हें दबा दिया गया।

सितारा में जो बीज सन् १९३० में बोया गया था, वह सन् १९४२ में बड़े वृक्ष के रूप में प्रकट हुआ। आन्दोलन के व्यापक होने के कई कारण थे। सितारा जिले के प्रायः हर गाँव के कितने ही लोग फीज में भरती होगये थे। उनके घर वालों को उनकी चिन्ता थी। अंग्रेजी साम्राज्य से लोगों का विश्वास उठ रहा था। अतः इस स्वतन्त्रता आन्दोलन में उनको अपने घर वालों के लौटने की एक ऋणक दिखाई दी। यहां के किसान काफी जागृत हो चुके थे। यहां की भौगोलिक स्थिति आन्दोलन को लम्बे अर्से तक जारी रखने में सहायक हुई और परम्परा ने गुरिला युद्ध के लिए प्रेरणा दी।

९ अगस्त को जब सितारा जिले की जनता ने कांग्रेसी नेताओं की

गिरफ्तारी की बात सुनी और अपने जिले में गिरफ्तारियां होते देखीं ता काफी जोश पैदा होगया। सैकड़ों जगह सभायें हुईं और उनमें कार्यकर्त्तियों ने लोगों से जीने व मरने की शपथ ली। इन सभाओं में कितने ही गांवों के मुखियों ने इस्तीफे दिये। जब महाराष्ट्री नेता बम्बई से लौटकर आये तो जनता ने उनका पवित्र तीर्थ से लौटे हुए यात्रियों की भांति हार्दिक स्वागत किया। लोग बड़ी उत्सुकता से पूछते थे, 'गान्धीजी ने क्या कहा? क्या आदेश दिया? क्या अब वह बूढ़े हो गये हैं?' इस प्रकार के प्रश्न पूछते हुए उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती थी। अन्त में खिन्न होकर वह पूछते थे, 'क्या गांधी जी पकड़ लिये गये? उन्हें क्यों पकड़ा गया? निर्दयी सरकार को उन्हें इस बुढ़ापे में पकड़ते हुए दया नहीं आई?' और तब वह क्रोध से उन्मत्त हो पागल की तरह पूछते थे, 'अब हमें क्या करना चाहिए? गान्धीजी ने हमें क्या करने का आदेश दिया है?' लौटे हुए कांग्रेसी नेताओं ने जनता को कांग्रेस का प्रोग्राम व गान्धीजी का आदेश बताया।

यद्यपि जिले में दफा १४४ लग चुकी थी, पर लोगों ने लगभग १०० से अधिक स्थानों पर सभायें कीं। किरलोसकर कापर फैक्ट्री में पूर्ण हड़ताल हुई और यह फैक्ट्री एक माह तक बन्द रही।

लोगों ने अपना क्षोभ ताल्लुका कचहरी के सामने शान्त प्रदर्शन करके उतारना चाहा। ताल्लुका के प्रत्येक गांव से ग्रामवासी एक निश्चित तिथि पर जुलूस बनाकर 'भारत छोड़ो' का नारा लगाते हुए किसी जिम्मेदार कांग्रेस-कार्यकर्त्ता के नेतृत्व में ताल्लुका कचहरी के पास आये। वहां उनके नेता ने कांग्रेस-भंडा ऊहराया और अग्रस्त-प्रस्ताव लोगों को समझाया। उसके बाद व्याख्यान हुआ और लोगों ने भंडा अभिवादन किया। लोग विजय-मुद्रा में पीछे हटे। यह लोगों का शान्तिमय कदम था। २४ अगस्त से १० सितम्बर तक यानी ९ अगस्त के बाद दूसरे पखवाड़े में ताल्लुका में ५ बार शान्तिमय प्रदर्शन किये गए। इस प्रकार का प्रथम प्रदर्शन कराद में २४ अगस्त को हुआ। यह लोगों के लिए एक नई चीज थी। श्री बालकृष्ण पटेल उन्दालय निवासी के लगभग २५ हजार किसानों ने शान्तिपूर्वक प्रदर्शन में भाग लिया और कचहरी नेतृत्व में तक गये। कचहरी के हाते के बाहर एक महती सभा हुई। तभी एक पुलिस अधिकारी आया और उसने नेता से पीछे हट जाने को कहा। इसके बाद हथियारबन्द पुलिस भीड़ के बीच में घुसी। बन्दूक की चोट से एक कांग्रेस-कार्यकर्त्ता श्री पांडुरंग देशमुख घायल हुए। इससे लोग आवेश में आ गये। इस पर नेता खड़ा हुआ और लोगों को तितर-बितर हो जाने का

कहा, "हमारा प्रदर्शन सफल हो चुका। हम विजयी हो गये। अब आप लोग घर चले जाइये। मैं जानता हूँ कि हम लोग इस समय इतनी संख्या में हैं कि हम उनको पकड़ सकते हैं जो हम पकड़ना चाहते हैं। पर हमारे प्रदर्शन का तात्पर्य यह नहीं है। मैंने शान्तिपूर्ण तरीके पर कैदी होना स्वीकार कर लिया है। गान्धीजी ने हमको कुछ करने या मरने का आदेश दिया है। लेकिन उन्होंने हमें अहिंसक रहने के लिए भी कहा है। अगर हम हिंसात्मक कार्य करेंगे तो गान्धीजी उसे पसन्द न करेंगे। उनके हृदय को बहुत दुःख होगा। इसलिए आप शान्तिपूर्वक घर चले जाइए।"

गान्धीजी के नाम पर यह एक कसम थी। लोगों ने अपने नेता का कहना माना और वे शान्तिमय ढंग से अपने घरों को वापस लौट गये।

सितारा ने आगे चलकर, जब आन्दोलन ने गुप्त रूप धारण किया, तो इस दिशा में और भी असाधारण ख्याति प्राप्त की। जो कार्यकर्ता फरार हुए उन्होंने समानान्तर सरकार की स्थापना की। इसे पटरी सरकार कहा जाता था। इसने सरकार-परस्तों में भारी आतंक बिठा दिया। उसका न्याय-शासन बड़ा सख्त था। जो लोग इस सरकार की दृष्टि से अपराध करते थे और विदेशी राज को मदद पहुंचाते थे, उनको अंग-भंग करके सख्त सजा दी जाती थी। जब अन्य भागों में शान्ति होगई, तब भी सितारा में सरकार का दमन बराबर जारी रहा। वहाँ पूर्ण शान्ति तो कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डल की स्थापना के पश्चात् ही कायम हुई, जब कि तमाम दमनकारी कार्रवाई बन्द की गई।

कर्नाटक

भारतवर्ष के राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में कर्नाटक का सदा महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। सन् १९२१ से १९४२ तक जितने भी आन्दोलन चले, कर्नाटक के लोगों ने इन सबमें अपनी प्रतिभा, संगठन-शक्ति व सामूहिक जोश का प्रदर्शन किया है और अनेक प्रकार की यातनायें सही हैं। स्वभाव से ही यहाँ के लोगों का गान्धीजी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास रहा है। कर्नाटक का शानदार इतिहास है। वह कला व संस्कृति के लिए विख्यात है। कर्नाटक के लोगों को संगीत से बड़ा प्रेम है और वे स्वभावतः धार्मिक हैं। शायद इसी कारण उन्हें गान्धीजी के नेतृत्व में और अधिक विश्वास है। दक्षिण के वीरों की अनेकों कहानियाँ प्रचलित हैं। यहाँ रेड्डी, तलवार, वादम, नायक आदि कितने ही प्रकार के सैनिक हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी व सैनिक कला के कारण कर्नाटक में ही नहीं बल्कि दक्षिण के और सूबों में भी ख्याति प्राप्त की है।

मैंने उपरोक्त बातों को थोड़ा-सा केवल इसलिए बताने का प्रयत्न किया कि आन्दोलन की गतिविधि पर प्रत्येक प्रान्त की जनता की मनोवृत्ति, भावनाओं, कल्पनाओं तथा बाह्य परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। कर्नाटक में जब कांग्रेसी नेताओं के पकड़े जाने की खबर फैली तो वहाँ के लोगों ने विभिन्न आन्दोलनों द्वारा जो ट्रेनिंग पाई थी, उसके अनुसार अपना विरोध प्रकट किया। वे लाखों की तादाद में संगठित रूप से उठे और आन्दोलन को सबसे अधिक लम्बे काल तक सामूहिक व व्यक्तिगत रूप में जारी रखा। इस दृष्टि से कर्नाटक प्रान्त सारे भारत में सर्वप्रथम है। किसी भी प्रान्त में इतने संगठित रूप से आन्दोलन का प्रवाह नहीं रहा। इसका श्रेय कर्नाटक के नेताओं को ही है। इतना ही नहीं जहाँ एक ओर कर्नाटक के गांव-गांव में विद्रोह की यह अग्नि फैली वहाँ दूसरी ओर हमने देखा कि वहाँ पर एक भी सरकारी कर्मचारी की हत्या नहीं हुई, हालांकि वहाँ लोगों के घरों को जलाया गया और उन्हें तरह-तरह की शारीरिक यातनाएं भोगनी पड़ीं।

गान्धीजी का सन्देश

८ अगस्त, सन् १९४२ की रात को कर्नाटक के नेता श्री गोपालराव विलवादी गान्धीजी के पास सन्देश लेने के लिए गये। गांधीजी ने संघर्ष की सम्भावना समझते हुए यह सन्देश दिया, "मैं कर्नाटक के रहने वालों से यह आशा करता हूँ कि वे आने वाले यज्ञ में अपनी पूर्ण शक्ति से योग देंगे।" इसका वहाँ के लोगों पर इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने अनगिनत लाठियों के प्रहारों, गोलियों की दौड़ारों, और फौज व पुलिस की ज्यादतियों को दिलेरी व जवांमर्दी से खुशी-खुशी सहा। लगभग २ हजार आदमी आन्दोलन में पकड़े गये।

आन्दोलन की गतिविधि

कर्नाटक में होने वाले आन्दोलन को हम तीन भागों में बांट सकते हैं—

१. ८ अगस्त सन् १९४२ से लेकर १६ सितम्बर सन् १९४२ तक।

इस काल में वहाँ की जनता ने सामूहिक विद्रोह किया और न्याय व शान्ति-रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। गांव-गांव और कस्बे-कस्बे में हड़तालें, सभायें और विरोध-प्रदर्शन हुए और इस प्रकार जनता ने ब्रिटिश राज्य की मानने से साफ इन्कार किया। पर यह जो कुछ हुआ, वह सब संगठित नहीं हुआ। इसमें जोश की मात्रा अधिक थी।

२. १८ सितम्बर सन् १९४२ से लेकर ५ नवम्बर सन् १९४२ तक।

इस काल में कर्नाटक के नेताओं ने जनता के जोश व शक्ति को ठीक तरीके से प्रयोग करने के लिए आन्दोलन को संगठित रूप दिया और सरकार के विरुद्ध संगठित नीति को अपनाया । इसी काल में कर्नाटक में सरकारी राज्य-व्यवस्था तथा मार्ग-व्यवस्था रेल, तार, टेलीफोन आदि को अस्त-व्यस्त करने का संगठित प्रयत्न किया गया ।

३. ५ नवम्बर सन् १९४२ से लेकर ५ मई सन् १९४६ तक ।

इस काल में कर्नाटक में संगठित खुले सामूहिक प्रयत्न हुए । सरकारी राज्यसत्ता प्राप्त करने के लिए यह प्रयत्न शुद्ध सत्याग्रही आचार पर थे । पर इस बार उनमें अधिक तेजी व शक्ति थी । इस प्रकार आन्दोलन का पहला काल असंगठित व क्षणिक था, दूसरे में संगठित व सतत प्रयत्न थे और तीसरे में सत्याग्रही सिद्धान्तों का पूर्णतः पालन किया गया । गान्धीजी के छूटते ही यहाँ के आन्दोलन की गति समाप्त हो गई ।

इन तीनों कालों में जो आन्दोलन इस प्रान्त में हुए और जिस प्रकार के प्रोग्राम बनाये गये उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं । (१) सत्याग्रही विरोध प्रदर्शन और (२) सरकारी व्यवस्था को अस्तव्यस्त करने के तोड़-फोड़ के काम । जहाँ तक पहली किस्म के कामों का सम्बन्ध है, उनका विस्तार से बताना मुश्किल है, पर फिर भी उस प्रोग्राम के अधीन इस प्रकार के कार्य किये गये :—

१. जुलूसों और जलसों पर लगे हुए प्रतिबन्ध को साफ खुले तरीके पर तोड़ा गया ।

२. छापेखानों तथा साइक्लोस्टाइल वाले प्रतिबन्धों की अवहेलना की गई ।

३. बुलेटिन व पोस्टर खुले रूप से बांटे गए ।

४. नमक कानून तोड़ा गया ।

५. अदालतों व शराब की दूकानों पर पिकेटींग किया गया ।

६. वगैरे टिकट के सफर किया गया ।

इस प्रकार के प्रोग्राम पर सारे प्रान्त में अमल हुआ और सरकार ने उसे पकड़-घकड़, लाठी, राइफल की मार तथा भारत रक्षा कानून द्वारा विफल करने का प्रयत्न किया ।

तोड़-फोड़

इस प्रान्त में जो तोड़-फोड़ के कार्य हुए, उनमें मुख्य ये हैं :—

१. टेलीग्राफ और टेलीफोन के तारों को उखाड़ा गया । इस प्रकार के

१६०० सफल व असफल प्रयत्न प्रान्त में हुए ।

२. २२० गावों में गांव के रेकार्ड छीने व जलाये गये ।

३. छोटे व बड़े लगभग ३२ डाकखानों को क्षति पहुंची और उन पर कब्जा करने के प्रयत्न हुए । लगभग ५१ फी सदी चिट्ठी डालने की संदूकचियों को बरबाद किया । लगभग १०० डाक थैले छीने गये और उन्हें बरबाद किया गया । लगभग १६ डाक ले जाने वाली गाड़ियों पर आक्रमण हुए और डाक के थैलों को छीना गया ।

४. लगभग ४४ डाक बंगलों को क्षति पहुंची या पूर्णतः बरबाद कर दिये गये । बंगलों में उस काल में पुलिस व रेवेन्यू अफसरों के कैम्प थे ।

५. लगभग ६५ शराब व गांजे की दूकानों पर आक्रमण हुए और उन्हें नष्ट किया गया और लगभग ५० खिब्वों को जिनमें शराब भरी हुई थी, बर्हा दिया गया ।

६. २५७ गावों के सरकारी दफ्तर या तो क्षति-ग्रस्त हुए या नष्ट हुए ।

७. १॥ लाख रुपये की सरकारी लकड़ी में आग लगा दी गई ।

८. लगभग २६ रेलवे स्टेशनों को या तो जलाया गया या क्षति-ग्रस्त किया गया ।

९. लगभग ११-बार रेलगाड़ियां पटरी पर से उतरीं और १३ दफा रेल की पटरियां उखाड़ी गईं और रेलवे सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के अनेक प्रयत्न किये गये ।

नोट—केवल एक दफा एक मुसाफिर गाड़ी उतरी जिसमें एक आदमी की क्षति हुई । अन्यथा अधिकतर मालगाड़ियों को ही उलटने का प्रयत्न किया गया ।

१०. सड़कों पर के लगभग २५ पुलिसियों के तोड़ने के सफल व असफल प्रयत्न हुए ।

११. इस बार लगानबन्दी का प्रयत्न नहीं हुआ, सिर्फ सरकार जो रुपया वसूल करती थी उसे छीनने के अनेक प्रयत्न हुए ।

१२. लगभग ३० पुलिस सिपाहियों की बर्दियां उतरवाई गईं और उनसे हथियार रखवा लिये गये ।

विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि कर्नाटक प्रान्त में एक भी मिसाल ऐसी नहीं मिलती कि जनता ने किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति पर आक्रमण किया हो या उसे लूटा हो । सारा आन्दोलन सरकारी सत्ता के विरुद्ध केन्द्रित था और जब आन्दोलन के नेताओं को मालूम हुआ कि दो-चार जगह स्कूलों

के रिकार्ड जलाये गये तो उन्होंने ऐसा न करने की हिदायत जारी कर दी । वाद में इस बात का पता चला कि यह वह स्कूल थे जहाँ पर पुलिस ने अपने कैम्प डाल रखे थे ।

दमन के तरीके प्रायः सभी जगह एक-से रहे । डराना, आतंक फैलाना, मासूम लोगों से रुपये वसूल करना आदि उपाय काम में लिये गये । पर चूँकि कर्नाटक प्रान्त में कितने ही कार्यकर्ता ऐसे थे जो आन्दोलन प्रारम्भ होते ही अपने घरों से भाग निकले थे और आन्दोलन का संचालन कर रहे थे, इसलिए पुलिस ने उनको पकड़ने के लिए उनके रिश्तेदारों व मित्रों को अनेक प्रकार की यातनायें दीं । बेटे के वजाय बाप को पकड़ा गया और लोगों को पुलिस और फौज के घेरे में जमा किया गया तथा इस प्रकार उनके हृदय में भय बिठाकर उनसे भागे हुए लोगों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई ।

प्रारम्भ में धारवाड़, बेलगांव और उत्तरी कनारा में इन फरारों की संख्या, जो घोषित की गई, ३०,२२ तथा ३४ थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फरारों की संख्या केवल धारवाड़ जिले में ही २३२ तक पहुँच गई । उन लोगों ने आत्म-समर्पण नहीं किये और पुलिस के नियम की अवहेलना की । जब पुलिस उन्हें न पकड़ सकी तो यह कार्य फौज को सौंपा गया । फौज ने बेलगांव जिले व धारवाड़ तथा रतनार जिले के प्रमुख इलाकों को घेर लिया और पहाड़ों व जंगलों को छान मारा । फौजी रात को गांवों पर हमले करते थे । इनके आक्रमणों का यह तरीका था कि गांव से बाहर लारियां खड़ी करके रात को गांवों में चुपके से घुसते थे और सड़कों पर खड़े होकर आने-जाने वाले आदमियों को रोकते थे । रात भर उन्हें बन्द रखते थे और फिर उन सब जगहों की तलाशी लेते थे । जहाँ पर उन्हें किसी फरार का सन्देह होता था वहाँ न केवल घरों की तलाशी ली गई, बल्कि फरारों को एक-एक करके चुनने के भी प्रयत्न हुए । रात को घरों में जा-जाकर टार्च की रोशनी व बन्दूकों के प्रहारों से तलाशियां ली गईं । जंगलों में रात को उड़ने व चमकने वाले बम अर्थात् रोशनी करने वाले बम फेंके गये । रास्ते में जहाँ कहीं भी इक्के-दुक्के आदमी मिलते थे उन पर गोली चलाई जाती थी । इस प्रकार कितने ही लोग जल्मी हुए । पुलिस ने मार-पीट की तो हृद कर दी । जंगलियों में पिन चुभाना, रात को सोने न देना, तथा अन्य प्रकार की मानसिक यातनाएं देने के काफ़ी उदाहरण मिलते हैं । एक स्कूल मास्टर को बस से नीचे उतारकर इसलिए सड़क पर खींचा गया कि उसने कांग्रेसी नारे बोले थे । बँतकी जिले में एक छोटे से बच्चे के सारे दांत तोड़ दिये गये, क्योंकि उसने फरारों की बाबत कोई इतिला नहीं दी ।

वेलगांव जिले के एक गांव में पुलिस की एक टुकड़ी ने ५० लारियों के साथ ६ नवम्बर सन् १९४२ को घेरा डाला और प्रत्येक घर की तलाशी ली। उस समय उस लाइन के टेलीग्राफ पोस्ट पर पुलिस और फौज का पहरा था। डिप्टी सुपरिण्टेण्डेंट और चार सब इंस्पेक्टर वहां पर मौजूद थे। वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने केवल चर्खा-संघ के दो कार्यकर्त्ताओं को पकड़कर ही सन्तोष किया।

३ नवम्बर को आधी रात के कुछ देर पश्चात् कई सौ फौजी सैनिकों ने संकेश्वर ग्राम पर घावा बोला। सारे गांव व उसके खेतों तक को घेर लिया और गांव के लोगों को एक घर से दूसरे घर तक नहीं जाने दिया। लगभग २०-३० आदमियों को हिरासत में लिया और फिर बाद में छोड़ दिया। उत्तरी कनारा में डिप्टी सुपरिण्टेण्डेंट पुलिस ने कई सौ पुलिस के सिपाहियों सहित अंकोला से बसेगौन और लुवैरे तक २० वर्ग मील के क्षेत्रफल पर घावा बोला। हर घर की तलाशी ली। इस प्रकार पुलिस ने फरारों के पकड़ने के कितने ही व्यर्थ प्रयत्न किये, पर इस इलाके के लोगों ने अपने कार्यकर्त्ताओं को, जो उन्हें अपने जीवन से भी कहीं अधिक प्यारे थे, बचाया और पुलिस तथा फौज के अनेक प्रयत्नों के बावजूद कार्यकर्त्ता आजाद लोगों की तरह घूमते रहे।

कर्नाटक में लगभग १८ जगह गोलियां चलीं। बंगलौर में दो दिन के अन्दर पांच जगह गोलियां चलीं। इस प्रकार प्रान्त में लगभग १७८ आदमी मरे और ६०० घायल हुए। लगभग १६ जगह लाठी चार्ज हुआ और ३१ दफा में लगभग ९० आदमी सख्त जख्मी हुए और सैकड़ों को छोटी-मोटी चोटें आईं। पुलिस ने फरार व्यक्तियों को पकड़ने के लिए ढाई सौ से १५ सौ रुपए तक के इनाम की घोषणा की और लगभग साढ़े तीन सौ कार्यकर्त्ताओं को गृहद्वारा फरार घोषित किया। लगभग ३ लाख ३६ हजार रुपए गांवों व शहरों पर सामूहिक जुर्माने के रूप में लगाये गये; पर वसूल इससे कहीं अधिक किमा गया। लगभग १५ गांवों में इस जुर्माने को वसूल करने के लिए कुर्कियां हुईं। आन्दोलन-काल में लगभग ३ हजार कुर्कियां हुईं और लोगों के वर्तन, गाय, बैल, भैंस सभी कुर्क कर लिये गये। विभिन्न अपराधों में बहुत से लोगों पर मुकदमे चले और इस प्रकार कर्नाटक प्रान्त में ५ आदमियों को फांसी की सजा हुई और ११ को काला पानी। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से लोगों को लम्बी सजाएं हुईं। सारे प्रान्त में लगभग ७१५७ आदमी गिरफ्तार हुए, जिनमें से २५०० मैसूर रियासत के थे।

इन इलाकों में से कुछ ने जुर्माना न देने का निश्चय किया। यह इलाके

निम्नलिखित हैं—पैचापुर, हीरा पागेस, वादी और होसूर; बेलगांव जिले में कुमाविली और गाकारा। उत्तरी कनारा जिले में हीराचोगेसवादी ग्राम में जब डिप्टी कलेक्टर साहब १५ नवम्बर १९४२ को जुर्माना वसूल करने गये तो उस गांव के मुखिया और अहलकाराने कलेक्टर के साथ जाने और उस गांव के लोगों की सम्पत्ति कुर्क करने में मदद देने से साफ इन्कार कर दिया। उत्तरी द्वीजन के कमिश्नर ने तो साफ तरीके से सरकार को लिख दिया कि जुर्माना वसूल करने की नीति से लोगों के अन्दर और आग भड़कती है। फिर भी कर्नाटक में जुर्माना वसूल करने में एक प्रकार की खुली लूट हुई। अनेकों जगह पुलिस ने सामान को लूट लिया और निर्दिष्ट जुर्माना देकर बाकी सामान अपत्ते साथ ले गये।

कर्नाटक प्रान्त के न्याय-विभाग ने कितने ही व्यक्तियों को छोड़ दिया, जिन्हें नीचे की अदालतों ने बिना कानून-कायदे लम्बी सजाएं दे दी थीं।

कर्नाटक प्रान्त में आन्दोलन-काल में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब कि जनता ने वावजूद काफी उत्तेजना के हिंसा के मार्ग को नहीं अपनाया और न किसी व्यक्ति की सम्पत्ति को ही नुकसान पहुंचाया।

अमरगढ़ रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने एक प्रमुख कार्यकर्ता से सिकायत की कि उनका बटुआ छीन लिया गया है। उसने वहां पर उसकी तहकीकात की और उनका बटुआ वापस दिलाया।

इसी प्रकार जनवरी सन् १९४३ में जब कि जनता की एक टुकड़ी ने अनकालजी पुलिस स्टेशन पर घावा बोला तो कुछ लोगों ने इन सिपाहियों का त्रिजी सामान भी उठा लिया। पर बाद में मालूम हुआ कि आग से बचाने के लिए उन लोगों ने उसे एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया था। इस प्रकार के और भी कई उदाहरण मिलते हैं।

मैंने ऊपर कर्नाटक में होने वाले आन्दोलन का बाह्य रूप बताने का प्रयत्न किया है। जहां वह व्यापक था वहां संगठित भी था और उसकी गति-विधि से पता चलता है कि उसके नेता बड़े ही नीति-निपुण थे। यहां पर सामूहिक प्रदर्शन और तोड़-फोड़ दोनों ही प्रकार के कामों में एक जैसी संगठन-शक्ति दिखाई देती है। जैसा मैंने ऊपर बताया है, यहां के लोगों में वीरता है और वे वार की हृदय से पूजा करते हैं। इस कारण कर्नाटक प्रान्त में कितने ही ऐसे अपूर्व उदाहरण मिलते हैं जिनको सुनकर गर्व से छाती ऊंची हो जाती है। यदि इस प्रकार के उदाहरण कहीं यूरोप के रण-क्षेत्र में हुए होते तो ब्रिटिश सरकार उन बहादुरों की तरह-तरह के खिताब और तमगें देती, पर परावीन

भारत में तो गोलियों द्वारा ही उनका स्वागत किया गया।

वीरतापूर्वक कार्य

हुबली में गोलियों की वीरता से नरेनदन नामक एक छोटी उम्र के बालक की मृत्यु हुई। मरने से कुछ पहले डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो उस बहादुर बच्चे ने अपनी मूट्टी बांधकर जोर से कहा, "मैं स्वराज्य चाहता हूँ, और कुछ नहीं।" अगले दिन १५ हजार के समूह द्वारा उसकी अर्थी सजाकर जुलूस निकाला गया।

बेलगांव जिले में खदरीशिवपुर ग्राम में ग्रामीण लोग एक जलसा करने के लिए इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने को पूर्ण स्वतन्त्र घोषित किया। यह खबर सुनते ही पुलिस के सुपरिण्टेण्डेंट सदल-बल गांव में पहुंचे। उस समय गांव में प्रभात-फेरी निकल रही थी। पुलिस अफसर ने लोगों को तितर-बितर होने का आदेश दिया। लेकिन जुलूस के नेता शोतिया जोतिया ने कहा, "हम आज़ाद लोग हैं और आपके हुकम को नहीं मान सकते। डिप्टी सुपरिण्टेण्डेंट ने गोली चलाने की धमकी दी। नेता ने धमकी को नज़रअन्दाज किया और वहीं उसे गोली मार दी गई।

सवादत्तकी ग्राम में जब एक प्रमुख नागरिक अमाधपत की गिरफ्तारी हुई और उसे नभतल दायर के दफ्तर ले जाया गया तो एक बड़े हुजूम ने उसे पुलिस से छीनना चाहा। गोलियां चलीं और जनता ने उनका वीरतापूर्वक मुकाबला किया अन्त में अमाधपत को छोड़ दिया गया।

विद्यार्थियों और मजदूरों का योग

अन्य प्रान्तों की भांति कर्नाटक प्रान्त में भी विद्यार्थियों ने आन्दोलन में अपूर्व जोश व बलिदान का भाव दिखाया। प्रायः हर कस्बे में, जहां स्कूल थे, उन्होंने हड़ताल कीं, भारत-रक्षा-कानून की धाराओं को तोड़ा और प्रचार के लिए गांवों में गये। कितनी ही जगह उन्होंने स्टेशनों को जलाया। देवनगर और बहावर के विद्यार्थियों ने जुलूस निकालने, भंडों की सलामी देने, बुलेटिन बांटने व छापने के कार्यों में विशेष हाथ बटाया। धारवाड़, हुबली, घटक, गेरगांव के विद्यार्थियों ने विदेशी कपड़े और टोप इत्यादि जलाने तथा अपने प्रोफेसरों व अध्यापकों को खादी से कपड़े देने के प्रोग्राम को चलाने का भी प्रयत्न किया। लगभग ३०० विद्यार्थियों को सजाएं हुईं। कितने ही विद्यार्थियों ने कई माह तक पनावा और देवनगर के बीच बगैर टिकट सफर किया और रेलगाड़ी के इंजनों पर कांग्रेसी भंडा लगाया और यूरोपियन लोगों को गांधी टोपियां पहनाने का प्रयत्न किया।

कर्नाटक में बहुत कम मिलें हैं। फिर भी भारत मिल्स और हुवली रेलवे वर्कशाप में हड़तालें रहीं।

आन्दोलन की विशेष बातें

सन् १९४२ के नवम्बर मास में अखिल भारतीय खुफिया विभाग ने अपनी रिपोर्ट छापी थी। उसमें लिखा है कि कर्नाटक के प्रमुख कांग्रेस-नेता आन्दोलन से बाहर रहे अथवा फरार होगये। उन्होंने अपने संगठन को सुदृढ़ बनाकर सूब-में तोड़-फोड़ के काम प्रारम्भ किये। पर वास्तविकता उसके विपरीत है। निस्सन्देह कर्नाटक के प्रमुख नेता बाहर रहे और उन्होंने आन्दोलन का संगठन भी किया पर उन्होंने अपनी पूरी शक्ति इस ओर लगाई कि आन्दोलन को लम्बे अर्से तक जारी रक्खा जाय और उस समय के विभिन्न कार्य-क्रमों को सफलता पूर्वक चलाया जाय। चूंकि इन लोगों का अपने-अपने इलाकों में गहरा प्रभाव था, इसलिए जनता ने उन्हें हर प्रकार की मदद दी। यह लोग खुले तरीके से गांवों में घूमते थे और कार्य करते थे। हां, सरकारी कर्मचारियों के साथ सीधा मोर्चा न लेते थे। वे इस बात का ध्यान रखते थे कि किसी की जान की हानि न हो।

डेढ़ साल से अधिक काल तक कर्नाटक प्रान्त की जनता का साहस व जोश वैसा ही बना रहा, यद्यपि उसे दवाने व आतंक फैलाने के अनेक प्रयत्न किये गये। पुलिस व फौज की लारियां गांवों में घुमाई जाती थीं पर जनता के हृदय में लचक पैदा नहीं हुई। वह इस प्रकार के आक्रमणों की आदी हो गई थी और उसने उनके प्रत्युत्तर देने के तरीके भी सीख लिये थे। लारी के आते ही यथा-सम्भव दूसरे गांवों में खबर भेज दी जाती थी।

अन्तिम प्रयास

आन्दोलन का अन्तिम काल ५-११-४३ से शुरू होता है, जब कि कर्नाटक प्रान्त के कार्यकर्ताओं ने मत्याग्रह-समिति बनाई और आन्दोलन के अन्दर पुनः नई जान डाली तथा उसको सामूहिक रूप देने का प्रयत्न किया। समिति ने निश्चय किया कि सरकार की खाद्य-नीति तथा आवे दिन होने वाली अन्य ज्यादतियों के विरुद्ध जनता को नये सिरे से अपना विरोध-प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाय। सभाएं की जायं और जुलूस निकाले जायं तथा लगे हुए प्रतिबंधों को तोड़ा जाय। इस प्रकार ५-११-४३ से ५-५-४४ तक ६०० आदमी और औरतों को सजाएं हुईं।

६ मई सन् १९४४ को जब गांधीजी छूटे तो कर्नाटक के कई कार्य-

कर्ताओं ने उनके आदेशानुसार खुले रूप से कार्य करके तथा अपने को सरकार को सौंपना शुरू कर दिया और इस प्रकार कर्नाटक प्रान्त का विद्रोह जो ६ अगस्त सन् १९४२ को शुरू हुआ था, कई उतार-चढ़ाव के बाद समाप्त-प्राय हो गया।

कुछ आंकड़े

यद्यपि किसी प्रान्त के ठीक-ठीक आंकड़े प्राप्त करना मुश्किल है पर कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने संगठन को इतना व्यवस्थित और सुदृढ़ बना रखा था कि उनका अपने प्रान्त के हर जिले, कस्बे व गांव से सीधा सम्बन्ध रहा। फिर भी जो आंकड़े आगे दिये जाते हैं, हो सकता है कि वे अधूरे हों और वास्तविक आंकड़े कहीं अधिक हों।

गिरफ्तारियां

जिला	संख्या	घोषित गिरफ्तारियां
बेलगांव	२३२६	२२
बेलारी	१५१	
बीजापुर	३६५	
कुर्ग	७४	
घारवाड़	१३३७	२८४
उत्तरी कनारा	६४४	१४
दक्षिणी कनारा	३८	
मंसूर राज्य	२५०४	

कुल योग ७४३६

३२०

आन्दोलन-काल में सरकार ने फरारों को पकड़ने तथा तोड़-फोड़ के कार्यों का पता चलाने के लिए २५० रुपये से लेकर ५०० रुपये तक इनाम देने घोषणा की। इनमें से १० घारवाड़ जिले तथा ६ बेलगांव जिले के कार्यकर्ताओं के फरारों के लिए घोषित किये गये।

गोली-काण्डों में जन-हानि

कर्नाटक प्रान्त में आन्दोलन में गोली-काण्डों के फल-स्वरूप हमारे आंकड़ों के अनुसार लगभग १८१ आदमी मरे और ५२० जख्मी हुए। कुछ स्थानों के अंक प्राप्त न हो सके। बंगलौर शहर में तोपखाने का भी प्रयोग किया गया और अश्रु-गैस कई बार छोड़ी गई।

कर्नाटक में बहुत कम मिलें हैं। फिर भी भारत मिल्स और हुबली रेलवे वर्कशाप में हड़तालें रहीं।

आन्दोलन की विशेष बातें

सन् १९४२ के नवम्बर मास में अखिल भारतीय खुफिया विभाग ने अपनी रिपोर्ट छापी थी। उसमें लिखा है कि कर्नाटक के प्रमुख कांग्रेस-नेता आन्दोलन से बाहर रहे अथवा फरार होगये। उन्होंने अपने संगठन को सुदृढ़ बनाकर सूब में तोड़-फोड़ के काम प्रारम्भ किये। पर वास्तविकता उसके विपरीत है। निस्सन्देह कर्नाटक के प्रमुख नेता बाहर रहे और उन्होंने आन्दोलन का संगठन भी किया पर उन्होंने अपनी पूरी शक्ति इस ओर लगाई कि आन्दोलन को लम्बे अर्से तक जारी रक्खा जाय और उस समय के विभिन्न कार्य-क्रमों को सफलता पूर्वक चलाया जाय। चूंकि इन लोगों का अपने-अपने इलाकों में गहरा प्रभाव था, इसलिए जनता ने उन्हें हर प्रकार की मदद दी। यह लोग खुले तरीके से गांवों में घूमते थे और कार्य करते थे। हां, सरकारी कर्मचारियों के साथ सीधा मोर्चा न लेते थे। वे इस बात का ध्यान रखते थे कि किसी को ज्ञान की हानि न हो।

ढेड़ साल से अधिक काल तक कर्नाटक प्रान्त की जनता का साहस व जोश वैसा ही बना रहा, यद्यपि उसे दबाने व आतंक फैलाने के अनेक प्रयत्न किये गये। पुलिस व फौज की लारियां गांवों में घुमाई जाती थीं पर जनता के हृदय में लचक पैदा नहीं हुई। वह इस प्रकार के आक्रमणों की आदी हो गई थी और उसने उनके प्रत्युत्तर देने के तरीके भी सीख लिये थे। लारी के आते ही यथा-सम्भव दूसरे गांवों में खबर भेज दी जाती थी।

अन्तिम प्रयास

आन्दोलन का अन्तिम काल ५-११-४३ से शुरू होता है, जब कि कर्नाटक प्रान्त के कार्यकर्त्ताओं ने सत्याग्रह-समिति बनाई और आन्दोलन के अन्दर पुनः नई जान डाली तथा उसको सामूहिक रूप देने का प्रयत्न किया। समिति ने निश्चय किया कि सरकार की खाद्य-नीति तथा आये दिन होने वाली अन्य ज्यादतियों के विरुद्ध जनता को नये सिरे से अपना विरोध-प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाय। सभाएं की जायं और जुलूस निकाले जायं तथा लगे हुए प्रतिबन्धों को तोड़ा जाय। इस प्रकार ५-११-४३ से ५-५-४४ तक ६०० आदमी और औरतों को सजाएं हुईं।

६ मई सन् १९४४ को जब गांधीजी छूटे तो कर्नाटक के कई कार्य-

कर्ताओं ने उनके आदेशानुसार खुले रूप से कार्य करके तथा अपने को सरकार को सौंपना शुरू कर दिया और इस प्रकार कर्नाटक प्रान्त का विद्रोह जो ६ अगस्त सन् १९४२ को शुरू हुआ था, कई उतार-चढ़ाव के बाद समाप्त-प्राय हो गया ।

कुछ आंकड़े

यद्यपि किसी प्रान्त के ठीक-ठीक आंकड़े प्राप्त करना मुश्किल है पर कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने संगठन को इतना व्यवस्थित और मुदृढ़ बना रखा था कि उनका अपने प्रान्त के हर जिले, कस्बे व गांव से सीधा सम्बन्ध रहा । फिर भी जो आंकड़े आगे दिये जाते हैं, हो सकता है कि वे अचूरे हों और वास्तविक आंकड़े कहीं अधिक हों ।

गिरफ्तारियां

जिला	संख्या	घोषित गिरफ्तारियां
बेलगांव	२३२६	२२
बेलारी	१५१	
बीजापुर	३६५	
हुर्ग	७४	
धारवाड़	१३३७	२५४
उत्तरी कनारा	६४४	१४
दक्षिणी कनारा	३८	
मैसूर राज्य	२५०४	

कुल योम ७४३६

३२०

आन्दोलन-काल में सरकार ने फरारों को पकड़ने तथा तोड़-फोड़ के कार्यों का पता चलाने के लिए २५० रुपये से लेकर ५०० रुपये तक इनाम देने घोषणा की । इनमें से १० धारवाड़ जिले तथा ९ बेलगांव जिले के कार्यकर्ताओं के फरारों के लिए घोषित किये गये ।

गोली-काण्डों में जन-हानि

कर्नाटक प्रान्त में आन्दोलन में गोली-काण्डों के फल-स्वरूप हमारे आंकड़ों के अनुसार लगभग १८१ आदमी मरे और ५२० जख्मी हुए । कुछ स्थानों के अंक प्राप्त न हो सके । बंगलौर शहर में तोपखाने का भी प्रयोग किया गया और अश्रु-गैस कई बार छोड़ी गई ।

युद्ध सम्बन्धी क्षति

१. युद्ध में भेजने के लिए गंगावती नदी के किनारे जो स्लीपर व लकड़ी जमा की गई थी उसे जला दिया गया। इस प्रकार लगभग एक लाख की क्षति हुई।

२. उत्तरी कनारा में हथीकर में साल की लकड़ी के डिपो भी जलाये गये और लगभग १५ हजार का नुकसान हुआ।

३. उत्तरी कनारा में सिरसी में गवर्नमेंट के लकड़ी के स्टॉक को आग लगाकर जला दिया गया।

४. बेलगाम में दो घास के फौजी स्टॉक जला दिये गये और लगभग २० हजार का नुकसान हुआ।

पुलिस को निहत्था बनाना

पुलिस को निहत्थे बनाने के ६ प्रयत्न किये गए जिनमें लगभग २६ से अधिक पुलिस अफसरों व सिपाहियों के हथियार धरवा लिये गये और उन्हें निहत्था बना दिया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस-चौकियों से कई जगह हथियारों को हटा लिया गया।

: ५ :

बिहार में खुला विद्रोह

कुछ आंकड़े

जिला	नजरबन्द	गिरफ्तार	दण्डित	मारे गये	घायल हुए	सामूहिक जुमाना
पटना	—	४३३४	२२४३	३०	१२१	८,००,०००
मुंगेर	५४	६२७	३८८	८६	३५	१,६७,७००
बम्पारन	१७	२,००८	७००	२२	५५	१,०३,३५०
शाहवाद्	७९	२२५५	१८१०	—	—	५०,०००
मया	४६	१,०३५	७८९	१४	—	३,५३,३००
हजारीबाग	३२८	१३,३१०	७,००१	५३३	६६६	१,७७,२००
भागलपुर	१०४	४,०००	१,०००	४४७	३६२	२,१८,४८०
मुजफ्फरपुर	६०	१००	३००	५०	१००	३,६६,०००
पूर्णािया	२५	१,४७५	७००	४६	६०	१,२८,०००
सारन	५५	२,०००	७१२	५१७	—	१,२५,०००
रांची	१२	३९४	९१६	—	—	६,०००
देरभङ्गा	१८	१,२००	२००	३८	१००	४,८८,६००
मानभूम	—	—	—	५	१६	३४,६४०
सिंहभूम	२५	१७५	२७२	—	—	२,१६४
पलामु	८	—	३००	—	१,२८६	३,४००
संथालपरगना—	६००	—	—	२६	—	५०,०००

नोट—बिहार में १२२ जगह गोलियां चलीं। ५२५० सरकारी संस्थाओं पर आक्रमण हुआ। १४४९ गाँव और ४७ संस्थायें सरकारी दमन और लूट की शिकार हुईं।

बिहार का बलिदान

सन १९४२ के आन्दोलन ने बिहार में अपना एक विशेष इतिहास बनाया है, जिसका प्रत्येक पृष्ठ व्यक्तिगत एवं सामूहिक वीरता, अप्रुव जनो-

त्साह, बलिदान, हृदय-विदारक दमन, गांवों की लूट, सैनिकों की पाशविक वृत्ति के नंगे नाच, श्रबलाओं, निरीह बच्चों तथा निरपराध जनता पर लाठियों और गोलियों की वीछार, राज-सत्ता प्राप्त करने के सामूहिक एवं व्यक्तिगत सफल और असफल प्रयत्न तथा इसी प्रकार की अन्य सैकड़ों बातों से भरा पड़ा है।

साम्राज्यशाही के आक्रमण का उत्तर बिहारवासियों ने खुले विद्रोह द्वारा दिया और 'करो या मरो' मंत्र से उन्मादित होकर मालूमपड़ता है सारा-का-सारा बिहार एक साथ समुद्र की भांति उमड़ पड़ा। क्या गांव, क्या शहर, प्रान्त के कोने-कोने में विद्रोह फट पड़ा, जिसने मुर्दा दिलों में भी जान डाल दी और उन्हें स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए हँसते-हँसते प्राण निछावर करने के लिए तैयार कर दिया। ऐसा होना बिहार जैसे प्रदेश के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्रान्ति के सब कारण बिहार में परिपक्व दशा में पहुँच चुके थे। इसके अतिरिक्त बिहार सदा से ही हिन्दुस्तान का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र रहा है। उसके आंगन में देश की राजधानी रह चुकी है। उसने देश की स्वतंत्रता को आते-जाते देखा है। उसने संसार को भारत का संदेश सुनाया है। संसार के दो महान् धर्मों को उसने जन्म दिया है। उसे भारत की आजादी के कई प्रसिद्ध आन्दोलन छेड़ने एवं उन्हें सफल बनाने का श्रेय प्राप्त है। बिहार में ही गांधीजी के नेतृत्व में चम्पारन का सत्याग्रह हुआ। रचनात्मक कार्य के कितने ही सुव्यवस्थित आश्रम, राजेन्द्र बाबू जैसे महान् तपस्वी नेता तथा अपने अपूर्व साहस, विलक्षण बुद्धि-कौशल आदि के द्वारा देश को मुग्व एवं चकित करने वाले जयप्रकाश नारायण जैसे वीर—ये सब बिहार की ही देन हैं।

बिहार मुख्यतया कृषिप्रधान प्रान्त है। यहां कस्बे बहुत कम हैं। स्वभाव से ही यहां के लोग सीधे, सरल और घामिक प्रकृति के हैं। इनमें असा, धैर्य तथा रचनात्मक कार्य करने की प्रवृत्ति स्वभावतः अधिक है। कांग्रेस के अधिकांश नेता देहात के लोग हैं और इन पर गान्धीजी का गहरा प्रभाव है। हां सारन जिले में, जो श्री जयप्रकाशनारायण भूमि एवं निवासस्थान होने के कारण समाजवादियों का मुख्य गढ़ है, समाजवादी विचार बढ़ रहे हैं। किन्तु प्रान्त की जनता उनकी नीति से ही अधिक प्रेम करती है। अतएव जब ६ शहर में ब्रिटिश नौकरशाही ने कांग्रेस पर पर्लहार्वर जैसा यह विहार के प्राण राजेन्द्र बाबू भी जेल के सीख्चों में बन्द कर दिये क्षुब्ध हो उठी। वह अपने क्रोध को, अपने आवेग को, हृदय

बाहर फूट पड़ने वाले जोश को रोक न सकी और अपने प्रान्त के तथा जिले के प्रमुख नेताओं के पकड़े जाने के बावजूद उसने अपना विरोध अत्यन्त उग्र रूप में प्रकट किया।

आन्दोलन का रूप

विद्रोह का आरम्भ हड़तालों से हुआ। प्रान्त भर के प्रायः सभी स्कूलों तथा कालेजों के विद्यार्थी ब्रिटिश सरकार के इस निन्दनीय कार्य के प्रति अपनी हादिक घृणा प्रकट करने के लिए अपनी पढ़ाई को छोड़कर स्कूलों तथा कालेजों से बाहर आ गये। प्रान्त भर के व्यापारियों, मजदूरों आदि ने भी पूर्ण हड़ताल कर दी। स्थान-स्थान पर जुलूस निकाले जाने लगे और विरोध प्रदर्शन किया जाने लगा। पर जनता को इससे सन्तोष न हुआ। क्रोधित एवं उन्मादित जनता कुछ अधिक करना चाहती थी। उसने मिस्टर एमरी का कांग्रेस प्रोग्राम सम्बन्धी ब्राडकास्ट भाषण सुना। उधर बम्बई से लौटे हुए कार्यकर्ताओं ने जनता को बताया कि उन्हें सरकारी व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर उसे मटियाभेट कर देना चाहिए। अतः १३-१४ अगस्त से ही बिहार में सरकारी सत्ता पर कब्जा करने, रेल, तार, डाक, इत्यादि महकमों को अस्त-व्यस्त करने तथा गुलामी के जूए को उतारकर उसके स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार स्थापित करने के सफल एवं असफल प्रयत्न क्या शहर, क्या गाँव, क्या बाजार, क्या घर सभी जगह प्रारम्भ होगये।

एक हज़ार से कहीं अधिक डाकखानों पर जनता ने या तो कब्जा कर लिया या उन्हें बरबाद कर दिया। इस प्रकार बहुत से गाँवों में कोई डाकखाना हा न रह गया था। इन गाँवों में स्वयं-सेवकों के संगठित दल घूमते थे और मोर्चा-सा बनाकर रहते थे। गाँवों के लोगों को आशंका थी कि कोई बाहरी शक्ति उन पर हमला करेगी। अतः अपनी सत्ता व सम्पत्ति को बचाने के लिए उन्हें सतर्क रहना है। यद्यपि विद्रोह का साम्राज्य छाया हुआ था, परन्तु सराहनीय बात यह थी कि गाँवों में कोई लूट-मार के चिह्न नहीं थे। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही सामूहिक रूप से पंचायतें बना रहे थे और शान्ति स्थापित करने के प्रयत्न कर रहे थे। कितने ही गाँवों पर जब फौज ने धावा बोला तो वहाँ के लोगों ने संगठित एवं शान्तिमय तरीकों से दमन का मुकाबला किया। मुजफ्फरपुर के जिले में जनता ने लकड़ी के ढाल बनाकर गोलियों का मुकाबला किया। कुछ गाँवों में देहाती लोगों ने लम्बे-लम्बे बाँसों में आग लगाकर फौजी सारियों का मुकाबला करने की सोची थी। प्रायः हर गाँव में पचास स्वयं-सेवक रहते थे और कुछ गाँवों में तो उनका संगठन और मोर्चाबन्दी इतनी अच्छी

थी कि फौजवालों को उस गांव में घुसने से पहले सोचना पड़ता था। संथाल परगना तथा दक्षिणी डिवीजन के सिंहभूम, मानभूम, हजारीबाग आदि कुछ जिलों को छोड़कर बाकी सभी जगह यह आन्दोलन अभूतपूर्व उत्साह के साथ चला। पर इसका मतलब यह नहीं कि उन जिलों में बलिदान न हुआ। बलिदान अवश्य हुए और उनका भारत के स्वतन्त्रता-युद्ध में एक विशेष स्थान है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अन्य जिलों की अपेक्षा उनमें आन्दोलन की गति धीमी रही। पूर्वी तथा पश्चिमी बिहार में तो लाखों की तादाद में जनता उठी और उसने ब्रिटिश शासन के चंगुल से निकलने के विभिन्न रूपों में अनेक सफल व असफल प्रयत्न किये।

आन्दोलन की विशेषता

आन्दोलन की घटनाओं पर विचार करते समय हमारा ध्यान उसकी दो एक खास बातों पर गये बिना नहीं रहता। प्रान्त के मुसलमानों ने भी अपने भाइयों के साथ इस आन्दोलन में काफी भाग लिया। प्रान्त में आन्दोलन संबंधी मुस्लिम बन्दियों की संख्या २५० तक पहुँच गई थी। काफी प्रलोभन दिये जाने पर भी मुसलमानों ने आन्दोलन में सहयोग देने से मुंह न मोड़ा और उनको अपने पर बढ़ा नाज़ है। यहाँ की स्त्रियों ने भी पुरुषों के साथ कंधे-से-कंधा भिड़ा कर स्वतन्त्रता की इस लड़ाई में वीरता का परिचय दिया।

जेलों पर हमला

बिहार प्रान्त में कई स्थानों पर उत्तेजित जनता ने जेलों पर हमले किये और कैदियों को भगा दिया। मधुबनी में कैदियों ने जेल अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, सुपरिन्टेन्डेण्ट पकड़ लिया गया और जबरन जेल में ठँस दिया गया। राजनीतिक कैदियों को छोड़कर बाकी सब कैदी जेल से भाग निकले, किन्तु उनमें से दो बाद में पकड़ लिये गये। करीब ३००० व्यक्तियों ने हाजीपुर जेल पर हमला किया। जेल के फाटक नष्ट-भ्रष्ट कर दिये गये और करीब १०० कैदी, जिनमें राजनीतिक कैदी भी शामिल थे, जेल से फरार हो गये। बाद में कुछ राजनीतिक कैदी पुलिस के हाथों पड़ गये और बुरी तरह पीटे गये, गधे पर चढ़ाकर घुमाये गये तथा उन पर ८०,००० रुपया जुर्माना किया गया। सीतामढ़ी में १० हजार लोगों ने अपने नेता ठाकुर मंडलसिंह तथा दूसरे कैदियों को मुक्त करने के लिए जेल को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस ने जनता पर अशु गैस का प्रयोग किया किन्तु जनता धैर्य के साथ डटी रही और आखिर जेल पर कांग्रेस का तिरंगा झंडा लहराकर मानी। आरा और गोंडा (संथाल

परगना) की जेलों भी जनता के क्रोध का शिकार बनीं और वहां से क्रमशः ७०० तथा ६०० कैदी भगा दिये गये ।

विद्यार्थियों का कार्य

बिहार के आन्दोलन में विद्यार्थियों तथा गाँवों के नौजवानों ने खास हिस्सा लिया । नई विचार-धारा से प्रभावित इन विद्यार्थियों तथा नौजवानों के झुंड-के-झुंड घर-घर गली-गली एवं गाँव-गाँव से निकल-निकल कर स्थान-स्थान पर घूमने लगे और जनता को अपनी स्वतंत्र सरकार स्थापित करने का दिव्य-संदेश सुनाने लगे । इन नौजवानों में त्याग था, उत्साह था, जोश था और थी अपने देश को स्वतंत्र करने की तीव्र इच्छा । उनकी वाणी में मुर्दा दिलों में भी जोश भरने की शक्ति थी । यही कारण था कि अधिकांश जगह गाँवों में फैले हुए सरकारी कर्मचारियों को जनता की इस उमड़ती हुई बाढ़ के सामने अपना सिर झुकाना पड़ा और गाँव-गाँव में सरकारी इमारतों पर कांग्रेस के झंडे लहराते हुए दिखाई पड़ने लगे । लोगों ने कम-से-कम कुछ दिन के लिए तो जाना कि स्वतन्त्रता क्या चीज है ?

तोड़-फोड़

बिहार में तोड़-फोड़ का प्रोग्राम तब प्रारम्भ हुआ जब जनता तथा उस समय के नेताओं को दिखाई देने लगा कि अब ब्रिटिश सरकार अपना राज्य पुनः स्थापित करने तथा जनता को कुचलने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस और फौज इधर-उधर भेज रही है । जनता सरकार की इस नीति से घबरा उठी । उसके पास सुसज्जित सैनिकों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक सामान कहाँ था ? अतएव उसे सरकार की इस कोशिश को विफल करने का यही एक तरीका दीख पड़ा कि चारों और रेल-तार काट दिये जायं, स्टेशन जला दिये जायं और इस प्रकार यातायात के साधन नष्ट कर दिये जायं । इस प्रोग्राम में उसने काफी सफलता प्राप्त की । पूर्वी, पश्चिमी तथा उत्तरी जिलों के थोड़े से स्टेशनों को छोड़कर प्रायः सभी स्टेशन या तो जला दिये गये थे या उन्हें बहुत अधिक नुकसान पहुँचा दिया गया । मीलों तक रेल की पटरियाँ उखाड़ दी गईं । पूरे अगस्त और १५ सितम्बर तक यही हालत रही । न कहीं टिकट मिलते थे और न कहीं उन्हें काटने की पंचिंग मशीन तथा अन्य औजार ही मिलते थे । बहुत दिनों तक लोग एक ही टिकट द्वारा सफर कर सकते थे और तार इत्यादि भेजने का सिलसिला तो कई महीने बाद जारी हुआ ।

शाहवादा, आरा, दरभंगा, चम्पारन, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर, पुर्णिया आदि जिलों में लगभग ८० प्रतिशत देहातों में स्थित थाने अपने सदर मुकामों पर आ गये थे और कितनी ही जगह ये जिले के सदर मुकाम भी घबराहट की स्थिति में कार्य कर रहे थे। जिले की कचहरियाँ बन्द हो गई थीं और इन जिलों के देहातों में अंग्रेजी राज्य के अधिकांश चिह्न गायब होने लगे थे। यह स्थिति कुछ इलाकों में अगस्त मास तक और कुछ जिलों में एक डेढ़ मास बाद तक ही टिक सकी।

मजदूरों का सहयोग

बिहार प्रान्त में टाटानगर तथा डालमिया नगर दो ही प्रवान औद्योगिक केन्द्र हैं। राष्ट्र-नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार सुनते ही टाटानगर के मजदूर भी क्रोधित एवं अवीर हो उठे। उन्होंने विरोध स्वरूप हड़ताल करने का निर्णय किया। इसी बीच १५ अगस्त की रात को उनके पांच नेता श्री एम० जोहन, एम० के घोष, टी० पी० सिन्हा, एन० सी० मुकर्जी तथा त्रेतासिंह उनसे छीनकर जेलों के अन्दर ठूस दिये गये। त्रेतासिंह २८ वर्ष के वह नौजवान सिव्ख थे जिन्हें जेल की सख्तियों के विरुद्ध दो बार भूख हड़ताल करनी पड़ी। दूसरी भूख हड़ताल समाप्त होने के बाद ही वह वीर पटना के सरकारी अस्पताल में अग्रना यह नदवर शरीर देश की वेदी पर उत्सर्ग कर मदा के लिए शान्त होगया। मजदूर लोगों का क्रोध चरम सीमा पर पहुँच चुका था, अब वे उसे दवाए रखने में असमर्थ थे। परिणामस्वरूप २० अगस्त से ३०,००० मजदूरों की हड़ताल आरम्भ हुई। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, क्या स्त्री, क्या पुरुष सभी श्रेणी के मजदूरों ने हड़ताल में भाग लिया और इस तरह यह दिखा दिया कि देश के नेताओं के प्रति उनकी कितनी हमदर्दी है तथा देश की स्वतंत्रता को वे अपने व्यक्तिगत सुख एवं आराम से कितना अधिक महत्त्व देते हैं। मजदूरों की यह हड़ताल लगातार १३ दिन तक चलती रही। उसकी यह विशेषता थी कि वह पूर्ण अहिंसात्मक रही। जन तथा धन किसी की भी कुछ हानि न की गई। श्री टी० एम० शाह के शब्दों में, "हड़ताल इतनी स्वाभाविक तथा शान्तिपूर्ण थी कि अमेरिकन और अन्य विदेशी सैनिकों को भी इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करनी पड़ी और यह कहना पड़ा कि इस तरीके की हड़ताल की हम अपने देश के मजदूरों से भी आशा नहीं कर सकते।" अधिकारी वर्ग ने मजदूरों में फूट डालने तथा नये मजदूर भरती करने के लिए तरह-तरह से लालच दिये, धमकाया, डराया,

बहकाया पर एक भी मजदूर हड़ताल तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। हर एक को इस बात का गर्व था कि वह अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहा है। बहुतों ने अपनी जान जोखिम में डाली, फँवटरी के दरवाजों पर पिकेटिंग की, जेल गये तथा अन्य बहुत-सी मुसीबतों को भेला। इस प्रकार का प्रदर्शन अन्य स्थानों के मजदूरों ने भी किया और अपने बलिदान तथा त्याग द्वारा देश की स्वतन्त्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाया।

विहार प्रान्त में सरकारी दमन का इतिहास हृदय-विदारक, खून खोला देने वाली लज्जाजनक घटनाओं व कांडों से भरा पड़ा है। इसका हरेक पृष्ठ निहत्थे किन्तु उत्तेजित लोगों के खून से रंगा हुआ है। नौकरशाही ने जिस क्रूरता से लोगों की भावनाओं को कुचलना चाहा वैसा सम्भवतः संसार में अन्यत्र शायद ही किया गया हो। विहार के हरे-भरे सम्पन्न गाँव किस प्रकार श्मशान में परिवर्तित कर दिए गये, इसकी अपनी ही रोमाञ्चकारी कहानी है, जिसको सुनकर दिल दहलने लगता है, आँखों में खून उतर आता है और शरीर का एक-एक अंग विद्रोह करने लगता है।

टाँमी, गुरखा, पठान, जाट, आदि सैनिक मनमाना अत्याचार करने के लिए प्रान्त के प्रायः सभी जिलों में छोड़ दिये गए। प्रारम्भ में गोरे सिपाही भी भेजे गये क्योंकि नौकरशाही काले सिपाहियों पर पूर्णतया विश्वास नहीं कर सकती थी। इन गोरे सिपाहियों ने नशे में चूर होकर अवाधुँव लोगों का गोलियों का शिकार बनाया। बहुत जगह इन मनचले सिपाहियों ने दिलबहलाव के लिए भी गोली के वार किये। गाँवों को लूटा गया, जलाया गया तथा इस प्रकार आतंक जमाकर पुनः ब्रिटिश राज-सत्ता के चिह्न पुनर्जीवित किये गए। जिलों में थाने पुनः वापिस गये। जो सिपाही तथा थानेदार जनता के डर से भाग गये थे वे अब फौज की सहायता से फिर अपनी-अपनी जगह बुला लिये गए। फौजी लोग तथा पुलिस के कर्मचारियों ने स्त्रियों के साथ भाँति-भाँति के अत्याचार किये। उन्हें नंगा कर-पीटा गया, घसीटा गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। कितने ही ग्रामीण लोगों को दूरी तरह पीटा गया, कितनों को पकड़ने की धमकी देकर उनसे रुपया ऐंठा गया। खाते-पीते लोगों को केवल अपनी सम्पत्ति के कारण और भी अधिक तकलीफों का सामना करना पड़ा। पुलिस व फौज के सिपाहियों की इन पर खास दृष्टि रही और यही लोग थे जिन्होंने युद्ध-प्रयासों में काफ़ी पैसा दिया था।

शाहवाद, आरा, दरभंगा, चम्पारन, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया आदि जिलों में लगभग ८० प्रतिशत देहातों में स्थित थाने अपने सदर मुकामों पर आ गये थे और कितनी ही जगह ये जिले के सदर मुकाम भी घबराहट की स्थिति में कार्य कर रहे थे। जिले की कचहरियाँ बन्द हो गई थीं और इन जिलों के देहातों में अंग्रेजी राज्य के अधिकांश चिह्न गायब होने लगे थे। यह स्थिति कुछ इलाकों में अगस्त मास तक और कुछ जिलों में एक डेढ़ मास बाद तक ही टिक सकी।

मजदूरों का सहयोग

विहार प्रान्त में टाटानगर तथा डालमिया नगर दो ही प्रधान औद्योगिक केन्द्र हैं। राष्ट्र-नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार सुनते ही टाटानगर के मजदूर भी क्रोधित एवं अघोर हो उठे। उन्होंने विरोध स्वरूप हड़ताल करने का निर्णय किया। इसी बीच १५ अगस्त की रात को उनके पांच नेता श्री एम० जोहन, एम० के घोष, टी० पी० सिन्हा, एन० सी० मुकर्जी तथा त्रेतासिंह उनसे छीनकर जेलों के अन्दर ठूस दिये गये। त्रेतासिंह २८ वर्ष के वह नौजवान सिक्ख थे जिन्हें जेल की सक्तियों के विरुद्ध दो बार भूख हड़ताल करनी पड़ी। दूसरी भूख हड़ताल समाप्त होने के बाद ही वह बीर पटना के सरकारी अस्पताल में अपना यह नश्वर शरीर देश की वेदी पर उत्सर्ग कर मदा के लिए शान्त होगया। मजदूर लोगों का क्रोध चरम सीमा पर पहुँच चुका था, अब वे उसे दबाए रखने में असमर्थ थे। परिणामस्वरूप २० अगस्त से ३०,००० मजदूरों की हड़ताल आरम्भ हुई। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, क्या स्त्री, क्या पुरुष सभी श्रेणी के मजदूरों ने हड़ताल में भाग लिया और इस तरह यह दिखा दिया कि देश के नेताओं के प्रति उनकी कितनी हमदर्दी है तथा देश की स्वतंत्रता को वे अपने व्यक्तिगत सुख एवं आराम से कितना अधिक महत्त्व देते हैं। मजदूरों की यह हड़ताल लगातार १३ दिन तक चलती रही। उसकी यह विशेषता थी कि वह पूर्ण अहिंसात्मक रही। जन तथा घन किसी की भी कुछ हानि न की गई। श्री टी० एम० साह के शब्दों में, “हड़ताल इतनी स्वाभाविक तथा शान्तिपूर्ण थी कि अमेरिकन और अन्य विदेशी सैनिकों को भी इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करनी पड़ी और यह कहना पड़ा कि इस तरीके की हड़ताल की हम अपने देश के मजदूरों से भी आशा नहीं कर सकते।” अधिकारी वर्ग ने मजदूरों में फूट डालने तथा नये मजदूर भरती करने के लिए तरह-तरह से लालच दिये, धमकाया, डराया,

बहुकाया पर एक भी मजदूर हड़ताल तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। हर एक को इस बात का गर्व था कि वह अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहा है। बहुतों ने अपनी जान जोखिम में डाली, फँवटरी के दरवाजों पर पिकेटिंग की, जेल गये तथा अन्य बहुत-सी मुसीबतों को भेला। इस प्रकार का प्रदर्शन अन्य स्थानों के मजदूरों ने भी किया और अपने बलिदान तथा त्याग द्वारा देश की स्वतन्त्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाया।

विहार प्रान्त में सरकारी दमन का इतिहास हृदय-विदारक, खून खौला देने वाली लज्जाजनक घटनाओं व कांडों से भरा पड़ा है। इसका हरेक पृष्ठ निहत्थे किन्तु उत्तेजित लोगों के खून से रंगा हुआ है। नौकरशाही ने जिस क्रूरता से लोगों की भावनाओं को कुचलना चाहा वैसा सम्भवतः संसार में अन्यत्र शायद ही किया गया हो। विहार के हरे-भरे सम्पन्न गांव किस प्रकार श्मशान में परिवर्तित कर दिए गये, इसकी अपनी ही रोमाञ्चकारी कहानी है, जिसको सुनकर दिल दहलने लगता है, आंखों में खून उतर आता है और शरीर का एक-एक अंग विद्रोह करने लगता है।

टाँमी, गुरखा, पठान, जाट, आदि सैनिक मनमाना अत्याचार करने के लिए प्रान्त के प्रायः सभी जिलों में छोड़ दिये गए। प्रारम्भ में गोरे सिपाही भी भेजे गये क्योंकि नौकरशाही काले सिपाहियों पर पूर्णतया विश्वास नहीं कर सकती थी। इन गोरे सिपाहियों ने नशे में चूर होकर अवाबुंध लोगों का गोलियों का शिकार बनाया। बहुत जगह इन मनचले सिपाहियों ने दिलबहलाव के लिए भी गोली के वार किये। गांवों को लूटा गया, जलाया गया तथा इस प्रकार आतंक जमाकर पुनः ब्रिटिश राज-सत्ता के चिह्न पुनर्जीवित किये गए। जिलों में घाने पुनः वापिस गये। जो सिपाही तथा थानेदार जनता के डर से भाग गये थे वे अब फौज की सहायता से फिर अपनी-अपनी जगह दुला लिये गए। फौजी लोग तथा पुलिस के कर्मचारियों ने स्त्रियों के साथ भांति-भांति के अत्याचार किये। उन्हें नंगा कर-पीटा गया, घसीटा गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। कितने ही ग्रामीण लोगों को बुरी तरह पीटा गया, कितनों को पकड़ने की धमकी देकर उनसे रुपया ऐंठा गया। खाते-पीते लोगों को केवल अपनी सम्पत्ति के कारण और भी अधिक तकलीफों का सामना करना पड़ा। पुलिस व फौज के सिपाहियों की इन पर खास दृष्टि रही और यही लोग थे जिन्होंने युद्ध-प्रयासों में काफी पैसा दिया था।

चर्खा-संघ पर हमला

विहार प्रान्त में चर्खा-संघ की संस्थाएं भी पुलिस के दमन से अछूती न रहीं। पहले-पहल पुलिस ने मधुवनी केन्द्र पर, जो जिले का प्रधान केन्द्र है, हमला किया और उसकी तमाम सम्पत्ति पर मोहर चपड़ी लगा दी। बाद में तो सकोरा, लहेरिया, सराय, मुजफ्फरपुर, मामजद, पाजनगर, बरसिंधवार, हाजीपुर, भगन, विगडा, नवादा, शिवनार, चाववाला, राँची आदि स्थानों के खादी आश्रमों पर भी सरकार ने कब्जा कर लिया और उन पर मोहर चपड़ी लगा दी गई। शंकरपुर, हहदपुर, खजाँली, ऊमगाँव, हयखा, भैरावा, डीघवाड़ा, सीतामढ़ी तथा विथौली के खादी भंडारों में आग लगा दी गई और तमाम सामान जलाकर राख कर दिया गया। महदपुर, मधुपुर, भानीगची, विक्रम एवं वेदुल में तो पुलिस तथा फौजियों ने खादी भंडारों को बुरी तरह लूटा और इस प्रकार कमीनेपन का परिचय दिया। विहार चर्खा-संघ के ६० से अधिक मुख्य कार्यकर्ता जेल के सीखचों में बन्द कर दिये गए। संघ से जिसका थोड़ा बहुत भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सम्बन्ध था पुलिस वालों ने उसे भी अछूता न छोड़ा। संघ के कपड़े धोने वाले बेचारे धोबियों के घर भी लूट लिये गए।

इनके अतिरिक्त पुलिस तथा फौजियों के अन्य जघन्य एवं अमानुषिक कृत्यों का विवरण जिलों के विवरण में आगे दिया जायगा।

१. पटना जिला

पटना सम्पूर्ण विहार प्रान्त का सदर मुकाम है, अतएव आन्दोलन का श्रोगणेश भी यहीं से हुआ। बम्बई में नेताओं की गिरफ्तारी के साथ पटना में राजेन्द्र बाबू के पकड़े जाने से जनता क्षुब्ध हो उठी। पटना तथा अन्य शहरों में हड़ताल प्रारम्भ होगई। पटना के सब स्कूल तथा कालेज बन्द हो गये। उत्तेजित जनता ने रेल, तार, डाक आदि प्रायः सभी सरकारी संस्थाओं पर अपना अधिकार जमा लिया और पूर्ण रूप से सरकारी शासन को पंगु बना दिया। पुलिस चौकियों तथा सरकारी कचहरियों पर भी जनता का अधिकार हो गया। बड़े-बड़े सरकारी अफसरों को या तो अन्य स्थानों पर भाग जाना पड़ा या जनता को आत्म-समर्पण कर अपनी जान बचानी पड़ी। यातायात के सभी साधन नष्ट कर दिये गए, जिससे वहाँ की कोई खबर बाहरी दुनियाँ को न मिल सकी। इस प्रकार कुछ दिनों के लिए पटना दुनियों के दूसरे हिस्सों से एक प्रकार अलग-सा हो गया।

सोमवार १० अगस्त का दिन पटना के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन जिस उत्साह एवं जोश के साथ दो-चार नहीं, दस-बीस नहीं, सैकड़ों-हजारों की संख्या में स्कूलों तथा कालेज के लड़के राष्ट्रीय झंडे हाथ में लिये शहर की सड़कों पर घूम रहे थे, उसका स्मरण कर मुर्दा दिलों में भी जोश आये बिना नहीं रह सकता। यह वह दृश्य था, जिसने नौजवानों को हँसते-हँसते देश की आजादी के लिए अपने प्राणों के कुर्बान होने का सबक सिखाया था, यह वह अपूर्व पर्व था जिसने स्त्रियों को अपने भाइयों तथा पतियों के साथ स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में कन्धे-से-कन्धा भिड़ाकर लड़ने को तैयार किया था, राष्ट्रीय सैनिकों की यह वह परेड थी, जिसने छोटे-छोटे बच्चों को अपनी जानें न्योछावर करने को तैयार किया था।

स्वतंत्रता के ये नौजवान सिपाही, कांग्रेस के अहिंसा के सिद्धान्त का पूरी तरह से पालन करते हुए जगह-जगह लोगों को बलिदान करने के लिए तैयार करते हुए घूमने लगे। सरकारी अधिकारियों ने पुलिस की सहायता से उन्हें तितर-बितर करना चाहा। पर नौजवानों के त्याग ने सिपाहियों का दिल दहला दिया और उन्होंने लाठी चार्ज करने से साफ इन्कार कर दिया। ११ अगस्त को सवेरे से प्रभात फेरियाँ शुरू हुईं। स्कूलों तथा कालेजों में पिकेटींग प्रारम्भ हुआ। पिकेटींग करने वालों पर लाठी चार्ज किया गया। कई पकड़े गये, बहुतों को चोटें आईं। सारा शहर इन नारों से गूँज रहा था। “बम्बई से आई आवाज़, इन्कलाब जिन्दाबाद” “जेल की कड़ियाँ करें पुकार, इनकलाब जिन्दाबाद” ऐसा प्रतीत होता था मानो शहर का एक-एक कण ‘इन्कलाब जिन्दाबाद’ की ध्वनि कर रहा है। विद्यार्थी गण बड़ी उमंग के साथ आगे बढ़ रहे थे। पुलिस लाइन के पास कलक्टर आर्चर कुछ घुड़सवारों तथा लाठी धारी सिपाहियों के साथ जुलूस को रोकने के लिए खड़ा था। मौलवी बशीर ने बढ़ती हुई जनता पर लाठी प्रहार करने का हुक्म दिया, किन्तु मि० आर्चर के रोक दिये जाने पर जनता उसी गति से आगे बढ़ती गई। गर्ल्स हाई स्कूल के पास जुलूस पहुँच गया। अचानक जनता पर बेंतों की वर्षा होने लगी, घोड़े दौड़ाये जाने लगे, लाठी का प्रहार होने लगा। बलूची घुड़सवारों ने बड़ी बर्बरता का परिचय दिया। जनता तितर-बितर हो गई। सैकड़ों देशभक्त लाठी के शिकार हुए। किसी का हाथ टूटा, किसी की टांग टूटी, किसी का सिर फट गया, किसी के छाती पर चोट आई तो किसी के दांत टूट गये। जनता में प्रतिहिंसा की आग जल उठी। बिखरे हुए लोग इकठ्ठे हो गए और अत्याचारियों पर ईंटों से प्रहार करने लगे। पर जनमत हिंसावृत्ति के पक्ष में न था। अतएव लोगोंने अपना

मोर्चा बदल दिया और वे सेक्रेटेरियट पर भंडा गाड़ने के लिए लपक पड़े ।

जुलूस आजादी के नशे में चूर सेक्रेटेरियट पहुँचा । सभी लोग अपनी जान हथेली पर लिये हुए थे । अतएव आजादी के इन दीवानों को कौन रोकने वाला था ? जहाँ देखो वहीं अजाब मस्ती थी । उधर मि० आर्चर गुरखा सिपाहियों के साथ सेक्रेटेरियट के सामने डटा खड़ा था । फौजी लोग अपनी-अपनी भयावनी राइफलें लिये तैयार खड़े थे ।

मि० आर्चर ने गरजते हुए लोगों से पूछा, “तुम क्या चाहते हो ?” “भंडा फहराना” एक छोटे से छात्र ने आवेश के साथ उत्तर दिया ।

आर्चर ने भुल्लाकर कहा, “कौन भंडा फहराना चाहता है, वह जरा आगे आ जावे ।”

देखते-ही-देखते ग्यारह छात्र जुलूस को चीरते हुए आगे आकर कतार में खड़े हो गए । उनका सीना गर्व के साथ आगे निकला हुआ था तथा आँखें क्रोध के मारे लाल हो रही थीं । आर्चर ने एक छोटे से छात्र की ओर संकेत करते हुए कड़ककर कहा, “भंडा फहराना चाहता है, भंडा । भंडा फहराने से पहले अपना सीना खोल ले ।”

आर्चर का यह कहना था कि छात्र ने दोनों हाथों से अपना कुर्ता फाड़ा और सीना खोलकर सामने कर दिया । वह कतार में से एक कदम आगे निकल आया ।

आर्चर उस लड़के के साहस की कदर न कर सका । उसने तुरन्त हुकम दिया—“गोली चलाओ” और उसी क्षण देखते-देखते वे ग्यारहों वीर गोली के शिकार हो गए । फिर क्या था ? गोलियों की वीर्यार होने लगी । जनता घायल हुई, पर डटी रही । इतने में जय-धोप हुआ ‘वन्देमातरम्’ ‘अंग्रेजों भारत छोड़ो’ । लोगों की आँखें सेक्रेटेरियट के गुम्बद की ओर गईं । देखा—एक दुबला-पतला नौजवान हाथ में तिरंगा भंडा लिये मुसकरा रहा है । अपार जनसमूह समुद्र की भाँति उमड़ पड़ा । उसका बलिदान सफल हुआ । कमीन फौजी इस समय तक वहाँ से हट चुके थे । सेक्रेटेरियट के गुम्बद पर लहराता हुआ तिरंगा भंडा ऐसा प्रतीत होता था मानो वह आजादी के इन अमर शहीदों की विमल कीर्ति को हवा के भोंकों के साथ भू-मंडल के इस कोने से उस कोने तक पहुंचा रहा हो ।

छः विद्यार्थियों की मृत्यु वहीं हो चुकी थी । बाकी चार अस्पताल ले जाए गए । तीन अस्पताल में पहुंचते ही शांत हो गये । एक को आपरेशन के लिए टेबल पर लिटाया गया । कुछ देर के बाद उसकी मूर्च्छा टूटी । भट

बालक ने आतुर भाव से डाक्टर से प्रश्न किया—“मेरे गोली कहां लगी है पीठ पर या सीने में ?” डाक्टर लड़के के भाव को समझ गया। उसने गोली के घाव की ओर इशारा करते हुए कहा, “गोली सीने के बीच में लगी है।” लड़का कुछ मुसकराया और बड़े गर्व के साथ धीमे स्वर में बोला, “अच्छा, लोग यह तो न कहेंगे कि भागते हुए के गोली लगी थी।” वस, अन्तिम शब्द के साथ उसके प्राण पखेरू इस नश्वर शरीर को त्याग कर उड़ गए। वह बालक तो आज दुनिया में नहीं हैं, किन्तु उनका बलिदान भारत के स्वतंत्रता के युद्ध में अमर हो गया है।

घायलों के शरीर से जो गोलियाँ निकाली गई थीं, उनकी जांच करने से पता चला है कि वे दमदम गोलियाँ थीं, जिनका व्यवहार अन्तर्राष्ट्रीय विधान के मुताबिक युद्ध-काल में भी मना है।

सरकार का दमन चरम सीमा को पहुँच गया था। उसकी प्रतिक्रिया भी होनी थी। लोग अपने भावों को अधिक न रोक सके। उन्होंने हिंसा का जवाब हिंसा से देने की ठान ली। फलस्वरूप पटनासिटी स्टेशन गोदाम, शहर के सब लेटर बक्स, पटना-जंक्शन, पोस्ट आफिस आदि अनेक सरकारी स्थान जनता के क्रोध के शिकार बने। बहुत से इंजन तोड़ डाले गये, बिजली के तार कट गये, खम्भे तथा रेल की पटरियाँ उखाड़ी गईं। शहीदों की चिताओं से उठी हुई यह हिंसा की प्रबल ज्वाला पटना शहर तक ही सीमित न रह सकी। वह सम्पूर्ण पटना जिले तथा सारे बिहार प्रान्त में फैल गई।

दा तान दिन तक जनता का राज्य रहा। १४ अगस्त को १० हजार टॉमी फौज शहर में जा पहुँची। गोरे फौजी लारियों में भर-भर कर नगर में गश्त लगाने लगे और लोगों पर भांति-भांति के अत्याचार करने लगे। बड़े-बड़े प्रोफेसर, डाक्टर तथा अन्य अफसर भी गोरों के इन अत्याचारों से न बच सके, फिर साधारण जनता का तो कहना ही क्या ? समस्त शहर में सैनिक राज्य स्थापित हो गया। दो दिन बाद और पलटन आ गई और टोलियाँ बनाकर इन लोगों ने सारे पटना जिले पर अपना अधिकार जमा लिया।

पटना के अतिरिक्त विक्रमपुर, बाढ़, बख्तियारपुर, गिरियकुस्थावां, सिलान, हिल्सा, चंडी व एकांगसराय थानों में आन्दोलन का जोर अधिक रहा। गिरियकुसिलान, स्थावां, हिल्सा, चंडी व एकांगसराय के थानों पर से तो पुलिस वापिस बुला ली गई थी और काफी असें तक वहाँ ब्रिटिश सरकार की सत्ता गायब रहा। बिहटा, गुलजारवाग, सपिसोपुर, नेपस, हरदासडीघा, करौता, अथ-मल, गोला, अंगार, पटना सिटी, बंकाघाट, फतुआ, खुसरापुर, मौकामाघाट

आदि कई अन्य स्टेशनों पर भी जनता ने आक्रमण किये और आग लगाई तथा फर्नीचर वगैरा को नष्ट किया। हिल्सा और बिहार शरीफ की कचहरियों पर भी झंडे फहराए गए तथा उन्हें जबरदस्ती बन्द करा दिया गया। फतुहा में दो कनाडियन अफसर उत्तेजित जनता द्वारा जला दिए गए। मुकासा और बिहटा की प्रसिद्ध लूटें हुईं जहाँ हजारों गट्टर कपड़ा लूटा गया।

फुलवारी में गोली चार्ज में १७ आदमी मरे। बाढ़ में ८ आदमी घायल हुए तथा एक की मृत्यु हुई। विक्रम में दो मरे तथा ४० घायल हुए। नौबतपुर में भी एक आदमी मारा गया। इसी प्रकार अन्य जगहों पर भी बलिदान हुए हैं, पर उनके आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके हैं।

पटना जिले में सरकार का दमन बड़े अमानुषिक ढंग पर हुआ। कहा जाता है कि बिहार शरीफ की जेल में कैदियों का पानी की जगह पेशाब तक पिलाया गया था। कई दूसरी जगह प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पकड़ कर उनसे गन्दी नालियों को साफ कराया गया।

२. मुंगेर जिला

मुंगेर जिले में कांग्रेस का प्रचार खूब हुआ है। अगस्त १९४२ में तो श्रीकृष्णसिंह तथा जगलाल चौधरी, भूतपूर्व मन्त्री बिहार सरकार, ने काफी तूफानी दौरे किये थे और समय पर मुस्तीदी के साथ आन्दोलन में जूझ पड़ने के लिए वहाँ की जनता का आह्वान किया था। ६ अगस्त से यों तो अहिंसात्मक रूप से हड़ताल, जुलूस, पिकेटिंग आदि आरम्भ होगए थे, किन्तु १४ तारीख को अचानक तोड़-फोड़ आरम्भ हो गई। समस्त जिले में एक भयंकर तूफान खड़ा होगया। लड़कियों ने भी आन्दोलन में भाग लिया। कचहरी पर तिरंगा झण्डा फहराया गया, पिकेटिंग किया गया और वकीलों को वकालत स्थगित करने के लिए लाचार कर दिया गया। जिले के २० थानों में से १७ थाने आन्दोलन के शिकार हुए। बलिया, खड़गपुर तथा तारापुर के थानों में ताले डाल दिये गए और व्यवस्थाओं का भार जनता ने अपने ऊपर ले लिया। तारापुर में तो शासन-प्रबन्ध-समिति बनी, न्यायाधीश नियुक्त हुए तथा स्वयंसेवकों का दल संगठित किया गया। जिले भर के समस्त प्रमुख-प्रमुख स्टेशन जला दिये गए। गिद्धौर, भाभा, वादलपुरा, बखरी, परिहारा, खड़गपुरा, असरगंज, गोगरी, बलियारपुर, बयूल तथा शेखपुरा के डाकखाने एवं खगड़िया व बयूल तथा कई अन्य स्थानों के दाराबघर भी आक्रमण के शिकार हुए। जमई, वेगुसराय, खगड़िया और मुंगेर की कचहरियों पर झंडे फहराये गए और उनमें ताला लगाया गया। खड़गपुर, गोगरी बयूल और शेखपुरा के रजिस्ट्री ऑफिस के

कागजात गलियों में फेंक दिये गए। बरियारपुर तथा तारापुर के पुल तोड़े गये। खगड़िया बैंक और मिस्टर एविन्स की कोठी पर भी धावा हुआ। वरीनी का कोयला-डिपो व जमुई तथा खड़गपुर के हाई स्कूलों के फर्नीचर और लाइब्रेरी की पुस्तकें बर्बाद कर दी गईं। समस्तीपुर से खड़गपुर जाने वाली रेलगाड़ी पर कब्जा कर लिया गया और उसे आजादी का सन्देश ले जाने वाले स्वयंसेवकों के लिए प्रयोग किया गया।

मुंगेर में विद्यार्थियों को जुलूस बड़े वेग के साथ राष्ट्रीय नारे लगाता हुआ आग बढ़ रहा था। पुलिस ने उसकी गति का रोकना चाहा और वह अचानक लोगों पर लाठी-प्रहार करने लगी। किसी का कपाल फटा तो किसी का हाथ टूटा; कोई अपने नाक कान सम्भाल रहा था तो किसी की छाती में चोट लगी दिखाई देती थी। नगर के प्रसिद्ध वकील श्री निरापद मुखर्जी पुलिस की इस बर्बरता को देख रहे थे। उनका खून खील उठा, आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे उत्तेजित होकर आगे बढ़े तथा गरजकर अंग्रेज सार्जेंट को ललकारा “इन मासूम बच्चे-बच्चियों को क्या मारते हो, मेरी छाती पर मारो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी बन्दूकों में कितनी गोलियाँ हैं, तुम्हारी लाठियों में कितनी शक्ति है।”

तारापुर में जनता ने थाने पर अधिकार करके नये दारोगा तथा जमादार नियुक्त किये। चौकीदारों को नई हुकूमत की आज्ञा-पालन करने का हुक्म हुआ। गावों में अमन तथा शान्ति स्थापित करने के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया गया और गांव-गांव में पंचायतें बनाई गईं एवं उनके ऊपर पांच न्यायाधीश मुकर्रर किये गये। शासन-प्रबन्ध अत्यन्त सुन्दर रहा और जनता के जान-माल की चोरों तथा बदमाशों से रक्षा की गई। अन्य स्थानों पर जब पुलिस अंधाधुन्ध लूट-खसोट कर रही थी तो संग्रामपुर के एक धनी ग्वाले ने सोचा कि अपने धान के ढेर पुलिस की भेंट करने के बजाय गरीब भाइयों में बांट दिये। सेवोर में सरकारी कृषि फार्म पर जनता को बड़ी मुसीबतें सहनी पड़ीं। फौज ने चारों ओर से गांव को घेर लिया और धान के गोदाम लूट लिये। फौजियों ने एक हिन्दू तथा एक मुसलमान के घर पर भी हमला किया और ४०-५० तोले सोना लूट लिया। कलापुर में क्रोधित जनता ने स्टेशन पर हमला किया और उसमें आग लगा दी। तारापुर में अमरीकन फौजी बलाये गए, पर न जाने क्यों उस दिन उन्होंने गोली चलाने से इन्कार कर दिया। उत्तेजित जनता स्टेशन पर टूट पड़ी और उसे जलाकर राख कर दिया। स्टेशन मास्टर जैसे-तैसे अपनी जान बचाकर भागा।

इस जिले में जनता कितने उत्साह, जोश एवं आवेग के साथ विद्रोह कर रही थी इसका पता इसी से लग सकता है कि जब सरकार को लाठी तथा गोली से कुछ सफलता न मिल सकी तो उसने आम जनता पर निर्दयता पूर्वक हवाई जहाज से गोलियों की बौछार की। जनता के लिए इस प्रकार का आक्रमण बिलकुल नया था। अतएव ४० व्यक्ति शहीद हुए और १५ बुरी तरह घायल हुए। मामूली तरीके से घायल होने वालों की संख्या तो अनगिनत थी। इसके अलावा वेगुसराय, वरियारपुर, खडगपुर, नौगाची, खगड़िया, मानसी, गोगरी, महेशखूंट, मदारपुर, रोहियार, सूर्यगढ़ा, तेघड़ा आदि १६ अन्य स्थानों में भी गोली चली जिससे ४० आदमी मारे गए और बहुत से घायल हुए। वरियारपुर में समूह के एक-एक व्यक्ति को गोली का शिकार बनाया गया तथा ९० और सैनिकों ने जनता को बुरी तरह पीटा और कड़ियों को घायल कर दिया। कोचाही में राह चलते आदमियों पर गोली चलाई गई।

३. चम्पारन जिला

चम्पारन भारत के इतिहास में महात्मा गान्धी के नेतृत्व में हुए प्रथम सत्याग्रह के रूप में बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। इसको काफी समय तक महात्मा गान्धी एवं राजेन्द्र बाबू के निवास-स्थान होने का सौभाग्य भी प्राप्त हो चुका है और इन दोनों महान् नेताओं के सम्पर्क के कारण यहां की आम जनता और विशेषकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अहिंसा की भावना काफी घर कर चुकी है। अतएव इस जिले में आन्दोलन का नेतृत्व प्रायः कांग्रेस-कार्यकर्ताओं के हाथ में रहा, जिससे जनता की ओर से किसी भी सरकारी आदमी की जान लेने की कोशिश नहीं की गई। हाँ, सरकारा संस्थाओं को लूटने-फूँकने का प्रयत्न अवश्य किया गया पर वह भी अहिंसा समझकर या पुलिस के अत्याचारों से तंग आकर।

१० तारीख को आम हड़ताल के रूप में आन्दोलन का श्रीगणेश हुआ। ११ तारीख को बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया जिस पर पुलिस द्वारा लाठी-चार्ज किया गया और पांच आदमी घायल हुए। १२ अगस्त को लाइन, तार आदि तोड़ने का काम रक्सौल से शुरू हुआ और सगौली, मोतीहारी, मेहसी आदि स्टेशनों का बहुत नुकसान किया गया। उत्तेजित जनता ने मोतीहारी के इन्कम-टैक्स ऑफिस को जला दिया, रिक्वार्टिंग ऑफिस पर आक्रमण किया तथा पुल, तार इत्यादि नष्ट कर दिये। गोविन्दगढ़, रक्सौल, सगौली, ढाका, घोडा-साहन, पिपरा, कैसरया, मधुवन, आदापुर के थानों, ढाका, रामगढ़वा आटेरा,

मखुआ, घोड़ासाहन के डाकखानों एवं ढाका के नहर-दफतर पर धावे किये गए और उनको लूटने-फूंकने की भी चेष्टा की गई।

बेतिया डिवीजन के अन्तर्गत सब थानों पर तिरंगे भंडे लगाये गए। अधिकांश थानों की पुलिस सब डिवीजन के हेडक्वार्टर पर आगई। करीब-करीब सब पोस्ट आफिसों पर जनता का कब्जा हो गया।

आन्दोलन प्रारम्भ होते ही सरकार ने मोतीहारी के हिन्दू कलेक्टर से सब अधिकार छीनकर दो यूरोपियनों को, जिनमें से एक सर्किल मैनेजर था तथा दूसरा मवुवन स्टेट का मैनेजर, सौंप दी। यूरोपियनों ने टॉमियों की सहायता से जनता पर बड़े अमानुषिक अत्याचार किये। बेतिया, घोड़ासाहन, फुवांटा, पंच पोखरिया और मेहसी स्थानों पर गोली चलाई गई। मेहसी में रामावतार शाह को प्लेटफार्म पर बूलाकर गोली से उड़ा दिया गया। आदापुर कांग्रेस आश्रम जला दिया गया। सर्गौली फुलवारिया, मेहसी, बरकागाँव, नरकटियागंज आदि ५० स्थानों पर फौज द्वारा लूट की गई। जेल में भी क्राफी बर्बरता का परिचय दिया गया। उदाहरण के लिए ३ आदमियों को एक कम्बल और १० को पानी पीने के लिए एक गिलास दिया गया। ४० आदमियों के स्थान में १२० आदमियों को ठूस दिया गया इत्यादि-इत्यादि। बेतिया डिवीजन में फौजियों ने बहुत अत्याचार किया। वे अपनी जबरन की चीजें दूकानों से उठा ले जाते, रात को गाँवों पर हमले करते और लोगों को बुरी तरह लूटते तथा उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार करते। जो कोई भी गान्धी टोपी पहने दिखाई देता था उसकी मिट्टी पलीत की जाती थी। यहाँ पर लोगों को ४० साल तक की सजाएँ हुई थीं।

४. साहावाद् जिला

साहावाद् को लोग आजादी की प्रथम लड़ाई के नेता श्री कुंवरसिंह की जन्मभूमि के रूप में जानते हैं। इस जिले में १० अगस्त में आन्दोलन का श्री-गणेश हुआ। साहावाद् में कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों की सहायता में अक्षय मंत्र में बड़ा भारी प्रदर्शन किया। काम के समय अपना मैदान में एक विशाल सभा हुई। लोग बड़े उत्साह, उत्साह एवं वीर्य के साथ अपने नेता श्री प्रद्युम्न सिन्हा का व्याख्यान सुन रहे थे, जो उन्हें कांग्रेस की स्थिति तथा नौकरशाही की बर्बरता बता रहे थे। पुलिस के हमलावरी मिथली को परिष्कार कर आन्दोलन की गति को रोकना चाहते थे। अतएव वे भीड़ को चीरते हुए उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े। जनता उनके इस निन्दनीय कार्य को सहन न कर सकी।

उसका पारा चढ़ गया और वह बड़े वेग से पुलिस पर टूट पड़ी। पुलिस का घैर्य छूट गया, वह भाग खड़ी हुई। बेचारे सब डिवीजनल अफसर को अपने हँट तक को सम्हालने का होश न रहा। वे जैसे-तैसे अपनी जान बचाकर भागे।

इतने में ही पुलिस के अन्य अफसर भी सशस्त्र पुलिस के साथ घटना-स्थल पर जा पहुँचे। उन्होंने सिपाहियों को जनता पर लाठी-चाज करने का हुक्म दिया। परन्तु जनता इससे घबराई नहीं। वह ज्यों-की-त्यों बैठी भाषण सुनती रही। आजादी के इन दीवानों के साहस ने सिपाहियों के हृदय दहला दिये; उन्होंने अपने देश भाइयों पर गोली चलाने के जघन्य कार्य से मुंह मोड़ लिया। वस, लोगों के दिलों से सरकारी रीढ़ उठ गया। सभा की समाप्ति पर सभी सरकारी दफ्तरों पर भंडे फहराये गए। जिले के अन्य १७ थानों पर भी जनता ने बिना खून-खराबी के अधिकार कर लिया। पर यह स्थिति कुछ ही दिन तक कायम रही। बांद में गोरे सैनिक जिले भर में फैल गये और उन्होंने जनता के खून से जिले भर को रँग दिया। आरा, कोवनरा, भभीरा, जुकहटी, शाहपुर, लगडी, वलीगंज, सहसराम, सँझीवा, मोठगिनी, भभुआ, कुमराव, नयानगर, बलोहा, कटैरया, एमरी और शाहाबाद में जनता पर गोली चलाई गई।

बड़सरा, पीरो, सन्देश, जगदीशपुर, रोहतास, चेनारी, किनार, नोखा, नासरीगंज, रामगढ़, चांद, अछौरा, चैनपुर, कुदरा, डुमरांव, नवावनगर, ब्रह्मपुर आदि के थाने जनता के आक्रमण के शिकार हुए। बड़हरा, शाहपुरा, रोहतास, दिलार, नोखा, विक्रमगंज, रामगढ़, चांद, अछौरा, तथा चैनपुरा थानों में जनता ने ताला डाल दिया और पुलिस को आत्म-समर्पण करने के लिए बाध्य किया। सहसराम थाना लगभग डेढ़ मास तक जनता के अधिकार में रहा। चैनपुर, भभुआ और रामगढ़ थानों में जनता ने अपनी शासन-प्रबन्ध-समितियाँ बनाईं। सेमगांव, गढ़ौती, परपोखुरी, धनौती, पियरी, नुवार, हसन-वाजार, कुम्हऊ, करवन्दियां, डीहरी, विक्रमगंज, कुदरा तथा डुमरांव के स्टेशन जला दिये गए। पीरो में विद्यार्थियों ने रेलवे ट्रेन पर कब्जा कर लिया और उसका उपयोग स्वयंसेवकों को इधर-उधर लाने लेजाने में किया। इसके अतिरिक्त सहसराम, डालमियानगर, नोखा, विक्रमगंज, भभुआ, रामगढ़ तथा डुमरांव के डाकखाने लूटे व जलाये गए। नगर आफिसों और शराव की भट्टियों पर भी आक्रमण हुए। कस्तर पुस्ता सड़क के पुल तोड़ डाले गये। आन्दोलन की यह विशेषता रही कि थानों पर जनता का अधिकार होने से यद्यपि पुलिस भाग खड़ी हुई थी, फिर भी कहीं भी चोरी डकैती नहीं होने पाई। थानों की पुनः स्थापना होने के बाद ही इनका जोर रहा।

इस जिले के इतिहास में डुमरांव का नाम सदा अमर रहेगा। १६ अगस्त की शाम को ५००० व्यक्ति थाने पर भंडा फहराने के लिए पहुंचे। कपिलमुनि नामक २१ वर्षीय नौजवान के हाथ में राष्ट्रीय भंडा था। वह आगे बढ़ा। थानेदार ने गरजकर कहा—“खबरदार, आगे पैर रखा तो गोली से उड़ा दूंगा।” कपिलमुनि पुलिस की ऐसी धमकियों से डरने वाला न हो उठा। वह तो देश की आजादी के लिए अपनी चिता में खुद आग लगाने को तैयार था। वह आजादी का दीवाना बड़े गर्व के साथ राष्ट्रीय भंडा लिये थानेदार के सामने जा खड़ा हुआ। निर्दयी थानेदार ने चट अपना रिवातवर दबाया और देखते-देखते धांय-धांय करती हुई गोली युवक के सीने के पार हो गई। युवक का बलिदान पूरा हुआ। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा पर भंडा अब भी उसके हाथ में था। थानेदार भुण्ड की ओर लपका और उसे अपने पैरों के तले कुचल दिया।

राष्ट्रीय भंडे का यह अपमान पास में खड़े हुए रामदास लुहार नामक युवक को सहन न हुआ। उसका खून खौल उठा और वह झंडे को उठाने के लिए उसकी ओर लपका। पर वह भंडा उठाने भी न पाया था कि थानेदार के रिवातवर की गोली उसके सीने में से निकल गई। वह वहीं गिर पड़ा। युवक के इस बलिदान ने अबकी बार एक साठ वर्ष के बूढ़े को तैयार किया। उसके बाल सफेद हो चले थे, पर उसके खून में अब भी गरमी थी। वह अपना सीना निकाले हुए आगे बढ़ा। भला, थानेदार इसे कब सहन करता। उसने तत्काल उसे भी अपनी गोली का शिकार बनाया। पर भीड़ वीरों से खाली न थी। देखते-ही-देखते १६ वर्ष का बालक गोपालराम भीड़ को चीरता हुआ भंडे के पास आ पहुँचा। निर्दयी थानेदार की गोली उसकी कमर में लगी। वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और चार घंटे बाद अस्पताल में अपने देश की आजादी के लिए शहीद हो गया। १६ अगस्त का वह दिन चला गया, पर इन वीरों के बलिदान सदा के लिए अमर होगये। देश की आजादी के इतिहास में मृत्यु से खेलने वाले इन वीरों का नाम सदा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायगा। दमन भी खूब हुआ। १८ स्थानों पर गोली चली। सहसराम में मशीनगन का प्रयोग किया गया और जुलूस पर गोलियाँ बरसाई गईं। गंगा के तटवर्ती गांवों को घेर लिया गया और वहाँ के घरों को लूटा तथा बर्बाद किया गया। लोगों के घरों में आग लगा दी गई और इस प्रकार गांवों को श्मशान के रूप में बदल दिया गया। घनडीहा, कसाय, जितौरा, संभौली, बलीगांव आदि अनेक गांवों में जनता को बुरी तरह पीटा गया और मारते-मारते उन्हें घर

पर लिटा दिया गया। बलीगाँव के नीजवान छात्र श्री नन्दगोपालसिंह को इतनी बुरी तरह पाटा गया कि आज भी उसके शरीर पर लाठी के निशान बने हैं।

कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं को अत्यन्त कड़ी सजाएँ दी गईं। मामूली अपराधों पर बीस-बीस वर्ष का कठोर कारावास दिया गया। पाँच आदमियों को तो फाँसी की सजा हुई। सगराँव के कांग्रेस कार्यकर्ता ज़मीर खाँ को पकड़ने के लिए उनके भाई को कैद कर लिया गया, हालाँकि उनका आन्दोलन में कोई हाथ न था। इससे पता चलसकता है कि पुलिस दमन पर कितनी तुली हुई थी।

इस जिले में पुरुषों के साथ स्त्रियों और बच्चों पर भी गोलियाँ चलाई गईं और उनको तरह-तरह से दमन-चक्र में पीसा गया।। घनसोई में स्त्रियों से बलात्कार भी किया गया।

५. गया जिला

गया पटना-रांची सड़क पर आबाद होने के कारण फौजी केन्द्र है और काफी फौज यहाँ रहती है। अगस्त सन् १९४२ में यद्यपि जिले भर में काफी असन्तोष की भावना फैली हुई थी, किन्तु फौजियों के बड़ी संख्या में वहाँ मौजूद होने के कारण लोग कुछ भयभीत से थे। यही कारण है कि ९ अगस्त को नेताओं की गिरफ्तारी से जहाँ समस्त बिहार में आग भभक उठी, वहाँ गया में भय और सन्देह का ही वातावरण बना रहा। पर बहुत जल्दी यह डर का भूत लोगों के हृदय से हट गया और वे अपनी जान हथेली पर रख कर पूर्ण उत्साह के साथ आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने लगे। इस प्रकार वहाँ १३ अगस्त से आन्दोलन का श्रीगणेश हुआ। जिले भर में अराजकता फैल गई। लगभग डेढ़ मास तक जिले भर में यातायात बन्द-सा रहा।

जनता ने वज़ीरगंज, बेलागंज, कुर्था, घोसी, अरवाल, नबीनगर, कुटुम्बा, दादनगर के थानों पर आक्रमण किये। १४ थानों को प्रबन्ध न कर सकने के कारण सब डिवाँजनों में बुला लेना पड़ा। दादगंज, बेलनगंज, तथा वज़ीरगंज के रेलवे स्टेशन जला दिये गए। दाराब की भट्टियों और १६ डाकखानों पर भी जनता ने तोड़-फोड़ की। अरवाल, नबीनगर, दादनगर, घोसी, कुर्था के पोस्ट आफिस लूटे तथा जलाये गए। कुछ नहर के आफिस भी जनता के क्रोध के शिकार हुए।

गया जिले में गोली चली, जिसमें ३ व्यक्ति मरे तथा ११ घायल हुए। २ लाठी व भाले से मारे गये। १८ अगस्त को जब जनता कुर्था थाने पर भंडा फहराने पहुँची तो उस पर बर्छी और भालों से आक्रमण किया गया और श्री स्यामबिहारीलाल, मंत्री याना कांग्रेस कमेटी को भाले से मार डाला गया।

अरवाल थाने में प्राइमरी स्कूल के अध्यापक श्री दुसाध्यसिंह को पीटते-पीटते मृत्यु के घाट उतार दिया गया। उसका अपराध केवल यह था कि वह पहले दिन जुलूस में शामिल हुआ था। इसी प्रकार सामूहिक जुमाना वसूल करने में भी काफी सख्ती से काम लिया गया।

इस जिले के आन्दोलन की यह विशेषता थी कि यहां के मुसलमानों ने भी देश की आजादी की इस लड़ाई में खुले दिल से भाग लिया और अन्त तक कई मुसलमान कार्यकर्ता आन्दोलन का संचालन करते रहे।

६. हजारीबाग जिला

हजारी बाग में आन्दोलन का श्रीगणेश ११ अगस्त से हुआ। श्रीमती सरस्वती देवी एम० एल० ए० ने एक जुलूस संगठित किया, जिसका उद्देश्य नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करना था। दो-एक दिन तक इसी प्रकार जुलूस निकलते रहे। परन्तु जब सरकारी अधिकारियों ने कुछ छेड़-छाड़ की तो उत्तेजित जनता ने पोस्ट ऑफिस, यूरोपियन क्लब, लाल कम्पनी तथा डिप्टी कमिश्नर की अदालत में साधारण-सी तोड़-फोड़ की।

इस जिले में सबसे अधिक राजनैतिक चेतना अवरक की खानों तथा गिरिडीह के आस-पास कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों में है। ये लोग नेताओं की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही अर्धर ही उठे। उन्होंने भुमरी तलैया में जुलूस निकाला। पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन और शराब की भट्टी पर साधारण तोड़-फोड़ करके जुलूस तितर-बितर हो गया।

डोमचांच में जनता ने एक जुलूस निकाला। यद्यपि जुलूस शान्ति से निकल रहा था, पर अधिकारी इसे भी सहन न कर सके। उन्होंने जुलूस पर लाठी-चार्ज किया, हन्टर चलाये तथा गोली भी चलाई, जिससे २ व्यक्ति मारे गये और २२ के लगभग घायल हुए। जन-समूह विशाल था। वह निर्भीकता के साथ डटा रहा। स्थानीय कांग्रेसी नेता लोगों को बराबर अहिंसक बने रहने का आदेश देते रहे और उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से लहू की घूंट पीकर उनकी इस कठोर आज्ञा का पालन किया।

सरकार का दमन-चक्र इस जिले में बड़ी भयंकरता से चला। कोडरमा थाने में गिरफ्तार व्यक्तियों पर हन्टर से इतनी बुरी तरह मार पड़ी कि उसे मुनकर बड़े-बड़े साहसा पुरुषों का भी दिल दहल जायगा। पुलिस ने अपनी राक्षसी प्रकृति का परिचय देते हुए लोगों को चौराहों पर नंगा करके हंटरो से पीटा और जब तक उनका शरीर लहू-लुहान न होगया और वे अघमरे न

होगए तब तक उन पर बराबर मार पड़ती रही । असह्य पीड़ा के कारण बेहोश हो जाने पर भी मार बन्द न हुई और बाद में वे जेलखानों की काल-कोठारियों के अन्दर ठूस दिये गए । एक-दा ने तो जेल के फाटक पर पहुंचते-पहुंचते ही दम तोड़ दिया ।

बड़ी-बड़ी कम्पनियों के मालिकों को अपमानित किया गया और उनकी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया ।

बाबू जयप्रकाशनारायण का साहसपूर्ण कार्य

एलिजाबेथ काल के एक अंग्रेज कवि ने कहा है "लोहे के सीखचों से जेल नहीं बनती" (Iron bars do not prison make) । यह तो मनुष्य का मन ही है जो जेल का निर्माण करता है । बिलकुल खुले मैदान में रहने वाला व्यक्ति यदि अपने को बन्दी समझता है तो वह पूरे माने में बन्दी है, और यदि जेल के अन्दर बैठा हुआ अपने को मुक्त मानता है तो वह मुक्त है । क्योंकि 'भावना के अनुसार क्रिया होती है' इस सिद्धान्त के अनुसार वह लौकिक अर्थ में अपने आपको मुक्त करने के लिए स्थूल प्रतिबन्धों को तोड़ने का कोई साधन निकाल ही लेता है । अपने अपूर्व साहस, विलक्षण बुद्धि-चातुर्य आदि गुणों के आधार पर बाबू जयप्रकाशनारायण ने इस विषय में हमारे सामने एक अद्भुत आदर्श रखा है । जिसकी सनसनीपूर्ण कहानी सुनकर कोई भी व्यक्ति मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता ।

नेताओं की गिरफ्तारी के साथ देश में एक उग्र आन्दोलन की आग भड़क उठी । पर जयप्रकाश बाबू हजारी बाग की सेन्ट्रल जेल में नजरबन्द थे । "स्वतंत्रता की कीमत चुकाने के लिए दीवाने देशभक्त आगे बढ़ रहे थे । और जयप्रकाश जेल के सीखचों के भीतर यह सब बेबस होकर देखते रहे । उनकी वार आत्मा भला यह कैसे सहन कर सकती थी ।"

११ नवम्बर सन् १९४२ का अहत्त्वपूर्ण दिन आया और उसके साथ भारतीयों का प्रसिद्ध त्यौहार दिवाली भी । देश भर में अपूर्व उत्साह के साथ लोग उत्सव में भाग लेने लगे । बन्दियों ने भी जेल में रास-रंग मचाने का निश्चय किया । विहार के प्रधान मंत्री श्रीकृष्णसिंह आदि सब बड़े-बड़े व्यक्ति इसमें शरीक थे । अतएव अधिकारियों को उसमें अड़चन डालने का मौका न मिला । रात्रि के समारोह के समय राजबन्दी वरकों के बाहर रखे गये । बड़ी धूम-धाम के साथ उत्सव प्रारम्भ हुआ । उधर अधिकारियों की आंखों में धूल भोंककर जेल की दीवार फांदने की योजना बन चुकी थी । आगे उत्सव हो रहा था पीछे, जयप्रकाश बाबू तथा उनके पांच साथी श्री रामनन्दन मिश्र,

योगेन्द्र शुक्ल, सूर्यनारायणसिंह, गुलाबचन्द्र गुप्त और शालिग्रामसिंह अपने पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार जेल की ऊंची-ऊंची दीवारें लांघकर बाहर निकल गये। अन्य साथी तो अच्छी तरह निकल गये किन्तु जयप्रकाश बाबू के गहरी चोट आई। एक साथी ने उन्हें अपने कंधे पर ले लिया और आगे बढ़ने लगे। इस प्रकार वे थोड़ी देर में खतरे से बाहर निकल गये। वहां दो सशस्त्र रक्षकों के साथ एक मोटरकार उनकी प्रतीक्षा में खड़ी थी। रांची तक वे इसी मोटर में गये। आगे वीहड़ बन था। मोटर का जाना उसमें सम्भव नहीं था। अतएव उसे उन्होंने वहीं अग्नि की भेंट चढ़ा दिया और सवने गया की ओर पैदल यात्रा प्रारम्भ कर दी।

ऊबड़-खाबड़ जंगली रास्ता, बस्ती का बचाव तथा पैदल यात्रा, बड़ी भयंकर समस्या थी। पैदल चलते-चलते कांटों और झाड़ियों के कारण पैर लहू-लुहान होगये। छाले पड़-पड़कर फूट रहे थे, जिनसे पीड़ा और भी असह्य हो रही थी। एक-एक करके चार दिन बीत गये, पर भोजन से भेंट नहीं हुई। भाग्य से पांचवें दिन एक जंगल में कुछ जंगली फल मिले, जिनको खाकर वेचारों ने कुछ क्षुधा शान्त की। सारा जिस्म थककर चूर हो गया था। शरीर का एक-एक अंग आगे बढ़ने से विद्रोह कर रहा था। परन्तु फिर भी चलना था इसलिए वे चलते गये।

धीरे-धीरे गया पहुंचे। जयप्रकाश बाबू के पास सौ रुपये का एक नोट था। उसको खर्च करके कपड़े खरीदे और जैसे-तैसे एक मित्र के यहां शरण का प्रबन्ध हुआ। अब समस्या काम करने की आई। देश में घूमकर आन्दोलन की आग को फिर से भड़काने का प्रोग्राम बनाया गया। अतएव जयप्रकाश बाबू बनारस आये और वहां के छात्रों एवं कार्यकर्त्ताओं को आन्दोलन के विषय में आदेश देकर उन्होंने रीवां की ओर प्रस्थान किया। बीच-बीच में मुख्य-मुख्य स्थानों पर इसी प्रकार लोगों को फिर से आन्दोलन के लिए तैयार करते हुए वे बम्बई पहुंचे और अच्युतपटवर्धन से भेंट की। पटवर्धन महोदय पहले से ही पश्चिमी भारत को एक नये सांचे में ढालने का प्रयत्न कर रहे थे। उधर अरुणा आसफ़अली और डा० रामसुनोहर लोहिया कलकत्ते में ऐसी ही तैयारी में लगे हुए थे। इस प्रकार सबने आपस में विचार-विमर्श कर कार्य प्रारम्भ कर दिया। किन्तु इसकी सफलता के लिए समय-समय पर कार्यकर्त्ताओं का आपस में मिलना और उसके लिए ट्रेनिंग देना आवश्यक था। समूचे ब्रिटिश भारत में गुप्तचरों का सुदृढ़ जाल बिछा हुआ था, एक अंगुल भूमि भी खतरे से खाली नहीं थी। अतएव नेपाल की भूमि इस कार्य के लिए उपयुक्त समझी

गई और सन् १९४३ के अप्रैल मास में एक जंगल के अन्दर कार्यकर्त्ताओं का प्रथम सम्मेलन हुआ जिसमें 'आजाद हिन्द' दस्ते का निर्माण किया गया।

इस दस्ते का प्रतीक तीन बाण माने गये जो स्वतंत्रता, रोटी और एक राष्ट्र के द्योतक थे। इसकी शिक्षा बिल्कुल फौजी ढंग की थी और इसके सदस्यों को चांदमारी, छापामार लड़ाई आदि सभी युद्ध के कौशल सिखाये जाते थे। धीरे-धीरे इस दस्ते की कार्यवाही बहुत तीव्र होगई और उससे अंग्रेजी सरकार की भाँति नैपाल सरकार भी भय खाने लगा। निदान २४ मई सन् १९४३ को श्री जयप्रकाश, डा० लोहिया तथा उनके तीन अन्य साथी गिरफ्तार करके हनुमाननगर में बन्द कर दिये गये। उधर से अंग्रेजी फौज जयप्रकाश जी आदि के हथियाने के लिए नैपाल की सीमा पर आ पहुँची। जब दस्ते के अन्य कार्यकर्त्ताओं को इस पड्यन्त्र की सूचना मिली तो उन्होंने जेल के अधिकारियों को ऊँचे-नीचे सभी तरीकों से अपने अनुकूल करने की भरसक चेष्टा की, किन्तु उनको सफलता न मिली।

समय निकलता गया और अंग्रेजी फौज नजदीक आती गई। कार्यकर्त्ताओं को गुप्त रूप से खबर मिली कि नैपाल सरकार जयप्रकाश बाबू आदि को कल ही अंग्रेजी सरकार के हवाले करने जा रही है, क्योंकि "वर्ष और युगों से गुलामी की वृत्ति रखने वाली स्वतंत्र भारतीय रियासतों का ठिकाना ही क्या और उसकी दृष्टि में इन जानों का मूल्य ही क्या?" अतएव वे भावी परिणाम की आशंका से अधीर हो उठे और सबने एकत्र होकर यह निश्चय किया कि जेल पर छापा मारकर नेताओं को छोड़ा लिया जाय। चार पांच नवयुवक कार्यकर्त्ता गुप्तचर के रूप में बन्दियों के कैम्प पर पहुँचे। उन्होंने भाँति-भाँति के प्रलोभन देकर वहाँ के प्रायः सभी रक्षकों को अपनी ओर मिला लिया। उधर कार्यकर्त्ताओं ने कई दल बनाकर नगर में प्रवेश किया। एक दल ने जाँते ही जेल की दाहिनी ओर के एक मकान में आग लगा दी और चारों ओर से 'दौड़ो-दौड़ो' 'आग बुझाओ' 'जान बचाओ', आदि की आवाजें आने लगीं। लोगों को इस प्रकार बुरी तरह से चिल्लाते देख जेल के सन्तरी आग बुझाने के लिए घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। जेल पर बहुत ही कम सन्तरी रहे। कार्यकर्त्ताओं का दूसरा दल समय की प्रतीक्षा में था ही। अतएव उसने इसी बीच में जेल पर हमला कर दिया और तत्काल जेल के सन्तरी को मौत के घाट उतार दिया। बन्दूक की आवाज सुनकर हवलदार ने ऊपर से गोली चलाना प्रारम्भ किया, किन्तु लोगों ने उसे गिरा दिया। इतने में आग लगाने वाला दल भी आ पहुँचा। लगभग १०-१२ हजार व्यक्ति इकट्ठे होगये। 'मारो, पकड़ो', का

जबरदस्त शोर होने लगा। हल्ला सुनकर अधिकारी लोग दौड़कर वहाँ पहुँचे किन्तु लोगों के उत्साह के सामने उनकी हिम्मत कुछ करने की नहीं हुई।

भीड़ ने जेल का फाटक तोड़ दिया और रौशनी बुझा दी। चारों ओर अंधेरा छा गया। जयप्रकाश बाबू के लिए मार्ग खुला था। अतएव वे अपने साथियों के साथ बिना किसी विशेष कठिनाई के भाग निकले।

जेल से निकलने के पश्चात् जयप्रकाश बाबू ने बंगाल, बिहार, युक्त-प्रान्त, पंजाब आदि प्रान्तों में भ्रमण किया तथा आन्दोलन को जारी रखने के लिए लोगों को उत्साह दिलाया। इस दौड़-धूप में उन्होंने एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया। फलतः उनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया जिससे उनको बाध्य होकर काश्मीर की ओर जाने का निश्चय करना पड़ा। पर वे काश्मीर नहीं पहुँच पाये और बीच में ही अमृतसर में गिरफ्तार करके लाहौर के शाही किले में नजरबन्द कर दिये गये।

इस प्रकार इस वीर पुरुष ने भारत की भावी संतान के लिए त्याग, साहस एवं बुद्धि-चातुर्य का आदर्श हमारे सामने उपस्थित कर दिया।

७. भागलपुर जिला

यह जिला सदा से देश की आजादी के लिए संग्राम में बिहार के और जिलों की अपेक्षा आगे रहा है। इसी जिले के बहिपुर स्थान में सन् १९३० में देशरत्न बाबू राजेन्द्रप्रसाद पर लाठियों की मार पड़ी थी। तब से इस जिले में ऐसी जागृति पैदा हुई कि यह कांग्रेस के काम में सबसे आगे बढ़ गया। जहाँ इस जिले में डा० राजेन्द्रप्रसाद के प्रभाव के कारण गांधीवादी कार्यकर्त्ताओं की काफी संख्या है, वहाँ प्रसिद्ध समाजवादी नेता बाबू जयप्रकाशनारायण का मुख्य क्षेत्र होने के कारण उग्रवादियों की भी कमी नहीं है। अतएव शुरू-शुरू के एक-दो दिनों को छोड़कर बाकी सारे आन्दोलन में यहाँ की जनता में हिंसक प्रवृत्ति अधिक मात्रा में पाई गई। हाँ, सुपोल में जनता ने अन्त तक अहिंसा-नीति पालन किया।

इस जिले में भागलपुर, बांका, मधेपुर तथा सुपोल ये चार सब डिवीजन हैं, जिनमें सुपोल को छोड़कर अन्य तीनों सब-डिवीजनों में आन्दोलन का बहुत जोर रहा। भागलपुर में १० अगस्त को जनता एवं विद्यार्थियों के अलग-अलग जुलूस निकले। दोनों जुलूस शहर में घूमकर कचहरी पर जा पहुँचे। विद्यार्थियों ने क्लक्कर आफिस तथा हेड पोस्ट आफिस पर धावा बोल दिया और दोनों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया। १९ तारीख को जनता ने कांग्रेस-मवन

पर, जो ९ अगस्त से पुलिस के अधिकार में था, हमला किया और उसे पुलिस के हाथों से छीन लिया। इसके बाद तो शहर के कालेज के रिकार्ड, इंस्पेक्टर आफ स्कूल का आफिस और इन्कम-टैक्स आफिस में आग लगा दी गई। भागलपुर के रेलवे-गोदाम को लूटा गया तथा थाने के दफ्तर, पोस्ट आफिस तथा रजिस्ट्री आफिस जलाकर खाक कर दिये गये। जनता ने मालगोदाम पर हमला कर सैकड़ों बोरे चीनी लूट ली। खगरिया से कटिहार तक १०० मील रेल की पटरी उखाड़ दी गई। पसराहा और नारायनपुर के बीच की लाइन बिलकुल नष्ट कर दी गई, जिससे छः माह तक गाड़ी बन्द रही।

१३ तारीख को सहफावाद के चर्खा-शिक्षण-शिविर से पुलिस ने चर्खे, धुनके इत्यादि सब सामान उठा लिया और उसे थाने में बन्द कर दिया। पुलिस के इस निन्दनीय कार्य को जनता सहन न कर सकी। वह उत्तेजित हो उठी और थाने पर टूट पड़ी। थाने की सब वस्तुएं तोड़-फोड़ कर नष्ट-भ्रष्ट कर दी गईं और चर्खा-संघ का सब सामान वापिस ले लिया गया। पच्छ-गछिया, सहरसा तथा सोनसा, कचहरी इन तीनों स्टेशनों के माल-गोदामों को लूट लिया गया, जिनमें १०,००० स्लीपर तथा बहुत-सा दीगर फर्नीचर था। तीन इंजन ईंट-पत्थरों से मार-मार कर तोड़ डाले गये।

वनगाँव थाने के अन्तर्गत १२ जमींदारों के पास लाइसेंस की बन्दूकें थीं। कांग्रेस के स्वयंसेवकों की तरफ से उन्हें नोटिस दिया गया कि वे अपनी-अपनी बन्दूकें कांग्रेस-कैम्प में जमा करा दें। जमींदार घबड़ा उठे और २४ घंटे के अन्दर ७ बन्दूकें कांग्रेस-कैम्प में जमा हो गईं। सहरसा मिशन की बन्दूक और बड़ियाही कोठी की क्रिश्चियन मेम मिस एच० ई० के पास से एक मोटरकार, एक रेडियो सैट, एक बन्दूक, १२ कारतूस, १ डाइनेमों तथा ५० टोन पेट्रोल कांग्रेस स्वयंसेवकों ने अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार पूरी शक्ति संचित कर स्वयंसेवकों ने सहरसा, पच्छगछिया आदि ५ विभिन्न स्थानों में अपने कैम्प स्थापित किये और गाँव-गाँव में कांग्रेस-प्रचार करने लगे। मोटरों द्वारा स्वयंसेवक एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाक ले जाते थे तथा प्रचार का काम करते थे।

सुपोल में अन्य डिवीजनों की भांति हिंसा से काम नहीं लिया गया। जनता ने किसी भी सरकारी सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया यद्यपि अधिकार सब थानों पर कर लिया गया था। पुलिस के हथियार भा छीनकर ताले में बन्द कर दिये गए। सरकारी कर्मचारियों के साथ मित्रतापूर्ण वर्तव किया गया। एक महीने तक इसी तरह दफ्तर बन्द रहे और उन पर स्वयंसेवकों का

पहरा रहा। वर्षा के दिन होने के कारण इस डिवीजन के चारों तरफ वीसों मील तक पानी-ही-पानी भरा पड़ा था। अतएव दमन करने के लिए बाहर से फौज न आ सकी। पर बाद में जैसे-तैसे नावों से फौज यहां पहुंचाई गई। उसने आते ही भाँति-भाँति के अत्याचार शुरू कर दिये और जनता को खूब लूटा-खसोटा। जिन सरकारी कर्मचारियों के साथ अब तक भाई-चारे का व्यवहार किया गया था वे भी अब सैनिक-सहायता पाकर जनता के लिए मौत का परवाना बन गये। अहिंसक और निहत्थे लोगों को नंगा करके पीटा जाता था और गोरे सैनिक उनकी छाती पर बैठ जाते थे।

भागलपुर और बांका सब डिवीजन में जब फौज के अत्याचारों से आन्दोलन की गति बहुत ही मन्द पड़ गई तो वहां के बचे-खुचे कांग्रेस कार्य-कर्त्ताओं ने परशुराम बाबू की अध्यक्षता में 'परशुराम दल' के नाम से एक दल तैयार किया, जिसका काम सरकारी स्थानों पर हमला करना था। पर पुलिस ने इस दल पर हमला किया और परशुराम बाबू को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सियाराम बाबू ने इसका नेतृत्व किया जिससे इसका नाम 'सियाराम दल' हो गया। सियाराम बाबू की अध्यक्षता में इसकी हलचल कुछ तीव्र रही। कितने ही स्थानों पर इस दल ने पुलिस वालों पर हमले किये और उसके हथियार छीन लिये। कहीं-कहीं इस दल के आदमी भी पुलिस की गोली के शिकार बने। इस दल के कार्यकर्त्ताओं द्वारा सैकड़ों ऐसे आदमियों के नाक-कान या हाथ की उंगलियां काट डाली गईं जिन्होंने इस दल की खोज करने में पुलिस को गुप्त या प्रत्यक्ष रूप से सहायता दी थी। इधर सरकार ने बांका तथा भागलपुर जेल से लगभग ८० डकैत सजा पूरी होने से पहले ही छोड़ दिये। वे महेन्द्र गोप के साथ सियाराम दल में शामिल होगये। इससे दल की शक्ति बहुत बढ़ गई और उसने सरकारी संस्थाओं पर हमले किये तथा उन्हें बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। कुछ दिनों बाद महेन्द्र गोप कैद कर लिये गये और उन पर कई केस लगाकर उन्हें फांसी दे दी गई। परन्तु कितनी ही बार पुलिस और फौज द्वारा घेरा डालने पर भी सियाराम बाबू गिरफ्तार न किये जा सके। हो सकता है, बहुत से लोग इस दल की राज-नीति से सहमत न हों, परन्तु इनके साहस, त्याग, बहादुरी, सेवा एवं देशभक्ति की तारीफ किये बिना नहीं रहा जा सकता।

दमन भी इस जिले में बड़े जोरों से चला, जिसकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भागलपुर में कुछ कैदियों ने अपना विरोध-प्रदर्शन किया और बगावत का झंडा उठाया, जिससे उन पर अंधाधुन्ध गोलियों की

बीछार की गई और १२५ कैदी पिंजड़ों में ही भून दिये गये। एक अफ़सूर भी मारा गया। सुखवार घाट, त्रिमुहा घाट आदि घाटों पर फौजी अड्डे कायम किये गये जो दोनों ओर के राहगीरों की मरम्मत करते और उनका सामान लूट लेते थे। बहिपुर थाने में, जो सियाराम दल का अड्डा घोषित किया गया था, प्रत्येक तीन-चार गांव पीछे प्रमुख चौराहों पर फौजी कैम्प स्थापित किये गये। इसमें रहने वाले सैनिक अपनी आवश्यकता की कोई भी चीज़ मोल न लेते थे, बल्कि जनता से लूट लाते थे। रास्ते चलती एवं घरों में बैठी स्त्रियों को घसीट लाया जाता था और उनके साथ बलात्कार किया जाता था।

सरकार दमन पर कितनी तुली हुई थी, इसका पता इसी बात से लग जाता है कि फरार लोगों का पता लगाने के लिए उनके सम्बन्धियों को चाहे वे किसी भी अवस्था के हों, गिरफ्तार कर लिया जाता था। ७० वर्ष के बूढ़े से लेकर ढेढ़ वर्ष के दुधमुँहे बच्चे तक जेल में ठूस दिये गये थे। भागलपुर में पुलिस ने एक १८ महीने के बच्चे को जिसके पिता फरार थे, कैद कर लिया और उसे ४ दिन तक अपनी मां से अलग रखा। परन्तु बाद में जेल अधिकारियों ने उसकी जिम्मेवारी लेने से इन्कार कर दिया और वह छोड़ दिया गया। इसी प्रकार भागलपुर के ७० वर्ष के बूढ़े मदन भा को भी जेल के सीखचों में बन्द कर दिया गया था।

बिहार के अन्य जिलों की अपेक्षा इस जिले में सबसे अधिक स्थानों पर गोली चली तथा सबसे अधिक मनुष्य गोली के शिकार हुए। गांवों को फूंक देने का राक्षसी कार्य भी यहीं जारों से हुआ।

यहां के खादी-भंडार भी दमन की लपटों से अछूते न बच सके। सैफा-वाद का चर्खा-शिक्षण-शिविर जलाकर खाक कर दिया गया तथा सुपोल का स्वराज्य-भवन और खदर-भंडार नष्ट-भ्रष्ट कर दिये गये।

८. मुजफ्फरपुर जिला

यह जिला बिहार प्रान्त में महात्माजी के रचनात्मक कार्यक्रम का मुख्य केन्द्र है और यहाँ के अधिकांश कार्यकर्ता अहिंसा द्वारा ही स्वराज्य प्राप्ति के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं। अतएव यहाँ पर आन्दोलन का श्रीगणेश अहिंसक रूप से हुआ। जनता का मुख्य उद्देश्य जुलूसों तथा हड़तालों द्वारा प्रदर्शन करना एवं थानों आदि सरकारी संस्थाओं पर कब्जा करके सरकारी मशीन का चलना बन्द कर देना था। परन्तु पुलिस अधिकारियों ने झूठी प्रफवाहें फैलाकर लोगों में हिंसा की भावनाओं को उकसाया।

आन्दोलन प्रारम्भ होते ही जनता ने शान्तिपूर्ण तरीके से जिले के प्रायः सभी थानों, रजिस्ट्री और पोस्ट आफिसों तथा स्टेशनों पर तिरंगे झंडे लगा दिये। पुलिस कर्मचारी या तो हैडक्वार्टर पर भाग गये या उन्होंने जनता की अधीनता स्वीकार कर ली। पुपरी थाने का थानेदार अर्जुनसिंह भयभीत होकर अपने साथियों के साथ सीतामढी भाग गया। वहाँ जाकर उसने अपने गुप्तचरों द्वारा जनता में यह बात फैलाई कि २४ तारीख को अर्जुनसिंह २० लारी फौज लेकर पुपरी थाने की ओर आरहा है और विद्रोहियों को ठीक कर देगा। इस पर २४ तारीख की सुबह ही गांव के लोग बाजपट्टी में आकर हजारों की संख्या में इकट्ठे होगये। अर्जुनसिंह तो नहीं आया, पर दुर्भाग्यवश मधुवनी बाजार से एक मोटर वहाँ आ पहुँची। जोश तथा आवेग में भरी जनता ने समझा कि अर्जुनसिंह आया है और बिना सोचे समझे उस वह पर टूट पड़ी, जिससे सब डिवीजनल अफसर हरदीपसिंह, एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक अर्दली और एक हवलदार जनता की क्रोधाग्नि में भुन गये। इस घटना की सूचना जब जिला अधिकारियों को मिली तो २५ अगस्त को ११ लारी फौज के साथ कलक्टर, इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस तथा अर्जुनसिंह पुपरी पहुँचे। उसी दिन उन्होंने वहाँ की प्रसिद्ध फर्म लालचन्द मदनगोपाल पर हमला किया और ३० हजार की सम्पत्ति लूट ली। सेठ साहब के दो लड़के निरंजनप्रसाद एवं गोपालप्रसाद गिरफ्तार कर लिये गए और उन्हें बन्दूकों के कुन्दों से अपमानित किया गया। तीसरे लड़के देवकीप्रसाद को मौत के घाट उतार दिया गया सबसे बड़े लड़के निरंजनप्रसाद की नव-वधू की इज्जत लेने की कोशिश की गई। पर उस वीर महिला ने छुरा लेकर उनका सामना किया, जिससे वह कोशिश विफल रही। २६ तारीख को अर्जुनसिंह पुनः ९ लारी फौज लेकर पुपरी आया और उसने लोगों पर अन्धा-धुन्ध गोलियों की वर्षा की जिससे ३ मरे और १२ घायल हुए। ३ सितम्बर को वह पुनः १० लारी फौज लेकर पुपरी जा धमका और वहाँ की प्रसिद्ध दुकान, गीरीशंकर की दुकान तथा सीताराम स्टोर को लूटा और इस प्रकार ६० हजार रुपये हथियाये। इन घटनाओं से समूचे थाने में आतंक छा गया। बन्दगांव की जनता धवराकर नेपाल की तराई में भाग गई। पीछे से फौजियों ने बन्दगांव में आग लगा दी जिससे ३०० घर जलकर खाक हो गए।

अत्याचार का फल अवश्य मिलता है। अर्जुनसिंह के अत्याचारों का घड़ा भर चुका था। सरकार भी उसके काले कृत्यों से दहल उठी। परिणाम स्वरूप उस पर डकैती का अभियोग लगाया गया और उसे ८॥ साल के लिए

अपने दुष्कर्मों का फल भोगने को जेल भेज दिया गया ।

पारू, लालगंज, मीनापुर, कटरा आदि स्थानों में भी जनता ने शान्तिपूर्ण तरीके से थाने, पोस्ट आफिस वगैरा पर राष्ट्रीय झंडे फहराये । १५ तारीख को मीनापुर के थाने पर जनता ने धावा चोला पुलिस की ओर से गोली चलाई गई जिससे एक मरा तथा १० घायल हुए । इस पर जनतंत्र आपे से बाहर हो गई। उसने ईंटों-पत्थरों से थाने के दारोगा पर प्रहार किया जिससे वह जखमी होकर गिर पड़ा । जनता ने थाने के फर्नीचर एवं कागजात के ढेर के साथ वहीं उसका दाह-संस्कार कर दिया । इसी दिन हाजीपुर सब-जेल भी तोड़ी गई और कांग्रेस-कार्यकर्ता जेल से बाहर निकाल लिये गए ।

सीतामढ़ी में ११ तारीख को जनता और विद्यार्थियों के एक जुलूस ने स्टेशन पर हमला किया और रेलगाड़ी पर कब्जा कर लिया । लोग बिना टिकट संफर करने लगे । पर जब जनता ने देखा कि इससे सरकार के काम में कोई बाधा नहीं पड़ती है तो उसने १४ तारीख का रात को दरभंगा से रक्सौल तक जाने वाली रेल की पटरी को उखाड़कर फेंक दिया और यातायात के मार्ग बन्द कर दिये । सीतापुर-मुजफ्फरपुर रोड भी तोड़ दी गई और पुल उखाड़ दिये गये ।

नौकरशाही के दमन की कहानी अन्य स्थानों के अत्याचारों से बहुत कुछ मिलती-जुलती है । भगवानपुर, रतनपुरा, बिठौली, बन्दगांव, पुपरी, शिवहर आदि अनेक गांव जला दिये गए । कांग्रेस-जनों के घर लूट लिये गए । सीतामढ़ी में ठा० रामनन्दनसिंह एम० एल० ए० का बंगला लूटा गया और जला दिया गया, जिससे करीब ५० हजार की हानि हुई । शिवहर में नवाब हाईस्कूल व लाइब्रेरी का सामान लूट लिया गया और उसमें आग लगा दी गई । यहां तक कि बोर्डिंग हाउस के लड़कों का सामान भी नहीं छोड़ा गया । पुपरी, बिठौला, सीतामढ़ी, बिछौवा, सिहान तथा हाजीपुर के खादी भंडार या तो लूट लिये गये या जला दिये गये जिससे १२, १२१ रु० ८ आ० ६ पा० की हानि हुई । बन्दगांव कत्ल-केस में रामफल घानु को फांसी की सजा हुई तथा श्री प्रदीपसिंह, तिलेश्वरसिंह एवं हरनन्दन गोप को आजीवन कारावास की सजा हुई । वाजपट्टी-केस में जहां बहुत से बेगुनाह लोग फंसाये गये वहाँ कुछ ऐसे आदमियों को भी मुलजिम बनाया गया जो उक्त घटना के समय जेल में थे । जैसे श्रीरामहृदय शर्मा, २० अगस्त से ही गोरखपुर जेल में बन्द थे, और बाबा नरसिंहदास, जो उस समय बेलखंड थाने में थे, उक्त केस में मुलजिम बनाये गए, किन्तु वे बरी होगए । इससे पुलिस को धांधली का कुछ धनुमान लगाया जा सकता है ।

६. पुर्णिया जिला

यह जिला बिहार प्रान्त की पूर्वी सीमा पर होने के कारण बंगाल से बिलकुल मिला हुआ है। अतएव सुभाष बाबू के अग्रगामी दल का यहां के किसानों और मजदूरों पर खास असर पड़ा। यही कारण है कि इस जिले में आन्दोलन का जोर अधिक रहा।

इस जिले में आन्दोलन बहुत संगठित रूप से चलाया गया। अन्य जिलों की भांति यहां भी प्रारम्भ में आन्दोलन का रूप अहिंसात्मक रहा। जनता ने शान्तिपूर्ण तरीकों से जुलूस निकाले, आम हड़ताल की तथा सरकारी स्थानों पर अविकार किया और झंडे फहराये। १३ तारीख को कटिहार थाने पर जनता के एक बड़े झुंड ने हमला बोल दिया। सब डिबीजनल अफसर ने गोली चलाने का हुक्म दिया और सिपाहियों ने लोगों पर अन्धाबुद्ध गोलियों की बौछार शुरू कर दी। आठ आदमी मारे गये, जिनमें एक १३ वर्ष का बालक ध्रुव, (शान्तिनिकेतन का छात्र) भी था। ध्रुव की दाहिनी जांघ में गोली लगी और वह वहीं गिर गया। बाद में अस्पताल में बालक ध्रुव ने सदा के लिए आंखें मूंद लीं। १३ अगस्त का वह दिन चला गया पर बालक ध्रुव का बलिदान ध्रुव की तरह सदा चमकता रहेगा। ध्रुव का यह बलिदान युग-युग तक देश के बालकों में अपनी मातृ-भूमि के सम्मान के लिए इसी प्रकार प्राण निछावर करने की भावना जागृत करता रहेगा। ध्रुव के पिता डा० कुण्डू, जो इस प्रांत के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, पुत्र का दाह संस्कार करके घर के लिए रवाना हुए। रौतारा स्टेशन पर गाड़ी रोक ली गई तथा पुत्र-शोक से विह्वल डा० साहब बन्दी बना लिये गये। बेचारे मृतक पुत्र का श्राद्ध भी न कर पाये। "कितना कर्षणापूर्ण रहा होगा उस समय का वह दृश्य जब पुत्र-शोक को हृदय में दबाए कुण्डू शान्ति भाव से जेल की ओर जा रहे थे।

इस घटना ने जनता को उत्तेजित कर दिया। वह मचल उठी और उसने रुपौली, घनदाहा, धरहरा, बरारी, रानीगंज, फारविसगंज आदि १३ थानों पर हमले किये, जिससे एक थानेदार और ३ सिपाही मारे गये। दर्जनों डाक-खाने और रेलवे स्टेशन लूटे तथा फूँके गये।

पुलिस ने कटिहार, वनमंखी, रसीगंज, रुपौली, घनदाहा, देवीपट्ट, राजांची, हाटी, पुर्णिया, कदनी तथा कन्हूरिया में गोली चलाई जिससे ६० से अधिक घायल हुए। टीका पट्टी तथा वनमंखी के खादी कारखाने जले गये। ७० गांव भी सरकार के दमन के शिकार हुए और २००० से अधिक घर लूटे तथा जला दिये गये।

इस जिले में बिहार के अन्य जिलों की अपेक्षा मुसलमान अधिक संख्या में रहते हैं। यहां के मुसलमान भाइयों ने भी खुले दिल से देश की आजादी की इस लड़ाई में भाग लिया।

१०. सारन जिला

नेताओं की गिरफ्तारी के साथ ही जिले भर में सरकार-विरोधी प्रहिंसात्मक प्रदर्शन शुरू होगये। बाजारों और स्कूल-कालेजों में हड़तालें हो गईं। १३ अगस्त को सेवान में सभा हो रही थी कि पुलिस जनता पर टूट पड़ी और उसने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे ३ मरे तथा ६ घायल हुए। पुलिस द्वारा किए इस अमानुषिक अत्याचार के कारण जनता उत्तेजित होगई और उसने कंकड़ का जवाब पत्थर से देने का निश्चय किया। लोग सरकारी सम्पत्ति तथा यातायात के साधनों को नष्ट कर शासन-सूत्र का चलना असम्भव कर देने पर उतारू हो गए। १४ अगस्त को लगभग २० हजार आदमियों ने छपरा स्टेशन को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। बाद में कचहरी और लोको इंजिन-शेड को भी फूंक दिया गया। महाराजगंज थाने को आक्रमणकारियों ने अपने अधिकार में कर लिया और उस पर तिरंगा झंडा फहरा दिया।

एक बड़ी भीड़ द्वारा सोनपुरं जंक्शन पर धावा किया गया और रजिस्ट्री ऑफिस जला दिया गया। कुछ लोगों ने इंजिन-शेड में खड़े तीन इंजिन चला करके छोड़ दिए, जो जाकर नदी में गिर गए। १५ और १६ अगस्त को जनता ने भड़ावड़ा के थाने और रजिस्ट्री ऑफिस पर धावा करके उन पर तहला लगा दिया और स्टेशन अग्नि देवता की भेंट चढ़ा दिया। १८ अगस्त को भड़ावड़ा में एक सभा हो रही थी। उसी समय ५ गोरे और ऐंग्लों इंडियन टॉमी बन्दूकें तथा रिवाल्वर लेकर सभा-स्थल पर आ धमके और अंधा-धुन्व गोली चलाने लगे। भीड़ ने हड़बड़ा कर उन पर धावा बोल दिया और उनके हथियार छीन लिए तथा उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जनता के भी २ आदमी मरे। सारे आन्दोलन में इस जिले से केवल यहीं ६ सरकारी व्यक्ति मारे गए थे।

सेवान में थाने पर झंडा लगाने के लिए जनता उमड़ी। उधर से पुलिस ने गोलियों की बौछार प्रारम्भ कर दी। बा० फुलैनाप्रसाद तथा अन्य तीन व्यक्ति शहीद हुए। आक्रमण के समय बाबू फुलैनाप्रसाद की धर्म-पत्नी श्रीमती तारावती अपने पति के साथ थीं। जब फुलैनाप्रसाद के गोली लगी

तो इस वीर महिला ने अपनी साड़ी फाड़कर, अपने पति के पट्टी बांध दी और फिर झंडा लेकर थाने की ओर बढ़ी। जब वह थाने पर झंडा फहराकर वापिस लौटी तो उसके पति और गोलियाँ लग जाने के कारण वीर गति का प्राप्त हो चुके थे।

अमर शहीद श्री फुलैनाप्रसाद का बलिदान भूला नहीं जा सकता। पं० बनारसीदास चतुर्वेदी के शब्दों में एक और थी उस अटलव्रती की खुली हुई छाती, दूसरी ओर दानवी शक्तियों का जमघट उधर से आवाज हुई धाँय और इधर गोली लगी नम्बर एक। फिर आवाज हुई धाँय..... और गोली लगी नम्बर दो..... इस प्रकार एक के बाद एक गोली चली और आ गोलियाँ शरीर को वेध गईं। नवीं गोली से सिर के टुकड़े-टुकड़े हो गये और निर्जीव शरीर धराशयी हो गया। अथवा यों कहिए कि रण-प्रांगण में वह सिंह सदा के लिए सो गया। भारतीय सत्याग्रह के इतिहास में यद्यपि अनेक सिपाहियों ने वीर गति पाई है, परन्तु सारन के श्री फुलैनाप्रसाद के प्रयाण पर संसार के किसी भी अहिंसक योद्धा की ईर्ष्या हो सकती है।”

सोनपुर में बच्चों पर गोली चलते देखकर एक मुसलमान अपनी छाती खोलकर फौजियों के सामने आ खड़ा हुआ और उन्हें जोर से ललकारा। भट से उसकी छाती पर गोली लगी और वह शहीद हो गया।

पुलिस एवं फौज द्वारा घर जलाने लाठी चार्ज करने, बलात्कार करने आदि की घटनायें तो हर जिले की भाँति यहाँ भी बहुत हुईं, परन्तु कुछ नवीन घटनाएं भी हुईं जिनमें पुलिस की बर्बरता एवं अमानुषिकता पराकाष्ठा को पहुंची हुई दिखाई देती है। नाखाबाजार में बिहार के भूतपूर्व मिनिस्टर श्री जगलाल चौधरी के दो वर्ष के अबोध बालक का इन अत्याचारियों ने मृत्यु की भेंट चढ़ा दिया। गोरों की एक टुकड़ी ने छपरा से सेवान जाते समय रास्ते में खेत में काम करते हुए १३ और १८ वर्ष के दो लड़कों की गोली द्वारा हत्या कर डाली। मलखाचक गांव में बा० रामविनोदसिंह के मकान को डायनामाइट से उड़ा दिया गया। ३ सितम्बर सन् १९४२ को जब छपरा शहर में गौरी पलटन का जुलूस शहर की सड़कों में से होता हुआ जेल के पास से गुजरा तो बन्दियों ने राष्ट्रीय नारे लगाये। इस पर उक्त पलटन का कैप्टन चिढ़ गया और उसने जेल में जाकर १६ प्रमुख बन्दियों के अपने सामने ३०-३० वेंत लगावाये।

सारन जिले में लगभग छः लाख नर-नारियों ने इस आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया।

११. रांची जिला

यह पहाड़ी जिला है तथा यहाँ के निवासी अधिकतर अशिक्षित, भोले-भाले एवं मूल निवासियों की सन्तान हैं। फौजियों का यह बहुत बड़ा केन्द्र था। अतएव फौजियों की हलचल तथा देश की अन्य परिस्थितियों के कारण यहाँ के निवासी भी एक बड़ी तीव्र बेचैनी का अनुभव कर रहे थे। इसलिए अगस्त-अक्टूबर में उनका विद्रोह के लिए उठ खड़ा होना स्वाभाविक था। किन्तु वर्षा का मौसम होने तथा आवागमन की असुविधा के कारण अगस्त भर अक्टूबर तक रांची तथा उसके आस-पास के स्थानों तक ही सीमित रहा। सारे जिले में आन्दोलन की आग भड़कने में काफी समय लग गया। परन्तु आन्दोलन देर से प्रारम्भ होने के कारण वहाँ अक्टूबर तक इसका काफी जोर रहा।

विद्यार्थियों ने स्कूल कालेज छोड़कर अहिंसात्मक तथा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन प्रारम्भ किये यहाँ के पुलिस अधिकारियों ने बड़ी होशियारी एवं बुद्धिमानी से काम लिया। उन्होंने प्रदर्शन तथा सरकारी इमारतों पर झंड फहराने के काम में किसी भी प्रकार का दखल नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि भोली-भाली जनता झंडे फहराकर वापिस लौट गई। सरकारी इमारतों पर थोड़ी बहुत जगह जो ताले लगाये गये थे वे पुलिस अधिकारियों की प्रार्थना तथा इस आश्वासन पर कि वे आज्ञाद सरकार की आज्ञानुसार कार्य करने को तैयार हैं, खोल दिये गये।

मांडर, कुडूँ चैनपुर, बेरी तथा विशनपुर के स्थानों पर झंडे फहराए गये और कुडूँ को छोड़कर बाकी सबमें ताले डाल दिये गये। अरगोड़ा रेलवे स्टेशन जलाया गया। राँची और लोहरदगा के बीच की रेलवे लाइन उखाड़ी गई तथा हिनू के हवाई अड्डे लोहरदगा के फौजी कैंप, राँची के पोस्ट-ऑफिस एवं ग्रीष्म कालीन सेक्रेटेरियट; पर भी तोड़-फोड़ की गई। तार काटने का काम कोकर गाँव के हल्के में विशेष रूप से हुआ।

जेल के सामने एक जुलूस पहुँचने पर अन्दर से विद्यार्थियों ने जेल तोड़कर बाहर निकलने की चेष्टा की, किन्तु बाहर से पूरी सहायता न मिलने तथा अन्य कैदियों के बाधा उपस्थित करने से एक फाटक पार करने पर उन्हें रोक दिया गया। बाद में जेल में लाठी-चार्ज किया गया, जिससे शहर के सबसे धनी परिवार के लड़के आत्माराम बुधिया के गहरी चोट आई।

१२. दरभंगा जिला

दरभंगा प्राचीन मिथिला की राजधानी है। यहाँ की

आजादी की भावना से ओत-प्रोत है। यहां के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि स्वतंत्रता कितनी कीमती वस्तु है। यही कारण है कि अगस्त-आन्दोलन में यहां की जनता गोली चलने पर भी पीछे न हटी; उसका उत्साह वैसा-का-वैसा बना रहा।

इस जिले में कांग्रेस का नेतृत्व प्रारम्भ से ही गान्धीवादियों के हाथ में रहा है। अतः यहां विधानवादियों की कमी नहीं है। नेताओं की गिरफ्तारी के साथ ही यहां पर बड़े पैमाने पर अहिंसात्मक प्रदर्शन किये गए। यहाँ के कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि कहीं हिंसक प्रवृत्तियों द्वारा आन्दोलन की पवित्रता खण्डित न हो जाय। लोगों ने भी अपने नेताओं की आज्ञाओं का पूरा पालन किया और गोली तथा लाठी की मार खाकर भी उत्तेजित न हुए। तार काटना, पुल तोड़ना, सड़कें उखाड़ना आदि उनके विचार में हिंसा की श्रेणी में नहीं आते थे। इसीलिए उन्होंने इन्हें अपनाया। इस प्रकार आन्दोलन बहुत अंशों तक अहिंसक रहा, किन्तु अन्दाजा गाँव में एक पुलिस सब इन्स्पेक्टर जनता की क्रोधाग्नि का शिकार हो गया।

दरभंगा में १० अगस्त से आन्दोलन का हड़तालों से श्रीगणेश हुआ। विद्यार्थियों के नेतृत्व में १६ तारीख तक रोजाना जुलूस निकलते रहे। जिनमें १० हजार तक लोग भाग लेते थे। दो-चार बार जुलूसों पर पुलिस की ओर से लाठी-चार्ज भी हुआ जिसमें काफी विद्यार्थियों के चोटें आईं। रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं, तार काटे गए, ट्रेनों पर अधिकार कर लिया गया, धाने पर कब्जा करके वहाँ के सब कागजात जला दिये गए और सरकारी इमारतों पर तिरंगा झंडा फहरा दिया गया। १७ तारीख को एक बहुत बड़ा जुलूस देहातों से एकत्रित होकर आया। जब वह स्टेशन पर पहुंचा तो उस पर गोली चलाई गई। एक आदमी मरा और १० घायल हुए। जानकी मिश्र को दूट की ठोकड़ों से पीट-पीट कर मृत्यु के घाट उतार दिया गया।

बेहरा में १० तारीख को पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर पर छापा मारा और सब कागजात उठाकर ले गई। इसी दिन थाना कांग्रेस कमेटी के मंत्री को किसी अज्ञात स्थान से एक कार्यक्रम मिला, जिसमें १६ बातें थीं। इसके आघार पर धाने आदि पर अधिकार करने की योजना बनाई गई और १३ तारीख को एक बड़े जुलूस द्वारा अहिंसात्मक रूप से धाने पर झंडा लगाया गया। गांवों में भी इस कार्यक्रम का खूब प्रचार किया गया। परिणामस्वरूप १९ तारीख को ५० हजार की भीड़ आस-पास के गांवों से एकत्रित होकर श्रीमती जानकी देवी की अध्यक्षता में बेहरा आ पहुंची और धाने पर घावा करके

कुछ कागजात और फर्नीचर की होली जला दी । थाने के कर्मचारी अपनी जान बचाकर भाग गये । फिर जनता ने रजिस्ट्री तथा पोस्ट ऑफिस पर ताला लगा दिया और ४५ स्वयंसेवकों का पहरा बैठा दिया । एक सार्वजनिक सभा करके आवागमन के साधनों को नष्ट करने का निश्चय किया गया और सड़क-तार आदि नष्ट किये गए एवं मनगाछी और सरकारी स्टेशनों की लाइनें उखाड़ दी गईं । २२ तारीख तक थाने पर जनता का अधिकार रहा । २२ को दर-भंगा से गोरा पलटन आ गई और दमन शुरू हो गया ।

मधुवनी में १२ तारीख को विद्यार्थियों एवं जनता का एक सम्मिलित जुलूस जब कचहरी पर पहुंचा तो पुलिस ने लाठी चार्ज के द्वारा उसे तितर-दितर करने की चेष्टा की और श्री विन्देश्वरीसिंह तथा श्री विश्वनाथ लालकर्ण को गिरफ्तार करके उनके हूटर लगाये । पर जनता के उत्साह पर इसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा । वह वहीं डटी रही । पुलिस-अधिकारियों पर जनता के इस साहस का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने तत्काल गिरफ्तार व्यक्तियों को छोड़ दिया एवं कचहरी पर राष्ट्रीय झंडा लगाने की छुट्टी दे दी । दूसरे दिन हजारों की तादाद में गांवों से जनता आई और उसने तार काटना व पटरी उखाड़ना शुरू कर दिया । १५ अगस्त को गणेशचन्द्र भा की अध्यक्षता में छः हजार आदमियों का जुलूस निकला । थाने पर पहुंचते ही जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठी-चार्ज किया गया, पर जनता इस अमानुषिक प्रहारों को सहकर भी डटी रही । पुलिस ने गोली चला दी । एक आदमी घटना-स्थल पर मर गया, दूसरे के सहत चाट आई । पुलिस उसे पैर पकड़कर घसीटती हुई थाने में ले गई । बेचोरा थाने में पहुंचते ही मर गया ।

१४ तारीख को खजौली थाने के कुलग्राही गांव में लोगों ने सब डिवीजनल अफसर की मोटर तोड़ डाली और कान्स्टेबलों से साइकिलें छीन लीं । फसारोड़ की फ्लेक्स-कम्पनी (Flex company) पर जनता ने हमला किया और उसे जलाकर नष्ट कर दिया, जिससे दो लाख का नुकसान हुआ ।

सरकारी दमन भी जोरों से चला । सिंधिया थाने में पुलिस और टॉमियों ने अमानुषिक अत्याचार किये । १८ परिवारों के घर जला दिये, लोगों को मार-मार कर बेहोश कर दिया तथा एक प्रतिष्ठित वृद्ध कांग्रेसी को अधमरा करके उसके मुंह में डोम से पेशाब डलवा दिया । राइफल और संगीन के दल कितने ही घरों में घुसकर स्त्रियों पर बलात्कार किया । इतना ही नहीं, खत में घास छीलती हुई सड़कियां भी इनकी कामान्वता का शिकार बनीं ।

समस्तापुर डिवीजन में फौजियों ने कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं के घरों में घुसकर उन्हें बुरी तरह पीटा तथा घर में लगी हुई गान्धीजी एवं जवाहरलालजी की तस्वीरों को पैरों से कुचल दिया। वागमती में जनता ने जटमल नामक पुल नष्ट कर दिया था। जब फौज वहां पहुंची तो उसने राजवन्दियों को कपड़े उतरवाकर और पुल दिखा-दिखा कर इतनी बुरी तरह से पीटा कि बहुतेरें बेहोश हो गये और कई हफ्ते में ठीक हुए। पीड़ितों में समस्तीपुर सब-डिवीजन की कांग्रेस कमेटी के प्रधान डाक्टर डी. एन. झा भी थे। मदेपुर, तरवारा, लहेरियासराय, उमगाँव, बाजीदपुर, राजनगर आदि ५४ जगहों के खादी-भण्डार या तो लूट लिये गए या जलाकर नष्ट कर दिये गए, जिससे ३०-३१ हजार की हानि हुई। दीप नामक गाँव में दो सौ मकान जला दिये गए। मधुवनी के पुलिस इन्स्पेक्टर और सुपरिण्टेण्डेंट पुलिस दमन की साक्षात् मूर्ति बने हुए थे। आन्दोलन के पहले इनके पास कोई खास सम्पत्ति न थी। परन्तु आन्दोलन के दिनों में इन्होंने कोठी और बंगले खरीद लिए और बहुत-सी जमींदारी ले ली।

१३. मानभूमि

मानभूमि के वीरों ने भी अपनी मातृ-भूमि के मान के लिए अपने लहू को बहाया है, दमनकारियों की लाठियों के प्रहार सहें हैं तथा अपने सामने अपनी सम्पत्ति की बरवादी देखी है।

मानभूमि जिले के कांग्रेसी नेता श्री अतुलचन्द्र घोष हैं। आपकी उत्कट लगन और निस्वार्थ सेवा ने जिले में और मुख्यकर पुरुलिया सब डिवीजन में बहुत से सक्रिय कार्यकर्त्ता उत्पन्न किये हैं। इन्होंने जिले भर को अपनी सेवाओं से मुग्ध कर लिया है। जनता कांग्रेस से प्रेम करती है और सदैव उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार रहता है। अगस्त-क्रान्ति का दिव्य-घोष होते ही जिला-का-जिला अपना रोष प्रकट करने के लिए तैयार हो गया। संथाल तथा महतो जाति के लोग, जिनकी संख्या जिले में सबसे अधिक है, तीर-भालों से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए आ खड़े हुए। परन्तु अतुलबाबू की आज्ञा से उन्होंने हिंसा का इरादा छोड़ दिया और अहिंसक एवं शान्तिपूर्ण तरीकों से सरकार का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। भंडे लगाना, हड़ताल करना आदि जो आन्दोलन का सामान्य रूप था, अगस्त भर चलता रहा, और पुरुलिया, बाँदवान एवं बड़ा बाजार के धानों पर तथा रघुनाथपुर की कचहरी और घनवाद (भरिया) के स्कूलों पर तिरंगे भंडे फहराये गए। ७६ आदमा पिकेटिंग करते हुए पकड़े गये।

इसी बीच जनता को अन्य प्रान्तों में होने वाले पुलिस के अत्याचारों तथा उनकी प्रतिक्रिया में होने वाले हिंसात्मक कार्यों का पता चला और तोड़-फोड़ का प्रोग्राम भी प्राप्त हुआ। जनता में प्रतिहिंसा जाग उठी अतः थानों पर हमले किये गए। बाँदवान और बड़ा बाजार के थाने जलाये गए। बड़ा बाजार के पोस्ट ऑफिस के तमाम कागजात एवं धनवाद पोस्ट ऑफिस की इमारत तक फूँककर राख कर दी गई। मान बाजार से पुहलिया आने वाला सड़क पर पुल भी तोड़े गये। लालपुर तथा लघुरमा के मिलिटरी कैम्प में आग लगाने की चेष्टा की गई। सारे जिले में तार काटना व शराब की भट्टियों को नष्ट करना भी कई दिनों तक जारी रहा।

यहाँ जो दमन हुआ उसकी कहानी अन्य स्थानों का कहानी से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है। जिन स्थानों पर गोलियाँ चलाई गई, उनमें से जरगांव, मानवामार और कवरासगढ़ ये तीन स्थान प्रसिद्ध हैं।

१४. सिंहभूमि जिला

इस जिले में 'मिल एरिया' में रहने वाले मजदूरों ने ही खास तौर से सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग लिया। जमशेदपुर की टाटा स्टील कम्पनी के ३०,००० तथा अन्य कम्पनियों के ५,००० मजदूरों ने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में ६ अगस्त से हड़ताल शुरू की। उन पर कांग्रेस वालों का अधिक प्रभाव था। अतएव उनके सब प्रदर्शन पूर्ण रूप से अहिंसक रहे। उन्होंने किसी भी अफसर की जान लेने का प्रयत्न नहीं किया। पूरे १३ दिन तक बड़े शान्ति पूर्ण ढंग से हड़ताल को चलाया। मजदूरों के त्याग ने कुछ सिपाहियों को भी प्रभावित किया और २८ सिपाहियों ने शान्तिपूर्वक हथियार रख दिये और सरकारी नौकरी से स्तीफे दे दिये।

यहाँ पर मजदूरों तथा विद्यार्थियों का पूरा सहयोग रहा। स्कूलों में हड़ताल हुई और जुलूम भी निकले। जमशेदपुर में ब्लूम ब्रिज को तोड़ने की चेष्टा की गई। रांची के आमपास तार भी काटे गए।

६ सितम्बर को जमशेदपुर में १५ हजार से अधिक लोगों का जुलूस निकला, जिसमें हरिजनों की संख्या अधिक थी। ये लाग राष्ट्रीय नारे लगाते हुए जेल के फाटक पर जा पहुंचे और वहाँ के अधिकारियों से कहा—'हम अपने नेताओं के दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें बाहर निकालिए।' जनता को यह शक था कि उसके नेताओं पर जेल में सख्ती की जाती है। जेल अधिकारी जनता की माँग को ठुकरा न सके। वे डर के मारे काँप रहे थे। उन्होंने जनता की आज्ञा का पालन करने में ही अपना भला समझा। तुरन्त नेता

लोग बाहर लाए गए। जनता उन्हें ठीक स्थिति में देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुई। उसने खूब जोर से जयघोष किया और अपने नेताओं को फूलों की मालाओं से लाद दिया तथा मानपत्र भेंट कर वापस लौट गई। यहां की जनता कितनी शान्त रही यह घटना स वात का सुन्दर उदाहरण है।

१५. पलामू

पलामू प्रान्त के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। प्रायः समस्त जिला जंगल एवं पहाड़ियों से आच्छादित है। इसकी जनसंख्या ८ लाख १२ हजार है और यहां के निवासी अधिकांश कोल तथा संथाल हैं। जिले में यातायात के साधन बहुत कम हैं तथा शिक्षा का भी कम प्रचार हुआ है। स्कूल शहरों तक ही सीमित हैं। अतएव जब देश भर में क्रान्ति की ज्वाला ध्वज रही थी तो यहां के देहातों में प्रायः शान्ति दिखाई पड़ती थी। पर शहर आन्दोलन की लपटों से न बच सके। वहां के विद्यार्थियों तथा वकीलों ने आगे बढ़कर जनता का नेतृत्व किया। हड़ताल और जुलूस विशेष कार्यक्रम थे। डाल्टनगंज, गढ़वा, हुसैनाबाद, लैसलीगंज और लतिहार के थानों पर जनता ने भंडे फहराने की चेष्टा की तथा गढ़वा को छोड़कर शेष थानों पर भंडे फहराये भी गए। डाल्टनगंज थाने की पुलिस को आत्म-समर्पण के लिए बाध्य किया गया और जेल पर आक्रमण करके जनता ने अपने नेता ठा० रामकिशोर एम० एल० ए० को जेल से बाहर निकाल लिया। डाल्टनगंज, गढ़वा और हरिहरगंज के डाकखाने भी जनता के आक्रमण के शिकार हुए। डाल्टनगंज के थाने को तो लोगों ने जलाकर खाक कर दिया। इसके अतिरिक्त स्थान-स्थान पर शराब की भट्टियों को भी बर्बाद किया गया।

इस जिले में सरकार द्वारा जो दमन हुआ वह अन्य स्थानों से मिलता-जुलता था। हाँ, एक बात खास थी। यहां के जमींदारों ने दमन करने में पुलिस का साथ दिया और किसानों को पिटवाया, गिरफ्तार करवाया और इस प्रकार 'देश-द्रोही' का कलंकपूर्ण खिताब प्राप्त किया।

१६. संथाल परगना

संथाल परगना भी अगस्त आन्दोलन की लपटों से झट्टा न रहा। यद्यपि यहां आन्दोलन का रूप अन्य जिलों जैसा न रहा, परन्तु फिर भी यहां ६०० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, जिनमें २०० तो यहां के मूल निवासी थे। इस जिले में ६ आदमा गोली के शिकार हुए एवं २० जेलों में मर गये। यहां पर कई लोगों को ३५ साल तक की सजायें हुईं।

इसी बीच जनता को अन्य प्रान्तों में होने वाले पुलिस के अत्याचारों तथा उनकी प्रतिक्रिया में होने वाले हिंसात्मक कार्यों का पता चला और तोड़-फोड़ का प्रोग्राम भी प्राप्त हुआ। जनता में प्रतिहिंसा जाग उठी अतः थानों पर हमले किये गए। बाँदवान और बड़ा बाजार के थाने जलाये गए। बड़ा बाजार के पोस्ट ऑफिस के तमाम कागजात एवं वनवाद पोस्ट ऑफिस की इमारत तक फूँककर राख कर दी गई। मान बाजार से पुरुलिया आने वाला सड़क पर पुल भी तोड़े गये। लालपुर तथा लघुरमा के मिलिटरी कैम्प में आग लगाने की चेष्टा की गई। सारे जिले में तार काटना व शराब की भट्टियों को नष्ट करना भी कई दिनों तक जारी रहा।

यहां जो दमन हुआ उसकी कहानी अन्य स्थानों का कहानी से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है। जिन स्थानों पर गोलियां चलाई गईं, उनमें से जरगांव, मानवामार और कवरासगढ़ ये तीन स्थान प्रसिद्ध हैं।

१४. सिंहभूमि जिला

इस जिले में 'मिल एरिया' में रहने वाले मजदूरों ने ही खास तौर से सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग लिया। जमशेदपुर की टाटा स्टील कम्पनी के ३०,००० तथा अन्य कम्पनियों के ५,००० मजदूरों ने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में ६ अगस्त से हड़ताल शुरू की। उन पर कांग्रेस वालों का अधिक प्रभाव था। अतएव उनके सब प्रदर्शन पूर्ण रूप से अहिंसक रहे। उन्होंने किसी भी अफसर की जान लेने का प्रयत्न नहीं किया। पूरे १३ दिन तक बड़े शान्ति पूर्ण ढंग से हड़ताल को चलाया। मजदूरों के त्याग ने कुछ सिपाहियों को भी प्रभावित किया और २८ सिपाहियों ने शान्तिपूर्वक हथियार रख दिये और सरकारी नौकरी से स्तीफे दे दिये।

यहां पर मजदूरों तथा विद्यार्थियों का पूरा सहयोग रहा। स्कूलों में हड़ताल हुई और जुलूम भी निकले। जमशेदपुर में ब्लूम ब्रिज को तोड़ने की चेष्टा की गई। रांची के आसपास तार भी काटे गए।

६ सितम्बर को जमशेदपुर में १५ हजार से अधिक लोगों का जुलूस निकला, जिसमें हरिजनों की संख्या अधिक थी। ये लाग राष्ट्रीय नारे लगाते हुए जेल के फाटक पर जा पट्टेचे और वहां के अधिकारियों से कहा—'हम अपने नेताओं के दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें बाहर निकालिए।' जनता को यह शक था कि उसके नेताओं पर जेल में सख्ती की जाती है। जेल अधिकारी जनता की माँग को ठुकरा न सके। वे डर के मारे काँप रहे थे। उन्होंने जनता की आज्ञा का पालन करने में ही अपना भला समझा। तुरन्त नेता

लोग बाहर लाए गए। जनता उन्हें ठीक स्थिति में देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुई। उसने खूब जोर से जयघोष किया और अपने नेताओं को फूलों की मालाओं से लाद दिया तथा मानपत्र भेंट कर वापस लौट गई। यहाँ की जनता कितनी शान्त रही यह घटना स वात का सुन्दर उदाहरण है।

१५. पलामू

पलामू प्रान्त के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। प्रायः समस्त जिला जंगल एवं पहाड़ियों से आच्छादित है। इसकी जनसंख्या ८ लाख १८ हजार है और यहाँ के निवासी अधिकांश कोल तथा संथाल हैं। जिले में यातायात के साधन बहुत कम हैं तथा शिक्षा का भी कम प्रचार हुआ है। स्कूल शहरों तक ही सीमित हैं। अतएव जब देश भर में क्रान्ति की ज्वाला घबक रही थी तो यहाँ के देहातों में प्रायः शान्ति दिखाई पड़ती थी। पर शहर आन्दोलन की लपटों से न बच सके। वहाँ के विद्यार्थियों तथा वकीलों ने आगे बढ़कर जनता का नेतृत्व किया। हड़ताल और जुलूस विशेष कार्यक्रम थे। डाल्टनगंज, गढ़वा, हुसैनाबाद, लैसलीगंज और लतिहार के थानों पर जनता ने भंडे फहराने की चेष्टा की तथा गढ़वा को छोड़कर शेष थानों पर भंडे फहराये भी गए। डाल्टनगंज थाने की पुलिस को आत्म-समर्पण के लिए बाध्य किया गया और जेल पर आक्रमण करके जनता ने अपने नेता ठा० रामकिशोर एम० एल० ए० को जेल से बाहर निकाल लिया। डाल्टनगंज, गढ़वा और हरिहरगंज के डाकखाने भी जनता के आक्रमण के शिकार हुए। डाल्टनगंज के थाने को तो लोगों ने जलाकर खाक कर दिया। इसके अतिरिक्त स्थान-स्थान पर शराब की भट्टियों को भी बर्बाद किया गया।

इस जिले में सरकार द्वारा जो दमन हुआ वह अन्य स्थानों से मिलता-जुलता था। हाँ, एक बात खास थी। यहाँ के जमींदारों ने दमन करने में पुलिस का साथ दिया और किसानों को पिटाया, गिरफ्तार करवाया और इस प्रकार 'देश-द्रोही' का कलंकपूर्ण खिताब प्राप्त किया।

१६. संथाल परगना

संथाल परगना भी अगस्त आन्दोलन की लपटों से अछूता न रहा। यद्यपि यहाँ आन्दोलन का रूप अन्य जिलों जैसा न रहा, परन्तु फिर भी यहाँ ६०० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, जिनमें २०० तो यहाँ के मूल निवासी थे। इस जिले में ६ आदमा गोली के शिकार हुए एवं २० जेलों में मर गये। यहाँ पर कई लोगों को ३५ साल तक की सजायें हुईं।

: ६ :

आसाम में आन्दोलन

एक नज़र में

ज़िला	नजरबन्द	गिरफ्तारियाँ	सजायें	सामूहिक जुर्माना
लखीमपुर	१९	३११	२१४	१०,००० रु०
सिवसागर	२३६	३४७	२८७	१,४०,००० ,,
नो गाँव	६०	१६००	१२००	८७,००० ,,
दारांग	८	४३०	१४२	४५,७००० ,,
कामरूप	४३	६५५	६१४	६६,०११ ,,
ग्वालपाड़ा		७	६	३८,००० ,,
	३६६	३६५०	२७६३	३,८६,७११ रु०

नोट:—लगभग २,७२,००० रु० सामूहिक जुर्माना वसूल किया गया ।

कितनी जगह गोली चली	६
कितने घायल हुए	लगभग १०००
कितने मरे	७०-८०
साधारण लाठी-चार्ज	१५
सख्त लाठी-चार्ज	१७
कितनी जगह तोड़-फोड़ हुई	२१
कितनी जगह विस्फोट हुए	६
कितनी जगह गाड़ियाँ गिराई गईं	६

नोट:—प्रान्त की लगभग ६२ लाख जन-संख्या में से करीब २० लाख आदिमियों ने आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया ।

आसाम प्रान्त भारत की पूर्वी सीमा बनाता है । सीमा-प्रान्त का अपना महत्त्व होता है और वही इसका भी है । इसका क्षेत्रफल ६७,३३४ वर्ग मील है, पर यहां आबादी अपेक्षाकृत बहुत कम है, क्योंकि यहां पहाड़ी

प्रदेश अधिक है। प्राकृतिक दृष्टि से आसाम तीन भागों में बंटा हुआ है— ब्रह्मपुत्र या आसाम घाटी, सूरमा घाटी तथा पहाड़ी भाग। सूरमा घाटी के सिलहट एवं कछार जिले सबसे अधिक बसे हुए हैं। बाहर के लोग यहां काफी आकर बस गये हैं। जैसे विहारी ग्वाले, बंगाली, मारवाड़ी आदि। मेमनसिंह आदि स्थानों से बहुत से मुसलमान भी यहाँ आये हैं। मारवाड़ी लोगों के हाथों में यहां का अधिकांश व्यापार है तथा बंगाली लोग सरकारी नौकरियाँ करते हैं। इन दोनों वर्गों के लोग यहाँ की राजनीतिक हलचल में बहुत कम भाग लेते हैं। यही कारण है कि सन् १९४२ के आन्दोलन में अधिकांश भाग स्थानीय लोगों ने ही लिया।

शायद कुछ लोग यह सोचते हों कि देश के एक कोने पर स्थित होने के कारण ९ अगस्त की नेताओं की गिरफ्तारी के साथ बम्बई से जो क्रान्ति की भयंकर लपट ब्रिटिश साम्राज्यशाही को भस्म करने के लिए उठी, उसका आसाम की जनता पर खास असर न पड़ा होगा। पर बात ऐसी नहीं है। आसाम देश के उन भागों में से है जहाँ आन्दोलन का रूप अत्यंत उग्र रहा। यहां के लोगों ने सन् १९४२ के खुले विद्रोह में अपूर्व त्याग, बलिदान, उत्साह एवं जोश का परिचय दिया।

नेताओं का गिरफ्तारी से आसामवासियों के हृदय पर बड़ा टूट पड़ा। इस अमानुषिक प्रहार को उन्होंने अपनी आशाओं और उमंगों पर प्रहार समझा। वे उत्तेजित हो उठे और ऐसी अविवेकपूर्ण सरकार को, जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसी महान् आत्माओं को जेल के सीखचों में ठँस देने के जघन्य कार्य से जरा भी न हिचकी, अस्त-व्यस्त कर अपनी समानान्तर सरकार स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। सरकार भला यह कब सहन करने लगी? उसने उन पर भांति-भांति के अमानुषिक प्रहार किये, पर आसामवासियों ने देश की आजादी के लिए उन सबका अपने अहिंसा शस्त्र से सामना किया एवं कई महीनों तक सरकारी शासन को पंगु बना दिया।

आसामवासियों के हृदय में आजादी के लिए जलती हुई ज्वाला को देश ने अगस्त-क्रांति में ही देखा। क्या ग्रामीण, क्या नागरिक, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या धनी, क्या निर्धन, क्या शिक्षित, क्या अशिक्षित, क्या हिन्दू, क्या मुसलमान प्रायः सभी वर्गों तथा श्रेणियों के लोगों ने प्राणों की बाजी लगाकर देश की आजादी के इस आन्दोलन को आगे बढ़ाया। वे भी अजीब दिन थे जब जिसे देखिये उसी के हृदय में उत्तेजना उबाल खा रही थी। थोड़े

से पहाड़ी भाग को छोड़कर सारा-का-सारा आसाम क्रान्ति की गोद में खेल रहा था ।

ऐसा होना स्वाभाविक था ? क्योंकि क्रान्ति के लिए सभी आवश्यक कारण अन्य स्थानों की अपेक्षा यहां अधिक मात्रा में विद्यमान थे । सामने से जापान बढ़ता हुआ आ रहा था तथा बर्मा एवं मलाया की हार से लोगों का अंग्रेजों की शक्ति पर से विश्वास उठ चला था । फीजियों के लाखों की संख्या में वहां आजाने के कारण लूट-खसोट, व्यभिचार, वस्तुओं की कमी आदि बातों का जोर बढ़ रहा था । फीजियों के रहने तथा हवाई अड्डे आदि बनाने के लिए विना कुछ दिये और अन्य इंतजाम किये लोगों से जबरन गांव-के-गांव खाली कराये जा रहे थे । इन सभी कारणों से जनता का असन्तोष चरम सीमा पर पहुंच चुका था । बारूद तैयार थी, केवल चिनगारी की आवश्यकता थी । नेताओं के पकड़े जाने के साथ ही वह सुलग उठी ।

आसाम के लोग सीधे, सरल और धार्मिक प्रकृति के हैं । प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण यातायात के साधन वहां अधिक विकसित नहीं हो पाये हैं ; अतएव स्वाभाविक रूप से ही यहां के लोगों का सुभाव गांधीजी के सिद्धांतों की ओर है । वे रचनात्मक कामों को विशेष रूप से पसन्द करते हैं । ब्रह्मपुत्र की घाटी में रहने वाले अधिकांश लोग कांग्रेसवादी हैं । मुसलमानों पर जमी-यतुल-उलमा का अधिक प्रभाव था । सिलहट के ४०० मुसलमान आन्दोलन में जेल गये । वहां पर कांग्रेस के अधिकांश लोग मध्यम श्रेणी के शिक्षित नीजवान व्यक्ति हैं, पर उच्च वर्ग के लोगों का भी किसी-न-किसी रूप में सहयोग अवश्य है ।

विद्रोह का श्रीगणेश हड़तालों एवं शान्तिपूर्ण प्रदर्शनों से हुआ । हड़ताल इतने जोरों पर चली कि तमाम स्कूल, कालेज बन्द हो गये । देहात के मजदूरों ने भी अपना काम बन्द कर दिया । राष्ट्रीय नारों के साथ बड़े-बड़े जुलूस निकाले जाने लगे । प्रायः ऐसा होता था कि स्त्री-पुरुष, लड़के-लड़कियां मीलों दूर से जुलूस बनाकर आते थे । उनके हाथों में राष्ट्रीय झंडे रहते थे जिनको वे थानों, स्टेशनों, पोस्ट ऑफिसों आदि सरकारी संस्थाओं पर फहराने का प्रयत्न करते थे । हिंसा लगाने से पता चलता है कि प्रान्त के करीब दो-तिहाई लोगों ने इन प्रदर्शनों में भाग लिया । सरकारी संस्थाओं पर किए गए आक्रमण प्रायः अहिंसक और शान्तिपूर्ण होते थे, किन्तु कानून का दम भरने वाले किराये के टट्टुओं ने इनका जवाब किर्ची और गोलियों से दिया जिसके कारण भारतमाता के कितने ही अमूल्य लाल छिन गए ।

ज्यों-ज्यों दमन बढ़ता गया त्यों-त्यों लोगों ने और भी अधिक उत्साह दिखाया। सरकारी दमन ने लोगों के जोश को कुचलने की अपेक्षा उसे पुष्ट किया। करीब चार महीने तक सरकारी शासन एकदम पंगु बना दिया गया। बहुत से स्थानों पर जनता ने अपनी पंचायतें स्थापित कर लीं, पुलिस का काम गांव के लोग ही करते थे। कई स्थानों पर तो पंचायतों ने अपनी जेलें भी बना ली थीं।

आन्दोलन के दो रूप थे। एक रचनात्मक और दूसरा अवरोधात्मक। रचनात्मक दृष्टि से देहातों को स्वतःपूर्ण इकाई बनाने का प्रोग्राम था, जिससे एक निश्चित समय के भीतर उन्हें स्वतंत्र घोषित किया जा सके। अवरोधात्मक प्रोग्राम के अनुसार फौज के ठेकेदारों को गाँवों से मिलने वाली चीजों पर रोक लगा दी गई थी। धान, पशु, तरकारी आदि वस्तुओं को विरोधी लोग लुका-छिपकर न ले जा सकें इसकी रक्षा के लिए यातायात के सभी साधन, यहाँ तक कि सरकारी सड़कें भी नष्ट कर दी गई थीं।

आन्दोलन के कुछ दिन पूर्व से ही गाँव वालों ने अपनी रक्षा के लिए शान्ति-सेना बना ली थी, जिसमें करीब २०,००० स्वयं सेवक थे। इन लोगों ने गांव-गांव में अपने तम्बू गाड़ रखे थे और रात को बारी-बारी से गांव के प्रत्येक नाकों पर पहरा देते थे। इन लोगों का काम था गांव की निगरानी रखना और किसी खतरे का सन्देश होते ही तुरही बजाकर गांव वालों को सावधान कर देना। सेवक अपने कर्तव्य को बड़ी तत्परता से पूरा करते थे। कई वीरों ने गोली खाकर भी तुरही बजाई और गांव वालों को खतरे से बचने के लिए सावधान किया।

आन्दोलन के प्रथम १८ दिन बड़े शान्तिपूर्ण रहे। सारे आसाम में कहीं भी रेलवे की सड़क नहीं उखाड़ी गई। केवल एक मामूली घटना हुई। उसके लिए अधिकांश में जंगली हाथी को उत्तरदायी बताया जाता है। परन्तु नवम्बर मास से सड़कें तोड़ना, गाड़ियों को उलटना, मालगोदामों, स्टेशनों, जंगलात के बंगलों, फौजी गोदामों एवं भिन्न-भिन्न प्रकार के स्कूलों को लूटने तथा जलाने का काम प्रारम्भ हो गया। ६ स्थानों पर गाड़ी गिराई गई, जिनमें से दो जगह भारी जन-धन की हानि हुई। २६ नवम्बर को गोहाटी रेलवे स्टेशन से १४ मील दूर पर एक फौजी गाड़ी गिराई गई जिसमें करीब १५० व्यक्तियों की जानें गईं। इसके अतिरिक्त देशी बम भी बनाये गए, जो कालेजों के कमरों, तार-घरों एवं रेलवे प्लेटफार्मों पर फटते थे। क्रान्ति की यह आग त्रीगांव जिले में महात्मा गान्धी के उपवास तक घषकती रही। आसाम की कांग्रेस

सरकार के प्रधान मंत्री श्री गोपीनाथ बारदोलाई के शब्दों में, 'इस प्रकार के हिसापूर्ण कार्य बहुत अंशों में आपसी ईर्ष्या व्यक्तिगत शत्रुता, युद्ध के ठेकेदारों को बिना काम किये ही विल पास कराने की नीच मनोवृत्ति तथा गबन करने वाले अफसरों द्वारा ऑफिस रेकार्ड नष्ट कर अपनी चोरी छिपाने के लज्जाजनक प्रयत्नों के कारण ही हुए हैं' आन्दोलनकारियों का वास्तव में उनमें बहुत कम हाथ रहा है।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि आन्दोलन बहुत अंशों तक अहिंसात्मक रहा। तेजपुर सब-डिवीजन में ऐसे साहसपूर्ण अहिंसक कार्यों का प्रदर्शन हुआ है जिनकी समता संसार के किसी भी देश के इतिहास में मिलनी कठिन है। एक-दम निहत्थे और शान्त स्त्री-पुरुषों ने दरंग जिले के डेकिया-जुली, बेहाला, गोहपुर आदि स्थानों पर गोलियों का छातीं खोलकर सामना किया। गोहाटी से १६ मील दूर मुक्तापुर गाँव में कांग्रेस के प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता श्री महेन्द्रनाथ डेका के सभापतित्व में ५००० आदिमियों की एक सभा हो रही थी। दारोगा पुलिस को लेकर वहाँ पहुँचा और उसने सभा विसर्जित करने एवं श्री डेकाजी को बन्दी बनाने की आज्ञा दी। जनता इस बमकी से न डरी। वह सभा-स्थल पर डटी रही। साथ ही उसने अधिकारियों से साफ-साफ कह दिया कि श्री डेकाजी इस समय हमारे अधिपति हैं। हम ब्रिटिश हुकूमत को नहीं मानते। दारोगा ऐसा मुंह-तोड़ उत्तर पाकर जल-भुन गया और उसने गोली चलाने का हुक्म दे दिया। पर इससे पहले कि सिपाही गोली चलायें, सब लोगों ने उनको घेर लिया और उनकी बन्दूकें छीन लीं। उन्होंने किसी को जरा भी चोट न पहुँचाई। श्री डेकाजी आगे बढ़े और एक अहिंसक सिपाही की भाँति अपने-आपको पुलिस अधिकारियों को सौंपने के लिए तयार हो गये। जनता ने आवाज उठाई "नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आज प्रजा का दिन है। यदि अधिकारी लोग आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं तो कल आयें।" इतना कह वह अपने नेता को घर लिवा ले गई और उधर दारोगा भी अपने साथियों के साथ अपने घर चला गया। दूसरे दिन डेकाजी ने अपने वादे के अनुसार १५-२० प्रधान कार्यकर्त्ताओं के साथ अपने-आपको पुलिस अधिकारियों को सौंप दिया। श्री डेकाजी को एक साल की सजा हुई। इसी प्रकार कामरूप में भी हजारों लोगों की एक भीड़ ने पुलिस अधिकारियों को घेर लिया, परन्तु उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाई। केवल अपने साथ जुलूस में शामिल कर लिया। आसाम के लोगों ने इस प्रकार अहिंसक अनुशासन का परिचय दिया।

आसाम के आन्दोलन में स्त्रियों ने खूब हिम्मत लिया और वह भी पूर्ण

अहिंसात्मक रूप में। जहाँ भी गोलियां चलीं, लाठी-चार्ज हुए, स्त्रियां पुरुषों के साथ मौजूद थीं। इतना ही नहीं, गोली खाने या गिरफ्तार होने के लिए सब से आगे स्त्रियां ही बढ़ीं। देश की आजादी के लिए हंसते-हंसते प्राण न्यो-छावर कर देने वाली वीर कन्या कनकलता, तुलेश्वरी आदि पर कोई भी राष्ट्र गर्व किये बिना नहीं रह सकता। ऊपरी आसाम में फौज के अत्याचारों से जनता के जान-माल की रक्षा करने में श्रीमती अन्नप्रिया एवं सुधोलता की अव्यक्तता में स्त्रियों के एक बड़े जत्थे ने बड़ी तत्परता एवं साहस का परिचय दिया। पुलिस के अत्याचारों से पीड़ित प्रदेशों में अपनी जान खतरे में डालकर भी जनता की रक्षा का काम आसाम की स्त्रियों ने ही किया। राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में आसाम की स्त्रियों का चमकता हुआ स्थान रहेगा।

कुछ अपूर्व बलिदान

(१) कमला मीरी का नाम भारतीय इतिहास में अमिट रहेगा। यह वीर अपनी साहसपूर्ण दृढ़ता द्वारा हमें मेवाड़ के महाराणा प्रताप की याद दिला देता है। उसने अपनी जान की रक्षा के लिए तिल-तिल कर अपने प्राण गवां दिए, पर मुंह से उफ तक नहीं की।

कमला मीरी गोलाघाट जिला कांग्रेस कमेटी का एक सदस्य था। सदा से ही यह कांग्रेस-कार्यो में प्रधान भाग लेता था। अतएव अधिकारियों की उस पर नज़र थी। आन्दोलन प्रारम्भ होने पर अधिकारियों ने कमला मीरी को गिरफ्तार कर लिया। मजिस्ट्रेट ने कमला मीरी से कहा—

‘हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, पर-एक बात का आश्वासन चाहते हैं।’

‘वह क्या?’ कमला मीरी ने पूछा।

‘तुम कांग्रेस के काम में सहयोग देना छोड़ दो।’

कमला मीरी को ये वचन विष में बुझे हुए बाण के सदृश लगे। वह आवेश में आ गया और गरज कर बोला, ‘बस रहने दीजिए, साहब! मैं ऐसे अपमानजनक वचन सुनना नहीं चाहता। आप मुझसे कभी भी ऐसी आशा न कीजिएगा। मैंने कांग्रेस का जो काम सम्माला है वह किसी लालच में आकर नहीं। मेरा सम्पूर्ण जीवन कांग्रेस के लिए है। मैं कांग्रेस के लिए ही जीता हूँ और कांग्रेस के लिए ही प्राण दूंगा। आप कृपया ऐसे लज्जाजनक शब्द मेरे सामने न कहिये।’

मजिस्ट्रेट ऐसा कठोर एवं खरा उत्तर सुनकर चुप हो गया और तत्काल कमला मीरी को न महीने की कड़ी कैद का हुक्म सुना दिया।

कमला मीरी जोरहाट भेज दिया गया। जेल के गन्दे वातावरण एवं

खराब मोजन ने उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला और वह बीमार हो गया। दवा आदि का प्रबन्ध ठीक न होने के कारण हालत गिरने लगी। कुछ दिन बाद ऐसा होने लगा मानो कमला मीरी का जीवन-दीप बुझने वाला है। उसे स्वयं इस बात का भान होने लगा। अधिकारियों ने जीवन एवं मृत्यु के बीच पड़े इस युवक को अपनी आन से गिराने की एक और कोशिश की, वे उसके पास गये और कहने लगे, 'अच्छा हम तुम्हें सदा के लिए कांग्रेस का त्याग करने को नहीं कहते। हमें सिर्फ इतना आश्वासन दे दो कि पैरोल की अवधि में तुम आन्दोलन में भाग नहीं लोगे।'

कमला मीरी को अधिकारीवर्ग के ये वचन वजू के समान लगे। वह इस अपमान को सहन नहीं कर सका। उसने शैया पर पड़-पड़े ही उत्तर दिया, 'मैं कायरों की भांति छूटने की अपेक्षा वीरतापूर्वक मृत्यु का आलिगन करना अधिक श्रेयस्कर समझता हूँ। मुझे जान की अपेक्षा मान अधिक प्यारा है। जान की रक्षा के लिए यदि मुझे प्राण भी त्यागने पड़ेंगे तो यह मेरे लिए अत्यन्त गौरव की बात होगी।'

अधिकारियों पर युवक के इन निर्भीकतापूर्ण वचनों का बड़ा प्रभाव पड़ा। वे वहाँ से चुपचाप चले गए। पर युवक को फुसलाने का प्रयत्न उन्होंने जारी रखा। कमला मीरी भी उनके वचन सुन लेता, पर कुछ उत्तर नहीं देता था। धीरे-धीरे उसकी हालत बहुत गिर गई। मृत्यु के एक या दो दिन पहले जेलर स्वयं उसके पास आया और आश्वासन की बात कहने लगा। युवक से श्रव रहा न गया। उसने कड़ककर उत्तर दिया—

'यह यंत्रणा मैं किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे और अपने, सबके लिए, सह रहा हूँ। फिर तुम मुझे आश्वासन देने के लिए क्यों कह रहे हो।'

इस प्रकार यह वीर धुल-धुलकर मर गया, पर अपनी आन पर उसने तनिक भी घब्रा नहीं आने दिया। लोगों ने देखा, अन्त समय तक उसके चेहरे पर सन्तोष की एक दिव्य आभा चमक रही थी।

कमला मीरी आज इस दुनिया में नहीं है पर उसका यह वलिदान सदियों तक देश के बच्चों में अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए हंसते-हंसते प्राण न्यायावर करने की पवित्र भावना जागृत करता रहेगा।

(२) श्री कौशल कुंभर का नाम भारत की आजादी की लड़ाई के इतिहास में स्वर्णक्षरों में लिखा जायगा। इस वीर का जन्म आसाम की प्रसिद्ध जाति अमोह में हुआ था। यह जाति सदा से ही अपनी वीरता एवं

सच्चाई के लिये विख्यात है। अंग्रेजों से पहले आसाम पर इसी जाति के लोगों का राज्य था। अतएव कौशल कुंभर में भी अपने पूर्वजों की भांति सच्चाई के लिए विशेष अनुराग था। यह वीर सरूपथार इलाके में रहता था। कांग्रेस के नाम पर जो प्रोग्राम उसे मिलता गया वह वैसे-का-वैसा लोगों को चताता रहा। अचानक सरूपथार की रेल दुर्घटना हो गई। अधिकारियों ने भूट कौशल कुंभर को इस केस में फांसा लिया। कौशल कुंभर घटना-स्थल पर उपस्थित नहीं था। किन्तु पुलिस वालों ने उस पर यह अभियोग लगाया कि उसने जनता के सामने यह घोषणा की है कि गाड़ी उलटना तथा यातायात के साधन नष्ट करना कांग्रेस के प्रोग्राम में है। डिप्टी कमिश्नर के सामने केस चला और उसे मार्च १९४३ में फांसा का हुक्म सुना दिया गया। गवर्नर के सामने अपील की गई, पर कुछ फल नहीं निकला और १५ जून १९४३ को कौशल कुंभर देश की आजादी के लिए हंसते-हंसते फांसी के तल्ले पर झूल गया।

कौशल कुंभर का अपने सम्बन्धियों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति से नहीं मिलने दिया गया। हां, १४ जून की दोपहर को श्री गोपीनाथ जी वारदोलोई आदि कुछ वन्दियों को अपने व्यक्तिगत प्रभाव के कारण कौशल कुंभर से भेंट करने का सौभाग्य-प्राप्त हुआ था। वारदोलोईजी पर इस भेंट का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने इसका पूरा वर्णन अपनी डायरी में नोट कर रखा है। हम पाठकों की जानकारी के लिए वारदोलोईजी के शब्दों का भावार्थ यहां देते हैं:—

“हमारी इच्छा थी कि हम कौशल कुंभर को उसके अन्तिम समय में कुछ सांत्वना दें। अतएव हम उससे मिलने के लिये गये। परन्तु उसको सांत्वना देना तो दूर रहा, उल्टे हमने ही उससे सांत्वना प्राप्त की। हम वहां से ऐसी पवित्र उत्तेजना लेकर आये जो हम चाहते हैं कि जीवन भर बनी रहे। हमें ऐसा मालूम पड़ा कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो साधना कौशल कुंभर कर रहा था उसे उसने आज पूरा कर लिया है। उसने स्थितप्रज्ञ की स्थिति, प्राप्त कर ली थी। मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व एक अजीब प्रकार की खुशी उसके चेहरे पर फूटी पड़ती थी। उसके वचनों से उसका ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और उसके हृदय की शान्ति एवं स्थिरता टपक रही थी। इन बातों ने मुझ पर जादू कासा असर किया। लेखनी के द्वारा कौशल कुंभर के शब्दों एवं भावों को व्यक्त करने में मैं अपने-आपको बिल्कुल असमर्थ पाता हूं। फिर भी उसने जो कुछ कहा, उसका सार इस प्रकार था;

“मैं निर्दोष हूँ। मुझे व्यर्थ में अपराधी बनाकर फांसी दी जा रही है। यह मेरे साथ ज्यादाती है। मैं महात्मा गांधी एवं उनकी अहिंसा-नीति पर श्रद्धा रखता हूँ। मैं जीवन-भर फलाहारी रहा हूँ और पिछले ९ महीनों से तो मैंने नमक भी छोड़ दिया है। ऐसी सूरत में मैं गाड़ी उलटने जैसी बात सोच ही नहीं सकता, उसमें सक्रिय भाग लेना तो दूर रहा। गाड़ी उलटने में तो अनेक नर-नारियों की हत्या होती है, जो मुझे अत्यन्त प्यारे हैं। हाँ, यह बात सत्य है कि सच्चा कांग्रेस-कार्यकर्ता होने के नाते, जो भी साहित्य कांग्रेस के नाम पर मुझे मिलता गया, मैंने उसे वैसा-का-वैसा जनता को बता दिया। इसके अतिरिक्त मैं लोगों के साथ नाम-कीर्तन तथा घर्म-वर्चा भी किया करता था। फांसी की सजा से मुझे तनिक भी दुःख एवं चिन्ता नहीं है। जब देश के लिए कैंद चार-पांच सौ बन्दियों में से मुझे ही यह सजा मिली है तो मेरा यह विश्वास हो गया कि ईश्वर मुझे बहुत प्यार करता है और इसीलिए उसने मुझे इस काम के लिए चुना है। मैं तो यह मानता हूँ कि इसी दैवी प्रेरणा के कारण आप लोगों का तथा दूसरे प्रेमियों का प्रयत्न मुझे बचाने में सफल न हो सका। मैंने अपनी स्त्री एवं बच्चों को, जो दुःख से अधीर हो रहे थे, अच्छी तरह समझा दिया है कि यदि मानवी शक्ति के द्वारा मेरी जान बचाई जानी सम्भव होती तो मैं बच जाता। मुझे अकाट्य कर्म-फल को सह्यं स्वीकार करना चाहिए। इसमें चिन्ता एवं संताप करने की क्या बात? जीवन है तो मृत्यु, और मृत्यु है तो जीवन। जब मैं जनमा था तो मुझे डेढ़ घंटे तक बेहद पीड़ा भोगनी पड़ी थी। किन्तु अब तो १५ मिनट भी नहीं लगेंगे। मेरा आत्मा स्वतंत्र है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर ने मुझे यह प्रदान का और वही अब इसे वापिस ले लेगा।”

इतना कहकर कौशल कुंभर चुप हो गया। कांग्रेस स्वयंसेवकों ने, जो वहाँ उपस्थित थे, इस महान् आत्मा के सामने सिर झुका दिया। मेरे मुख से केवल इतने ही शब्द निकल सके, “ईश्वर आनंदस्वरूप है और उसे मैं तुममें देख रहा हूँ।”

कौशल कुंभर की अवस्था इस समय ३८ वर्ष की थी, किन्तु उसने अभी तक किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली थी। अतएव कुछ क्षण ठहरकर उसने गोस्वामी श्री डेका सत्राधिकार से, जो उस समय जोरहाट जेल में नजरबन्द थे, दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। गोस्वामीजी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे उसी समय दीक्षा दे दी थी।

कालकोठरी में रहते हुए भी पिछले तीन महीनों में कौशल कुंभर का वजन घटने की अपेक्षा बढ़ा ही था। वह निरन्तर गीता का अध्ययन एवं मनन करता रहता था। पहरा देने वाले चौकीदार उसे प्रेम एवं आदर की दृष्टि से देखने लगे थे। फांसी के दिन खूब जोर का वर्षा हो रही थी। जब सुबह साढ़े चार बजे प्रधान चौकीदार सशस्त्र पुलिस के साथ उसकी कोठरी में गया तो वह शांतभाव से सो रहा था। उसने उसे जगाया और वह तुरन्त खड़ा हो गया। चौकीदार एवं जेलर, जो वहाँ उपस्थित थे, के कथनानुसार उसकी आवाज एवं व्यवहार में किसी प्रकार की अशान्ति एवं घबराहट नहीं थी। उसने ५ मिनट तक भगवान् से करुण प्रार्थना की : इतने ही में सुपरिन्टेन्डेन्ट ने उसे हुकम सुनाया और जल्दी से तैयार होने के लिए कहा। कौशल कुंभर उठा और ऋत उनके साथ फांसी-घर की ओर चल दिया। रास्ते में वह गोस्वामीजी के बताये हुए मंत्र को मस्ती से गा रहा था। तख्ते पर खड़े होकर उसने सबसे प्रार्थना की कि यदि मैंने आप लोगों को कुछ हानि पहुंचाई हो या अपशब्द कहे हों तो आप मुझे क्षमा करें। जब फांसी का फंदा उसके गले में डाला जा रहा था तो उस समय भी वह गोस्वामीजी के दिए हुए मंत्र को जप रहा था। देखते-ही-देखते तख्ता खींच लिया गया और कौशल कुंभर सदा के लिए संसार से विदा हो गया।”

एक दूसरे प्रत्यक्षदर्शी ने इस घटना के विषय में लिखा है।

“लड़कपन में मैं इतिहास पढ़ा करता था कि देश-प्रेम के लिए लोग हंसते-हंसते फांसी पर चढ़ गये। तब मुझे यह बात कुछ बनाई हुई-सी मालूम पड़ती थी। लेकिन, जब फांसी की कोठरी में, १४ जून १९४३ को फांसी होने के एक दिन पहले, मैंने कौशल कुंभर को देखा तो मेरा मस्तक श्रद्धा से उसके चरणों में झुक गया। प्रसन्न मुख, हीठों पर थिरकती मुसकान और आंखों में एक दिव्य ज्योति। इतिहास मेरी आंखों के सामने सजीव हो उठा। उसके अन्तिम शब्द अब भी रह-रह कर मेरे कानों में गूँज उठते हैं।

जिसने जन्म लिया है, वह एक दिन अवश्य मरेगा ही मुझे खुशी है कि इतने लोगों में ईश्वर ने मुझे ही चुना। ईश्वर मुझे प्यार करता है।

स्वतंत्रता की बलिवेदी पर न्योछावर होने के लिए उसने हंसते-हंसते फांसा का फंदा अपने गले में डाल लिया। फंदा खींचा गया मुंह से बरफूट स्वर निकला ‘पार करो दीनानाथ संसार सागर’ और वह महान् आत्मा गुलामी के बन्धन से मुक्त हो गई।

निर्दोष व्यक्तियों के बलिदान, उनके आँसू कभी व्यर्थ नह

अतएव देश की आजादी के लिए हँसते-हँसते अपने प्राण न्यौछावर करने वाले आसाम प्रान्त के नर-नारियों के ये बलिदान हमें अपने पवित्र आदर्श को आगे बढ़ाने में आत्म-वस प्रदान करेंगे ।

अन्य प्रान्तों की भांति यहां पर भी आन्दोलन का श्रीगणेश विद्यार्थियों की हड़ताल से हुआ और बाद में भी उसकी वागडोर काफी हद तक विद्यार्थियों के हाथों में रही । यहां के विद्यार्थियों ने न केवल शिक्षण-संस्थाओं का ही बहिष्कार किया, प्रत्युत उन्होंने नौजवानों के साथ मिलकर "मृत्यु दल" (Death Brigade) का संगठन भी किया जिसका उद्देश्य उसके नाम से ही प्रकट है । सितम्बर १९४२ से दिसम्बर ४३ तक आन्दोलन को चालू रखने के लिए बहुत-सा साहित्य प्रकाशित हुआ था । उसमें यह कार्यक्रम दिया गया था,—

१. सरकारी आवागमन के साधनों का विध्वंस ।
२. रेलवे लाइन को उखाड़ना ।
३. सरकारी इमारतों, पुलिस, ऑफिसों आदि का तोड़ना-फोड़ना ।
४. समानान्तर सरकार की स्थापना आदि ।

इस कार्य-प्रणाली को स्थिर करने वाले तथा उसके अनुसार आन्दोलन का संचालन करने वाले अधिकतर विद्यार्थी ही थे ।

आसाम में जैसा अमानुषिक और वीभत्स दमन हुआ वह साम्राज्यवाद की समूची यातनाओं का निचोड़ था, पर फिर भी क्रान्ति दबी नहीं । आसाम में पुलिस एवं फौज ने अहिंसक एवं शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने वाली जनता के खून से होली खेली । लोगों पर अन्धा-धुन्ध गोलियों की बौछार कर देना, साठियों का प्रहार करना, उनकी बहन-बेटियों के साथ बलात्कार करना, उनके घर जला देना तथा उनके छोटे-छोटे मामूम बच्चों को मौत के घाट उतार देना सरकारा कर्मचारियों के लिए साधारण-सी बात थी । सचमुच कुछ दिन के लिए आसाम में पुलिस और फौज का राज कायम हो गया था । चन्दा वसूल करने वाले स्त्रियों के जेवर, बँल, गाय, यहां तक कि बर्तन एवं पहनने के कपड़े भी नोच-खसोट कर ले जाते थे । कई स्थानों पर तो लोगों को किचें भौंक-भौंक कर मार डाला गया, ठीक उसी प्रकार जैसे कि जंगली सूअर को शिकार में भाग्य जाता है । पुलिस और फौज ने इन कामों में बहुत-से बाहरी गुण्डों से भी मदद ली थी ।

जेल में भी बड़ा अत्याचार किया गया । कैदियों को न तो पूरा भोजन दिया गया जाता था न पूरे कपड़े । सर्दियाँ लोगों को ठिठुर-ठिठुर कर बितानी

पड़ीं। २४ फरवरी १९४३ को जोरहाट जेल में निर्दोष राजनैतिक बन्धियों पर किये गये अत्याचारों की कहानी बड़ी लोमहर्षक है। बन्धियों का अपराध सिर्फ इतना ही था कि वे अपने नेता महात्मा गांधी के उपवास पर अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए सामूहिक प्रार्थना एवं नाम-कीर्तन कर रहे थे।

उत्तरी आसाम

आन्दोलन की गति तीव्र होने के पहले ही यहाँ के सब नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, पर फिर भी जोरहाट और सिवसागर में सरकारी अदालतों के सामने बड़े-बड़े शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुए। लोगों को अदालत में जाने से रोकने के लिए पिकेटिंग की गई। शहरों एवं गांवों में सभाएं की गईं, जिनमें स्त्री-पुरुष सभी ने बड़े उत्साह से भाग लिया। भाग्य से उस समय यहाँ डिप्टी-कमिश्नर एक हिन्दुस्तानी था जो बड़ानरम एवं सहनशील था। अतएव सशस्त्र पुलिस के लगातार गश्त लगाने पर भी जनता पर लाठियों या गोलियों की वर्षा नहीं होने पाई। परन्तु बाद में यूरोपियन अफसर के आ जाने पर सभी प्रकार के अत्याचार हुए।

२० सितम्बर को सिवसागर में एक सभा होने वाली थी। पुलिस ने सूचना पाते ही चारों ओर शहर के सभी नाकों पर फौज तैनात कर दी। परन्तु लोगों का उत्साह इससे कम न हो सका और करीब ८-१० हजार स्त्री-पुरुष शहर में घुस आये और शहर भर में राष्ट्रीय नारे लगाते हुए धूमने लगे। पोलिटिकल कल इन्स्टीट्यूट और सिवसागर के पास सशस्त्र पुलिस और कुछ लोगों की भिड़न्त हो गई, जिसमें १९ आदमी बुरी तरह घायल हुए। शान्ति-सेना के कैंप में उनकी मरहम-पट्टी की गई। बाद में भगड़ा और बढ़ता, किन्तु हिन्दुस्तानी डिप्टी कमिश्नर ने बीच-बचाव करके रक्त-पात न होने दिया। नौकर-शाही की दृष्टि में डिप्टी कमिश्नर का यह अपराध था जिसके फलस्वरूप बेचारे को वहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ा।

इस जिले में आन्दोलन रचनात्मक और अवरोधात्मक दोनों रूपों में चला। रचनात्मक प्रोग्राम के अनुसार स्वतः पूर्ण गांवों का निर्माण किया गया तथा पंचायतें स्थापित की गईं। इन पंचायतों में गांव के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व रहता था। चरीगांव, हटीगढ़, टेमोक आदि स्थानों पर स्वाधीन सरकार भी कायम की गईं। अवरोधात्मक प्रोग्राम के अनुसार फौज एवं फौज के ठेकेदारों को गांवों से मिलने वाली सभी सहायताओं पर रोक लगा दी गई थी। इस प्रकार धान, पशु तरकारी आदि का गांव से जाना एकदम बन्द हो गया था। जो लोग इस नियम की अवहेलना करते थे उनको उचित दण्ड दिया जाता था।

इस असहयोग के कारण अधिकारी लोग बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने लोगों को गिरफ्तार करना तथा उन पर किर्ची एवं लाठियों से प्रहार करना शुरू कर दिया। जोरहाट में पुलिस के इन प्रहारों के कारण ५० कार्यकर्त्ताओं को स्याया चोटें पहुंचीं और बहुत से घायल हुए।

जोरहाट सब-डिवीजन में टेम्बोक कांग्रेस का एक प्रवान केन्द्र है। यहां पर असहयोग का सबसे अधिक जोर रहा और फौज के लिए मदद प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होने लगी। अतएव अधिकारी लोग जल भुन गए थे और वे किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। अज्ञानक एक दिन ३००० ग्रामीण कांग्रेस दफ्तर के सामने जमा हुए, जो थाने के बिलकुल ही पास था। वस, दारोगा की मनचाही हो गई। उसने झट जोरहाट से काफी तादाद में फौज बुला ली और पुलिस तथा फौज की सहायता से एकत्रित भीड़ पर हमला कर दिया। किर्ची एवं लाठियों से निरपराध स्त्री, पुरुष तथा बच्चों पर बुरी तरह प्रहार किया गया। कुछ स्त्रियां राष्ट्रीय भंडे लिए हुए थीं। दमनकारियों ने उनके हाथ से भंडे छीनने की कोशिश की, लेकिन वीर महिलाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी राष्ट्रीय भंडे का अपमान न होने दिया। दो स्त्रियों के सांघातिक चोटें लगीं तथा १८ अन्य स्त्री-पुरुष घायल हुए। प्रधान-प्रधान कांग्रेस कार्यकर्ता, गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिये गये और बाद में दो महीने पीछे उन पर केस चलाया गया और १३ व्यक्तियों को २१ महीने से लेकर दो साल तक के कठिन कारावास की सजाएं हुईं।

सरकारी वित्तपति के अनुसार एक और दो नवम्बर को टीटावार के मैनेजर का बंगला, अमगुरी का अंग्रेजी मिडिल स्कूल और प्राइवेट गल्स स्कूल, डिमोउ का ब्रांच पोस्ट ऑफिस तथा टीटावार जला दिये गये। तीन नवम्बर से लेकर १२ नवम्बर तक कई स्थानों पर स्कूल तथा पोस्ट ऑफिस आदि जलाये गये तथा तार काटे गये। फरवरी १९४३ में लकवा रेलवे स्टेशन के पास एक सवारी गाड़ी गिराई गई जिसके कारण बहुत से व्यक्ति घायल हुए और कुछ मारे गए।

उत्तरी आसाम के सिवसागर एवं लखीमपुर जिलों में गोली न चली, इसका यह अर्थ नहीं कि यहां सरकारी दमन-चक्र की गति कुछ धीमी रही। यहां जेल के बन्दियों को भी अत्याचारों का शिकार बनाया गया, जोरहाट जिले में राजनैतिक कैदियों को न तो पूरा भोजन दिया जाता था, न पूरे बतन और न पूरे कपड़े। बेचारे दूड़े एवं जवान स्त्री-पुरुषों को सर्दों की रातें ठिठुर-ठिठुर कर बिजानी पड़ती थीं। अपनी शिकायतें दूर करने के लिए बन्दियों ने एक-

दो दिन मूख हड़ताल भी की, परन्तु कुछ परिणाम न निकला। इसी बीच २४ फरवरी, ४३ का दिन आ पहुँचा। बन्दियों को महात्मा गान्धी के उपवास की सूचना मिली तथा यह भी ज्ञात हुआ कि उनकी अवस्था चिन्ताजनक है। सहानुभूति प्रदर्शन करने के लिए कुछ लोगों ने नाम कीर्तन प्रारम्भ किया। कुछ लोग दैनिक प्रार्थना कर रहे थे तथा कुछ भोजनशाला में भोजन कर रहे थे। अचानक बाहर से आग लगने की घंटी बजी। चौकीदार लोग पहले से तैयार की हुई लाठियाँ लेकर दौड़े। उधर रिजर्व पुलिस के सिपाही भोजनशाला में पहुँचकर बन्दियों पर अन्धाधुन्व लाठियों की वर्षा करने लगे। लाठी-प्रहारों से बन्दियों को इतनी चोटें आईं कि भोजनशाला का फर्श लहू-सुहान हो गया। इतना ही नहीं, इन निर्दयी लोगों ने दो-एक वार्डों को छोड़कर, जिनमें प्रधान-प्रधान नेता थे, बाकी वार्डों के फाटक खोल दिये और उनमें घुसकर बन्दियों को बुरी तरह से पीटा। ४० व्यक्तियों के सांघातिक-चाटें आईं, जिनमें १५ के तो सिर फट गए। हाथ, पैर, छाती, कमर आदि में चोटें आने वालों की संख्या तो अनगिनत थी।

सुबह जब श्रीयुत गोपीनाथ बारदोलाई आदि नेताओं को इस घटना की सूचना मिली तो उन्होंने अधिकारियों की अनुमति से घटनास्थल पर जाकर वस्तु-स्थिति की जांच की। जहाँ आग लगी थी, वहाँ पर पुराने मकान के शहतीर के कुछ अधजले कूड़े तथा मिट्टी के तेल भिगोये हुए कुछ टाट के चिथड़े पड़े हुए थे, जिनसे यह स्पष्ट प्रकट होता था कि बन्दियों को पीटने के लिए आग का बहाना किया गया था, वास्तव में आग नहीं लगी थी।

इसी प्रकार लखीमपुर डिवीजन के नारायणपुर गांव में भी झूठा बहाना बनाकर लोगों को बुरी तरह से पीटा गया। बात यह थी कि इस गांव के पास एक अंग्रेजी हवाई जहाज टूटकर गिर गया था। गांव के कुछ लोग कौतूहल वश उसे देखने के लिए वहाँ चले गये। वस, फिर क्या था। सब-डिवीजनल अफसर ने लोगों पर इल्जाम लगाया कि वे जहाज का कुछ सामान उठाकर ले गये हैं अतः उन्हें मरम्मत आदि काम में वेगार देनी पड़ेगी। लोग निर्दोष थे, इसलिए उन्होंने वेगार देने से साफ इन्कार कर दिया। एस० डी० श्री० ने कुछ बहाना निकाला। गांव में कुछ कांग्रेस-कार्यकर्त्ता भी रहते थे। अतएव उसने चट लोगों पर यह इल्जाम लगा दिया कि वे इन कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं के कहने से सरकार के विरुद्ध बगावत करते हैं और उसने फौज का गांव लूटने-खसोटने का हुक्म दे दिया। अफसर का हुक्म पाते ही फौजी गांव पर टूट पड़े। उन्होंने गांव के स्त्री-पुरुषों को बुरी तरह पीटा, उनके घरों का

सूट लिया, स्त्रियों के साथ बलात्कार किया एवं प्रमुख लोगों को बन्दी बनाकर तरह-तरह की तकलीफें दीं और अपमानित किया।

सरकारी दमन की भीषणता से आन्दोलन का बाह्य रूप दब गया और लोग लुक-छिपकर मौका लगने पर तोड़-फोड़ करने लगे। यह तब तक चलता रहा जब तक कि सन् ४३ में गांधीजी एवं वायसराय का पत्र-व्यवहार प्रकाशित नहीं हो गया।

नौगांव जिला

नौगांव जिले में आन्दोलन की गति सबसे तीव्र रही। यहां के ग्रामीणों ने भी नागरिकों के साथ आन्दोलन को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग दिया। सरकारी दमन से बचने के लिए यहां के लोगों ने तुरही बजाकर अपने-आपको इकट्ठा करने की प्राचीन परिपाटी से काम लिया था। शान्ति-सेना का प्रधान कार्य-क्षेत्र इसी जिले में था। यहां के वरापुजिया गांव के वीर पुरुष तिलक डेका ने जिस साहस एवं कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया है, उसकी समता संसार के इतिहास में मिलनी कठिन है।

वरापुजिया गांव आंडट्रंकरोड से ३,४ मील हटकर बसा हुआ है। पिछले १२ वर्षों से यह सब प्रकार के रचनात्मक कार्यों का सदर मुकाम रहा है। यहाँ की अधिकांश जनता मूल-निवासियों की सन्तान हैं। ये लोग अपने साहस एवं कर्तव्य-परायणता के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने शान्ति-सेना का संगठन बड़ी मजदूती से किया था। एक दिन फौजियों के एक बड़े जत्थे ने रात को गाँव पर हमला कर दिया। शान्ति-सेना के स्वयंसेवक गाँव के चारों ओर पहरा दे रहे थे। तिलक डेका उनका अगुआ था। उसने नियम के अनुसार भट तुरही बजाकर गाँव के लोगों को फौज का सामना करने के लिए सावधान करना चाहा और अपनी तुरही की ओर हाथ बढ़ाया। फौज के कप्तान ने अपना रिवाल्वर डेका की छाती पर लगा दिया और गरजकर कहा, 'बस रहने दे नौजवान, जीना चाहता है तो तुरही की ओर हाथ न बढ़ा। तिलक डेका को जान की अपेक्षा आन प्यारी थी। उसने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया, 'कप्तान साहब चुप रहिये। मैं इस प्रकार के शब्द नहीं सुनना चाहता। मुझे जो जिम्मेवारी सौंपी गई है उसे पूरा कब्गा, चाहे आप मेरे सीने में गोली दाग दें।' उसने झट तुरही ली और उसमें इतनी जोर से फूँक मारी कि सारा वायुमंडल उसके गगन-भेदी स्वर से गुंजायमान हो गया। उधर कप्तान ने अपना रिवाल्वर दबाया। धाँध-धाँध करती हुई गोली तिलक डेका के सीने में से निकल गई। वह वीर-दहों गिर पड़ा और उसने सदा के लिए अपनी आँखें बन्द कर लीं।

तुरही एवं रिवाल्वर की आवाज रात्रि के उस सन्नाटे में चारों ओर गूँज उठी। गांव के स्त्री-पुरुष, जो अपने स्वयंसेवकों के भरोसे सुखपूर्वक सो रहे थे। अचानक इस आवाज को सुनकर चौंक पड़े। वे झट घटना-स्थल की ओर दौड़ पड़े और चारों ओर से फौजियों को घेर लिया। गौरव की बात तो यह थी कि गिरफ्तार होने या गोली खाने के लिए सबसे आगे स्त्रियां ही बढ़ीं। फौजी दमन पर तुले हुए थे ही। उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया। ५, ६ आदमी बुरी तरह से घायल हुए। लोग मार खाकर भी डटे रहे और उन्होंने अपने नेता तिलक डेका के शव को उठा लिया। फौजियों ने गोली बरसाकर एवं किर्चे भोंककर काफी चेष्टा की कि लोग शव न ले जाने पायें, पर वे सफल न हुए। लोग जैसे-तैसे शव को ले ही आए। दूसरे दिन सुबह गांव के तीन सी व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये एवं उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया।

कामपुर में भी जनता की ओर से इन दिनों बड़े शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किये गये। गांव के स्त्री-पुरुष, लड़के-लड़कियाँ बड़ी संख्या में स्टेशन पर जमा हो जाते और जब गाड़ी स्टेशन पर ठहरती तो 'अंग्रेजो भारत छोड़ो' आदि राष्ट्रीय नारे लगाते। कई बार तो गाड़ी में बैठे हुए फौजी लोग भी जनता के साथ 'गान्धीजी की जय' 'स्वाधीन भारत' आदि नारे लगाते थे।

एक बार एक सैनिक अफसर ने गाड़ी से नीचे उतरकर लोगों से राष्ट्रीय झंडा छीनना चाहा, परन्तु लोगों के साहस के सामने उसकी एक न चली। पुलिस दारोगा कुछ सशस्त्र कांस्टेबलों के साथ वहीं खड़ा था। सैनिक अफसर ने उसे जनता पर गोली चलाने का हुक्म दिया। दारोगा ने देश की आजादी के लिए आन्दोलन करने वालों पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया, परन्तु वह बेचारा तीन दिन के अन्दर-अन्दर गिरफ्तार कर लिया गया।

शान्ति-सेना के संगठन से अधिकारी भयभीत हो गये थे। उनके मन में यह बात अच्छी तरह बैठ गई थी कि जब तक यह संगठन कायम है, आन्दोलन दबना कठिन है। अतएव उन्होंने गांव-गांव में घूमकर शान्ति-सेना के कैम्पों पर हमला करना शुरू कर दिया। एक स्थान पर ब्रिटिश कमाण्डर की अव्यक्षता में कुछ फौजियों ने शान्ति-सेना के बहुत से कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया और कैम्प में आग लगा दी इतने में कमाण्डर ने लोगों को पीटने का हुक्म दिया। गिरफ्तार व्यक्तियों में एक छोटा-सा लड़का भी था। वह कमाण्डर के इस हुक्म को सहन न कर सका। वह झट आगे बढ़ा और कमाण्डर को फटकारता हुआ बोला, 'आपको शर्म नहीं आती जो

निरपराध व्यक्तियों को पिटवाते हैं।' कमाण्डर के हृदय में बच्चे के ये शब्द तीरक समान लगे। वह आग-बधूला होकर बच्चे पर झपटा और उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। पहले तो उसने ५,७ ठोकरें बच्चे के लगाईं और बाद में उसे पास में जलती हुई आग में फेंक दिया। पर जैसे ईश्वर वचाना चाहे उसे कौन मार सकता है। सयागवश बच्चा लुढ़ककर एक तरफ गिर गया और पास में खड़े हुए गांव के लोगों ने उसे उठा लिया।

बरहमपुर में भी आन्दोलन का काफ़ी जोर रहा। यद्यपि नेताओं की निरपतारी के साथ ही पुलिस ने कांग्रेस-आफिस, शान्ति-सेना कैंप आदि पर कब्जा कर लिया था, पर इससे जनता के उत्साह में कुछ कमी नहीं आई और उसने १६ सितम्बर को कांग्रेस-आफिस के सामने एक दावत करने का निश्चय किया। बड़ी सख्या में लोग इकट्ठे हुए। स्त्री, पुरुष बच्चे, सभी उम्र के लोग थे। कुछ राष्ट्रीय गाना गा रहे थे, कुछ तिरङ्गा झंडा लिये घूम रहे थे तो कुछ दावत की तैयारी करने में लगे हुए थे। अधिकारावर्ग को यह भी सहन न हुआ, चट पुलिस एवं फौज के बड़े-बड़े अफसर वहां आ घमक। कुछ लड़कियां राष्ट्रीय झंडे लिये घूम रही थीं। अफसरों ने उनके हाथों में से जवरन झंडे छीन लिये। पर रतन फूकन नामक १५ वर्षीय लड़की ने अपने हाथ में से पुलिस कमाण्डर को झंडा नहीं छीनने दिया। कमाण्डर ने कुछ जबरदस्ती करनी चाही। रतन की मां पास में खड़ी थी। वह कमाण्डर की इन हरकतों को सहन न कर सकी। उसने झट बांस की एक बड़ी कमाण्डर के मुँह पर जमा दो। बस, फिर क्या था। सब मिपाही टूट पड़। बेचारी बुढ़िया गालों से मार दी गई। यह दृश्य देखकर दावत में इकट्ठे लोग भी सचेत हो गए। वे खागीराम हजारी के नेतृत्व में रतन का बचाने के लिये झपटे। पुलिस ने गोली चलाना प्रारम्भ कर दिया। परिणाम-स्वरूप थोगाराम नायक नामक एक २५ वर्षीय नौजवान शहीद हो गया और भी बहुत से घायल हुए। पर लोग गोली खाकर भी डटे रहे। अधिकारा लोग बार-बार उन्हें भाग जान की आज्ञा दे रहे थे। पर उन्होंने भागकर जान बचाने का प्रयत्न अपने साथियों के साथ मरना अधिक अच्छा समझा और पुलिस-अधिकारियों के विरोध करने पर भी उन्होंने अपने मृत एवं घायल साथियों को अपने अधिकार में कर लिया।

सूचना मिलने पर पुलिस-परिन्टण्डेंट और सिविल सर्जन घटनास्थल पर आ पहुँचे। निहत्थी जनता शान्तिपूर्वक बैठी थी। आधिकारियों ने एक बार पुनः घायलों एवं मरे हुए व्यक्तियों को छीनने की चेष्टा की, पर जनता की दृढ़ता के सामने उनकी प्रयत्न सबल न हुआ। जनता रात भर वहीं डटी

रही। सुबह बड़े धूम-धाम से शहीदों की अर्धियाँ निकाली गई और विधिपूर्वक उनकी क्रिया की गई।

थोगीराम बोरा का बलिदान आजादी की लड़ाई के इतिहास में सदा अमर रहेगा। कहते हैं मरते समय उसके पास केवल एक पर्स, एक फाउन्टेन पेन तथा १० पैसे थे, जिनको वह कांग्रेस एवं स्वतन्त्र भारत के नाम पर दे गया। ऐसे वीर पुरुष की स्त्री भी वीर ही थी। थोगीराम की मृत्यु का समाचार जब उसकी स्त्री को मिला तो उसने बड़ी खुशी के साथ कहा, 'मुझे गर्व है कि मेरा पति देश की आजादी की लड़ाई में मारा गया और मुझे अपने आंसुओं द्वारा भारत माता के पैर धोने के लिए छोड़ गया।' क्या संसार के इतिहास में ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं ?

सरकारी विज्ञापित के अनुसार ८ नवम्बर सन् १९४२ की रात को नौगांव जंगनात का बंगला जनता द्वारा जलाकर राख कर दिया गया। ९ एवं १० नवम्बर को एक चाय की जमींदारी के कार्यालय से रेती, धातु काटने की आरी, गन्धक आदि उड़ाने की चेष्टा की गई।

सरकारी दमन भी जोरों से चला। रेलवे लाइन या पुल के पास से गजरने वाले निर्दोष राही भी गोली से उड़ा दिये जाते थे। २८ अगस्त की शाम को वेवेनिया पुल पर से दो ग्रामीण नौजवान गुजर रहे थे। पुल के नीचे छिपे हुए फीजियों ने उनको भी अपनी गोली का शिकार बनाया। इतना ही नहीं वेवेजिया गांव के असहाय निर्दोष स्त्री-पुरुषों एवं बच्चों पर आधी रात के समय अमानुषिक अत्याचार किये गए। दूसरे दिन गांव के ४०० स्त्री-पुरुषों तथा बच्चों का इकट्ठा करके सशस्त्र पुलिस की देख-रेख में नौगांव थाने में ले जाया गया, जो ९ मील दूर है। इनमें एक ऐसी औरत भी थी जिसके तीन दिन पहले बच्चा हुआ था। बेचारी का बच्चा रास्ते में ही मर गया तथा उस प्रसूता स्त्री को भी बहुत दिन तक घोर बीमारी भेलनी पड़ी।

रोहा स्कूल में निरपराध अध्यापकों को बुरी तरह पीटा गया। स्कूल पर तीन-चार साल से राष्ट्रीय भंडा फहरा रहा था। उधर से गुजरते हुए एक यूरोपियन अफसर ने उन्हें भंडे को उतार लाने का हुक्म दिया, किन्तु अध्यापकों ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। परिणाम स्वरूप बेचारों पर बड़ी निर्दयतापूर्वक मार पड़ी।

दारांग जिला

इस जिले के आन्दोलन की यह विशेषता रही कि जनता गोली एवं लाठी का प्रहार सहकर भी पूर्ण अहिंसक रही। एकदम निहत्थी एवं शान्त

जनता ने पुलिस-अधिकारियों से थाने आदि खाली करने की मांग की, पर नौकरशाही के प्रतिनिधियों ने उसका जवाब नाना प्रकार के अमानुषिक प्रहारों से दिया और बाद में लोगों को जेलों में ठूस दिया। दूसरी खास बात यह है कि अन्य जिलों की भाँति यहां पर स्त्रियों ने पुरुषों की अपेक्षा अधिक बलिदान किया।

सर्वप्रथम हम गोगोहपुर को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अहिंसा-शक्ति का जैसा प्रदर्शन हुआ है, उसकी दूसरी मिसाल मिलनी कठिन है। २२ सितम्बर की बात है, करीब ५०० आदमियों का जुलूस थाने पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए चला। पुलिस के अत्याचारों की कहानी लोगों के कानों में पड़ चुकी थी। अतएव लगभग ५००० स्त्री-पुरुष नौजवानों के इस साहसपूर्ण कार्य को देखने के लिए थाने के पास इकट्ठे हो गये। जुलूस गांव की गलियों में होता हुआ थाने के सामने जा पहुंचा। थाने के आगे एक बहुत बड़ा तालाब है। इसलिए थाने में घुसने के लिए जुलूस दो हिस्सों में बंट गया और तालाब के बायें और दाहिने दोनों तरफ से एक साथ थाने में घुसने लगा। सबसे आगे वीर कन्या कनकलता थी और उसके पीछे दो तीन नौजवान। जुलूस थाने के फाटक पर पहुंचा। पुलिस दारोगा हाथ में रिवाल्वर लिये अपने साथियों के साथ डटा खड़ा था। उसने कनकलता को थाने में घुसने से मना किया। वीर कन्या कनकलता ने गरजकर दारोगा से कहा, थाना प्रजा की वस्तु है। यदि थाने के कर्मचारी प्रजा के सेवक की भाँति कार्य न करें तो प्रजा को अधिकार है कि वह थाने पर कब्जा कर ले और उन कर्मचारियों को निकाल बाहर करे।' दारोगा एक १४ वर्ष की लड़की से ऐसा मुंह-तोड़ उत्तर सुनकर चुप हो गया। थोड़ी देर में उसने फिर हिम्मत करके कहा, 'प्रबोध बच्ची बातें न बना। जहां है वहीं खड़ी रह। यदि कदम आगे बढ़ाया तो गोली से भून दूंगा।'

कनकलता भला इससे कब डरने वाली थी। वह तो अपनी जान हथेली में लिये खड़ी थी। उसने अपने साथियों की ओर मुंह फेरा और उन्हें हिम्मत दिलाती हुई बोली, 'भाइयो एवं बहनों, आओ देश की आजादी के लिए मृत्यु का आलिगन करें।' और फिर दारोगा की ओर मुंह फेरकरके बोली, 'मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगी, आप अपना करें।' इतना कहते-कहते उस वीर कन्या ने झट अपना पैर आगे बढ़ा दिया। उधर दारोगा ने तुरन्त अपना रिवाल्वर शवाया और देखते-देखते सनसनाती हुई गोली कनकलता के सीने से पार हो गई तथा कनकलता के पीछे खड़े युवक की खुली छाती पर लगी। पर पुलिस-अधिकारियों की रक्त-पिपासा इससे शान्त न हुई। उन्होंने बाकी जुलूस पर भी

अन्धा-धुन्ध गोलियों की वर्षा करना प्रारम्भ कर दिया ।

इधर यह नर-संहार हो रहा था, उधर स्वयंसेवकों का दल बड़ी हिम्मत के साथ आगे बढ़ता जा रहा था । अचानक जय-घोष हुआ । लोगों की दृष्टि भट ऊपर की ओर गई । देखा, थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहरा रहा है । जनता का बलिदान सफल हुआ ।

सरकार का कहना है कि इस गोली-काण्ड में सिर्फ ९ व्यक्ति मारे गये । परन्तु दमन की भीषणता को देखते हुए भी गोपीनाथ बारदोलाई जैसे व्यक्तियों का मत है कि मृत्यु-संख्या कम-से-कम ६० तक अवश्य पहुंच गई थी । गोहपुर में आज भी बहुत से ऐसे स्त्री-पुरुष हैं जिनके मुंह, हाथ, छाती अथवा शरीर के किसी अन्य अंग पर बने हुए गोली के निशान उस गौरवपूर्ण दिन की याद दिला देते हैं ।

इसी दिन लगभग इसी समय जब कि गोहपुर में यह भयंकर नर-मेघ हों रहा था, डेकिया जुली की जनता ने पुलिस एवं फौज की बर्बरता का नंगा नाच देखा । इस दिन वहां पर कोई स्थानीय मेला था, अतएव १० हजार के करीब लोग थाने के आस-पास इकट्ठे हो गये थे जो कि बाजार के बिलकुल नजदीक पड़ता था । इतने में ही बाजार की ओर से नवयुवकों का एक जत्था राष्ट्रीय झंडा लिये हुए थाने पर आ पहुंचा और उसने अधिकारियों से वही मांग की जो गोहपुर निवासियों ने की थी । नवयुवकों के नेता ने दारोगा को बड़े नम्र शब्दों में कहा, 'आप हमारे देश भाई हैं । देश की आजादी के लिए आप सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दीजिए और हमारे साथ हो जाइये ।' दारोगा भला यह बात कब मानने लगा । वह अपनी जगह पर अकड़ के साथ खड़ा रहा । सभी नौजवान बिलकुल शांत थे तथा झंडों के अलावा उनके पास कुछ भी न था । वे थाने पर झंडा फहराने के लिए भीतर घुसने लगे । पुलिस-अधिकारियों ने इस पर गोली चलाना शुरू कर दिया । पर जिसके हृदय में लगन है उसे कौन रोक सकता है ? गोलियों की वर्षा में भी एक युवक आगे बढ़ा और जैसे-तैसे अपने शरीर को बचाता हुआ थाने की इमारत पर जा चढ़ा तथा पुलिस-अधिकारियों के देखते-देखते बड़ी ज़ान से थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया । पर दूसरे क्षण ही दारोगा के रिवाजवर से निकली हुई गोली उसकी छाती में जा कर लगी और वह वीर लड़खड़ाता हुआ नीचे आ गिरा ।

चारों ओर सन्नाटा छा गया । पुलिस के लोग गोलियों की वर्षा कर रहे थे । इतने में ही अधिकारियों का संकेत पाते ही थाने के पीछे पहले से

तैनात गुंडे जनता पर टूट पड़े। उन भाड़े के टट्टुओं ने बिना कुछ साचे समझे भीड़ पर लाठियों की बौछार कर दी। सैकड़ों आदमी घायल हुए, जिनमें बहुत से मेले के लिए इकट्ठे हुए लोग भी थे, जिनका जुलूस से कुछ सम्बन्ध न था। इन गुंडों ने मजदूरों की निर्दोष स्त्रियों को भी बहुत दूर तक खदेड़ा तथा उनके साथ नाना भाँति से बलात्कार किये। इस हत्याकांड में २० से अधिक जानें गईं, जिनमें से एक तेरह वर्ष की वीर बालिका तुलेश्वरी भी थी।

अभी यह नर-संहार समाप्त भी न हो पाया था कि शहर के बहुत से फौजी अपने कमान्डर के साथ वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने कुछ भी दरयापत करने का कष्ट न किया और मेले में इकट्ठे हुए लोगों को कांग्रेस स्वयंसेवक समझकर उन पर गोली चलाना शुरू कर दिया। १६ आदमी गोली से मर गये और बहुत से बुरी तरह घायल हुए। शहीद होने वालों में तीन स्त्रियाँ भी थीं, जिनमें से एक गर्भवती थी।

इस घटना के बाद पुलिस ने २९ व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया। सिर्फ तीन व्यक्ति कानून के मुताबिक दायी नकले, बाकी सब कुछ सबूत न मिलने के कारण छोड़ दिये गए। सजा का हुक्म देते हुए मजिस्ट्रेट ने पुलिस के जनता पर अन्वावुन्ध गोलियाँ चलाने के इस अमानुषिक कार्य को, जो अविवेकपूर्ण, कायरता से भरा हुआ था, अनियन्त्रित घोषित किया। अधिकारी लोग इस कलंक को धोने की इच्छा से 'हाईकोर्ट' तक पहुँचे, पर उसने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। अदालत का यह निष्पक्ष फैसला 'प्रासाम ट्रिव्यून', 'अमृत वाजार पत्रिका' एवं 'हिन्दुस्तान स्टेडर्ड' में आलोचना के साथ प्रकटित हुआ। अधिकारियों ने उपरोक्त तीनों पत्रों पर भारत रक्षा नियमा की मातहत केस चला दिया। गोहपुर घटना में एक व्यक्ति को सजा हुई। वहाँ पर भी मजिस्ट्रेट को कहना पड़ा कि जनता का प्रदर्शन पूर्ण रूप से अहिंसक था।

इस घटना की खबर जब तेजपुर पहुँची तो वहाँ के नेताओं ने पुलिस द्वारा जनता पर की गई इस ज्यादती के विरोधी में २१ सितम्बरको एक सभा करने का निश्चय किया। पुलिस-अधिकारी भला इसे कैसे सहन करते उन्होंने २ बजे से ही शहर के प्रायः नाकों पर राइफल एव किर्चों से सुसज्जित सिपाही तैनात कर दिए। कि लोग शहर में न आ सकें। पुलिस के लाख प्रयत्न करने पर भी हजारों की तादाद में जनता टाउन हाल में इकट्ठी हुई। लोग निहत्थे एवं शान्त थे। सभा करने के अतिरिक्त उनकी और कुछ मंशा न थी। पर अधिकारी सशस्त्र पुलिस को साथ लेकर सभा-स्थल पर जा पहुँचे और लोगों

का सभा भंग करने का हुकम दिया। जनता अपने स्थान पर डटी रही। इधर से अधिकारियों ने अन्धाधुन्ध मार-पीट प्रारम्भ कर दी। सैकड़ों व्यक्ति घायल हुए। कुछ ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की चेष्टा की, पर पकड़े गए और बुरी तरह से पीटे गए।

२० सितम्बर को छोटिया एवं बहेला थानों पर हुई घटनाएं भी अपना एक विशेष स्थान रखती हैं। करीब ५००० व्यक्तियों ने, जिन में स्त्रियां भी काफी संख्या में थी, छोटिया तथा बहेला थानों पर धावा किया और थानों की इमारतों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने में सफलता प्राप्त की। पुलिस-अधिकारी खड़े देखते रहे। पर जनता के जोश के सामने कुछ बोल न सके। शाम को भीड़ अपनी सफलता पर खुशी मनाती हुई अपने घरों को चली गई। बाद में पुलिस ने लोगों के घरों पर आक्रमण किया और उन पर नाना प्रकारके अमानुषिक अत्याचार किए।

जुर्माना वसूल करने में यहां पर भी नौगांव जैसा राक्षसी तरीके कास में लाये गये।

कामरूप

इस जिले में भी आन्दोलन बहुत अंशों में अहिंसात्मक रहा। मुक्तापुर गांव के प्रसिद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता श्री महेन्द्रनाथ डेका तथा उनके अन्य साथियों ने अरुंध अहिंसात्मक बलिदान का परिचय दिया। उसका वर्णन अन्यत्र किया जा चुका है।

जिले के वारपटे सब डिवीजन में बाजाली एक स्थान है जो बहुत घना बसा हुआ है। रचनात्मक कार्य का यह प्रधान केन्द्र है। अतएव स्वाभाविक रूप से ही यहां अहिंसात्मक प्रदर्शनों का जोर रहा। २५ सितम्बर को जोला, चौखुटी एवं नित्यानन्द, इन तीन स्थानों पर एक साथ सभायें हुई। पिछले दोनों स्थानों में पुलिस ने किसी प्रकार का दखल न दिया। परिणाम-स्वरूप सभा शान्तिपूर्वक हो गई। परन्तु जोला में प्रधान पुलिस अफसर ने सभा भंग करने का हुकम दिया। लोग कुछ देर तो डटे रहे, पर जब उन पर अधिक सख्ती की जाने लगी तो उन्होंने सभा भंग कर दी। लोग चुपचाप अपने घरों को लौटने लगे। कुछ लोग आते समय सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गये। पुलिस-अफसर थाने को लौटना हुआ वहां से निकला। उसने गरजकर लोगों को चले जाने को कहा। पर वे अपने स्थान पर बैठे रहे माना उन्होंने उसके हुकम को सुना ही न हो। अफसर ने भट अपना रिवाजवर सम्भासा

श्रीर दो व्यक्तियों को गोली मार दी। इसके बाद पुलिस अफसर मस्ती के साथ आगे बढ़ा। थोड़ी दूर पर उसे फिर कुछ आदमी समा से लौटते हुए मिले। उसने पुनः गोला चलाई और कई मनुष्यों को घायल कर दिया।

पाठशाला नामक स्थान पर जनता ने पुलिस थाने पर आक्रमण किया और उसे दिन भर अपने अधिकार में रखा तथा बड़ी शान से उस पर राष्ट्रीय झंडा फहराया।

पुलिस एवं फौज के दमन की प्रतिक्रिया हुई। कई जगह लोगों ने सरकारी हवाई अड्डों पर आक्रमण किये। लोगों ने जो कुछ किया खुले आम किया, लुक-छिप कर चोरों की भाँति नहीं। २६ अगस्त को सोमाग हवाई अड्डे पर हुआ आक्रमण इसका ज्वलन्त उदाहरण है। आन्दोलन के पूर्व से ही यह हवाई अड्डा बन रहा था। ठेकेदारों का बहुत-सा सामान वहाँ पड़ा था। जनता की एक बड़ी भीड़ ने अड्डे पर आक्रमण कर दिया और जितना भी सामान था, सब में आग लगा दी। तीन एम० ई० एस० की लारियाँ भी खड़ी थीं, उनको भी आग की भेंट कर दिया गया। इसके बाद जनता इन्स्पेक्शन बंगलों एवं कुछ बवार्टरों पर भी टूट पड़ी और उनमें आग लगा दी। चारों ओर से लपटें इतनी भयानकता से उठीं कि १६ मील दूर बरपेटा में रहने वाले एस० डी० ओ० को अपने मकान से आग का पता लग गया। वह हड़बड़ाकर घटनास्थल की ओर दौड़ा। परन्तु फेरी घाट पर पहुँचने से मालूम हुआ कि वहाँ न तो कोई नाव है, न कोई मल्लाह ही। उसने दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश की। किन्तु जनता ने पहले से ही जितने भी सम्भव रास्ते थे उनको बन्द कर दिया था, ताकि पुलिस, फौज आदि कोई घटनास्थल पर न पहुँच सके। कई घंटों तक आग जलती रही और सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना में करीब दो लाख रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जाता है।

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार नवम्बर मास में जहाँ-तहाँ तोड़-फाँड़ की गई, जिसमें स्त्रियों का भी हाथ था। ७ नवम्बर की बात है। कामरूप में कुछ स्वयं सेविकाओं ने महकमा तामोर की १२ गाड़ियों को रोक लिया। ८ और ९ की रात को उन्होंने ठेके द्वारा फौज को पहुँचाये जाने वाले कुछ सामान पर छापा मारा और उसे जलाकर नष्ट कर दिया। इसी दिन बरपेटा हाई स्कूल जनता के आघ का निकार बना और जलाकर भस्म कर दिया गया। १३ और १४ तारीख की रात को गोहाटी में सब डिप्टी कलेक्टर का दफ्तर तथा प्राइस कन्ट्रोल आफिस भी अग्नि देव की भेंट चढ़ा दिये गए।

ग्वालपाड़ा जिला

ग्वालपाड़े में आन्दोलन का श्रीगणेश शान्तिपूर्ण प्रदर्शनों से हुआ। विद्यार्थियों का इन प्रदर्शनों में विशेष हाथ था। यद्यपि प्रदर्शन पूर्ण रूप से अहिंसात्मक थे, पर नौकरशाही ने प्रदर्शन करने वालों पर लाठी एवं किर्चों द्वारा प्रहार किया। २५ अगस्त की बात है, ग्वालपाड़ा में २५ विद्यार्थियों एवं १५ अन्य व्यक्तियों का एक छोटा-सा जुलूस निकला। इन लोगों का उद्देश्य नेताओं की गिरफ्तारी पर विरोध प्रकट करना था। उनके पास राष्ट्रीय भंडों के अतिरिक्त और कुछ न था। जुलूस थोड़ी दूर ही बढ़ने पाया था कि पुलिस ने लाठियों एवं किर्चों से उस पर धावा बोल दिया। परिणामस्वरूप ९ व्यक्ति घायल हुए जिनमें से ५ को सख्त चोटें आईं। ३ व्यक्ति अस्पताल भेजे गये, जिनमें से दो व्यक्ति चार महीने के बाद ठीक हुए। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि यह प्रहार कितने जोरों से किया गया था। इतना ही नहीं, अस्पताल में भर्ती किये गये तीनों घायल व्यक्तियों पर बाद में १४४ धारा की मातहत हुक्म न मानने का जुर्म लगाकर केस चलाया गया। प्रदर्शन करने वालों में से चार अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार कर लिये गये थे।

इस प्रकार शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले निरपराध व्यक्तियों का खून बहाकर सरकार ने कुछ लोगों को उत्तेजित कर दिया। कुछ जोशीले व्यक्तियों ने जहां-तहां तोड़-फोड़ का काम शुरू कर दिया। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार यह काम नवम्बर तक चलता रहा। २ और ३ नवम्बर की रात को एक गांव में दो बांस के पुल जला दिये गये तथा दूसरे स्थान पर इंस्पेक्शन वंगले को फूंकने को प्रयत्न किया गया। इसी प्रकार ५ नवम्बर को धूवड़ी के सेकेण्डरी स्कूल को तथा ११ नवम्बर को धूवड़ी से २८ मील दूर स्थित एक बांस के पुल को जलाने की कोशिश की गई।

इस जिले में सामूहिक जुर्माना वसूल करने की कहानी बड़ी ही रोमांचकारी है। श्रीयुत आर० के० चौधरी द्वारा प्रान्तीय असेम्बली में पेश की गई तथा प्रधान मंत्री द्वारा सच करार दी गई एक घटना को हम श्री चौधरी के शब्दों में ही उद्धृत करते हैं जिससे पाठक पुलिस के अत्याचारों का अनुमान लगा लेंगे।

“यह घटना कोकीरी नामक गांव की है। इस गांव के निधन राजवंशी से सामूहिक जुर्माने के आठ रुपये वसूल करने के लिए एक कांस्टेबल को नियुक्त किया गया। निधन के पास नकद रुपये नहीं थे। इस पर कांस्टेबल ने उसके वेलों की जोड़ी को खोल लिया। वेलों को लेकर जब वह चलने लगा

तो निघन ने बड़ी आरजू-मिन्नत की, क्योंकि उसके पास बस वही दो वैल थे । कांस्टेबल उसे गाली देने लगा । बदले में निघन ने भी खरी-खोटी सुनाई । तब कांस्टेबल ने उसे लाठी से पीटा । यह कहना सरासर गलत है कि निघन ने उस पर भाला चलाया । कांस्टेबल के शरीर पर भाले के आघात के कोई चिन्ह नहीं पाये गये । यह घटना दिन की है ।

“रात में करीब ११ बजे एस० डा० ओ० दुघनाई से लौटा । उसे इस बात की खबर मिली । दो लारी सशस्त्र पुलिस और दो यूरोपियन अफसरों के साथ वह घटनास्थल पर पहुंचा । निघन अपने घर में था । दरवाजे बन्द थे और अन्दर रोशनी हो रही थी । उसे बाहर निकलने को कहा गया, लेकिन उसने बाहर आने से इन्कार कर दिया । इस पर उसका घर घेर लिया गया और एस० डी० ओ० ने गोली चलाने का हुक्म दिया । एक यूरोपियन अफसर ने गोली चलाई । छः बार गोलियां छोड़ी गईं । कुछ गोलियां अन्दर जाकर निघन की टिहुनी के पास लगीं । वह गिर गया और खून की धार फूट निकली । एक गोली दीवार को छेदती हुई दूसरी और पहुंची और वहां खड़े सिपाही के जा लगी । वह सिपाही फौरन मर गया । इस पर मकान का दरवाजा तोड़कर सैनिक अन्दर घुस गये और निघन को किचें भोंक-भोंक कर मार डाला, ठीक उसी तरह जैसे कि जंगली सूअर को शिकार में मारा जाता है ।”

पाठकों को यह जानकर ताज्जुब होगा कि ऐसे अमानुषिक अत्याचार करने वाले एस० डी० ओ० को बरखास्त करना तो दूर रहा, सरकार ने उसे एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया । यह है कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही के न्याय का नमूना ।

युक्तप्रान्त में सन् ब्यालीस का विद्रोह

जनता एवं सरकार को हुई क्षति का विवरण

(१) सजाएँ—	१५,१४२
नज़रबन्द	५,३१७
सामूहिक जुर्माना	३४,९९,३५०-५-२
(कुल ५७६ स्थानों पर)	

(२) गोली-काण्ड—

कितनी जगह गोली चली	कितनी बार गोली चली	राउण्ड्स की संख्या	
६८	११६	रिवाल्वर	२६६
		मस्कट	१,५८७
		१२ बोर	१४९
		राइफल	३०१
		मारे जाने वालों की संख्या	१३३
		सख्त घायल होने वालों की संख्या	२२७

(३) पुलिस की हानि—

कितने थानों पर हमले किये गये	१५
कितने थाने जला दिये गये	६
कितने कर्मचारी मारे गये	१८
कितने कर्मचारी सख्त घायल हुए	१२

नोट:—इसके अलावा १३ रिवाल्वर, ७५ मस्कट और अनगिनत कारतूसों

पर कब्जा किया गया ।

(४) डाक विभाग की हानि—

कितने डाकखानों पर हमले हुए	
कितने डाकखाने नष्ट किये गये	
कितने लेटरबक्स नष्ट किये गये	

कितने डाकियों पर हमले हुए	५०
कितनी जगह टेलीग्राफ और टेलीफोन के तार काटे गये	३३७
(५) रेलवे विभाग की हानि—	
कितने स्टेशन जलाये गये	१५
कितने स्टेशनों पर हमले हुए	७२
कितनी गाड़ियां गिराई गईं	१४
कितने कर्मचारी मारे गये	९
कितने कर्मचारी घायल हुए	१४
(७) विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग—	
कितनी जगह बम फटे	६०
फटने से पहले पकड़े गये बम केस	१५७
(=) तोड़-फोड़—	
विजली सप्लाई कम्पनियों में	७ जगह
सड़कें तोड़ी गईं	८४ ”
नहर और सिंचाई के साधनों में	४० ”
अन्यत्र	३२७ ”
सरकार की हानि	अन्य पार्टियों की हानि
लगभग ३,६३,३६६ रु०	१,०२, ७७८ रुपया

युक्त प्रान्त ने कई आन्दोलनों का श्री गणेश किया है और प्रायः हर एक राष्ट्रीय आन्दोलन में वह सदैव आगे रहा है। सन् १८५७ का गदर भी यहीं से प्रारम्भ हुआ था। सन् १९३२ के लगानबन्दी आन्दोलन का श्रेय भी युक्त प्रान्त को ही है। सभी व्यक्तिगत व सामूहिक आन्दोलनों में युक्त प्रान्त से सबसे अधिक संख्या में लोग जेलों में गये। यह इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग राजनैतिक कामों में विशेष रस लेते हैं। यहाँ कई प्रमुख राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय नेता पैदा हुए। नेहरू और मालवीय यहीं की उपज हैं।

युक्त प्रान्त कृषि-प्रधान सूबा है। सन् १८५७ के पश्चात् ब्रिटिश साम्राज्यशाही ने अपने को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए युक्त प्रान्त में जमींदारी और ताल्लुकेदारी की प्रथा को स्थापित किया। फलस्वरूप गांवों की जनता दुहरी गुलामी में पिसने लगी। सन् १९२० में हिन्दुस्तान में जब गांधी की आंधी चली तो इसके वेग में युक्त प्रान्त के लाखों किसान उठे और उसके बाद आन्दोलन में ग्रामीणों ने प्रमुख भाग लिया। इस प्रकार युक्त प्रान्त में कांग्रेस आन्दोलन का प्रवाह विशेषतः गांवों की ओर ही अधिक रहा है। युक्त प्रान्त के

अधिकांश नेताओं ने स्वयं अपनी कार्य-कुशलता, लगन व सचाई से अपना स्थान बनाया है।

८ अगस्त से पहले प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने युक्त प्रान्त के प्रमुख कार्य-कर्ताओं की बैठक बुलाई थी। उस समय पं० जवाहरलाल नेहरू ने आने वाले संघर्ष की बाबत कुछ इशारा किया था। ९ अगस्त को बम्बई में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के पश्चात् युक्त प्रान्त की जनता व बचे-बचाये कांग्रेस नेताओं ने अपने को एक अजीब स्थिति में पाया। एक ओर नौकरशाही का तीव्र व भयंकर प्रहार हो रहा था, दूसरी ओर युक्त प्रान्त के लोग क्रोध करने के लिए उतारू थे। ९ अगस्त को शाम तक लगभग ५५ कांग्रेस कार्यकर्ता विभिन्न जिलों में गिरफ्तार किये जा चुके थे और सर्वत्र धड़ा-धड़ गिरफ्तारियों, जावतियों, और सैनिक-प्रदर्शनों आदि का दौर-दौरा था। युक्त प्रान्त को इसका उपयुक्त प्रत्युत्तर देना था और वही उसने दिया।

आन्दोलन की दृष्टि से हम युक्त प्रान्त को पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पूर्वी हिस्से में आन्दोलन का पश्चिमी हिस्से की अपेक्षा कहीं अधिक जोर रहा। धनी वस्ती, यातायात के साधनों की कमी, शिक्षा की अधिकता और सरकारी प्रबन्ध की अपर्याप्तता आदि इसके कारण हैं। प्रगतिशील विचारों और पार्टियों के लिए यह उर्वर भाग है। यहां के लोग साहसी और उद्योग-शील हैं। क्रांति के उपयुक्त सभी कारण यहाँ मौजूद थे। गांधीजी के 'करो या मरो' के नारे ने उनमें एक अजीब जान फूंक दी थी। नेताओं की गिरफ्तारी ने मानो बारूद में चिनगारी लगा दी।

आन्दोलन का व्यापक रूप युक्त प्रान्त में लम्बा न रहा। आरम्भ में प्रायः हर जगह हड़तालें हुईं, जुलूस निकाले गये और १४४ दफा को भंग किया गया, पर आन्दोलन का यह रूप मुश्किल से एक सप्ताह रहा। उसके बाद फौरन ही युक्त प्रान्त के पूर्वी जिलों बलिया, जौनपुर, वस्ती, आजमगढ़, फैजाबाद, मुल्तानपुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, बनारस, इत्यादि में हजारों आदर्शी आन्दोलन के वेग में उठे और उन्होंने राज-सत्ता पर सामूहिक प्रहार आरम्भ किये। उन सबका व्यय सरकारी मशीनरी को अस्त-व्यस्त करना था। इनका नेतृत्व मुख्यतः विद्यार्थियों ने किया जो देहातों में फैल गये। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तथा दूसरे इसी प्रकार के स्थान नेतृत्व के केन्द्र थे।

युक्त प्रान्त में तोड़-फोड़ का प्रोग्राम सर्व प्रथम १२ अगस्त में आरम्भ हुआ जब कि मुगलसराय स्टेशन पर पहली बार रेल के ताड़ काटने की सूचना

मिली। १३ अगस्त से इलाहाबाद, बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया आदि जिलों में तोड़-फोड़ के कार्य व्यापक रूप से होने लगे। १३ तारीख को शाह-गंज स्टेशन के निकट जौनपुर स्टेशन के पास एक गाड़ी गिराई गई। फिर आजमगढ़ जिले में एक घटना सरायवीर के पास हुई। इस घटना की जांच करने से पता चला कि तोड़-फोड़ करने के लिए लोग विशेष प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे। इसके मजदूरों ने भी तोड़-फोड़ के कार्य में विद्यार्थियों का हाथ बटाया। इलाहाबाद जिले में मजदूरों ने सरकारी सम्पत्ति को हानि पहुंचाने के काफी कार्य किए। इलाहाबाद और बनारस स्टेशन के बीच तथा उनके इर्द गिर्द कितने ही मील तक गुरिल्ला दस्तों ने रेल-तार काटने के कार्य किए। १४ अगस्त को बनारस के विद्यार्थियों का एक दस्ता रेलवे इंजन पर कांग्रेस झंडा लगाकर बलिया जिले में गया। अब आन्दोलन गांवों में फैलने लगा। सरकारी सम्पत्तियों, थानों, कचहरियों आदि पर सामूहिक प्रहार होने लगे और बनारस, गार्जापुर, बलिया के बीच आमदो-रफ्त के रास्ते व तार आदि बिलकूल बन्द हो गए। १५ अगस्त को विद्यार्थियों के इन दस्तों ने जौनपुर जिले में जन्घाई स्टेशन जला दिया। इन प्रहारों में सैकड़ों और हजारों आदमी शामिल थे।

दमन-नाति अपनाने में युक्त प्रान्त की सरकार ने सारी ब्रिटिश नौकर-शाहों का नेतृत्व किया। यहां पर हैलेटशाही का राज्य था। सन् १९४२ में उसने आन्दोलन को कुचलने में क्रूरता की हद कर दी। हैलेट की अपनी एक विशेष टोली थी। नेदर सोल, होंडी, मार्श स्मिथ, मूडी इत्यादि उनके मार्शल थे। 'खून और आतंक' हैलेटशाही का नारा था। सैकड़ों लोगों को पुलिस और फौज ने खुले आम बीच बाजारों में कोड़े लगाये। इसका उद्देश्य जनता के हृदय पर आतंक जमाना और ब्रिटिश राज्य की उखड़ती हुई शक्ति की पुनः स्थापना विनाश विनाश विनाश प्राप्त किये और बिना उम्र व सहत का कोई लिहाज बरतते हुए इस प्रकार के सैकड़ों कांड किये गए। कोई भी आदमी जो खदूर पहने दीख पड़ता था, पकड़ बुलाया जाता था और अपन हाथों गांधी टोपी जलवाई जाती थी और उसकी पूरी पिटाई की जाती थी। इस प्रकार की घटनाएं पूर्वी तथा पश्चिमी जिलों में काफी मात्रा में हुईं।

पूर्वी जिलों में गांव-के-गांव लूटे गये, उनमें आग लगाई गई, गांव वालों को घर से बाहर निकाला गया, उनकी सम्पत्ति लूटी गई और कहीं-कहीं तो स्त्रियों को सानको का पार्श्विक वृत्त का शिकार बनना पड़ा। कांग्रेस वालों

के घर उनके सामने जलाये गए, बन्दूक की नोक के बल पर तुरन्त सामूहिक जुमनि वसूल किये गए। इस लूट में सरकार-परस्तों तथा कांग्रेस-जनों में कोई भेद नहीं किया गया। सौदागर, जिमींदार तथा मध्यम श्रेणी के लोग इस लूट के शिकार बने। उसके फल स्वरूप जो क्षति हुई, उसका कोई अनुमान लगाना भी कठिन है।

बलिया

बलिया ने इस आन्दोलन के इतिहास में अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान बनाया है; जमको एक भावी सन्तानें गर्व से पढ़ेगी। राजनैतिक दृष्टि से यह जिला खूब जाग्रत है। सन् १९४२ के अगस्त महीन से पहले ही लोगों में असन्तोष की लहर फेली हुई थी। वे कांग्रेस कौमी सेवा दल, और कौमी रक्षक दल में संकड़ों की तादाद में शरीक हो रहे थे। बम्बई में कांग्रेस-नेनाओं की गिरफ्तारी में जनता में गहरा जोश फ़ला और वह कुछ करने या मरने के लिए कटिबद्ध हो गई।

विद्यार्थियों ने सर्व प्रथम आन्दोलन का आंगणेश किया। स्कूल कॉलेजों में एक एक हड़तालें हो गईं। हजारों की तादाद में विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया। १० अगस्त को सभायें हुईं, जुलूस निकाले गये और शहर में घूमकर दुकानों तथा विशेष स्थानों को बन्द कराया गया। यह दिन शांति पूर्वक बीत गया। दूसरे दिन यानी ११ अगस्त को १५ हजार विद्यार्थियों का एक विद्यार्थी जलूस जिला अदालत की ओर बढ़ा और उसने वहां का काम बन्द कराना चाहा। वहां जलूस के कुछ विद्यार्थी पकड़े गये जिससे विद्यार्थियों में और भी उत्साह फैल गई और उन्होंने उससे भी बड़ा जलूस निकालकर दफा १४४ तोड़ने और जिला अदालत के काम को रोकना चाहा। मिस्टर बयस, सब डिवीजनल मार्गफसर बलिया, इस बात की खबर पाते ही कि जुलूस अदालत की तरफ बढ़ रहा है, सशस्त्र पुलिस लेकर आगे बढ़े और जुलूस को रेलवे क्रासिंग के पास रोका, जो कि स्कूल से आध मील की दूरी पर है और जो शहर और अदालत के अहाते के बीचों-बीच पड़ता है। जुलूस तो रुक गया पर भीड़ बढ़ती गई। इसी बीच कुछ ईंट-पत्थर फेंके गये। इस पर मिस्टर बयस ने विद्यार्थियों पर लाठी-चार्ज का हुक्म दे दिया। फलस्वरूप १०० विद्यार्थी घायल हुए और एक विद्यार्थी दुरी तरह से घायल होने के कारण अस्पताल में जाकर मर गया। ५० विद्यार्थी पकड़े गये। मिस्टर बयस ने ऐसे विद्यार्थियों को भी गिरफ्तार किया और जमान पर घसीटा और जलूस से कोई लगाव नहीं था। वे घर से पकड़कर लाये गए और

मिली। १३ अगस्त से इलाहाबाद, बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया आदि जिलों में तोड़-फोड़ के कार्य व्यापक रूप से होने लगे। १३ तारीख को शाह-गंज स्टेशन के निकट जौनपुर स्टेशन के पास एक गाड़ी गिराई गई। फिर आजमगढ़ जिले में एक घटना सरायवीर के पास हुई। इस घटना की जांच करने से पता चला कि तोड़-फोड़ करने के लिए लोग विशेष प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे। इसके मजदूरों ने भी तोड़-फोड़ के कार्य में विद्यार्थियों का हाथ बटाया। इलाहाबाद जिले में मजदूरों ने सरकारी सम्पत्ति को हानि पहुंचाने के काफी कार्य किए। इलाहाबाद और बनारस स्टेशन के बीच तथा उनके इर्द गिर्द कितने ही मील तक गुरिल्ला दस्तों ने रेल-तार काटने के कार्य किए। १४ अगस्त को बनारस के विद्यार्थियों का एक दस्ता रेलवे इंजन पर कांग्रेस झंडा लगाकर बलिया जिले में गया। अब आन्दोलन गांवों में फैलने लगा। सरकारी सम्पत्तियों, धानों, कचहरियों आदि पर सामूहिक प्रहार होने लगे और बनारस, गार्जापुर, बलिया के बीच आमदोर-रफ्त के रास्ते व तार आदि बिलकूल बन्द हो गए। १५ अगस्त को विद्यार्थियों के इन दस्तों ने जौनपुर जिले में जन्घाई स्टेशन जला दिया। इन प्रहारों में सैकड़ों और हजारों आदमी शामिल थे।

दमन-नात अपनाते में युक्त प्रान्त की सरकार ने सारी ब्रिटिश नौकर-शाही का नेतृत्व किया। यहां पर हैलेटशाही का राज्य था। सन् १९४२ में उसने आन्दोलन को कुचलने में क्रूरता की हद कर दी। हैलेट की अपनी एक विशय टोली थी। नेदर सोल, होंडी, मार्श स्मिथ, मूडी इत्यादि उनके मार्शल थे। 'बून और आतंक' हैलेटशाही का नारा था। सैकड़ों लोगों को पुलिस और फौज ने लुलु ग्राम बीच बाजारों में कांड लगाये। इसका उद्देश्य जनता के हृदय पर आतंक जमाना और ब्रिटिश राज्य की उखड़ती हुई शक्ति की पुनः स्थापना विठाना था बिना अदालती आज्ञा प्राप्त किये और बिना उम्र व संहत का कोई लिहाज बरतते हुए इस प्रकार के सैकड़ों कांड किये गए। कोई भी आदमी जो खदर पहने दीख पड़ता था, पकड़ बुलाया जाता था और अपने हाथों गांधी टोपी जलवाई जाती थी और उसकी पूरी पिटाई की जाती थी। इस प्रकार की घटनाएं पूर्वी तथा पश्चिमी जिलों में काफी मात्रा में हुईं।

पूर्वी जिलों में गांव-के-गांव लूटे गये, उनमें आग लगाई गई, गांव वालों को घर से बाहर निकाला गया, उनकी सम्पत्ति लूटी गई और कहीं-कहीं तो स्त्रियों को सैनिकों का पाशविक वृत्ति का शिकार बनना पड़ा। कांग्रेस वालों

के घर उनके सामने जलाये गए, बन्दूक की नोक के बल पर तुरन्त सामूहिक जुमनि वसूल किये गए। इस लूट में सरकार-परस्तों तथा कांग्रेस-जनों में कोई भेद नहीं किया गया। सीटागर, जमींदार तथा मध्यम श्रेणी के लोग इस लूट के शिकार बने। उसके फल स्वरूप जो क्षति हुई, उसका कोई अनुमान लगाना भी कठिन है।

वलिया

वलिया ने इस आन्दोलन के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है; जमको एक भावी सन्तानें गर्व से पढ़ेंगी। राजनैतिक दृष्टि से यह जिला खूब जाग्रत है। सन् १९४२ के अगस्त महीने से पहले ही लोगों में असन्तोष की लहर फैली हुई थी। वे कांग्रेस कौमी सेवा दल, और कौमी रक्षक दल में संकड़ों की तादाद में शरीक हो रहे थे। बम्बई में कांग्रेस-नेताओं की गिरफ्तारों में जनता में गहरा जोश फ़ला और वह कुछ करने या मरने के लिए कटिबद्ध हो गई।

विद्यार्थियों ने सर्व प्रथम आन्दोलन का आंगणेश किया। स्कूल कॉलेजों में एक एक हड़तालें हो गईं। हजारों की तादाद में विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया। १० अगस्त को सभायें हुईं, जुलूस निकाले गये और शहर में घूमने कर दूकानों तथा विशेष स्थानों को बन्द कराया गया। यह दिन शांति पूर्वक बीता गया। दूसरे दिन यानी ११ अगस्त को १५ हजार विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस जिला अदालत की ओर बढ़ा और उसने वहाँ का काम बन्द कराना चाहा। वहाँ जलूस के कुछ विद्यार्थी पकड़े गये जिससे विद्यार्थियों में और भी उत्साह फैल गई और उन्होंने उससे भी बड़ा जुलूस निकालकर दफा १४४ तोड़ने और जिला अदालत के काम को रोकना चाहा। मिस्टर वयस, सब डिवीजनल आफिसर वलिया, इस बात की खबर पाते ही कि जुलूस अदालत की तरफ बढ़ा रहा है, सशस्त्र पुलिस लेकर आगे बढ़े और जुलूस को रेलवे क्रॉसिंग के पास रोका, जो कि स्कूल से आध मील की दूरी पर है और जो शहर और अदालत के अहाते के बीचों-बीच पड़ता है। जुलूस तो रुक गया पर भीड़ बढ़ती गई। इसी बीच कुछ ईंट-पत्थर फेंके गये। इस पर मिस्टर वयस ने विद्यार्थियों पर लाठी-चार्ज का हुक्म दे दिया। फलस्वरूप १०० विद्यार्थी घायल हुए और एक विद्यार्थी दुरी तरह से घायल होने के कारण अस्पताल में जाकर मर गया। ५० विद्यार्थी पकड़े गये। मिस्टर वयस ने ऐसे विद्यार्थियों को भी गिरफ्तार किया और जमान पर घसीटा और जुलूस से कोई लगाव नहीं था। वे घर से पकड़कर लाये गए और

उन्हें सड़क पर पीटा गया। उन्हीं दिनों लड़कियों ने भी कांग्रेस का झंडा लेकर अदालत की ओर जाने की कोशिश की और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जे० निगम आई. सी. एस. और मिस्टर वयस की अदालत बन्द करने के प्रयत्न किये। जब कि लड़कियाँ इस तरह से अदालत बन्द कराने की कोशिश कर रही थीं, विद्यार्थियों का एक जत्था पुलिस स्टेशन की तरफ गया जो शहर से लगा हुआ है और वहाँ पहुँचकर विद्यार्थियों ने आग लगा दी। विद्यार्थियों के इस गिरोह ने लौटते समय अदालत में भी कुछ हंगामे किये। कुछ लड़कियों को भी गिरफ्तार किया गया। जब दमन के समाचार जिले के भीतरी हिस्से में पहुँचे तो लोगों में बड़ा जोश फैला और रेल की पटरियों को हटाने, टेलीग्राफ के तारों को काटने, रेलवे स्टेशनों तथा पुलिस चौकियों में आग लगाने के काम शुरू होगये। १४ और १६ अगस्त के बीच १३ रेलवे स्टेशन फरनीचर तथा रेकार्ड सहित जला दिये गए। ५ हजार से लेकर १५ हजार तक की तादाद में जनता इसमें शामिल थी। १३ अगस्त को जनता ने सैतवार पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया। इमारत व सारे कागज़ात जला दिये गए और हथियारों पर कब्ज़ा कर लिया गया। पुलिस स्टेशन के आफीसर और समस्त पुलिस वालों ने जनता के सामने आत्म-समर्पण किया। इसके बाद जनता ने नरवर, सिकन्दरपुर, उन्नाव, गहरवार और हलदारपुर की पुलिस चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया। १० अगस्त को जनता का वांसडीह तहसील और पुलिस स्टेशन पर कब्ज़ा हो गया। यहाँ के भी सारे कागज़ात जला दिये गए। पुराने लोगों को ३ माह की तनख्वाह देकर अलग कर दिया गया और नये आफीसर नियुक्त किये गए।

१६ अगस्त को नवयुवकों ने रसड़ा तहसील, खज़ाने और पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया। अधिकारियों ने तुरन्त घुटने टेक दिये और राष्ट्रीय झंडा इन इमारतों पर फहराने लगा। लोगों ने एक सरकारी खैरख्वाह के मकान के अहाते में घुसकर बीज गोदाम को कब्ज़े में करना चाहा; किन्तु कामयाबी नहीं मिली। चारों तरफ से घिरी हुई भीड़ पर निर्दयतापूर्वक गोलियाँ चलाई गईं। जिसकी तुलना जलियान वाला बाग से ही की जा सकती है। कितने ही व्यक्ति घटनास्थल पर मर गये और सैकड़ों घायल हुए।

१७ अगस्त को जनता की एक टुकड़ी थाने पर कांग्रेसी झंडा लगाने गई। पुलिस सब इन्स्पेक्टर ने कांग्रेस के प्रति अपनी वफ़ादारी दिखाने के लिए गांधी टोपी पहन ली और राष्ट्रीय नारे लगाये। जब उससे हथियार सौंपने के लिए कहा गया तो उसने अगले रोज़ अर्थात् १८ अगस्त को हथियार

देंने का वादा किया । १८ तारीख को जब २५-३० हजार की तादाद में जन-समूह पुलिस स्टेशन पर गया तो सब इन्स्पेक्टर ने नेताओं को थाने के अहाते के अन्दर बुलाया और शेष जनता से बाहर रुकने तथा धैर्य व सन्तोष रखने की विनती की । जैसे ही नेता अहाते के अन्दर गये, दरवाज बन्द कर लिये गए । पुलिस के सिपाही पहले ही से थाने की इमारत के ऊपर बन्दूक लेकर पहुंच चुके थे । थानेदार ने नेताओं से ऊपर जाने के लिए कहा और जब वे ऊपर जाने लगे तो उन्हें जीने में ही बन्द कर दिया गया । उधर लोगों पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया गया । लोग अपने नेताओं को छोड़कर जाने वाले नहीं थे अतः उन्होंने डटकर गोलियों का मुकाबला किया । जब आगे के लोग गोली खाकर गिर पड़े तो दूसरों ने उसकी जगह ले ली । कौशल्या कुमार नामक एक नवयुवक ने जब यह देखा कि थाने के ऊपर जो कांग्रेसी झंडा फहरा रहा था उसे उतार लिया गया, तो वह भीड़ को चीरता हुआ थाने की छत पर चढ़ने का प्रयत्न करने लगा । ऊपर से एक गोली दागी गई और वह बहादुर नवयुवक फौरन ही मृत्यु की गोद में सो गया । इस प्रकार गोलियों की बौछारें साढ़े तीन बजे शाम से आठ बजे रात तक होती रहीं । अन्त में निहत्थी, वैर्यपूर्ण और अहिंसक जनता की ही जीत हुई । पुलिस का गोली-बारूद का सारा स्टॉक समाप्त हुआ और सब इन्स्पेक्टर तथा थाने के अन्य कर्म-चारियों ने आत्म-समर्पण किया । १९ आदमियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हुई और ४१ सख्त जखमी हुए । फिर भी लोगों ने पुलिस आफिसर को नहीं मारा । हां, थाने में निस्सेन्दह आग लगा दी ।

बलिया जिले में इस प्रकार आठ पुलिस-स्टेशन पूर्णतः जला दिये गए और बलिया कोतवाली और रसड़ा का थाना बुरी तरह बरबाद किये गए तथा उन पर कांग्रेसी झंडा फहराया गया । इनमें से कुछ थानों को तो इतनी क्षति पहुंची कि उन्हें नये सिरे से बनवाया गया । इन आक्रमणों में थानों से १७ बन्दूकें छीनी गईं और बचे बचाए पुलिस स्टेशन भी हेडक्वार्टर पर आगये । सिकनार थाने के भागे हुए पुलिस आफिसर सुखपुरा में जनता द्वारा पकड़े गये और उनसे ५ बन्दूकें ले ली गईं । ऐसे ही फवना पुलिस स्टेशन से भी ८ बन्दूकें लोगों के हाथ लगीं ।

इस प्रकार १९ तारीख तक जिले की प्रायः सभी सरकारी संस्थाओं पर जब जनता का कब्जा हो गया तो एक विशाल जन-समूह जिला हेडक्वार्टर पर कब्जा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल के सामने इकट्ठा हुआ । जिले के प्रमुख सरकारी हमदर्द लोग भी जिला मजिस्ट्रेट के पास गये और उनसे कांग्रेस

नेताओं को छोड़ने की प्रार्थना की। जिला मजिस्ट्रेट ने बड़े वर्य व होशियारी से काम लिया। वह कांग्रेस-नेताओं के पास जेल में गये और उनसे बातचीत करने के पश्चात् जिला कमेटी के प्रधान श्री चित्तू पांडे और अन्य कांग्रेस नेताओं को उन्होंने छोड़ दिया। जेल से बाहर आने के बाद नेताओं ने जनता को शान्त और अहिंसक रहने का सन्देश सुनाया। जेल से लगभग डेढ़-सौ कार्यकर्ता छूटे जिन्होंने शहर में जाकर बाजार खुलवाया। निस्सन्देह कुछ ऐसे लोग भी थे जो अहिंसा की नीति में पूरी तरह विश्वास न रखते थे। अतः जिला मजिस्ट्रेट, मुन्सिफ और खजाना अफसर तथा फौजी भर्ती के अफसर के घरों पर हमले किये गए।

२० तारीख को सारे शहर के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कांग्रेस-नेताओं से प्रार्थना की कि वह शहर में शान्ति स्थापित कराये और जनता को लुटेरों व बदमाशों के हाथों से बचाए। कांग्रेसी नेता शान्ति स्थापित करने के काम में जुट गये और उन्हें काफी सफलता मिली। लेकिन दूसरे दिन खबर मिली कि दो तीन सौ आदमियों का एक गिरोह देहात से शहर में आक्रमण करने के लिए आ रहा है। इस पर नेता घटना-स्थल पर पहुंचे और उन्हें अपने घरों को वापस जाने का आदेश दिया। इस प्रकार वे लोग फौरन ही अपने घरों को वापस चले गये। ठीक ऐसे ही समय जब कि एक और बाजार खुल गये थे, दूसरी ओर जनता में शान्ति से रहने की प्रवृत्ति पैदा हो गई थी, सैनिकों का एक दस्ता ३ बजे शाम को शहर आया और उसने बिना किसी जल्दरी आदेश के गोली चलाना शुरू कर दिया।

जनता की सरकार

१६ तारीख तक बलिया में जनता की स्वतन्त्र सरकार की स्थापना हुई और श्री चित्तू पांडे इसके प्रधान चुने गये। इसने शपथ खाई और २० तारीख को शहर के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की एक सभा हनुमानगंज की कोठी पर हुई। उपस्थित जनता ने अपनी सरकार को चलाने के लिए हजारों रुपये चन्दे में दिये। ब्रिटिश नौकरशाही के मुलाजिमों को नजरबन्द कर दिया गया और उनकी जगह पर नये श्रीहृद्देदार नियुक्त किये गये। नई सरकार का जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। कितने ही लोगों ने जिन्होंने गोदाम घरों से, रेलवे स्टेशनों से व स्टीमर जहाजों से सामान उठाया था या लूटा था, उसे वापस करना प्रारम्भ कर दिया। नई सरकार ने एक तहकीकाती कमेटी भी बनाई और जनता से प्रार्थना की कि वह लूट का सारा माल सरकारी खजाने में जमा कर दे। इस

पर कितने ही लोगों ने जिनके पास लूट का सामान था सरकारी खजाने में दाखिल कर दिया । रिपोली सरकिल में एक विघवा के ३००० रुपए के गहने चोरी चले गये थे और पुलिस उन चोरों का पता न लगा सकी थी । इस विघवा ने नई सरकार में अपनी अर्जी दाखिल की । नई सरकार ने चोरों का पता चला लिया और इस प्रकार बुढ़िया के गहने वापस मिल गये ।

यद्यपि नई सरकार थोड़े ही दिनों तक कायम रही किन्तु इन दिनों में उसने न केवल जनता की रक्षा ही की, बल्कि सरकारी कर्मचारियों की भी देख-भाल की । किसी सरकारी कर्मचारी की जायदाद लूटी जाने या नष्ट की जाने की एक भी घटना नहीं मिलती । जब नई सरकार आई उस समय खजाने में डेढ़ लाख रुपए से ज्यादा था । उस रकम को किसी ने भी अपने निजी इस्तेमाल में लाने की बात स्वप्न में भी नहीं सोची ।

पाशविक्र दमन

किंतु मार्श स्मिथ और नेदरसोल २२ अगस्त को फौज के साथ बलिया पहुंचे और लूट मार करना आरम्भ कर दिया । इसके फलस्वरूप बहुत से लोग फौजी सैनिकों की गोलियों के शिकार बने । लगभग १५० कांग्रेसियों के घर लूटे और जलाये गये और स्त्रियों और बच्चों को गांवों से बाहर निकाल दिया गया । कुछ स्त्रियों के सिर के बाल काट दिये गये और बहूतों के वस्त्राभूषण छीनकर पुराने कपड़े पहनने के लिए विवश किया गया । बहुत से लोगों को बिना अन्न-पानी के घरों में बन्द कर दिया गया । कितने ही लोग गांवों के बीच पेड़ों में बांधे गये और उन्हें बड़ी निर्दयता से पीटा गया । बहुत से लोगों को जमीन पर पड़े थूक को चाटने पर विवश किया गया । उन्हें गन्दी-गन्दी गालियां दी गईं । यह भी सुना जाता है कि किसी धाने में तो लोगों के मुंह में पेशाब तक डाला गया । कुछ लोग चौकीदारों की सलाम न करने पर पीटे गये । बहुत से आदमियों की सम्पत्ति लूट ली गई और नष्ट कर दी गई । लोगों को पीटने में लाठी, डंडों, बन्दूकों और जूतों का प्रयोग किया गया । यहां तक कि बंदूकों की किर्चों की नोकों से भी छेदा गया ।

कुछ रोमांचकारी कहानियां

बलिया की अनेक रोमांचकारी कहानियां हैं । किंतु उनका वर्णन छोड़ दिया गया है । यहाँ केवल कुछ ही उदाहरण दिये जाते हैं । ज्यों ही मिस्टर वार० एन० मार्श स्मिथ उस स्थान पर पहुंचे, उन्होंने सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स लूटना शुरू कर दिया और उसका सारा सामान जला दिया । फिर बाबू शिव-

प्रसाद रईस की कोठी का नम्बर आया। मि० मार्श स्मिथ ने फौजियों को इस ज्ञानदार और सुन्दर कोठी के लूटने का हुक्म दिया। उसी समय मि० मार्श ने कहा—“ओह यह वही कोठी है जहां कि कांग्रेस का वादशाह रहा करता था। मैं इसको खाक में मिला दूंगा।”

अब हिन्दू दूकानदारों की बारी आई। यद्यपि वे लोग हाथ जोड़कर हर एक प्रकार से विश्वास दिला रहे थे कि हम लोगों ने कांग्रेस आन्दोलन में भाग नहीं लिया है। हमने लड़ाई में काफी चन्दा दिया है और अब भी हर एक प्रकार से सरकार की सहायता देने के लिए तैयार हैं; किन्तु उनकी सुनवाई नहीं हुई। उन पर जुर्माना लगाया गया और उनसे तुरन्त वसूली का हुक्म दिया गया। एक मिनट में जुर्माना वसूल कर लिया गया। इस प्रकार कि जो गवर्नमेंट के खरखवाह थे वे भी मि० मार्श और उनके सहकारियों की निर्दयता से न बच सकें। बहुत से दूकानदार गिरफ्तार कर लिये गये और पीटे गये और नाना भांति से अपमानित किये गये। बाबू राजेन्द्रप्रसाद की कहानी से तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें पेड़ पर चढ़ने का हुक्म दिया गया। वे बेचारे पेड़ पर चढ़ना नहीं जानते थे। किन्तु एक कांस्टेबिल ने उन्हें धक्का देकर जबरदस्ती पेड़ पर चढ़ाया। जब कि उनका शरीर पेड़ से खिसक रहा था, तो सिपाही नीचे से अपनी राइफल की नोक से काँच कर कहने लगा, ‘खबरदार, नीचे मत उतरना’ बेचारा वृद्ध किसी प्रकार पेड़ पर नहीं चढ़ सका और जमीन पर आ गिरा। आखिर उसे ७ वर्ष का कारावास दिया गया और सीखचों के भीतर बन्द रखा गया।

बलिया की लूट में मि० मार्श का काफी हाथ रहा और अपने नमूने से उन्होंने पुलिस सिपाहियों के लिए भी नागरिकों को लूटने का रास्ता खोल दिया। जब फौजी पुलिस किसी खास गांव में पहुंच जाती थी, तो वहां के डरे हुए ग्रामीण लोग अपनी स्त्रियों और बच्चों सहित, गिरफ्तारी और पीटे जाने के डर से, खेतों में भाग जाया करते थे। जो लोग गांव में रह जाया करते थे, उन्हें तुरन्त गांव खाली करने को कहा जाता था। तब एक-एक करके सब को लूटा जाता था। आवश्यक बहुमूल्य वस्तुएँ तो कब्जे में कर ली जातीं और मामूली चीजें जला दी जाया करती थीं। जब तक गांव में पुलिस रुकी रहती, किसी को लगाई हुई आग बूझाने का साहस नहीं होता था। जब पुलिस गांव छोड़कर चली जाती तब छिपे हुए ग्रामीण लोग गांव में लौटते। उस समय तक उनकी सारी सम्पदा जलकर खाक बन चुकती थी और उन बेचारों के लिए शाकाश्रु बहाने के अनिश्चित और कुञ्चन रहा जाता था। यहां तक कि

हिन्दुओं के धार्मिक स्थान भी निर्दयी लुटेरों से नहीं बच सके। बलिया से ८ या ९ मील की दूरी पर एक गाँव सुखपुरा है। यहाँ के महन्त श्री महुनावा-गिरी की दर्दनाक कहानी है। स्टेशन अफसर के साथ मजिस्ट्रेट ने इस गाँव पर घावा बोला। महन्तजी का एक बहुत बड़ा हाथी मठ के फाटक पर खड़ा हुआ था। स्टेशन अफसर ने इस बेचारे वेगुनाह जानवर पर ६ गोलियाँ चलाईं जिससे वह मर गया। पास ही खूबसूरत बेल बंधे हुए थे, वे भी मीत के घाट उतार दिए गये और एक घोड़ा भी गोली से घायल हो गया। इसके बाद मठ लूटने का हुक्म दिया गया। मठ की ऊँची दीवारों पर सीढ़ियाँ लगाई गईं और फाटक के किवाड़ों पर कुल्हाड़े और हथौड़े चलने लगे। सन्दूक तोड़ डाले गये और उनका सामान जप्त कर लिया गया। बेचारे भयभीत महन्त और उनके चेले मठ के अन्दरूनी हिस्से में बड़ी मुश्किल से छिपकर बच सके। महन्तजी का केवल यही अपराध था कि उन्होंने मठ पर तिरंगा झण्डा फहराया था।

सुखपुरा गाँव में चन्दीप्रसाद नामक का एक किसान अपने जानवरों को चारा देने जा रहा था मिस्टर मार्श स्मिथ ने उसे बुलाया और एक दो सवाल पूछने के बाद उसे चले जाने दिया। किन्तु उसी समय एक आदमी ने कहा कि वह तो कांग्रेसी है। तब उसे फिर से बुलाया गया और उससे पूछा गया। उसने कई मरतबा अपने इस कथन को दहराया कि मैंने सन् १९२१ में कांग्रेस में भाग लिया था, किन्तु उसके बाद से मेरा कांग्रेस से कोई सरोकार नहीं रहा। किन्तु उसकी एक न सुनी गई। मार्श स्मिथ ने उससे कहा, उस तरफ घूमो। वह बेचारा ज्यों ही घूमा, पीछे से उसके घाय से गोली मार दी गई। इस प्रकार एक निरपराध प्राणी की हत्या से युक्तप्रान्त के सिविल डिफेंस के डाइरेक्टर महोदय ने अपने हाथ लाल किये।

बलिया ऐसी पाशावक घटनाओं से भरा पड़ा है। इनसे अच्छी तरह मालूम हो जाता है कि जनता को बढ़ी हुई जागृति को कुचलने में ब्रिटिश नौकरशाही ने कैसी क्रूरता का प्रदर्शन किया था।

कुछ आंकड़े

बलिया शहर में दो बार और जिले में १५ जगह गोली चली, जिसके फल स्वरूप १२१ आदमी मारे गये और २५९ घायल हुए।

बलिया के एक दर्जन नागरिकों को २,६०,००० रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।

बलिया जिले के ३० गाँवों में आग लगाई गई और २१५ घर जल गये।

लगभग १२ लाख रुपया सामूहिक जुर्माना किया गया, किन्तु वसूल २९ लाख से अधिक किया गया।

१९ अगस्त से लेकर करीब १,००० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। उनमें से लगभग २५० व्यक्ति छोड़ दिये गये, किन्तु इसके पहले हर एक को २० से लेकर २५ बेंतों तक की मार दी गई। शेष लोगों को ५ से लेकर ७ वर्ष तक की सजायें दी गई। साथ ही उनको बेंत की सजा और १००० से लेकर २००० रुपये तक जुर्माना भी किया गया।

गाजीपुर

गाजीपुर बलिया का पड़ोसी जिला है। अतः वह उसकी घटनाओं से अछूता न रह सका। राष्ट्र के नेताओं का गिरफ्तारी की खबर से जनता में जोश उमड़ पड़ा और वह अपना सर्वस्व बलिदान कर देने के लिए प्रस्तुत हो गई। नेताओं के अभाव में नवयुवकों ने स्वयं नेतृत्व का भार अपने ऊपर ले लिया।

सर्व प्रथम यातायात के साधन नष्ट करने की कोशिश की गई। लोगों ने तार काटना शुरू कर दिया। कहीं खम्भे उखाड़े जाने लगे तो कहीं टाकवाने खाक कर दिये गये। रेल के स्टेशनों में चारों ओर घुए के बादल मंडराने लगे। रेलगाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया। कई रेल के इंजिन नष्ट-भ्रष्ट कर दिये गये और लदी मालगाड़ियां अस्त-व्यस्त कर दी गईं। बनारस के हवाई अड्डे पर आक्रमण कर दिया। सुना जाता है कि नन्दगंज स्टेशन पर लोगों को सैनिकों का बड़ा गरम सामना करना पड़ा। सैनिकों की बन्दूकों से निहत्थी जनता पर लगातार गोलियों की बीछारें होती रही। किन्तु वहादुर नवयुवकों ने तनिक भी मुंह नहीं मोड़ा। अनुमान है कि लगभग ७०-८० नवयुवक इस स्थल पर अमर गति को प्राप्त हुए। घायलों की संख्या तो कई सौ बतलाई जाती है। इसी प्रकार सहात और जमानियां स्टेशन पर भी जनता गोलियों की शिकार बनी। वहाँ दो नौजवानों ने अपनी जीवन की आहुति दी।

राष्ट्रीय झण्डे फहराने का विशेष रूप से प्रयत्न किया गया। थानों और अन्य सरकारी इमारतों पर १५ अगस्त को गाजापुर नगर में विद्यार्थियों का शानदार जुलूस निकला। वे लोग कोतवाली पर भंडा लगाना चाहते थे। किन्तु पुलिस ने भीड़ पर लाठी-चाजं शुरू कर दिया। सादात के थाने में ज्यों ही जनता पहुंची त्यों ही उस पर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। जोशीली भीड़ ने शान्ति के साथ गोलियां खाईं। किन्तु गोलियां खत्म हो जाने

पर धानेदार और सिपाही निःशस्त्र हो गए। उत्तेजित भीड़ ने धानेदार और सिपाहियों सहित धाना जला दिया। सैदपुर के तहसीलदार को जनता के सामने अपना सिर झुकाना पड़ा और कचहरी पर तिरङ्गा झंडा फहराने लगा।

मुहम्मदाबाद में जनता को सैनिकों से कड़ा मोर्चा लेना पड़ा। यहां एक और फौजी दनादन गोलियां बरसा रहे थे और दूसरी ओर निहत्थे भारत माता के सपूत 'अंग्रेजो भारत छोड़ो' के बुलन्द नारों से गोलियों का सामना कर रहे थे। ६ वीरों ने इसी नारे के साथ अपने प्राण छोड़े।

शेरपुर गांव गाजीपुर नगर से लगभग २० मील की दूरी पर है। शेरपुर वास्तव में शेरों का ही गांव है। यहाँ की जनता ने आन्दोलन में शेरों की भांति बहादुरी का परिचय दिया। १४ अगस्त को यहाँ की ग्रामीण जनता ने मुहम्मदाबाद के रेलवे स्टेशन और एक हवाई अड्डे पर हमला किया, जिसके फल स्वरूप उसे गोलियों का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप भीड़ के नेता श्री यमुना गिरि घायल होकर बेहोश हो गए और गिरफ्तार कर लिये गये। इस खबर से गांव के लोगों में सनसनी फैल गई और लोगों ने इकट्ठे होकर हवाई अड्डे पर अधिकार करने का बीड़ा उठाया। ठीक आधी रात को जब चारों ओर काली घटा छाई हुई थी। करीब ५०० वीरों के जत्थे ने अड्डे की ओर कूच किया। किन्तु अधिकारी डर से पहले ही उस स्थान को छोड़कर चले गये। शेरपुर गांव के एक डाक्टर साहब थे। तहसीलदार ने उन्हें झंडा फेंकने की आज्ञा दी, किन्तु उन्होंने इसकी जरा भी परवाह न की। तब तहसीलदार ने गोली चलाई जो डाक्टर साहब की जांघ को चीरकर पार हो गई। दूसरी गोली उनके पेट से गुजरी। तहसीलदार की तीसरी गोली को डाक्टर साहब ने अपनी छाती में लिया और वे तिरङ्गा झंडा हाथ में लिये हुए जमीन पर गिर पड़े।

गाजीपुर में १६, २० और २१ अगस्त को तीन दिन तक ब्रिटिश शासन का कोई चिह्न शेष नहीं बचा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनता के सहयोग से पंचायतें स्थापित कीं जिन्होंने सफलता पूर्वक लोगों के जान माल की रक्षा की।

अन्य स्थानों की तरह से यहाँ भी अधिकारी कथित राजद्रोहियों तथा उनके सम्बन्धियों के प्रति बड़ी क्रूरता से पेश आये। बनारस के समीप रेलों का मार्ग नष्ट-भ्रष्ट हो जाने के कारण गोरों ने गोमती को नावों से पार किया तथा रास्ते में जितने भी गांव पड़े उन्हें लूटा, नष्ट किया और लोगों पर तरह-तरह के अत्याचार किये। रामपुर तथा शेरपुर में बड़ी क्रूरता दिखाई गई।

शेरपुर के रामशंकरराय और शोभनाराम नामक व्यक्ति मीत के घाट उतार दिये गये । गोली चली, १२ घंटे तक लूट हुई, स्त्रियों के शरीरों पर से बलपूर्वक गहने उतारे गये तथा उन पर और भी अत्याचार किये गए । श्रीमती राधिका देवी को एक कृएं में फेंक दिया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई । प्रायः ३ लाख रूपयों का नुकसान हुआ ।

गमहार, करुयावाढ, सदन, नन्दगंज आदि गांवों में भी ऐसा ही पाशविक नाटक खेला गया । गमहार को घेरकर बलोची सिपाहियों ने गोलियां चलाई । दूधनाथसिंह और दरोंगासिंह शहीद होगये । गांव को लूटा गया । स्त्रियों के गहने छीन लिये गए । उन पर बलात्कार किए गए । गांव को एक लाख रूपए की क्षति पहुंची ।

२४ अगस्त को चार गोरे सिपाही तथा १५० अन्य सिपाही नन्दगंज के थानेदार को लेकर एक गांव को घेरने चले । भारतीय सिपाही पीछे छोड़ दिये गए और गोरों ने इस गांव में घुसकर आग लगा दी, स्त्रियों के गहने बलपूर्वक छीनकर उनके पुरुषों के सामने ही उनके साथ बलात्कार किया तथा उन्हें पीटा और यह वह गांव था जो तोड़-फोड़ करने वालों में सम्मिलित न हुआ था । उसी दिन, 'आज' पत्र के श्री विक्रमादित्यसिंह साक्षिकल से इलाके का दौरा कर रहे थे । वे नीदरसोल के सामने पकड़कर लागे गए । उन्हें घंटों तक क्रूरता के साथ पीटा गया और एक थाने में बन्द कर दिया गया, जिसमें तीस और ऐसे ही व्यक्ति बन्द थे जिनका अपराध केवल इतना था कि उनके सम्बन्धियों ने आन्दोलन में भाग लिया था ।

राजनैतिक बन्धियों के साथ भयंकर दुर्व्यवहार हुए । उनका नंगा करके दोपहर की चिलचिलाती धूप में लिटाया जाता था । उनके हाथ-पैर बाँध दिये जाते थे तथा फिर लात-धूसों से उसकी पूजा की जाती थी । एक दिन एक व्यक्ति बेहोश हो गया । होश में आने पर उमने पानी मांगा किन्तु पानी के बजाय उसे पेदाव का एक प्याला दिया गया । जले पर नमक छिड़कने के लिए राजबन्धियों को जेल में यह बतलाया जाता था कि किस प्रकार उनकी स्त्रियों को घसीट-घसीट कर हजारों व्यक्तियों के सामने वेड्जजत किया जाता है और किस तरह उनके मकानों को जलाया जाता है ।

हिटलरी उपायों से सामूहिक जुर्माना वसूल किया गया । भारी जुर्माने के अलावा लोगों के मकानों में आग लगा दी जाती थी । घर जल जाने पर जब वे जुर्माना न दे सकते थे तब उनके गाय-बैल तथा बचा-वचाया सामान नीलाम किया जाता था ।

दमन के आंकड़े

इस जिले में १०० व्यक्तियों का नजरबन्द और ३००० को गिरफ्तार किया गया। लोगों को दो साल से लेकर पचास साल तक की सजायें दी गईं।

जिले में २० विभिन्न स्थानों पर गोली-काण्ड हुए, जिनमें १६७ व्यक्ति मरे और २३६ घायल हुए।

जिले में ७४ गांव अमानुषिक दमन के शिकार हुए। लोगों को लगभग ३२ लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। जिले में ३, २६, १६०६ रुपये ४ आ० ३ पा० सामूहिक जुर्माना किया गया।

आजमगढ़ जिला

नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप जिले भर में स्थान-स्थान पर हड़तालें हुईं तथा विशाल प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनों में सभी वर्ग के लोगों ने खुले दिल से भाग लिया। जुलूसों का नेतृत्व विद्यार्थियों ने किया। इस प्रकार प्रारम्भिक काल में जनता बिल्कुल अहिंसक रही।

इस जिले में आन्दोलन सच्चे अर्थ में जन-आन्दोलन था, क्योंकि कुछ सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर जिले की शत प्रतिशत जनता की सहानुभूति आन्दोलन के साथ थी और दो लाख से अधिक जनता ने आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया।

१० अगस्त को आजमगढ़ के लोगों ने एक विशाल जुलूस निकाला। अधिकारी वर्ग सशस्त्र पुलिस के साथ जुलूस को रोकने के लिए आ पहुंचा। मजिस्ट्रेट ने लोगों को कचहरी की ओर बढ़ने से मना किया। किन्तु जब स्थिति बिगड़ती दिखाई दी तो उसने अपनी आज्ञा वापिस ले ली। जुलूस राष्ट्रीय नारे लगाता हुआ बड़ी शान से कर्बला मैदान में पहुंचा और वहां पर एक सभ के रूप में परिणत हो गया।

१५ अगस्त को फतहपुर आदि स्थानों के करीब एक हजार लोगों ने रामपुर चौकी पर घावा बोला और उसका सब सामान लूट लिया। अधिकारी लोग पहले ही भय के मारे मधुवन को भाग गये थे। लोगों के डाकखाने के सामान में भी आग लगा दी। उस दिन डाकखाने के सामान आर्डर-प्राये थे। लोगों ने उनके रुपये पोस्टमास्टर को लौटा दिये। सामने उन्हें बंटवा दिया।

लोगों का उत्साह इस सफलता से और बढ़ गया।

गावों की ओर बढ़े और वस्ती नामक गांव के कच्चे पोखरे पर जा पहुंचे । संयोगवश वहां पहले से ही १० हजार किसान मौजूद थे जो बेलथरा स्टेशन से ६५० बोरे चीनी लूटकर लाये थे । सबने मिलकर खूब शर्वत पिया और फिर आगे बढ़े । गांव-गांव से ग्रामीणों की टोलियां आ-आकर उनमें मिलने लगीं । इस प्रकार मधुवन पहुंचते-पहुंचते करीब-करीब ६०-६५ हजार आदमी जुलूस में इकट्ठे हो गए । जुलूस थाने के सामने जाकर खड़ा हो गया । जुलूस के अगुआ श्री रामवृक्ष चौबे, मंगलदेव शास्त्री और सुन्दरदेव पांडे थाने में गए और अधिकारियों से आत्म-समर्पण करने और थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की मांग की । उनके इन्कार करने पर नेता लोग लौट आये और जुलूस थाने की ओर बढ़ा । अधिकारी पूरा तैयारी के साथ हमला करने के लिए तैयार थे । अतएव जब उन्होंने अपार जन-समुद्र को उमड़ते देखा तो उस पर अन्धा-धुन्ध गोलियों की वर्षा शुरू कर दी । पर आजादी के मतवाले गोली खाकर भी आगे बढ़ते गये । कुछ लोगों ने आगे बढ़कर एक सिपाही के हाथ से बन्दूक छीन ली । इतने में सूचना मिली कि बाहर से बहुत से सैनिक मशीनगन लेकर आ पहुंचे हैं । अतएव लोगों ने वापिस लौटना ही उचित समझा । क्योंकि वहां डटे रहने पर हजारों आदमी व्यर्थ में अपनी जान से हाथ धो बैठते । इस प्रसंग पर लोगों ने जिस दृढ़ता और वीरता का परिचय दिया, उसकी घटनास्थल पर मौजूद मजिस्ट्रेट श्री न्यूटन ने भी निजी तौर पर प्रशंसा की । इस घटना द्वारा आजमगढ़ की जनता ने दिखा दिया कि वह देश की आजादी के लिए कितना बलिदान कर सकती है । प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस घटना में ३४ आदमी तो उसी समय मर गए और सैकड़ों घायल हुए । घायलों में से ४२ आदमी एक सप्ताह के भीतर शहीद हो गए । इस प्रकार कुल ७३ आदमियों के मरने की रिपोर्ट मिली है । किन्तु जिस भीषणता के साथ गोलियों की वर्षा की गई, उसको देखते हुए यह अनुमान होता है कि कम-से-कम २००-३०० आदमियों की जानें अवरुध गई होंगी । रिपोर्ट न मिलने का कारण यह है कि सरकारी आतंक से लोग इतने डर गये थे कि वे अपने परिवार वालों का नाम व पता बताने से हिचकते थे ।

तरवा थाने की घटना भी उल्लेखनीय है । १४ अगस्त की बात है करीब ७-८ हजार आदमियों का एक झुंड थाने पर झंडा फहराने जा पहुंचा । उसके नेता श्री तेजबहादुरसिंह अपने कुछ साथियों के साथ थानेदार के पास गए और जनता को आत्म-समर्पण करने को कहा । इतने में जनता ने पीछे से थाने पर हमला कर दिया और सिपाहियों को घेरकर उनसे बन्दूकें छीन लीं ।

वाद में पुलिस के सब हथियारों पर कब्जा कर लिया गया । पर एक पिस्तौल जो थानेदार की निजी थी थानेदार के कहने पर उसे वापिस कर दिया । कुछ लोग थाने के तमाम कागजात बाहर निकाल लाये और उन्हें अग्नि देवता की भेंट चढ़ा दिया । इस प्रकार थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने लगा ।

जनता ने इतने ही से सन्तोष नहीं किया । उसने बन्दी बनाये हुए अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए एक अदालत कायम की । न्यायाधीश गांव के एक बूढ़े सज्जन श्री जद्दूभर नायक बनाये गये । जब बन्दी के रूप में थानेदार उनके सामने लाया गया तो वह कांप रहा था । श्री जद्दूभर उसे अभय देते हुए बोले, "थानेदार भैया ! तोहार कुछ न विगरी ।" उन्होंने थानेदार को इलाके से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया । आज भी उस गांव के लोग जद्दूभर के इन शब्दों को दुहराकर उस दिन की याद किया करते हैं ।

मऊ में भी १३ अगस्त तक शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुए । परन्तु जब १४ अगस्त को पुलिस ने विद्यार्थियों के एक जुलूस पर लाठी-चार्ज कर दिया तो जनता उत्तेजित हो उठी और उसने क्रोध में आकर नौटिफाइड एरिया कमेटी के दफ्तर को जलाकर खाक कर दिया । दूसरे दिन एक विशाल जन-समूह थाने पर अविकार करने तथा उस पर झंडा फहराने के लिए चला । पुलिस अविकारियों ने लोगों को आगे बढ़ने से रोका पर उन्होंने उनकी यह आज्ञा मानने से इंकार कर दिया । बस, फिर क्या था । पुलिस वालों ने उन पर अंधा-धुन्ध गोलियों की वर्षा करना शुरू कर दिया जिससे दो आदमी शहीद हुए और बहुत से घायल हुए ।

महाराजगंज थाने पर लगभग चार हजार जनता ने आक्रमण किया । थानेदार उस समय वहाँ मौजूद नहीं था । नीचे के अधिकारियों ने थाने की सब तालियाँ जनता को दे दीं और आत्म-समर्पण कर दिया । जनता ने थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया और जेल के सब बन्दी छोड़ दिए । काफ़ी थाने में १८५७ के गदर के समय कुछ देशभक्तों की सम्पत्ति छीनकर एक अंग्रेज को पुरस्कार म दे दी गई थी । अब उस पर श्रीमती स्टरमर का कब्जा है । ये स्वयं तो इंग्लैण्ड में रहती हैं पर यहाँ देख-रेख के लिए उन्होंने एक मैनेजर को नियुक्त कर रखा है । मैनेजर तथा उसके कर्मचारी लोगों पर तरह-तरह के अत्याचार करते थे । जनता को उन अत्याचारों का बदला लेने का अवसर मिल गया । वह भूखे शेर की भाँति स्टरमर इस्टेट के बंगले पर टूट पड़ी और उसके समस्त सामान को लूट लिया ।

अमिला के श्री अलगूराय शास्त्री की भावज की वीरता का उल्लेख

किए बिना यहाँ का वर्गन भवूरा ही रह जायगा। इस महिला ने जिस निर्भीकता एवं साहस का परिचय दिया वह स्त्री जाति के लिए गौरव का वस्तु है। एक दिन सशस्त्र सैनिक उनके मकान पर टूट पड़े और उन्होंने घर का सारा सामान आंगन में लाकर इकट्ठा कर लिया। वे उसमें आग लगाना ही चाहते थे कि यह वीर महिला आगे बढ़ी और सामान के ऊपर डटकर बैठ गई। इतना ही नहीं, उसने गरजकर अधिकारियों से कहा—“पहले मुझे फूँको, पीछे सामान फूँकना।” अधिकारी एक स्त्री के मुँह से ऐसे निर्भीक वचन सुनकर हक्के-बक्के रह गए। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि सामान में आग लगायें। सैनिकों ने कुछ सामान उठाया और जलाने की चेष्टा की। परन्तु उस वीर महिला ने उनके हाथ से सब सामान छीन लिया। बेचारे सैनिक अपना-सा मुँह लेकर चले गए।

जनता ने जहाँ-तहाँ तोड़-फोड़ का काम भी किया। बीसी, रामपुर, दोहरी घाट, महाराजगंज आदि सात डाकखानों पर हमला करके उनके सभी कागजात जला दिए। जिले भर में ७-८ जगह पक्की सड़कों के पुल भी तोड़ डाले। खुरहट, अमिला, पूलपुर आदि कई स्टेशनों पर आक्रमण किये गए और टिकट तथा अन्य कागजात फूँक डाले गए। आजमगढ़ के पास एक ट्रेन जिसमें फौज और माल था गिराई गई। रानी की सराय के पास एक सवारी गाड़ी के इंजन को पत्थर मार-मार कर बेकाम कर दिया। दोहरीघाट से मऊ और मऊ से शाहगंज के बीच अनेक स्थानों पर रेलवे लाइन उखाड़ डाली गई।

इस जिले की सरकारी दमन की कहानी बड़ी रोमांचकारी है। गाँवों को लूटना, आग लगाना, आदमियों को पकड़कर बुरी तरह पीटना, स्त्रियों का लाकर धानों में रखना और उनके साथ बलात्कार करना आदि मनमाने अत्याचार हुए। इन काले कारनामों की स्थान-स्थान से रिपोर्टें मिली हैं, परन्तु स्थानाभाव से उनका उल्लेख करना कठिन है। यहाँ कुछ खास-खास घटनाओं को दिया जाता है।

रानी की सराय में मेले के लिए इकट्ठे हुए निर्दोष व्यक्तियों पर फौज ने गोली चला दी। जुड़ावावर देवारा गाँव के कांग्रेस-कार्यकर्ता महादेव-सिंह का घर जला दिया और दीवार खोदकर गिरा दी गई। फिर उन्हें पीटना शुरू किया। जब वे मार खाते-खाते बेहोश हो गए तो उन्हें बांधकर पेड़ से लटकाया गया और उनके मुँह में पेशाब करवाया गया।

लूट और फूँक का कुछ अन्दाज़ इससे लगाया जा सकता है कि अकेले श्री शिवबहादुरसिंह के २२ हजार रुपये के आभूषण लूट लिये गये, २० हजार

रुपये के भाड़-फानूस मिट्टी में मिला दिए गए और उनके महल सरीखे मकान को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। उनके आठ और दस वर्ष के दो बच्चों ने किसी कदर छत से कूदकर अपनी जान बचाई। मऊ के श्री राघारमण अग्रवाल को भी करीब एक लाख रुपये की हानि हुई।

रामनगर गांव में २० गोरे चेत नामक हरिजन के घर में घुस गए और उसकी नवयुवती स्त्री के साथ इतना भीषण बलात्कार किया कि वह बेचारी मर ही गई। इसी प्रकार मझा में भी कुछ गोरे सैनिक एक मकान में घुस गए। घर की मालकिन अपनी दो छोटी लड़कियों के साथ खाना बना रही थी। इन अत्याचारियों ने उस अबला को पकड़ लिया और उसके साथ बुरी तरह बलात्कार किया।

यहां की राष्ट्रीय संस्थायें भी सरकारी दमन से अछूती न रहीं। नवादा गांव का स्वराज्य आश्रम जलाकर नष्ट कर दिया गया। इसी प्रकार दोहरी घाट में हरिजन गुरुकुल, खदर भंडार के कपड़े, चर्खें आदि भी अग्नि देवता के भेंट चढ़ा दिये गए।

रानी की सराय में फौजियों ने तफरीहन भी गोली चलाई, जिससे एक आदमी मारा गया। द्वन्दारा के पास एक गांव में एक खेत पर जाती हुई स्त्री पर गोली चलाई गई जो उसकी गोद के डेढ़ वर्ष के बालक को लगी और वह तत्काल ही मर गया।

जेलों में भी राजनैतिक बन्दियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। उनको न तो रहने के लिए पूरा स्थान दिया जाता था, न पूरा खाना और न बीमार पड़ने पर पूरी दवाईयां ही। इतना ही नहीं साधारण कैदियों की भांति उन्हें बुरी तरह पीटा भी जाता था।

पटवघ ग्राम के आस पास के लोगों ने आन्दोलन में काफी हिस्सा लिया। २३ अगस्त को वहां पर एक विशाल जन-समूह इकट्ठा हुआ। इतने में एक फौजी लारी उधर से आ निकली। लोगों ने लारी को चारों ओर से घेर लिया। सैनिकों की हिम्मत टूट गई और उन्होंने लोगों से कहा—

“हम आपको किसी प्रकार की हानि पहुंचाने नहीं आये हैं। हम वापिस जाते हैं, आप लोग भी चले जायें।” लोगों ने कहा—“पहले आप लोग जायें तब हम हटेंगे” जब भीड़ वापिस जाने लगी तो इन विश्वास घाती सैनिकों ने उस पर पीछे से गोली चलाना शुरू किया जिससे ३ आदमी मारे गए और काफी संख्या में घायल हुए। इसी प्रकार अतरौलिया में भी करीब ५ हजार जनता ने पुनः विरोध प्रदर्शन किया। वहां पर भी गोली चली और कई आदमी मारे

गए। नवम्बर में अचानक एक दिन रात को जनता की एक बड़ी भीड़ ने खुरहर स्टेशन पर आक्रमण किया और उसे काफी नुकसान पहुंचाया।

इस जिले में ३८० व्यक्ति नजरबंद किये गये। लोगों पर १,०३,६४५ रु० २ आ० ६ पा० सामूहिक जुर्माना किया गया। १०५ मकान जला दिये गये। लूट और अग्नि-दाह के फलस्वरूप लोगों को ३,५२,००० रु० के लगभग हानि पहुँची।

बनारस जिला

बनारस भारत का अत्यन्त प्राचीन नगर है। यह प्राचीन भोजपुर का एक हिस्सा है, जहाँ के लोगों की धर्मनियों में आज भी वीरता एवं स्वतंत्रता की भावना का प्रबल खीलता हुआ खून जोश मार रहा है। जब-जब देश की आजादी की लड़ाई प्रारम्भ हुई तब-तब यहाँ निवासियों ने अजब शौर्य एवं शक्ति का परिचय दिया है। सन् १९४३ में भी जब देश ने 'अंग्रेजो भारत छोड़ो' नारे के साथ खुले विद्रोह का संखनाद किया तो बनारस जिले के लोगों ने भी प्राणों की बाजी लगा दी थी।

आन्दोलन का श्रीगणेश नेताओं की गिरफ्तारी पर हड़ताल से हुआ। हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का एक जुलूस यूनीवर्सिटी से चलकर दशाश्व-मेघ घाट पर आया और वहाँ से कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ टाउन हाल पहुँचा, और वहाँ वह सभा के रूप में परिणत होगया। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डाक्टर के०एन० गैरोला इसके सभापति थे। जनता ने सरकारी संस्थाओं पर राष्ट्रीय भंडा फहराने का निश्चय किया। शहर के प्रायः सभी मोहल्लों से जुलूस निकले। उधर विश्वविद्यालय से विद्यार्थियों का एक बड़ा जुलूस आ पहुँचा। इस प्रकार दोनों जुलूस सम्मिलित होकर फौजदारी अदालत पर राष्ट्रीय भंडा फहराने के लिए बढ़ने लगे। पुलिस अधिकारी पहले से ही अदालत के अहाते में जमा थे। उन्होंने जुलूस को अदालत के सामने ही रोक दिया। एक उच्च अधिकारी ने भीड़ का विखर जाने के लिए कहा, किन्तु जब उसने ऐसा करने से इन्कार किया तो लाठी-प्रहार का हुक्म दे दिया। मि०टीजडेल ने सर्व प्रथम निर्दोष तथा शांत जनता पर प्रहार किया। फिर तो देखते-देखते लाठियों की वर्षा होने लगी। जनता बहुत देर तक डटी रही, पर आखिर उसे तितर-बितर होना ही पड़ा। इस लाठी-चार्ज की खबर जब शहर एवं जिले में पहुँची तो लोग बड़े स्रुव्व हो गए।

दूसरे दिन सारे शहर में छोटे-छोटे जत्थों में लोग नारे लगाते हुए घूमने लगे। उधर विश्वविद्यालय से विद्यार्थियों का एक बड़ा जुलूस सरकारी

इमारतों पर भंडा फहराने के लिए चला। प्रत्येक विद्यार्थी में एक अजीब उत्साह दिखाई देता था। किसी को भी अपनी जान की परवाह न थी। आज वे नीकरशाही को दिखा देना चाहते थे कि भारत के नौजवान देश की आजादी के लिए क्या-क्या बलिदान कर सकते हैं। जुलूस फौजदारी अदालत पर जा पहुँचा वहाँ पर सशस्त्र सिपाही तैनात थे, पर किसी की हिम्मत न हुई कि जुलूस पर गोली चलाने का हुक्म दे। नौजवान अदालत की इमारत पर चढ़ गए और उन्होंने बड़ी शान से उस पर तिरंगा भंडा फहरा दिया। भंडा हवा के साथ अठखेलियाँ करने लगा। जनता ने जय घोष किया और वह दीवानी अदालत पर झंडा फहराने के लिए बढ़ी। अधिकारियों ने इमारत पर चढ़ने के सभी रास्ते बन्द कर दिए थे, अतएव वे निश्चिन्त खड़े थे। किंतु एक दुबला-पतला-स छात्र अपनी जान-जोखम में डालकर खड़ी दीवार पर निकली हुई ईंटों के सहारे इमारत के शिखर पर पहुँच गया। उसने तुरन्त राष्ट्रीय भंडा लिया और उसे पताका-दंड पर बाँध दिया। झंडे को लहराता देखकर जनता के हर्ष का ठिकाना न रहा और उसने खूब जयघोष किया। इसी दिन छात्राओं ने भी अपना एक जुलूस निकाला और खादी-भंडार को पुलिस के अधिकार में से छीन लिया।

इन सफलताओं से लोगों का साहस बढ़ गया। ११ एवं १२ ता० को फिर जुलूस निकाले गये, पर अधिकारी लोग इस समय तक अच्छी तरह तैयार हो गये थे। उन्होंने जुलूस पर गोलियों एवं लाठियों की बौछार करना प्रारम्भ कर दिया, जिससे अनेक वीर घायल हुए और मारे गए। लोगों का जोश उस दमन से दबा नहीं। १३ ता० को दशाश्वमेध घाट से जुलूस निकालकर टाउन हाल में सभा करने का निश्चय किया। लोग जुलूस की तैयारी लगे में हुए थे कि अचानक मजिस्ट्रेट सशस्त्र पुलिस को लेकर वहाँ आ पहुँचा और लाठी-चार्ज का हुक्म दे दिया। घड़ाघड़ लाठियाँ बरसने लगीं, जिससे बहुत से व्यक्ति घायल हुए। घायल होने वालों में जुलूस के संयोजक श्री विन्देश्वरी पाठक और रामाकान्त मिश्र भी थे। लोग सत्याग्रही के रूप में बीच सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने जनता पर पत्थर चलांना शुरू किया। उसके जवाब में कोई पत्थर इधर से भी फेंके गये। पुलिस ने गोलियाँ चला दीं। २६ राउंड गोलियाँ चलाई गईं। बासों आदमी मारे गए और सैकड़ों घायल हुए।

पुलिस के दमन ने लोगों को और भी तोड़-फोड़ के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप बनारस शहर के तार एवं टेलीफोन के तमाम खम्बे उखाड़ डाले गये और तार तोड़ डाले गये, जिससे काफी अरसे तक टेलीफोन का व्यवहार बन्द रहा। बनारस से लखनऊ तथा बनारस, इलाहाबाद, गया और पटना जाने

वाला रेलवे लाइन उखाड़ डाली गई। ई० आई० आर० के अनेक स्टेशन लूटकर जला दिये गये और जो रकम हाथ आई वह गाँव के लोगों में बाँट दी गई। ग्रांड ट्रंक रोड में स्थान-स्थान पर गड्ढे खोद दिये, तथा बड़े-बड़े पेड़ काटकर डाल दिये। राजवाड़ी और इंदरपुर के हवाई अड्डे नष्ट कर दिये गये। स्थान-स्थान पर रेलवे-गोदाम, पोस्ट-आफिस एवं पुलिस-थाने लूट लिये गये और वहुतों को आग की भेंट चढ़ा दिया गया। पुलिस चौकियों एवं अन्य सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय झंडे फहराने लगे। एक-दो स्थानों पर तो पुलिस के सब इन्स्पेक्टरों ने भी अपने हाथसे झंडे फहराये।

१६ अगस्त के गोली-काण्ड ने लोगों को सचेत कर दिया कि शहर में अब अविक्रम-प्रदर्शन करना शक्ति का अपव्यय है। अतः करीब एक हजार छात्र जिले भर में फैल गये। बनारस के ये विद्यार्थी गोरखपुर जिले के देवरिया स्थान तक जा पहुँचे और वहाँ के विद्यार्थियों को रेलवे स्टेशन पर हमला करने के लिए उत्तजित किया। १४ तारीख का विद्यार्थियों का एक भुण्ड बलिया पहुँचा और वहाँ पर उसने आन्दोलन की आग भड़काई। गाड़ी पर विद्यार्थियों का पहले ने ही कब्जा हो चुका था, अतएव जिस गाड़ी में विद्यार्थी लोग बलिया गये उसके इंजिन पर कांग्रेस का झंडा लहरा रहा था। घानापुर की बात है कि करीब ५ हजार किसान राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए थाने पर पहुँचे और उन्होंने बड़े नम्र शब्दों में थानेदार से झंडा फहराने की अनुमति माँगी। थानेदार जनता की इस माँग को नुनकर आग-बबूला हो गया और उसने कांस्टेबलों को बाजार लूटने का हुक्म दे दिया। जनता इससे घबराई नहीं। वह थाने के सामने डटी रही। इस पर थानेदार ने गोली चलाने का हुक्म दे दिया। मदान्व सैनिक शान्त जनता पर अवाधुन्व गोलियों की वर्षा करने लगे।

इस प्रकार एक ओर तो बाजार लूटा जा रहा था और दूसरी ओर लोगों को गोलियों से भूना जा रहा था। इस दोहरी मार से लोग आपे से बाहर हो गये और पुलिस-अधिकारियों पर टूट पड़े। फलतः थानेदार और दो कांस्टेबल मारे गए। कुछ युवक थाने का सामान बाहर निकाल लाये और मृतकों के शव उसमें रखकर जला दिये।

संयुक्त राज बाजार में २८ तारीख को कांग्रेस के प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्री जगतनारायण दुबे की अध्यक्षता में जनता ने एक बड़ा जलूस निकाला। बाजार की सड़कों एवं गलियों में से होता हुआ जलूस रामलीला मैदान की ओर बढ़ा, किन्तु अचानक बिना कुछ चेतावनी दिये सैनिकों ने जलूस को चारों ओर से घेर लिया और लोगों पर गोलियों की वर्षा करने लगे। परिणाम-स्वरूप श्री.

जगतनारायण दुबे एवं १५ अन्य व्यक्तियों के चाटें आईं। अब पं० चन्द्रिका नायक नामक एक साहसी युवक ने जुलूस का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। जुलूस बाजार के दक्षिणी में हिस्से में से होता हुआ वसाह पुलिस-स्टेशन से करीब आध मील दूर जा पहुंचा। अचानक सामने के पुलिस थाने से गोलियां बरसने लगीं। सैनिक लोग थाने की छतों पर छिपे हुए थे और वहीं से गोलियां चला रहे थे। रह-रह कर करीब दो घंटे तक गोलियां चलती रहीं। जब गोलियां बरसतीं तो लोग जमीन पर लेट जाते और बन्द होतीं, तो उठ खड़े होते और थाने की ओर बढ़ने लगते। इस प्रकार होते-होते दिन छिप गया और पुलिस वालों को गोली चलाना बन्द करना पड़ा। गोली चलाना बन्द करके सैनिक लोग घायलों की हथियाने के लिए जनता की ओर बढ़े। किन्तु जनता पहले से ही सचेत थी। उसने पहले से ही अपने घायल साथियों को, जिनकी संख्या ४०-५० थी, अपने अधिकार में कर लिया था। इस प्रकार एक भी घायल व्यक्ति पुलिस वालों के हाथ में न पड़ा और जनता अपने सब साथियों को लेकर अपने घरों को चली गई। पुलिस वाले आस-पास के गाँवों में घायलों की तलाश में घूमने लगे और लोगों पर भाँति-भाँति के अत्याचार करने लगे। जब एक भी घायल व्यक्ति उनके हाथ न लगा तो उन्होंने देहात वालों के घर जला दिये, लोगों को पकड़ कर बुरी तरह से पीटा और थाने में बन्द कर दिया गया तथा डरा-धमकाकर उनसे रुपया वसूल किया। सैयद बाजार के कुछ दुकानदार तथा कुछ दूसरे लोग गाँव छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले गये।

विश्वविद्यालय पर फौजी कब्ज़ा

सरकारी दमन-चक्र जिले भर में बड़ी भयानकत से चल रहा था। एक बड़ी सशस्त्र फौज ने विश्वविद्यालय पर घावा बोल दिया और वह वहाँ के अनेक छात्रोवासों पर टूट पड़ी। हजारों की तादाद में विद्यार्थियों को अपने कमरों खाली करने पड़े। यहाँ तक कि लड़कियों के होस्टल को भी जबरदस्ती खाली करवाया गया। लड़कियों को अपना सामान तक साथ न ले जाने दिया गया। महामना मालवीय जी और वाइस चान्सलर सर राधाकृष्णन् के निवास स्थानों पर भी फौज का कड़ा पहरा लग गया था। इस प्रकार विद्या का यह विशाल उद्यान एक छावनी के रूप में परिणत हो गया था।

सैयद राजा के गाँव में स्त्रियों पर गोली चलाई गई तथा उन्हें हवा-लात में बन्द रखा गया। कई अन्य स्थानों पर पर स्त्रियों को केश पकड़कर घसीटा गया तथा सरे-आम नंगा करके पीटा गया। जिन स्त्रियों के साथ ऐसे अपमानजनक कार्य हुए हैं वे इसकी बड़ी दर्दनाक कहानी सुनाती हैं।

गाँवों पर जुमनि की भारी रकम लगाई गई तथा उनको वसूल करने में बड़ी निर्दयता से काम लिया गया। एक गाँव में कुछ फौजी जुमनि वसूल करने के लिए एक किसान के घर पहुँचे। किसान के पास फूटी कौड़ी न थी। इसके लिए उसने कुछ दिन की मुहलत मांगी। पर मुहलत देना तो दूर रहा, फौजियों ने उसके डेढ़ वर्ष के बच्चे को पकड़ लिया और उसे माँ-बाप की आँखों के सामने आग में जला दिया। कितना कारुणिक था वह दृश्य, जब वह गरीब किसान एवं उसकी स्त्री हृदय पर पत्थर रखकर अपने नन्हे-से सुकुमार बच्चे को अपनी आँखों के सामने आग में जलता हुआ देख रहे थे।

संयुक्त प्रान्त के तत्कालीन गवर्नर मॉरिस हैलेट के सलाहकार मार्श स्मिथ और नेदरसोल ने बनारस जिले की शान्त, असहाय एवं निरीह जनता के खून से होली खेली। इन आतताइयों ने फौज को हुकम देकर गांव-के-गांव जलवा डाले तथा गरीब लोगों के रुपये, पैसे, गहने, यहाँ तक कि अनाज एवं पहनने के कपड़े भी लूटवा दिये। स्त्री-पुरुषों को भाँति-भाँति से अपमानित किया गया तथा उन्हें घोर यातनायें दी गईं।

इस जिले में ३१० व्यक्ति नज़रबन्द किये गये और ५६३ को दण्डित किया गया। ११७ निर्वासित कर दिये गये। ४०-५० व्यक्तियों को फाँसी की सजा दी गई। २३ स्थानों पर गोलियाँ चलीं जिसके फलस्वरूप १८ मरे और ८५ घायल हुए। जिले में २,२४,०२२ रु० ६ आना ५ पाई सामूहिक जुमना किया गया।

इलाहाबाद

इलाहाबाद भारतवर्ष का एक ऐतिहासिक नगर है। वर्तमान समय में यहां बड़े-बड़े नेता और राजनीति के विद्वान् हुए हैं। यहीं स्वराज्य-भवन है जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का मुख्य कार्यालय स्थापित है। इस कारण यहां राजनैतिक चेतना विशेष रूप से है।

नवीं अगस्त को नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार पहुंचते ही सारे शहर में सनसनी फैल गई। सभी लोगों ने अपना काम-काज बन्द कर दिया। इसी दिन स्थानीय कार्यकर्ता बन्दी बना लिए गए और कांग्रेस कमेटियों के कार्यालयों की तलाशी ली गई और उनमें सरकारी ताले लगा दिये गये। विद्यार्थी जोश से भरे हुए थे। शाम को विद्यार्थियों का आधा मील लम्बा जुलूस शहर के कोने-कोने में घूमा। १० अगस्त को पुरुषोत्तमदास पार्क और मुहम्मदअली पार्क में विराट सभाएं शान्ति के साथ सम्पन्न हुईं।

ता० ११ अगस्त को स्थानीय विश्वविद्यालय से छात्र-छात्राओं का एक

जुलूस निकला जो पिछले दानों दिनों के जुलूस से बड़ा-बड़ा था। जुलूस के आगे लड़कियां चल रही थीं। राष्ट्रीय नारों से गगन गूँज रहा था। धीरे-धीरे जुलूस भा होस्टल तक ही पहुंच पाया था कि सामने से एक मयास्त्र पुलिस की टुकड़ी आ पहुंची और उसने जुलूस को आगे बढ़ने से रोक लिया। पुलिस अफसर ने इस अवसर पर तीन बार लाठी चलाने का हुक्म दिया, किंतु सिपाहियों ने लाठी-चार्ज नहीं किया।

११ अगस्त को विश्वविद्यालय के यूनियन हाल में एक विराट सभा हुई। उसमें यह निश्चय हुआ कि १२ अगस्त को दो रास्तों से दो प्रथम जुलूस निकाले जायें और मुहम्मदअली पार्क में एक सभा की जाय। निश्चित प्रोग्राम के अनुसार १२ अगस्त को शानदार जुलूस निकले। गवर्नमेंट हाउस के पास से जाने वाले जुलूस का नेतृत्व तीन लड़कियां कर रही थीं। वे श्रीमती विजय-लक्ष्मी पंडित, जस्टिस मुल्ला और एक पुलिस अफसर की लड़कियां थीं। जुलूस पूरा तरह शान्त था, फिर भी जिला मजिस्ट्रेट ने मौके पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। गोलियों की वर्षा होने लगी। तीनों वीर बालाश्री ने बड़े साहस से गोलियों का सामना किया, किंतु बाद में वे घायल होकर मूमि पर गिर पड़ीं। सारा जुलूस वहीं रुक गया। बाद में राजघराने का एक विद्यार्थी आगे बढ़ा और द्वाती खोलकर बोल उठा, "लड़कियों पर क्या गोली चलाते हो? मुझे निशाना बनाओ।" उसकी खुली छाती ने गोली का आलिंगन किया और उस वीर ने आजादी के इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। विद्यार्थियों ने उसके रक्त से अपने रुमाल भिगोकर आजादी के लिए कुर्बानि हो जाने की दृढ़ प्रतिज्ञा की।

दूसरे जुलूस के नेता श्री यदुवीरसिंह थे। लगभग बारह बजे जुलूस कचहरी पहुंचा। सामने पुलिस तैयार खड़ी थी। ज्यों ही जुलूस कुछ और आगे बढ़ा, पुलिस वालों ने कंकड़ बरसाना शुरू कर दिया और लड़कियों के हाथ से भंडा छीनने की चेष्टा की। लड़कियां एक साथ भंडे को पकड़कर खड़ी हो गईं। वे घिसटती जा रही थीं, किंतु भंडा नहीं छोड़ रही थीं। इतने में अचानक लाठियां बरसने लगीं। जुलूस के लोग रुमाल के इशारे से लेट जाते थे और फिर उसी के इशारों के आगे बढ़ते जाते थे। उधर घुड़सवार पीछे से डंडे चला रहे थे। इतने में बन्दूक की धाय-धाय आवाज के साथ ही किसी ने कहा, 'विदा। इन्कलाव, जिन्दा वाद।'.....वह भारत का लाल रक्त-स्नान कर स्वतंत्रता देवी की आराधना कर रहा था। पा गल की तरह पूरी टोली उमड़ पड़ी। उसके रक्त में रुमाल भिगोया गया और उसी में तिरंगा।

उसी के मस्तक पर तिलक लगाए गए। और गोलियों की बौछार में भी बढ़ना जारी रहा। एक पर एक घायल गिर रहे थे, फिर भी लोग वीरतापूर्वक बढ़ते जा रहे थे। लड़कियों ने चुड़सवारों के घोड़ों की लगाम धाम ली। आखिर अधिकारियों को हार माननी पड़ी और जुलूस को अपनी इच्छानुसार जाने के लिए अनुमति दे दी गई। यह एक महान् विजय थी और इसका सम्पूर्ण श्रेय या शहीद पद्मधर को। लोग विद्यार्थियों के जुलूस में शामिल होते जा रहे थे। जुलूस पर लाठी-चार्ज किया गया। थोड़ी देर के लिए जुलूस भंग हो गया। किंतु फिर जवाहर-चौक में जुलूस निकला। पुलिस वालों की लाठियां खाते हुए भी लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे एक दूसरा जुलूस आ मिला और लोगों ने कोतवाली के सामने पहुंचकर अपने बचाव के लिए भरे हुए ठेलों और लकड़ी के तख्तों की सहायता से सड़क पर एक दीवार खड़ी कर ली थी। बलूची सैनिकों का एक जत्था आ रहा था। लोगों ने उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस सार्जेंट पुलिस सैनिकों के साथ आया और भीड़ पर गोली चलाने का हुकम दे दिया। जुलूस के नायक राजन् की छाती में गोली लगी और उसी समय वह जमीन पर लेट गया। इससे लोग भागने लगे। रमेश मालवीय से यह सहन न हुआ। वह आगे बढ़ा और लोगों को भागने से रोकने लगा। सार्जेंट ने भ्रष्ट अपना रिवाजवर दबाया और घायल-घायल करती हुई गोली रमेश की छाती के आर-पार हो गई। वह भी गिर गया और वहीं वीरगति को प्राप्त हुआ। उधर सिपाहियों ने भागते हुए लोगों पर गोली चलाई, जिससे कुछ मरे और बहुत से घायल हुए।

इसके बाद तो लाठी और गोली-काण्डों का तांता बंध गया। मरने वालों की संख्या सैकड़ों तक पहुंच गई। सारा शहर गोरी फौज के नियंत्रण में दे दिया गया। फिर भी विद्यार्थियों के जुलूस निकलते रहे। तार काटे गये और मोटर लारियां जला दी गईं। किंतु उनमें बैठे लोगों, ड्राइवर आदि को पूरे तौर से रक्षा की गई।

१३ अगस्त को नवयुवकों ने हवाई अड्डे पर आक्रमण किया और उसे काफी क्षति पहुंचाई। शहर के डाकखाने लूट लिये गये और जला दिये गये। रामबाग में पुलिस वालों को जनता के सामने आत्म-समर्पण करना पड़ा। लगभग एक दर्जन फौजी लारियां फूंक दी गईं। इस प्रकार तीन दिन तक ब्रिटिश शासन का नामो-निशान मिटा दिया गया। विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र देहातों में और अन्य प्रान्तों के कालेजों एवं स्कूलों में आजादी का पैगाम लेकर पहुंच गये। स्थान-स्थान पर स्टेशन जला दिये गये। थानों पर कब्जा

कर लिया गया तथा सरकारी स्थानों को हानि पहुंचाई गई। इलाहाबाद, बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़ आदि इलाकों में यातायात के साधनों की बड़े-बड़े हानि पहुंचाई गई, जिससे कुछ गाड़ियों का आना-जाना बन्द हो गया।

अन्य स्थानों की भाँति इस जिले के दमन की कहानी भी हृदय-विदारक है। पुलिस और फौजवालों ने सैकड़ों निरपराध व्यक्तियों को अपनी गोली का शिकार बनाया। ता० १२ को पी० सी० बनर्जी होस्टल के पास कुछ विद्यार्थी प्रार्थना कर रहे थे, इतने में उधर से एक फौजी लारी गुजरी। उन लोगों ने एक छात्र के ऊपर गोली चलाई, किन्तु वह बच गया और गोली पास में एक घास-वाले के लगी जिससे वह वहीं मर गया। मुरारीमोहन भट्टाचार्य नाम के एक व्यक्ति जान्सनगंज से आ रहे थे। एक सिपाही की सनसनाती गोली उनके लगी और वह वहीं गिर गये। फिर संभलकर ज्यों ही वह उठे, उनके शरीर पर दूसरी गोली पार कर गई और वह वहीं सदा के लिए सो गए। जो गान्धी टोपी लगाये चलता था, पुलिस वाले उसे पकड़ लेते और उसे टोपी नाली में फेंकने, उस पर धूकने तथा पेशाब करने का हुक्म देते थे। एक वीर नवयुवक दशरथलाल जायसवाल गान्धी टोपी की इस बेइज्जती की बात सुनकर जान-बूझकर गान्धी टोपी पहन कर मट्टीगंज चौराहे की ओर चला। पुल पर कुछ सैनिकों ने जायसवाल को रोका और टोपी पर पेशाब आदि करने के लिए कहा। उसके ऐसा न करने पर उसे गोली से उड़ा देने की धमकी दी। उस वीर के उनकी धमकी की कुछ भी परवाह न थी। एक पुलिस वाले ने उस पर प्रहार किया जिससे वह नीचे गिर गया। इसी अवस्था में एक सैनिक के रिवाल्वर से निकली हुई गोली धायं-घायं करती हुई जायसवाल के पेट से आर-पार हो गई और खून की धारा फूट पड़ी। युवक ने साहस कर एक हाथ से घाव को दबाया और दूसरे से सिर पर लगी हुई गान्धी टोपी को जीवन एवं मृत्यु के बीच में पड़े हुए इस वीर को अब भी गान्धी टोपी की मान-रक्षा का ध्यान था। उसके घाव से खून की धारा बह रही थी। किन्तु युवक ने हिम्मत की और उठकर जाने लगा। उसी समय सैनिकों की एक गोली उसकी गर्दन पर लगी और दूसरी उसकी रान को चीरती हुई चली गई तथा पास से गुजरते हुए एक घोड़ी को लगी। बेचारा घोड़ी फौरन मर गया। किन्तु उस वीर का बाल-बांका न हुआ। इस जिले के कण्डिया नामक स्थान में कुछ विद्यार्थियों को पेड़ पर लटकाकर गोली चलाई गई थी।

डिप्टी कमिश्नर श्री कुर्बानी

इस प्रकार के अमानुषिक अत्याचार विद्यार्थियों के ऊपर रात-दिन

हो रहे थे एक दिन एक मुसलमान डिप्टी कमिश्नर एक घटनास्थल पर पहुंचे । सरकार के निर्दयतापूर्ण अत्याचारों से उनका हृदय पसीज उठा और उन्होंने तुरन्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया । इस प्रकार उन्होंने अपनी आत्मा की पुकार सुनी और अपने को हमेशा के लिए विदेशी राज की गुलामी से मुक्त कर लिया ।

इस जिले में ५८१ व्यक्ति गिरफ्तार हुए और ४५८ को सजायें दी गईं, दो स्थानों पर गोला चली । ६३,०३८ रु० सामूहिक जुर्माना किया गया ।

जौनपुर

दस अगस्त के प्रभात ने नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार जिले भर में पहुंचा दिया । इस पर लोगों में चौगुना जोश पैदा हो गया । नवयुवकों की कौंसिल में यह तय हुआ कि जिले भर में राष्ट्रीय सरकार स्थापित की जाय । अलग-अलग महकमे बनाये गये और योग्यतानुसार एक-एक महकमा सौंपा गया । एक महकमे का काम यातायात के साधनों को नष्ट करना और दूसरे का जगह-जगह सभायें करके मालगुजारी आदि बन्द करा देना था । सर्व प्रथम यातायात के साधनों को नष्ट करने के लिए प्रस्ताव पास किया गया । १३ अगस्त को एक व्यक्ति शहर के बाहर पकड़ा गया और उसने डर के मारे नवयुवकों की तैयारियों का सब हाल बता दिया फलस्वरूप पुलिस ने उसके बताये हुए गुप्त स्थान पर छापा मारा और जो कुछ भी सामान इकट्ठा किया गया था, सब ले गईं । वहां से पुलिस लौट रही थी । रास्ते में सेई नदी के बरगद के बड़े पुल को तोड़ा जा रहा था । पुलिस ने गोली चलाना शुरू कर दिया, किन्तु घायल होकर भी लोगों ने कोई परवाह नहीं की और पुल के टुकड़े-टुकड़े करके ही दम लिया । धनियामऊ के पुल पर एक अंग्रेज इंस्पेक्टर ने एक वीर विद्यार्थी को गोली से उड़ा दिया । बाद में इन्स्पेक्टर महोदय को अपनी करतूत का फल मिला । उन पर लाठी-प्रहार हुआ और वह चल बसे ।

कहीं-कहीं जनता ने बड़े-बड़े पेड़ों को काटकर बहुत-सी सड़कों को बन्द कर दिया था । जिले के प्रायः सभी स्टेशन व डाकखाने जला दिये गये । पर किसी की जान नहीं ली गई । डाकखानों के रुपये आदि लूट लिये गये । रेलवे लाइन उखाड़कर फेंक दी गई तथा तार और खम्भे काट डाले गये । इस प्रकार यातायात के सभी साधन नष्ट करके ब्रिटिश सत्ता को पंगु बना दिया गया ।

मुजानगंज के थाने पर थानेदार व चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया गया और कारतूस, राइफलें आदि छीन ली गईं । थाने पर तिरंगा झंडा फहराने लगा । उसी रात थानेदार ने कप्तान की धमकी से डरकर आत्म-हत्या

कर ला। मद्दली तहसील पर भी झंडा फहराया गया। उसी समय और पुलिस आ पहुंची गोली चली और एक नवयुवक शहीद हुआ। बदलापुर थाने पर आक्रमण हुआ। वहां भी गोली चली। एक आदमी थाने के अन्दर बन्द करके बुरी तरह पीटा गया।

यहां के गांवों में नवयुवकों ने गुप्तचर नियुक्त कर लिए थे, जो पुलिस के आने-जाने की खबरें एक गांव से दूसरे गांव में दिया करते थे। नवयुवकों ने पुलिस के दांत खट्टे कर दिये। किन्तु फौज की मदद से पुलिस जगह-जगह लूट मचाने व अत्याचार करने लगी। तब जनता ने इन देश-द्रोहियों का पूरा बहिष्कार किया। इस पर बहुत से पटवारी और चौकीदारों ने इस्तीफा दे दिया। नवयुवकों ने गांव-गांव में वैतनिक फौजी चौकियां बनाईं। इस प्रकार कई महीने तक जनता की आजाद सरकार नौकरशाही ताकतों से मुकाबला करती रही।

बहुत से नवयुवक पुलिस के पंजे में न फंसे थे। उनको पकड़ने के लिए पुलिस बुरी तरह परेशान थी। गांव-गांव में पुलिस चक्कर काट रही थी। लोग निर्दयता से पीटे जा रहे थे। कहते हैं कि एक अफसर ने राय अम्बिका-प्रसादसिंह पर बड़ी निर्दयता के साथ अत्याचार किया। उनकी सम्पत्ति नष्ट कर दी गई। उनका हाथी थाने में भूख से मार डाला गया। खेतों की तैयार फसलें जला दी गईं। मकान को तहस-नहस कर दिया और उसी स्थान पर पुलिस-चौकी बनाई गई। सुरेश का सत्र माल लूट लिया गया और मकान जला दिया गया। उनके पिता को, जो एक फूस की भीपड़ी में रहते थे, उसे भी जलवा दिया। यहां के लगभग १५ क्रांतिकारी सैनिक शहीद हुए।

जौनपुर जिले में वंजवा, दानगंज और जलालपुर ये तीन स्थान ऐतिहासिक बन गए हैं। इन तीन जगहों पर जनता ने अत्याचारी पुलिस और फौजियों के साथ जी-जान से मोर्चा लिया। इन स्थानों में पुलिस ने जो अत्याचार किए हैं उनका वर्णन सुनने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम यहाँ के तीन वीर नौजवान श्री राय अम्बिकाप्रसादसिंह, पं० राजाराम मिश्र और दलसिंगारसिंह के अतुलनीय शौर्य का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकते। श्री राय अम्बिकाप्रसादसिंह के नेतृत्व में आजाद फौज सरकारी फौज से मुकाबिला करती थी। एक संघर्ष में दोनों दलों के दो-दो व्यक्ति काम आए। पं० राजाराम मिश्र के दल का काम पुलिस को लूट-मार से रोकना था। श्री दलसिंगारसिंह ग्राम-सैनिकों का संगठन और पंचायतों की स्थापना आदि काम करते थे।

जौनपुर जिले के दमन का कुछ परिचय पाठकों को उपर्युक्त घटनाओं

से मिल गया होगा। यहाँ पर हम 'समाज' में प्रकाशित श्री बलजीतसिंह के लेख का एक अंश उद्धृत कर रहे हैं:

“आग पर सेंकना, मुर्गे बनाना, उलटी टांग कर काड़े लगाना, औरतों का नंगी करके पीटना, उनके गुह्यांगों में मिर्चें भरना, लाल मिर्चों की धूनी देना, पेड़ों पर बांधकर पीटना, एवं नंगे बदन सड़कों पर घसीटना साधारण घटनायें थीं। बाप के सामने बेटी की इज्जत ली गई और माँ के सामने बेटे को बाँधकर पीटा गया। खुले आम औरतें नंगी करके पीटी गई और मनमाने तौर पर घसीट कर उनकी बेइज्जती की गई। इसके अलावा एक ऐसी सजा निकाली गई थी जिसके द्वारा आदमी को सीधा पैर फँलाकर बिठा दिया जाता था। दो आदमी दोनों हाथों को सीधा फँलाते थे। एक आदमी उसका सिर पकड़ कर घुटनों के सहारे सीधा बैठा रहता था। दो आदमी उनके दोनों पैर बलपूर्वक पीछे की ओर धुमा देते थे जिससे गुदा और मूत्रेन्द्रिय से खून निकल आता था और इस प्रकार वह या तो मर जाता था या उसका जीवन सदा के लिए नष्ट हो जाता था।”

इस जिले में ४ जगह गोली चली और लगभग १५ आदमी मारे गये। १, ५५, ११८ रु० ३ आ० १० पा० सामूहिक जुर्माना किया गया।

गोरखपुर

नौ अगस्त के बाद जिले के प्रायः सभी प्रमुख नेता नजरबंद बनाकर जेलों में ठूस दिये गये। फलस्वरूप २६ अगस्त को जनता ने एक बड़े जुलूस के द्वारा गहरा विरोध प्रदर्शित किया। मदरिया के प्राइमरी स्कूल की किताबें बाहर फेंक दी गईं। नये गांव की सड़क की पुलिया तोड़ डाली गई। गोला कस्बे में एक विराट जुलूस निकाला गया। थाने और डाकखाने पर तिरंगा झंडा लहराया गया। गगही के मार्ग में मिलन वाली एक पुलिया तोड़ डाली गई। डाकखाने के तार काट डाले गये। बेहली में तार का एक खम्भा गिरा दिया गया। उसका बाजार के डाकखाने का एक लेटर बक्स चकनाचूर कर दिया गया। कुछ सिपाहियों ने इस अवसर पर श्री रामगधारसिंह को पकड़ लिया। उत्तेजित भीड़ ने चौकीदार का साफा छीन लिया। सिपाही भयभीत होकर भाग निकला। इसकी खबर सरकारी अधिकारियों को जब मिली तब वे लोग गारद के साथ निकटस्थ गांव के गुंडों को लेकर उसका बाजार में आ घमके। कस्बे के प्रायः सारी दुकानें लूट ली गईं।

इसके बाद गाँवों में छापे मारना शुरू कर दिया गया। बथुवा गांव

लूटा गया। श्री लालसा पांडे को पीटा गया और उनका घर लूट लिया गया। बाद में उन्हें जेल भेज दिया गया। सुना जाता है कि उनकी तीन दिन की प्रसूता पतोहू घर से बाहर निकाल दी गई। खोपापार पर हमला हुआ। गांव के मुखिया पं० रामलखन पांडे और उनके दोनों लड़कों को बँत और बन्दूक के कुन्दों से पीट-पीट कर बेहोश कर दिया गया। हिन्दी साहित्य विद्यालय की इमारत में आग लगा दी गई। पं० रामबली मिश्र की धर्मपत्नी श्रीमती कैलाशवती देवी को केश पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया गया। उन्हें नंगी कर देने का हुक्म दिया गया और उनकी साड़ी काड़ डाली गई। मकान लूट लिया गया और बाद में गिरा दिया गया। विद्यालय के लड़कों को पीटा गया और उनके कपड़े छीन लिये गए। इस लूट में गांव का लगभग ४० हजार का नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य कई गांव लूटे गए। प्रसिद्ध कार्यकर्ता रामलखन शुक्ल, ककरही को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका घर जला दिया गया, जिसमें १११९४ रुपए का नुकसान हुआ। गोपालपुर लूटा गया और वहां के घर जला दिये गए। मदरिया के रामअलखसिंह का सामान लूटा और जलाया गया। श्री रामअलख और बलराम को पचास-पचास रुपए जुर्माना और १०-१० बँत की सजा दी गई।

२८ अगस्त को तहसीलदार, कानूनगो, कुर्कअमीन आदि ने सदल-बल सामूहिक जुर्माना वसूल करने के लिए सिसई गांव पर छापा मारा। ३०० रु० जर्माना किया गया था। लोगों ने देने से इन्कार कर दिया तो जूतों की ठोंकरो से जुर्माना वसूल किया जाने लगा। २-३ आदमियों के ऊपर खूब मार पड़ी। गांव के लोग यह अत्याचार न सह सके और सरकारी कर्मचारियों को कसकर ठीक किया। थोड़ी देर में बलूची फीज वहां आ पहुंची और गांव को घेर लिया। ग्रामीण जनता ने बुद्धिमानी से काम लिया और तुरन्त गांव खाली कर दिया। इस मौके पर श्री राधापदजी मुख्तार ने गोली खाने के लिए अपना सीना खोल दिया था किन्तु उन्हें गोली चलाने का साहस न हुआ। लगभग ३० आदमियों को बन्दी बनाया गया और दो-साल का कठोर कारावास दिया गया। इसके पहले उन्हें बँतों से खूब पीटा गया। बीसों मकान जला दिये गए और सामान लूट लिया गया। मशीनगन लगाकर लोगों को डराया-धमकाया गया। फौजियों ने यहां की बहुत-सी स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया।

दाऊघाट गांव में २९ अगस्त को कप्तान मूर सिपाहियों के साथ आ धमके। उन्होंने पं० गोपीनाथ मिश्र को पकड़कर ४००० रु० जुर्माना मांगा और उनके दरवाजे तोड़कर घर में घुस गए। स्त्रियों के करुण-क्रंदन से

गांव के लोग एकत्र हो गए । फजानमियां और रामलखन तेली को गोली से उड़ा दिया गया ।

१८ अगस्त को भाटपार की जनता को पुलिस की गोलियां खानी पड़ीं । फलस्वरूप लालचन्द और सरवन नोनिया मारे गये । १९ अगस्त को यहां का बाजार लूटा गया । यहां का गांधी आश्रम जला दिया गया ।

मालपुरी गांव में २० अगस्त को आग लगाई गई । लगभग एक सौ आदमियों को बांध दिया गया और उन्हें बुरी तरह से पीटकर एक गड्ढे में डाल दिया गया । घरों का सामान लूट लिया गया । बहुत से लोग जेल में बन्द कर दिये गए ।

लोगों की हानि के कुछ अंक इस प्रकार हैं :—

खोपापार गांव में हुआ नुकसान	४०,००० रुपया
मदरिया के समीपवर्ती गांवों पर सामूहिक जुर्माना	१,००० रुपया
उसवा, दुधरा, अमोड़ा आदि गांवों में लूट	५०,००० रुपया
और माल की बरवादी	२५ मन गेहूं, चावल, घी
खोपापार तहसील में जलाये गए घर	१२
नष्ट की गई छतों की संख्या	१०३
लूटे गए घरों की संख्या	७६
मजाएं	८० आदमी
नुकसान	२,३४,९७९ रुपये के लगभग ।
कुल सामूहिक जुर्माना	२७,९१,७०५

पश्चिमी जिलों में आन्दोलन

पश्चिमी जिलों में आन्दोलन का जोर उतना अधिक नहीं रहा । फिर भी कामपुर, लखनऊ, आगरा, पीलीभीत, खीरी, मेरठ, विजनौर, मुरादाबाद, हरिद्वार आदि में जनता ने उल्लेखनीय भाग लिया । इसके अलावा प्रत्येक जिले के बड़े-बड़े शहरों व कस्बों में भी प्रदर्शन हुए ।

कानपुर

यहां ६ अगस्त को जनता के एक विशाल समूह ने कांग्रेस ऑफिस पर, जिस पर पुलिस का कब्जा हो चुका था, उसे पुनः प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया । डाकखानों की लारियों और उन सब कारों पर भी, जिनको यूरोपियन ड्राइवर चला रहे थे, आक्रमण किये गए । दस तारीख की शाम तक शहर में

तीन पुलिस चौकियों पर सामूहिक आक्रमण हुए । पुलिस में हर जगह गोलियां चलाकर उत्तर दिया । सरकार ने जनता पर आतंक जमाने के लिए आर्डिनेन्स लागू करके फौरन जुर्माने वसूल करने शुरू कर दिये ।

कितने ही दिनों तक सरकारी इमारतों, स्कूलों आदि पर आक्रमण जारी रहे । जब आन्दोलन का बाह्य रूप धीमा पड़ने लगा तो छोटे-छोटे दस्तों द्वारा डाकखानों व अन्य सरकारी संस्थाओं पर इक्के-दुक्के हमले होते रहे और आखिर में आन्दोलन ने तोड़-फोड़ का गुप्त रूप धारण कर लिया । सारे कालेज के विद्यार्थियों ने स्कूल व कालेजों में हड़ताल रखी और डेढ़ महीने तक यह हड़ताल जारी रही । निस्सन्देह मजदूरों ने आन्दोलन में उतना हिस्सा नहीं लिया जितना कि उनसे आशा थी । मजदूरों पर उन दिनों कम्युनिस्टों का अधिक असर था । आन्दोलन के सम्बन्ध में २०३ व्यक्ति नजरबन्द हुए और ३९४ दण्डित किये गए । १,९९,२५० रु० सामूहिक जुर्माना किया गया ।

लखनऊ

९ अगस्त को सवेरे ही स्थानीय नेता पकड़ लिये गए । विरोधस्वरूप शहर में हड़तालें हुईं और जुलूस निकाले गए । विद्यार्थियों का जुलूसों में अधिक भाग रहा । लखनऊ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों पर ११ अगस्त को जब वे यूनिवर्सिटी और शहर के बीच का गोमती पुल पार कर रहे थे, पुलिस ने गोलियां चलाईं । पुल के दूसरी ओर शहर की जनता का एक विशाल समूह इकट्ठा हो गया था जिसे भयंकर लाठी-चार्ज द्वारा तितर-बितर किया गया । जनता ने लखनऊ रेलवे स्टेशन के आफिस, डाकखाने इत्यादि पर भी आक्रमण किये । यहां लड़कियों के जुलूस ने बहुत बहादुरी दिखाई । जब लाठी-चार्ज हुआ तो लड़कियां बैठी रहीं, घायल हुईं, पर कदम पीछे नहीं हटाया, यह देखकर लोगों ने पुलिस पर इंट-पत्थर बरसाये । इसके जवाब में पुलिस ने काफी गोलियां बरसाईं । इस प्रकार शहर में काफी अशान्ति रही । स्टेशन आफिस जलाये गए । कालेज आदि बन्द रहे । पुलिस के नौ सिपाहियों ने लाठी-चार्ज करने से इन्कार कर दिया । इस पर वे गिरफ्तार कर लिये गए । लोगों पर ५५,८३८ रु० सामूहिक जुर्माना किया गया ।

आगरा

श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, प्रधान प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी पहले ही पकड़ लिये गए थे । एक बहुत बड़ा आम जलसा हुआ; जुलूस निकला; जिसे पुलिस ने रोका । जुलूस लाठी-प्रहारों के बावजूद भी आगे बढ़ता गया । पुलिस ने धारों से गोली चलाई । तीन दिन तक नययुवकों और पुलिस में मूठभेड़

विद्यार्थियों ने स्कूल कालेज छोड़कर विरोध-प्रदर्शन में सामूहिक रूप से भाग लिया। पहले सप्ताह में ही एक हज़ार के लगभग कार्यकर्ता पकड़ लिये गए आन्दोलन का बाह्य रूप पांच-सात दिन बाद धीमा पड़ गया। पर तोड़-फोड़ के कार्यों ने उग्र-रूप धारण कर लिया। शहर के आस-पास तक टेलीग्राफ तथा टेलीफोन के तार बड़ी मात्रा में काटे गए। ई० आई० आर० के कई स्टेशनों को भी जलाया गया। वी० वी० एण्ड सी० आई० की मालगाड़ियों को गिरा दिया गया, जिनमें से दो के इंजन तो विल्कुल टूट गए और चार को काफी क्षति पहुंची। एक जत्थे ने इनकम टैक्स आफिसर को घमकाया। २०० आदमियों के एक जत्थे ने चंदीला स्टेशन पर आक्रमण किया। पुलिस ने गोली चलाई। पांच मरे और ३५ घायल हुए। आगरे में १०० के लगभग जखमी हुए। मालदारों से पुलिस ने मनमाना रुपया वसूल किया। जिन्होंने देने से इन्कार किया, उन्हें जेल भेजने की धमकी दी गई। विद्यार्थियों का आन्दोलन में बड़ा भाग रहा। उन्होंने कालेज तथा अदालतों पर पिकेटींग किया और लड़कियों ने भी इसमें काफी भाग लिया।

कई यानों में आग लगाई गई। २२ सितम्बर को गवर्नमेंट कपड़ा फ़ैक्टरी में भी आग लगा दी गई। अक्टूबर से आन्दोलन ने गुप्त रूप धारण किया। दिसम्बर १९४२ में आगरा पड्यन्त्र केस चलाया गया। जिले में १५५ नज़रबन्द किये और १००० व्यक्ति गिरफ्तार किये गए। ६८,१९५ रु० सामूहिक जुर्माना किया गया।

मथुरा

प्रारम्भ में हड़ताल हुई और जुलूस निकला। १८ तारीख तक सारे कार्यकर्ता पकड़ लिये गए। जुलूस पर लाठी-चार्ज हुआ। रेल व तार को काफी नुकसान पहुंचाया गया। परखम स्टेशन के पास एक इंजन गिरा दिया गया। छोटे-छोटे बच्चों को पुलिस वालों ने खदेड़कर एक अहाते में घेर लिया और उन्हें बुरी तरह से मारना-पीटना शुरू कर दिया। आसपास के रहने वालों ने ऊपर की मंजिलों से रस्सियां डालकर उन्हें खींच लिया। लोगों पर ४६,७०० रु० सामूहिक जुर्माना किया गया।

चृन्दावन

जनता ने जुलूस निकाला, जिस पर पुलिस ने लाठियां चलाई और अन्त में गोलियां चलीं। २० से अधिक आदमी लाठी से घायल हुए और ६ आदमी गोलियों से जखमी हुए।

अलीगढ़

आंशिक हड़ताल हुई। घमं समाज कालिज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और पुलिस ने लाठी-चार्ज किया। आठ या दस वर्ष के कई बच्चे मर गए। जिले में ४५० गिरफ्तारियां हुईं। अतरौली कस्बे में एक आदमी को गिरफ्तारी के समय पुलिस ने गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। गिरफ्तार होने वाले भाई को गुस्सा आया और उसने पुलिस को बांस मारा। इस पर पुलिस के दारोगा ने बगल से पिस्तौल मारी जो आर-पार निकल गई और वह वहीं पर मर गया। दूसरे भाई के भी गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस लाश को अपने साथ ले गई। यहां पर गोली के दस फायर हुए। एक रेल के पुल को काफी क्षति पहुंचाई गई। जिले में २० से अधिक स्थानों पर तार काटे गये। ई० आई० आर० रेलवे के पत्ती, हाथरस, सलेमपुर आदि स्टेशनों पर आक्रमण किये गये। हरदुआगंज का डाकखाना भी जला दिया गया। ८५०० रु० सामूहिक जुर्माना किया गया।

मुरादाबाद

११ अगस्त को ३५-४० हजार आदमियों का एक विशाल जुलूस, जिसमें हिन्दू, मुसलमान दोनों सम्मिलित थे, निकला और थाने तथा कचहरियों की ओर बढ़ने लगा। पुलिस ने इस पर गोली चलाई और अन्त में फौज को बुलाया गया। फलस्वरूप लगभग १५ व्यक्ति मरे और ५० घायल हुए। १२ ता० को जनता ने रेलवे स्टेशन और वुकिंग आफिस पर आक्रमण किये। यहां ४७ व्यक्ति गिरफ्तार हुए और ३६ को सजायें हुईं। १७,३६७ रु० सामूहिक जुर्माना किया गया।

विजनौर

६ अगस्त को पुलिस ने स्थानीय जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर धावा बोला और सारा सामान उठा ले गई। विजनौर के प्रायः सभी कांग्रेस-जन बन्दी बना लिये गए। गांवों में भी लोग ढूँढ-ढूँढ कर पकड़े जा रहे थे। १२ ता० को धामपुर में विद्यार्थियों का एक जुलूस निकला। रास्ते में पड़ने वाले सरकारी स्थानों, तहसील और थानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। डाकखानों को जलाया गया। स्टेशन पर पहुंचकर वहां के टेलीफोन के तार आदि काट डाले गए। १३-१४ अगस्त को चान्दपुर के और वहां के नागरिकों का सम्मिलित जुलूस निकलकर पर झंडा लगाया गया। १४ ता० को भी जुलूस निकला।

पीशे तोड़े गए । १६ अगस्त को नूरपुर थाने के अनेक ग्रामों की जनता का एक विशाल जुलूस निकला । भीड़ ने फेजपुर और गोहावर के नलदार कुएं, पी० डबल्यू०डा० के बंगले और रतनगढ़ पोस्ट ऑफिस को तोड़-फोड़ डाला । नूरपुर थाने की पुलिस पहले से बन्दूकों से सुसज्जित खड़ी थी । जुलूस अभी कस्बे तक न पहुंच पाया था कि पुलिस ने लाठी-चार्ज करना शुरू कर दिया, किन्तु जुलूस बढ़ता ही गया । थाने के पास से गुजरने पर जुलूस पर घड़ाघड़ गोली चलने लगी । एक व्यक्ति घटनास्थल पर ही अमर-मति को प्राप्त हुआ और एक बाद में जेल में मर गया । लगभग १० व्यक्ति लाठी-चार्ज से घायल हुए ।

१७ अगस्त से ११ नवम्बर सन् १९४२ तक जिले की घटनाओं की सूची इस प्रकार है:—

(१) प्रान्तीय रोड अखेड़ा के पास काट दी गई। हल्दौर कस्बे में जुलूस पर गोली चली जिसमें ६ आदमी घायल हुए । (२) श्यामपुर थाने का एक सिपाही लापता होगया । (३) जाहनगर के पास मोटर जलाया गया । (४) लाम्घा खेड़ा गांव के पास तार काटे गए । (५) कासमपुर गढ़ का पुल तोड़ा गया । (६) नगीना हाई स्कूल का रिकाडें जला दिया गया । (७) दारानगर मेला में जुलूस निकला और विभिन्न स्थानों के तार काटे गए ।

(१) फीनाग्राम में ८० गोरखे सैनिकों ने लोगों को पीटा और उनके घरों को तबाह किया । (२) गोहावर में पुलिस ने लूटमार की और स्त्रियों के आभूषण उतार लिये गए । (३) गोपालपुर गांव लूटा गया । (४) डेलीग्राम के साथ खेत की फसल भी लूट ली गई । एक आदमी को पीटते-पीटते बेहोश कर दिया गया । (५) अंधाई अहीर में एक घर लूटा गया । (६) अखेड़ा और मनकुआ गांवों में पुलिस ने लोगों को लूटा । (७) श्यामर में पुलिस ने बुरी तरह लूट मचाई और लगभग ८० मवेशी ले गई, जिन्हें ७०० रुपए में नीलाम कर दिया गया ।

इस जिले में २१ नजरबन्द हुए, ६२ गिरफ्तार किये गए और १०७ दण्डित किये गए । ६ व्यक्ति गोली से मरे और १० घायल हुए । ३०,८०० रु० सामूहिक जुर्माना किया गया ।

गढ़वाल

अन्य स्थानों की भांति यहां भी छात्रों का आन्दोलन में प्रमुख हाथ रहा । उनका एक शानदार जुलूस निकला । उनके साथ कुछ नागरिक भी सम्मिलित थे । जुलूस में सरकारी नौकरों के लड़के भी शामिल थे । जुलूस का

नेतृत्व एक रायबहादुर महोदय के पुत्र कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर ने जुलूस पर गोली चलाने की आज्ञा दे दी थी, किंतु उसे वापस लेना पड़ा, कारण, लोगों ने कहा कि वे सब सरकारी कर्मचारी, जिनके लड़के जुलूस में सम्मिलित हैं, सरकार के खिलाफ हो जायेंगे। अन्त में नवयुवकों ने अदालत पर भंडा फहरा दिया। स्थानीय प्रमुख कार्यकर्ता बन्दी बन चुके थे। किंतु मंडलों के कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी में पुलिस को कठिनाई पेश आई। अतः वाद में जगह-जगह उनकी गिरफ्तारी के लिए फौज की सहायता की मांग की गई।

आन्दोलन-काल में जनता की स्थान-स्थान पर अदालतें खोली गईं। आज़ादी के संग्राम के रंगरूट तैयार करने के लिए शिक्षण-शिविर कायम हुए। पुरानी सरकार का कारोबार विलकुल बन्द कर दिया गया। देहातों के प्राइमरी स्कूल बन्द हो गए थे, विद्यार्थी नई सरकार के कामों में हाथ बटाने लगे थे। उन्होंने बाल-सेना का संगठन किया। स्वयंसेवक एक स्थान से दूसरे स्थानों में जाकर जनता को देश की घटनाओं से परिचित कराते थे। भूठी सरकारी अफवाहों को दबाते और पुलिस की भावी कार्रवाइयों से जनता को आगाह करते थे। जिले में एक-आध जगह गोली भी चलाई गई। चार आदमी मरे और ७ घायल हुए।

इस जिले में पुलिस जनता को दबाने में प्रायः असफल रही और उसे जगह-जगह फौजियों से सहायता लेनी पड़ी। किंतु हिंदुस्तानी फौज भी अपने भाइयों पर अमानुषिक दमन करने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हो सकी। अतः हिंदुस्तानी फौज की हर एक टुकड़ी में कुछ गोरे आफिसर रखे गए और उन्हें दमन करने के लिए बाध्य किया गया। फौजी छिपे हुए कांग्रेस के कर्मचारियों के घर जाते थे और उनके घर वालों के साथ अमानुषिक अत्याचार करते थे। घर वालों के साथ मार-पीट की जाती थी। उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता था। बाद में उनका माल लूट लिया जाता था। फौजियों ने कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं के अलावा सर्वसाधारण नागरिकों को भी अपने ऐसे ही अत्याचारों का शिकार बनाया। ५,६५९ रु० सामूहिक जुर्माना किया गया।

अल्मोड़ा

९ अगस्त '४२ को, पं० गोविन्दवल्लभ पंत और अल्मोड़ा जिले के नेता पं० हरगाविन्द पंत एम० एल० ए० व सभापति जिला कांग्रेस कमेटी, गिरफ्तार कर लिये गए। दूसरे नेता पं० मदनमोहन उपाध्याय की गिरफ्तारी का वारण्ट जारी हुआ। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए सारी ताकत लगा दी, किन्तु जनता के विशेष संगठन के कारण वह उन्हें न पकड़ सकी। बाद में उन्होंने स्वयं अपने

पीशे तोड़े गए । १६ अगस्त को नूरपुर थाने के अनेक ग्रामों की जनता का एक विशाल जुलूस निकला । भीड़ ने फेजपुर और गोहावर के नलदार कुएं, पी० डबल्यू०डी० के वंगले और रतनगढ़ पोस्ट ऑफिस को तोड़-फोड़ डाला । नूरपुर थाने की पुलिस पहले से बन्दूकों से सुसज्जित खड़ी थी । जुलूस अभी कस्बे तक न पहुंच पाया था कि पुलिस ने लाठी-चार्ज करना शुरू कर दिया, किन्तु जुलूस बढ़ता ही गया । थाने के पास से गुजरने पर जुलूस पर घड़ाघड़ गोली चलने लगी । एक व्यक्ति घटनास्थल पर ही अमर-गति को प्राप्त हुआ और एक बाद में जेल में मर गया । लगभग १० व्यक्ति लाठी-चार्ज से घायल हुए ।

१७ अगस्त से ११ नवम्बर सन् १९४२ तक जिले की घटनाओं की सूची इस प्रकार है:—

(१) प्रान्तीय रोड अखेड़ा के पास काट दी गई। हल्दीर कस्बे में जुलूस पर गोली चली जिसमें ६ आदमी घायल हुए । (२) श्यामपुर थाने का एक सिपाही लापता होगया । (३) जाहनगर के पास मोटर जलाया गया । (४) लाम्वा खेड़ा गांव के पास तार काटे गए । (५) कासमपुर गढ़ का पुल तोड़ा गया । (६) नगोना हाई स्कूल का रिकार्ड जला दिया गया । (७) दारानगर मेला में जुलूस निकला और विभिन्न स्थानों के तार काटे गए ।

(१) फीनाग्राम में ८० गोरखे सैनिकों ने लोगों को पीटा और उनके घरों को तबाह किया । (२) गोहावर में पुलिस ने लूटमार की और स्त्रियों के आभूषण उतार लिये गए । (३) गोपालपुर गांव लूटा गया । (४) डेलीग्राम के साथ खेत की फसल भी लूट ली गई । एक आदमी को पीटते-पीटते बेहोश कर दिया गया । (५) अंयाई अहीर में एक घर लूटा गया । (६) अखेड़ा और मनकुष्मा गांवों में पुलिस ने लोगों को लूटा । (७) श्यामर में पुलिस ने बुरी तरह लूट मचाई और लगभग ८० मवेशी ले गई, जिन्हें ७०० रुपए में नीलाम कर दिया गया ।

इस जिले में २१ नजरबन्द हुए, ६२ गिरफ्तार किये गए और १०७ दण्डित किये गए । ६ व्यक्ति गोली से मरे और १० घायल हुए । ३०,८०० रु० सामूहिक जुर्माना किया गया ।

गढ़वाल

अन्य स्थानों की भांति यहां भी छात्रों का आन्दोलन में प्रमुख हाथ रहा । उनका एक शानदार जुलूस निकला । उनके साथ कुछ नागरिक भी सम्मिलित थे । जुलूस में सरकारी नौकरों के लड़के भी शामिल थे । जुलूस का

नेतृत्व एक रायबहादुर महोदय के पुत्र कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर ने जुलूस पर गोली चलाने की आज्ञा दे दी थी, किंतु उसे वापस लेना पड़ा, कारण, लोगों ने कहा कि वे सब सरकारी कर्मचारी, जिनके लड़के जुलूस में सम्मिलित हैं, सरकार के खिलाफ हो जायेंगे। अन्त में नवयुवकों ने अदालत पर भंडा फहरा दिया। स्थानीय प्रमुख कार्यकर्ता वन्दी बन चुके थे। किंतु मंडलों के कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी में पुलिस को कठिनाई पेश आई। अतः वाद में जगह-जगह उनकी गिरफ्तारी के लिए फौज की सहायता की मांग की गई।

आन्दोलन-काल में जनता की स्थान-स्थान पर अदालतें खोली गईं। राजादी के संग्राम के रंगरूट तैयार करने के लिए शिक्षण-शिविर कायम हुए। पुरानी सरकार का कारोदार विलकुल बन्द कर दिया गया। देहातों के प्राइमरी स्कूल बन्द हो गए थे, विद्यार्थी नई सरकार के कामों में हाथ बटाने लगे थे। उन्होंने बाल-सेना का संगठन किया। स्वयंसेवक एक स्थान से दूसरे स्थानों में जाकर जनता को देश की घटनाओं से परिचित कराते थे। भूठी सरकारी अफवाहों को दवाते और पुलिस की भावी कार्रवाइयों से जनता को आगाह करते थे। जिले में एक-बाध जगह गोली भी चलाई गई। चार आदमी मरे और ७ घायल हुए।

इस जिले में पुलिस जनता को दवाने में प्रायः असफल रही और उसे जगह-जगह फौजियों से सहायता लेनी पड़ी। किंतु हिंदुस्तानी फौज भी अपने भाइयों पर अमानुषिक दमन करने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हो सकी। अतः हिंदुस्तानी फौज की हर एक टुकड़ी में कुछ गोरे आफिसर रहे और उन्हें दमन करने के लिए बाध्य किया गया। फौजी छिपे हुए जाइंट के कार्याचारियों के घर जाते थे और उनके घर वालों के साथ अमानुषिक व्यवहार करते थे। घर वालों के साथ मार-पीट की जाती थी। उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता था। वाद में उनका माल लूट लिया जाता था। फौजियों ने कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं के अलावा सर्वसाधारण नागरिकों को भी अपने हाथों में अत्याचारों का शिकार बनाया। ५,६५९ रु० सामूहिक जुर्माना किया गया।

अल्मोड़ा

९ अगस्त '४२ को, पं० गोविन्दवल्लभ पंत और अल्मोड़ा जिले के नेता पं० हरगाविन्द पंत एम० एल० ए० व सभापति जिला कांग्रेस कमेटी, गिरफ्तार कर लिये गए। दूसरे नेता पं० मदनमोहन उपाध्याय की गिरफ्तारी का दारुण जारी हुआ। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए सारी ताकत लगा दी, किंतु जनता के विशेष संगठन के कारण वह उन्हें न पकड़ सकी। वाद में उन्होंने स्वयं अपने

को पुलिस को सौंप दिया। किन्तु लोग भुण्ड-के-भुण्ड उन्हें छुड़ाने को निकल पड़े। पुलिस डर गई और उसने उपाध्याय जी को मुक्त कर दिया। सरकार ने बाद में उन्हें जिन्दा या मरा गिरफ्तार कर लाने वाले को दो हजार रुपया इनाम देने की घोषणा की। एक स्पेशल अंग्रेज आफिसर ५० खुफिया पुलिस वालों के साथ लखनऊ से भेजा गया, किन्तु वह भी नहीं पकड़ सका। इसी तरह यहां के अन्य कई प्रमुख नेताओं को पुलिस नहीं पकड़ सकी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए आन्दोलन को काबू में करना एक टेढ़ी खीर थी। देहाती जनता इतनी संगठित थी कि सरकारी कर्मचारियों को किसी बात में सहयोग नहीं मिलता था। यहां तक कि उनको कहीं-कहीं खाना मिलना भी मुश्किल हो गया। पूरनचन्द जोशी नामक पुलिस के एक सिपाही को एक साल की कड़ी सज़ा दी गई, क्योंकि उसने अफसरों से कह दिया था कि मैं देहातों की ड्यूटी तभी बजा सकता हूं जब कि सरकार मेरे खाने का वहां प्रवन्ध करे।

सरकार ने सैकड़ों की तादाद में गोरी फौजें गांवों में भेजीं। उन्हें पूरी सतर्कता से काम लेना पड़ता था। दो गोरे फौजी बन्दूक लेकर आगे चलते थे और कुछ दूर तक जाकर पिछली फौज को रास्ता खतरनाक न होने की भंडी देते, तब फौज आगे बढ़ती थी। नवयुवकों को इकट्ठा करने के लिए यहां एक रणसिगा बाजा काम में लाया जाता था।

अधिकारियों को यह खबर मिली कि उपाध्यायजी कुछ कार्यकर्त्तियों के साथ सल्ट इलाके में हैं। यह सुनकर जॉन साहब एक सौ हथियारबन्द पुलिस के साथ ५ सितम्बर को खुमाडू गांव में आ बमके। उनको देखते ही नवयुवकों का रणसिगा बाजा। 'अंग्रेजो हिन्दुस्तान छोड़ो' का नारा बुलन्द हुआ। इस पर दनादन गोलियां चलने लगीं। कारतूस खतम होने पर जॉन साहब ने अपनी रिवाल्वर से गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे ४ व्यक्ति शहीद हुए और ११ सल्ट घायल। जनता उस समय बहुत उत्तेजित थी, किन्तु अपने नेताओं के आदेशानुसार ऐसी परिस्थिति में भी वह अहिंसक ही रही। एक वृद्ध ने गुस्से में लाठी अवश्य चलाई, किन्तु एक कांग्रेसी ने लाठी अपने हाथ में रोक ली, जिससे उसका हाथ टूट गया।

देघाट में हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ जमा थी। नेता लोग भाषण दे रहे थे। प. काले बाजार के मकान में छिप कर बैठ गए और भाषण सुनने जनता खालों ने मकान की खिड़की

अल्मोड़ा शहर में विद्यार्थियों के जुलूस पर लाठी प्रहार किया गया। विद्यार्थी हवालात में रखे गए और तेल के भिगोये हुए बँतों से पीटे गये। एस० डी० ओ० पुलिस जत्ये के साथ देहाती इलाके में गये और देहातियों पर तरह-तरह के जुल्म किये। ६०० कांग्रेस-कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया गया।

ना० २ सितम्बर को डिप्टी कमिश्नर ने गोरी पल्टन को लेकर गांधी आश्रम घेर लिया। ६८ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और ३६ कमरों के सील-मोहर लगादी।

सालम इलाके में गोरी फौज ने गोली चलाई जिससे दो आदमी मर गए। इसके बाद जाट फौज ने अनेक अत्याचार किये। घरों में आग लगादी और फसल बरबाद कर दी।

इस जिले में ६५० व्यक्ति गिरफ्तार हुए। ६५ व्यक्तियों को १३ से २८ साल तक की सजायें दी गईं। लगभग ८० व्यक्ति नजरबन्द किये गए। ५३, ८५० रु० सामूहिक जुर्माना किया गया।

एक अंग्रेज महिला ने अपना नाम सरला बहन रखा। उन्होंने सोलह महीने तक पीड़ितों की अकथनीय सेवा की। इस पर उन देवी को ३ मास की सजा हुई थी।

इन प्रधान-विविध जिलों के अतिरिक्त बाकी स्थानों पर नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में हड़तालें की गईं, जुलूस निकाले गए तथा विशाल सभाएं करके 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव को दुहराया गया। इसके अलावा निम्न स्थानों का और विशेष वर्णन नहीं मिला है। हाँ, सामूहिक जुर्मानों एवं गिरफ्तारियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसे पाठकों की जानकारी के लिए हम नीचे देते हैं—

स्थान	गिरफ्तार	सजाएँ	नजरबन्द	सामूहिक जुर्माना
देहरादून	—	—	—	१,००० रुपये
सहारनपुर	—	—	—	५४,६७३ ,,
मुजफ्फर नगर	४६	४४	६	६,००० ,,
भरठ	२४८	२४८	३५९	१,६७,४३२
बुलन्दशहर	१३७	१७०	६७	३२,२५८-२-३
मेनपुरी	२३२	३७	१६	२१,२०० रु०
एटा	—	—	—	३,५६०-५-४
बरेली	—	—	१८८	७,७१२ रु०

स्थान	गिरफ्तार	सजाएँ	नजरबन्द	सामूहिक जुर्माना
बदायूं	८	४	११	४,५०० ,,
शाहजहाँपुर	—	—	—	१,२२९ ,,
पीलीभीत	१२७	८३	७	—
फर्रुखाबाद	—	—	—	११,५७५ ,,
इटावा	४४	१४	१९	८६,३३६-४-०
फतेहपुर	४३	२६	१२	१८,७५० रु०
वाँदा	—	—	—	२,००० ,,
हमीरपुर	१३	१३	२७	१,८५० ,,
झाँसी	५१	३६	१०	३,८५० ,,
जालौन	—	—	—	२,६०५ ,,
मिर्जापुर	—	—	—	—गोली चली १०,१९० ,,
बस्ती	१४६	८६	१९३ गोली चली	४,४५० ,,
नैनीताल	१९	८	२८	२२,७११-२-१
उन्नाव	२८	२२	१७९	५,७५० रु०
रायबरेली	—	—	—	३,३०० रु०
सीतापुर	११७	७९	४७ गोली चली	—
हरदोई	१०७	६४	११२ गोली चली	६,६७२ रु०
खेड़ी	६७	४१	१७	३८,३२३ ,,
फैजाबाद	४३	१४	४०	२६,६५० ,,
बहराइच	४२	८७	६	—
मुल्तानपुर	—	—	—	७०० रु०
प्रतापगढ़	—	—	—	१२,४५० रु०
वाराणसी	८३	५३	२५	७,५०० रु०

: ८ :

बंगाल प्रान्त में खुला विद्रोह

जन-प्रयास और दमन के आंकड़े

आन्दोलन के पहले नजरबन्दों की संख्या	२,०००
गिरफ्तारियां	२,५७८
सजाएं	३५८
हड़तालें	११४
सभाएं	१६८
जुलूस	२२२
लाठी-प्रहार	६८ बार
गोली चली	४४ बार और १६ जगह
अश्रु गैस का प्रयोग	११ बार
वरवाद तथा क्षतिग्रस्त डाकखाने	११८ से अधिक
वरवाद तथा क्षतिग्रस्त यूनियन बोर्ड	५७ से अधिक
वरवाद तथा क्षति ग्रस्त कर्ज समझौता बोर्ड	२१
वरवाद पंचायत यूनियनों	२०
वरवाद तथा क्षतिग्रस्त डाक बंगले	१४
सरकारी इमारतों पर भंडे फहराये गए	२०
घानों की संख्या जिन पर हमले किये गए और जिन्हें	
वरवाद और क्षतिग्रस्त किया गया	११
नशीली वस्तुओं की दूकानें वरवाद तथा क्षतिग्रस्त की गईं	२६
गैर कांग्रेसी संस्थाओं की गुप्त सभाएं	२१
सरकारी नौकरों के इस्तीफे	१५७
सरकारी नौकर मुअत्तल किये गए	२६९९
अदालतों तथा स्टेशनों आदि पर पिकेटिंग	३२ जगह
अदालतों पर हमले	

मजदूरों की हड़तालें	४०
द्रामों को जलाया तथा बरबाद किया गया	१८
टेलीफोन के तार काटे गए	६९ इलकों के
रेल गाड़ियों को गिराया तथा पटड़ियों को उखाड़ा गया	१६ जगहों पर
पुल तथा पुलिया बरबाद किये गए	३०
रेलवे और स्टीमर स्टेशनों पर हमले	१४
सामूहिक जुर्माना	८५,००० रुपया
छीने गए घरों की संख्या	८
छीने गए सरकारी स्थान	३३
दूसरी सरकारी जगहें जहाँ हमले किये गए और क्षति पहुंचाई गई	३०
खास महल आफिस बरबाद किये गए	६
सब रजिस्ट्री आफिस बरबाद किये गए	४
जमींदारी कचहरियां बरबाद की गईं	१८
सरकारी हथियारों पर कब्जा	२ तलवारें १३ बन्दूकें
कांग्रेस दफ्तर जिनमें ताले लगा दिये गए	१६

बंगाल का विद्रोह

बंगाल प्रांत गंगा के निचले भाग तथा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टे में बसा हुआ है। उत्तर में इसके हिमालय है और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी। जलवायु समशीतोष्ण है। यहां पर नील, जूट, अफीम, चावल, कपास, चाय, आदि वस्तुएं पैदा होती हैं। कोयले तथा तांबे की भी यहां पर खानें हैं। औद्योगिक दृष्टि से यह प्रांत काफी उन्नतिशील है। शिक्षा प्रचार में भी बंगाल बड़ा-चड़ा है। यहां कलकत्ता विश्वविद्यालय के अलावा सैकड़ों स्कूल और कालेज हैं। बंगाल का ब्रह्मपुत्र वाला मैदान काफी उपजाऊ है और खावपाशी के लिए सैकड़ों नहरें यहां सड़कों की भांति बनी हुई हैं। बंगाल के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में काफी मात्रा में जंगल हैं।

इस प्रान्त में लगभग ५३ प्रतिशत मुसलमान और ४३ प्रतिशत हिन्दू रहते हैं। इनकी भाषा बंगला है और यह देखने, बोलने तथा रहन-सहन में सब एक ही जाति के मालूम देते हैं। बंगाल में २८ जिले हैं।

बंगाल कृषि प्रधान प्रान्त है। यहां की जनता गांवों में घनी बसी हुई। यहां के लोग स्वभावतः भावुक और कुशाग्र वृद्धि होते हैं। किसी भी अप्रिय

घटना का विरोध वे तीव्रता पूर्वक करते हैं। उनमें दल बनाने व टुकड़ियों में कार्य करने की प्रवृत्ति है। इन सब बातों का वहां के आन्दोलन पर गहरा असर पड़ा है।

बंगाल को राष्ट्रीयता का पिता तथा आतंक-कारी षड्यंत्रों का घर कहते हैं। सन् १९३० से पहले बंगाल प्रान्त हर राष्ट्रीय आन्दोलन में सबसे आगे रहा है। लेकिन इसके पश्चात् दुर्भाग्य से बंगाल की राजनीति ने पलटा खाय। कुछ तो नेताओं के आपसी संघर्षों के कारण और कुछ बढ़ते हुए मुस्लिम लीग के प्रभाव के कारण बंगाल स्वाधीनता के लिए होने वाले सामूहिक आन्दोलनों में पिछड़ता गया। सन् १९३२, ४० व ४२ के आन्दोलनों में बंगाल अपने पुराने नाम को कायम न रख सका। सन् १९४२ के आन्दोलन की गति-विधि इतनी व्यापक व शक्ति-शाली न रहा, उसके हमारे विचार से निम्न-लिखित कारण हैं :—

१. बंगाल में कांग्रेसी नेतृत्व अधिकांशतः उच्च-श्रेणी के जमींदारों और खाते-पीते मध्यम श्रेणी के लोगों के हाथ में है। इन लोगों का जनता के साथ इतना गहरो सम्बन्ध नहीं है कि जनता उन्हें अपनी आशाओं व आकांक्षाओं का केन्द्र समझ सके।

२. बंगाल के लोगों का किसी एक नेतृत्व में पूर्णतः विश्वास नहीं है। वह स्वभावतः षड्यंत्रों तथा आतंककारी प्रयत्नों की सराहना करते हैं। उनका गान्धीजी की विचार-धारा तथा सामूहिक विद्रोह की कला में दृढ़ विश्वास नहीं है। इस कारण बंगाल में कोई भी सुसंगठन व सुदृढ़ नेतृत्व स्थापित नहीं हो पाया है।

३. बंगाल में पिछले कुछ सालों से मुस्लिम लीग का प्रभाव बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण प्रान्त की अधिकांश मुस्लिम जनता कांग्रेस-आन्दोलन को अपनी आकांक्षाओं के विरुद्ध समझने लगी है।

४. प्रान्त की आवादी इस प्रकार वसी हुई है कि पश्चिम के दो डिवीजनों में हिन्दुओं की आवादी अधिक है और पूर्व की दो कमिश्नरियों में मुसलमानों की। आवादा के इस विभाजन के कारण आन्दोलन का जोर मुख्यतः दो डिवीजनों तक ही रहा जहां पर कि हिन्दुओं की आवादी अधिक है।

५. बंगाल में आन्दोलन मिदनापुर में अधिक हुआ, क्योंकि यह काशी जागृत जिला है और यहां के लोगों को युद्ध के कारण अनेक कष्ट हो रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्यशाही ने कन्टाई से लेकर रांची तक अपनी पहली रेल लाई बनाई थी और लोगों को विश्वास था कि जापानी लोग कन्टाई से आकर...

उतरंगे। सुन्दरबनी ने भौगोलिक दृष्टि से वीरभूमि, जलपाईगुरी और अतराई के इलाके इन इलाकों में गान्धीजी के रचनात्मक थे। पूर्वी इलाके में आन्दोलन का रूप नौकरशही अधिक रहा। इन जिलों में जर्मयंतुल-उलेमा बंगाल के उत्तरी भाग में मालदा ताल्लुके में व्यापक रही। यहां के किसानों में कांग्रेस नेत

मिदनापुर

मिदनापुर ने बंगाल प्रान्त के नाम दिया। यहां के लोगों ने दोनों प्रकार की विचारों से मकोवला किया और अपने संघर्ष को सफल अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि मिदनापुर के लोगों ने किया। उन्होंने एक ओर नौकरशाही ढांचे किया और दूसरी ओर ग्रामीण राज्य की स्थापना तथा रक्षात्मक दोनों ही प्रकार की लड़ाइयों का उग्र व व्यापक रूप तामलुक और कन्टा इलाके हैं जहां युद्ध-काल में लोगों पर अनेक रांची-कन्टाई एयर लाइन बनने के कारण हवाई जहाजों के भ्रष्टे बनाये गए। उनके लिए और किसानों को बेदखल किया गया। फौज के सबसे पहले ले ली जाती थीं। आमदोरस्त नौकाएं इत्यादि सरकारी कार्य के लिए ले लिए पर तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगा दिये गए। वह सकती थीं। एक ओर दुर्मिक्ष की आशंका दूसरी ओर किसीभी क्षण जापानियों के कन्टाई दो पाटों के बीच पिस रही थी। फिर रखी थी। जनता को जबरदस्ती युद्ध असन्तोष फैला हुआ था। एक नया जीवन फूंक दिया।

९ अगस्त से पहले मिदनापुर

चलाने की कल्पना कर रहे

भी कर ली थी। उन्हें न

कारण वह स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर दोनों का मुकाबला करने की योजना सोच रहे थे। उनका विश्वास था कि यदि ऐसा कुछ न किया गया तो जापाना-आक्रमण के समय सारे इलाके में अव्यवस्था फैल जायगी।

बम्बई में नेताओं की गिरफ्तारी की मिदनापुर जिले में काफी व्यापक व उग्र प्रतिक्रिया हुई। हड़ताल, जुलूस, विरोध-प्रदर्शन जिले भर में शुरू हो गये। अपने को आजाद समझने तथा अपनी सरकार के मातहत रहने की घोषणा की गई। सरकारी अदालतों और दफ्तरों के सामने प्रदर्शन होते थे और उनमें स्वतंत्रता की यह घोषणा की जाती थी। महिषादल थाने के सामने एक घोषणा की गई, जिसमें अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई का ऐलान किया गया। तामलुक सब डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर पुलिस के साथ हथियारों से सुसज्जित होकर घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने गोलियां चलाने का हुक्म दिया। पर सिपाहियों ने गोलियां चलाने से साफ इन्कार कर दिया और डिप्टी कमिश्नर जनता की थाना सौंप कर वापस लौट गये। यह इस प्रकार की पहली घटना थी। यहां के लोगों ने अपने अखबार व छापेखाने स्थापित किये। इतना ही नहीं, डाक को इधर-उधर भेजने तथा बंटवाने का प्रवन्ध भी जनता ने स्वयं ही किया।

इस जिले के आन्दोलन की दूसरी मुख्य बात यह है कि यद्यपि गांवों और कस्बों में पुलिस ने बड़ी वेदरों के साथ गोलियां चलाई तथा गांवों में आग लगाई और सम्पत्ति को लूटा, स्त्रियों के सतीत्व को नष्ट किया, पर फिर भी एक भी मिसाल इस बात की नहीं मिलती कि जनता ने किसी सरकारी नौकर को कत्ल किया हो। हां, उन्हें गिरफ्तार अवश्य किया और उनसे नई सरकार के प्रति वफादार रहने का वादा कराया। जिन लोगों को जेल में रखा गया, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया।

तामलुक और कंटाई के तूफानी केन्द्र

नेताओं की गिरफ्तारी के पश्चात् मिदनापुर जिले के इन दो सब डिवीजनों में ऐसा कोई भी गांव न होगा जहां पर जुलूस न निकाले गए हों और जलसे न हुए हों। सारे स्कूल व कालेज बन्द हो गए। अदालतों और डाकखानों पर पिकेटिंग हुई। टोपों की होलियां जलाई गईं। आन्दोलन का यह पहला दौर था। दूसरे दौर में जनता ने सरकारी राजसत्ता के चिह्नों पर कब्जा करने की कोशिश की। जिले भर में डाकखानों की सामग्री जला दी गई और २० से ३० यूनिशन बोर्डों की इमारतों को भी क्षति पहुंचाई गई। कर्जा बोर्डों

के रेकार्ड भी कितनी ही जगह जला दिये गए और इन बोर्डों की इमारतों को भी जलाया गया। कितने ही डाक बंगले धराशायी कर दिये गए और न जाने कितनी ताड़ा व शराव की दूकानें मटियामेट कर दी गईं। आधे दर्जन से अधिक अफीम की दूकानों के रेकार्डों को जला दिया गया और अनेक सब मजिस्ट्रेटों के दफतर और खास महल दफतरों को जला दिया गया। कई अदालतों पर जनता का सामूहिक आक्रमण हुआ और उनपर स्वतन्त्र प्रजातंत्र का झंडा फहराया गया। इन सब सामूहिक प्रहारों में २०, ३० हजार तक जनता शरीक होती थी। कितने ही चुंगी के दफतर, सफाई इंस्पेक्टरों के घर और पुलिस क्वार्टर जला दिये गए। कुछ सरकारी नावों को भी क्षति पहुंचाई गई।

प्रायः सारे ही जिले में सड़कों, पुलों, पुलियों आदि को काफी क्षति पहुंचाई गई। टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काटे गए। डाकखानों को लूटा गया और नावों को क्षति पहुंचाई गई। यह तो संहार का काम हुआ, रचनात्मक दृष्टि से गांव-गांव में स्वराज्य पंचायतें कायम की गईं। कई मुख्य जगहों पर प्रजातंत्र की अपनी अदालतें, थाने, दफतर, जेल आदि स्थापित किये गए जिनमें तामलुक और कंटाई मुख्य थे। इस तरह ब्रिटिश सैनिक शक्ति के बावजूद जनता ने अपनी सरकार स्थापित की, जिसकी अपनी अदालतें थीं और जिनका वाकायदा इजलास होता था। स्वयंसेवक कौमी पुलिस का काम करते थे।

राष्ट्रीय सरकार के कार्य

तामलुक सब डिवीजन में अगस्त सन् १९४२ से सन् १९४४ तक प्रजातंत्री राष्ट्रीय सरकार ने जो काम किये, उनकी सूची इस प्रकार है:—

७ पुलिस स्टेशनों पर हमले किये गए। १ पुलिस स्टेशन पर कब्जा किया गया। अधिकार करने के बाद १ पुलिस स्टेशन, २ सब रजिस्ट्री आफिस, १३ डाकखाने, १ खास महल आफिस, १७ शराव की भट्टियां, ४ डाक बंगले, १४ डी० एस० बोर्ड, ९ यूनियन बोर्ड, १६ पंचायत बोर्ड, २४ जमींदारी कचहरियां और ३५० चौकीदारों के कपड़े जला दिये गए। १३ ब्रिटिश अफसरों को गिरफ्तार किया गया, किंतु बाद में छोड़ दिया गया। ६ चन्दूकों और २ तलवारें छीन कर नष्ट कर दी गईं। २० स्थानों पर एल० वी० तथा डी० वी० सड़कों को काटा गया, ४७ जगह सड़कों पर पेड़ काट कर डाले गए और ३० पुल नष्ट किये गए। २० मील की दूरी में तार काटे गए और १९४ पोस्टवाक्स तोड़े गए।

राष्ट्रीय सरकार ने पांच थाने और सब डिवीजन तथा ६ यूनियन

पंचायतें कायम कीं। ६६ दस्तावेजों की रजिस्ट्री हुई, २९०७ मुकदमे दायर हुए और १६८१ फंसले हुए। २५१ स्थानों की तलाशियां ली गईं और २७८ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए और बाद में छोड़ दिये गए। ५४३ व्यक्तियों पर ३३,९३७ रु० १५ आना जुर्माना किया गया। १६३ अन्य सजाएं दी गईं।

३१५४ सार्वजनिक और ५०१४ बन्द स्थानों में सभाएं हुईं।

२९,२३३ रु० ७ आ० ३ पा० नकद और ४९,६१२ रु० वस्तुओं के रूप में इस प्रकार कुल ७८,८४५ रु० ७ आ० ३ पा० सहायता-कार्यों पर खर्च किया गया।

१. नई सरकार ने दुश्मन के वे कम्प जिनका चलाना मुश्किल था और जिनको लम्बे काल तक कब्जे में नहीं रक्खा जा सकता था, अस्त-व्यस्त कर दिये।

२. ब्रिटिश सरकार के नौकरों के साथ जिन्हें गिरफ्तार किया गया, अच्छा वर्तव किया गया और उन्हें किराया देकर अपने घर घापस जाने दिया गया।

३. छीने हुए हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि उनको जमा रक्खा गया।

४. २८-६-४२ की रात में दुश्मन के ६० प्रतिशत आमदोरफ्त के रास्तों—पुल आदि को और तार तथा बेतार के सारे साधनों को अस्त-व्यस्त कर दिया गया।

५. १७-१०-४२ से सब डिवीजन में जनता की सरकार की स्थापना हुई। यहां के लोगों को विश्वास था कि इस तरह भारत के अन्य भागों में भी छोटी-छोटी अन्य सरकारें कायम होंगी और वे सब एक राष्ट्रीय फेडरेशन में सम्मिलित हो कर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करेंगी। इस सरकार का विधान प्रजातंत्री था। केवल युद्ध-काल के कारण लोगों ने एक सर्वाधिकारी नियत कर दिया था। सब डिवीजन कंटार्ई ने अपना पहला सर्वाधिकारी मुकरंर किया। उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार था। इस प्रकार इस सब डिवीजन ने चार सर्वाधिकारियों की नामजदगी की। चौथे और अन्तिम सर्वाधिकारी ने वाद महात्मा गांधी के हुकम से आत्मसमर्पण कर दिया। इस सर्वाधिकारी की मदद करने के लिए एक मंत्रि-मंडल था और इसके सदस्यों के पास अलग-अलग महकमे थे—जैसे शिक्षा, न्याय, अर्थ व सहायता आदि। इसी प्रकार कौमी हुकूमतों के मुखतलिफ थाने स्थापित हो गए। यूनियन पंचायतें भी बन गईं।

सन् वयालीस का विद्रोह

६. इस सब डिवीजन और हाईकोर्ट में जितने पुराने मुकदमे पड़े हुए थे, उनको प्रजातंत्र की अदालत ने अपने हाथों में लिया ।

७. इस अदालत ने कुछ लोगों को सजाएं भी दीं और जो जुर्माना वसूल किया, उसे सहायता के कामों में लगा दिया ।

८. इस सब डिवीजन में कितने ही जुलूस निकाले गए जिनमें साधारणतः दो हजार से १० हजार तक लोग शरीक हुए । इनमें सब जातियों के लोग सम्मिलित होते थे । २९ सितम्बर सन् १९४२ को ४० हजार का एक विद्यालय समूह इकट्ठा हुआ और उसने थाने पर आक्रमण करने की योजना की ।

९. कभी इस इलाके के कुछ भागों में हड़तालें की जाती थीं तो दूसरे भागों में कोई अन्य सामूहिक प्रयत्न किया जाता था । इस प्रकार आन्दोलन को निरन्तर जारी रखा गया । इस सब डिवीजन में जितने भी विद्यार्थी थे उन्होंने अपने इम्तहानों की कुछ भी परवाह न करते हुए आन्दोलन में हिस्सा लिया ।

१०. जरूरतमन्द लोगों को कपड़ा, दवा, दूध तथा जरूरत की चीजें यथासम्भव सरकार की तरफ से बांटी गई । सन् १९४२ के तूफान में कितने ही लोगों की मृत्यु हुई । इस सरकार ने उन लाशों को जलवाया जो इधर-उधर दुरी तरह से पड़ी हुई थीं । लोगों के छोड़े हुए जानवरों को ढुंढवाया तथा सड़कों पर गिरे हुए पेड़ों को उठवाया ।

११. जब कांग्रेस कार्यकर्ता जेलों से छूटे तो उन्होंने अकाल के समय १॥ लाख के करीब रुपया लोगों के सहायताार्थ बांटा ।

स्वतंत्र सरकार की स्थापना का स्वाभाविक नतीजा यही होना था कि ब्रिटिश नौकरशाही अपनी पूरी ताकत से दमन करती । अतः मिदनापुर जिले के अन्दर जिस प्रकार अत्याचार हुए उनके सामने कुछ जर्मनों ने अपने विजित देशों में जो किया, वह फीका दोख पड़ता है । अश्रु गैस छोड़ी गई, उसके पश्चात् लाठियों का दौर चला और अंत में गोलियों की बौछारें हुईं । जमीन और आसमान दोनों पर से निहत्थी जनता पर मशीनगनों से हमले हुए । तलाशी के समय आदमियों और औरतों दोनों को निर्दयता के साथ पीटा गया । वच्चे भी अछूते न बच पाए । घरों को जलाया गया और स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया गया । इन सब अत्याचारों का एक ही अभिप्राय था कि जनता के हृदय में आतंक बैठा दिया जाय और उन्हें अपनी स्वतन्त्र सरकार बनाने का मजा चखाया जाय । पर मिदनापुर के दहादुर लोगों ने सब कुछ सहन किया और संघर्ष को जारी रखा ।

विद्युत-वाहिनी सेना

विद्युत वाहिनी सेना का निर्माण सर्वप्रथम महिपादल में हुआ। पीछे वह तामलुक तथा नन्दीग्राम में भी संगठित की गई। प्रत्येक विद्युतवाहिनी में एक जनरल कमांडिंग आफिसर तथा एक कमांडेंट रहते थे। यह निम्नलिखित भागों में विभक्त थी:—१. युद्ध शाखा। २. समाचार शाखा। ३. सहायता शाखा। सहायता विभाग में पूर्ण शिक्षित डाक्टर, कंपाउंडर, सवारी ढोने तथा सेवा-सुश्रूषा करने वाले लोग थे। सरकार की ओर से प्रकाशित एक पुस्तिका में इस सम्बन्ध में कहा गया है:—

“बंगाल सूबे के मिदनापुर जिले में विद्रोहियों के कार्यकलाप से प्रकट होता था कि उनके कार्य पूर्वनिश्चित योजना के अनुसार चल रहे थे। उनके पीछे गम्भीर चिन्तन तथा दीर्घदृष्टि नजर आती थी। चैतावनी भेजने के उनके तरीके सर्वथा मौलिक थे। किसी बात को फैलाने तथा किसी गुप्त योजना को कार्यान्वित करने के उनके ढंग स्पष्टतः पूर्व निश्चित संकेतों के अनुसार थे।”

राष्ट्रीय सरकार विद्युत वाहिनी को राष्ट्रीय सेना समझती थी। उनकी निम्नलिखित शाखाएं पीछे खुलीं:—

१. गुरिल्ला विभाग, २. बहनों की सेवा तथा ३. शान्ति कानून विभाग। इस अन्तिम विभाग ने मशहूर डाकुओं तथा चोरों को गिरफ्तार किया, जो उत्पात मचाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिये गए थे। इन डकैतों और चोरों के मामले राष्ट्रीय सरकार के समक्ष उपस्थित किये गए और कानून के अनुसार उनको दंड मिला।

सब डिवीजन के प्रसिद्ध नेता श्री सतीशचन्द्र समस्त ताम्रलिप्त राष्ट्रीय सरकार के प्रथम सर्वाधिकारी थे। इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार काफी लोकप्रिय हो गई। दूसरे सर्वाधिकारी थे श्री अजेयकुमार मुखर्जी, श्री सतीशचन्द्र साहू और श्री वरदाकांत कुटी।

मिदनापुर के जिले के लोगों को प्रकृति तथा सरकार—दोनों का प्रकोप भेलना पड़ा। एक ओर प्रकृति की ओर से भयंकर तूफान आया जिसने चारों तरफ बरवादी और तबाही मचा दी और दूसरी ओर सरकार ने लोगों की मुसीबत को बढ़ाया। बंगाल गवर्नर ने बंगाल असेम्बली में ‘डिनायल पालिसी’ की घोषणा की। इस के अनुसार हजारों नावें और साइकिलें जो थीं, सरकार ने छीन लीं। भारत रक्षा नियमों का मनमाना प्रयोग जिसे चाहा उसे जेल में ठूस दिया, जहां चाहा, वहां युद्ध के नाम पर सामूहिक जूसनि किए व गोलियां चलाईं।

ब्रिटिश सरकार के काले कृत्य

तामलुक सब डिवीजन में २२ स्थानों पर २५ बार गोलियाँ चलीं, जिससे ४४ आदमी मारे गए, १९९ सख्त घायल हुए और १४२ को साधारण चोटें आईं ।

६३ स्त्रियों पर बलात्कार किया गया, ३१ स्त्रियों पर बलात्कार करने की चेष्टाएं की गईं, जिन्हें गांव वालों ने बीच में पड़कर विफल किया तथा १५० स्त्रियों को अन्य तरीकों से अपमानित किया गया ।

२२६ आदमियों को चोटें आईं, १८५६ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए, ५०७६ गैर कानूनी तौर पर नजरबन्द किये गए, ६ व्यक्ति भारत रक्षा नियमों के मातहत नजर बन्द किये गये ।

४०१ स्पेशल पुलिस के सिपाही नियुक्त किये गए ।

१२४ घरों को पेट्रोल और मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया गया, जिससे १,३६,५०० रुपये की सम्पत्ति नष्ट हुई । ४६ घर तोड़-फोड़ डाले गए और १०४४ घर लूट लिये गए, जिसके फलस्वरूप २,१०,०७१० रुपये की हानि हुई । २७ घरों पर कब्जा कर लिया गया । १३,७३० तलाशियां ली गईं । ५६ परिवारों का सामान कुर्क किया गया, जिसकी कीमत २५,३६५ रुपया होती है ।

४१ गांवों पर १,६०,००० रुपया सामूहिक जुर्माना किया गया ।

१६ संस्थाओं को गैर कानूनी करार दिया गया ।

भयानक तूफान

मालूम पड़ता है प्रकृति ने सरकारी दमन को मिदनापुर के लोगों के लिए काफी नहीं समझा और उसकी भयंकरता को बढ़ाने के लिए अपना रौद्र-रूप दिखाया । १६ अक्तूबर को बंगाल की खाड़ी से एक तूफान उठा जो ४६० मील की मिनट की गति से सारे जिले पर छा गया । भयानक बारिश हुई और समुद्र में प्रलयकारी ज्वार-भाटा आया । आमतौर पर पूर्वी बंगाल और विशेषतः मिदनापुर के लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा । ब्रिटिश प्लेटून के कन्टाई स्थित कमान्डेंट का कहना है कि कन्टाई में जो तबाही हुई वह तबतक की तबाही से १० गुना बढ़ कर थी । पेड़-के-पेड़ उड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे । आदमियों और जानवरों की मुसीबत का कोई ठिकाना न था । ८० प्रतिशत घर धराशयी हो गए और इस इलाके के ७५ प्रतिशत जानवर नष्ट हो गए । इस विपत्ति की कई दिनों तक अखबारों में कोई सूचना ही नहीं दी गई । लगभग ३ नवम्बर को दुनिया ने इस का कुछ हाल जान पाया । सरकार ने

पीड़ितों को राहत देने की जो नीति अपनाई, उसने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। ऐसा प्रतीत होता था कि सरकार इस विपत्ति के समय जनता से आन्दोलन का बदला लेना चाहती है। मिदनापुर के कलेक्टर और सब डिवीजनल अफसर का खुले गवनों में कहना था कि लोगों को किसी प्रकार की सहायता न देनी चाहिए और न सरकारी कमेटी ही बनानी चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से सूचना दी कि मिदनापुर जिले में कोई भी आदमी, जो पीड़ितों को सहायता देना चाहे, न आने दिया जाय। इतना ही नहीं, यदि नाविकोंने डूबते हुए लोगों की सहायता करने का प्रयत्न किया तो उन्हें बुरी तरह से धमकाया गया। सरकारी नौकरों को अपनी मनमानी करने का काफी मौका मिला। जो गाएं दूध देती थीं उनको फौज के लिए जबरन छीन लिया गया। जो चावल जनता के पास मौजूद था, वह ले लिया गया। एक और आदमा मर रहे थे, दूसरी ओर युद्ध-प्रयास के नाम पर उनकी सामग्री छीनी जा रही थी। यह सब जुल्म जनता पर केवल इसलिए किया गया कि उसने अपनी आजादी की आकांक्षा का प्रदर्शन किया था।

कन्टाई में गोलीकाण्ड

कन्टाई के इलाके में कितने ही गोलीकाण्ड हुए। लाठीचार्ज तो रोजाना की घटनाएं थीं। लगभग १३ जगह गोलीकाण्ड हुए जिनमें ७५ आदमी मरे और २१० से अधिक जखमी हुए। कुछ गोलीकाण्डों का विवरण यहां दिया जाता है—

(१) २२-९-४२ को सबडिवीजनल अफसर सैनिक पुलिस के साथ महीशगोट पहुंचे और आसपास के कितने ही घरों को घेर लिया और वहां के लोगों को सड़क पर कार्य करने के लिए विवश किया। कुछ लोगों ने जब यह बेगार करने से इनकार किया तो ओवरसियर ने उनसे वादा किया कि उन्हें मजदूरी के पैसे दिये जायेंगे। इस पर लोग सड़कों पर काम करने लगे। उसके कुछ देर बाद जबरदस्त बारिश हुई और पुलिस के सिपाहियों ने घरों में जबरदस्ती घुसकर शरण पाने के प्रयत्न किये। सब डिवीजनल अफसर को जब यह पता चला कि गांववाले मजदूरी के पैसे मांगते हैं तो उसने लोगों को पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने उत्तेजित होकर कुछ ईंट पत्थर फेंके होंगे। इस पर पुलिस ने ३० राउण्ड गोलियां चलाई जिसके कारण २४ आदमी घायल हुए। पुलिस ३ जखमी आदमियों को महीशगोट से कन्टाई तक पैरों के बल घसीटकर ले गई। इसमें से दो आदमी अस्पताल जाते ही मर गए।

(२) २७-९-४२ को पुलिसकप्तान और सब डिवीजनल अफसर ने

एक फौजी जत्थे के साथ बेलवाली कैम्प पर आक्रमण किया। कैम्प के सारे सामान को जला दिया। इसके बाद पुलिस ने यही तरीका अन्यत्र भी अख्तियार किया। पर जनता के समूह ने इसका मुकाबला किया। समूह पर गोलियां चलाई गईं, जिसके कारण ३ आदमी वहां पर मर गए और १४ आदमी बुरी तरह से घायल हुए। पुलिस जब लूट मचा रहीं थी तो जनता के एक दूसरे समूह ने उसका मुकाबला किया। उसपर गोलियां चलाई गईं और ११ आदमी मरे तथा ७ घायल हुए।

(३) २६-९-४२ को लगभग ५ हजार आदिमियों के जुलूस ने भगवानपुर थाने पर आक्रमण कर दिया। थाने का केवल एक ही रास्ता था। पुलिस ने थाने से गोलियों की बौछारें प्रारम्भ कर दीं। १६ आदमी घटनास्थल पर ही मर गए। २० बुरी तरह से घायल हुए। मिमलोवरी स्कूल का हेड पंडित, जो एक घायल को पानी पिला रहा था, गोली से मार दिया गया।

(४) १-१०-४२ को दोपहर को जिला मजिस्ट्रेट और सब डिवीजनल अफसर सैनिक-पुलिस के एक जत्थे को साथ लेकर मरिसादा स्थान की ओर रवाना हुए। रास्ते में उन्हें जो कोई भी मिला उसे मजबूर किया कि वह उनके साथ टूटी हुई सड़क की मरम्मत करने के लिए चले। इस तरह जबर-दस्ती मार-पीटकर कुछ लोगों को पुलिस लारियों में भरकर ले जाया गया। मरम्मत का यह कार्य करते हुए रात हो गई। जिला मजिस्ट्रेट ने रोशनी के लिए नई बनी हुई मरिसदा स्कूल की इमारत को जलवा दिया। रात को पुलिस के चले जाने के बाद लोगों ने मरम्मत किये हुए रास्ते को फिर तोड़-फोड़ डाला। अगले दिन पुलिस के एक जत्थे ने जब रास्ते को पहले की तरह टूटा हुआ देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने वहां के २५ मकानों में उसी समय आग लगा दी और निरपराध लोगों को भी बड़ी बेरहमी से पीटा। टूटे हुए रास्ते को फिर से मरम्मत करवाई गई। वहां से यह जत्था जब भदनतगढ़ पहुंचा तो उसने वहां पर इकट्ठी जनता पर गोलियां चलाई जिससे २ आदिमियों की मृत्यु हुई। उनमें से एक तो वहीं घटनास्थल पर मर गया।

(५) पटासपुर पुलिस थाने में ३-१०-४२ को एस० डी० ओ०, एस० पी० और सरकिल आफिसर फौज और पुलिस के सैनिकों के एक जत्थे के साथ थाने पर पहुंचे। रास्ते में उन्हें आठ हजार आदिमियों का एक विशाल समूह मिला। इस जत्थे ने समूह को तितर-बितर करने के लिए गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई।

(६) ८-१०-४२ को एस० डी० ओ० पुलिस के एक जत्थे के साथ

तिपरापाड़ा पहुंचा और बांध पर इकट्ठे हुए कुछ लोगों पर टॉमीगन से गोलियां चलाई, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और ६ घायल हुए।

इस तरह की वेशुमार घटनाएं इस इलाके में जगह-जगह पर हुईं। कुछ मिसालें ही ऊपर दी गई हैं।

इस प्रकार बराबर गोलियां चलाने पर भी जब लोग न दबे और अहिंसक विद्रोहियों ने सूटाहेरा धाने पर कब्जा कर लिया, तो हवाई जहाज से जनता की भीड़ पर बम फेंके गए। फिर भी धाने पर पहले ही की भांति जनता का कब्जा कायम रहा।

जनता पर आतंक जमाने के लिए जिला अधिकारियों ने बहुत ही घृणित रीति से लूटने और आग लगाने की नीति को अपनाया। सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ही मकान नहीं जलाए गए, बल्कि निर्दोष गांव वालों के मकान तथा स्कूल भी जलाये गए। किसी ने स्वप्न में भी न सोचा था कि सरकार जिले की जनता की आजादी की भावनाओं को दवाने के लिए इस प्रकार के अत्याचार करेगी। डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने, जो उस समय बंगाल सरकार के मंत्री थे, बंगाल सरकार को अपने एक पत्र में लिखा था कि बंगाल सरकार की इस आशय की विज्ञप्ति के बावजूद कि शान्ति व व्यवस्था के संरक्षक सरकारी कर्मचारियों द्वारा मकानों के जलायेजाने की सरकारी नीति नहीं है, मेरे पास इस बात के काफी सबूत हैं कि इस पर अमल नहीं किया गया।

१६ अक्टूबर के भयंकर तूफान की बरबादी के १५ दिन के बाद तक इस इलाके के कुछ हिस्सों में लूट और आग की कितनी ही घटनाएं हुईं।

इस के अलावा स्थानीय मुस्लिम जनता को अपने हिन्दू पड़ोसियों के घरों को लूटने और आग लगाने के काम में सहायता देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सरकार ने मुसलमानों को हर प्रकार की सहायता देने का ही विश्वास नहीं दिलाया, बरन सब दमनकारी कानूनों के पंजों से उन्हें बरी कर दिया। दमन से बचने के लिए उनको इस बात का आदेश दिया कि वे अपने मकानों पर झंडे लगा लें।

कंटाई के कुछ आंकड़े

कंटाई सब डिवीजन में २२८ स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया या बलात्कार करने की चेष्टा की गई। १० हिन्दू स्त्रियों को गुण्डों के हवाले कर दिया गया। ९६५ घर जलाये गए, जिससे ५, ४१, ४३१, रुपये की हानि हुई। २०५९ घर लूटे गये, फलस्वरूप २,५५, २४६ रुपये की हानि हुई। १२, ६८१ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए, ६७२ को सजायें दी गईं। ६, ६८५ लठियों के प्रहार

से घायल हुए । ३०,००० रुपए सामूहिक जुर्माना किया गया । ४३८ स्पेशल कास्टेबल नियुक्त किये गए ।

स्त्रियों के साथ बलात्कार

जिले में शान्ति व व्यवस्था कायम करने के लिए जो तरीके अख्तियार किये गए, पुराने जमाने के जंगली को भी मात करते हैं । ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दलालों ने बाजारों, चौराहों और रास्तों में मनादी करा दी कि यदि देश की आजादी के लिए लड़ने वालों को उन्हें न सौंप दिया गया और लड़ाई बन्द न की गई तो लोगों की औरतों के साथ बाजारों में बड़े पैमाने पर बलात्कार किया जायगा । यह सिर्फ कोरी धमकी नहीं थी, बल्कि वस्तुतः बहुत बड़ी संख्या में औरतों पर पाशाविक हमले किये गए ।

१-९-४२ को महीपादल थाने के तीन गांव मसूरिया, दिहीमसूरिया और चंडीपुर को ६ हजार फौजी सिपाहियों द्वारा घेर लिया गया । गांव के मर्द, औरत और बच्चे बड़ी बेरहमी से पीटे गए और उनके घरों को लूटा तथा जलाया गया । इन राक्षसों को दतने पर ही सन्तोष नहीं हुआ, बल्कि ४६ औरतों के साथ बलात्कार भी किये । यही नहीं, हर औरत के साथ दो, तीन और चार सिपाहियों तक ने बलात्कार किया और कई औरतें तो बेहोश तक हो गईं ।

ऊपर की मिसाल इस प्रकार की कितनी ही घटनाओं में से एक है । यह सब घटनाएं सरकारी छानबीन द्वारा पुष्ट हो चुकी हैं, परन्तु फिर भी उन्हें दबा दिया गया है । मेरे पास ७२ औरतों के पते और उनके वयान मौजूद हैं । उनमें से कुछ वयान नीचे दिये जाते हैं:—

(१) “मैं श्रीमती सित्युबाल मैती, अबरचन्द मैती की स्त्री हूँ और चण्डीपुर ग्राम, महिपादल थाने जिला मिदनापुर की रहने वाली हूँ । मेरी अवस्था १६ वर्ष की है । मैं एक बच्चे की माँ हूँ । ९-१-४३ को ६॥ बजे सुबह नलिनी राहा कुछ फौजी सिपाहियों को लेकर मेरे मकान पर आया । कुछ सिपाही मेरे पति को जबरदस्ती पकड़ कर ले गये और इस प्रकार घर में मैं बिल्कुल अकेली रह गई । नलिनी राहा मेरे पास आया और जबरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किया । मैं बेहोश हो गई.....।

“यह मेरे साथ दूसरा बलात्कार था”

इससे पहले इस स्त्री के साथ २७-१०-४२ को बलात्कार किया गया था । दूसरे बलात्कार के बाद जो जरूम आये, उससे आहत होकर यह स्त्री ९ दिन बाद ही मर गई ।

(२) 'मैं श्रीमती झूदी पंडित, हरीपद पंडित की स्त्री हूँ और चंडीपुर गांव, थाना महिषादल, जिला मिदनापुर की रहने वाली हूँ। मेरी आयु २४ वर्ष है और मेरे तीन बच्चे हैं। ६-१-४३ की सुबह नलिनी राहा कुछ सिपाहियों के साथ मेरे मकान पर आया और कुछ सिपाही जबरदस्ती मेरे पति को पकड़ कर ले गये। नलिनी राहा के हुक्म से दो सिपाहियों ने मुझे पकड़कर मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया। मेरे शोर मचाने की कोशिश करने पर मुझे सिपाहियों और नलिनी राहा ने गोली मार देने की धमकी दी। दो आदमियों ने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मेरे पति मेरे पास थे। उनके जख्मों से खून टपक रहा था।

यह स्त्री बलात्कार के समय गर्भवती थी।

(३) मैं श्रीमती सुहानी दास, मनमथनाथ दास की स्त्री तथा चंडीपुर गांव, थाना महिषादल, जिला मिदनापुर की रहने वाली हूँ। मेरी आयु ३० वर्ष की है। मेरे एक बच्चा है। ९-१-३३ की दोपहर को नलिनी राहा कुछ फौजियों के साथ हमारे मकान पर आया। कुछ लोग मेरे पति को जबरदस्ती पकड़ कर ले गए। मैं भी पिछले दरवाजे से भागकर बांसों की झाड़ियों की तरफ जा रही थी। मुझे पीछे से दो सिपाही जबरदस्ती पकड़कर मेरे मकान पर ले आए। उन्होंने मुझे बन्दूकों के कुन्दों से मारा और जमीन पर गिरा दिया मेरे मुंह को कपड़े से बन्द कर दिया। फिर कई आदमियों ने लगातार मेरे साथ बलात्कार किया। परिणामस्वरूप मैं बेहोश हो गई।"

अगर गांव के मर्द और औरतें मिलकर इस पाशविक अत्याचार का मुकाबिला न करते तो ऐसे बलात्कारों की तादाद बहुत अधिक होती। कुछ औरतों ने तो इन मानव शरीरधारी जानवरों को छूरे दिखाकर उनसे अपने सतीत्वकी रक्षा की।

इस प्रकार की घटनाओं में औरतों के गाल काटने, उनके कपड़े उतारकर नंगा करने, उनकी छातियां काट लेने तथा निर्दयता के साथ उनको पीटने तथा घायल अवस्था में उन्हें घसीटने की घटनाएं शामिल हैं।

लोगों पर अन्धाधुन्ध सामूहिक जुर्मनि किये गये। अपराधी और निरपराध के बीच कोई भेद नहीं किया गया। प्रायः हिन्दुओं को ही सामूहिक जुर्मनों का शिकार बनाया गया।

इसके अलावा लोगों पर कई प्रकार के अत्याचार किए गए। छोटे-छोटे बच्चों को उठाकर फेंक देने और गायों को मकानों के अन्दर ही जला देने के काफ़ी उदाहरण मिलते हैं। एक बच्चे के ऊपर जूते पहनकर चलने से

सन् वयालीस का विद्रोह

उसका पैर टूट गया। कुछ लोगों को नंगा कर उनके चूतड़ों में डंडे ठूसे गये। एक लड़के को नंगा करके कास्टिक सोड़े और चूने के पानी का घोल तैयार करके उसकी मूत्रेन्द्रिय पर लगाया गया। कहने का अर्थ यह है कि मिदनापुर जिले में अत्याचार करने में पाशविकता और वर्वरता को भी लज्जित कर दिया गया।

वैलूर घाट सब डिवीजन

इस सब डिवीजन में स्थानीय कांग्रेस कमेटी के मन्त्री श्री सरोजरंजन चटर्जी ने आन्दोलन की शुरुआत के लिए १३ सितम्बर का दिन नियत किया, १३ सितम्बर की रात को स्थानीय कांग्रेस-नेताओं के नेतृत्व में गांव वालों के १०० से अधिक जत्थे वैलूर घाट में इकट्ठे कर लिये गए। इनमें से कुछ ३० मील से भी अधिक की दूरी से आकर वैलूर घाट कस्बे से ३ मील की दूरी पर अतिराई नदी के पश्चिमी घाट के किनारे डंगीघाट पर इकट्ठे हो गए। प्रातः-काल लगभग ५ हजार व्यक्ति जमा थे उन्होंने नदी को पार किया और नदी के पूर्वी घाट पर तिरंगे झंडे का अभिवादन किया। लगभग ७ बजे सब लोग कस्बे की तरफ 'बन्दे मातरम' और 'करेंगे या मरेंगे' के नारे लगाते हुए चल दिये। रास्ते में नदी के पूर्वी घाट के अन्य गांवों के लोग भी शामिल होते गये और उनकी संख्या ७ हजार के लगभग हो गई। जुलूस वैलूर घाट कस्बे के बाजारों में होता हुआ खजाने पर पहुंचा। जुलूस के नेता ने खजाने के पहरेदारों तथा कर्मचारियों को इस्तीफा देकर जनता के आन्दोलन में शामिल हो जाने को कहा। इसके पश्चात् वे लांग कस्बे के स्थानीय सरकारी तथा अर्ध-सरकारी दफ्तरों पर आक्रमण करने के लिए चले। इनमें सब रजिस्ट्री दफ्तर डाकघर, सिविल कोर्ट बिल्डिंग, कोम्पारेटिव बैंक, बंगाल आसाम रेलवे का ग्राऊट एजेंसी दफ्तर, जूट इंस्पेक्टर आफिस, अंग्रेजी शराब की दूकानें, कृषि-विभाग के दफ्तर तथा बीज गोदाम, सहायक जूट इंस्पेक्टर आफिस, और यूनियन बोर्ड आफिस आदि स्थान थे। सब रजिस्ट्री दफ्तर को आग लगाकर राख कर दिया गया, सिविल कोर्ट को भी आग से काफी नुकसान पहुंचा। कोम्पारेटिव बैंक बिल्डिंग को भी आग से हानि हुई। टेलीग्राफ के तार काट दिये गये तथा तारघर की मशीनों को तोड़ डाला गया। दूसरे दफ्तरों के कागजात तथा फरनीचर आदि को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके पश्चात् सारा जुलूस शान्ति के साथ कस्बे से लौट गया। इसमें न किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाई गई और न किसी व्यक्तिगत जायदाद को नुकसान ही पहुंचाया गया।

नदी के दूसरी ओर गवर्नमेंट के बहुत से धान के गोदाम थे, उन्हें जुलूस

वालों ने लूट लिया। जिला मजिस्ट्रेट वहां पर हथियारों से सुसज्जित सिपाहियों को लेकर पहुंचे, लेकिन जनता के खिलाफ कोई कार्रवाई किये बिना ही वापस लौट गए। जन-समूह के कुछ आदमी सिमलताल नामक स्थान पर पहुंचे और वहां से भी धान लूटकर ले गए।

जिला मजिस्ट्रेट को सूचना मिली कि अगले दिन थापन थाने पर जनता का आक्रमण होगा। अतः १५ तारीख की सुबह हथियारों से सुसज्जित सिपाहियों को लेकर वह थापन पहुंचे। उधर प्रायः तीन सौ राजपूत, मुसलमान और संथाल धान की निकासी को रोकने के लिए तीलाघाट की ओर चले। इन दिनों प्रायः गांव के सब आदमी धान को बाहर भेजने के खिलाफ थे, क्योंकि वहां पर धान की कमी थी। जिला मजिस्ट्रेट भी थापन से हथियारबन्द सिपाहियों और हजारदार को लेकर वहां पहुंचे। पुलिस ने जनता पर गोली चलाई। किंतु उससे कोई क्षति नहीं पहुंची और जनता शान्तिपूर्वक वापस चली गई। जिला मजिस्ट्रेट ने ६ दर्शकों को गिरफ्तार किया जो वहां पर घूम रहे थे। जनता का समूह मदनहार की तरफ चला और वहां हजारदार की दुकान को लूटा, क्योंकि उसने जिला मजिस्ट्रेट को मदद दी थी।

२२-९-४२ की आधी रात के समय पुलिस के एक जत्थे ने जिसके पास बन्दूकों भी थीं, चौकीदार और दफेदारों को साथ लेकर मुरदंगा में फूलचन्द मंडल के मकान पर छापा मारा। उन के विषय में यह कहा जाता था कि वह और उनके साथी बैलूरघाट की घटना में थे। पुलिस वालों ने मकान का दरवाजा तोड़ डाला और अन्दर घस गए और जिस कमरे में फूलचन्द अपनी स्त्री और बच्चों के साथ सो रहे थे वहां जाकर श्री फूलचन्द की वेइज्जती की और उनका सामान लूट लिया। श्री फूलचन्द के शोर मचाने पर गांव की जनता उनके मकान की ओर दौड़ पड़ी। इस पर पुलिस ने जनता पर गोली चलाई। पर जनता के उमड़ते हुए जन-समूह को देखकर पुलिस वाले भाग गए। जो बाकी बचे, जनता ने उन्हें पकड़ लिया और रस्सियों से बांध दिया। दूसरे दिन जब पुलिस के गिरफ्तारशुदा सिपाहियों ने छोड़ देने की प्रार्थना की, तब जनता ने गांव में एक सभा की और उसमें यह तय पाया कि यदि वे लोग कांग्रेस के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कर दें और इस बात का विश्वास दिला दें कि सरकारी चौकियां छोड़ देंगे तो उन्हें छोड़ दिया जायगा। विचारे पुलिस वालों ने फौरन ही कांग्रेस के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जनता ने फौरन ही उनको छोड़ दिया, पश्चात् उनको भोजन कराया और इस प्रकार वे 'बन्देमातरम्' का गान गाते हुए तथा गान्धीजी की अय के तारों के साथ विदा किये गए।

२४।९।४२ को पुलिस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर हथियारबन्द पुलिस जत्थे के साथ मुरदंगा एक पुलिस के जत्थे को बचाने के लिए गए। रास्ते में उन्होंने मुरदंगा से दो भील की दूरी पर दो गांव वालों को गिरफ्तार कर लिया जो श्री फूलचन्द मंडल के औषधालय से दवा लेकर आ रहे थे। उनके रिश्तेदार उनको छोड़ाने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर के पास गए, परन्तु उसने उन्हें डांट-फटकार दिया। धीरे-धीरे वहां लगभग सौ आदमी इकट्ठे हो गए। बातचीत चल ही रही थी कि पुलिस ने जनता पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। बन्दूकों की आवाज सुनकर लगभग पांच छः सौ आदमी जमा हो गए। जनता पकड़े हुए आदमियों को छोड़ने के लिए चिल्लाने लगी। संथालों ने पुलिस पर घनुष-व्राण से आक्रमण कर दिया। इस पर पुलिस वालों ने गिरफ्तार शुदा आदमियों को तो छोड़ दिया और भीड़ पर अन्धा-धुन्ध गोली चलाते हुए थापन की तरफ भागे। पुलिस के कथनानुसार ६६ बाल गोलियों और १० बम गोलियों का प्रयोग किया। बहुत से आदमी घायल हुए और तीन आदमी घटनास्थल पर मारे गए।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि सब स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने अहिंसात्मक नीति का पूर्णतः पालन किया। यहां तक कि पोलियाला हाट पर जहां कि पुलिस के अत्याचार सीमा को पहुंच चुके थे, गांव के कार्यकर्त्ताओं ने घुटनों के बल बैठकर पुलिस की गोलियों का स्वागत किया। मेलकुरी के रहने वाले एक ७० वर्ष के बूढ़े श्री आचार मंडल ने सर्व प्रथम अपने सीने पर गोली का स्वागत किया।

१४ सितम्बर को दोपहर के बाद जब जनता का जुलूस लौट चुका था, जिला मजिस्ट्रेट तथा डी० एस० पी० अपने हथियारबन्द स्टाफ तथा दिजापुर सदर से गोरखा फौज लेकर बैलूरघाट पहुंचे। उनके आते ही गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। ३० आदमी गिरफ्तार किये गए जिनमें तीन मुसलमान भी थे। १७ सितम्बर की सुबह को बड़े तड़के फौज की सहायता से तलाशियां शुरू की गईं। जिला मजिस्ट्रेट और एस० पी० स्वयं इस कार्य में हाथ बंटा रहे थे। तलाशी लेते समय बरतन, प्याले, प्लेट, फरनीचर, सन्दूक, अलमारी आदि लोगों का सामान तोड़-फोड़ दिया गया। इसके बाद उत्तरी बंगाल और ढाका से पुलिस के जत्थे-के-जत्थे आने शुरू हो गए। इस प्रकार तैयार होकर जिला मजिस्ट्रेट और एस० पी० इलाके के अन्दर गए। मुरदंगा नामक गांव उनका विशेष निशाना बना। ढाका की ईस्टर्न फ्रंटियर रायफल, नामक टुकड़ी एक प्रिंसेज अफसर की अध्यक्षता में मुरदंगा भेज दी गई। उसकी सहायता के लिए

पुलिस भी थी। वहाँ के कुल ४२ मकान या तो धराशायी कर दिए गए या तोड़-फोड़ डाले गए। मकान के रहने वाले आस-पास के जंगलों में भाग गये। इस तोड़-फोड़ के बाद जिला मजिस्ट्रेट श्रीर एस० पी० ने आस-पास के मुसलमानों की एक सभा की और उन लोगों को भड़काया कि वे मुरदंगा गांव के आदिमियों का सामान लूट लें और स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करें। अंग्रेज आफिसर की मेहरबानी से स्त्रियों का सतीत्व तो भ्रष्ट होने से बच गया, परन्तु अफसर के चले जाने के बाद जिला मजिस्ट्रेट और एस० पी० ने १५७ मुसलमानों को इकट्ठा किया। उनकी मदद से गांव लूट लिया गया। ३ दिन तक लूट का सामान जैसे धान, चावल, फरनीचर, बर्तन, छतों के खपरैल, जेवर, रुपया-पैसा कपड़ा आदि बराबर गाड़ियों से ढुलता रहा। एक ओर यह अन्वाधुन्ध लूट चल रही थी, दूसरी ओर गिरफ्तारियां भी जारी थीं। ;

२ अक्टूबर सन् ४२ को मुसलमानों का गिरोह दिखाई दिया जिसका नेतृत्व एस० डी० ओ० खुद हाथ में रिवाल्वर लिए हुए कर रहे थे। और जो जिला मजिस्ट्रेट की आज्ञा के विरुद्ध लाठी और भालों से सुसज्जित था। इस जुलूस ने हिन्दुओं के बहुत से धान के गोदामों को लूट लिया। इनमें सबसे बड़ा गोदाम श्रीयुत तिकोरीशाह का था, जिसमें १५०७ मन धान था।

बैलूरघाट के २९ हिन्दुओं पर ७५ हजार रुपया सामूहिक जुर्माना किया गया। एक-एक आदमी पर दस-दस हजार तक जुर्माना किया गया। केवल एक मुसलमान को छोड़ दिया गया, हालाँकि उसका लड़का बैलूरघाट की घटना के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था। यह ध्यान देने की बात है कि बैलूरघाट से अधिक-से-अधिक १५ हजार रुपए का नुकसान हुआ था। इस नुकसान को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया। इसके अलावा अलग-अलग व्यक्तियों से बिना किसी कानून-कायदे के, रुपया वसूल किया गया।

कलकत्ता

कलकत्ता बंगाल प्रान्त की राजधानी है। यह भारत का सबसे बड़ा नगर है। इसमें एक ओर जहाँ अनेक दर्शनीय इमारतें और भव्य अट्टालिकायें हैं, वहाँ कच्ची भोंपड़ियां उनमें रहने वालों की दरिद्रता का प्रदर्शन करती हैं। शिक्षा और उद्योग-धन्धों तथा व्यापार-व्यवसाय का केन्द्र होने के कारण कलकत्ता में राजनैतिक चेतना विशेष रूप से पाई जाती है। इसलिए जब सन् १९४२ का विद्रोह शुरू हुआ तो कलकत्ते में हड़तालें हुईं और बड़े-बड़े जुलूस निकले। बड़ी संख्या में जनता शामिल हुई। अनेक मर्तवा जनता पर लाठी-चार्ज किया गया। अश्रु-गैस का प्रयोग भी किया गया। १३, १४ और १६

अगस्त को गोलियां चलीं। सरकार के कथनानुसार इन गोली-काण्डों में ३९ मरे और १५ घायल हुए। हताहतों की यह संख्या सर्वथा गलत है। एक अमरीकन संवाददाता के कथनानुसार १०० आदमी तो केवल १४ अगस्त को ही गोली के शिकार बन गए थे। विद्यार्थियों ने आन्दोलन में अच्छा हिस्सा लिया। स्कूल कालेज लम्बे अर्से तक बन्द रहे। इन्हीं दिनों टेलीफोन के तार काटे गए तथा ट्रामों का आवागमन रोक दिया गया। फौजी लारियाँ लूट ली गईं और जला दी गईं। डाकखाने बरबाद किये गए तथा लेटर बक्स तोड़े गए। काशीपुर की तीन जूट मिलों में हड़ताल हो गई। मोटर ड्राइवरो ने भी काम बन्द कर दिया। आनन्दपुर मैटल वर्क्स तथा डन्डन एलुमोनियम वर्क्स ने भी कुछ दिनों के लिए काम बन्द कर दिया।

बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी गैर कानूनी करार दी गई। बंगाल सिविल प्रोवेशन कमेटी के कागजात जप्त कर लिये गए तथा कांग्रेस सिविल डिफेंस बोर्ड ऑफिस की खिड़कियों को तोड़ डाला गया। शक्ति प्रेस की तीन मशीनों को क्षति पहुंचाई गई, टाइप इन्वर-उवर फेंक दिये गए, पानी के पाइप तोड़ दिये गये और प्रेस पर कब्जा कर लिया गया। बहुत-सी दुकान भी पुलिस वालों ने लूटीं। गोलियां इस तरह अन्धाधुन्व चलाईं कि एक सात वर्ष का बच्चा जो अपने मकान के बरामदे में टहल रहा था, तथा एक दूकानदार उनका निशाना बना। बहुत से आदमी घायल हुए जिनमें एक प्रेस का संवाददाता भी था। ६५ वर्ष के एक बुढ़े को संगान की नोक द्वारा गन्दगी साफ करने के लिए विवश किया गया। अक्तूबर से दिसम्बर तक १५८ गिरफ्तारियां की गईं जिनमें २० स्त्रियां भी थीं। ९ दिसम्बर सन् १९४२ को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में जुलूस निकाला गया जिसको पुलिस ने तितर-बितर कर दिया। अखिल भारतीय चर्खा संघ की दूकान तथा अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ के गोदाम पर पुलिस ने कब्जा कर लिया।

१६ अक्तूबर को क्रान्तिकारियों ने विलिंगडन हवाई स्टेशन और घर्मतल्ला स्टेशन पर मोटरों में आग लगा दी तथा ८-१२-४२ को नीमतल्ला म दूकानदारों पर विस्फोट बमों का प्रयोग किया गया। ६-१२-४२ को वालीगंज आदि स्वानों पर दूकानदारों को रोक लिया। चार आदमियों ने सियालदा में ड्राइवर से चादी छीनकर बस को स्टार्ट कर दिया और स्वयं नीचे उतर गये। यह बस कामेज स्ट्रीट के पास किसी दूसरी कार से जाकर टकरा गई। गरियाहट्टा में एक कार जला दी गई। ५-१०-४२ को ट्रेन का एक फर्स्ट क्लास का डिब्बा, जो सियालदा से गुलुई जा रहा था, नष्ट कर दिया गया ५-१२-४२ को १९ आद-

मियों ने वी० एन० आर० के वुसकुरिया स्टेशन पर बमों का प्रयोग किया तथा स्टेशन के सब कागजात जला दिये । ३०-१०-४२ को बहू बाजार में एक एकसा-साइज की दूकान पर बम फेंका गया । २१-१२-४२ को भवानीपुर में विदेशी शराब की दूकान पर बम फेंके गये । २१-१२-४२ को कुछ बम स्टोक-एक्सचेंज पर फूटे ।

मुरशिदाबाद

बलदंगा और नाजीनगर के बीच टेलीग्राफ के तार काट दिये गए । अजीमगंज सिटी रेलवे स्टेशन पर आक्रमण किया गया तथा उसे क्षति पहुंचाई गई । इसी प्रकार की घटना को बेलडेंगस स्टेशन पर हुई । रामवारा, पटिकावेरी और रुकनपुरा के डाकखाने जला दिये गए । पटिकावेरी में टेलीग्राफ के दफतर को नष्ट कर दिया गया । एक गांजे की दूकान को भी बरबाद कर दिया गया । नासीपुर के बुकिंग दफतर को नष्ट कर दिया गया । कासिम बाजार से दहरनपुर जाने वाली गाड़ी का एक सेकेंड क्लास का डिब्बा जला दिया गया । दरहनपुर सिलटेकनो को जला दिया गया । जंगीपुर म्युनिसिपल हाउस को नष्ट कर दिया गया । राजगंज और सैदाबाद के बीच लेटरबक्स जला दिये गए ।

गंकर के एक कांग्रेस-कार्यकर्ता की सब चल सम्पत्ति जब्त कर ली गई । ९ सितम्बर को जुलूस में सम्मिलित लगभग ६० व्यक्तियों को हरीशमपुर में गिरफ्तार किया गया और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया । बरहपुर के मकान के निवासियों को जिसमें स्त्रियाँ भी थीं, घायल किया गया । बलगा में ५,००० रु० सामूहिक जुर्माना किया गया ।

नदिया

गिरफ्तारियां

९८

रामाघाट टेलीग्राफ और टेलीफोन के तार काट दिये गए । पलासी और कुशियां में भी टेलीग्राफ के तार काट दिए गए । कृष्णनगर रेलवे स्टेशन के लैम्प तोड़ दिये गए । कृष्णनगर की लोकल ट्रेन के चार फस्ट क्लास तथा सेकेंड क्लास के डिब्बे जला दिये गए । इसी गाड़ी का एक फस्ट क्लास का डिब्बा वाद में और जला दिया गया । मुरगचा रेलवे स्टेशन पर आक्रमण किया गया । और उसके सब कागजात जला दिये गए । रामनाघाट इवेकुएशन रिलीफ सेन्टर की छतें जलाकर राख कर दी गईं । कृष्ण नगर के एक जुलूस पर तथा एक सभा पर लाठी-चार्ज किया गया जिसमें बहुत से आदमियों को चोटें आईं । नवद्वीप के सात कमिश्नरों ने स्तीफे दे दिए ।

ढाका

कई दिनों तक ढाका में तथा जिले के अन्य स्थानों में हड़तालें रही

बहुत-सी सभायें हुईं तथा जुलूस निकाले गये। विद्यार्थियों ने स्कूल कालज छोड़ दिए। ढाकेश्वरी चिरंजन तथा लक्ष्मीनारायण काटन मिल में हड़तालें की गईं। नारियागंज की सिविल तथा क्रिमिनल कचहरियों पर पिकेटिंग की गई। ढाका सेन्टर व अखिल भारतीय चर्खा संघ और रायपुर के अखिल भारतीय चर्खा संघ पर कब्जा कर लिया गया।

ढाका की सड़कें रोक दी गईं। दयागंज में रेल रोक ली गई और रेलवे के सामान को क्षति पहुंचाई गई। ढाका-नरियागंज की लाइन की पटरियां उखाड़ दी गईं तथा दोनों शहरों के बीच कुछ दिन के लिए आमदोरफत के साधन नष्ट कर दिये गए। कन्दरिया रेलवे स्टेशन पर आक्रमण किया गया और वहां के कागजात जला दिये गए और स्टेशन जाने वाली सड़क को रोक दिया गया। ढाका के टेलीग्राफ तार काट दिये गए और टेलीफोन स्विच बोर्ड में आग लगा दी गई। अरमीना टोला के टेलीफोन के स्विचबोर्ड को जला दिया गया। साइकलों के रजिस्ट्रेशन नम्बर हटा दिए गए और मुंशिया गंज में टेलीग्राफ के तारों को काट दिया गया। ओटपारा तथा केनिंगसन तार काट दिये गए।

ढाका के एक भूसा गोदाम को, जिसमें फौज के लिए भूसा इकट्ठा किया गया था, नष्ट कर दिया गया। दोलिया की नहर में एक मोटर फेंक दी गई और फौज तथा जल-सेना के गोदाम को क्षति पहुंचाई गई। ढाका में एक ए० आर० पी० की इमारत को नष्ट कर दिया गया। मुंसिफ की कचहरी पर आक्रमण किया गया और कागजात जला दिये गए। फौज के लिए जमा किए हुए भूसे में आग लगा दी गई तथा गवर्नमेन्ट के कतार्ई के कारखाने में चर्खी और सूत आदि को क्षति पहुंचाई गई। ढाका के कालेजिएट स्कूल के कागजात जला दिये गए और साइंस के यंत्रों को क्षति पहुंचाई गई। सी० आई० डी० इन्स्पेक्टर के मकान पर, एस० आई० के मकान पर, वैंक्स पर, काजीताला पर, ढाका के कोतवाली थानों पर, सुतरापुर के एस० आई० के क्वार्टर पर, गन्धरिया हवलदार के क्वार्टर पर, ढाका के नरेगंदी थाने पर, जोनहन रोड के एक रेस्टरां पर बम विस्फोट हुए।

१३ अगस्त को सखारी बाजार में कई जगह गोलियां चलीं, जिससे एक मरा, कई घायल, मुंसिफ की अदालत के सामने दो सिपाही घायल, ६ बार गोलियां चलीं, बहुत से घायल हुए, एक मरा। १५ अगस्त को सादरघाट पर एक मरा। अग्रेडहेड में एक मरा, ७ घायल जिनमें तीन मरे। १५ सितम्बर तालटोला में तीन मरे और एक घायल। २२ सितम्बर को नवावगंज में ५ बार

गोली चली जिससे दो मरे और ६ घायल हुए । एक सिपाही फौरन ही मर गया और एक बाद में मरा ।

तिपरा

गिरफ्तारियां १७०, जिनमें १६ स्त्रियां भी सम्मिलित थीं ।

तिपरा म्युनिसिपैलिटी को गवर्नमेन्ट ने अपने हाथ में ले लिया । चान्दपुर में दो ए० आर० पी० पोस्ट नष्ट कर दिये गए । कोमाइल इनकम टैक्स दफ्तर पर आक्रमण किया गया तथा इब्राहीमपुर डेट सेटिलमेन्ट बोर्ड और नरसिंह पोस्ट आफिस आदि के भी कागजात जला दिये गए । इब्राहीम यूनियन बोर्ड और बुरचंगा पोस्ट आफिस के कागजात जला दिये गए । राजपुर पोस्ट आफिस में भी यही नाटक खेला गया । पगमर, लक्ष्मी और लमाई के बीच टेलीग्राफ के तार काट दिये गए । कालीताला आर दुर्गापुरा पोस्ट आफिस भी नष्ट कर दिया गया । खेरा पोस्ट आफिस का एक लेटर बक्स गायब कर दिया गया । दुर्गापुर यूनियन बोर्ड, आफिस को नष्ट कर दिया गया । १४ नवम्बर को पुलिस स्टेशन चान्दाग्राम के निलाखी फौजी हवाई अड्डे को भी नष्ट कर दिया गया । इस जगह की जनता पर छः सौ रुपया सामूहिक जुर्माना किया गया ।

सिलहट

२५ अगस्त से १५ सितम्बर तक ६९७ मुख्तार और वकीलों ने अपना काम बन्द कर दिया । इसके पश्चात् दो हजार मुह्रिरों ने भी मुख्तारों और वकीलों का साथ दिया । ३१ अगस्त को सिलहट के पोस्ट तथा इनकम टैक्स आफिस और इक्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग आफिस पर आक्रमण किया गया और उसके कागजात जला दिये गए । सुभानगंज की कचहरी में भी ऐसा ही किया गया । कुलोरा थाने और विश्वनाथ थाने में मय सब इन्स्पेक्टर के मकान के तथा बेनी बाजार के पोस्ट आफिस में आग लगा दी गई । कितनी ही जगह के लेटरबक्स भी जला दिये गए । टेलीग्राफ के तार काट दिये गए । तार के खम्बे गिरा दिए गए । सिलहट रेलवे प्लेटफार्म पर एक पेट्रोल का तथा दूसरा फौज के लिए खाद्य-पदार्थों से भरा रेल का डिब्बा जला दिया गया । एक गोरे सिपाही को भी जो वहाँ पर तैनात था जला दिया गया । रेलवे पटरियों के हट जाने से ९ डिब्बे गिर पड़े । फौज के लिए जमा भूसे में और एक वाँस के पुल में आग लगा दी गई । तमाम जिले में 'भारत छोड़ो' आदि के २० हजार इश्तहार बाँटे गए । लगभग १०० मीलवी जनता में हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रचार करने के लिए नियुक्त किये गए । इस कार्य में सिलहट की जर्मैयतुल-

उलमा काफी हाय बटा रही थी । ६० स्वराज्य पंचायतें स्थापित की गई । इन पंचायतों में सब आपसी भगड़े और मुकदमे तय होते थे ।

फरीदपुर

पलांस से बुदरानगर तक सब टेलीग्राफ के तार काट दिए गए । वसन्तपुर रेलवे स्टेशन नष्ट कर दिया गया । राधागंज और बीजापुर के स्टेशन पर आक्रमण किया गया और वहां के कागजात जला दिए । मंगा में कुछ आफिसरों ने मुसलमानों को कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ भड़का कर हिन्दुओं के मकान लुटवा दिए । बोलीताला के पास दादाई रेलवे स्टेशन के कुछ भाग में आग लगा दी गई । जिलास्कूल फरीदपुर के हेड मास्टर के आफिस में आग लगा दी गई तथा सेटिलमेन्ट आफिस के कागजात भी जला दिये गए ।

मेमनसिंह

गिरफ्तारियाँ:

१४१

मेमनसिंह के टेलीग्राफ के तार काट दिये गए । रेल की पटरी उखाड़ दी गई तथा नीलगंज में रेल के स्लीपर जला दिये गए । नेत्रकोण के रेलवे टेलीग्राफ के तार काट दिये गए । किशोरीगंज में भी ऐसा ही किया गया । नीलगंज डाकखाने के डाक के धैले छीन लिये गए । एक एक्साइज की दूकान पर कब्जा कर लिया गया और मेमनसिंह में भूसे के गोदाम में आग लगा दी गई । सेल्स टैक्स तथा इनकम टैक्स के दफ्तरों पर भी आक्रमण किया गया । तांगिल सिविल कोर्ट तथा सब इन्स्पेक्टर के मकान में आग लगा दी गई । रायर बाजार तथा अथरवरी के बाजार लूट लिये गए । म्यूनिसिपल बोर्ड आठ कमिश्नरों ने इस्तीफे दे दिए और कई वकीलों ने अपनी वकालत बन्द कर दी ।

रायर बाजार के सरकारी बाजार की लूट के परिणामस्वरूप जब पुलिस ने गोलियाँ चलाई तो तीन आदमी मारे गये तथा अथरावरी बाजार की लूट के सिलसिले में पुलिस की अघाधुन्व गोलियों से सौ आदमी घायल हुए ।

राजशाही

नौगांव पोस्ट आफिस जला दिया गया और वोलिया थाने पर आक्रमण किया गया । एक चावल के गोदाम में आग लगा दी गई । अवादपुर सरकारी बाजार तथा गजलीबाजार लूट लिये गए । कासिवरी पर आक्रमण किया गया ।

राजेश म्यूनिसिपैलिटी के ७ कमिश्नरों ने इस्तीफा दे दिया ।

दीनापुर

बैलूरघाट में टेलीग्राफ के तार काटे गये। यूनियन बोर्ड, सिविल कोर्ट, बहुत सी एक्ससाइज की दूकानें, सब रजिस्ट्री आफिस, सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक आदि स्थान जला दिये गए तथा नष्ट कर दिये गए।

नोट :—इसका विस्तृत वर्णन एक दूसरे स्थान पर दिया गया है। वहां की रहने वाली जनता ने सब रजिस्ट्रार पर एक हजार रुपया तथा ऑनरेरी मस्जिस्ट्रेट पर दो सौ रुपया जुर्माना किया।

रंगपुर

पारवतीपुर-कठियार रेलवे की पटरियां उखाड़ दी गईं जिससे कि एक रेलगाड़ी उलट गई। पारवतीपुर में मीलों तक रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं। स्टेशन पर आक्रमण किया गया और सिलीपर जला दिये गए। रंगिया-पुर स्टेशन की इमारत तथा क्वार्टर मय सामान के जला दिए गए और दो जोड़ी रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं। माईहाटे पर चौघाई मील रेल की पटरी उखाड़ दी गई। सहसपुर से चन्दाई कोना तक तथा धूपचांसी तथा सर-पुर के टेलीग्राफ के तार काट दिये गए। मोलपुर परे की रेलवे स्टेशन पर फस्ट तथा सेकेंड क्लास के डिब्बे जला दिये गए।

जलपाईगुरी

कुमार ग्रामदुआर पोस्ट आफिस और तहसील आफिस पर हुए आक्रमण के सिलसिले में मारवाड़ियों की बन्दूकों का लाइसेन्स जब्त कर लिया गया।

दार्जिलिंग

गिरफ्तारियां : ४६

८ सितम्बर को सिलीगुरी में गोलीकांड हुए।

वर्दमान

गिरफ्तारियां : १७४ सामूहिक जुर्माना ४५,५००

कालंस रेलवे स्टेशन और जमालुरगंज रेलवे स्टेशन, जमालपुर की देशी शराब और गांजे की दूकानें, बमनी की देशी शराब तथा एक्ससाइज की दूकानें, कलना सिविलकोर्ट, बेगराई इवेकुएशन के दो मकान तथा वर्दवान का डाक बंगला, जमालपुर याने के कागजात और सामान, सागरी के इवेकुएशन कैम्प की सात छतें, कुसुमग्राम का डाक बंगला, बंकापुर का डी० एस० आफिस और उकरिद डी० एस० वी० आफिस आदि को लूट लिया गया, नष्ट

कर दिया गया अथवा जलाकर खाक कर दिया गया। जमालपुर में एक बन्दूक पकड़ी गई। बंकपुरी और उरीद यूनियनबोर्डों के दफ्तरों तथा मल्दानागर और सेठपुर की एक्साइज की दूकानों और कनीपुर में देशी शराब की दूकानों को जला दिया गया।

१।१०।४२ को गुसखुरा रेलवे स्टेशन के पास एक अंग्रेज टामी ने एक किसान को गोली से मार दिया जो कि सीर लेने जा रहा था।

हावड़ा

बन्तरा के टेलीफोन और बिजली के तार काटे गए और हावड़ा बंसघाट के ट्राम रोक दिये गए। वेमगची और वेवघचिया रेलवे स्टेशनों पर टेलीग्राफके तारों को कई जगह से काट दिया गया। कोलवरी में ट्रमट्रोलो नष्ट कर दी गई और पंचनताली सड़क रोक दी गई। शानपुर पोस्ट आफिस घुस्टरोड पोस्ट आफिस तथा जिगार पोस्ट आफिस के कागजात स्टैम्प सहित जला दिये गए।

भीसागर रेलवे लाईन की पटरियां उखाड़ दी गई और यह कोशिश की गई कि वृन्दावन पुर की बी० डी० रेलवे की पटरियां उखाड़ दी जायं। कन्जाकुर और मनोवर यूनियन बोर्डों के कागजात, रशनावाद यूनियन बोर्ड आफिस, विलिसतोर का डाक बंगला, चन्द्र और अलुनी के मिलिट्री आवञ्चर-वेशन कैम्प और कंचकी वायुदर्शक यंत्र, विशनपुर हवाई अड्डे की दो छत, सोना मुखी, चन्द्रा और गंगाजल हाटी में एक्साइज की दूकान तथा सेलबोनी, केदामधाटी और कनोहापुर आदि जगहों में एक्साइज की दूकानें, दोबीपुर, तोतालचिटी, ज्योडा, विनू, करासाल, सिलमपुर, विवरद का बनूनियां आदि जगहों में एक्साइज की दूकानें, वेनूनिया का डाक बंगला और अकुई का डाक का धैला आदि जला दिये गए, नष्ट कर दिये गए अथवा लूट लिये गए।

२१ अगस्त को उलूवरिया में एक सभा पर गोली चलाई गई।

हावड़ा की जूट मिल और अनेक कम्पनियों में हड़तालें हुईं।

विठूर और वादलतरियापुर की यूनियन बोर्डों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया।

हुगली

गिरपतारियां :

५६५

कई जगह टेलीग्राफ के तार काट दिए गए। मार्टिन एन्ड को० तथा एन्ड को रेलवे के चम्पादंगा और सोमड़ा और हेवान के बीच रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं जिससे दो दिन तक रेलों का चलना बन्द होगया।

ई० आई० आर० की कुछ लाइनों पर के लकड़ी के तख्ते आदि हटा दिये गए। दा डिब्बे विलकुल जला दिये गए और कई रेल के डिब्बों को बड़ी क्षति पहुंचाई गई। स्टेशनों पर लैम्प तोड़ दिये गए और पटरियां उखाड़ दी गईं। वीनेही-कटवा के तीन पुल तोड़ दिये गए। आरामबाग खासमहल और वालीखास महल के दफ्तर जिसमें जिले के सब खास महलों के कागजात रखे थे, नष्ट कर दिये गए।

शिरोफुल के बाजार से सिपाहियों के लिए खाने का जो सामान जा रहा था, रोक दिया गया। चान्दीताल और भंडरीहाटी तथा कमर पुकारी में इक्कुएशन कमा और कुली का मिलिट्री आवजरवेशन पास्ट नष्ट कर दिये गए।

बांदा गंज कृष्णनगर तथा गोहाटी, आरामबाग, परसराम, पुरसराम-पुर की एक्साइज की दूकानों का समस्त सामान जला दिया गया। कुमारपुकार और अहमदपुर के डाकवंगले को सब सामान सहित नष्ट कर दिया गया। देवखादा और धनियाकांदा पोस्ट आफिस जला दिया गया। पटुल पोस्ट आफिस भी बरबाद कर दिया गया। १६ बार टेलीग्राफ के तार काटे गए। अनेक स्थानों पर डाक के थैले नष्ट कर दिये गए।

बेंची में यूनियन बोर्ड के कागजात और आफिस को नष्ट कर दिया गया। इसी प्रकार लगभग एक दर्जन यूनियन बोर्डों के कागजात जला दिये गए। एक दर्जन से अधिक स्थानों के पोस्ट आफिसों को बड़ी क्षति पहुंचाई गई और उनके कागजात नष्ट कर दिये गए।

हुगली जिला कांग्रेस कमेटी आफिस, सिरामपुर और एक प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता के मकान पर, जिनको गवर्नमेंट ने अपने अधिकार में कर लिया था, जनता ने पुनः कब्जा कर लिया। आरामबाग की पुलिस ने वारो दगल के सागर कुटीर, कांग्रेस कैम्प में ताला लगा दिया था। जुलूस ने तालों को तोड़ दिया और अपनी राष्ट्रीय संस्था पर कब्जा कर लिया। एक लारी, जो जिसमें चावल भरा हुआ था, जनता ने गंगा कटवा रोड पर पकड़ लिया।

नयापुर के ४० मकान-मालिकों को पुलिस ने बहुत अपमानित किया तथा ३५ को बड़ी बैरहमी के साथ पीटा।

कई म्यूनिसिपल कमेटियों के सदस्यों ने इस्तीफे दे दिये। यूनियन बोर्डों के सदस्यों ने भी इस्तीफे दे दिये।

३०-१०-४२ को जनता ने चम्पाईगा बाजार पर आक्रमण किया। कुछ सामान लूट लिया और कुछ नष्ट कर दिया। सूचना मिलने पर फौरन ही वहाँ पुलिस आई और उसने जन-समूह पर गोली चलाना शुरू कर दिया जिससे तीन व्यक्ति मारे गए तथा बहुत से जख्मी हुए।

मद्रास में विद्रोह

मद्रास प्रान्त में दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप का करीब-करीब सारा ही दक्षिणी हिस्सा शामिल है और देशी रियासतों को छोड़कर इसका क्षेत्रफल १,२४,३६३ वर्गमील है। काफी अरसे से इस प्रान्त की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इसमें करीब ८८ प्रतिशत हिन्दू, ७ प्रतिशत मुसलमान तथा ३८ प्रतिशत ईसाई हैं। अन्य जातियों की तादाद बहुत थोड़ी है। आबादी का ज्यादातर हिस्सा द्राविड़ नस्ल का है और यहां द्राविड़ भाषाएँ ही बोली जाती हैं। करीब १,६०,००,००० आदमी तामिल बोलते हैं और १,८०,००,००० आदमी तैलगू। कुल आबादी में से करीब ४० प्रतिशत मलयालम। इस प्रकार हम देखते हैं कि मद्रास प्रान्त में न केवल वहत सी भाषाएँ प्रचलित हैं, बल्कि वहां अनेक जातियाँ भी बसी हुई हैं। इस कारण प्रान्त में तरह-तरह की सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ पैदा हो गई हैं। यहां दो भिन्न संस्कृतियों का सम्मिश्रण हुआ और उसके फलस्वरूप एक नई संस्कृति पैदा हुई। द्राविड़ों की प्राचीन संस्कृति ने आर्य-संस्कृति की बहुत-सी बातों को अपना लिया है, लेकिन उसमें अपनी विशेषताएं काफी मात्रा में मौजूद हैं। हम बिना किसी संकोच के यह कह सकते हैं कि संस्कृति के मामले में मद्रास सारे हिन्दुस्तान का अग्रगुण है।

इस प्रान्त के लोग आम तौर पर हमेशा हुकूमत के बफादार रहे हैं। गोरखों के समान ही मद्रासियों ने अंग्रेजी सरकार को मदद दी है; किन्तु मद्रासियों को हम दुनिया के नागरिक भी कह सकते हैं। उनमें प्रान्तीयता की संकुचित भावनाएं नहीं पाई जाती। यही कारण है कि मद्रासी लोग दुनिया के हर हिस्से में फैले हुए हैं। वे कहीं भी अपने-आपको अजनबी-सा महसूस नहीं करते तथा अपने को सभी प्रकार की परिस्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं। वे पक्के व्यक्तिवादी होते हैं। भावना-प्रधान होने के बजाय वे बुद्धिवादी अधिक हैं। यह उनका बड़ा गुण है, क्योंकि इसकी वजह से उनमें अपने विचारों और विश्वासों के लिए लड़ने की ताकत, हिम्मत और दृढ़ता आती है। जब कभी राष्ट्र ने आजादी की लड़ाई शुरू की है, मद्रास ने उसमें काफी शानदार हिस्सा

लिया है। समय-समय पर उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को काफी जोर का धक्का पहुंचाया है।

कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी की खबर पहुंचते ही सारे मद्रास प्रांत में तहलका मच गया। लोगों के दिल रोष से भर गये। लेकिन मद्रासी उतावले नहीं होते, अहिंसा के सिद्धान्त पर बड़ी दृढ़ता के साथ बैठके रहे। जगह-जगह हड़तालें की गईं और जुलूस निकाले गए और जनता ने बड़ी हिम्मत के साथ शान्तिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शित किया। अवश्य ही कुछ जोशीले नौजवानों ने लूट और विध्वंस के काम भी कई जगह कर डाले।

अन्य सूबों की तरह मद्रास में भी नौकरशाही ने कठोर दमन-चक्र चलाया। रामनद और देवकोट में निरपराध जनता पर नृशंस अत्याचार किए गए। मलावार की पुलिस ने इस दिशा में खूब नाम कमाया। शायद इसीलिए सूबे में अनेक स्थानों पर आन्दोलन का दमन करने के लिए उसे भेजा गया।

आज़ाद ख्यालात के बहुत-से न्यायाधीशों ने पुलिस की ज्यादतियों की कठोर शब्दों में निन्दा की। चित्तूर के डिस्ट्रिक्ट तथा सेशनजज ने भारत-रक्षा नियम ५६ के मातहत जारी किया। मजिस्ट्रेट का हुक्म नाजायज़ करार दिया। इसी प्रकार हाईकोर्ट के जजों ने उन बहुत-से आदमियों को रिहा कर दिया जिनको स्थानीय अधिकारियों ने भूठ-मूठ गिरफ्तार कर लिया था। मदुरा के डिस्ट्रिक्ट जज ने १३ मार्च १९४३ को सिटी मजिस्ट्रेट के ८ महीने की सख्त सज़ा के हुक्म को रद्द करके श्री के० एस० संकरन को रिहा कर दिया। ऐसे और भी अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। इनसे पता चलता है कि नौकरशाही ने उन दिनों अपने अधिकारों का मनमाना दुरुपयोग किया। लेकिन आज़ादी की दीवानी जनता भला ऐसे जुल्मों से कभी दब सकती थी? बावजूद सब अत्याचारों के उसने हिम्मत न हारी और लगातार कई महीनों तक भी आज़ादी की बहादुराना लड़ाई को जारी रखा।

मद्रास प्रान्त को कांग्रेस-विधान में तीन भागों में विभाजित किया गया है। उसके अनुसार आन्ध्र, केरल और तामिलनाडु अलग प्रान्त माने जाते हैं। सन् १९४२ के विद्रोह में इन प्रान्तों ने क्या हिस्सा लिया, इसका अलग-अलग विवरण आगे दिया जाता है।

आंध्र

आंध्र के लोग स्वभाव से ही बड़े स्वतंत्रता-प्रिय और देश-भक्त हैं। यहाँ के किसानों के दिलों में अपनी मातृभूमि के प्रति विशेष अनुराग है। दूसरे आंध्र के कांग्रेसी कार्यकर्त्ता संगठन-कार्य में बहुत कुशल हैं, उन्होंने सारी जनता

को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी की पुकार पर सब कुछ बलिदान कर देने का तैयार किया है। उन दिनों शत्रु के आक्रमण का खतरा भी आंध्र वालों के लिए कम न था। १९४२ की अप्रैल के शुरू में ही कोकनाडा और विजगापट्टम जापानी बमबारी के शिकार बने। खतरे की उस घड़ी में सरकारी अफसरों तथा राव बहादुरों और खाँ साहिबों का सारा मजमा जनता को अरक्षित और असहाय अवस्था में छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। जनता ने उस समय यह साफ़ तौर पर महसूस किया कि केवल राष्ट्रीय सरकार ही शत्रु के आक्रमणों से अपनी रक्षा का इन्तजाम कर सकती है। इस कारण भी अगस्त-आन्दोलन सारे आंध्र प्रान्त में बड़े जोरों के साथ चला।

यू० पी० की हैलेट सरकार का तरह मद्रास की रूथरफोर्ड हुकूमत भी दमन की जबरदस्त हामी थी। वह आजादी की माँग करने वाले हिन्दुस्तानियों को कुचल डालना चाहती थी। सारे मद्रास में भयंकर दमन का बोल-बाला रहा, हालांकि सर टॉमस रूथरफोर्ड के विहार चले जाने की वजह से वहाँ युक्तप्रान्त जैसे नृशंस और पाशविक जुलम शायद न हो सके। किंतु दमन अपना मकसद पूरा न कर सका। जनता का उत्साह और जोश दिन-पर-दिन बढ़ता गया। किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों, महिलाओं आदि सभी ने देश की पुकार पर अपनी बहादुराना लड़ाई जारी रखी। आंध्र के वीर सपूतों और देवियों की साहस-भरी कहानी अगस्त सन् ४२ की अनेक अमर घटनाओं में अपना खास स्थान रखती है। यद्यपि आंध्र में डा० पट्टाभिसीतारामैया को छोड़कर कोई चोटी का नेता नहीं है। किन्तु, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, आंध्र के कांग्रेस-कार्यकर्ता संगठन-शक्ति और आपसी सहयोग के लिए सारे देश में प्रसिद्ध हैं। गंतूर जिले के निदबरोलू स्थान में प्रो० रंगा का 'समर स्कूल' है, जो हर साल कम-से-कम २०० उत्साही नौजवानों को देश की आजादी की लड़ाई के लिए मंडानेजंग में भेजता है। आंध्र में किसानों का जबरदस्त संगठन है। यही कारण है कि बम्बई में देश के पूज्य नेताओं के गिरफ्तार होते ही आंध्र में वह विशाल तूफान उठा जिसने नौकरशाही को जड़ से हिला दिया। अनेक दिन तक, बल्कि यों कहिए, कई महीनों तक, जनता के उस जोशीले आन्दोलन की बदौलत सूबे के कई हिस्सों में अंग्रेजी सत्ता चूर-चूर होकर बिलकुल खत्म हो गई।

आंध्र में विशाल जलूस निकाले गए, जगह-जगह ग्राम सभाएँ हुईं और तरह-तरह के जोशीले प्रदर्शन हुए। किंतु जब समझाने-बुझाने के लिए कोई नेता बाहर नहीं रहा तो कुछ हिस्सों में दमन का जवाब जनता ने हिंसात्मक

तरीकों से दिया। मि० चर्चिल यूरोप में शत्रु के युद्ध-प्रयत्नों को तहस-नहस कर डालने को भड़का रहे थे। जनता ने अपने देश के अन्दर ठीक वही काम शुरू कर दिया। फौजी भर्ती का विरोध किया गया, करबन्दी आन्दोलन चलाया गया और हुकूमत द्वारा लगाई पाबन्दियों को खुले रूप में तोड़ा गया। इसके अलावा टेलीग्राफ और टेलीफोन के तार काट डाले गए, रेलवे स्टेशनों को फूंक दिया गया; पटरियाँ उखाड़ डाली गईं, तथा डाकखानों, आरामगृहों आदि में भी आग लगा दी गई। तीन महीनों की सरगमियों के बाद तोड़-फोड़ की कार्रवाइयाँ घीमी पड़ गईं। सन् १९४३ में पिकेटिंग का बोल-वाला रहा। खुशी की बात यह है कि कोई सरकारी अफसर या जनता का आदमी हिंसा का शिकार नहीं हुआ।

कोकनाडा, राजामुन्डी, भीमावरम् आदि शहरों में कई दिनों तक पुलिस राज्य रहा। गिरफ्तारियों तथा तमाम नागरिक अधिकारों के दमन का बोल-बाला रहा। बैजवाड़ा तथा अन्य कई स्थानों पर शान्ति कायम रखने तथा रेलवे लाइनों की रक्षा करने के लिए फौज बुला ली गई। सरकार ने नए-नए आर्डिनेंस जारी किए तथा खास अदालतें कायम कीं। भीमावरम सचमुच आंध्र का 'चीमूर' बन गया। ७० आदमियों पर सामूहिक हिंसा का अभियोग लगाया गया जिनमें १६ को फाँसी की सज़ा दी गई। लेकिन जुल्मों का प्रहार जनता की ताकत और भावनाओं को नहीं कुचल सका। अनेक होनहार सपूत देश के लिए अपने प्राणों पर खेल गए। ऐलोर के श्री डी० नारायण विराजू जेल के सख्त जीवन के फलस्वरूप अपना सारा स्वास्थ्य ही खो बैठे। रिहाई के समय वे विलकुल मृत्यु-शय्या पर ही थे और हफ्ते भर के अन्दर ही संसार से चल बसे। २१ आदमी पुलिस की अंधा-धुंध गोलियों के शिकार हुए तथा ११७ व्यक्तियों के कोड़े लगाए गए, जिनमें से कइयों को तो ४६ कोड़ों तक का प्रहार वर्दाशत करना पड़ा। लोगों पर ६ लाख से ऊपर सामूहिक जुर्माना थोपा गया।

आंध्र में तोड़-फोड़ के काम व्यापक रूप में हुए। १७ से अधिक रेलवे स्टेशन फूंक दिए गये। कई स्थानों पर रेल की पटरियाँ उखाड़ दी गईं। किन्तु इससे किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। मद्रास और बैजवाड़ा के बीच करीब हफ्ते भर तक तथा नरसापुर और नीड़दबोल के बीच करीब दस-बारह रोज तक गाड़ी बन्द रही। अकीडू और भीमावरम के बीच खुले तौर से करीब १ मील तक पटरी भी उखाड़ डाली गई थी। फौजी गाड़ियाँ भी गिराई गईं। तार काटने का काम सभी जिलों में करीब १५०० जगह हुआ। ऐलोर में आम सभा में पहले तोड़िस देकर स्वयं सेवकों ने तार काटे। कई जगह डाक-

घर आरामगृह तथा पुलिस के रेकार्ड आदि फूंक दिए गए । भीमावरम् में सव-रजिस्ट्रार का दफ्तर, पुलिस लाइन, तथा डी० एस० पी० का दफ्तर जला दिया गया तथा तनकू में डिस्ट्रिक्ट मुन्सिफ कोर्ट के रेकार्ड जलाए गए । गंतूर जिले के अंगोल हालुके में कनुपती के नमक क्षेत्र पर हमला बोला गया । अन्त में सरकारी कालिज की लेवोरेटरी में आग लगा दी गई जिससे करीब ५००००) रु० का नुकसान हुआ ।

आजादी के इस जंग में आन्ध्र के विद्यार्थियों ने बड़े आसाह के साथ हिस्सा लिया । करीब-करीब सभी कालेजों में मुकम्मिल हड़ताल रखी गई । कई जगह तो लगातार महीनों तक संस्थाएं बन्द कर देनी पड़ीं । १०० से ऊपर विद्यार्थियों ने कालेजों का हमेशा के लिए बहिष्कार कर दिया ।

पश्चिमी गोदावरी और गंतूर के जिलों में आन्दोलन का जोर सबसे अधिक रहा । गंतूर में प्रतिबन्धों के बावजूद हड़ताल, जुलूस और सभाओं का आयोजन किया गया तथा कचहरी, थाने आदि सरकारी इमारतों पर हमले किये गए । मुन्सफी, पुलिस-स्टेशन और तमाम सरकारी दफ्तरों पर जनता का कब्जा हो गया । १२ अगस्त को देहाती इलाके में सरकारी हुकूमत का विल-कुल खातमा ही हो गया और वहाँ राष्ट्रीय सरकार कायम करने की कोशिशें की गईं ।

जनता के विशाल समूह ने वयात तालुक के सदर मुकाम और सबोर्डि-नेट जज के दफ्तर पर कब्जा कर लिया, लेकिन जल्दी ही रिजर्व पुलिस बुला ली गई और उसने इन मुकामों को वापस छीन लिया ।

आंध्र यूनिवर्सिटी के पदवी दान-समारोह के मौके पर गवर्नर खुद गन्तूर आने वाले थे । इस सिलसिले में सावधानी के तौर पर पुलिस ने १० दिसम्बर की रात को ही जनता के खास-खास नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था । लेकिन जनता की भावना इस प्रकार दबने वाली नहीं थी । उसने तिनवेली-गन्तूर रेलवे लाइन को कई जगह से उखाड़ डाला, जिससे गवर्नर को मजबूर होकर वेजवाड़ा-गन्तूर लाइन से आना पड़ा । जगह-जगह काले भंडे लगाए गए । स्टेशन पर यूनिवर्सिटी में भी काले झंडों का प्रदर्शन किया गया । ब्रावणकोर की महारानी को इस अवसर पर भाषण देने के लिए खास अनुरोध करके बुलाया गया था, लेकिन गवर्नर का जैसा स्वागत हुआ, उसको देखते हुए ऐन मौके पर महारानी का प्रोग्राम बदल दिया गया । इस चान्सलर ने ही महारानी का भाषण पढ़कर सुनाया । इससे नौजवानों में भारी रोष फैल गया । गन्तूर की कुछ फौजी इमारतें तथा राष्ट्रीय युद्ध मोर्चे का कुछ

हिस्सा लागों ने जलाकर खाक कर डाला। आन्ध्र के लोगों पर ५॥ लाख रुपए से भी ज्यादा सामूहिक जुमना थोपा गया। इसका तीन चौथाई हिस्सा अकेले गन्तूर जिले पर पड़ा।

पश्चिम गोदावरी के जिलों में ४५५ लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से १०० को तो रिहा कर दिया गया, ४५ नजरबन्द रहे तथा ३१० को सजाएँ मिलीं। कम्युनिस्टों की संख्या दण्डितों में २० तथा नजरबन्दों में ६ थी। दो व्यक्तियों ने जेल में और ४ ने जेल से बाहर अपने प्राणों की आहुति दी। २ फरार हो गए। करीब ४० मनुष्यों के वेंतें लगीं जिनमें से कइयों को तो ४६ प्रहार तक सहने पड़े। एक हरिजन विद्यार्थी कोड़ों की मार से बेहोश होकर गिर पड़ा। (८६५०) ६० व्यक्तिगत और (२६४५००) ६० सामूहिक जुमना किया गया। ६ रेलवे स्टेशन, ५ सरकारी दफ्तर, १ शराब की भट्टी तथा १ जमींदार का थाना फूंक दिए गए।

ऐलोर में कई स्थानों पर खुले आम आंध्र सरकुलर पढ़ा गया। टेलीग्राफ और टेलीफोन के तार काट डाले गए, दफा १४४ और ५६ को बेधड़क तोड़ा गया तथा फौज की हजार कोशिशों के बावजूद राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। भीमोवरम् में रेवेन्यू डिवीजनल ऑफिस पर तिरंगा लहराया गया और अफसर को झंडे की सलामी देने तथा जनता के साथ आम जुलूस में शामिल होने को मजबूर किया गया।

नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए देहातियों के एक मजमे ने रेवेन्यू डिवीजनल ऑफिस को घेर लिया और पुलिस की धमकियों के बावजूद वहाँ से हटने से इन्कार कर दिया। पुलिस ने गोलियाँ चलाई और ४ होनहार सपूतों ने हँसते-हँसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। बहुत से लोग घायल हो गए। जिस डाक्टर ने उनका इलाज करके अपना नैतिक फर्ज अदा करने की हिम्मत की, उस पर अदालत में मुकदमा चलाया गया।

अनेकों कस्बों में मुकम्मिल हड़ताल रखी गई और विद्यार्थियों ने स्कूल कालेजों से मुंह मोड़ लिया। ऐलोर में हड़तालियों को गिरफ्तार करके (५०) ६० हरेक पर जुमना किया गया। विद्यार्थियों ने जंजीरें खींच-खींच कर गाड़ियों का चलना मुश्किल कर दिया, जिसके फल स्वरूप उन्हें वेंतों और जुमने की सजा भुगतनी पड़ी।

पलाकल म्यूनिसिपैलिटी तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने 'भारत छोड़ो' के समर्थन में प्रस्ताव पास किए। उनके खिलाफ नौकरशाही ने काफी सख्त कदम उठाए।

कवूर सब-जेल में ४ सत्याग्रहियों को बड़ी बेरहमी के साथ पीटा गया तथा एक अन्य सत्याग्रही पर जेल से बाहर लाठी के निर्दय प्रहार किए गए। करीब २ महीने तक पुलिस ने भीमावरम् तालुक के अनेक गाँवों पर हमले बोले और देहातियों के साथ पाशविक मार-पीट की।

आन्ध्र में १३० व्यक्ति नजरबन्द किये गए और १७०० को सजायें दी गईं। तीन जगह गोली-काण्ड हुए, जिनमें २१ आदमी मरे। १३७ व्यक्तियों को कोठों की सजा दी गई। ८ लाख से अधिक रुपया सामूहिक जुर्माना किया गया। १५०० जगह तार काटे गये, १८ रेलवे स्टेशन जलाये गये और ७ जगह रेल की पटरियाँ उखाड़ी गईं। १० जगह पुलिस के रेकार्ड और डाकखाने आदि जलाये गये।

केरल भी पीछे न रहा

केरल प्रान्त में मलाबार जिला, कनाडा जिले का दक्षिणी भाग तथा कोचीन एवं त्रावनकोर की रियासतें—ये चार प्रदेश सम्मिलित हैं। केरल प्रान्त को श्री शंकराचार्य जैसे संसार प्रसिद्ध धार्मिक तत्त्वज्ञ, श्री नारायण गुरु जैसे समाज-सुधारक तथा सर सी० संकरन नायर जैसे महान् राजनैतिक कार्य-कर्त्ता को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त है। यह प्रान्त सदा से ही राजनीतिक आन्दोलनों में आगे रहा है। सन् १९२१ के असहयोग और खिलाफत आन्दोलन के समय यहां छः महीने तक ब्रिटिश हुकूमत का प्रभाव नष्ट-प्रायः हो गया था। मलाबार के दक्षिणी जिले में तो सरकारी शासन एकदम पंगु बन गया था। मोपलों ने अपनी स्वतन्त्र सरकार कायम कर ली थी। यही कारण है कि जब सन् १९४२ में आन्दोलन का बिगुल बजा तो यहां के निवासियों ने प्राणों की बाजी लगाकर ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने में सहयोग दिया।

बम्बई में नेताओं की गिरफ्तारी के साथ ही इस प्रान्त के प्रसिद्ध कांग्रेस कार्य-कर्त्ताओं पर भी सरकार का प्रहार हुआ और ६ घंटे के अन्दर-अन्दर सर्व श्री केलप्पन, के माधव मेनन तथा के० ए० दामोदर मेनन आदि मुख्य-मुख्य नेता गिरफ्तार करके जेल के सीखचों में डाल दिये गये। नौकर शाही के इस प्रहार के विरुद्ध लोगों ने हड़ताल, जुलूस, सभा आदि के रूप में अपना विरोध प्रदर्शित किया। स्कूलों एवं कालेजों में काफी असें तक हड़ताल चलती रही स्थान-स्थान पर बड़े-बड़े प्रदर्शन किये गये। प्रत्येक मुख्य कांग्रेस-कार्यकर्त्ता और विद्यार्थी नेता पहले १० दिन के अन्दर-अन्दर गिरफ्तार कर लिये गये।

बहुत से स्थानों पर हजारों की संख्या में लोगों ने स्थानीय अदालतों और रजिष्ट्री आफिसों पर घावा बोला जिससे अधिकारियों को बाध्य होकर काम बन्द कर देना पड़ा। कुसम ब्राण्ड तालुका इस प्रकार प्रदर्शनों का प्रधान केन्द्र था। पयोली में करीब एक हजार व्यापारियों की भीड़ ने मुन्सफी, पुलिस थाने तथा सब मजिस्ट्रेट के आफिस पर हमला किया और उन्हें बन्द करवा

दिया। इसके बाद भीड़ जाकोली गाँव की ओर बढ़ी और वहाँ जाकर सभा के रूप में परिणत हो गई। सभा की कार्यवाही समाप्त होने पर लोग घर जाने लगे तो पुलिस ने उन पर छापा मारा और १७ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। इससे लोगों का उत्साह और भी बढ़ गया और उन्होंने दूने जोश में सभाएं करना तथा जुलूस निकालना प्रारम्भ कर दिया। पुलिस ने बार-बार लाठी-चार्ज किया जिससे सैकड़ों व्यक्ति सख्त घायल हुए। लोगों ने सरकारी अदालतों पर पिकेटिंग की और उन्हें बन्द करवा दिया। उत्तरी मलावार कोर्ट तालीचरी की सर्वोर्डिनेट जज की अदालत तथा पयोली, कालीकट, पालघाट आदि स्थानों की मुन्सफियाँ काफी समय तक विलकुल बन्द रहीं तथा सरकारी शासन पंगु बन गया।

चेमनचरी की छोटी अदालत पर हमला किया गया तथा उसकी इमारत को ताड़-फोड़ दिया गया और सारा रेकार्ड जलाकर नष्ट कर दिया गया। कलाई के सरकारी लकड़ी के गोले में आग लगा दी गई। जिससे हजारों रुपये का सामान जलकर भस्म हो गया। तालीचरी अदालत में एक विस्फोट हुआ जिससे इमारत का कुछ हिस्सा नष्ट हो गया। कनोड़ा के सब-पोस्ट आफिस पर बम फेंका गया, जिससे मकान को काफी क्षति पहुँची और दिवालों के पत्थर ६३४ वर्ग गज में फैल गये गवर्नमेन्ट हाई स्कूल का शेड, जिसमें कुछ क्लासें लगती थीं, फूँक दिया गया। करीब आध मील तक के टेलीग्राम के तार विलकुल नष्ट कर दिये गये जिससे तारों का आना-जाना कुछ समय तक बन्द रहा।

कोटायन में पांच देहाती पटेल-आफिसों के रेकार्ड जला दिये गये। कुथूपरम्बा के पास एक छोटी अदालत का दफतर भी अग्नि देवता के भेंट चढ़ा दिया गया। तालीचरी और माही के बीच में एक रेलवे पुल बम से उड़ा दिया गया।

माही और नादपुरम् लाइन के रेलवे-स्टेशनों को जलाने का प्रयत्न किया गया तथा कुछ स्टेशनों के कागज-पत्र जला भी दिये गये। माही के मुकाली स्थान का नमक डिपो तोड़-फोड़ कर नष्ट कर दिया गया। माही एवं नादपुरम् सड़क के एक रेलवे पुल पर विस्फोट हुआ जिससे उसकी दीवारों एवं खम्भों को बहुत क्षति पहुँची। नादपुरम् की मुन्सफ़ी में भी बम फटा।

कालीकट और कलाई के बीच में एक रेलवे पुल पर विस्फोट हुआ, किन्तु अधिक क्षति न हो सकी। २१ अगस्त की रात को यूरोपियन गोल्फ क्लब का मकान तथा कालीकट के पास मयारम्बा का मोटर-शेड जला दिये गये।

मन्चारी के पास एक सड़क का पुल बम से उड़ा दिया गया। हाईकोक मेमोरियल मोपला विद्रोह स्मारक को जलाने की कोशिश की गई, जिससे काफी क्षति पहुँची।

उत्तरी मालाबार के चिमननचेरी स्थान में जनता की भीड़ ने रेलवे स्टेशन एवं सब रजिस्ट्री ऑफिस पर हमला किया और उसे जलाकर भस्म कर दिया। मलाबार के कई जिलों में टेलीग्राफ तथा टेलीफोन के तार काटने का काम तो रोजमर्रा की चीज बन गई थी। कनानोर के पास पल्लीकुन्नू स्थान पर विस्फोट हुआ जिससे वहाँ का डाकखाना विलकुल तहस-नहस हो गया। कुछ रेलवे स्टेशनों तथा पुलों को भी तोड़ा-फोड़ा गया।

एक दिन की बात है कि गवर्नर कानानोर कालीकट जा रहे थे। लोगों ने चम्बल स्थान के पास रास्ते में भयंकर आग लगा दी जिससे गवर्नर की स्पेशल कार आगे न बढ़ पाई और उन्हें बाध्य होकर रात चम्बल में ही वितानी पड़ी। इसी प्रकार एक बार इरनाकुलम में गवर्नर का भाषण होने वाला था। सभा के लिए एक विशाल पण्डाल बनाया गया था। उत्तेजित जनता इसे सहन न कर सकी और गवर्नर के आने के कुछ मिनट पहले वह पण्डाल पर टूट पड़ी तथा उसमें चारों तरफ आग लगा दी। गवर्नर महोदय को निराश लौट जाना पड़ा।

पुलिस अंधा-धुंध लोगों को जेल में ठूस रही थी। किन्तु सरकारी दमन से लोगों का उत्साह मंद होने की अपेक्षा और भी बढ़ रहा था। यही कारण है कि दमन के बावजूद लोग नेताओं की जयंतियों आदि उत्सव बड़े समारोह से मनाते थे। १९४२ में गाँधी-जयन्ती के दिन कालेजों, स्कूलों एवं बाजारों में इतनी जोर की हड़ताल रही कि चारों ओर विलकुल सुनसान छा गया। उस समय के वातावरण को देखकर यह अच्छी तरह से अनुमान लगाया जा सकता था कि जनता कितनी क्षुब्ध है। जब नेताओं की गिरफ्तारी की खबर पहुँची तो गणपति हाईस्कूल तथा दो कालेजों के विद्यार्थी बाहर आगये और अपने विद्यालयों के सामने प्रदर्शन करने लगे। शिक्षा-अधिकारियों के समझाने-बुझाने और पुलिस की लाठी-चार्ज की घमकियों का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ।

कोलनगड़े के विद्यार्थियों ने तो काफी बहादुरी का परिचय दिया। जब पुलिस वाले रिवाल्वर निकालकर खड़े हो गये तो भी विद्यार्थी भयभीत न हुए, प्रत्युत उनमें से कुछ उत्साही एवं जोशीले विद्यार्थी आगे आये और एक अहिंसक सिपाही की भाँति उन्होंने अपने कुर्ते हाथों से फाड़कर अपनी खुली छाती को रिवाल्वर के आगे कर दिया।

पुलिस के दमन की कहानी सुनकर वाईपुर की जनता उत्तेजित हो गई तथा उसने नदी में खड़े हुए कुछ मोटर वाटों एवं देहाती नावों को जला दिया ।

तालीचरी सेशन कोर्ट में एक विस्फोट हुआ जिससे कोर्ट की इमारत को काफी क्षति पहुंची ।

फिरोक के कुछ व्यक्तियों ने रेलवे-पुल पर तीन बम रख दिये । गाड़ी की घड़घड़ाहट से दो बम स्वतः ही पटरी से नीचे गिर गये । तीसरा गाड़ी के नीचे आने से फटा, किंतु उससे कुछ नुकसान न हो सका ।

सरकार का दमन-चक्र बड़ी उग्रता से चला । लोगों को पीटना, उनके घर जला देना, उनसे मनमाने पैसे वसूल करना, उनकी बहन-बेटियों को बेइज्जत करना, आदि तरह-तरह के अत्याचार हुए । लोगों ने सरकारी दमन का काफी भ्रसं तक मुकाबला किया, किंतु मुख्य-मुख्य कार्यकर्त्ताओं के जेल भेज दिये जाने से आन्दोलन का बाह्यरूप बहुत अंशों तक धीमा पड़ गया । किंतु क्रांति की आग लोगों के हृदयों में अन्त तक घबकती रही ।

एक ओर तो लोग सरकारी दमन की चक्की में पिस रहे थे, तो दूसरी ओर अकाल अपनी भयावनी आंखों से समूचे प्रदेश को घूरने लगा । बर्मा के पतन के साथ यहां की भोजन-समस्या विकट हो गई; क्योंकि वहां से आने वाला चावल बन्द हो गया । लोग भूखों मरने लगे । सरकार ने लोगों की सहायता करने में कुछ उपेक्षा दिखाई । किंतु कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं ने ग्राम-सेवा-संघों का पुनरुद्धार किया, उन्होंने अन्य प्रान्तों से भी अन्न प्राप्त करने की कोशिश की । किंतु सरकार का पूरा सहयोग न मिलने के कारण अन्न प्राप्त करने एवं प्राप्त किये हुए अन्न को लाने में पूरी सफलता नहीं मिल सकी । परिणामस्वरूप काफी लोग भूखों मरने लगे तथा काल के अनिवार्य साथी हूँजे एवं चेचक ने लोगों को धर दबाया । सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार भूख एवं बीमारी से करीब ४० हजार व्यक्तियों की जानें गईं ।

मुख्य-मुख्य कांग्रेस नेता जेलों में बन्द थे, अतएव सहायता-कार्य जितना हो सकता था उतना नहीं हो पाया । फिर भी अन्य प्रान्तों के कार्यकर्त्ताओं के सहयोग से 'कोलेरा रिलीफ कमेटी' स्थापित की गई । अखिल भारतीय हरि-जन सेवक संघ के प्रधान श्री ठक्कर बापा एवं श्रीमती कमलादेवी ने अकाल एवं बीमारी से आक्रान्त प्रदेशों का निरीक्षण किया । उधर श्री के० बी० गोपाल मेनन तथा श्रीमती जी० सुशीला ने कांग्रेस स्वयं सेवकों की सहायता से उपचार का कार्य प्रारम्भ किया । कमेटी की ओर से विभिन्न स्थानों पर १२०

सहायता-केन्द्र स्थापित किये गये । इन केन्द्रों में कुल मिलाकर १२,१९२ मरीजों का इलाज हुआ, जिसमें ९,४१२ व्यक्ति ठीक हुए । महामारी एवं अकाल के कारण बहुत से घर बरबाद हो गये, जिससे छोटे-छोटे अनाथ बच्चे सड़कों पर घूमने लगे । ग्राम-सेवा-संघ ने इनकी रक्षा का भार अपने हाथों में लिया और भारत सेवक समिति के स्वर्गीय श्रीयुत वी० आर० नैयर की सहायता एवं सहयोग से कई स्थानों पर अनाथालय खोले । आज भी उस प्रदेश में चार अनाथालय काम कर रहे हैं ।

सहायता-कार्य के साथ-साथ कमेटी ने रचनात्मक कार्यक्रम को भी पूरे तौर से अपनाया । उसने 'देशीय महिला समाज' की सहायता से २० स्थानों पर कताई के केन्द्र स्थापित किये । इसी प्रकार दूसरे कार्य भी प्रारम्भ हुए । पर सरकार इन रचनात्मक कार्यों को भी सहन न कर सकी । उसने ग्राम-सेवा-संघ के मुख्य-मुख्य स्वयंसेवक गिरफ्तार करके नजरबन्द कर दिये गये, संघ के दफ्तरों पर से भंडे एवं साइनबोर्ड जल्ल कर लिये गये तथा संघ की बैठक को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया । इतना ही नहीं, संघ के प्रायः सभी दफ्तरों की तलाशियां ली गईं और खास-खास कागज जल्ल कर लिये गये ।

अकाल एवं महामारी के बावजूद भी लाग लगातार सभाएं करते रहे । सरकारी पाबन्दी को तोड़कर लोगों ने कालाकट एवं बदगड़ा में विशाल सभाएं कीं । पुलिस ने लाठी-चार्ज किये, पर लोग कार्रवाई खत्म करके ही हटे । गांधीजी ने जब जेल में उपवास किया तो यहां के कुछ स्वयं सेवक पैदल पूना की ओर चल पड़े । थोड़ी दूर जाने के बाद ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल के सीकचों में बन्द कर दिया ।

शांत एवं अहिंसक प्रदर्शनों पर अंधा-धुंध लाठी-चार्ज किये गये । तोड़-फोड़ के कामों में भाग लेने वाले व्यक्तियों का पता लगाने में बड़ी सख्ती एवं बर्बरता से काम लिया गया । निर्दोष व्यक्ति बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर लिये जाते थे तथा जेल में उनके साथ बड़ा अनुचित व्यवहार किया जाता जाता था । प्रधान नेताओं को भी खाने, पीने, पहनने, सोने आदि की पूरी सुविधायें नहीं थीं, फिर बेचारे छोटे कार्य-कर्त्ताओं का तो जिक्र ही क्या ? पुलिस वाले अपनी इच्छानुसार रात को लोगों के घरों में घुस जाते थे और उनकी तलाशी लेते थे । इस प्रान्त की पुलिस भूठे केस बनाकर निर्दोष लोगों को फाँसने के निन्दनीय कार्य में भी पीछे न रही । नारायणन के मुख्य कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्त्ताओं को पुलिस वालों ने तालीचरी षड्यन्त्र केस में फँसा लिया । उन पर उत्तरी मलाबार के तोड़-फोड़ के कामों का अभियोग लगाया गया ।

परिणाम स्वरूप बालन नामक व्यक्ति को १० वर्ष की तथा ५ अन्य व्यक्तियों को ७-७ वर्ष की सजाएं हुई। इसी प्रकार डाक्टर के० वी० मेनन आदिको कम्युनिस्टों की सहायता से कीमारियर बम कैसे फंसाया गया। फलतः डाक्टर महोदय एवं उनके १०-१५ साथियों को ७ से १० वर्ष तक की सख्त सजायें दी गई। केरल प्रान्त की जनता को इस आन्दोलन में दो पार्टियों के विरुद्ध लड़ना पड़ा— एक अंग्रेजी सरकार और दूसरी 'कम्युनिस्ट पार्टी'। कम्युनिस्टों ने अपने 'जन-युद्ध' नारे के साथ राष्ट्रीय आन्दोलन-कर्ताओं के विरुद्ध हरेक सम्भव तरीके से पुलिस की मदद की। तालीचरी की घटना है कि वहाँ के हाई स्कूल में हेड-मास्टर ने एक विद्यार्थी को 'महात्मा गांधी की जय' का नारा लगाने के अपराध में जूते से पीटा। विद्यार्थियों ने इसके विरोध में हड़ताल कर दी। कम्युनिस्टों ने विद्यार्थियों का पक्ष लेने के बजाय अधिकारियों की सहायता की।

इस प्रकार सरकार ने इस आन्दोलन के सिलसिले में ७३० व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सजाएँ दीं तथा ३३ को नजरबन्द रखा। देश की आजादी की लड़ाई में शहीद होने का सर्व प्रथम सौभाग्य श्री नवीनचन्द ईश्वरलाल सराफ को प्राप्त हुआ। यह १९ वर्षीय छात्र था और कालीकट के जमोरिन कालेज की इंटरमीजियेट कक्षा में अध्ययन कर रहा था। वह विद्यार्थियों का नेतृत्व कर रहा था। अतः इस पर केस चला और उसे ७५) २० जुमाना या तीन महीना कैद की सजा दी गई। लड़के की गरीब माता जैसे-तैसे रुपये जुटाकर अदालत में पहुँची, परन्तु वीर लड़के ने जुमाना देकर छूटने के बजाय जेल जाना अधिक ठीक समझा। उसने कहा, 'माँ, यदि तुम जुमाना भदा करोगी तो मुझे जिन्दा न पाओगी।' जुमाना भदा न करने के कारण लड़के को ३ माह के लिए अलीपुरम् जेल में भेज दिया गया। जेल में अस्वच्छ भोजन एवं रहने सहने आदि की तकलीफ के कारण कुछ ही दिनों के बाद वह बीमार पड़ गया। डाक्टरों ने उसके इलाज में लापरवाही दिखाई। और एक महीने की बीमारी के बाद यह रिपोर्ट दी कि उसे मलेरिया नहीं, टाइफाइड है। जब उसकी हालत बहुत ही शोचनीय हो गई और अधिकारियों को बंदियों और बाहर वालों ने काफी दवाया तो अन्त में मेडिकल अफसर ने उसे बेलारी हैडक्वार्टर के अस्पताल में भेज दिया। दुर्भाग्य से वहाँ पर भी उसका ठीक उपचार नहीं हुआ और इस प्रकार छूटने की अवधि के चार दिन पूर्व—३१ दिसम्बर १९४२ को वह वीर अपनी बूढ़ी माँ एवं भारत-माता को विलखती हुई छोड़ बन्दी की हालत में ही इस संसार से विदा होगया। आज नवीन इस संसार में नहीं है, किन्तु उसका बलिदान सदियों तक

देश के बच्चों में अपनी मातृ-भूमि की आन के लिए प्राय-न्योछावर करने की पवित्र भावना जाग्रत करता रहेगा ।

इसी प्रकार श्री कोम्बीकुट्टी मेनन तथा कुन्शीरमन ने भी जेल में ही तिल-तिलकर कपने प्राण गंवा दिये, किन्तु मातृभूमि की आन पर किसी प्रकार का धब्बा नहीं आने दिया । केरल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व सभापति सर आई० एस० प्रभू भी जेल में बड़े बीमार रहे । जब वे स्वास्थ्य की खराबी के कारण छोड़े गये ता विलकुल अस्थि-पञ्जर बने हुए थे । छूटने के कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई । प्रसिद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता सर पी० के० कुन्शीशंकर मेनन की मृत्यु भी इसी प्रकार हुई ।

त्रावणकोर की सरकार ने शुरु से ही बड़ी सखती से काम लिया । अभी तक जो रिपोर्ट मिल सकी है उसके अनुसार यहाँ पर कुल एक सौ व्यक्तियों को विभिन्न समय के लिए जेल हुई ।

कोचीन रियासत की जनता ने भी बड़ी दृढ़ता के साथ 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव का समर्थन किया । त्रिपुर एवं एरना कुलम (कोचीन) के विद्यार्थियों ने उल्लेखनीय भाग लिया । पुलिस ने भी यहाँ खूब जोरों से दमन किया । उसने छात्राओं तक को स्कूल के अंदर घुसकर पीटा । इस इलाके में कुल १५ व्यक्तियों को जेल की सजा हुई ।

तामिलनाड

तामिलनाड के निवासियों की प्रकृति आन्ध्र निवासियों की प्रकृति से विलकुल भिन्न है । उनकी बुद्धि तीव्र है । वे प्रत्येक वस्तु को तर्क की कसौटी पर कसकर ग्रहण करते हैं । तामिलनाड की संस्कृति उच्च कोटि की है तथा उनका अतीत बहुत उज्ज्वल है । तामिलनाड के निवासी एक प्रधान नेता के पीछे जीवन देने वाले हैं । महात्मा गान्धी के प्रति विशेष श्रद्धा होने के कारण रचनात्मक कार्य-क्रम की ओर इनका खास झुकाव है । एक सच्चे राष्ट्रीय सैनिक का भांति यहां के निवासियों ने सदा से ही देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा बटोया है । तामिलनाडी अपनी शक्ति को एक स्थान पर केन्द्रित करके आगे बढ़ते हैं : अतएव १९४२ में अन्य स्थानों की अपेक्षा यहाँ आन्दोलन अधिक सफल रहा । मद्रास, तंजोर, त्रिचनापल्ली, कुम्बाकनम एवं मदुरा आदि कई स्थानों पर आन्दोलन की गति बहुत तीव्र एवं सुव्यवस्थित रही । आन्दोलन का रूप पूर्ण रूप से अहिंसक रहा ।

नेताओं की गिरफ्तारी को समाचार पाकर तामिलनाडी तिलमिला

उठे । ६ अगस्त से समूचे प्रान्त में आम हड़ताल प्रारम्भ हो गई । स्थान-स्थान पर विशाल जुलूस निकाले गए, बड़ी-बड़ी सभायें की गईं तथा अन्य तरीकों से विरोध प्रदर्शित किया गया । कई स्थानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर पुलिस ने लाठी-चार्ज किया तथा अश्रु-गैस छोड़ी । किन्तु लोगों का साहस कम नहीं हुआ । इस प्रकार समूचे तामिलनाडु में अंग्रेज-विरोधी लहर प्रवाहित हो उठी ।

अन्य प्रान्तों की भाँति तामिलनाडु के विद्यार्थियों ने भी आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया । लाठी खाने या गिरफ्तार होने में सबसे आगे विद्यार्थी ही थे । विद्यार्थियों ने जोड़-फोड़ के कार्यों में भी भाग लिया, किन्तु अधिकांश में उनके कार्य महात्मा गांधीजी की नीति के अनुसार थे । नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना पाते ही मद्रास के सभी विद्यार्थी विद्यालयों से बाहर निकल आये । मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कालेजों तथा अन्य कालेजों के होस्टलों पर भण्डे फहराये गये । एक दो होस्टलों के अधिकारियों ने जवरन भण्डे उतार लिये । विद्यार्थी इस अपमान को सहन न कर सके । वे होस्टल छोड़कर बाहर निकल आये । स्कूलों में करीब एक-डेढ़ सप्ताह हड़ताल रही । विद्यार्थियों के जुलूसों पर दुरी तरह से लाठी-चार्ज किये गये तथा २ सितम्बर को लोयल्ला कालेज के दो विद्यार्थियों को बँतों एवं कोड़ों से भी पीटा गया । एक इंजीनियरिंग कालेज के विद्यार्थी, जिन्होंने अभी तक हड़ताल में भाग नहीं लिया था, इस घटना से उत्तेजित होकर आन्दोलन की आग में कूद पड़े । जब लाठी-चार्ज से सरकार को सफलता न मिली तो उसने एक हिदायत जारी की कि अमुक तारीख तक जो विद्यार्थी अपनी कक्षाओं में हाजिर न होंगे उनका नाम काट दिया जायेगा । किन्तु एक भी विद्यार्थी स्कूल में उपस्थित न हुआ । परिणाम-स्वरूप अधिकारियों को कुछ समय के लिए स्कूल एवं कालेज बन्द कर देने पड़े । आन्दोलन में भाग लेने के कारण विद्यार्थी गिरफ्तार करके जेल के सीखचों में बन्द किये गये ।

तामिलनाडु के मजदूर भी देश की आज़ादी की इस लड़ाई में पीछे न रहे । हज़ारों मजदूरों ने भी आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया मद्रास मिल्स हड़ताल के कारण बन्द कर देनी पड़ी । इसी प्रकार बकिंघम कर्नाटक मिल्स, जो विदेशियों के हाथ में थी तथा जिसमें युद्ध के लिये खाकी कपड़ा तैयार होता था, काफी अर्से तक बन्द रही । इससे सरकार के युद्ध-प्रयास में काफी क्षति पहुँची ।

प्रान्त की अन्य औद्योगिक मिलों एवं फैक्टरियों में भी कान्ही अर्से तक हड़तालें चलती रहीं । कोयम्बटूर ऐसी हड़तालों का प्रधान अड्डा था ।

रेलवे कर्मचारियों ने भी हड़ताल में भाग लिया। जिससे बहुत-सी 'धू' गाड़ियाँ बन्द होगईं। मद्रास से कलकत्ता जाने वाली गाड़ी करीब २ सप्ताह तक बन्द रही। बैजवाड़ा के पास हड़ताल करने वालों ने "शैल्लमैनों" की सहायता से लगभग २० मील की पटरी बिलकुल उखाड़ कर फेंक दी।

जिलों में आन्दोलन

त्रिची जिला—इस जिले में दो स्थानों पर रेल-गाड़ियाँ गिराई गईं—एक त्रिची-इरोड लाइन पर करूर के पास तथा दूसरी त्रिची-मदुरा लाइन पर त्रिची स्टेशन से थोड़ी दूर। रेल के स्लीपरों तथा पटरियों को हटाने का कार्य तो बहुत स्थानों पर और काफी असें तक हुआ। तोड़-फोड़ के इन कार्यों को रोकने के लिए मद्रास से जाने वाली प्रत्येक गाड़ी में दो डिव्वे सशस्त्र सिपाहियों से भरे हुए जाते थे। यही नहीं, स्थानीय सरकार ने गाँवों के अफसरों को यह हिदायत दे दी थी कि वे रात-दिन गाँव वालों को रेल की पटरियों की निगरानी रखने के लिए तैनात रखें। मनीयाची जंक्शन से जाने वाली सब ब्रांच लाइनों उखाड़ दी गईं। अधिकारी गाँव वालों को पकड़-पकड़ कर पहरा देने के लिए तैनात करते, किन्तु इससे कुछ लाभ नहीं हुआ। आखिर १०० पंजाबी सैनिकों को घटनास्थल पर तैनात किया गया, तब तोड़-फोड़ का काम रुका। मन्नार-गुडी स्टेशन पर जनता की एक भीड़ ने हमला किया और उसमें आग लगा दी। जब स्टेशन जल रहा था तों निदमंगलम् से एक गाड़ी वहाँ पहुँची। भीड़ ने गाड़ी को घेर लिया और अधिकारियों को गाड़ी वापस निदमंगलम् लेजाने के लिये बाध्य किया।

रामनद जिला—तिरुवदनी इस जिले का सदर मुकाम है। अतएव जिले के लोगों ने यह निश्चय किया कि तिरुवदनी की ओर प्रस्थान किया जाय और रास्ते में अंग्रेजी सरकार का जो भी चिह्न दिखाई दे उसे या तो नष्ट कर दिया जाय या अपने अधिकार में कर लिया जाय। लोगों ने पुलिस सब-इन्स्पेक्टर के पास भी हुक्म भेजा कि जनता का राज्य कायम होचुका है, अतः उसे जनता के सामने आत्म-समर्पण कर देना चाहिए। इन्स्पेक्टर लोगों के उत्साह को जानता था। इसलिए उसने समझ लिया कि लोगों की माँग का विरोध करना खतरे से खाली नहीं। परिणाम स्वरूप उसने अपने सब कर्मचारियों को आज्ञा दे दी कि सरकारी वर्दी उतार कर फेंक दें और किसी सुरक्षित स्थान में जोकर छिप जायें। सबने वैसा ही किया। परिणाम स्वरूप पुलिस स्टेशन बिलकुल खाली हो गया और लोगों को उस पर अधिकार करने में कुछ भी झड़वने न हुई। लोगों ने धाने की सब चीजें अपने अधिकार में कर लीं। सब

जेल तोड़कर कैदियों को बाहर निकाल लिया तथा बाद में तमाम सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी।

इस घटना से लोगों का उत्साह बढ़ गया और वे बड़े जोश के साथ तोड़-फोड़ के कार्यों में जुट गये। यातायात के सब साधन नष्ट कर दिये गये। सड़कें तोड़ डाली गईं। संयोगवश एक ब्रांच रोड तोड़ने से बच गई। फौज वाले उस रोड से काफी मात्रा में शहर के अन्दर आ घमके। पुलिस वाले जो अब तक डर के मारे छिप गये थे, फौज की सहायता पाकर मैदान में आ खड़े हुए। फौज एवं पुलिस वालों ने लोगों पर अंधाधुंध अत्याचार किये। स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया, लोगों के घर लूट लिये गये तथा गाँव के गाँव जलाकर नष्ट कर दिये गये। लोग अंधा-धुंध जेल के अन्दर ठूस दिये गये तथा उनको बुरी तरह से पीटा गया।

कोयम्बटूर ज़िला—इस ज़िले के लोग पुलिस की ज्यादतियों का हाल सुनकर उत्तेजित हो उठे और उन्होंने चहरों के एक प्रसिद्ध हवाई अड्डे को जलाकर नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। पुलिस एवं फौज काफी संख्या में घटना-स्थल पर पहुँच गई और आस-पास के २२ गाँवों को खतरे का स्थान घोषित कर बाहर वालों को अन्दर नहीं घुसने दिया। इस प्रकार चारों ओर से रास्ता रोककर मलावार की स्पेशल पुलिस ने तरह-तरह के अत्याचार किये। गाँवों के तमाम पुरुषों को गिरफ्तार करके एक अत्यन्त तंग स्थान में बन्द कर दिया, जहाँ पर कि लोगों को एक दूसरे से बिलकुल चिपककर खड़ा रहना पड़ा। इस दर्दनाक स्थिति में लोगों को एक सप्ताह से ज्यादा बक्त न बिताना पड़ा। बन्दियों के भोजन का प्रबन्ध सरकार ने स्वयं करने के बजाय उनके घर वालों से करवाया। बन्दियों का बाहर से आया हुआ भोजन तक चुरा लिया जाता था। सम्पन्न घरों को रात में हमला करके लूटा गया। जिस स्थान पर लोगों को बन्दी बनाकर रखा गया था, वह मजिस्ट्रेट के कैंप के सामने ३६-४० गज की दूरी पर ही था। किन्तु अपनी आँखों के सामने लोगों पर अत्याचार होते देखकर भी कानून के उस ठेकेदार ने कुछ कार्रवाई नहीं की।

तंजौर ज़िला—१४ अगस्त १९४२ को मद्रास सरकार द्वारा प्रकाशित एक प्रेस नोट के अनुसार १३ अगस्त को इस जिले के तीरुवाड़ी स्थान पर जनता की एक बड़ी भीड़ ने डिस्ट्रिक्ट मुन्सिफ-कोर्ट तथा सब-रजिस्ट्रार आफिस पर धावा किया और तिजोरियाँ तोड़कर सब रुपये-पैसे लूट लिये। उसने दूसरे आफिसों में भी तोड़-फोड़ की तथा कुछ जरूरी कागजात जला दिये।

आन्दोलन के तूफानी केन्द्र

कोयम्बटूर—कोयम्बटूर का इलाका अपने उद्योग और व्यवसायों की वदीलत 'मद्रास प्रान्त का अहमदाबाद' कहलाता है। यहाँ करीब ४० मिलें, कई बड़े-बड़े आटोमोबाइल वर्कशाप, दो टैकनिकल इन्स्टीट्यूट तथा एक इंजीनियरिंग कालेज है। ९ अगस्त को सारे शहर में मुकम्मिल हड़ताल रही और एक विराट सभा का आयोजन किया गया। पोदनूर से सिगनालूर जाती हुई एक मालगाड़ी गिरा दी गई जिसमें गोला-बारूद भरा हुआ था। कोयम्बटूर के फौजी हवाई अड्डे को फूंककर रोख कर दिया गया। अनेक शराब की दुकानें जला दी गईं तथा कचहरियों पर पिकेटिंग का जोर रहा।

मद्रास—देशप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी की सनसनीखेंज खबर सारे मद्रास शहर में विजली की तरह दौड़ गई। मुकम्मिल हड़ताल के अलावा लम्बे-लम्बे जुलूस निकले; जिसमें विद्यार्थी और मजदूर भारी तादाद में शरीक हुए। ११ अगस्त को चेतपुर में कॉलेज के विद्यार्थियों के जुलूस पर लाठी-चार्ज किया गया, जिसमें कई नौजवानों के चोटें आईं। उत्तेजित भीड़ ने ईंट और पत्थरों से एक सब इन्स्पेक्टर तथा ४ कान्स्टेबलों की मरम्मत कर डाली। १२ ता० को टेक्नोलोजी स्कूल के जुलूस पर भी ब्रोडवे में लाठी-चार्ज किया गया। जनता ने रेलवे स्टेशनों पर हमला बोल दिया, तार काट डाले, रेकार्ड जला दिए, पटरियाँ उखाड़ दीं तथा स्टेशनों को फूंक दिया।

मदुरा—आर्य संस्कृति के पुराने केन्द्र में जगह-जगह जुलूस और प्रदर्शनों का बोल-बाला रहा। ११ ता० को जिला मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आन्दोलनकारियों की पुलिस से मूठभेड़ हो गई, जिसमें ३ व्यक्ति घराशायी हो गए, १२ सख्त घायल हुए तथा २२ के हल्की चोटें आईं।

कुम्बकोनम—१६ अगस्त को सुबह ७ बजे करीब १०००० की भीड़ ने विराट् जुलूस निकाल कर दफा १४४ को खुले तौर पर तोड़ा। उत्तेजित भीड़ ने ईंट-पत्थर फेंके, जिससे कुछ जिला एवं पुलिस अधिकारियों के चोटें आईं। लाठी-चार्ज तथा गोलियों के १६ राउण्ड दागे जाने पर भी जनता टस-से-मस न हुई।

विध्वंस के अन्य कार्य—सूबे में कम-से-कम १०० जगहों पर रेलवे-स्टेशनों और पुलिस-स्टेशनों को फूँका गया। जगह-जगह पटरियाँ उखाड़ी गईं तथा टेलीग्राफ और टेलीफोन के तार काटे गए। मलावार-कोचीन एक्स-प्रेस को तिरपुर में पूरे हफ्ते भर तक पड़े रहना पड़ा। कोयम्बटूर से करीब

९ मील दूर एक घाटी में फौजी कैम्प को गहरा नुकसान पहुँचाया गया। लोगों की भीड़ पहाड़ी पर जमा हो गई और पत्थरों की वर्षा करने लगी। २०० टैंक जलकर बरबाद हो गए तथा और भी काफी सामान नष्ट कर दिया गया। फौज ने भी २०-३० मनुष्यों को गोली का शिकार बनाया। देहाती इलाकों में भी सामूहिक रूप से विध्वंस और विनाश के काम किये गए। कोयम्बटूर से करीब २० मील की दूरी पर सभी सरकारी दफ्तर फूँक दिए गए। रामनद में स्टेशन जलाए गए तथा पटरियाँ उखाड़ी गईं। दिसम्बर के महीने में कचहरी के अन्दर बमों का विस्फोट होते-होते बचा। ऐसे ही एक रोज मद्रास हाईकोर्ट के गालियारे में भी एक बम ऐन मौक़े पर फटने से बचा।

दमन—सरकारी और रेलवे की जायदाद को नुकसान पहुँचाने के अपराध में मनागद्वी गाँव पर ५०,०००)६०, त्रिवेली (जि० तंजौर) २०,०००) ६०, करायकुमी ५०,०००) ६० और पुलंकुरीची (जि० रामनद) पर ५०००) ६० सामूहिक जुर्माना किया गया। दफा १४४ तथा भारत रक्षा नियम ५६ और ३६ का पुलिस ने जिस मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया उसकी हाई कोर्ट जजों तथा सेशन जजों ने बड़ी सख्त आलोचना की। छोटे-छोटे अपराधों के लिए बूढ़ों, बालकों और स्त्रियों तक के साथ भयंकर मार-पीट की गई। गांधी-जयन्ती का कार्यक्रम रोक देने के लिए भूठ-भूठ हवाई हमले की छतरे की घंटी का भी इस्तेमाल किया गया।

मदुरा में कपयूँ तोड़ने वाले अनेक व्यक्तियों को एक दम गोली से उड़ा दिया गया। एक आदमी जो अपनी बीमार पत्नी के लिए दवा लेने किसी डाक्टर के यहाँ जा रहा था गोली का शिकार हो गया। इस समाचार का सुनकर बीमार पत्नी भी चल बसी।

देवकोटा-काण्ड—नौकरशाही से देवकोटा में जो जुल्म ढाये वे रौंगटे खड़े करने वाले हैं। हिन्दुस्तान के विलकुल दक्षिणी किनारे पर स्थित इस कस्बे में तथा आस-पास के देहातों में पूरे अगस्त और सितम्बर के महीनों में मार-पीट, लूट, स्त्रियों के अपमान आदि अत्याचारों का बाजार गर्म रहा। मलाबार पुलिस और ब्रिटिश फौज ने लोगों की जिन्दगी दुश्वार बना दी। खद्दर पहनना तक भारी जुर्म समझा जाने लगा तथा प्रतिष्ठित घराने के भले व्यक्तियों को भी तरह-तरह के अपशब्द सुनने पड़े और मार-पीट तक सहनी पड़ी। बहुत से नौजवानों को हवालात में भी सख्त वेदनाएं भुगतनी पड़ी। कइयों के तो नाखून भी उखाड़ डाले गये।

मशहूर सरस्वती पुस्तकालय का सारा सामान पुलिस लूट कर ले गई।

कुछ गुंडों के साथ वे एक शादी के उत्सव में जा घुसे। ब्रूहे के साथ मार-पीट की और रंग में भंग कर डाला। बेचारा, भोली-भाली ग्रामीण जनता सब कुछ छोड़-छाड़ कर जंगलों में भाग जाने को मजबूर हुई।

जुल्म और अत्याचारों के जो बयानात मिले हैं उन्हें सुनकर कोई भी इन्सान अपने-आपको काबू में नहीं रख सकता। दिन-दहाड़े स्त्री जाति का भयंकर अपमान किया गया। २५ अगस्त को आंधीकयल में श्री कायूव मुदालियर की धर्मपत्नी का पुलिस ने घोर अपमान करने का घोर पाप किया। २६ अगस्त को जब श्री गोपाल केशवन तलाश न किये जा सके, तो उनकी असहाय स्त्री को खीफनाक यातनाओं का शिकार बनाया गया। १३ सितम्बर को विलंकतूर गांव से श्री मुलीरुलेपा सरवई की स्त्री तथा ३ अन्य औरतों को बस में बँठाकर सब-जेल ले आये। उन्हें नग्न अवस्था में पेड़ से जकड़ दिया गया और ४ गोरे सार्जेंटों ने तथा पुलिस मैनो ने वह निर्लज्ज और वहशियाना काण्ड रचा कि बेचारी असहाय महिलाओं ने अपने सिर पेड़ से दे मारे और नौकरशाही को अभिशाप देती हुई इस दुनिया से चल बसीं। उनके शव के साथ भी न जाने क्या-क्या किया गया? अगले ही रोज श्री मुधीरुलेपा सरवई भी जिनकी उम्र ५५ साल थी, पुलिस की गोली के शिकार बना दिये गए। और भी अनेक निरपराध लोगों के मकान जला कर खाक कर दिये गए। १५ सितम्बर को श्री नगादी नायक सत्ताये गए और आखिर में कत्ल कर दिये गए।

२९ अगस्त को थिरुकदनाय में श्री रामास्वामी सरवई का मकान फूंक दिया गया और उनके वहाँ न मिलने पर उनके दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी प्रकार और भी कई व्यक्तियों के मकान और धान के भंडार जलाकर नष्ट कर दिये गए। वेलीयर गांव के लोगों को भी ऐसी ही विपत्तियों का सामना करना पड़ा। धान के तीन सौ वीरे लूट लिये गये तथा बाकी के अग्नि देवता के भेंट चढ़ा दिये गए। एक व्यक्ति के खेत, जो इस समय वर्मा में था, लूट लिये गए तथा जला दिये गए। उसके पशु भी गोली के शिकार हुए। गांव की पांच स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया। अथनगुडी स्थान पर तीन व्यक्तियों को पुलिस वालों ने हाथ-पाँव बांध कर जूतों से खूब पीटा तथा उनके मुंह में जबरन पेशाब किया। कवाथूकुडी मोनाई आदि कई गांवों के प्रायः घर और धान के भण्डार या तो लूट लिये गये या जला दिये गए। कराईकुडी पुलिस स्टेशन पर प्रति दिन सैकड़ों व्यक्ति गिरफ्तार करके लाये जाते थे तथा उन्हें बुरी तरह तकलीफ दी जाती थी। देवकोटा शहर में एक गोहल्ले के व्यक्तियों को जबरदस्ती उनके घरों से निकाल कर बाहर कर दिया गया।

बेचारों को कुछ भी सामान साथ नहीं ले जाने दिया गया । उन्हें कितनी मुसीबतें सहनी पड़ी होंगी इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है ।

मदुरा की पुलिस ने सत्याग्रहियों को तकलीफ देने का एक नया राक्षसी तरीका निकाला । वह सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करके शहर से मीलों बाहर जंगल में ले जाती थी । वहां उनके शरीर में निर्दयतापूर्वक गरमी बढ़ाई जाती थी तथा बेहोशी की हालत में उनके तमाम कपड़े जला कर उन्हें बिलकुल नंगा करके छोड़ दिया जाता था ।

उड़ीसा प्रान्त

उड़ीसा १ अप्रैल सन् १९३६ से एक पृथक् प्रान्त बनाया गया है। यह नवीन प्रान्त उन भागों के मिश्रण से बना है जहां पर उड़िया भाषी लोग बहु-तायत से रहते हैं। उड़िया लोगों में देशभक्ति की भावना विशेष रूप से पाई जाती है। इनका अपनी संस्कृति एवं भाषा के प्रति विशेष अनुराग है। अतएव जब कभी भी उड़िया भाषी प्रदेश को बांटने का प्रयत्न किया गया है तो उड़िया लोगों ने उसका तीव्र विरोध किया है। उनका कहना है कि आज-कल उड़ीसा कहलाने वाले प्रदेश में उनके पूर्वजों का महाभारत-काल में उत्कल साम्राज्य के नाम से एक विस्तृत राज्य कायम था।

उड़िया लोगों में आन्ध्र-निवासियों की तमाम खूबियां तथा बंगालियों की सारी कमियां एक साथ पाई जाती हैं। इस प्रकार उनमें दो परस्पर विरोधी सांस्कृतिक भावनाओं का मिश्रण हुआ है, जिसका प्रान्त के और विशेष कर बालासोर के उत्तरी जिलों तथा गंजम के दक्षिणी जिलों के राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा है। प्रान्त में परस्परागत जमींदारों की संख्या काफी है, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर जनता का खूब शोषण किया है। यहां पर किसान संगठनों का भी जोर है। अतः १९२२ से यहां कई बार जमींदार-विरोधी आन्दोलन चले हैं।

उड़ीसा के पूर्वी समुद्र-तट पर अप्रैल सन् १९४२ में जापान ने कई ब्रिटिश जहाज डुबो दिए। इससे जापान के आक्रमण का भय बहुत अधिक बढ़ गया। सरकार ने अपना सदर मुकाम कटक से उठाकर भीतर की ओर १६० मील दूर सम्भलपुर में बदल दिया। यही नहीं, उसने यातायात एवं आवागमन के सभी साधनों को अपने हाथ में ले लिया। साइकिलों एवं देहाती नावों पर भी उसका अधिकार हो गया। उसने यह हुक्म जारी किया कि समुद्री तट के स्थानों का तमाम धान एवं चावल तट से २० मील भीतर भेज दिया जाय। इस प्रकार नित्य नई मुसीबतों के कारण अंग्रेजी सरकार के प्रति लोगों के हृदय

में तीव्र कटूता के भाव उत्पन्न हो गए। कांग्रेस नेताओं ने समुद्री तट के देहातों का दौरा किया और लोगों की रक्षा के लिए जगह-जगह चुने हुए स्वयंसेवक तैनात कर दिये। उनका काम लोगों की हर तरह से मदद करना था। किन्तु सरकार को यह सहन नहीं हुआ। उसने उनके काम में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप सहायता कार्य बन्द कर देना पड़ा।

इतने में ९ अगस्त को बम्बई में राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। समूचे प्रान्त में एक साथ क्रान्ति की आग भड़क उठी। चारों ओर से आवाज आने लगी, "अंग्रेज सरकार न केवल विदेशी शक्ति से हमारी रक्षा करने में असमर्थ है, बल्कि वह महात्मा गांधी, पं० जवाहर लाल नेहरू आदि राष्ट्र के नेताओं को देश की आजादी की मांग करने पर गिरफ्तार कर जेल के सीखियों में बन्द करने का तैयार है। अतएव ऐसी सरकार को, जो लोगों की स्वतन्त्रता का अपहरण करने में जरा भी आगा-पीछा नहीं सोचती, जितनी जल्दी उखाड़कर फेंक दिया जाय उतना ही अच्छा है।" इस प्रकार प्रान्त के लोग अंग्रेजी सरकार को मटिया-मेट कर देने में जी-जान से लग गए।

उड़ीसा में आन्दोलन का रूप सुव्यवस्थित नहीं रहा। जो कुछ लोगों ने किया वह इधर-उधर बिखरे हुए रूप में ही। अन्य प्रान्तों की भांति यहाँ भी आन्दोलन का श्रोगणेश हड़तालों एवं सभाओं के रूप में हुआ। बाद में लोगों ने संगठित तथा असंगठित रूप में सरकारी इमारतों पर कब्जा करने का प्रयत्न भी किया। किन्तु आन्दोलन अधिक नहीं चल सका, क्योंकि प्रधान-प्रधान नेता गिरफ्तार करके जेलों में बन्द कर दिये गए थे।

इस प्रान्त के जमींदारों का खास तौर पर विरोध किया गया। जनता सदियों से जमींदारों द्वारा पिसती आ रही थी। अतएव उसने इस आन्दोलन में लाभ नठाया और वह जमींदारी प्रथा के तमाम बन्धनों को तोड़ फेंकने के लिए प्रस्तुत हो गई। जमींदार लोगों ने मुस्लिम गुंडों से सहायता ली। सरकार भी अपने पिटूठुओं की मदद करने से भला कव चूकती? उसने मुसलमानों को सामूहिक जुर्माना देने से मुक्त कर दिया। कई स्थानों में सरकार ने भी मुस्लिम गुंडों को आन्दोलन-कर्ताओं को कुचलने एवं उन पर आतंक का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

यों तो समूचे प्रांत में आन्दोलन का दौर-दौरा रहा, किन्तु बालासोर, कटक और कोरापुर जिले इसके प्रधान केन्द्र थे। कोरापुर की प्रायः दत्त-प्रति-गत जनता ने, बालासोर के तीन-चौथाई व्यक्तियों ने तथा कटक के आधे लोगों ने आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया।

अन्य स्थानों की भांति उड़ीसा के विद्यार्थियों ने भी देश की आजादी की इस लड़ाई में प्राणों की बाजी लगा दी । उनके त्याग एवं बलिदान का पता इसी से लग सकता है कि आन्दोलन-काल में प्रकाशित होने वाली प्रत्येक सरकारी विज्ञप्ति में आन्दोलन को "अधिकारियों के प्रति विद्यार्थियों का विद्रोह" नाम दिया जाता था । जनता को आन्दोलन-सम्बन्धी शिक्षा देने, हड़ताल करवाने, विरोध-सभाओं का संगठन करने तथा सरकारी शासन को पंगु बनाने के लिए आतंकपूर्ण कार्य करने वाले ये विद्यार्थी ही थे । विद्यार्थियों की इन सर-गरमियों का यह प्रभाव पड़ा कि अधिकारियों को शिक्षा संस्थाएं काफी अरसे तक बन्द कर देनी पड़ीं । विद्यार्थियों ने पब्लिक संस्थाओं पर भी अधिकार जमाने का प्रयत्न किया । कई स्थानों पर तो उन्हें इस कार्य में बड़ी सफलता मिली । उन्होंने सरकारी अफसरों को इस्तीफा देने के लिए भी प्रेरित किया । उड़ीसा की छात्राओं ने भी अपने भाइयों के साथ कन्धे-से-कन्धा मिलाकर इस आन्दोलन में भाग लिया । कटक जिले के रावनशा गर्ल्स कालेज की छात्राओं का विशेष रूप से उल्लेख करना पड़ेगा ।

उड़ीसा की स्त्रियों ने भी देश की आजादी की इस लड़ाई में पुरुषों से किसी प्रकार कम भाग नहीं लिया । एरम की बात है कि पुलिस ने प्रदर्शन-कर्ताओं पर गोलियां चलाई । उस समय करीब २०० की संख्या में स्त्रियां आगे बढ़ीं और गोलियों की बौछार में पुलिस के सामने जा खड़ी हुईं । उन्होंने आजादी के पैगाम को मोहल्ले-मोहल्ले में पहुंचाया तथा धान छिपाकर रखने वाले व्यक्तियों को अपना अन्न गरीब लोगों को बांट डालने के लिए प्रेरित किया । ग्राम पंचायत के पुलिस अधिकारी को भी अपने तमाम कामजात सौंप देने के लिए मजबूर किया ।

कांग्रेस-मिनिस्टरी के इस्तीफा देने के बाद उड़ीसा में पार्ल की मेडी के महाराजा की अध्यक्षता में दूसरा मिनिस्टरी कायम हो गई थी । अतएव गवर्नर को अन्य प्रान्तों की भांति खुलकर खेलन का अधिक अवसर प्राप्त नहीं हो सका । यहां के लोगों ने अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक उत्तेजना एवं प्रतिहिंसा से काम लिया, किन्तु इतना होते हुए भी यहाँ दमन-चक्र की गति कुछ धीमी रही; इसके कई कारण थे । जापानी आक्रमण का भय मूर्तिमान होकर समूचे प्रान्त को निगल रहा था । अतएव प्रान्तीय सरकार का ध्यान इस तात्कालिक खतरे की ओर लगा हुआ था और वह किसी जन-आन्दोलन का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थी । फिर भी अन्य स्थानों की भांति यहाँ भी आन्दोलन में भाग लेने वालों पर गोलियां चलाई गईं तथा लाठी-ज्वारन किये गए जिससे

काफी लोग मारे गए तथा सैकड़ों वुरी तरह से घायल हुए। बहुत से गांव लूट लिये गए तथा जलाकर नष्ट कर दिये गए। स्त्रियों पर बलात्कार भी हुए। साधारण जनता को भौंति-भौंति की यातनाएं दी गईं। नेता लोग पकड़कर जेलों में ठूस दिये गए। उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली गई। रचनात्मक कार्य करने वाली संस्थाओं—जैसे खादी आश्रम आदि पर भी कब्जा कर लिया गया एवं बहुत से गावों पर सामूहिक जुर्माना लगाया गया।

उड़ीसा में ६ बार गोली-काण्ड हुए और २५ जगह लाठी-चार्ज हुए। ७६ आदमी जान से मारे गए और २२४३ घायल हुए। कुल १,१६००० रुपया सामूहिक जुर्माना किया गया।

अब हम उड़ीसा के आन्दोलन पर जिले वार प्रकाश डालेंगे।

कोरापट

सन् १९३५ के विधान से कोरापट में दो अमली कायम हो गई है। सम्पूर्ण जिले में जयपुर के महाराजा की जमींदारी है, किन्तु साथ में अंग्रेजी सरकार का भी आविपत्य है। अतएव इसका शासन बहुत ही अव्यवस्थित है, जिससे यहां की जनता को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जमींदार महोदय २० लाख रुपये की आमदना में से पेशकश के रूप में सरकार को केवल १६ हजार रुपए देते हैं।

नेताओं की गिरफ्तारी की खबर पाते ही कोरापट की जनता क्षुब्ध हो उठी। विरोध-स्वरूप जिले भर में स्थान-स्थान पर हड़तालें की गईं तथा जुलूस निकाले गए और सजाएं दी गईं। लोगों ने उत्तेजना में आकर तोड़-फोड़ करना प्रारम्भ कर दिया। टेलीफोन एवं टेलीग्राफ के तार काट डाले गए। रेल की पटरियां उखाड़कर फेंक दी गईं। बहुत से स्थानों पर संरक्षित जंगलों के पेड़ काट डाले गए। रेल के स्लीपर नष्ट कर दिये गए। पुल तोड़-फोड़ डाले गए। इंस्पेक्शन बंगले तथा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अवीन अन्य इमारतें जलाकर खाक कर दी गईं। पुलिस थानों पर घावा किया गया तथा सरकारी रेकार्ड फूंक दिये गए। स्कूलों, कालेजों एवं बाराब की भट्टियों पर पिकेटींग किया गया।

२८ अगस्त की बात है कि प्रान्त के प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्री लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में करीब २००० व्यक्ति मल्कनगिरि तालुका के मठीली गांव में पहुंचे। उन्होंने गांव वालों के सहयोग से एक विशाल सभा की। श्री नायक महोदय ने अपने भाषण में लोगों को अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने के लिए उकसाया। पुलिस घटनास्थल पर मौजूद थी। पुलिस इंस्पेक्टर श्री

नायक को गिरफ्तार करके थाने की ओर ले जाने लगा। लोग अपने नेता के पीछे-पीछे थाने की ओर जाने लगे। थाने पर पहुंचने पर अधिकारियों ने लोगों को अपने घर लौट जाने की आज्ञा दी। किंतु आजादी के दीवाने बड़ी मस्ती के साथ राष्ट्रीय नारे लगाते रहे। इस पर पुलिस वालों ने बिना किसी पूर्व सूचना के गोली बरसाना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप ६ व्यक्ति मारे गए तथा बहुत से घायल हुए। पुलिस वालों की रक्त-पिपासा इतने से ही शान्त नहीं हुई और उन्होंने बन्दी हालत में ही श्री नायक पर किर्चों एवं भालों से वार किया। कई अन्य व्यक्तियों पर भी ऐसे ही प्रहार किये गए। पर इतना होने पर भी लोगों ने बड़े साहस से काम लिया। उन्होंने जैसे-तैसे अपने-आपको पुलिस वालों के चंगुल से बचा लिया और इस प्रकार एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इस भिड़न्त में जयपुर स्टेट का एक फॉरेस्ट गार्ड, जो उस समय शराब के नशे में चूर था, भीड़ की भाग-दौड़ के कारण पुलिस स्टेशन के पास बहने वाली नहर में जा गिरा। संयोगवश पुलिस द्वारा चलाई गई लाठियों से उसका सिर पहले से ही जरूमी हो चुका था। अतएव नहर में गिरते ही उसके प्राण-पखेरू उड़ गए और मृत शरीर पानी पर तैरने लगा।

इस घटना के ८ या १० दिन के बाद कलक्टर और पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट उसी गांव में पहुंचे और कांग्रेसियों एवं उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों पर झूठे केस बनाये गए। श्री नायक तथा उनके साथियों पर फॉरेस्ट गार्ड की हत्या का अभियोग लगाकर केस चलाया गया। श्री नायक को फांसी की सजा तथा उनके १० साथियों को आजन्म कारावास का हुक्म सुनाया गया। इस पर हाईकोर्ट में अपील की गई। वहां श्री नायक और उनके साथी बिलकुल निर्दोष सिद्ध हुए और सजाएं रद्द कर दी गईं।

आन्दोलन के प्रारम्भ के दिनों की बात है कि ६-७ हजार व्यक्तियों का एक जुलूस श्री माधव प्रधानी और दूसरे कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं के नेतृत्व में दबू-ग्राम की ओर जा रहा था। जुलूस जब पप्पाडहांडी नदी के संकरे पुल पर पहुंचा तो पुलिस वालों के दो दल, जो वहां पहले से ही तैयार थे, लोगों पर टूट पड़े और एक साथ लाठियों एवं गोलियों की बौछार करने लगे। परिणाम-स्वरूप १९ व्यक्ति शहीद हुए और सी से अधिक के बुरी तरह चोटें आईं। १४० व्यक्तियों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और कइयों पर षड्यन्त्र-केस चलाया।

जेल में भी राजनैतिक बन्दियों के साथ बड़ा पंशाचिक व्यवहार किया

गया। बन्दियों पर लाठियां एवं गोलियां चलाई गईं। कोरापट जेल में करीब ५० राजनैतिक बन्दी पिंजड़ों में ही भून दिये गए। बहुत से बन्दियों को एक अत्यन्त छोटी अन्वैरी कोठरी में ठूस दिया गया; जिससे कई दम घुटने के कारण मर गए। तीन व्यक्तियों को टांगें बाँध कर पेड़ से लटका दिया और वेंटों और लाठियों से बुरी तरह पीटा। इस प्रकार हम देखते हैं कि नौकर-शाही ने अत्याचार करने में नाजियों को भी कोसों पीछे छोड़ दिया था।

इस जिले में १९७० व्यक्ति गिरफ्तार किये गए और ५६० दण्डित किये गए। नजरबन्दों की संख्या ११ थी। २ जगह गोली-काण्ड और २४ जगह लाठी-चार्ज हुए। २८ आदमी मारे गए और २१४७ सख्त घायल हुए। अदालतों में ११,२०० रु० जुर्माना किया गया, जिसमें से ९३७१ रु० वसूल किया गया। ९००० की सम्पत्ति जब्त की गई, पुलिस ने ४ घर जला दिये। जिले में स्त्रियों के साथ १२ बलात्कार की घटनाएं हुईं।

वालासाँर

इस जिले में आन्दोलन की गति काफी तीव्र रही। करीब तीन चौथाई जनता ने आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना पाते ही स्कूलों एवं कालेजों के विद्यार्थी बाहर निकल आये। परिणाम-स्वरूप अधिकारियों को काफी असुर्य तक विद्यालय बन्द कर देने पड़े। शहरों एवं गाँवों में भी हड़तालें चलती रहीं। बड़े-बड़े जुलूस निकाले गए। शराब की भट्टियों और अदालतों पर पिकेटिंग किया गया। इस जिले के आन्दोलन की यह विशेषता थी कि लोगों ने अंग्रेजी सरकार के साथ-साथ उसके पिट्टू जमींदारों का भी विरोध किया। किन्तु जमींदारों ने आन्दोलन को कुचलने के लिए भाड़े के टट्टू मुस्लिम गुण्डों से काम लिया।

इस जिले में सितम्बर के पिछले दिनों में आन्दोलन खूब जोरों से चला। स्थान-स्थान पर तार काटे गए, सरकारी संस्थाओं पर धावा बोला गया, सरकारी बंगले फूंक दिये गए तथा कितने ही पुल तोड़-फोड़ डाले गए। कई स्थानों पर लोगों ने सरकारी कर्मचारियों एवं जमींदारों के विरुद्ध बल-प्रयोग भी किया। घामनगर और खड़िया थानों की हद में इस प्रकार के कांड अधिक हुए। वालासाँर के सब डिवीजनल-ऑफिसर की अदालत में ६ व्यक्ति घुस गए और अधिकारियों के देखते-देखते सरकारी रेकार्ड नष्ट कर डाले गए। चौकीदारों की बंदियों को भी अग्नि देवता की भेंट चढ़ा दिया गया।

श्री मुरलीधर पंडा के नेतृत्व में एक गिरोह इस प्रकार के कामों में बड़ी तत्परता से भाग ले रहा था। इस गिरोह के लोग खल्लमखुल्ला सरकारी

कर्मचारियों पर हमले करते थे तथा महाजनों को अपना धान का स्टोक, जो उन्होंने छिपाकर रख रखा था, भूखे लोगों को वाँटने के लिए बाध्य करते थे। पुलिस वालों की एक मजबूत पार्टी श्री मुरलीधर और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करने पहुँची। २२ सितम्बर की सुबह कटशाही स्थान पर उसका मुरलीधर तथा उनके ४ हजार साथियों से आमना-सामना हुआ। श्री मुरलीधर के साथी पुलिस वालों के हमला करने के पहले ही उन पर टूट पड़े। सब-इन्स्पेक्टर और कुछ कान्स्टेबल बुरी तरह से घायल हुए। पुलिस ने ३५ राउंड गोली चलाई जिससे जनता के ६ व्यक्ति मारे गये और पांच बुरी तरह से घायल हुए। घायलों में से २ व्यक्तियों ने अस्पताल में प्राण त्याग दिए। इस घटना से सरकार दमन पर तुल गई और उसने सशस्त्र पुलिस एवं फौज को बुला लिया। श्री मुरलीधर ने देखा कि यदि मैं गिरफ्तार न हुआ तो सरकार मेरे लिए गांव वालों को परेशान करेगी। अतएव गांव वालों को बचाने के लिए उन्होंने अपने-आपको पुलिस के हाथों सौंप दिया।

२३ सितम्बर को खड़िया पुलिस स्टेशन पर जनता की एक भीड़ ने हमला किया और अपने प्रसिद्ध क्रान्तिकारी कार्यकर्ता को, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा था, छोड़ा लिया। जनता एवं पुलिस की इस भिड़न्त में पुलिस के कुछ कर्मचारी घायल हुए। २५ तारीख को पुलिस का एक दल २३ तारीख को हमला करने वाली भीड़ के नेताओं को पकड़ने के लिए आया। लोगों को जब इसकी सूचना मिली तो वे पांच सौ की तादाद में खँड़ाडीह स्थान पर इकट्ठे हो गये। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को साफ कह दिया कि हम अपने नेताओं को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। यहां लोगों ने पुलिस वालों को चारों ओर से घेर लिया, किंतु उन्होंने गोली खाकर जैसे-तैसे अपनी जान बचाई।

आन्दोलनकर्ताओं की एक भीड़ ने एराम के जमींदार के मालगादाम को घेर लिया। जमींदार ने पुलिस से सहायता की प्रार्थना की। २८ सितम्बर को वासुदेवपुर के थाने से पुलिस अधिकारी १८ सशस्त्र कांस्टेबलों के साथ एराम के लिए रवाना हुए। चौकादारों के पास सिपाहियों के थैले थे, जिनमें उनका सब सामान था। भीड़ ने चौकीदारों पर हमला किया और हथियारों से भरे थैलों को छीन लिया। सिपाहियों ने भीड़ से थैले छीनने की कोशिश की। भीड़ में उस समय करीब चार-पांच हजार व्यक्ति थे। पुलिस वालों की संख्या इसके सामने बिल्कुल नगण्य थी। अतएव भीड़ ने बड़ी आसानी से पुलिस वालों को एक खुले मैदान में घेर लिया। किंतु पुलिस वालों ने गोली चलाई और जैसे-तैसे स्थानीय जमींदार के एक निकटवर्ती पक्के मकान में शरण ली।

रात अधिक हो जाने के कारण लोग भी अपने घरों को चले गये । दूसरे दिन घटनास्थल पर १५ लाशें मिलीं । भीड़ रात को ही अपने तमाम घायल एवं अनेक मरे हुए साथियों को उठा ले गई थी । अतएव यह बताना कठिन है कि इस घटना में कितने व्यक्तियों की जानें गईं तथा कितने बुरी तरह घायल हुए । हां, सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है कि २५-३० व्यक्ति मारे गये तथा ४०-५० घायल हुए ।

दामनगर में पुलिस ने विलकुल शान्त एवं निर्दोष व्यक्तियों की एक भीड़ पर गोली चलाई, जिससे ८ व्यक्ति मारे गये तथा ४० घायल हुए । ४० व्यक्ति गिरफ्तार भी किये गए । इस घटना के प्रसंग में श्री कल्लीमहालिक का नाम विशेष उल्लेखनीय है । यह वह वीर था जिसने देश की आजादी के लिए सबसे आगे बढ़कर गोली खाई थी । उसके मुंह पर तीन घातक गोलियां लगी थीं ।

सरकारी कर्मचारी जापानी आक्रमण के भय से कांप रहे थे । नित्य नई अफवाहों के कारण उनका खाना-पीना सब छूट गया था । एक दिन की बात है कि कुछ नटखट व्यक्तियों ने अधिकारियों को चकमा देने की नीयत से विवाह के मौके पर कुछ विस्फोटक पदार्थ छोड़े । आफिसरों ने सोचा जापानी बम फटा है, बेचारा पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट भय के मारे थर-थर कांपने लगा । उसने तुरन्त अपनी यूरोपीय पोशाक उतार कर फेंक दी और घोती-कुर्ता पहन लिया । इतने पर भी उसका भय शान्त न हुआ । उसने डाक विभाग के एक अफसर के साथ एक नाव किराये पर ली और वैतरणी नदी के इस पार आ गया । अन्त में कुछ कांग्रेस वालों ने उन्हें समझा-बुझाकर वापस भेजा ।

वालासोर जिले में ३०० से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किये गए और २५० नजरबन्द । ३ जगह गोली-कांड हुए । ४२ आदमी मरे २७० घायल हुए । ६००० रु० सामूहिक जुर्माना किया गया ।

कटक

कटक उड़ीसा प्रान्त का सदर मुकाम है । प्रान्त की राजधानी भी यहा है । अतएव यहां की जनता में राजनीतिक जागृति विशेष रूप से है । अखिल भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के साथ कटक जिले के नेता भी गिरफ्तार करके जेल में बन्द कर दिये गए तो यहां की जनता भी अन्य स्थानों की भांति क्षुब्ध हो उठी और उसने अपने विरोध को विभिन्न रूपों में प्रकट करना शुरू कर दिया । जिले भर में हड़तालों का तांता बंध गया और स्थान-स्थान पर विरोध-सभायें की जाने लगीं ।

अन्य स्थानों की भांति यहां के विद्यार्थियों ने भी आजादी की इस खड़ाई में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कटक शहर के तमाम हाई स्कूलों तथा कालेजों के छात्र एवं छात्राओं ने अपनी पढ़ाई का त्याग कर दिया और आन्दोलन में जुट गये। परिणाम-स्वरूप अधिकारियों को स्कूल और कालेज काफी अर्से तक बन्द रखने पड़े। सरकारी शासन को पंगु बनाने के लिए इन विद्यार्थियों ने सरकारी अफसरों को अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया। खेनशा कालेज के एक क्लर्क ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और आन्दोलन में शरीक हो गया। इस कालेज की हड़ताल तुड़वाने के लिए अधिकारियों ने काफी प्रयत्न किया, किंतु कुछ सफलता न हुई। उन्होंने छात्राओं को यह धमकी दी कि यदि तीन दिन के अन्दर वे कालेज में हाजिर न होंगी तो उनका नाम काट दिया जायगा तथा फीस आदि की माफी की रियायतें बंद कर दी जायंगी। किंतु आजादी की दीवानी लड़कियों पर अधिकारियों की इस चेतावनी का कुछ भी असर न हुआ। कुछ उत्तेजित लड़कियों ने कालेज के दफतर पर हमला किया और तमाम कागजात जला डाले।

विद्यार्थियों की हड़ताल की यह खूबा थी कि मुसलमानों ने भी अपने हिन्दू भाइयों के साथ इसमें पूरा भाग लिया। कटक का मुस्लिम हाई स्कूल बहुत दिनों तक बन्द रहा।

नवयुवकों द्वारा उत्तेजना पाकर लोगों ने पुलिस-स्थानों और अन्य सरकारी संस्थाओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। बहुत-सी सरकारी इमारतें जला दी गईं, जिनमें अरसमा का डाकखाना, इन्स्पैक्शन हाउस, जगतसिंहपुर की तहसील तथा सहीरा का रैस्ट हाउस, रेवेन्यू दफतर और सिपाहियों के बेरक विशेष उल्लेखनीय हैं। स्थान-स्थान पर टेलीग्राफ और टेलीफोन के तार काट डाले गये। ८ सितम्बर को कटक के जनरल हॉस्पिटल पर घावा किया गया और चौकीदारों की बर्दियों को फूंक दिया गया। १६ अगस्त की रात है कि कुछ कांस्टेबल राजनैतिक बन्दीयों को जयपुर सब डिवीजन ले जा रहे थे। ३ हजार नवयुवकों के एक झुंड ने पुलिस वालों को रोक लिया। पुलिस के कुछ आदमी जखमी हुए। उधर मजिस्ट्रेट ने गोली चलाने का हुक्म दे दिया। २८ राउंड गोली चलीं जिससे १ व्यक्ति मारा गया तथा १२ घायल हुए।

पुलिस का दमन-चक्र काफी तीव्र रहा। श्री गोपबन्धुदास, आचार्य हरिहर आदि जिले के सभी प्रमुख कांग्रेस-कार्यकर्त्ता गिरफ्तार कर लिये गए। तमाम कांग्रेस संस्थाएँ गैरकानूनी करार दे दी गईं। कांग्रेस-दफतरों को पुलिस ने मोहर चपड़ी लगाकर अपने कब्जे में कर लिया। मुख्य-मुख्य कांग्रेसियों के घरों

की तलाशियां ली गई तथा उनकी सब सम्पत्ति जब्त कर ली गई। १० अगस्त से ही कटक शहर में १४४ धारा लगा दी गई। भोलानन्द बाल सेवाश्रम जबरन बन्द करवा दिया गया। गांधी-आश्रम के मैनेजर गिरफ्तार कर लिये गए और रहना सावना-कुटीर को सरकार ने अपन कब्जे में कर लिया। एरसमा और तिरतोल थानों के बहुत-से गांधी में क्रमशः पांच हजार और तीन हजार रुपया सामूहिक जुर्माना लगाया गया। गजनर के स्पेशल आर्डर के मुताबिक इन गांधी की मुस्लिम जनता जुर्माना देने से बरी कर दी गई। यही नहीं, सरकार ने मुसलमानों को आन्दोलनकारियों के विरुद्ध खड़ा करने के भी प्रयत्न किये।

पुरी

पुरी के संस्कृत कालेज और देलांग थाने के विद्यार्थियों ने आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया। पुरी कालेज के २५० विद्यार्थियों में से सिर्फ ६ विद्यार्थी कालेज में उपस्थित हुए; इन ६ ने भी बाद में हड़ताल में भाग लिया। इस प्रकार कई सप्ताह तक कालेज बिलकुल बन्द रहा। पुरी के एडवर्ड हाईस्कूल आदि दूसरे विद्यालयों में भी काफी असें तक हड़तालें चलती रहीं। १७ अगस्त को विद्यार्थियों ने एक विशाल सभा की जिसमें अंग्रेजी सरकार की कड़ी आलोचना की गई।

पुरी की जनता अन्य जिलों की अपेक्षा कुछ शान्त रही। सरकारी इमारतों पर इक्के-दुक्के ही हमले हुए। १६ सितम्बर को ५०० व्यक्तियों की एक सभा हुई। यह निश्चय किया गया कि नीमपाड़ा के सरकारी कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जाय। लोग थाने पर पहुंचे और उन्होंने बलपूर्वक उस पर कब्जा करने का प्रयत्न किया। उन्होंने पुलिस-कर्मचारियों पर ईंट और पत्थर फेंके जिससे कुछ व्यक्ति घायल हुए। पुलिस ने इस पर ११ राउंड गोलियां चलाईं, जिससे जनता का एक व्यक्ति मारा गया और ११ घायल हुए।

गंजम

इस जिले की जनता अन्त तक शान्त रही। उसने अपना विरोध शान्तिपूर्ण एवं सगठित तरीकों से जाहिर किया। पारला की मेड़ी के महाराजा-कालेज के छात्रों ने अपनी कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। पुलिस ने ६ विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया। १४ अगस्त को इस इलाके के वार-बोर्ड के मेम्बरों ने इस्तीफा दे दिया। १५ तारीख को छत्रपुर हाईस्कूल के ५०० विद्यार्थियों ने हड़ताल की।

मठौली में करीब एक हजार व्यक्तियों की भीड़ ने शराब की भट्टी पर हमला किया। इसके बाद उसने स्टेट आफिस पर धावा किया। मैजिस्ट्रेट ने लोगों को काफी चेतावनी दी, किन्तु उन्होंने उनकी एक भी न सुनी। वे वहां से थाने की ओर भपटे। उन्होंने अधिकारियों को धमकी दी कि या तो थाना खाली कर दीजिये नहीं तो हम इसे नष्ट कर देंगे। अधिकारियों ने लोगों की बात मानने से इन्कार कर दिया। इससे लोग उत्तेजित हो गये और वे अधिकारियों पर टूट पड़े। कई पुलिस कांस्टेबलों को चोट आई। मैजिस्ट्रेट के आर्डर से गोली चलाई गई। १८ राउंड गोली चलीं, ४ व्यक्ति मारे गये और ३ जखमी हुए।

सम्भलपुर

गंजम जिले की भांति यहां की जनता ने भी अपना रोष शान्तिपूर्ण तरीके से प्रदर्शित किया। अतएव कोई घातक घटना नहीं घटी। कई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गए। पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर पर छापा मारा और उस पर माहर चपड़ी लगा दी। वह दफ्तर की साइक्लोस्टाइल मशीन भी उठा ले गई।

मध्यप्रान्त का कौशल

बंगाल तथा बम्बई प्रान्त के बीच के एक बृहन् त्रिभुजाकार भू-भाग को मध्यप्रान्त और बरार कहते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल १,३१,५५७ वर्ग मील और जन संख्या १६,८२२,५८४ है। कांग्रेस ने भाषा के आधार पर सूबे को तीन भागों में विभाजित कर दिया है। इनमें एक महाकौशल, दूसरा मराठी मध्यप्रान्त और तीसरा विदर्भ कहलाता है।

और स्थानों की तरह इस प्रान्त में भी नेताओं की गिरफ्तारियों पर जुलूसों तथा अंग्रेज-विरोधी प्रदर्शनों से आन्दोलन शुरू हुआ। पुलिस के अत्याचारों के बावजूद लोग अहिंसात्मक रहे। बहुत कम स्थानों पर हिंसात्मक कार्य हुए। लोगों ने गुरिला ढंग की लड़ाई लड़ी और गुप्त रूप से काम किया। इस सूबे के लोगों ने सन् १९४२ के आन्दोलन में चाहे कुछ भी किया हो, आष्टी और चिमूर के रहने वालों के कार्य कभी भी नहीं भुलाए जा सकते। नागपुर के १८ वर्षीय बालम शंकर को, जो सबसे पहले फाँसी पर चढ़ा, हमारा इतिहास सदा पूजेगा।

आष्टी और चिमूर आदि स्थानों में जो अत्याचार हुए, उनकी खुद सरकार के न्यायालयों को निन्दा करनी पड़ी। सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने अपने फंसले में लिखा कि पुलिस ने वे कार्य किये हैं जो उसे न करने चाहिए थे और जिन्हें करने का उसे कोई अधिकार न था। हाईकोर्ट के जज ने चिमूर केस में कहा कि चिमूर के रहने वालों ने कोई ऐसा शोचनीय कार्य नहीं किया। हाँ, जो अत्याचार सरकार ने वहाँ किये उनके लिए उसे पूर्ण रूप से कभी दण्ड नहीं मिला और न उसकी निन्दा ही हुई। जज ने कहा कि उसे दुःखपूर्वक यह कहना पड़ता है कि जब सरकिल इन्स्पेक्टर को मारा गया तब जनता उसके अत्याचारों से अत्यन्त दुखी थी। चिमूर और आष्टी में स्त्रियों तक को अपमानित और बेइज्जत किया गया। इसके विरोध में प्रोफेसर भंसाली ने अनशन किया और सरकार के सामने अत्याचारों की जाँच करवाने की माँग पेश की।

वायसराय की कौंसिल के तत्कालीन सदस्य श्री अणुे इस मामले में बीच में पड़े थे ।

अन्य सूबों के विद्यार्थियों की तरह यहाँ पर भी विद्यार्थियों ने आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया । जुलूस निकाले, धानों और कचहरियों पर तिरंगे भंडे फहराए, आन्दोलन के इशितहार बाँटे और गाँवों में 'करो या मरो' का संदेश दिया । नागपुर यूनिवर्सिटी तथा सेकसरिया कॉमर्स कालेज वर्धा के विद्यार्थियों ने आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया ।

नेताओं की गिरफ्तारियों के बाद सूबे के कितने ही स्थानों में कठोरता और भयानकता का राज्य हो गया । कार्यकर्ता जेलों में सड़ते रहे और उनके मुकदमे भी पेश न किये गए । सूबे के बहुत से भागों में आवागमन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । जनता की ओर से कहीं हिंसा हुई तो वह केवल अत्याचारक बिना किसी पूर्ण योजना के । इसके विरुद्ध सरकार ने व्यवस्थापूर्वक अत्याचार किये । आदमी अन्धाधुन्ध गिरफ्तार कर लिये गए । स्त्रियों पर बलात्कार हुए । गाँव के गाँव जला दिये गए । भारी सामूहिक जुमनि हुए । जो लोग सामूहिक जुमनि न दे सके उन पर घोर अत्याचार किये गए तथा उनका सब कुछ छीन लिया गया ।

मध्यप्रान्त में खुले विद्रोह के सिलसिले में ३२२६ व्यक्ति नजरबन्द किये गए और ५०१० व्यक्तियों को सजायें दी गईं । ३० जगह गोली-काण्ड हुए, जिनमें ३४५ व्यक्ति मारे गये और करीब १६० सख्त घायल हुए । २,१८,१०० रु० सामूहिक जुमनि किया गया । जनता ने ६२ सरकारी इमारतों पर हमले किये ।

भराठी मध्य प्रान्त

नागपुर प्रान्त के अन्तर्गत मध्यप्रान्त के भंडारा, नागपुर, वर्धा तथा चांदा ये चार जिले आते हैं । इन चारों जिलों के लोगों की मुख्य भाषा मराठी है । अब हम इन जिलों में हुए आन्दोलन का पृथक्-पृथक् वर्णन करते हैं ।

भण्डारा जिला

इस जिले में ६ अगस्त से ही आम हड़ताल प्रारम्भ हो गई जो १४ अगस्त तक चलती रही । १४ तारीख को भंडा अभिषादन के बाद चौधरी ताँवाजी नायक तथा चार अन्य व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गए । पुलिस ने प्रदर्शन-कर्ताओं पर गोली चलाई जिससे जनता भी उत्तेजित हो गई और उसने गोली का जवाब पत्थरों एवं ईंटों से दिया । इस घटना में ६ व्यक्ति मारे गए

तथा २५, ३० घायल हुए। उत्तेजित जनता ने टेलीफोन एवं टेलीग्राफ के तार काट डाले तथा सरकारी इमारतों पर घावे किये। १५ ता० को तुमसर में १४४ घारा लगा दी गई और अधिकारियों ने कांग्रेस-दफ्तर तथा कार्यकर्त्तियों के मकानों की तलाशी ली।

भंडारा में १४ अगस्त का नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में श्री प्रभावती के सभापतित्व में एक विशाल सभा हुई। लोग पूर्ण रूप से अहिंसात्मक एवं शान्त थे, परन्तु अधिकारियों ने गोली चलाई जिससे २ व्यक्ति मारे गए। पास में खड़ी हुई एक गाय भी मारी गई दूसरे दिन विद्यार्थियों ने एक बड़ा जुलूस निकाला और इस प्रकार पुलिस के अत्याचारों के प्रति अपनी हार्दिक घृणा प्रकट की।

मुहारा की जनता ने भी हड़ताल, जुलूस एवं सभा आदि करके अपना विरोध प्रदर्शित किया। कुछ उत्तेजित लोगों ने एक पुलिसमैन को अपने क्रोध का शिकार बनाया।

सिरोहा में ९ अगस्त को एक आम सभा की गई तथा दूसरे दिन से सब स्कूल कालेज बन्द हो गये। आन्दोलन के विषय में लोगों को हिदायतें देने के लिये कई प्रकार के बुलेटिन बांटे गए। २० ता० को पुलिस अधिकारियों ने कांग्रेस दफ्तर पर घावा किया और उस पर मोहर चपड़ी लगा दी। प्रसिद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता शेर मोहम्मद भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। कर्मवीर चौक में राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया गया तथा उसे जलाकर नष्ट कर दिया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तार किये गए और उन्हें अपमानित किया गया।

गोंदिया में आन्दोलन का श्रीगणेश हड़ताल से हुआ। एक बड़ा जुलूस निकाला गया। गान्धीजी का सन्देश लोगों को पढ़कर सुनाया गया। १० अगस्त को सर्वे श्री केशवराव इन्जल, पद्मालाल दुवे, सुखदेव अग्रवाल, आदि सभी मुख्य-मुख्य कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गए। पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर पर घावा किया और उसमें ताला लगा दिया। शाम को जनता की एक सभा हुई जिसमें १७ व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गए। इसके बाद चार दिन तक लगातार बड़े-बड़े जुलूस निकाले गए। शहर के मुख्य-मुख्य स्थानों पर कांग्रेस के पोस्टर चिपकाये गए। आन्दोलन को कुचलने के लिए फौज की सहायता भी ली गई। इस आन्दोलन में यहाँ के २९३ व्यक्तियों को सजाएं हुई तथा १९४ व्यक्ति नजरबन्द किए गए। (१५००) रु० मासूहिक जुर्माना किया गया।

नागपुर जिला

तालुका—१२ अगस्त को कई स्थानों पर सभाएं हुईं, जिनमें कांग्रेस

का आदेश पढ़कर सुनाया गया । १५ ता० को केलोथ में रेलवे पटरी उखाड़ डाली गई तथा स्टेशन जलाकर भस्म कर दिया गया । पुलिस वालों ने गाँव-गाँव में धूम-धूमकर लोगों को मारा-पीटा और उन्हें विभिन्न तरीकों से अपमानित किया तथा स्त्रियों को बेइज्जत किया ।

खाया—यहाँ की जनता ने पोस्ट आफिस, थाना, रेवेन्यू दफ्तर आदि सरकारी महकमों पर धावा बोला और उनके सब रेकार्ड अग्निदेवता की भेंट चढ़ा दिए । म्युनिसिपल दफ्तर तथा रेन्जर आफिस को भी काफी क्षति पहुंचाई । रेल की पटरियाँ उखाड़कर फेंक दी गईं तथा तार काट डाले गए । पुल तोड़-फोड़ दिये गए । यूरोपियनों के बंगले तहस-नहस कर दिये गए । परिणामस्वरूप फौजियों ने दुकानें लूट लीं । बच्चों एवं स्त्रियों तक को भाँति-भाँति का असहनीय यातनायें दी गईं तथा लोगों से १० हजार रुपये सामूहिक जुमनि के रूप में बड़ी निर्दयता से वसूल किये गए ।

शाबेनर—रेलवे स्टेशन, रेलवे वर्कशाप तथा किरोसिन आयल डिपो का तमाम फर्नीचर लूट लिया गया एवं डाक बंगलों को जलाकर नष्ट कर दिया गया । दो व्यक्ति बुरा तरह से घायल हुए एक-दो स्थानों पर लोगों का बेंतों से पीटा गया ।

अमरेड़ ताल्लुका—६ और १० अगस्त को पुलिस-अधिकारियों ने कांग्रेस-आफिस तथा हिन्दुस्तान रेड आर्मी के दफ्तर की तलाशियाँ लीं तथा शहर के कई प्रसिद्ध व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये । जनता ने भी उत्तेजित होकर पंचगाव का डाक बंगला और काँजी हाउस जला डाला । बेला थाना में सरकारी मुलाजिमों का बहिष्कार किया गया तथा पोस्ट आफिस और थाने के सब रेकार्ड भस्म कर दिए । फौजियों से बन्दूकें छीन लीं । रेवेन्यू दफ्तर फूँक दिया । समूचे अमरेड़ ताल्लुके के में ११ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए तथा एक हजार रुपया सामूहिक जुमनि वसूल किया गया ।

रामलेट ताल्लुका—इस इलाके में जनता का जोश अधिक रहा । रेलवे स्टेशन जला दिया गया, इंजन नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया, पुलिस वालों को खद्दर पहनने के लिए बाध्य किया गया तथा कचहरी पर बड़ी शान से राष्ट्रीय झंडा फहराया गया । फौजदारी के तमाम रेकार्ड जला दिये गए । तहसील पर धावा किया गया । खजाना लूट लिया गया और १० लाख ७० हजार रुपये लोगों के हाथ लगे । १६ अगस्त को आन्दोलन को कुचलने के लिए काफी संख्या में फौज वहाँ पहुंची और उसने गाँव को चारों ओर से घेर लिया । आम जनता को बेंतों का शिकार बनाया गया । स्त्रियाँ बेइज्जती के डर से घर से बाहर

न निकल सकीं । १७५ व्यक्ति गिरफ्तार किए तथा ३० हजार रुपया सामूहिक जुर्माना वसूल किया गया । जेल की सस्त्रियोंके कारण एक व्यक्ति वन्दी अवस्था में ही मर गया ।

थरसा, गरेगाँव, चिचड़ा मनुष्या एवं महातुला के पटवारी एवं रेवेन्यू आफिस तथा ग्रामपंचायत के सब रेकार्ड नष्ट कर दिये गए । इन स्थानों के प्रमुख-प्रमुख कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गए । मउदा में जनता ने पुलिस थाने पर हमला किया और उसे जलाकर नष्ट कर दिया हिन्दुस्तान रेड आर्मी के नेताओं ने एक पुलिस कांस्टेबल को पकड़ लिया तथा कई अन्य कांस्टेबलों को गोली का शिकार बनाया । यही नहीं, उन्होंने ८० कारतूस, कुछ पुलिस-बंदियां तथा बहुत-सा हथकड़ियां भी पुलिस थाने से छीनकर अपने अधिकार में कर लां ।

गुमगाँव ताल्लुका--१३ अगस्त को स्थानीय कांग्रेस कमेटी के उप सभापति एवं मंत्री गिरफ्तार कर लिये गए । जनता के ३००० व्यक्तियों ने अपने नेताओं को छुड़ाने के लिए पुलिस-थाने पर हमला बोल दिया । दारोगा डर के मारे थाना छोड़कर भाग निकला, किन्तु थाने के दो कांस्टेबल बुरी तरह घायल हुए । लोगों का विचार किसी सरकारी कर्मचारी को हानि पहुँचाने का न था । अतएव उन्होंने दोनों कांस्टेबलों का बड़ी तत्परता से इलाज करवाया और ठीक होने पर उन्हें पुनः थाने में भेज दिया । शहर के पोस्ट आफिस और कांजी हाउस भी जनता के क्रोध के शिकार बने और जलाकर नष्ट कर दिये गए । हिंमना में जनता को आन्दोलन सम्बन्धी हिदायतें देने के उद्देश्य से स्थान-स्थान पर पोस्टर चिपकाए गए ।

बडौदा में पटवारी दफ्तर के कागज़ात जला दिये गए तथा पुल तोड़ डाला गया । लोगों ने मिलिटरी की लारियों पर हमला करके उन्हें लूट लिया । खरसौली में दारोगा को बुरी तरह पीटा गया तथा उसे अपनी सरकारी बर्दी उतार फेंकने के लिए बाध्य किया गया । ताल्लुका में जनता पर गोली चलाई, जिससे एक व्यक्ति मारा गया । समूचे ताल्लुके में १६० व्यक्तियों को सजाएं हुईं तथा १३ व्यक्ति नज़रबन्द किये गए । सामूहिक जुर्माने के रूप में लोगों से ५००० रुपया वसूल किया गया ।

नागपुर शहर--सन् १९४२ के आन्दोलन में नागपुर शहर ने अपना एक इतिहास बनाया है । यहां के लोगों ने अभूतपूर्व उत्साह का परिचय दिया । ९ और १० अगस्त को बड़ी-बड़ी सभाएं हुईं जिनमें आज़ादी की लड़ाई को जी-जान से आगे बढ़ाने की प्रतिज्ञा की गई । स्वयं मध्य प्रान्त के गवर्नर के ही घबरे में नागपुर पर ७२ घण्टे तक जनता का राज्य रहा ।

११ अगस्त को हिन्दू महासभा के तत्त्वावधान म बन्देश थियेटर में एक विशाल सभा हुई जिसमें स्कूलों, कालेजों एवं मिलों में हड़ताल चालू रखने का निर्णय किया गया। १२ अगस्त को विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकला जो शहर की प्रसिद्ध-प्रसिद्ध सड़कों पर से होता हुआ अदालत पहुंचा और लोगों को काम बन्द करने के लिए बाध्य किया। अदालत पर झंडा लहराया गया। पुलिस ने प्रदर्शन-कर्त्ताओं पर गोलियां चलाई तथा अश्रु-गैस का प्रयोग किया। दो व्यक्तियों के सख्त चोटें आईं। मामूली घायल होने वालों की संख्या तो अनगिनत थी।

नागपुर का जनरल पोस्ट आफिस जला दिया गया। गवर्नमेंट के राशन के गोदाम तथा कपड़े के स्टॉक लूट लिये गए। प्रायः सभी सरकारी इमारतों पर धावा बोला गया। खजाने लूट लिये गए। बिजली के बल्ब तोड़ दिये गए। टेलीफोन तथा टेलीग्राफ के तार काट दिये गए। शराब की भट्टियां तथा फायर ब्रिगेड जलाकर नष्ट कर दिये गए। शहर के सभी पुलिस-स्टेशन या तो जला दिये गए या उन पर अधिकार कर लिया गया।

१४ अगस्त को शहर भर में करफ्यू आर्डर लगा दिया गया। फौजियों के जत्थे शहर में चक्कर लगाने लगे और जो भी व्यक्ति, दोषी हो या निर्दोष, दिखाई पड़ता था गोली से उड़ा दिया जाता था। जो कौतूहलवश अपने मकानों की खिड़कियों से झांकते थे वे भी फौजियों द्वारा गोली के शिकार बना दिये जाते थे। वास्तव में फौजियों ने नागपुर की निर्दोष जनता के खून से जी भरकर फाग खेला। लोगों के घरों में जबरन घुस जाते थे, उनका सामान लूट लेते थे तथा उनकी बहन-बेटियों को बेहज्जत करते थे। बड़े-बड़े घरों के लोगों से जबर्दस्ती गन्दी नालियों को साफ करवाया गया। नवावपुरा सकिल के श्रीशंकर कुमवी को बिना किसी कुसूर के फांसी पर लटका दिया गया। इस इलाके में कुल ३२ आदमी गोली के शिकार हुए, तीन सौ से ज्यादा घायल हुए तथा करीब एक हजार गिरफ्तार किये गए, जिनमें से बहुत से मुंह मांगी घूस मिलने पर छोड़ दिये गए।

लोगों ने भंडा सत्याग्रह प्रारम्भ किया। वे राष्ट्रीय भंडा लेकर भें प्रदर्शन करने लगे। पुलिस वाले उन पर लाठी चलाते थे तथा व्यक्तियों को जेल में ठूस देते थे। किन्तु फिर भी लोगों का उत्साह हुआ और यह सत्याग्रह कई दिनों तक चलता रहा।

नागपुर शहर में अनगिनत बार गोलियां चलीं और अनुमान

जाता है कि कुल ३०० व्यक्ति मारे गये होंगे । १५३ व्यक्ति नज़रबन्द और १९४ दण्डित किये गए ।

वर्धा जिला

वर्धा भारत की गैर सरकारी राजधानी है, क्योंकि इसी के पास सेवानाम में भारत के कर्णधार महात्मा गांधी रहते हैं । महात्मा गांधी की गिरफ्तारी की खबर पाते ही वर्धा के लोग खीरे हो उठे । पर वे पूर्णरूप से शान्त रहे और उन्होंने कोई तोड़-फोड़ नहीं की । जब श्री दीनदयाल चूड़ी-वाले बम्बई से लौटे तो लोग यह सुनने के लिए कि महात्मा जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पर क्या-क्या हिदायतें दी हैं, हजारों की संख्या में गान्धी चौक में इकट्ठे हो गए । श्री दीनदयाल अपना भाषण दे ही रहे थे कि पुलिस सभान्स्थल पर आ घमकी और उसने एकत्रित जनता को आज्ञा दी कि या तो वह तुरन्त शान्तिपूर्वक तितर-बितर हो जाय वरना उस पर लाठी-चार्ज किया जायगा तथा गोलियां चलाई जायंगी । जनता ने पुलिस की इस घमकी का जवाब 'भारत छोड़ो' तथा 'इन्कलाब जिन्दावाद' के गगन-भेदी नारों से दिया । इतना ही नहीं लोगों ने एक स्वर से कहा । 'हम पूर्णरूप से स्वतंत्र हैं, हम ब्रिटिश शासन को नहीं मानते । पुलिस हमारे कार्यों में विघ्न डालने वाली कौन होती है ? , पुलिस ने गोली चला दी, जिसके परिणाम-स्वरूप जंगलू नामक एक २८ वर्षीय नवयुवक शहीद हुआ और बहुत से व्यक्ति घायल हुए । लोग पुलिस की मार खाकर भी पूर्ण रूप से अहिंसक बने रहे । वर्धा वापिस लौटने पर महात्मा गांधी उस स्थान पर गये जहां जंगलू का दाह-संस्कार किया गया था और उन्होंने बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ उसकी चिता पर पूजा के फूल चढ़ाए ।

श्री विनोबा भावे, दादा धर्माधिकारी, किशोरीलाल मशरूवाला, दीनदयाल चूड़ीवाला आदि प्रधान कांग्रेस-कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गए । किन्तु विद्यार्थियों ने स्थान-स्थान पर दीवारों पर उत्साहवर्द्धक बातें लिखीं तथा छपे हुए बुलेटिन घरों में जा-जाकर लोगों को देने लगे । परिणाम-स्वरूप 'करो या मरो' का सन्देश हर व्यक्ति के पास पहुंच गया । अधिकारियों ने जनता के बढ़ते हुए जोश को कुचलने के लिए समूचे प्रदेश में १४४ धारा लगा दी तथा वर्धा शहर को फौज के अधिकार में सौंप दिया । जो भी व्यक्ति, चाहे वह दोषी हो या निर्दोषी, अपने घर से निकलता था तो बुरी तरह से पीटा जाता था । एक दिन की बात है कि लाठियों से सुसज्जित सिपाहियों को एक सारी वर्धा पहुंची । पुलिस के आतंक से समूचा शहर स्मशान-सा बना

हुआ था। कुछ व्यक्ति जो ज़रूरी कामों से इधर-उधर जा रहे थे पुलिस वालों के द्वारा पकड़ लिये गए और राक्षसी तरीके से पीटे गए। उनमें से कई बेहोश भी हो गए।

देवली—यहां पर भी लोगों ने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस निकाला। पुलिस वालों ने उस पर लाठी-चार्ज किया। जनता उत्तेजित हो गई और उसने पोस्ट आफिस जला दिया तथा थाने पर घावा बोल दिया जिससे कुछ कांस्टेबल घायल हुए। शहर से उठी हुई क्रांति की आग शीघ्र ही पीनार, बारवरी, बरुवर, सरगना आदि स्थानों पर भी फैल गई और लोगों ने स्थानीय डाकखानों एवं थानों एवं थानों के रेकार्ड भस्म कर दिये तथा लेटर बक्स तोड़-फोड़ डाले। बारवरी में एक रेलगाड़ी को गिराने का प्रयत्न किया गया, किन्तु वह सफल न हो सका। देवली इलाके से सामूहिक जुमर्ने के रूप में ४ हजार रुपये वसूल किये गए।

हिंमनघाट—इस इलाके के विद्यार्थियों ने भी जनता के साथ मिलकर नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बड़े-बड़े जुलूस निकाले, सभाएं कीं तथा अन्य प्रकार के प्रदर्शन किये। यहां पर कुल १२ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए।

आरबी तालुका—१० अगस्त को एक विशाल जुलूस निकाला गया तथा आम हड़ताल रखी गई। पुलिस वालों ने कांग्रेस के दफ्तर पर ताला लगा दिया। १६ मुख्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया तथा कुछ व्यक्तियों को बेंतों से पीटा।

आठनी—१२ अगस्त को जब आठनी के लोगों को नेताओं का गिरफ्तारी का समाचार मिला तो वे एक बड़ा जुलूस बनाकर थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए गए। जुलूस के आगे-आगे महिलाएं थीं। पुलिस-अधिकारियों ने जुलूस को थाने के सामने रोका, किन्तु जब लोग बराबर आगे बढ़ते गये तो उन्होंने लाठी एवं गोलियों की वर्षा करनी शुरू कर दी। बहुत से स्त्री-पुरुष घायल हुए। कुछ नवयुवक स्त्रियों पर अमानुषिक ढंग से मार पड़ते देखकर चुप न रह सके। उनका खून खीलने लगा तथा उनके हृदय में प्रतिहिंसा की ज्वाला धधक उठी। वे आगे बढ़े और प्राणों की बाजी लगाकर पुलिस वालों पर टूट पड़े। इस मुठभेड़ में पुलिस के ५ व्यक्ति, जिनमें एक रामनाथ-मिश्र नामक सब इन्स्पेक्टर भी था, मारे गए। शेष पुलिस वाले भाग खड़े हुए और थाने पर जनता का अधिकार हो गया। नवयुवकों ने बड़ी शान से थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराया। इस घटना में जनता के भी ६ व्यक्ति काम आए।

जब उच्च अधिकारियों को इस घटना की सूचना मिली तो उन्होंने

आधी रात को सशस्त्र ब्रिटिश सैनिकों को आष्टी भेजा। उन्होंने आते ही लोगों को अंधाधुन्ध मारा-पीटा। दिन में उन्हें चिलचिलाती धूप में खड़ा किया तथा बहुतां को वहीं गोली से उड़ा दिया। बेचारों को न तो खाने के लिए कुछ दिया गया और न पीने के लिए ही। इस प्रकार वे एक तरफ से तो धूप, प्यास एवं भूख से परेशान रहे तथा दूसरी ओर गोलियों के शिकार हुए। सैनिकों को इतने पर भी सन्तोष नहीं हुआ। उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा करके एक छोटी-सी कोठरी में बन्द कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे पशुओं को किसी बाड़े में बन्द किया जाता है। इस अवस्था में बेचारों को एक माह तक रखा गया। लोगों की स्त्रियों एवं बंधनों व बेटियों के साथ बलात्कार भी किया गया। बाहरवालों को गांव वालों की मदद करने एवं उनके साथ सहानुभूति दिखाने तक की इजाजत नहीं दी गई। बन्दियों पर मुकदमा चलाया गया और उनमें से ६ को फांसा की सजा का हुक्म हुआ। इससे सम्पूर्ण देश में तहलका मच गया और स्थान-स्थान से फांसी की सजा के विरोध में आवाज उठाई गई। लोगों के अनवरत परिश्रम का यह फल हुआ कि चार व्यक्तियों को फांसी के स्थान पर आजीवन कारावास का दंड दिया गया। अन्त में दो व्यक्तियों को फांसी पर लटका दिया गया।

वर्धा जिले में १३७ व्यक्ति नजरबन्द और ४३४ दण्डित हुए। ३ जगह गोली चली, जिससे ७ व्यक्ति मरे और २० घायल हुए। ४०,००० रु० जुर्माना किया गया।

चांदा जिला—नेताओं पर किये गए प्रहार की खबर जब यहां वालों को मिली तो सम्पूर्ण जिले में एक साथ विरोध-प्रदर्शन किया जाने लगा। स्थान-स्थान पर सभाएं हुईं तथा जुलूस निकाले गए जिनमें 'अंग्रेजो, भारत छोड़ो' की मांग की गई। लोगों में एक अजीब जोश दिखाई पड़ता था। प्रदर्शन का कार्य प्रायः कचहरी, थानों एवं अन्य सरकारी इमारतों के सामने किया गया। अरमोहा, चिरोली, देवसरा, बरोरा, चिकनी, चांदा आदि स्थानों पर सरकारी रेकार्ड जलाने का प्रयत्न किया गया। सरकार ने आन्दोलन की गति रोकने के लिए मुख्य-मुख्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, प्रदर्शन करने वालों को बुरी तरह से पीटा गया, गांव लूट लिये गए तथा जला दिये गए। और स्त्रियों की इज्जत लूटी गई।

चिमूर—चांदा जिले का यह कस्बा सारे देश में प्रसिद्ध हो चुका है। यहां की जन-संख्या केवल ६००० है। नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना पाते ही यहां पर भी ११ अगस्त से शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किये जाने लगे। १३ अगस्त को

नागपंचमी के दिन नगर भर में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें ४०० स्त्रियाँ एवं १०० बच्चों ने भाग लिया। प्रभात-फेरी का कार्यक्रम पूर्ण रूप से नियंत्रित एवं अहिंसक था। फिर भी अधिकारियों ने नगर के सभी नाके बन्द कर दिये और प्रभात फेरी को रोक कर उस पर गोला चला दी। लोग सब-के-सब एक सच्चे अहिंसक सैनिक की भांति अपनी जान मोह छोड़कर गोलियों की बौछार में वहीं बैठ गए। परन्तु गोली चलनी बन्द न हुई। कुछ औरतें तथा बच्चे वहीं मारे गए। यह देख जनता पागल हो गई और पुलिस पर टूट पड़ी। पुलिस के पांच व्यक्ति वहीं मर गए और शेष भाग गए। पुल आदि तोड़ दिए और पेड़ गिरा कर सड़कें बन्द कर दीं। फौज के पहुंचने के पहले ही गांव के बहुत से आदमी गांव छोड़कर चले गए।

१९ ता० को अरोरा के स्टेशन पर २०० सशस्त्र गोरे सिपाहियों तथा ५० हिन्दुस्तानी सिपाहियों की टुकड़ियां मोटरों सहित एक स्पेशल ट्रेन से उतरी। चिमूर वहां से तीस मील है। जिला मजिस्ट्रेट जब चिमूर पहुँचा तब क्रोध से पागल हो रहा था। बेचारे गांव वाले डरकर अपने-अपने घरों में छिप गए और दरवाजे बन्द कर लिए। सड़कें सूनी पड़ी थीं। जिला मजिस्ट्रेट ने सशस्त्र फौज लेकर पहले गांव के बड़े-बड़े लोगों के घरों में बलपूर्वक प्रवेश किया। उनको बाहर निकाला गया और पीटा गया। बुढ़ों और बच्चों को छोड़कर सब गिरफ्तार कर लिये गए। कुल १२८ गिरफ्तारियां हुईं। फिर गांववालों से कहा गया कि वे अपने फौजी महमानों को खाना खिलाएं। जो गिरफ्तार हो गए थे उनके गोदाम तोड़ लिये गए। फिर लूट शुरू हुई। तेल घी, चावल, आटा, बरतन आदि सभी चीजों पर हाथ साफ किया गया। सिल्क की साड़ियां जला दी गईं। या हिन्दुस्तानी सिपाहियों को दे दी गईं। गोरों ने लोगों के हारमोनियम से मनोरंजन किया। बलात्कार भी हुए, परन्तु अधिकतर स्त्रियों ने एक जगह एकत्र होकर अपनी रक्षा की। गर्भवती तथा ऋतुमती स्त्रियों के साथ भी बलात्कार किये गए और उन्हें रक्त से लथपथ छोड़ दिया गया। एक निर्धन की भोंपड़ी में अकेली स्त्री पर तो बलात्कार की हद ही कर दी गई। एक छोटी लड़की को गला घोट दिया गया। इन सब अत्याचारों की यदि विधि पूर्वक जाँच हो तो उन पर ठीक-ठीक प्रकाश पड़ सकता है।

यह स्थिति दो दिन तक रही। आखिर एक बड़ी स्त्री डांडीवाई वागदी राइफलों के बीच से होती हुई जिला मजिस्ट्रेट के पास पहुँची और उसने गांव की स्त्रियों की करुण कहानी सुनाई। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह आफत तो गांव वालों ने स्वयं बुलाई है। फिर उसने पुलिस और फौजियों को बुलाकर

स्त्रियों पर अत्याचार करने से मना किया, फिर भी अवस्था अधिक न सुधरी । इसी बीच सरकार ने गांव पर तथा आस-पास के लोगों पर एक लाख रुपया सामूहिक जुर्माना कर दिया । जुर्माने की वसूली बलपूर्वक किंतु आसानी से कर ली गई, क्योंकि गांव में केवल बेचारी स्त्रियां ही शेष रह गई थीं । आदमी या तो भाग गए थे या बन्दी बना लिये गए थे ।

सात हफ्तों तक चिमूर में असभ्य तथा उद्दंड सिपाहियों का राज्य रहा । इस असे में उसका सम्बन्ध बाहरी दुनिया से बिलकुल कट गया था । पहले तो घटनाओं के समाचार ही बाहर नहीं आने दिये गए और बाद में पुलिस और फौज के आतंक के कारण किसी को वहाँ जाने की हिम्मत न होती थी ।

डा० मुन्जे को १७ स्त्रियों ने स्वयं आप बंधी, बलात्कार तथा अत्याचारों की, कथा सुनाई । उनमें से १३ स्त्रियों के साथ तो एक से अधिक गोरे सिपाहियों ने बलात्कार किया तथा शेष चारों पर भी अत्याचार किये गए । ४००० मनुष्य गिरफ्तार किये गए । बहुत से दारोगा को घूस देने पर छूटे । करीब ७५ व्यक्तियों को सजाएं दी गईं । दो जेल में तथा सात जेल से बाहर मर गए । ३५ को आजन्म देश निकाले, १ को तेरह साल, ७ को सात साल, १८ को पांच साल तथा तीन को तीन साल कैद की सजायें दी गईं । दो दिन के अन्दर १००,००० रुपया सामूहिक जुर्माने के रूप में बलपूर्वक वसूल किया गया । मोतीचन्द नानकचन्द पर १०,००० रुपया जुर्माना किया गया । उसने गवर्नर को तार दिया कि मेरी तो दूकान ही लूट ली गई है जिसमें १०,००० का सामान था । इस पर उसे उत्तर मिला कि जुर्माना तो वसूल किया ही जायगा । एक मनुष्य की ५०,००० रुपए तथा दूसरे की १,००० रुपये की कुल सम्पत्ति लूट ली गई । नूरा बोहरा पर २,००० रुपया तथा एक मुसलमान पर १,००० जुर्माना हुआ । ३ सितम्बर तक ८५,००० रुपया सामूहिक जुर्माना वसूल कर लिया गया । बाद में गवर्नमेंट की नीति के अनुसार मुसलमानों का जुर्माना वापिस कर दिया गया ।

चांदा जिले में ७८ व्यक्ति नजरबन्द और २४८ दंडित हुए । एक जगह गोली चली, जिससे तीन मरे और १० घायल हुए ।

‡ महाकौशल

मध्यप्रान्त के ग्यारह हिन्दी भाषी जिलों को मिलाकर कांग्रेस ने महाकौशल नाम का सूबा बना दिया है । वैसे तो कांग्रेस-नेताओं की गिरफ्तारियों

पर ही यहाँ पर काफी उत्तेजना फैल गई थी तथा जुलूस आदि निकलने शुरु हो गए थे, परन्तु जबलपुर में गुलाबसिंह की मृत्यु के बाद जनता की रोषपूर्ण भावनाएँ चरम सीमा तक पहुँच गईं। इस प्रान्त के आन्दोलन का वर्णन जिले-वार नीचे दिया जाता है।

बैतूल—६ अगस्त को जिला कांग्रेस के दफ्तर पर ताला पड़ जाने और श्री बालकृष्ण पटेल तथा बिहारीलाल पटेल की गिरफ्तारियों के बाद जनता और भी क्रुद्ध हो गई और उसने पुलिस पर पत्थर फेंके। उत्तर में पुलिस ने गोली चलाई, जिससे एक आदमी की मृत्यु हो गई। इसके बाद जनता ने पोस्ट आफिस तथा पटवारखाने के कागजात जला दिए। ऐसी ही घटनाएँ अमरावती, बघौरा तथा गन्गीना में हुई।

१५ अगस्त को १००० मनुष्यों ने रानीपुर धाने पर आक्रमण करके सामान सहित बिलकुल जला दिया। १६ ता० को धाराखोह रेलवे स्टेशन को २५०० आदमियों ने मिल कर फूँक दिया। १७ ता० को प्रायः इतने ही मनुष्य रेल की पटरियों को उखाड़ने घोरारङ्गरी पहुँचे, जहाँ पर उनसे २००० मनुष्य और मिल गए। डिप्टी कमिश्नर भी फौजी सिपाहियों सहित वहाँ था। लोगों के लकड़ी की टाल में आग लगा देने पर उसने सिपाहियों को गोली चलाने की आज्ञा दी। गोली चलने पर एक मनुष्य की मृत्यु हो गई, ६ घायल हो गए तथा बहुत से पकड़ लिये गए।

२४ अगस्त को अमला में रैवेन्यू इन्स्पेक्टर तथा पटवारखाने के कागजात जला दिये गए। नैया में भी ऐसा ही किया गया। श्री बेला को जो एक प्रमुख कांग्रेस-कार्यकर्ता थे, पीटा गया तथा उनके लड़के को गोली से उड़ा दिया गया। किसी मनुष्य ने बैतूल शहर के एग्जिकलचर कालेज में आग लगा दी। अभियुक्त का पता न चलने पर २००० रुपया सामूहिक जुर्माना कर दिया गया।

धाराखोह और घोरारङ्गरी के बीच इटारसी-नागपुर रेलवे लाइन की पटरियाँ उखाड़ दी गईं। जगह-जगह पर तार काट दिये गए तथा रेल उलटने की कोशिशें की गईं।

इस जिले में ६४७ व्यक्ति गिरफ्तार और १९७ नजरबन्द किये गए। ४५२ पर मुकद्दमे चले, जिनमें १८ महीने से लेकर २० साल तक की सजाएँ दी गईं। ३ जगह गोली-काण्ड हुए, जिनमें १२ मरे और ६ घायल हुए। ६ राजवन्दी जेल में शहीद हुए, २४००) रु० सामूहिक जुर्माना किया गया।

होशंगाबाद—६ अगस्त को जिले भर में पूर्ण हड़ताल रही। जुलूस

निकाले गए तथा सभायें की गईं । ११ ता० को इटारसी के पुलिस-स्टेशन को जला डालने की कोशिश की गई । १४ ता० को लोगों ने मिलकर इटारसी के स्टेशन पर लकड़ी की टाल को जला डालना चाहा । यहाँ पर उनसे पुलिस की मुठभेड़ हुई । परिणामस्वरूप एक अंग्रेज सारजेन्ट, एक सरकिल इन्स्पेक्टर तथा दो सिपाही घायल हुए । बाद में पुलिस ने लोगों के घरों में जा-जाकर उन्हें पीटा । एक लड़के को तो इतना पीटा गया कि वह अस्पताल में ही मर गया ।

होशंगाबाद—शहर में पूर्ण हड़ताल रही और शान्ति-पूर्ण प्रदर्शन किये गए । कुछ दिन बाद लोगों ने तार काटने शुरू कर दिये । विद्यार्थियों पर तीन बार लाठी-चार्ज हुआ । ५००० रु० का सामूहिक जुर्माना किया गया ।

छिकाली—नरसिंहपुर सब-डिवीजन का एक गांव है । २४ ता० को कुछ राजनैतिक कैदियों को किसी अनजान जगह ले जाये जाने की अफवाह उड़ने पर जनता ने एक सभा की । जनता के न हटने पर नायब तहसीलदार ने स्वयं जनता पर गोली चलानी शुरू कर दी । श्री मन्साराम नामक एक व्यक्ति घटनास्थल पर ही मारा गया । दूसरे दिन इस गोली-कांड के विरुद्ध फिर एक सभा की गई । सभा पर लाठी-चार्ज किया गया जिसमें दो आदमी वेहोश हो गए ।

शोभापुर—शहर के एक भाग के तार काटे जाने पर ५००० रु० का सामूहिक जुर्माना किया गया । इस जिले में १४० नजरबन्द हुए ३६५ पर मुरुद्दे चले । ४ सरकारी इमारतों पर हमले किये गए । तान जगह गोलियां चलीं । २ आदमी शहीद हुए । १५,००० रु० सामूहिक जुर्माना किया गया ।

मंडला—जिले के कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारियों पर सात दिन की आम हड़ताल घोषित की गई । १५ ता० की फतह दर्वाजे पर एक जन सभा में भाषण देते हुए एक वक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया । एक लड़का जो कम्पाउंड की दीवार पर खड़ा था, कोड़ों से पीटा गया । आम लाठी-चार्ज हुआ । जनता ने पुलिस पर पत्थर और ढेले फेंकने शुरू कर दिए । इस पर मि० फोक्स, रिजर्व इन्स्पेक्टर ने गोली चलाने की आज्ञा दे दी । श्री उदयचन्द ने जनता को मार-पीट करने से रोकना चाहा । पुलिस ने उदयचन्द को वहाँ से हटने को कहा और उनके न हटने और सीना खोलकर खड़े हो जाने पर पुलिस उन्हें गोली मार दी । ६ सिपाही उन्हें अस्पताल ले गए जहाँ वह मर गए । सम्बन्धियों की प्रार्थनाओं को ठुकराकर अधिकारियों ने श्री उदयचन्द के शव को भी उन्हें देने से मना कर दिया ।

मंडला शहर से प्रायः तीन मील पर एक पुल तोड़ दिया गया। रेलवे के तार काट दिए, पटरियां उखाड़ दी गईं। बाभा में एक दूसरा पुल नष्ट कर दिया गया। दम्दोका में भी ऐसे ही कामों के फलस्वरूप ११ मनुष्य गिरफ्तार कर लिये गए। पिन्डोर्ग में डाक के बक्स नष्ट कर दिये गए। काजी हाऊस तोड़ दिया गया। शराब की दूकानों पर धरना दिया गया। ब्रांच पोस्ट आफिस और ग्राम-पंचायत के दफ्तर फूंक दिये गए। नायपुर में लाठी-चार्ज में दो लड़के घायल हो गए।

इस जिले में २५ नजरबन्द और ५४ दण्डित हुए। ५ सरकारी इमारतों पर हमले हुए। ३ जगह गोली-कांड हुए। एक व्यक्ति मरा और ५ घायल हुए।

छिन्दवाड़ा—इस जिले में ८५ व्यक्ति नजरबन्द किये गए और २५ पर मुकदमे चले। लोधीखेरा, सोन्सार, और पान्डूराना में जन-सभायें हुई तथा जुलूस निकाले गए। सरकार ने जिला कांग्रेस कमेटी का दफ्तर जला डाला।

बालाघाट—सारे जिले में पूर्ण हड़ताल रही। १० अगस्त की शाम को गान्धी चौक में एक विराट सभा हुई। बहुत से कार्यकर्त्ता वहीं गिरफ्तार कर लिये गए। शहर के हाई स्कूल की लाइब्रेरी तथा और स्थानों के शीशे आदि तोड़ डाले गए। इसके बाद बालाघाट और पीपर झटी के बीच के तार काट दिये गए। कुल १२ गिरफ्तारियाँ हुईं। इस जिले में १७५ नजरबन्द और १७ दण्डित हुए। एक जगह गोली चली। एक आदमी शहीद हुआ।

वारासिवनी—८ से २० अगस्त तक शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किये गए। १२ अगस्त को शहर कांग्रेस कमेटी के सभापति पकड़ लिये गए। इसके विरुद्ध एक विराट जन-सभा हुई। २० अगस्त को वारासिवनी में गोलीकांड हुआ, जिसमें एक मनुष्य मर गया तथा बहुत से घायल हुए। श्री रामलाल शर्मा की दूकान पर जनता में और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। फलस्वरूप श्रीमती काशीबाई तथा कुछ और कांग्रेस-कार्यकर्त्ता गिरफ्तार कर लिये गए। २० अगस्त को काशीबाई कारघटोला ग्राम में ले जाई गईं। वहां पर वह पीटी गईं। उनकी घोती फाड़ दी गई। १० सिपाहियों ने उनका सतीत्व नष्ट किया। उनके गुप्त प्रेम-सम्बन्ध क्षत-विक्षत कर दिया और अन्त में उनका सिर काट दिया। उनके २०७५ अगस्त गहने पुलिस ने जब्त कर लिए। इसके उपरान्त काशीबाई के पिता को भी बुलाकर उनको भी अपमानित किया गया। उनकी गान्धी टोपी के टुकड़े-टुकड़े कर दिये गए। उसी शाम को जैन मन्दिर के पास एक शान्तिपूर्ण जुलूस पर बिना सूचना के गोली चलाई गई। एक मरा तथा १२ घायल हुए। २१ ता०

बहुत-सी गिरफ्तारियां हुईं। मजदूरों की दिन में तीन वार हाजरी होने लगी। स्त्रियां घर से निकलने पर थाने में बन्द कर दी गईं। कुल १२० गिरफ्तारियां हुईं। बारा सिवनी में १० सितम्बर तक पुलिस के सिपाहियों ने जनता पर घोर अत्याचार किये। ३००० रुपया सामूहिक जुर्माना वसूल किया गया।

दुर्ग—इस जिले में २५० नजरबन्द और ५० दण्डित हुए। बेलोच, कुशुम और रोलट में सरकार विरोधी प्रदर्शन किये गए। १० अगस्त को नेताओं की गिरफ्तारियों के विरोध में बाजार में हड़ताल की गई। मटंग में शान्तिपूर्ण जुलूस पर पहले गोली चलाई गई और फिर लाठी-चार्ज हुआ। श्री घासीराम मंडल चोटों से बेहोश होगए। इसी अवस्था में वह बन्दी बना लिये गए। कुछ दिन बाद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई।

सागर—यह जिला कांग्रेस का केन्द्र है। गढ़कोठा में शान्तिपूर्ण जुलूस पर गोली चलाई गई। एक मरा तथा १५ पर इसी सम्बन्ध में मुकदमे चले। घारा ३४ के मातहत बहुत से चालान हुए। इस जिले में २०० नजरबन्द और ४०० दण्डित हुए।

जबलपुर—यहाँ अंग्रेज विरोधी प्रदर्शन हुए। ९ अगस्त को स्थानीय नेता गिरफ्तार कर लिये गए। १० अगस्त से शहर के हाईस्कूल के लड़कों ने स्कूल जाना बन्द कर दिया। १४ अगस्त को विद्यार्थियों के जुलूस पर गोली चलाई गई। फलस्वरूप श्री गुलाबसिंह ने भारत के शहीदों में नाम लिखवाया। एक पोस्ट आफिस तथा मदन महल रेलवे स्टेशन फूंक दिये गए। बिजली के बल्ब फोड़ दिये गए। प्रायः ५५० गिरफ्तारियां हुईं। १५० नजरबन्द रखे गये और ४०० को सजायें दी गईं।

महाकौशल के रायपुर और बिलासपुर जिलों से आन्दोलन के विषय में विस्तार पूर्वक सूचना नहीं मिली। केवल इतना ज्ञात हुआ है रायपुर में १०० व्यक्ति नजरबन्द और ७०० दण्डित हुए। दो सरकारी इमारतों पर हमले हुए। बिलासपुर जिले के नजरबन्दों की संख्या ८५ थी।

विदर्भ

विदर्भ प्रान्त अमरावती, बुलढाना, अकोला और यवतमाल में विभाजित है।

अमरावती—जिले के अनेक स्थानों में अंग्रेज विरोधी प्रदर्शन किये गए। पोस्ट आफिस लूट लिये गए और रजिस्ट्रेशन कोर्ट जला दिये गए। जगह-जगह तार काट दिये गए तथा थानों और शराब की दुकानों को नष्ट कर दिया गया। मोरसी में तहसीलदार को जुलूस में सम्मिलित किया गया तथा

तहसील पर तिरंगा झंडा लगा दिया गया। वनौरा के थाने पर कुछ गाँवों के लोगों ने आक्रमण कर दिया। पुलिस ने गोली चलाई, जिससे पाँच मनुष्य मारे गये तथा २५ घायल हो गये। इस सम्बन्ध में तीन गाँवों पर सामूहिक जुमाने किये गए। खानपुर में रेजर का दफ्तर जला दिया गया। अमरावती शहर में जनता ने पोस्ट और तार के दफ्तर तथा इम्पीरियल बैंक पर अधिकार जमाना चाहा, परन्तु असफल रही। १५ दिन से विद्यार्थी हड़ताल पर थे। उन्होंने विजली के बल्व तोड़ दिए। पवाली में तार काट दिये गए। वहाँ के लोगों पर सामूहिक जुमाना किया गया। परन्तु जुमाना वसूल करने के लिए जब वहाँ रेविन्यू इन्स्पेक्टर कुछ सिपाहियों को लेकर पहुँचा तो लोगों ने जुमाना देने से इन्कार कर दिया। इस पर डिप्टी कमिश्नर स्वयं पुलिस को लेकर वहाँ पहुँचा, परन्तु असफल रहा। उसने राष्ट्रीय झंडे को नीचे उतारना चाहा। पुलिस और जनता में मुठभेड़ हो गई। फलस्वरूप ५ मनुष्य वहीं मर गए तथा २ बाद में मरे। कुछ मनुष्य घायल भी हुए। हाईकोर्ट में कुछ मनुष्यों पर मुकदमे चलाये गए। जज ने पुलिस का कार्यवाही की भर्त्सना की तथा जुमाने को गैर कानूनी घोषित किया। चांदपुर बाजार में एलिचपुर की ताल्लुका पुलिस ने एक जुलूस पर आक्रमण किया। जुलूस के नेताओं पर पुलिस पर आक्रमण करने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया। परन्तु निरपराध घोषित हुए इस पर पुलिस के ऊपर हर्जाने या दीवानी में मुकदमा चलाया गया। मुकदमे में जनता की जीत हुई।

अमरावती जिले में ६०० व्यक्ति नजर बन्द और ७५० दण्डित हुए। ७ सरकारी इमारतों पर हमले हुए। ६ जगह गोली-काण्ड हुए। जिनमें १४ मरे और ४० घायल हुए।

अकोला—१९४१ में व्यक्तिगत सत्याग्रहियों के छूट जाने पर भी यहाँ भारत रक्षा कानून के मातहत युद्ध में बाधा डालने के नाम पर मुकदमे चलते रहे। अगस्त १९४२ से पहले चार प्रमुख कांग्रेस-कार्यकर्ता जेल में ठूस दिये गए। गान्धीजी की गिरफ्तारी की सूचना पाकर लोगों ने हड़तालें कर दीं। सरकार ने कांग्रेस कमेटियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। गाँवों में तरह-तरह के अत्याचार हुए। यहां तक कि बच्चों और वृद्धों तक को रात के समय पहाड़ी रास्तों में घसीटा गया, लोगों को बुरी तरह पीटा गया, हाथ पैर ताड़ दिये गए तथा पाखाने के रास्ते पर तेज पाउडर धर दिया गया। कहीं-कहीं पीटने की धमकी तथा रुपये का लालच देकर क्षमा मांगने को कहा गया। अकोला के नेशनल स्कूल, जिसको बाद में सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया

और खामगांव की तिलकराष्ट्रीय शाला के विद्यार्थियों ने आन्दोलन में उल्लेखनीय भाग लिया माता-पिताओं पर जोर दिया गया कि वे अपने लड़कों को राजनीति से अलग रखें। अकोला की सांवतराम मिल में एक महीने तक हड़ताल रही।

२००० के लगभग गिरफ्तारियां हुईं। १५० नजरबन्द और ३५० दण्डित किये गए।

मार्च तक सरस्वती मन्दिर और राष्ट्रीय स्कूल पुलिस के अधिकार में रहे। खिरपुरीके अम्बादास पटेल, श्री दौलतजी, श्रीराम राय पटेल आदि बहुत से कांग्रेस-कार्यकर्ता वरगांव लाये गए और पीटे गए। एक महीने तक वरगांव में फौजें पड़ी रहीं, जिन्होंने बहुत अत्याचार किए। ५० से ऊपर आदमी गिरफ्तार किये गए जिनमें ३० स्त्रियां भी थीं। जेल में कैदियों के साथ बहुत बुरा वर्ताव होता था। खाना बहुत खराब मिलता था। कई कैदी जेल से छुटने के बाद मर गए।

बुलढाना—इस जिले में १०० व्यक्ति नजरबन्द बनाये गए। विरोध में सजायें की गईं और जुलूस निकाले गए। दो बच्चों को, जो रेलवे लाइन के पास फिर रहे थे, गोली मार दी गई। एक वहीं मर गया तथा एक घायल हो गया। ये बच्चे खानदेश के थे।

यवतमाल—इस जिले से भी लगभग १०० व्यक्ति नजरबन्द बनाये गए। लोगों ने शान्ति पूर्व तरीके से सभाओं और जुलूसों के द्वारा अपना विरोध प्रकट किया।

: १३ :

राजधानी में खून की होली

भारत का सदर मुकाम होने के कारण नेताओं की गिरफ्तारी की खबर दिल्ली की जनता को तुरन्त मिल गई और ९ अगस्त को सुबह १० बजे तक समूचे शहर में हड़ताल हो गई। दोपहर में घंटाघर के पास से एक विशाल जुलूस रवाना हुआ, जो सड़कों पर घूमता हुआ शाम को करीब ६ बजे गाँधी मैदान में पहुँचा और एक सभा के रूप में परिणत होगया। करीब ५० हजार नर-नारियों ने इसमें भाग लिया। दूसरे दिन १० तारीख को सुबह से ही लोग घंटाघर के पास इकट्ठे होने लगे। लोगों का विचार नई दिल्ली की ओर जाने का था। अधिकारियों ने अजमेरी गेट पर पुलिस और फौजी लारियाँ तैनात करके और कांटेदार तार लगा कर अनेक रुकावटें खड़ी कीं, फिर भी लोग नई दिल्ली पहुँच ही गये। वहाँ की अधिकांश दुकानें पहले से ही बन्द हो चुकी थीं। शेष दुकानें भी लोगों के पहुँचते ही बन्द हो गईं। शाम को पुरानी दिल्ली में एक विशाल सभा की गई जिसमें करीब एक लाख व्यक्तियों ने भाग लिया। ११ तारीख को पुनः प्रातः ८ बजे लोग इकट्ठे हुए। किन्तु अब पुलिसवालों ने एकत्र लोगों पर लाठी-चार्ज प्रारम्भ किया। लोग लाठी खाकर भी तितर-बितर न हुए और एक जुलूस के रूप में कोतवाली की ओर बढ़ने लगे। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्री हकीम खलीलुलरहमान, जो जुलूस के नेता थे, गिरफ्तार कर लिये गए। अपने प्रिय नेता की गिरफ्तारी से लोग क्षुब्ध हो उठे और आगे की पंक्ति में खड़े हुए एक नवयुवक ने सोडावाटर की एक बोतल फेंक दी, जिससे डिप्टी कमिश्नर की आँख पर चोट आई। फिर क्या था? पुलिस एवं फौज वालों को खुलकर खेलने का मौका मिल गया और उन्होंने लोगों पर गोली चलाना प्रारम्भ कर दिया। फलस्वरूप एक व्यक्ति तुरन्त मर गया तथा अनेक घायल हुए।

इस घटना ने लोगों के क्रोध को प्रज्वलित कर दिया। फलतः उन्होंने टेलीग्राफ तथा टेलीफोन के तार काटना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने इस

सम्बन्ध में बहुत से व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, किन्तु फिर भी तोड़-फोड़ का काम बन्द नहीं हुआ। लोगों का एक जत्था म्युनिसिपल आफिस पहुँचा। उसने सेक्रेटरी को दफ्तर बन्द करने के लिए कहा। परन्तु उसने लोगों की बात को ठुकरा दिया। लोग उत्तेजित हो गए और उन्होंने आफिस में आग लगा दी। पुलिस घटनास्थल पर आई और गोली चलाने लगी। लोगों ने दो आग बुझाने के इंजिनों और एक आग बुझाने की मोटर-साइकिल को आग लगाकर नष्ट कर दिया।

फतेहपुरी के पास गोरे सैनिकों ने जनता पर गोली चलाई, जिससे दो व्यक्ति घटनास्थल पर मारे गए तथा बहुतों के गहरी चोटें आईं। फिर तो समूचे शहर में तोड़-फोड़ शुरू हो गई। पीली कोठी और क्वीन्स रोड पर उसका विशेष प्रकोप रहा पेट्रोल-पम्प जला दिये गए। शहर के सबसे बड़े रेलवे क्लियरिंग अकाउन्ट्स आफिस पर भी हमला किया गया और उसे जलाकर नष्ट कर दिया गया। पुलिस इन्स्पेक्टर ने एक व्यक्ति पर गोली चलाई। लोग इन्स्पेक्टर पर टूट पड़े और उसे वहीं खत्म कर दिया। इन्कमटैक्स आफिस भी लोगों की क्रोधाग्नि का शिकार हुआ।

पहाड़गंज के पास अंग्रेजी फौज के बैरिक पर हमला किया गया। फौजियों ने भागकर अपनी जान बचाई। शाम को पाँच से सात बजे के बीच में करीब १२ सरकारी स्थानों को जला दिया गया। पुलिस एवं फौज ने भी स्थान-स्थान पर लोगों पर गोली चलाई। रात को समूचे शहर में पूर्ण अंधकार रहा क्योंकि बिजली के तार काट दिये गए थे और बल्ब फोड़ दिये गए थे। दूसरे दिन सारे शहर पर फौज और पुलिस का अधिकार हो गया। स्थान-स्थान पर फौजी एवं पुलिस के सिपाही तैनात कर दिये गए। फिर भी दोपहर में लोगों के एक जत्थे ने पहाड़गंज के पोस्ट आफिस को जला डाला। फौजियों ने उस इलाके में कई बार गोलियाँ चलाई, जिससे काफी आदमी मारे गए और बहुत से घायल हुए। जनता की रिपोर्ट के अनुसार १३ अगस्त तक करीब १५० व्यक्ति मारे गए जब कि सरकार के कथनानुसार केवल ४४ व्यक्ति मारे गए। घायलों का हरविन अस्पताल में भर्ती किया गया, किन्तु वहाँ के अधिकारियों ने उनके साथ बड़ा व्यवहार किया। जिन घायलों को खून का इंजेक्शन देना अत्यन्त जरूरी समझा था उनको भी उससे वंचित रखा गया। विद्रोही उचित चिकित्सा के पात्र नहीं समझे गए।

९ अगस्त से ३० सितम्बर तक की घटनाओं की जो रिपोर्टें हमें मिली हैं, उसका सार हम यहाँ दे रहे हैं—

ए० जी० सी० आर० ऑफिस के १२५ क्लर्कों ने सरकारी नौकरी से स्तीफा दे दिया ।

२० अगस्त को जनता ने सप्लाई डिपार्टमेंट के चेक विभाग को काफी अंश तक जला डाला ।

दिल्ली क्लाय मिल के प्रधान कमिस्ट श्री एम० एम० शाह ने स्तीफा दे दिया । उनके आदर्श को लेकर कुछ नीचे के कर्मचारियों ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी ।

दिल्ली क्लाय मिल तथा बिड़ला मिल में पूर्णरूप से हड़ताल रही । अधिकारियों को मिलें बन्द करनी पड़ीं ।

स्कूल और कालेजों के छात्र-छात्राओं ने आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया । आन्दोलन सम्बन्धी काफी बुलेटिन प्रकाशित किये गए और जनता में बाँटे गए । लड़कियों ने वाइसराय की काँसिल के सदस्यों के मकान पर पिकेटिंग की । उन्होंने श्री अणु की सायंकालीन पार्टी को विफल बनाया । अतिथियों को मकान के पीछे के दरवाजे से अपने घर लौट जाना पड़ा । सरकारी कर्मचारियों को आफिस जाने से रोका गया । उनके गुलामी के चिह्न टोप एवं नकटाई उतरवा लिये गए ।

कुछ विद्यार्थियों ने पुलिस को अच्छा चकमा दिया । उन्होंने यह अफवाह फैला दी कि नई दिल्ली में एक सभा होगी जिसमें वाइसराय की काँसिल के सदस्य अणु एवं सरकार महोदय के भाषण होंगे । अतः पुलिस ने सभा में लोगों को एकत्र होने से नहीं रोका । सभा मण्डप में एक विशाल जन-समूह इकट्ठा हो गया । जब सभामण्डप खचाखच भर गया तो एक उत्साही विद्यार्थी हाथ में एक घंटी लिये हुए प्लेटफार्म पर पहुँचा । उसने अपनी जेब में से तिरंगा झंडा निकाल कर सभामण्डप में फहराया । राष्ट्रीय नारे लगाये तथा भाषण देना प्रारम्भ किया । इतने में पुलिस भी वहाँ आ पहुँची और सभा विसर्जित हो गई ।

९ सितम्बर को घारा १४४ लगी हुई थी, किंतु फिर भी जनता ने एक जुलूस निकाला जो शहर की गलियों में घूमा । शहर में पूर्ण हड़ताल रही । मुस्लिम भाइयों ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया और वांदनी चौक की सभी मुस्लिम दुकानें बन्द रहीं ।

१४ सितम्बर को कुछ छात्राओं ने थोड़े-से मजदूरों को साथ लेकर असेम्बली भवन में पिकेटिंग किया । सबके हाथ में राष्ट्रीय झंडे थे । पुलिस ने उन पर लाठी-चार्ज किया, किंतु वे लाठी की मार खाकर भी डटे रहे । २०

व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। शेष को हटा दिया गया। आठ महिलाएं लाठी की वीछार में वहीं बैठ गईं और उन्होंने पुलिसकी आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया। शाम को असेम्बली के खत्म होने पर लड़कियों एवं स्त्रियों ने 'वेस्टिंग पुलिस' के सिपाहियों को घेर लिया। इसी दिन पुरानी दिल्ली में ११ गदहों का एक जुलूस निकाला गया। ११ गदहे 'वाइसराय' की कांसिल के ११ भारतीय मेम्बरों के प्रतीक थे, जिनको अंग्रेज गृह-सदस्य मि० मैक्सवेल हांक रहे थे। पुलिस ने इन जुलूस पर छापा मारा और प्रदर्शनकर्त्ताओं एवं ११ गदहों को गिरफ्तार कर लिया। लोगों ने तोड़-फोड़ शुरू की, जिस पर कुछ व्यक्ति और गिरफ्तार कर लिये गए।

इस प्रांत के आन्दोलन की विशेषता यह थी कि उममें स्त्रियों एवं पढ़ने वाली लड़कियों ने अग्रग्रा भाग लिया। पुलिस वालों की बांखों में धूल झोंककर तथा प्रेस-कानून को तोड़कर लगातार प्रेसों एवं साइबलोस्टाइल द्वारा बुलेटिन प्रकाशित होते रहे।

पिकेटिंग करते हुए २०० व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गए तथा अन्य तरीकों से भी सैकड़ों गिरफ्तारियां की गईं। जेल में इन व्यक्तियों के साथ बड़ी सख्ती की गई। ३० सितम्बर को जेल के अन्दर राजनैतिक कंदियों पर सख्त लाठी-चार्ज किया गया। सब राजनैतिक कंदियों को, स्वास्थ्य सामाजिक स्थिति आदि का कुछ खयाल न रख कर, 'सी' क्लास में रखा गया। लाहौर-जेल में स्वा-बन्दियों तक के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्हें घसीटा गया और अज्ञात स्थान में बन्द कर दिया गया।

अखबारों पर कठोर सेंसर लगा दिया गया। हिन्दी के दैनिक पत्र 'वीर अर्जुन' तथा उसके प्रेस से ३ हजार रुपये की जमानत मांगी गई। दिल्ली प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की संयुक्त मंत्री श्रीमती अरुणा आसफअली एवं श्री जुगलकिशोर खन्ना तथा श्री सी० के० नायर को खास आर्डिनेन्स निकाल कर फरार घोषित किया गया और उनकी सब सम्पत्ति जब्त कर ली गई।

अक्टूबर और नवम्बर महीनों में भी प्रभात फेरियों और जुलूसों का निकलना जारी रहा। कई विशेष दिवस मनाये गए। हड़तालें की गईं। म्यु-निसिपल टाउन हाल, रिजर्वबैंक और विभिन्न कालेजों पर पिकेटिंग की गई। पेपर करेन्सी वितरण की गई। इस प्रकार सरकारी पाबन्दियों को तोड़कर आन्दोलन जारी रखा गया।

सरकार ने भी अपना दमन-चक्र जारी रखा। स्त्रियों के जुलूस पर लाठी-चार्ज किया गया, जिससे २ भर गईं और बहुत-सी घायल हुईं। पुलिस

ने अनेक घरों पर छापे मारे और उनकी तलाशियां लीं। लगभग २०० गिरफ्तारियां हुईं, जिनमें स्त्रियों की संख्या भी काफी थी। प्रान्त के प्रसिद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता श्री नायर भी गिरफ्तार कर लिये गए। कड़ियों पर मुकदमे चले और विभिन्न सजाएं दी गईं।

तोड़-फोड़—देहातों में भी तार काटे गए। विजवासन और गुड़गाँव के बीच बी० बी० एण्ड० सी० आई० रेलवे की एक मालगाड़ी गिराई गई। चांदनीचौक के सब-पोस्ट आफिस का कुछ हिस्सा तोड़-फोड़ डाला गया। दिल्ली-करनाल लाइन पर एन० डब्ल्यू० रेलवे के वादली स्टेशन पर रात को धावा बोला गया तथा तमाम रेकार्ड जला दिये गए। चांदनी चौक में रेलवे बुकिंग आफिस के पास एक बम फटा। दिल्ली-रोहतक लाइन पर एन० डब्ल्यू० रेलवे के घेवरा स्टेशन पर हमला किया गया और तमाम रेकार्ड फूंक दिये गए। विड़ला मन्दिर में भी एक विस्फोट हुआ। नई दिल्ली में टेलीग्राफ एवं टेलीफोन के काफी तार काट डाले गए, जिससे बहुत-से स्थानों में टेलीग्राफ एवं टेलीफोन का काम बन्द रहा।

: १४ :

अजमेर-मेरवाड़ा

भारत के अन्य प्रान्तों की भाँति अजमेर-मेरवाड़ा ने भी देश की आजादी के इस युद्ध में अपना योग दिया। १ अगस्त को अजमेर-मेरवाड़ा के कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं ने एक सभा की तथा कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अपने वर्धा अधिवेशन में पास किये गए 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव को दोहराया। अधि-कारी पहले ही सतर्क थे। वे आंदोलन को शुरू में ही कुचल डालना चाहते थे।

६ अगस्त को बम्बई में नेताओं की गिरफ्तारी होते ही उन्होंने तुरन्त अजमेर, व्यावर, केकड़ी आदि स्थानों के दर्जनों खास-खास कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ये गिरफ्तारियाँ करने में बड़ी मनमानी की। चीफ कमिश्नर ने पुलिस को खाली चारण्ट दे दिये थे, जिनमें नाम भरकर गिर-फ्तार करना पुलिस के हाथ में छोड़ दिया गया था। नेताओं पर प्रहार करने के बाद पुलिस की दृष्टि कांग्रेस-कमेटियों एवं खादी-भंडारों की ओर गई। तमाम कांग्रेस-कमेटियाँ गैर-कानूनी घोषित कर दी गईं और उनके कार्यालयों पर पुलिस का बरका हो गया। अजमेर और व्यावर के खादी-भण्डारों, हरमाड़ा के खादी विद्यालय, श्रौषघालय एवं पुस्तकालय, अजमेर के ग्रामोद्योग-संघ, हट्टंडी के गांधी आश्रम आदि संस्थाओं पर पुलिस ने छापा मार कर अपना अधिकार जमा लिया और उनकी करीब १५ हजार की सम्पत्ति नीलाम कर दी। इस प्रकार पुलिस आतंक का साम्राज्य स्थापित करना चाहती थी, किन्तु स्कूलों एवं कालेजों के विद्यार्थियों ने हड़ताल करवाई तथा जुलूस निकाले। कुछ विद्यार्थी गिरफ्तार कर लिये गए।

राजनैतिक बन्धियों के साथ जेल में तरह-तरह की सख्तियाँ की गईं। नजरबन्दों को छोटे-खराब वरकों में रखा गया। बन्धियों को न तो अच्छा एवं पर्याप्त भोजन दिया गया, न पहनने-ओढ़ने के लिए पर्याप्त कपड़े। सर्दी बेचारों को ठिठुर-ठिठुर कर वितानी पड़ी। उनका बाहरी जगत से एकदम सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया गया। उन्हें न तो पहने के लिए अखबार दिया गया

न अपने सम्बन्धियों से मिलने की इजाजत दी गई और न पत्र ही लिखने दिये गए । यही नहीं, जो व्यक्ति जेल की सख्तियों के कारण बीमार पड़ गए, उनकी ठीक देखभाल नहीं की गई और न उनका उचित रूप से इलाज ही करवाया गया । नाजुक स्थिति में भी बन्धियों को पैरोल पर नहीं छोड़ा गया ।

महात्मा गांधी के उपवास की खबर बन्धियों को मिली तो वे क्षुब्ध हो उठे । उन्होंने अपने प्रिय नेता के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए अनशन किया । अधिकारी लोग इसे भी सहन नहीं कर सके । भोजन न करने के अपराधमें उन पर मुकद्दमे चलाये गए और सख्त कैद की सजायें दी गईं । जुलाई १९४३ में सरकार ने नजरबन्दों से अंगूठे के निशान लेने का हुक्म निकाला । इन्कार करने पर कड़ियों को मुकद्दमे चलाकर सजाएँ दी गईं । बाद में पुलिस वालों ने जबरदस्ती अंगूठे के निशान लिये । जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट के अपमानजनक व्यवहार के विरोध में सुरक्षाबन्दी श्री रमेशचन्द्र व्यास ने तीन सप्ताह तक भूख हड़ताल की । सुपरिण्टेण्डेण्ट के खेद प्रकट करने पर हड़ताल खत्म हुई, किन्तु स्थानीय सरकार ने भूख हड़ताल करने के अभियोग में श्री व्यास पर मुकद्दमा चलाया । इसके अलावा श्री मूलचन्द असावा तथा बालकृष्ण कौल को भी उपवास करने के अपराधमें क्रमशः १५ दिन एवं दो मास कैद की सजाएँ दी गईं । उन्होंने जेल अधिकारियों की मनमानी का विरोध किया था ।

करीब एक वर्ष बाद १९४३ में सरकारने अपनी नीति कुछ बदली और बन्धियों को बिना शर्त छोड़ना आरम्भ कर दिया । हाँ, रिहाई के बाद प्रत्येक व्यक्ति पर कुछ-न-कुछ पाबन्दी अवश्य लगा दी जाती थी । कुछ व्यक्तियों को छूटने के बाद ४८ घंटों के अन्दर-अन्दर अजमेर-मेरवाड़ा से बाहर चले जाने का हुक्म दिया गया । कुछ व्यक्तियों पर पाबन्दी लगाई गई कि वे मोटर इस्तेमाल न करें, रेडियो न रखें, आपस में न मिलें तथा बिना पुलिस की इजाजत के अपने शहर से बाहर न जावें । इन पाबन्धियों के कारण छूटे हुए नजरबन्दों के लिए अपना साधारण काम-काज करना भी कठिन हो गया । कुछ व्यक्तियों ने उन पाबन्धियों की अवहेलना की जिससे उन पर पुनः मुकद्दमे चलाये गए और उन्हें कड़ी सजाएँ दी गईं । श्री मूलचन्द असावा और श्री गोकुललाल असावा को अजमेर म्युनिसिपल-क्षेत्र से बाहर न जाने का प्रतिबन्ध तोड़ने के अपराध में चार महीने की सख्त कैद तथा (२००) रुपए जुर्माने की सजा दी गई ।

सिन्ध प्रान्त

क्षेत्रफल	४८१३६ वर्गमील	जनसंख्या	४५३५००८
गिरफ्तारियां	२४०० से अधिक	नज़रबन्द	२००
सजायापता	१४००	बैंत की सजा	१००

सिन्ध एक छोटा-सा प्रान्त है जो सन् १९३६ में बम्बई प्रान्त से अलग हुआ है। इसमें लगभग ७० प्रतिशत मुस्लिम और ३० प्रतिशत हिंदू, ईसाई, सिख तथा अछूत रहते हैं। हिन्दू जनता अधिकतर बड़े-बड़े शहरों में बसी हुई है और मुस्लिम देहातों में। सिन्ध के मुसलमान सैयद, बलोची, मोर इत्यादि फिरकों में बंटे हुए हैं और उनमें आपस में काफी चलती रहती है। निस्सन्देह मुस्लिम लीग के बढ़ते हुए प्रभाव ने इन्हें एक भंडों के नीचे इकट्ठा होने में काफी मदद का है। स्वभाव से यहां का मुसलमान काफी ब्रिटिश विरोधी है, पर मुस्लिम लीग के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण वह खुल कर किसी विरोधी आन्दोलन में नहीं पड़ता। हूरो का उत्पात ब्रिटिश विरोधी भावना से ही उत्पन्न हुआ है।

सन् १९४० व ४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह में कांग्रेस हाई कमांड ने सिन्ध की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां के कांग्रेसजनों को व्यक्तिगत सत्याग्रह करने से मुक्त कर दिया था, पर सन् १९४२ के खुले विद्रोह में कोई ऐसी पाबन्दी असम्भव थी। सिन्ध के आन्दोलन में विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। ९ अगस्त को कांग्रेस-नेताओं की गिरफ्तारी के फलस्वरूप कराची तथा अन्य दूसरे शहरों में हड़तालें रहीं, जिनमें विद्यार्थियों ने और विशेष कर छात्राओं ने बहुत सक्रिय भाग लिया। वे बहुत बड़ी संख्या में स्कूल-कालेजों से निकलकर विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए। ब्रिटिश नौकरशाही ने इसका उत्तर लाठियों के प्रहारों से दिया। पुलिस ने स्वराज भवन से कांग्रेस का भंडा उतार लिया और दफ्तर पर कब्जा कर लिया। शहर में कितने ही दिनों तक हड़ताल रही और सारे प्रमुख बाजार कराची माल मंडी और सूई के बाजार सहित एक हफ्ते से अधिक दिनों तक बन्द रहे। शहर में चारों ओर

रोजाना प्रभात फेरियां निकाली गईं और रामवाग और ईदगाह पर कई सामूहिक सभाएं की गईं। पुलिस ने भयंकर लाठी-चार्ज किया, लेकिन फिर भी काफी तादाद में लोग इकट्ठे हुए।

कराची—प्रारम्भ के कुछ हफ्तों तक कराची के प्रायः सारे ही स्कूल और कालेज बन्द रहे। १०, ११, १२ अगस्त को विद्यार्थियों तथा जनता के बड़े-बड़े जुलूस निकले। पुलिस ने इन जुलूसों पर लाठी-चार्ज किये जिनके कारण कितने ही आधमी जखमी हुए। अनेक निर्दोष व्यक्ति भी, जिनका जुलूसों से सम्बन्ध न था, पुलिस के रोष के शिकार बने। पुलिस के सिपाहियों ने विश्रान्ति-गृहों, क्लबों, वाचनालयों इत्यादि जगहों में घुस-घुस कर निर्दोष व्यक्तियों को मारा-पीटा और गिरफ्तार कर लिया। इस पर विद्यार्थियों का रोष और भी बढ़ा। उन्होंने उन स्कूलों पर पिकेटिंग किया जो इस समय भी खुले हुए थे। एन० जे० हाई स्कूल और चर्च कालेज पर पिकेटिंग हुआ। नवीस एलेक्जेंड्रिया कालेज में विद्यार्थियों को केवल इसलिए नहीं जाने दिया गया कि उन्होंने 'भारत छोड़ो' के बिल्ले लगा रखे थे।

सरकारी-दमन तथा पुलिस के प्रहारों से बचने के लिए लोगों ने नवीन तरीके अपनाये। रात को १० बजे के बाद अपने घरों के ऊपर लाग खड़े होकर कांग्रेस-नारे लगाते थे। साइकिलों पर लोगों ने जुलूस निकाले जिससे पुलिस वालों को उन्हें पकड़ने के लिए काफी तेज भागना पड़ता था। साइकिलों पर चढ़े हुए यह आजादी के सैनिक राष्ट्रीय गीत गाते और राष्ट्रीय नारे लगाते विराध-प्रदर्शन करते थे। विदेशी कपड़ों की भी कई जगह होली जलाई गई। विद्यार्थी जाने वालों के हेट और टाई मांग लेते थे और उन्हें किसी पब्लिक चौराहे पर जा कर जलाते थे। सरकारी अफसरों के पास सरकारी बन्द लिफाफों के ज़रिए कांग्रेस बुलेटिन काफी मात्रा में भेजे गए। कितने ही दिनों तक रिजर्व बैंक पर भी पिकेटिंग किया गया। कराची के प्रमुख व्यापारियों ने अपनी सभाओं में सरकारी नीति की फड़ी आलोचना की।

शहर की बसों और ट्रामों को कई रोज तक रोका गया। एक ट्राम-कार में तो आग लगा दी गई। कितने ही लोगों ने बसों और ट्रामों पर बिना किराये के सफर किया। टेलीफोन के तारों तथा डाकखानों के लेटर बक्सों को भी कितनी बार क्षति पहुँचाई गई। रेलवे के डिब्बों को भी कितनी बार क्षति पहुँचाई गई। रेलवे के डिब्बों को भी क्षति पहुँची और कराची से मतीर स्टेशन

को जाने वाली कई स्पेशल गाड़ियां, जिनमें फौजी सिपाही थे, रोकी गईं। कराची जिले में लगभग ३ माह तक किसी-न-किसी रूप में आन्दोलन चलता रहा।

हैदराबाद—प्रारम्भ में शहर में हड़ताल रही। विद्यार्थी स्कूल और कालेजों को छोड़ कर चले आये और मेडिकल कालेज के लगभग ३० विद्यार्थियों को कांग्रेस-आन्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप कालेज से निकाल दिया गया। आन्दोलन का प्रारम्भिक जोश धीमा पड़ जाने के बाद हर महीने दो चार विशेष दिवस मनाये जाते थे। ९ नवम्बर को कौमी झंडे को सलामी देने का प्रयत्न किया गया। पुलिस ने शुरू से ही लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। फिर भी लोगो ने इधर-उधर प्रभात फेरियां निकालीं। पुलिस इतनी बौखला गई कि सड़कों पर जो आदमी उसे खादी की टोपी और कुर्ता पहने हुए दिखता था वह उसे पकड़ लेती थी। कितने ही लोगों को सजाएं दी गईं, उन पर जुर्माने किये गए और कुछ को तो बेंत भी लगाये गए।

हैदराबाद में दूसरी बार कालेज खुले, तब भी विद्यार्थियों की तादाद बहुत कम थी, हालांकि सरकार ने विद्यार्थियों तथा उनके घर वालों को धमकाने के काफी प्रयत्न किये थे।

२१-११-४२ को आज़ाद पार्क में लोगों ने एक बहुत बड़ा कांग्रेस जलसा करने का प्रयत्न किया। पुलिस घटनास्थल पर पहुँची और उसने लोगों को तितर-बितर हाने की चेतावनी दी। कई लोग पकड़ लिये गए और शेष बिखर गए। पर औरतों ने जाने से विलकुल इन्कार कर दिया और बराबर कांग्रेस के नारे लगाती रहीं। विद्यार्थियों ने यहां के मेडिकल कालेज पर पिकेटिंग किया। वहां के अध्यापकों तथा चपरासियों ने विद्यार्थियों के साथ बुरा व्यवहार किया, जिससे उनमें जोश व रोष की मात्रा फैल गई। इस प्रकार दिसम्बर तक हैदराबाद में किसी-न-किसी रूप में आन्दोलन चलता ही रहा।

शिकारपुर—इस जिले में हड़ताल और विरोध-प्रदर्शन के अतिरिक्त तोड़-फोड़ के काम काफी अधिक हुए। शिकारपुर सिविलकोर्ट में अग्नि-काण्ड हुआ और सक्कर जिले के गरियासीन डाकखाने में आग लगाई गई। नवाब-शाह में मुह्तयारकार के दफ्तर में आग लगाई गई। इस प्रकार की खबर लरकाना, दादू व जैकोबाबाद से भी आई।

दमन—अगस्त के पहले दो सप्ताहों में हैदराबाद में लगभग ४०० कार्यकर्ता पकड़े गए जिसमें आधे से अधिक औरतें थीं। सिन्ध पुलिस ने स्त्रियों

के साथ बड़ा ही अमानुषिक व्यवहार किया। उन्हें पकड़ कर आधी रात के करीब बाहर दूर जंगलों में छोड़ आया जाता था।

दाहू शहर में स्कूल के विद्यार्थियों ने एक प्रभात फेरी निकाली। पुलिस ने प्रारम्भ में १६ गिरफ्तारियां कीं। उनमें से १० को एक-एक साल की सजा दी गई। बाकी ६ लड़कों के बड़ी निर्दयता से कोड़े लगाये गए। जब काफी खून बहने लगा और वे मूर्च्छित होकर गिर पड़े, तब उनको छोड़ा गया।

नवावशाह में भी इस प्रकार की घटनाएं हुईं। तीन स्वयंसेवक, जो शराब की दूकान पर पिकेटींग कर रहे थे, पकड़ लिये गए और उनको कोड़े मारने की सजा दी गई। एक हिन्दुस्तानी सिपाही जब उनको कोड़े मार रहा था, तो उसी समय एक यूरोपियन फौजी अफसर अपने बंगले से निकला और उस सिपाही को हल्के कोड़े लगाने के कारण सजा दी। उसने सिपाही के हाथ से कोड़ा छीन कर स्वयं मारना शुरू किया और बड़ी निर्दयता के साथ उन स्वयंसेवकों को पीटा।

सक्कर—प्रारम्भ में हड़ताल हुई। गान्धी-जयन्ती के दिन लोगों ने एक जुलूस निकालने का प्रयत्न किया। पुलिस ने शुरू में ही लगभग ३०० आदमी गिरफ्तार कर लिये, जिन्हें शाम को छोड़ दिया गया। उनमें से कितने ही नौजवानों को पीटने के बाद छोड़ा गया। इससे लोगों का रोष काफी बढ़ गया और कुछ लोगों ने टुकड़ियों में विभाजित होकर सक्कर-रोहरी रेलवे लाइन की पटरियाँ उखाड़ दीं। पुलिस अधिकारियों ने इस घटना का पता लगाने के लिए लोगों को बड़ी निर्दयता से पीटा और एक को तो बर्फ के साथ बांधा। कितने ही लोगों को पुलिस ने हिरासत में रखकर तरह-तरह की यातनाएं दीं। पुलिस की इन ज्यादतियों के फलस्वरूप सक्कर में तोड़-फोड़ के कार्य हुए। दो सैकिन्ड क्लास के डिब्बों में आग लगाई गई और मालगोदाम को जलाने का प्रयत्न किया गया। कुछ कपास की गांठें भी जलाई गईं। सक्कर म्यूनिसिपल बोर्ड के स्कूल में भी आग लगा दी गई जिससे उसके सारे कागज जल गए।

शिकारपुर, सक्कर और जैकोबाबाद में कई बार टेलीफोन के तार काटे गए। सक्कर स्टेशन पर अग्नि-कांड के कारण एक लाख से अधिक फौजी सामान की क्षति पहुंची। शिकारपुर में दो-तीन माह तक कालेज बन्द रहे। और अन्य कालेजों पर पिकेटींग होती रही। २८ नवम्बर को दो कांग्रेस सेवक सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में घुसे और उन्हें अपनी कुर्सी छोड़ने आदेश दिया। पुलिस के आने से पहले ही स्वयंसेवक बाहर हो गए। दो थियों को कालेज पर पिकेटींग करने के फलस्वरूप एक साल की सजा हुई।

सिन्ध में आन्दोलन के अधिक व्यापक और उग्र होने के उपयुक्त कारण मौजूद नहीं थे । बहुसंख्यक मुसलमानों को आन्दोलन से किसी प्रकार की हमदर्दी न थी । सिन्ध में किसी प्रकार का साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं हुआ । यह इस बात का सुवृत्त है कि यहाँ के मुस्लिम ब्रिटिश विरोधी अवश्य हैं ।

सिन्ध में इस आन्दोलन के सम्बन्ध में २४०० से अधिक गिरफ्तारियां हुईं और १४०० से अधिक को सजाएं दी गईं । लगभग २०० नजरबन्द किये गए । १०० व्यक्तियों को वेंतों की अमानुषिक सजा दी गई ।

सीमा प्रान्त

सीमा प्रान्त का भारतीय राजनीति में एक निराला और महत्त्वपूर्ण स्थान है। ब्रिटिश साम्राज्यशाही, कांग्रेस और मुस्लिम लीग तीनों ही के लिए इस प्रान्त की अपनी अहमियत है और इसी कारण तीनों की इस प्रान्त में गहरी दिलचस्पी है। सीमाप्रान्त में ५० प्रतिशत पठान रहते हैं। इसके उत्तर-पश्चिम और उत्तर पूरब में भी पठानों की ही बस्ती है। इन इलाकों का कवायली इलाकों के नाम से पुकारा जाता है। कवायली जातियों में नौकरशाही की गहरी दिलचस्पी है। ब्रिटिश नौकरशाही उनमें काफी तोड़-फोड़ करती रही है। इन इलाकों को ब्रिटिश साम्राज्यशाहा ने अपने सैनिक खेल व ट्रेनिंग का अखाड़ा बनाकर रखा है। सीमा प्रान्त की सरकार को उनमें दखल देने का अधिकार नहीं है। अब तक उन पर सीमा प्रान्त के गवर्नर की सीधी देख-रेख थी। किन्तु केन्द्र में अन्तःकालीन सरकार बन जाने की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। भारत सरकार के जिस विभाग का इन इलाकों से सम्बन्ध था, वह पं० जवाहरलालनेहरू के हाथ में आ गया है। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश साम्राज्यशाही ने कवायली लोगों और भारतीय राष्ट्रीयता के बीच जो दीवार खड़ी कर रखी थी, वह गूट गई है। पं० जवाहरलाल नेहरू और सीमांत गाँधीजी ने अभी हाल ही में इन इलाकों का दौरा किया था। उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हुए, किन्तु उनके पीछे वही साम्राज्यशाही का छिपा हाथ काम कर रहा था।

कांग्रेस की सीमा प्रान्त में गहरी दिलचस्पी है, क्योंकि सारे भारत-वर्ष में केवल यही एक ऐसा प्रान्त है जहाँ पर लगभग ९५ प्रतिशत मुसलमान रहते हैं और जो कांग्रेस द्वारा शुरू किये गए भारतीय आजादी के आन्दोलन में पूर्ण रूप से सम्मिलित हुए हैं। सन् १९३० व ३२ के राष्ट्रीय आन्दोलनों में सीमाप्रान्त ने एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। सन् १९३० में पेशावर में गोली चली और पठानों ने बड़ी दिलेरी के साथ सीमा खोलकर मशीनगनों की गोलियों का मुकाबला किया। अर्थात् पेशावर की भूमि इन देशभक्त पठानों

के खून से रंगी गई। स्वभाव से पठान सीधा और साफ दिल होता है। ज्यादा हेर-फेर की बात नहीं जानता। वह मित्र भी अच्छा होता है और शत्रु भी। सन् १९३० से सीमा प्रान्त के पठानों ने कांग्रेस-नेतृत्व को स्वीकार किया और तब से बराबर वे कांग्रेस नेतृत्व के अधीन आजादी की हर लड़ाई में शामिल रहे हैं। नौकरशाही ने इस प्रान्त में कांग्रेस की बढ़ती हुई शक्ति को नष्ट करने के अनेक प्रयत्न किये पर वह विफल रही। खान-बन्धुओं ने जीवन में एक नई स्फूर्ति, नया दृष्टिकोण और नई आकांक्षा पैदा कर दी है। दिलेर पठानों ने कांग्रेस का अहिंसा का पाठ अच्छी तरह सीख लिया है और उसकी आश्चर्यजनक शक्ति को स्वीकार करते हैं।

पिछले कुछ सालों से मुस्लिम लीग के नेतृत्व ने भी सीमा प्रान्त के मामले में गहरी दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि अपने को मुसलमानों का नुमाइन्दा साबित करने के लिए यह आवश्यक होगया कि वह सीमा प्रान्त के पठानों में अपना प्रभाव जमाये। सीमा प्रान्त पर कांग्रेस का प्रभाव होना उसके लिए असहनीय था, क्योंकि इस अखंड सत्य के होते हुए वह अपने दावे को मजबूती से पेश नहीं कर सकता। इस कार्य में ब्रिटिश नौकरशाही ने उसे काफी मदद भी दी। सन् १९४१ में होने वाले व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रति ब्रिटिश नौकरशाही की अजीब नीति रही। हजारों पठानों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। फिर भी सीमा प्रान्त की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि यहाँ की सरकार को भय था कि दमन के कारण पठान और भी अधिक रुष्ट हो जायेंगे। सन् १९४२ में भी जब चारों ओर देश में खून की होली खेली जा रही थी, दमन का साम्राज्य था, सीमा प्रान्त की सरकार ने यकायक दमन नीति को नहीं अपनाया। सीमा प्रान्त में कांग्रेस के नेता प्रारम्भ में नहीं पकड़े गए। खान अब्दुल गफ्फार खां ने भी इस मौके का लाभ उठाया और लम्बी लड़ाई की तैयारियाँ करते रहे। इस प्रकार उन्होंने अपने संगठन को सुव्यवस्थित कर अकतूबर मास से इस आन्दोलन का प्रारम्भ किया।

सीमा प्रान्त में सबसे पहले जगह-जगह सभाएं की गईं और लोगों को अपने को स्वतन्त्र समझने का आदेश दिया गया और मुकम्मल आजादी का एलान किया गया। अनेक जगह इस प्रकार की सभाएं हुईं, पर नौकरशाही ने कोई दखल नहीं दिया। अकतूबर मास से खान अब्दुल गफ्फार खां ने आन्दोलन में नया जीवन डालने के लिए उसके रूप को बदल दिया और शराव की दूकानों पर पिकेटिंग प्रारम्भ किया। खुदाई खिदमतगारों के जत्थे आते थे और इन दूकानों पर पिकेटिंग करते थे। इसके बाद रफता-रफता यह

जत्थे सरकारी इमारतों पर भी पिकेटींग करने लगे । फौज की बैरकों में भी खुदाई खिदमतगार अपना पैगाम पहुंचाने का प्रयत्न करने लगे । आन्दोलन का यह रूप नौकरशाही के लिए असहनीय था और अब उसको अपनी पुरानी नीति छोड़नी पड़ी । खुदाई खिदमतगार हर जगह जाकर वगावत की घोषणा करते थे । पेशावर तथा बन्नु में लगभग २-३ मास तक हफ्ते में दो-तीन बार जत्थे जाते थे और सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय झंडा लगाने का प्रयत्न करते थे । उन पर नौकरशाही को मजबूर होकर लाठी प्रहार करना पड़ा । लाठी-चार्ज का यह सिलसिला एक अर्से तक जारी रहा । अन्त में ६ अक्टूबर को सरकार ने कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया । विरोध-स्वरूप शहर में पूर्ण हड़ताल रही । हड़तालियों पर आतंक जमाने के लिए सरकार ने दूकानों को तुड़वा डाला । जनता के बढ़ते हुए जोश को कुचलने के लिए सीमा-प्रान्त का नौकरशाही ने लाठी-प्रहारों का खुलकर काम लिया । उनकी विशेषता यह थी कि लोगों के सरों पर वार नहीं किया जाता था, बल्कि उनके पेट पर अधिक चोट पहुँचाई जाती थी । अभिप्राय यह था कि लोगों को अन्दरूनी चोट पहुँचाई जाय । १९, २०, २१ अक्टूबर को सीमा प्रान्त में जनता ने पुलिस-स्टेशनों आदि पर राष्ट्रीय झण्डे लगाने के अनेक प्रयत्न किये । पेशावर में हजारों आदमियों ने इन प्रदर्शनों में हिस्सा लिया । कई सौ आदमी पुलिस के लाठी-प्रहारों के कारण घायल हुए । पेशावर में अक्टूबर मास में लगभग २५ आदमी रोज़ पकड़े गए और अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर तक आन्दोलन का यही रूप रहा । पेशावर के अतिरिक्त बन्नु, कोहाट, मरदान आदि जगहों में भी आन्दोलन का रूप इसी प्रकार का रहा ।

सीमा-प्रान्त में इस आन्दोलन के सम्बन्धमें २५५८ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए और १८८० व्यक्तियों को विभिन्न सजायें दी गईं । इसके अलावा ७०८ व्यक्ति नजरबन्द रखे गए । एक जगह गोली भी चली, लाठी-प्रहारों के फलस्वरूप पाँच सौ से एक हजार तक व्यक्ति सख्त घायल हुए । कुछ छोटे वृच्चों को कोड़े भी लगाये गए । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पहले की भाँति सन् १९४२ के विद्रोह में भी सीमा-प्रान्त ने शानदार हिस्सा लिया । यहाँ का आन्दोलन अन्त तक अहिंसक रहा । इसका श्रेय बादशाह खान के नेतृत्व को है, जिनका सीमा-प्रान्त के पठानों पर अभूतपूर्व प्रभाव है ।

पंजाब में आन्दोलन

पंजाब नदियों का प्रदेश है। भारत की पाँच प्रसिद्ध नदियाँ—जेहलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज इस प्रान्त की भूमि को उर्वरा बनाती हुई अरब सागर में जाकर गिरती हैं। अतएव पाँच नदियों का प्रदेश होने के कारण इसका नाम 'पंजाब' पड़ा है।

पंजाब एक प्रकार से भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा बनाता है। केवल जम्मू-काश्मीर रियासत एवं सीमान्त प्रदेश का सँकड़ा भाग बीच में पड़ता है। अतः सैनिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है।

पंजाब विभिन्न धर्मों, जातियों एवं वर्गों का घर है। देश के सभी नये-पुराने, कट्टर एवं 'उदार' धर्म, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि जातियों तथा कांग्रेस, लीग, हिन्दू महासभा वगैरा राजनैतिक दल यहाँ की भूमि में स्वतन्त्र रूप से फूले फले हैं। मुख्य धर्मों के अलावा उनके छोटे-छोटे फिरके अलग ही हैं। अतः प्रान्त के धार्मिक जीवन में सहनशीलता और मेल-मिलाप की भावना का अभाव है। 'आदर्शवादी' धार्मिक आन्दोलन पंजाब की भूमि में काफी सफल हुए हैं, जिनसे समूचे प्रान्त और विशेषकर शहरी भागों के जीवन में तीव्र क्रान्ति उत्पन्न हो गई है।

धार्मिक जीवन की भाँति प्रान्त की राजनीति भी अव्यवस्थित रूप में है। सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में आपसी मेल और सहन-शीलता का नितान्त अभाव रहा है। देहाती पंजाब अभी तक स्वस्थ है और नागरिक पंजाब के वैमनस्य से बचा हुआ है। नागरिक क्षेत्र में धर्म का साम्प्रदायिक स्वार्थों के लिए एवं राजनीति में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। नागरिक एवं देहाती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक समस्याओं पर शुद्ध अर्थ-शास्त्र की दृष्टि से विचार नहीं किया जाता। एक साम्प्रदायिक गुट दूसरे साम्प्रदायिक गुट पर धर्म और जाति की ओट में प्रभाव जमाने की चेष्टा करता रहता है। इस प्रकार की साम्प्रदायिकता-पूर्ण राजनीति

पंजाब की राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में अब तक पूरी तरह असफल रही है।

पंजाबियों ने व्यापारिक क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त की है। पंजाबी किसान भी अन्य प्रान्तों के मुकाबले खुशहाल हैं। यह कहा जा सकता है कि देश के अन्य भागों की तुलना में पंजाबियों की आर्थिक स्थिति अच्छी है। इसके अतिरिक्त, पिछले महायुद्ध से ही यह फौजी-भर्ती का खास अड्डा रहा है और इसी कारण वह अंग्रेजी सरकार की "दाहिना-भुजा" कहलाता है। वास्तव में पंजाब की फौजी परम्परा रही भी है। उसे अतीत में समय-समय पर विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा, जिससे सैनिक-वृत्ति पंजाबियों के स्वभाव में दाखिल हो गई। अंग्रेजों ने भारतवर्ष में हमेशा पंजाब प्रान्त को अपने सबसे मजबूत किले के रूप में माना है। उन्होंने पंजाबियों को अधिक वेतन वाली नौकरियाँ देकर उनकी देश-प्रेम की भावना को नष्ट कर देने की कोशिश की है। इसी कारण पंजाब देश की आजादी की लड़ाई में अधिक हिस्सा नहीं ले पाया।

पंजाब की पिछड़ी हुई राजनीतिक अवस्था के कई कारण हैं। प्रान्त की आवादी में मुसलमानों का बहुमत है, जो मुस्लिम लीग अथवा यूनियनिस्ट पार्टी के प्रभाव में हैं। इन दोनों पार्टियों ने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया है और ये ब्रिटिश संरक्षण में ही पली हैं। पश्चिमी हिस्से के देहात, जहाँ मुसलमान बहुमत में हैं, अधिकतर या तो फौज में भरती रहे हैं अथवा उनमें मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस विरोधी भावना कूट-कूट कर भर दी गई है। हिन्दुओं ने, जिनका हिमालय प्रदेश में बहुमत है और जहाँ आजीविका के साधन प्राप्त नहीं हैं, अपने-आपको या तो व्यापार में लगाया है अथवा वे ब्रिटिश फौज में भरती हो गए हैं। सिख भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों में विभक्त हैं। देहाती जनता में जाट लोग अधिक हैं, जिन्होंने अब से पहले तक हमेशा प्रतिक्रियावादी यूनियनिस्ट पार्टी का साथ दिया है।

प्रान्त में कांग्रेस का संगठन भी उचित रूप से नहीं हुआ है। कांग्रेस-नेतृत्व आपस की फूट के कारण हमेशा कमजोर रहा है। उसका कार्य ज्यादातर शहरों तक ही सीमित रहा। यही कारण है कि कांग्रेस की जड़ देहातों की आम जनता के भीतर गहरी न पैठ सकी और देश की पुकार पर समूचे प्रान्त का वांछित सहयोग न मिल सका।

फिर भी बम्बई में हुई नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार जब पंजाब में पहुंचा तो वातावरण में तीव्र क्षोभ उत्पन्न हो गया। जनह-जगन विरोध समाजों

हुई तथा व्यापक हड़तालें की गईं। लाहौर और रावलपिंडी के समीप कई स्थानों में क्षुब्ध जनता ने डाक और टेलीफोन के तारों को काट डाला और यातायात को पंगु बनाने की चेष्टाएँ की। उधर सरकार की आर से भी तुरन्त दमन शुरू हो गया। बहुत से मुखिया आदमी गिरफ्तार कर लिये गए। कांग्रेस के दफ्तरों पर मोहर चपड़ी लगा दी गई। पंजाब के भूतपूर्व प्रधान मंत्री सर सिकंदर हयातखाने ने लोगों को बड़े-बड़े इनामों, ऊंचे नौकरियों, और जागीरों का प्रलोभन देकर उन्हें आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने से रोका। इन सब कारणों से इस प्रान्त में स्वतन्त्रता का यह आन्दोलन बहुत समय तक न चल सका और न व्यापक रूप ही धारण कर सका। वह बड़े-बड़े शहरों तक ही सीमित रहा, जहाँ कि हिन्दुओं की आवादी अधिक है।

पंजाब में सन् १९४२ के आन्दोलन में महिलाओं और छात्राओं ने उल्लेखनीय हिस्सा लिया। उन्होंने यह अच्छी तरह साबित कर दिया कि आजादी के सिपाहियों के रूप में वे मर्दों से कहीं बढ़कर हैं।

श्री जयप्रकाश नारायण के जेल से बच निकलने के बाद पंजाब के नव-युवकों ने गुप्तरूप से काम करना शुरू किया और इस प्रकार सन् '४२ के आन्दोलन में अपना फर्ज अदा किया। किन्तु पंजाब ने अब करवट बदली है। सारे देश ने सन् '४२ में और उसके बाद देश की आजादी के लिए जो कुर्बानी की है, उसका असर पंजाब पर भी पड़ा है। कांग्रेस, अधिकाधिक लोकप्रिय हो रही है। प्रान्तीय असेम्बली के पिछले चुनावों में कांग्रेस को जो सफलता मिली यह उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यद्यपि पंजाब में मुस्लिम लीग की शक्ति बढ़ी है, किन्तु आज कांग्रेस अन्य दलों के सहयोग से प्रान्त के शासन का भार सम्हाले हुए है। ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में पंजाब आजादी की ओर कूच करने में अन्य प्रान्तों से पीछे न रहेगा।

भारतीय रियासतों का भाग

ब्रिटिश साम्राज्यवाद की भारत में अपनी क्लिबन्दी व सुदृढ़ रक्षा-पंक्तियाँ हैं। हिन्दुस्तानी रियासतें उसका एक मुख्य अंग हैं। वास्तव में ये रियासतें प्रतिक्रियावादी शक्तियों की अखीरी आशायें हैं। अतः भारतीय राष्ट्रवाद के लिए यह परम आवश्यक है कि वह इन विभिन्न क्लिबन्दीयों को तोड़े, क्योंकि इनके टूटने से हा साम्राज्यशाही का ढाँचा अस्त-व्यस्त हो सकता है, वरना इसका अंकुर किसी-न-किसी रूप में बना ही रहेगा। सन् १९१९ से सन् १९४२ तक कांग्रेसी नेतृत्व ने साम्राज्यशाही के इस ढाँचे के विरुद्ध कई सामूहिक और व्यक्तिगत प्रहार किये और हर प्रहार में उसके किसी-न-किसी मुख्य अंग पर प्रबल वार कर उसकी शक्ति को क्षीण किया। पर रियासतों के सम्बन्ध में कांग्रेसी नेताओं की अब तक तटस्थ रहने की नीति ही रही। यद्यपि वे जानते थे कि रियासतों में ब्रिटिश भारत से भी अधिक अन्याय होता है, पुराने दकियानूसी कानूनों द्वारा जनता पर हुकूमत की जाती है और राज्य-व्यवस्था में जनता का कोई हाथ नहीं है, फिर भी कांग्रेस-हाई-कमाण्ड ने यह उचित नहीं समझा कि वह रियासतों के अन्दर सामूहिक आन्दोलन करे। इस नीति के वरतने के अपने ही कारण थे। कांग्रेस-हाई-कमाण्ड एक समय में एक ही मोर्चे पर लड़ना चाहता था। वह कई मोर्चों पर एक साथ लड़कर भारतीय राष्ट्रवाद की शक्ति को अपव्यय करने के हक में न था। उसकी मान्यता थी कि एक बार अंग्रेजों को सीधी राह पर ले आया गया तो राजा अपने आप सीधी राह पर आ जायेंगे।

पर इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेसी नेता रियासतों की जनता में राजनीतिक जागृति देखना नहीं चाहते थे। इसके विपरीत रियासती जनता के आन्दोलन के प्रति उनकी बराबर सहानुभूति रही। उन्होंने कई बार घोषणा की कि प्रजातन्त्रवादी भारत और सामन्तशाही रियासतें दोनों एक साथ नहीं रह सकतीं। उन्होंने रियासतों में होने वाले अन्यायों व अत्याचारों की

की ओर वहाँ की जनता को अपना संगठन करने तथा अपने नागरिक व राजनीतिक अधिकार खुद प्राप्त करने की सलाह दी। देशीराज्य लोक परिषद् की स्थापना व प्रगति में कांग्रेसी नेताओं का बड़ा हाथ है। पं० नेहरू, डा० पट्टाभि-सीतारामैया जैसे प्रसिद्ध कांग्रेसी नेताओं की छत्र-छाया में यह संस्था फली-फूली है।

यूरोपीय तथा एशियाई महायुद्ध ने उन अस्थायी प्रतिवन्धों को तोड़ दिया। विचारों की बाढ़ के सामने कोई भौगोलिक अथवा शासन सम्बन्धी दीवारें खड़ी नहीं रह सकतीं। महायुद्ध ने समस्त भौगोलिक व साम्राज्यशाही सीमाओं को अस्त-व्यस्त कर दिया, और रियासतों तथा ब्रिटिश भारत की जनता एक ही प्रकार से सोचने लगी। युद्ध-जनित वातावरण ने लोगों पर एक ही-सा मनोवैज्ञानिक असर डाला। सारे भारत की जनता में एक ही प्रकार की भावनाएं तथा आकाक्षाएं पैदा कर दीं। इस प्रकार महायुद्ध ने अप्रत्यक्ष रूप से रियासतों में बसी हुई जनता के विचारों में एक आश्चर्यजनक क्रान्ति पैदा कर दी और मार्ग-प्रदर्शन के लिए वह किसी ओर आँखें पसारकर देखने लगी। ६ अगस्त को कांग्रेसी नेताओं तथा कांग्रेस-संगठन पर ब्रिटिश प्रहार को रियासतों की जनता ने अपने पर प्रहार समझा और इस प्रकार सन् १९४२ के खुले विद्रोह की लपटें भारतीय रियासतों में पूर्ण रूप से फैल गईं। इस तूफान में विभिन्न रियासतों में लाखों की तादाद में आदमी आशा, उत्साह व आकाक्षाओं को लिये हुए उठे और सैकड़ों की तादाद में नये नेता पैदा हो गए। रियासती नेताओं ने बड़े धैर्य व शान्ति से आन्दोलन का नेतृत्व किया और अपनी कार्य-तत्परता, संलग्नता व संगठन-शक्ति का परिचय दिया। स्वभावतः इस आन्दोलन को रियासतों में बड़ी क्रूरता से दबाया गया। भारतीय नरेश कब इस बात को सहत कर सकते थे कि जो 'प्लेग' ब्रिटिश भारत में फैल चुका है या वह उनके यहाँ भी उग्र रूप में फैल जाय। अतः जनता के बढ़ते हुए जोश को हर जगह गोलियों तथा लाठियों के प्रबल प्रहारों से कुचला गया। रियासतों में आन्दोलन का रूप ठीक वैसा ही था, जैसा ब्रिटिश भारत में। प्रारम्भ में हड़तालें हुईं, विरोधी प्रदर्शन हुए, सभायें हुईं और कहीं-कहीं राजसत्ता को छीनने के भी प्रयत्न किये गए। ऐसे प्रयत्न उड़ीसा प्रान्त की रियासतों विशेषकर तालचर, नीलगिरी, नायागढ़—में अधिक हुए। कोल्हापुर और इन्दौर में जेल तोड़ने के प्रयत्न भी किये गए।

आन्दोलन की दृष्टि से रियासतों को हम ४ भागों में बांट सकते हैं।

१. मध्य भारत की रियासतें ।
२. राजपूताना की रियासतें ।
३. उड़ीसा की रियासतें ।
४. वड़ीदा और काठियावाड़ की रियासतें ।
५. दक्षिण भारत की रियासतें ।

मध्यभारत की रियासतें

ग्वालियर—मध्यभारत में यह सबसे बड़ी रियासत है। नेताओं की की गिरफ्तारी के पश्चात् २३ अगस्त सन् १९४२ को ग्वालियर की प्रजा संस्था सार्वजनिक सभा की एक बैठक हुई और उसमें कांग्रेस के 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव का समर्थन किया गया। सभा की ओर से महाराजा ग्वालियर को एक अल्टीमेटम दिया गया कि ३० अगस्त तक महाराज सरकार बरतानिया से अपना सम्बन्ध तोड़ दें और अपनी रियासत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने की घोषणा कर दें। ग्वालियर सरकार ने इस प्रस्ताव का उत्तर नेताओं की गिरफ्तारी व नजरबन्दी से दिया। ३० तारीख से पहले सारे प्रमुख नेता गिरफ्तार करके नजरबन्द कर दिये गए। सभा के इस फैसले से पहले ही रियासत भर में कारखानों के मजदूरों व विद्यार्थियों ने हड़तालें करनी शुरू कर दी थीं। १३ अगस्त को उज्जैन में जब विद्यार्थी हड़ताल करके जुलूस निकाल रहे थे तो वहां के बीहरे मुसलमानों ने उन पर लाठियों से हमला कर दिया। कई छोटे-छोटे लड़के जख्मी हुए और शहर में भारी बेचैनी फैल गई। शहर के कारोबार बन्द हो गए और बहुत बड़े भगड़े की शकल पैदा हो गई और कुछ लोगों ने बीहरों की दूकानें लूटनी शुरू कर दीं। हुकूमत ने दफा १४४ लगा दी और इस प्रकार विगड़ती हुई हालत को सम्भाला। बीहरों की इस तरह राजनीतिक तौर से मुखालफत करने की यह पहली घटना थी। जान पड़ता है कि उन्हें पहले से ही तैयार किया गया था। इस भगड़े के कारण कई दिन तक दूकानें और कई माह तक स्कूल बन्द रहे।

१६ अगस्त को लश्कर में, जो राज्य की राजधानी है, विद्यार्थियों की हड़ताल हुई और जुलूस निकाले गये। रियासत की पुलिस तथा घुड़सवारों ने बड़ी बेरहमी के साथ लाठी तथा घोड़ों की टापों से उन पर हमला किया। कितने ही लड़के घायल हुए। विद्यार्थियों का यह आन्दोलन और भी उग्र रूप से फैलने लगा। ८ सितम्बर को उज्जैन में विद्यार्थी शान्तिपूर्वक एक सभा कर रहे थे कि पुलिस ने अपने पूर्व आश्वासन के विरुद्ध सभा को चारों ओर से घेर लिया और लाठियों व संगीनों से बैठे हुए लोगों पर प्रहार किया। औरतों और लड़कियों को घेरकर पीटा गया। कई औरतों और बच्चों को

चोटें आईं और कितने ही आदमी घायल होकर सड़कों पर गिर पड़े। जख्मियों की मरहम-पट्टी के लिए जब आदमी उन्हें उठाने गये तो उन पर भी पुलिस ने लाठी प्रहार किया शहर में १४४ दफा लगादी गई। शहर को चारों ओर से दो मील के दायरे में घेर लिया गया और सड़कों व गलियों में चलने वालों को बिना उनकी अवस्था का खयाल किये मोटे-मोटे लट्टों से जानवरों की तरह बाजारों में खुले आम पीटा गया। सर्राफा बाजार में, जो कि शहर का खास बाजार है, खुले आम लोगों के बन्द घरों में पुलिस घुसती थी और अन्दर जाकर उन्हें पीटती थी। कितने ही आदमी इन काण्डों से जख्मी हुए।

९ अगस्त को एक स्थान पर, जहाँ पर एक आदमी संगीन से घायल हुआ था और जहाँ पर उसका खून गिरा था, लोगों ने फूल चढाये और कुछ लोगों ने भाषण देना शुरू कर दिया। देखते-ही-देखते उस जगह को पुलिस ने आ घेरा और अन्य आने वालों को वहाँ जाने से रोक दिया। १ सितम्बर से ६ सितम्बर तक शहर में मुकम्मिल हड़ताल रही। अदालत पर पिकेटिंग किया गया, जिससे अदालत भी बन्द हो गई। दो से तीन हजार तक की संख्या में लोग अदालतों पर पिकेटिंग करने के लिए जाते थे। शुरू में तो हुकूमत ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया किन्तु बाद में उसका रुख बदल गया और पुलिस ने भयंकर लाठी-चार्ज किया जिसके विरोध में जनता ने फिर हड़ताल कर दी। ८ सितम्बर से शहर में पुलिस व फौज का पुनः राज्य स्थापित हो गया। इस तरह रियासत में सितम्बर के दूसरे सप्ताह तक तहरीक जोरों से चली। लगभग २५० आदमी गिरफ्तार करके जेलों में रखे गये। अन्त में रियासत और सार्वजनिक सभा के नेताओं में एक समझौता हुआ, जिसके फल-स्वरूप मई १९४३ में सब बन्दी रिहा कर दिये गए। ग्वालियर के कुछ कार्यकर्त्ता रियासत के बाहर भी तहरीक में हिस्सा लेते रहे और इस प्रकार वह दूसरे जिलों में गिरफ्तार हुए।

भोपाल—यहाँ की प्रजा परिषद् ने वम्बई के प्रस्ताव के समर्थन में १८ सितम्बर को एक प्रस्ताव पास किया। यह प्रस्ताव बाहर से छपवाकर मंगवाया गया था, परन्तु वह स्टेशन पर पकड़ा गया। स्थान-स्थान पर तलाशियां हुईं। खास-खास कार्यकर्त्ताओं के घरों पर और परिषद् के दफ्तर पर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया और उसकी कार्य-समिति के सदस्यों को पकड़कर जेल में बन्द कर दिया गया।

स्कूल के लड़कों को पकड़कर पीटा गया। स्कूलों में १५ दिन का बंदी कर दी गई। अहमदाबाद मूहल्ले के विद्यार्थियों को पार्टियां दी गईं और

उन्हें मैच खिलाये गए ताकि वह अन्य विद्यार्थियों के साथ मिलकर आन्दोलन में भाग न लें।

७ कार्यकर्त्ताओं को सजाएं हुईं। शेष कार्यकर्त्ता फरार हो गये। विद्यार्थियों के नेता श्री गोविन्दप्रसाद श्रीवास्तव को भी सजा हुई। उन पर डाकखाना जलाने और ऐसे ही अन्य इलजाम लगाये गए थे।

मि० इलताफ मजदानी, सम्पादक, 'जमहूर' मुकदमे के बीच ही बीमार पड़ गए। हालत नाजुक होने पर उन पर से मुकदमा उठा लिया गया, परन्तु वह बाहर आने के थोड़े समय बाद ही मर गए। प्रजापरिषद् के नेता श्रीशाकिर-अली खाँ को २ साल कैद और १०० रुपया जुर्माना की सजा दी गई।

इन्दौर—सन् १९४२ के खुले विद्रोह में इन्दौर ने सबसे बढ़-चढ़ कर भाग लिया। इन्दौर मध्य भारत की एक महत्त्वपूर्ण रियासत है। यहाँ अन्य रियासतों के मुकाबले प्रजामण्डल संगठित रूप में काम कर रहा है और उसका जनता पर काफी प्रभाव है। फलस्वरूप बम्बई में कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के पश्चात् शहर में हड़ताल हुई, विरोध-प्रदर्शन हुए और थोड़े दिनों पश्चात् यह आन्दोलन कस्बों में भी फैल गया। लगभग ४०० व्यक्ति गिरफ्तार करके जेलों में रखे गए। रियासत में ६, ७ माह तक आन्दोलन चलता रहा। प्रजामंडल के नेताओं को मण्डलेश्वर नामक स्थान में नजरबन्द रखा गया था। उन्होंने जेल के पहरेदारों पर काबू पा लिया और जेल से बाहर निकल गए। उन्होंने कस्बे में जाकर भाषण दिये। अन्त में वे पुनः बन्दी बना लिये गए, तोड़-फोड़ के कार्य भी कई जगह हुए। अन्त में महाराज व प्रजामंडल के नेताओं में समझौता हुआ और सब बिना शर्त रिहा कर दिये गए।

मध्य भारत में ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल और धार इन चार रियासतों में संगठित तरीके से आन्दोलन चलाने के प्रयत्न किये गए। सब जगह आन्दोलन का रूप अहिंसात्मक था, पर दमन के कारण जब सामूहिक रूप खत्म हो गया तो तोड़-फोड़ के कार्य प्रारम्भ हुए। इन्दौर में कुछ बम फटने की घटनाएं हुईं, पर उनके कारण किसी को नुकसान नहीं हुआ। पोलिटिकल डिपार्टमेण्ट ने भी इस आन्दोलन को दबाने में एक-सी नीति बरती।

राजपूताना की रियासतें

कोटा—बम्बई के प्रस्ताव के बाद नेताओं की गिरफ्तारी के हालात मालूम होते ही कोटा में हड़ताल हो गई। विद्यार्थियों ने भी हड़ताल कर दी। प्रजामंडल के कार्यकर्त्ता गिरफ्तार कर लिये गए। किन्तु इन गिरफ्तारियों से

शेर भी जोश फैल गया। जनता ने शहर पनाह के दरवाजे बन्द करके चारों ओर के रास्ते बन्द कर दिए, जिससे विशेष पुलिस, फौज तथा अन्य लोगों का शहर से आना रुक जाय। कोतवाली पर जनता ने भंडा फहराया और वहाँ जो पुलिस मौजूद थी, उसे बैरिकों में बन्द कर दिया। शहर पर पूरी तरह से जनता का कब्जा हो गया और यह हालत बराबर तीन दिन तक रही। इन तीन दिनों में शहर में पूरे तौर से शान्ति कायम रही। कोई गड़बड़ी नहीं हुई। वहाँ के दीवान ने यह कोशिश की कि मिलिटरी शहर में दरवाजा तोड़कर दाखिल हो जाय और गोली चलाई जाय। किन्तु फौज और महाराज इसके लिए सहमत नहीं हुए। तीन दिन तक यह कशमकश चलती रही। पोलिटिकल एजेंट भी वहाँ आगए अन्त में तीसरे दिन भूतपूर्व दीवान ने आगे आकर जनता को यकीन दिलाया कि वह दरवाजा खोल दे, पुलिस इत्यादि को अंदर आने दे, रियासत की ओर से कोई जोर-जुल्म की बात नहीं होगी। इस आश्वासन पर जनता ने दरवाजे खोल दिए और तीसरे दिन वाकायदा सब फौज और पुलिस वालों से झंडा सलामी कराकर और अधिकारियों से रसीद लेकर कोतवाली और शहर का चार्ज महाराज की पुलिस को सौंपा गया। कुछ दिनों बाद अन्य नेता भी रिहा कर दिये गए। गिरफ्तारी के बीच ही एक डेपुटेशन महाराज से भेला और उन्होंने जनता को यकीन दिलाया कि जिम्मेदार सरकार कायम करने के लिए वह शीघ्र ही कोई कदम उठायेंगे। दीवान को, जो पोलिटिकल डिपार्ट-मेंट का आदमी था और गोली चलाने में नाकामयाब रहा था, महाराज ने चौकरी से अलग कर दिया। उसके जाने के अवसर पर भी जनता ने प्रदर्शन किया।

मेवाड़— मेवाड़ राजपूताना की अत्यन्त प्राचीन और प्रमुख रियासत है। इस रियासत के निवासियों ने अपनी स्वतन्त्रता को कायम रखने के लिए भूतकाल में अभूतपूर्व त्याग और बलिदान किया है। अपनी परम्परा के अनुसार वह सन् १९४२ के स्वातन्त्र्य-संग्राम में भी पीछे नहीं रहे। 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास होने के बाद जब देश की आजादी की लड़ाई छिड़ गई तो मेवाड़ की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था प्रजामण्डल ने इस लड़ाई में कूद पड़ने का निश्चय किया। उसकी ओर से मेवाड़ के महाराणा साहब को एक पत्र भेजकर अनुरोध किया गया कि वह अपने को ब्रिटिश शक्ति से अविलम्ब स्वतंत्र घोषित कर दें और जनता को हुकूमत में साझीदार बना कर उसकी शुभनिष्ठा प्राप्त करें। यह पत्र २१ अगस्त १९४२ को भेजा गया और उसी दिन मेवाड़ की राजधानी उदयपुर में एक

विशाल सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। सभा तो निर्विघ्न रूप से हो गई, किन्तु उसके बाद राज्य भर में प्रजामण्डल के नेता तथा कार्यकर्त्ता गिरफ्तार कर लिये गए। कुछ विद्यार्थी भी पकड़े गए। गिरफ्तारियों के विरोध में उदयपुर में एक विशाल जुलूस 'अंग्रेजो भारत छोड़ो' के नारे लगाता हुआ निकला। २३ अगस्त से जुलूसों, सभाओं आदि पर पाबन्दी लगा दी गई। कालेज में हड़ताल हो गई और बाजार भी बन्द हो गए चारों ओर 'भारत छोड़ो' की आवाज गूँजने लगी। विद्यार्थियों में अपूर्व जोश था। सरकार ने भी विद्यार्थियों को अन्धाधुन्ध गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। एक अंग्रेज फौजी अफसर ने राष्ट्रीय झण्डे को पाँवों तले कुचल दिया और एक विद्यार्थी को सीने पर पिस्तौल रखकर धमकाया, किन्तु नौजवान ज़रा भी भयभीत न हुए आन्दोलन केवल उदयपुर तक ही सीमित नहीं रहा। वह राज्य के मुख्य-मुख्य कस्बों में भी फैल गया और अनेक व्यक्तियों ने आन्दोलन में हिस्सा लिया। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक गिरफ्तारियाँ होती रहीं। कुल मिलाकर ५०० गिरफ्तारियाँ हुईं, जिनमें ७ महिलायें भी थीं। कालेज करीब १५ दिन बन्द रहा। प्रजामण्डल के नेताओं को एक पहाड़ी स्थान में नजरबन्द रखा गया। उनके पास एक राष्ट्रीय झण्डा था, जिसे वह नित्य प्रति सलामी देते थे। जेल और पुलिस वालों ने उसे छीनने की कोशिश की, किन्तु नजरबन्दों ने सत्याग्रह कर दिया और राष्ट्रीय झण्डा आखिर तक उनके ही अधिकार में रहा। जो बन्दी उदयपुर जेल में रखे गये, उनके साथ कठोर व्यवहार किया गया उन्हें काल कोठरियों में बन्द कर दिया गया। कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार के प्रति विरोध प्रकट किया तो उन्हें बैतों से पीटा गया। सरकार ने धीरे-धीरे बन्दियों को छोड़ने की नीति अपनाई। अखीरी ज़त्था डेढ़ वर्ष बाद फरवरी सन् १९४४ में छोड़ा गया। किन्तु इसके बाद भी प्रजामण्डल पर काफी समय तक प्रतिबन्ध लगा रहा।

अन्य रियासतें—राजपूताना की अन्य रियासतों में भी किसी-न-किसी रूप में आन्दोलन हुए। जोधपुर रियासत में तो अगस्त आन्दोलन शुरू होने के पहले ही पकड़-धकड़ शुरू हो गई थी। लोक परिषद् ने जागीरदारी जुल्मों के विरुद्ध आन्दोलन शुरू कर दिया था। अतः मारवाड़ के प्रमुख नेता और कार्यकर्त्ता लम्बे अर्से तक जेलों में बन्द रहे। जोधपुर में कुछ बम-विस्फोट की घटनाएँ भी हुईं। शाहपुरा रियासत के प्रजामण्डल ने भी राजाधिराज को ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध विच्छेद करने का अल्टीमेटम दिया था। इस पर प्रजामण्डल के तीन प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिये गए और उन्हें अजमेर जेल में नजरबन्द रखा गया। डूंगरपुर में भी प्रदर्शन किये गए। राज्य ने वहाँ पकड़-धकड़

तो नहीं की, किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से रचनात्मक प्रवृत्तियों का गला घाटने का कोशिश की। जयपुर रियासत में प्रजामण्डल आन्दोलन से अलग रहा, किन्तु कुछ कार्यकर्त्ताओं ने आजाद मोर्चा कायम किया और रियासतों में युद्ध-प्रयत्न के विरुद्ध प्रचार किया। कुछ व्यक्ति नजरबन्द कर लिये गए। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजपूताना की अनेक रियासतों में किसी-न-किसी रूप में आजादी की लड़ाई में योग देने की चेष्टायें की गईं और कुछ रियासतों का हिस्सा काफी उज्ज्वल रहा।

उड़ीसा की रियासतें

उड़ीसा प्रान्त में कितनी ही छोटी-छोटी रियासतें हैं। सन् १९३७ में जब उड़ीसा में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल स्थापित हुआ तो इन रियासतों में एक व्यापक जागृति फैली। इन रियासतों में बसने वाले लोगों ने अपने कष्ट दूर कराने और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए जबरदस्त आन्दोलन किया। उड़ीसा प्रान्त के कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं ने उसे प्रोत्साहन दिया और कहीं कहीं उसका नेतृत्व भी किया। रियासतों की सरकारों के लिए उस समय कठिन स्थिति पैदा हो गई थी। सन् १९४२ में यद्यपि आन्दोलन सन् १९३८ व ३९ जितना उग्र और व्यापक न था, फिर भी जो राजनीतिक जागृति हो चुकी थी और जनता को अपने अधिकारों का मान हो गया था, उसके फल-स्वरूप सन् १९४२ में इन रियासतों में कई जगह जनता सामूहिक रूप से उठी और कितनी ही जगह राज्य-सत्ता प्राप्त करने के सफल और असफल प्रयत्न हुए। रियासती अधिकारियों ने निहत्थी जनता के आन्दोलन का दमन करने में अत्यन्त कठोर तरीके अपनाए।

नीलगिरी—प्रजामण्डल के नेता पहले ही गिरफ्तार कर लिये गए। उन पर यह आरोप लगाया गया कि वह एक सामूहिक आन्दोलन की तैयारी कर रहे थे। इन गिरफ्तारियों की यह प्रतिक्रिया हुई कि नीलगिरी की जनता ने सरकारी मुलाजिमों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया और आंशिक हड़ताल भी की। सायही हफ्ते में दो बार बाजार बन्द रखने का निश्चय किया। लोगों ने दरबार को विश्वास दिलाया कि यदि उनके नेता छोड़ दिये जायें तो वह सरकारी कर्मचारियों का बहिष्कार बन्द कर देंगे। अतः ११ नेता जेल से छोड़े गए जिनमें से कुछ ने रियासत में ही रहकर आन्दोलन को पुनः संचालित करने के लिए जनता में कार्य करना शुरू कर दिया और कुछ रियासत से बाहर चले गए।

२९।८।४२ को एक हजार आदमियों के समूह ने बरहमपुर घाने पर आक्रमण किया और अपने नेता श्री चिन्तामणि को मुक्त करा लिया । २९ सितम्बर को पुलिस ने पुनः श्री चिन्तामणि को काठपल्ला ग्राम में पकड़ने की चेष्टा की, पर लगभग ४ हजार आदमी तीर-कमान व लाठियों से सुसज्जित होकर इकट्ठे हो गए और उन्हें गिरफ्तार न करने दिया ।

नीलगिरी दरवार ने सी गांवों पर ७५२०४ रुपया जुर्माना किया और पोलिटिकल एजेन्ट ने एक संगठित पुलिस फोर्स के साथ स्वयं जाकर इसे वसूल किया । बहरामपुर में २॥ हजार से अधिक लोगों के समूह ने, जो तीर-कमान व वछों से सुसज्जित थे, इसका विरोध किया । चार पाँच पुलिस के सिपाहियों पर आक्रमण भी किया । इसके फलस्वरूप वहाँ गोली चली ।

तालचर—तालचर एक छोटी-सी रियासत है । इसका क्षेत्रफल ४०० वर्गमील, आबादी ८५,००० और आमदनी २,५०,००० रु० है । पर औद्योगिक दृष्टि से उसका अपना महत्त्व है । यहाँ पर तीन बड़ी-बड़ी कोयले की खानें हैं और एक दियासलाई बनाने की फैक्टरी तथा कई अन्य छोटी-छोटी फैक्ट्रियाँ हैं । यह राजनीतिक दृष्टि से बहुत जाग्रत है । सन् १९३८ के लगभग ६५ हजार आदमियों ने राजा के विरुद्ध हिजरत की थी और ब्रिटिश इलाके के अंगुल सब डिवीजन में आकर बस गए थे । इन लोगों को दवाने के अनेक प्रयत्न किये गए और मामला इतना बढ़ गया कि महात्मा गांधी तथा वायसराय तक को दिलचस्पी लेनी पड़ी । अन्त में राजा को हार माननी पड़ी और वह अपने यहाँ कुछ सुधारों की घोषणा करने के लिए मजबूर हुए । इस प्रकार जनता कांग्रेसी भंडे को लिये हुए गर्व के साथ स्टेट में वापस आई ।

सन् १९४२ के खुले विद्रोह की प्रचण्ड लपटें तालचर में भी पहुँची । प्रारम्भ में आन्दोलन का कोई संगठित रूप न था पर सितम्बर के पहले पख-वाड़े तक उसने उग्र और सामूहिक रूप धारण कर लिया । रियासत में यह खबर फैल गई कि प्रजामण्डल के प्रधान और रियासत के लोकप्रिय नेता पवित्र दाबू कत्ल कर दिये गए । वस फिर क्या था, आग भड़क उठी, जो किसी-न-किसी प्रकार सन् १९४३ के मई माह तक सुलगती रही ।

लोगों ने रियासत के कानूनों को मानने से इन्कार कर दिया । उन्होंने अपनी एक केन्द्रीय सरकार कायम की और हर गांव, तहसील, परगना और सब डिवीजन में उसकी शाखाएँ खोली गईं । यह सरकार गाँव पंचायतों के आधार पर खड़ी की गई थी और उसे मजदूर राज्य के नाम से पुकारा जाता था । गाँव के मुखियों, चौकीदारों, स्कूल-मास्टर्स, जिला-अफसरों

परगना-हाकिमों, पुलिस-अफसरों तथा लगान के महकमे के अफसरों ने स्वयं अपनी-अपनी बन्दूकों, पोशाकों, विल्लों, कागजों, रिकाडों, यहां तक कि सरकारी नकदी को भी नई बनी हुई पंचायतों को सौंप दिया और इनके प्रति वफादार रहने की शपथ खाई। सबसे उल्लेखनीय बात यह हुई कि इन सरकारी कर्मचारियों ने पोशाकों, विल्लों और कागजातों का अपने हाथों जलाया। आमदोरफ्त के सारे रास्तों, जैसे सड़कें, पुल, घाट, फेरी बोट, टेलीफोन इत्यादि, पर मजदूर सरकार का कब्जा हो गया। टेलीग्राफ तारों को काट दिया गया और कटक-तालचर रेलवे को कई मील तक अस्त-व्यस्त कर दिया गया, ताकि बाह्र से सैनिक शक्ति न ब्रुलाई जा सके। तीन पुलिस-स्टेशनों ने नई सरकार के सामने आत्म-समर्पण कर दिया और कनिया सब डिवीजन का हैडक्वार्टर स्वयं अधिकारियों ने छोड़ दिया। इस प्रकार सारी रियासत के ४७ वर्ग मील के घेरे में एक गज जगह भी ऐसी बाकी न रही थी जहां पर मजदूर राज्य का आधिपत्य कायम न हो गया हो। केवल तालचर नगर ही बाकी बच गया था।

जनता के इस रूप को देखकर रियासत के कुछ वफादार कर्मचारियों ने ब्रिटिश पैदल सेना और हवाई बंदू की बस्तियों में जाकर पनाह ली। गोला बारूद की मैगजीन, डाइनामाइट का स्टोर और काफी बन्दूकें जनता के हाथ लगीं।

नई सरकार ने अपनी फौज भी बना ली थी। उसकी शाखायें हर गांव में स्थापित हो गई थीं। इस तरह पूर्ण संगठन करके जनता का इरादा था कि तालचर शहर पर भी आक्रमण किया जाय, ताकि वहां पर भी अंग्रेजी राज्य-सत्ता का कोई चिन्ह बाकी न बचे और तालचर दरवार से इस बात की प्रार्थना की जाय कि वह अंग्रेजी राज्य से अपना सम्बन्ध तोड़ लें और किसान-मजदूर-राज के वैधानिक प्रमुख बनकर रहें। इसके बाद वह आप-पास की अन्य छोटी-छोटी रियासतों और ब्रिटिश इलाके को भी मुक्त करवाना चाहती थी।

६ सितम्बर सन् १९४२ को जनता की फौज के सैनिक हर गांव से खंडा लिये हुए तालचर की ओर बढ़े। उनके पास पुराने जमाने के सारे हथियार थे। पुरानी बन्दूकें, तलवारें, ढाल, भाले, तीर-कमान, कुल्हाड़े, बरछे, हथौड़े इत्यादि हथियार यह लोग अपने साथ लिये थे। इस सब सामान से सुसज्जित होकर उनका इरादा वाकायदा मोर्चा बनाकर आक्रमण करने का था।

जब से पवित्र बाबू के कत्ल की खबर रियासत में फैली तब से 'अंग्रेजी निकल जाओ' का नारा चारों ओर गूंजने लगा सारी रियासत की जनता में घोर बेचैनी व रोष फैल रहा था। दरवार और उनके पुत्र दोनों ने पोलिटिकल

डिपार्टमेंट से मदद की भीख मांगी और तालचर-स्थित अंग्रेजी हवाई वेड़े तथा रायल मिलिटरी की इन्फेसवटरी की हिफाजत के खयाल से ब्रिटिश एजेंट ने मदद देने का वादा किया। सारी तालचर रियासत पर हवाई जहाज घूमने शुरू हो गए। पर्व गिराये गए और अश्रु-गैस भी छोड़ी गई। किन्तु जनता भयभीत नहीं हुई। उसने अपने मोर्चे को जारी रखने का दृढ़ संकल्प कर लिया। आगे-आगे डोल वज रहे थे और पीछे-पीछे जन-समूह 'करो या मरो' 'भारत छोड़ो' 'हरी बोल' इत्यादि के नारे लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब केवल तीन फर्लांग का फासला ब्रिटिश हवाई अड्डे और इन्फैंट्री के बीच बाकी रह गया था और इस तरह दोनों सेनाएं एक दूसरे के समीप आ पहुंची थीं।

जन-सेना के नेताओं ने राजा से अंग्रेजी सेना तथा हवाई अड्डे को हटाने के लिए कहा। पर राजा पहले ही से अपनी एक निश्चित योजना बना चुका था। जनता के नेता, जो राजा से मिलने गए थे, पकड़ लिये गए और उन्हें अपमानित किया गया चारों ओर से ब्रिटिश फौज ने नाकाबन्दी कर ली थी। आगे-पीछे सब तरफ तोपें लग चुकी थीं। अब केवल 'करो व मरो' का नारा सुनाई पड़ता था।

अंग्रेजी पैदल सेना ने हमला शुरू कर दिया। हवाई जहाजों ने धुआं फेंककर पीछे लौटने के मार्ग बन्द कर दिये। सामने से फायरिंग शुरू थी। कितने ही आदमी वहीं पर मर गए और सौ से अधिक जहमी हुए। ७ दिसम्बर को भी संहार जारी रहा। बहुत थोड़ी ऊंचाई से उड़-उड़ कर हवाई जहाज ऊपर से अश्रु-गैस, बम व मशीनगन द्वारा गोलियां चला रहे थे और जमीन पर खड़ी हुई फौज दाएं बाएं गोलियां चला रहा थीं। लोग गिर-पड़कर इधर-उधर भागने लगे और जब कुछ लोग बचकर आस-पास के गांवों में जाते थे तो सैनिकों की टुकड़ियां उनका वहां पर भी पीछा करती थीं। ३०० से अधिक लोग इन गांवों से पकड़े गए।

यह सब करने के बाद सैनिकों ने देहातों में प्रवेश किया। ऊपर हवाई जहाज चलते थे और जमीन पर सैनिकों की टुकड़ियां। वे गांवों को लूटती थीं, तबाह करती थीं और वाद में आग लगा देती थीं। लूट-मार का चीतरफा साम्राज्य था। गांव-के-गांव वीरान हो गये। खाने का सामान, जेवर, बर्तन, कपड़ा, गाय-बैल सभी कुछ लूट लिया गया। लोगों के जानवर बहुत थोड़े दामों में बेच दिये गए। लगभग १० लाख रुपये से अधिक की सम्पत्ति इसी प्रकार लूटी गई। यही नहीं, वाद में सामूहिक जुमाना भी किया गया, जिसे बड़ी निर्दयता के साथ वसूल किया गया।

तालचर में हुए दमन के कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं:—

गिरफ्तारियाँ	३५०	नजरबन्द	११
सजाएँ	३००	मृत्यु-संख्या	८
घायल	१५०	फाँसी की सजा	१
फरार	३०		

नायागढ़—तालचर तथा नीलगिरी रियासतों में होने वाले आन्दोलन का प्रत्यक्ष रूप से नायागढ़ रियासत पर भी प्रभाव पड़ा। १६ अगस्त को नायागढ़ के कुछ गांवों में नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में दरवार के हुकमों के खिलाफ लोगों ने सभायें कीं। रियासत के कर्मचारियों के बहुत कोशिश करने पर यह विरोध-प्रदर्शन न रुके। अन्त में रियासत को ब्रिटिश पुलिस की मदद लेनी पड़ी। ७२ आदमियों को गिरफ्तार किया गया और १९ गांवों पर ८ हजार रुपया सामूहिक जुर्माना किया गया।

६ सितम्बर सन् १९४२ को हरिपुरा गाँव के पास टेलीफोन के तार काटे गए। आन्दोलन प्रजामण्डल के कुछ कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार करने के कारण और भी उग्र हो गया। १८ सितम्बर को कनावक में ग्रामीणों का एक जलसा हुआ जिसमें तीन सौ से अधिक गोंड इकट्ठे हुए। इसमें लोगों ने तय किया कि रियासत की इमारतों पर कब्जा किया जाय और पुलिस अफसरों को नौकरी छोड़ने के लिए कहा जाय। साथ ही राजधानी पर जाकर अपने नेताओं को जेल से मुक्त किया जाय। रियासत के कर्मचारियों ने इस खबर के पाते ही फौरन तैयारी कर ली। कुछ नेता पकड़ लिये गए और सैनिक पुलिस की टुकड़ियाँ बरखोला में इकट्ठी कर दी गईं। अब रियासत में तोड़-फोड़ के कार्य शुरू होगए और कुदाली बन्दा, नन्दीधर और निकोली स्थानों के टेलीफोन के तार काट दिये गए। १० अक्टूबर की रात को कोन्धा के लोग बरखोला की ओर बढ़े और वहाँ के डाकबंगले और स्कूल की इमारत में आग लगा दी और विहरफोला चौकी पहुँचे, जहाँ पहले से ६ पुलिस के सिपाही तैनात थे। लोगों ने पुलिस की बन्दूकें छीन लीं।

उन्मादित जनता का यह समूह नौगाँव थाने की ओर बढ़ा और जंगलात के बंगले और स्कूल में आग लगा दी। रास्ते में पड़ने वाले गांवों के लोग जुलूस में शरीक होते जाते थे। इस प्रकार जब यह जुलूस नौगाँव पहुँचा तो इसकी संख्या तीन हजार से भी अधिक हो गई थी। थाने पर संगठित व सफल हमला करने के लिए इन लोगों ने अपने को तीन हिस्सों में बाँट लिया। थानेदार ने जनता को आगे न बढ़ने की धमकी दी और

जब जनता बढ़ती ही गई तो पुलिस ने गोलियां चलाईं। ५ फायर किये गए जिससे पांच-सात आदमी फौरन वहीं मर गए। जनता ने अपने मरे हुए आदमियों को उठा लिया और उन्हें जुलूस के साथ ले गई। ठीक इसी दिन ११ अक्टूबर को बरखीला की ओर से एक जुलूस सरकारी डाक बंगलों, स्कूल की इमारतों जंगलात महकमे के दफ्तरों इत्यादि को चलाते हुए और चौकीदारों सिपाहियों तथा तथा जंगलात के कर्मचारियों की बंदियों को लेता हुआ नौगांव थाने की ओर बढ़ा। महीपुर से यह लोग दो टकड़ियों में बट गए और थाने पर पहुंचकर इन लोगों ने अपने नेताओं को मुक्त करने की माँग पेश की। पुलिस ने गोलियां चलाकर लोगों को तितर-बितर कर दिया।

धेनकनाल—आस-पास की रियासतों की भांति धेनकनाल में भी आन्दोलन चला। २६ अगस्त को नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल व प्रदर्शन हुए। २ सितम्बर को विष्णुचरन पट्टनायक के नेतृत्व में जनता के एक समूह ने चांदपुर थाने और स्कूल पर आक्रमण किया। पुलिस के थाने से चार बन्दूकें और ७५ कारतूस छीनी गईं। ४ सितम्बर को जनता के दूसरे समूह ने परजन थाने पर आक्रमण किया। एक दूसरा दस्ता श्री दिवाकर विश्वास के नेतृत्व में आक्रमण में भाग लेने आ रहा था। पुलिस का पहले से बहुत काफी इन्तजाम था। अतः उसने जन-समूह को आते देखकर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं, जिसके कारण काफी लोग मरे।

काठियावाड़ की रियासतें

काठियावाड़ हर राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ रहा है। यह एक छोटा-सा प्रान्त है और बहुत-सी छोटी-छोटी रियासतों में बंटा हुआ है। कुछ रियासतों का क्षेत्रफल दस-बीस वर्ग मील और आमदनी दो-चार सौ रुपये से अधिक नहीं है। शासनाधिकार की दृष्टि से ये रियासतें अनेक श्रेणियों में विभाजित हैं। महात्मा गांधी का जन्म भी काठियावाड़ की रियासत पोरबन्दर में हुआ है। इस नाते उनकी काठियावाड़ की रियासतों में विशेष दिलचस्पी रही है। राजकोट में जनता ने अधिकार-प्राप्ति के लिए सरदार पटेल के नेतृत्व में जोरदार आन्दोलन किया और इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी को अनशन भी करना पड़ा था। सन् १९४२ का आन्दोलन भावनगर, राजकोट, पोरबन्दर, जामनगर आदि रियासतों में विशेष रूप से हुआ।

भावनगर रियासत में ३६१ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए और ३००

दण्डित किये गए । ६१ व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया । इनके अतिरिक्त ५०० अन्य लोग भी पकड़े गए जो बाद में छोड़ दिये गए । भावनगर युद्ध-सामग्री बनाने का केन्द्र था । ज्यों ही सन् १९४२ का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, जनता ने यहां पर हड़तालें की और जुलूस निकाले । विद्यार्थियों ने हड़तालों में प्रमुख भाग लिया । कितने ही सामूहिक प्रदर्शन हुए और कुछ विशेष दिनों पर जुलूस व जलसे आदि होते रहे । विद्यार्थियों का एक जुलूस प्रदर्शन करता हुआ रेलवे वर्कशाप व अन्य मिलों में पहुंचा और उनसे काम रोकने की प्रार्थना की । जनता ने भी प्रदर्शनकारियों के साथ सहयोग दिया । नेताओं को गिरफ्तार किया गया और उन्हें नजरबन्द कर लिया गया । इन प्रदर्शन पर कितने ही लाठी-चार्ज हुए । लोगों पर सामूहिक जुर्माना हुआ जो मजदूरों व मध्यमश्रेणी के लोगों से जबरदस्ती वसूल किया गया ।

जनता ने अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए राजकोट में कई सभायें कीं व जुलूस निकाले । पोरबन्दर में जनता के शान्तिमय समूह ने अधिकारियों से इस बात की मांग की कि उनके यहां से माल बाहर न जाय । पर रियासत ने नेताओं को पकड़ लिया । इससे खरवार लोग (समुद्री नाविक) उत्तेजित हो उठे और जब उन्हें सामान बाहर लेजाने पर विवश किया गया तो उन्होंने शक्कर के बोरे समुद्र में फेंक दिए । राज्य कर्मचारियों ने नेताओं को छोड़ दिया और उनसे शान्ति स्थापित करने की प्रार्थना की और जब यह कार्य खत्म हो गया तो उन्हें फिर जेल भेज दिया । जनता का एक विशाल समूह महाराज के पास गया और जब उसके नेताओं के साथ बात हो रही थी तो राज-कर्मचारियों ने बहुत-से अहीर लोगों को बुला लिया और जन-समूह पर भयंकर लाठी-चार्ज किया गया । शहर इस प्रकार गुंडों के हाथ में सौंप दिया गया, जिन्होंने खूब मनमानी की ।

काठियावाड़ की इन रियासतों में आन्दोलन का रूप यद्यपि व्यापक था, परन्तु वह लम्बे अर्से तक न चल सका । कितनी ही जगह लाठी-चार्ज हुए और दमन करने में विभिन्न रियासतों में प्रतिस्पर्धा रही भावनगर में जनता अपना डेपुटेशन महारानी के पास अपनी कष्ट कहानी सुनाने के लिए ले गई, लेकिन कहानी सुनने की कौन कहे, उस पर भी लाठी-चार्ज किया गया । चार-पांच जगह गोलियां चलाई गईं जिससे सैकड़ों आदमी घायल हुए । इस पर सरकारी इमारतों को क्षति पहुंचाई गई और तोड़-फोड़ के कार्य भी काफी मात्रा में किये गए । तार काटे गए, डाक के थैले छीने गए और पुलों को भी तोड़ने के प्रयत्न किये गए ।

पोरबन्दर में सबसे अधिक सामूहिक जुमना हुआ और उसे विभिन्न तरीके से वसूल किया गया। महाराजा ने कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को बुलाया और उन पर तगड़ा जुमना लगा दिया जो एक लाख २० हजार से अधिक था। इन लोगों से पिस्तौलों की नोक पर यह जुमना वसूल किया गया। भावनगर में १७ हजार रुपए का सामूहिक जुमना किया गया और अमरौली रियासत में १४ हजार रुपया वसूल किया गया।

बड़ौदा

कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के पश्चात् विरोध प्रदर्शन करने के लिए बड़ौदा में हड़ताल और सभाएँ हुईं। विद्यार्थियों ने जुलूस निकाले। बाद में आन्दोलन शहर के बांद गांवों में भी फैल गया। इस रियासत के कोरंदा ग्राम में हुई घटना का १९४२ के खुले विद्रोह के इतिहास में खास स्थान है। कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के पश्चात् इस गांव में अम्बालाल गान्धी ने नेतृत्व में जुलूस निकाले गए और सभाएँ हुईं। लोगों में प्रजामंडल के नेताओं की गिरफ्तारी तथा दो नौजवानों की मृत्यु की खबर फैलते ही काफी उत्तेजना फैल गई। अम्बालाल गान्धी अपने कुछ अन्य साथियों सहित कोरंदा से कुराली पहुंचे। उन्हें पता चला कि फीज की एक टुकड़ी रेल द्वारा कोरंदा की ओर बढ़ रही है। इस अभिप्राय से कि यह टुकड़ी कोरंदा न पहुंच सके जनता ने लगभग २॥ मील तक रेल की पटरी विलकुल उखाड़ दी। अम्बालाल गान्धी ने इसका नेतृत्व किया था।

स्पेशल ट्रेन आई और फीजी सिपाहियों ने उतरकर देखा कि लाइन की पटरी उखाड़ दी गई है। उन्होंने अम्बालाल गान्धी को पकड़ लिया और उन्हें बड़ी निर्दयता से मारा। अम्बालाल गान्धी के नौकर को भी गिरफ्तार कर लिया। गांव में सिपाहियों ने घोर आतंक फैलाया। एकखास तरीके से नाकाबन्दी कर दी, अतः कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं जा सकता था। ४५००० रुपया सामूहिक जुमना गांवों पर किया गया। यह बड़ी निर्दयता से वसूल किया गया। १०० आदमियों से अधिक गिरफ्तार किये गए और बिना किसी सबूत के कितने ही लोगों को घोर यातनाएं दी गईं। गिरफ्तार लोगों को एक सप्ताह तक दरावर एक जगह बन्द रखा गया और सिर्फ दो-तीन बार खाना दिया गया।

मैसूर रियासत

दक्षिणी भारत में कितनी ही बड़ी-बड़ी रियासतें मैसूर, हैदराबाद, कोल्हापुर, ट्रावनकोर इत्यादि हैं। इसके अतिरिक्त छोटी-छोटी रियासतें हैं।

इनमें से आन्दोलन का अधिक जोर मैसूर रियासत में रहा, क्योंकि यहाँ पर जनता में पहले से काफी राजनीतिक जागृति थी। मैसूर स्टेट कांग्रेस के कार्य-कर्त्ताओं का जनता के साथ गहरा सम्पर्क था।

अगस्त-क्रान्ति की चिनगारी मैसूर राज्य में सुलगी, मैसूर स्टेट कांग्रेस की शाखाएं रियासत के कोने-कोने में फैली हुई थीं। यहां की कांग्रेस का मजदूरों पर पूरा असर है। मजदूर यूनियन के पदाधिकारी आम तौर पर कांग्रेस के लोग ही हैं। अतः विरोध-प्रदर्शनों में मजदूरों ने प्रमुख भाग लिया। हिंदुस्तान एयर कंफ़ट एसोसिएशन ने दो रोज तक जुलूस का नेतृत्व किया। इन प्रदर्शनों में स्त्रियां, बच्चे, विद्यार्थी, मजदूर, सरकारी नौकर आदि सभी श्रेणियों के लोग शामिल थे। पुलिस के लाख रोकने पर भी जुलूस निकलते ही रहे। जनता सड़कों पर बैठ जाती थी। इन दिनों जनता के स्वयंसेवक भीड़ का संचालन करते थे। सरकार ने आखिर दमन का आसरा लिया। वह मजदूरों व विद्यार्थी नेताओं की गिरफ्तारियां करने लगी। जुलूसों और सभाओं की मनाई कर दी गई। किन्तु जनता बराबर जुलूस निकालती रही। दिन में सभी सगह सड़कों पर जनता की भीड़ लगी रहती थी। सरकार अपनी शान रखने के लिए जनता का खून वहाने लगी। अन्वाघुन्ध गोलियां चलाई जाने लगीं। १६ ता० को १०० आदमी मारे गए और अधिक संख्या में वायल हुए। दूसरे दिन १०० व्यक्ति और गोलियों के शिकार हुए। पुलिस ने बंगलौर, दावानगर, मैसूर, तुमकुर और हसन में गोलियां चलाईं। बंगलौर में १५० व्यक्ति और देवनगर में ६ व्यक्ति मरे। बंगलौर में १६ और १७ अगस्त को घंटों जमकर लड़ाई हुई। मरे हुए व्यक्तियों को पुलिस आनन-फानन में गायब कर देती थी। मरे हुए व्यक्तियों के सम्बन्धियों को भी सूचित नहीं किया जाता था। किन्तु जनता गोलियों से दबने वाली न थी। उसने पोस्ट वॉक्स, बिजली के खम्भे और जो भी सरकारी माल हाथ लगा बरबाद कर दिया। गोलियां चलती रहती थीं, लेकिन बिजली के तार काट दिये जाते थे और बिजली के खम्भे सड़कों पर काटकर बिछा दिये जाते थे। शहर में पोस्ट आफिसों पर धावा बोलकर उन्हें जला दिया गया। घुड़सवार पुलिस और अश्रु-गैस छोड़ने वाली रेजिमेन्ट का भीड़ को तितर-बितर करने के लिए उपयोग किया गया। टैंक और सशस्त्र मोटरें भी काम में लाई गईं। विद्यार्थी अपनी हड़ताल जारी रखे हुए थे। सभाएं और जुलूस पूर्ववत् निकलते रहे। विश्वविद्यालय की ओर से यह सूचना निकाली गई कि जो २८ सितम्बर की परीक्षा में बैठेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जायगी। सारे मैसूर राज्य में २८ ता० को लम्बे-घीड़े जुलूस निकाले गये।

बंगलौर के हड़ताली मजदूरों ने विश्वविद्यालय में पिकेटींग शुरू कर दिया। यद्यपि विद्यार्थियों को लाने के लिए मोटरों का इन्तजाम किया गया, लेकिन १० फीसदी विद्यार्थियों से ज्यादा परीक्षा में न बैठे।

“भारत छोड़ो दिवस” मनाने का आयोजन हुआ। जुलूस को शहर के चौक पर रोक लिया गया, किंतु जनता ९ वजे सुबह से ७ वजे शाम तक वहीं बैठी रही। दो सप्ताह के भीतर ६०० विद्यार्थी गिरफ्तार हुए। ६ अगस्त से लेकर आधे अक्टूबर तक मजदूर बीच-बीच में हड़ताल करते रहे।

१७ विभिन्न कारखानों के ३२८०० मजदूर दो सप्ताह हड़ताल पर रहे। भद्रवती आइरन वर्क्स के ४५०० मजदूरों में से ३००० मजदूरों और मैसूर पेपर मिल के ११०० मजदूरों में से ४०० मजदूर एक महीने की हड़ताल पर रहे। जिलों में तारों का काटना जारी रहा। मैसूर-बंगलौर रेलवे की ओर जनता की पूरी निगाह रही। श्रीरंगपट्टम में एक मालगाड़ी पटरी से गिरा दी गई, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। बंगलौर-हुबली, बंगलौर-मैसूर और बंगलौर-गुटकल लाइनों की पटरियां हटा दी गईं। १५ दिन तक गुटकल लाइन पर रात को रेलों का आना-जाना बन्द रहा। उपरोक्त अन्य दो लाइनों पर एक महीने तक रेलगाड़ी ठप रही। देवानगर-बनाकर, होतालकर, हीसदुर्ग, आजूर और सातापुर रेलवे स्टेशन जला दिये गए। १५ दिन तक मजदूर और विद्यार्थी बिना टिकट सफर करते रहे। खतरे की जंजीर खींचकर ट्रेन रोक ली जाती थी। एक हफ्ते तक फौज को दूध और तरकारियां नहीं मिल सकीं। इसके बाद इन गाड़ियों के साथ सैनिक चलने लगे।

जनता की भीड़, जिसमें अधिकांश विद्यार्थी होते थे, रेलों को रोक कर उनपर अधिकार कर लेती थी। रेलवे कर्मचारियों को खादी की टोपियां दी जाती थीं जिसे वे लोग पहनते थे। विद्यार्थी खुद गाढ़े बन जाते थे। इन गाड़ियों पर झंडे फहराते थे। पांचवें दिन पुलिस इस ट्रेन पर चढ़ गई और विद्यार्थियों को बुरी तरह पीटा और उनके पास जो कुछ था, छीन लिया और उनको नंगा करके अगले स्टेशन पर उतार दिया। विद्यार्थियों ने इसका उत्तर बनामवर स्टेशन को जला कर दिया। चार डिब्बे और वॉकिंग आफ़िस जला दिये गए। तार काट दिये गए। पुलिस ने गोलियां चलाईं जिसके फलस्वरूप चार मरे और बहुत से घायल हुए। सभाएं करने की मनाई कर दी गई, किंतु जनता ने इसको न माना और शहीदों को इज्जत के साथ उठाकर ले गई। मयाकोंदा गांव की जनता ने एक पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। पुलिस वालों को खहर पहनाया। गांव उतनी देर तक स्वतंत्र रहा जब तक कि बाहर

से मदद नहीं आई। बाहर की पुलिस ने आकर जनता को बुरी तरह कुचला।

एक मील तक रेलवे की पटरी उखाड़ दी गई और रेलवे का पुल तोड़ दिया गया, टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काट दिये गए। हुल्लेकर, अज्जामपुर और हुसदुर्गापुर की रेलें एक सप्ताह तक बन्द रहीं। बंगलोर और हरिहर, चित्तल दुर्ग व जगलू के बीच के तार कई फर्लांग की दूरी तक काट दिये गए। चित्तल दुर्ग, तानुलकान्से, तुरवानर पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय झंडा महीनों तक फहराता रहा। कई गिरफ्तारियों के बाद जब झंडा हटा भी तो विद्यार्थियों ने झुकट्टे होकर अपने इलाकों और गांव के अस्पताल पर झंडा फहराया। गवर्न-मेंट इमारतों पर झंडे फहराये गए। जुलूस और सभाएं की गईं। सड़कों पर और दिवारों पर नारे लिख दिये गए।

मंसूर सब-जेल में अर्ध रात्रि के समय राजनैतिक बन्दीयों पर लाठी-चार्ज किया गया। ८०० के कराव बन्दी घायल हुए। एक विद्यार्थी उसी स्थान पर मर गया। मधुगिरी में ताड़ के पेट काट दिये गए और ताड़ी की दूकानें जला दी गईं। बोशदपुर एक स्वतंत्र गांव घोषित कर दिया गया। वहां पटेल का लड़का नेता चुना गया। सरकारी अधिकारी उस गांव की ओर बढ़े, पर पटेल के लड़के ने उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया। वे लौट गये और दूसरी रिजर्व ताकत लेकर आये। पटेल का लड़का पुलिस अधिकारियों के हाथ न लगा।

तिपतुर एक रेलवे स्टेशन व व्यापारिक केन्द्र है। वहां की जनता ने गोदामों में आग लगा दी जिससे एक लाख से अधिक का नुकसान हुआ। रिजर्व पुलिस ने गोली चलाई, जिससे तीन व्यक्ति मरे और बहुत से लोग घायल हुए। १५ आदमी गिरफ्तार हुए। तुमजुर में सरकारी आज्ञाओं का उल्लंघन कर जुलूस निकाले गए और सभाएं की गईं। गोरोबिन्दुनीर में ताड़ के पेट काटे गए और ताड़ी की दूकानें जला दी गईं। टेलीग्राफ के तार काट दिये गए। १५ दिन बाद १५ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए, किन्तु पुलिस को उन्हें ले जाना का साधन न मिला, क्योंकि जनता ने अपनी बैलगाड़ियां देने से इन्कार कर दिया। चिका मगलुर तारी केन में चन्दन के गोदाम में आग लगा दी गई। ३० गिरफ्तारियां की गईं।

मिलों में हड़तालें जारी थीं ही, कोलार की सोने की खानों में मजदूरों ने मंहगाई की मांग को लेकर हड़ताल कर दी। बंगलोर के चार कपड़े की मिलों के १३००० मजदूरों ने हड़ताल जारी रखी। थोड़ी-बहुत हड़तालें और जगह भी चलती रहीं। सब मिल कर १५००० विद्यार्थियों और ४००० मजदूरों ने

इन हड़तालों में भाग लिया ।

हसन तथा पड़ोस के जिलों की जनता ने करवन्दी आन्दोलन शुरू कर दिया । शैन्डी अथवा हफतेवार बाजार लगते हैं, इनमें लोगों ने चुंगी तथा टोल देने से इन्कार कर दिया ।

इस करवन्दी आन्दोलन की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं:—

१. दूकानदारों तथा ग्राहकों ने कर देने से इन्कार कर दिया ।
२. ठेकेदारों ने अपने ठेके बन्द कर दिये और गवर्नमेंट से अपनी जमानतों की मांग की ।

३. जहां के ठेकेदारों ने सहयोग करने से इन्कार किया, जनता ने याता-यात उस बाजार पर पिकेटिंग किया या उन स्थानों पर इकट्ठा हो गए जहां ठेकेदार को कर लेने का कोई अधिकार न था ।

४. पुलिस ने कहीं-कहीं जनता को जबरदस्ती शैन्डी की जगहों पर ले जाना चाहा और गिरफ्तारियां भी कीं, किंतु जनता इन बन्दियों को जाने नहीं देती थी और छोड़ा लेती थी ।

५. एक जगह पर तो जबरदस्ती बाजार लगवाने के लिए फौज आर्डर पर गांववालों ने फौज के रहते हुए बाजार लगाने से इन्कार कर दिया ।

यह सत्याग्रह कई जिलों में अनेक स्थानों पर चला और हजारों आदमियों ने इसमें हिस्सा लिया ।

आमतौर पर अर्धरात्रि में बहुत-से घरों तथा छापेखानों की तलाशी ली गई । स्थानीय दैनिक पत्रों के सम्पादकों पर भारत-रक्षा-कानून की धाराएं लगाई गईं ।

हसन जिले में तो किराये के गुन्डे गांववालों के घरों में घुस गये, माल लूट लिया, स्त्रियों तथा मर्दों को मारा-पीटा तथा अन्धाधुन्व तरीके से गिरफ्तारियां की गईं ।

मैसूर आइरन वर्क्स के ४८ तथा मैसूर पेपर मिल के २४ मजदूरों को निकाल दिया गया । इनमें के कुछ तो अभी जेल में ही थे । राज्य में कुल २००० गिरफ्तारियां की गईं । १६० व्यक्ति गोलियों के शिकार हुए तथा सैकड़ों ही घायल हुए । १० रेडियो तथा चार टेलीफोन जब्त कर लिये गए । गवर्नमेंट की ओर से भी कई व्यक्ति घायल हुए । १६ अगस्त को एक सवार मारा गया । शिमोगा जिले के इसुर नामक स्थान पर २५ सितम्बर को एक मामलतदार तथा एक दारोगा मार डाले गए । ११ अगस्त को बंगलोर शहर के डी० एस० पी० तथा पुलिस और फौज ले ३० व्यक्ति घायल हुए ।

बंगलोर जिले के दो गांवों और शिमोगा जिले के दो गांवों पर पांच-पांच सौ अर्थात् कुल दो हजार रुपया सामूहिक जुर्माना किया गया।

मैसूर में बन्दियों को अदालत से बाहर निकाला गया। इन बन्दियों को खाना नहीं दिया गया था। इस कारण इन लोगों ने मांग की कि जब तक खाना नहीं दिया जायेगा, तब तक जेल में नहीं घुसेंगे। रिजर्व पुलिस को बुलवाकर जबरदस्ती इन्हें जेल के भीतर दाखिल किया गया। रात के १२ बजे रिजर्व पुलिस जेल में आई और बन्दियों को बुरी तरह पीटा गया। कोई दवा का प्रबन्ध नहीं था। दूसरे दिन २२ व्यक्ति अस्पताल में भरती किये गए। कैलूर शंकरप्पा नामक एक हाई स्कूल के विद्यार्थी के मुंह से खून निकल आया और वह दो दिन बाद मर गया। डाक्टर ने कहा कि उसकी निमोनिया हो गया था, पर वास्तविकता यह थी कि उसकी पसली की हड्डी टूट गई थी। गैर-सरकारी-जेल निरीक्षकों को जेल में जाने की इजाजत न थी।

चिकमंगलोर में बहुत-सी तकलीफों के कारण बन्दियों ने अपनी-अपनी कोठरियों में जाने से इन्कार कर दिया। रिजर्व पुलिस आई और उसने लाठी-चार्ज किया। बहुत से बन्दी सख्त घायल हुए।

प्रभुदेव नामक मजदूर नेता जो हिरासत में थे, निकल भागे। इनकी गिरफ्तारी के लिए सरकार ने इनाम का एलान किया। मैसूर की हिरासत से रामराव तथा हसन से बीराइया फरार हो गए।

अदामा नामक ३० वर्ष की स्त्री को यशवन्तपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास तीन हिन्दुस्तानी सिपाही उठा ले गये और उसके साथ घृणित व्यवहार किया। वह विक्टोरिया अस्पताल में तीसरे दिन मर गई। दो अंग्रेज अफसर एक बाग में एक युवती को अपमानित करने की गरज से घुस आये। वरप्पा गोडा नाम की वृद्धा स्त्री ने इसका विरोध किया, अतः उसे मारा गया और वह ५ नवम्बर, ४२ को मर गई।

हिन्दुस्तानी अफसरों के लिए रिजर्व सीटों पर यूरोपियन अफसर आकर बैठ गए, जिसके कारण आपस में झगड़ा हो गया। एक हिन्दुस्तानी सिपाही ने रिवाल्वर निकाल कर एक यूरोपियन अफसर को मार डाला और कुछ घायल हुए। बाकी यूरोपियन अफसर भाग निकले।

हसन जिले के वारिगुर गांव की जनता नजदीक के एक जंगल में एक हजार दो सौ जानवरों को लेकर चराने गई। जंगलात विभाग की ओर से लगाये गए हाल के पौधों को नुकसान पहुंचाया गया। रिजर्व पुलिस आई और उसने लोगों को तितार-वितार किया।

लड़ाई के लिए फंड इकट्ठा करने को जो तमाशे हो रहे थे, उनपर ७ नवम्बर १९४२ को नीचे लिखे स्थानों पर दम फेंके गए:—

१. मैसूर रायल शो । २. मैनिनेकार निपाल । ३. मिलिटरी-कैन्टिन, बंगलोर कन्टोनमेंट ।

श्री केशवन तथा श्री कुसुम नामक दो कालेज के प्रोफेसरों ने स्तीफा दे दिया। श्री एम० एच० शाह इक्जीक्यूटिव आफिसर तथा हिन्दुस्तान एयर क्रेफ्ट कम्पनी के इंजीनियर श्री मोदी, शिमोगा जिले के १० पटेलों, असेम्बली के कई मेम्बरों, ए० आर० पी० श्रीर राष्ट्रीय युद्ध मोर्चे के कई सदस्यों ने भी स्तीफे दिये ।

श्री एच० आर० गुरुवर्दी, श्री ए० जी० रामचन्द्र राव, श्री के० सुवाराव आदि व्यक्तियों ने अपनी सनदें वापस कर दीं और अदालत में जाना बन्द कर दिया ।

अन्य रियासतें

भारत में ६०० से ऊपर रियासतें हैं । इनमें से यदि हम छोटी-छोटी रियासतों को छोड़ भी दें तो भी ४०-५० रियासतें ऐसी बच जायंगी, जिनका राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्त्व है । इतनी रियासतों में से केवल १०-५ का ही वर्णन देखकर शायद पाठकों के मन में यह प्रश्न पैदा होने लगा होगा कि क्या भारत की बाकी रियासतों ने देश की आजादी की इस लड़ाई में कुछ भाग नहीं लिया । इसके समाधान के लिए हमारा यह निवेदन है कि जिन रियासतों का वर्णन ऊपर नहीं हुआ है, वहाँ की जनता ने भी आन्दोलन में काफी त्याग एवं शौर्य का परिचय दिया है; किन्तु बहुत चेष्टा करने पर भी हमें उन स्थानों की मुकम्मिल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो सकी । अतएव इच्छा होते हुए भी हम उनका वर्णन इस पुस्तक में नहीं दे सके हैं । सामग्री-संग्रह का प्रयत्न अभी जारी है । आशा है, अगले संस्करण में इस कमी की पूर्ति की जा सकेगी ।

युद्ध और मुख्य राजनीतिक दल

कांग्रेस:—युद्ध प्रारम्भ होने से पहले ही कांग्रेस ने फासिस्ट-विरोधी नीति अपना रखी थी। इटली द्वारा अवीसीनिया पर आक्रमण तथा हिटलर द्वारा आस्ट्रिया को हथियाने आदि कांडों का कांग्रेस ने निन्दा का थी और ब्रिटिश साम्राज्यशाही को पहले से चेतावनी दे रखी थी कि भारत के लोग किसी साम्राज्यशाही युद्ध में साथ न देंगे। जब ब्रिटिश राजनीतिज्ञ हिटलर और मुसोलिनी के इर्द-गिर्द मंडरा रहे थे और इन फासिस्ट तानाशाहों की चापलूसी कर रहे थे, कांग्रेसी नेतृत्व उस समय भी उतना ही फासिस्ट विरोधी था जितना कि युद्ध काल में। जब यूरोपीय युद्ध प्रारम्भ हुआ, तो कांग्रेस के सामने तीन रास्ते थे।

१. युद्ध में बिना किसी अग्र मगर के ब्रिटिश सरकार का साथ देना। ऐसा करना कांग्रेस की पूर्व घोषणाओं और नीति के विरुद्ध होता।

२. यदि सम्भव हो तो फासिस्ट देशों की सैनिक सहायता प्राप्त करने की चेष्टा करना और इस प्रकार अंग्रेजों के दुश्मनों से सहायता प्राप्त करने की नीति वरतना।

ऐसा करना आत्म-हत्या के समान और अपने सारे पुराने आदर्शों को तिलांजलि देना होता।

३. युद्ध के असली रूप को जानने का प्रयत्न करना और उस समय तक युद्ध की गतिविधि को देखते रहना जब तक कि उसका असली रूप मालूम न हो जाय। युद्ध का भारतीय आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए उपयोग करना, साथ ही दुनिया भर के दबे-पिसे लोगों का साम्राज्यशाही के विरुद्ध संगठित मोर्चा बनाना और इस तरह सफलतापूर्वक इस युद्ध को भारतीय आजादी के युद्ध में बदलना।

कांग्रेस ने तीसरे रास्ते को अपनाया। प्रारम्भ में उसने ब्रिटिश सरकार से उसके युद्ध-ध्येय को मालूम किया और ठीक उत्तर न मिलने पर कुछ करने

की नीति को अपनाया। प्रारम्भ में गान्धीजी ने नागरिक स्वतन्त्रता अर्थात् अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने के हक की मांग की और इस प्रकार दुनिया के सामने युद्ध के असली रूप को रखने का प्रयत्न किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के रास्ते को अपनाया और उसके द्वारा देश में चेतना, युद्ध के प्रति अपनी वास्तविक स्थिति जानने की उत्सुकता और हर नागरिक में अपने हक का प्राप्त करने की इच्छा पैदा की। कांग्रेस हाई कमांड का प्रारम्भ से ही यह विश्वास रहा कि युद्ध लम्बा चलने वाला है। अतः उसके लिए आवश्यक था कि वह इस लम्बे काल में एक-सी नीति बरते जिससे एक ओर देश की शक्ति भी क्षीण न हो तथा दूसरी ओर देश में नई स्फूर्ति, जीवन व उत्साह पैदा हो। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारम्भ में कितने ही लोगों ने मखील उड़ाई, पर किसी भी बड़े व शक्तिशाली आन्दोलन के लिए यह आधार-शिला थी।

जापान की बढ़ती हुई विजय तथा अंग्रेजी शस्त्रों की हार और आये दिन बढ़ती हुई कठिनाइयों के कारण हिन्दुस्तानी कुछ करने के लिए व्याकुल हो उठे। और समय आया जब कांग्रेस नेतृत्व के सामने दो ही रास्ते थे। एक तो यह कि निष्क्रिय होकर देश को युद्ध की लपटों में भुलसते हुए देखना और अंग्रेज-विरोधी भावना के कारण भारतीयों को जापानियों के सामने अप्रत्यक्ष रूप से आत्म-समर्पण करने देना और इस तरह फासिस्ट ताकतों की विजय कराना। दूसरा रास्ता यह था कि देश के अन्दर फैली हुई बेचैनी, परेशानी व नफरत की शक्ति को क्रियात्मक व रचनात्मक ढंग से संगठित कर साम्राज्य-शाही और फासिस्टशाही दोनों के विरुद्ध जुटा देना और इस प्रकार दुनिया के करोड़ों लोगों की तरह अपने देश के लोगों में भी अपनी आजादी के लिए मर-मिटने, बलिदान करने की व्यापक शक्ति पैदा करना और अपने देश को युद्ध की तवाही से बचाने के लिए ऐसी नीति बरतना, जिसके कारण एक ओर जापानी देश पर हमला न कर सकें और दूसरी ओर इस हमले का मुकाबला करने के लिए हिन्दुस्तानियों में वास्तविक शक्ति पैदा हो जाय। इस प्रकार कांग्रेस ने दूसरे मार्ग को अपनाकर अंग्रेजों से भारतीयों को वास्तविक शक्ति सौंपने अर्थात् केंद्र में राष्ट्रीय सरकार कायम करने की मांग की और उन्हें बताया कि बिना वास्तविक हिसता के उनके प्रति भारतीयों के क्रोध, नफरत व उत्तेजना को हमदर्दी, मुहब्बत और सहानुभूति में नहीं बदला जा सकता। लड़ाई में मदद करने के लिए जनता में गहरा मेल और संगठन होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि वह किस चीज के लिए लड़ रही है,

किस आदर्श के लिए सब कठिनाइयां भुगत रहा है। ब्रिटिश नीकरशाही को, जिसे अपनी सैनिक शक्ति पर पूर्ण विश्वास था और जा वास्तव में साम्राज्य-शाही आदर्शों के मुताबिक जापानियों के अधिक नजदीक थी, यह कभी भी स्वीकार न था कि वह स्वयं अपने हाथों भारतीय आकांक्षाओं की पूर्ति करे। इसके विपरीत उसे यह मंजूर था कि भले ही दूसरी शक्ति उससे सत्ता छीन ले। अतः उसने कांग्रेस की मांग व बातों को गलत समझा और अपनी निश्चित योजनानुसार सैनिक-बल द्वारा किसी भी आन्दोलन का दवाने की नीति को अपनाया। ऐसी स्थिति में संघर्ष अवश्यम्भावी था और वह हुआ भी।

मुस्लिम लीग—भारतीय राजनीति में आज मिस्टर जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग एक पहली और न सुलझने वाले प्रश्न बन गए हैं। उनकी नीति व व्यूह-रचना के विरुद्ध अनेक प्रकार की तीक्ष्ण समालोचनाएं होती हैं। शिक्षित मुसलमानों का एक बहुत बड़ा समुदाय मिस्टर जिन्ना की राजनीतिक सफलता पर, जो उन्होंने इस युद्ध-काल में प्राप्त की है, बड़ा गर्व करता है और उन्हें एक बड़ा दूरदर्शी कुशलराजनीतिज्ञ और मुस्लिम हितकारी नेता मानता है। मुसलमानों का विश्वास है कि मुस्लिम लीग ने जो शक्ति व सम्मान पाया है और भारतीय राजनीति में उसे जो महत्वपूर्ण स्थिति मिली है उस सबका श्रेय मिस्टर जिन्ना की नीति-निपुणता को ही है। उनके विचार से मि० जिन्ना एक घुरन्धर राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने मुस्लिम जाति को बिना किसी कुर्बानी व त्याग के एक शक्तिशाली जमात के रूप में संगठित कर दिया है और उन्हें एक नया नारा देकर उच्च ध्येय की ओर जुटा दिया है। इन लोगों के विश्वास के मुताबिक मि० जिन्ना ने कांग्रेस और ब्रिटिश राजनीतिज्ञों दोनों ही को काफी मात दी है। ठीक इसके विरुद्ध ऐसे लोग भी हैं जो मिस्टर जिन्ना को देशद्रोही तक कहने से नहीं हिचकते। उनका विश्वास है कि मि० जिन्ना की नीति के कारण भारतीय आजादी का प्रश्न खटाई में पड़ा है। मि० जिन्ना की नीति एवं कार्यों से मुस्लिम जाति की अपेक्षा ब्रिटिश साम्राज्य-शाही को कहीं अधिक लाभ पहुंचा है, अतः यह लोग राय में आकर उन्हें ब्रिटिश एजेंट तक कह बैठते हैं। इस प्रकार की दो विरोधी आलोचनाओं के बीच हम वास्तविकता को तभी समझ सकते हैं जब मि० जिन्ना की नीति, व्यूह-रचना तथा विचार-धारा को जानने का प्रयत्न करें। तभी हमारे लिए यह आसान हो जायगा कि भारतीय राजनीति में आमतौर पर और युद्ध-काल में खास तौर पर मि० जिन्ना ने किस प्रकार की नीति को धरता है, उनका क्या ध्येय है और उसे प्राप्त करने के उनके कौन-से साधन हैं। इसमें कोई दो

राय नहीं हैं कि मिस्टर जिन्ना शक्ति-संतुलन की कला के प्रकांड पंडित और दूरदर्शी राजनीतिक नेता हैं, जिनका नेतृत्व बड़ी तेजी से फला-फूला है। मिस्टर जिन्ना मेरे निकट कोई विशेष व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि विशेष स्थितियों के परिणाम हैं। जिस प्रकार यूरोप में हिटलर और मुसोलिनी पैदा हुए उसी प्रकार भारतीय रंगमंच पर मि० जिन्ना पैदा हुए हैं। यूरोप में ब्रिटिश, फ्रांसासी व रूसी संघर्ष के कारण हिटलर ने शक्ति पाई। उसने इस संघर्ष का फायदा उठाया और एक नई युद्ध-कला का आविष्कार किया। जर्मन जनता ने हिटलर को देवता के समान समझा और उसका स्वागत किया। हिटलर ने विना युद्ध और बलिदान के एक विशाल जर्मन साम्राज्य बनाने की बात जर्मनों को बताई, उन्हें जाति-द्वेष का नारा दिया और अपने विरोधियों के प्रति नई नीति बरती। उसका कहना था कि अपने विरोधियों को यह कभी मत बताओ कि तुम क्या चाहते हो। उनके मस्तिष्क पर प्रचार व शक्ति-प्रदर्शन द्वारा बराबर बरतते रहो। उनके आपसी झगड़ों से पूरा फायदा उठाओ और जब कभी वह तुम्हारे पास समझौते के लिए आयें तो उनको दोषी ठहराते हुए उनसे कहो कि तुम यह भी नहीं जानते कि हम क्या चाहते हैं। जब वह तुम्हारी थोड़ी-सी बात मानने को तैयार हों तो तिरस्कार से उनकी सुलह-कारी नीति को ठुकराते हुए अपनी मांग बढ़ाते जाओ। एक और सुलह का दरवाजा खोले रखो, पर जब वह दरवाजे के नजदीक आयें तो दरवाजा बन्द कर उनकी मानसिक शक्ति को क्षीण करते रहो और जनता में अपनी शक्ति बढ़ाते रहो। इस प्रकार हर छोटी-मोटी जीत को एक विशाल रूप देकर अपने अनुयायियों पर अपने नेतृत्व का सिक्का जमाते रहो। इसी नीति को बड़ी सफलता के साथ भारतीय राजनीति में मिस्टर जिन्ना ने बरता और उनके नेतृत्व का जन्म और विकास उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार कि यूरोपीय रंगमंच पर हिटलर का हुआ। एक दूरदर्शी नेता की तरह मि० जिन्ना ने समझ लिया कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही कभी भी राजी-खुशी भारतीयों को शक्ति न देगी। उमड़ता हुआ राष्ट्रीयवाद, जो कांग्रेस के नेतृत्व में संगठित है, आजादी पाने के लिए बेकरार हो रहा है। अतः इन दोनों के संघर्ष से फायदा उठाकर अपनी शक्ति का विकास किया जा सकेगा। उन्होंने सोचा कि एक शक्ति को दूसरी शक्ति को कमजोर करने के लिए नई शक्ति पर निर्भर रहना होगा। इस विश्वास व विचार-धारा से प्रेरित होकर मि० जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के प्रश्न को आन्दोलन का रूप दिया और जाति-द्वेष का इंजेक्शन लगाकर मुस्लिम जनता को नफरत, घृणा व द्वेष के आघार पर हिन्दुओं के

किस आदर्श के लिए सब कठिनाइयाँ भुगत रहो है। ब्रिटिश नौकरशाही को, जिसे अपनी सैनिक शक्ति पर पूर्ण विश्वास था और जा वास्तव में साम्राज्य-शाही आदर्शों के मुताबिक जापानियों के अधिक नजदीक थी, यह कभी भी स्वीकार न था कि वह स्वयं अपने हाथों भारतीय आकांक्षाओं की पूर्ति करे। इसके विपरीत उसे यह मंजूर था कि भले ही दूसरी शक्ति उससे सत्ता छीन ले। अतः उसने कांग्रेस की मांग व बातों को गलत समझा और अपनी निश्चित योजनानुसार सैनिक-बल द्वारा किसी भी आन्दोलन का दवाने की नीति को अपनाया। ऐसी स्थिति में संघर्ष अवश्यम्भावी था और वह हुआ भी।

मुस्लिम लीग—भारतीय राजनीति में आज मिस्टर जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग एक पहेली और न सुलझने वाले प्रश्न बन गए हैं। उनकी नीति व व्यवह-रचना के विरुद्ध अनेक प्रकार की तीक्ष्ण समालोचनाएं होती हैं। शिक्षित मुसलमानों का एक बहुत बड़ा समुदाय मिस्टर जिन्ना की राजनीतिक सफलता पर, जो उन्होंने इस युद्ध-काल में प्राप्त की है, बड़ा गर्व करता है और उन्हें एक बड़ा दूरदर्शी कुशलराजनीतिज्ञ और मुस्लिम हितकारी नेता मानता है। मुसलमानों का विश्वास है कि मुस्लिम लीग ने जो शक्ति व सम्मान पाया है और भारतीय राजनीति में उसे जो महत्वपूर्ण स्थिति मिली है उस सबका श्रेय मिस्टर जिन्ना की नीति-निपुणता को ही है। उनके विचार से मि० जिन्ना एक घुरन्धर राजनीतिज्ञ है जिन्होंने मुस्लिम जाति को बिना किसी कुर्बानी व त्याग के एक शक्तिशाली जमात के रूप में संगठित कर दिया है और उन्हें एक नया नारा देकर उच्च ध्येय की ओर जुटा दिया है। इन लोगों के विश्वास के मुताबिक मि० जिन्ना ने कांग्रेस और ब्रिटिश राजनीतिज्ञों दोनों ही को काफी मात दी है। ठीक इसके विरुद्ध ऐसे लोग भी हैं जो मिस्टर जिन्ना को देशद्रोही तक कहने से नहीं हिचकते। उनका विश्वास है कि मि० जिन्ना की नीति के कारण भारतीय आजादी का प्रश्न खटाई में पड़ा है। मि० जिन्ना की नीति एवं कार्यों से मुस्लिम जाति की अपेक्षा ब्रिटिश साम्राज्य-शाही को कहीं अधिक लाभ पहुंचा है, अतः यह लोग राष में आकर उन्हें ब्रिटिश एजेंट तक कह बैठते हैं। इस प्रकार की दो विरोधी आलोचनाओं के बीच हम वास्तविकता को तभी समझ सकते हैं जब मि० जिन्ना की नीति, व्यवह-रचना तथा विचार-धारा को जानने का प्रयत्न करें। तभी हमारे लिए यह आसान हो जायगा कि भारतीय राजनीति में आमतौर पर और युद्ध-काल में खास तौर पर मि० जिन्ना ने किस प्रकार की नीति को बरता है, उनका क्या ध्येय है और उसे प्राप्त करने के उनके कौन-से साधन हैं। इसमें कोई दो

राय नहीं हैं कि मिस्टर जिन्ना शक्ति-संतुलन की कला के प्रकांड पंडित और दूरदर्शी राजनीतिक नेता हैं, जिनका नेतृत्व बड़ी तेजी से फला-फूला है। मिस्टर जिन्ना मेरे निकट कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, बल्कि विशेष स्थितियों के परिणाम हैं। जिस प्रकार यूरोप में हिटलर और मुसोलिनी पैदा हुए उसी प्रकार भारतीय रंगमंच पर मि० जिन्ना पैदा हुए हैं। यूरोप में ब्रिटिश, फ्रांसासी व रूसी संघर्ष के कारण हिटलर ने शक्ति पाई। उसने इस संघर्ष का फायदा उठाया और एक नई युद्ध-कला का आविष्कार किया। जर्मन जनता ने हिटलर को देवता के समान समझा और उसका स्वागत किया। हिटलर ने बिना युद्ध और बलिदान के एक विशाल जर्मन साम्राज्य बनाने की बात जर्मनों को बताई, उन्हें जाति-द्वेष का नारा दिया और अपने विरोधियों के प्रति नई नीति बरती। उसका कहना था कि अपने विरोधियों को यह कभी मत बताओ कि तुम क्या चाहते हो। उनके मस्तिष्क पर प्रचार व शक्ति-प्रदर्शन द्वारा बराबर बार करते रहो। उनके आपसी झगड़ों से पूरा फायदा उठाओ और जब कभी वह तुम्हारे पास समझौते के लिए आयें तो उनको दोषी ठहराते हुए उनसे कहो कि तुम यह भी नहीं जानते कि हम क्या चाहते हैं। जब वह तुम्हारी थोड़ी-सी बात मानने को तैयार हों तो तिरस्कार से उनकी सुलह-कारी नीति को ठुकराते हुए अपनी मांग बढ़ाते जाओ। एक ओर सुलह का दरवाजा खोले रखो, पर जब वह दरवाजे के नजदीक आयें तो दरवाजा बन्द कर उनकी मानसिक शक्ति को क्षीण करते रहो और जनता में अपनी शक्ति बढ़ाते रहो। इस प्रकार हर छोटी-मोटी जीत को एक विशाल रूप देकर अपने अनुयायियों पर अपने नेतृत्व का सिक्का जमाते रहो। इसी नीति को बड़ी सफलता के साथ भारतीय राजनीति में मिस्टर जिन्ना ने बरता और उनके नेतृत्व का जन्म और विकास उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार कि यूरोपीय रंगमंच पर हिटलर का हुआ। एक दूरदर्शी नेता की तरह मि० जिन्ना ने समझ लिया कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही कभी भी राजी-खुशी भारतीयों को शक्ति न देगी। उमड़ता हुआ राष्ट्रीयवाद, जो कांग्रेस के नेतृत्व में संगठित है, आजादी पाने के लिए बेकरार हो रहा है। अतः इन दोनों के संघर्ष से फायदा उठाकर अपनी शक्ति का विकास किया जा सकेगा। उन्होंने सोचा कि एक शक्ति को दूसरी शक्ति को कमजोर करने के लिए नई शक्ति पर निर्भर रहना होगा। इस विश्वास व विचार-बारा से प्रेरित होकर मि० जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के प्रश्न को आन्दोलन का रूप दिया और जाति-द्वेष का इंजेक्शन लगाकर मुस्लिम जनता को नफरत, घृणा व द्वेष के आघार पर हिन्दुओं के

किस आदर्श के लिए सब कठिनाइयां भुगत रहा है। ब्रिटिश नौकरशाही को, जिसे अपनी सैनिक शक्ति पर पूर्ण विश्वास था और जा वास्तव में साम्राज्य-शाही आदर्शों के मुताबिक जापानियों के अधिक नजदीक थी, यह कभी भी स्वीकार न था कि वह स्वयं अपने हाथों भारतीय आकांक्षाओं की पूर्ति करे। इसके विपरीत उसे यह मंजूर था कि भले ही दूसरी शक्ति उससे सत्ता छीन ले। अतः उसने कांग्रेस की मांग व बातों को गलत समझा और अपनी निश्चित योजनानुसार सैनिक-बल द्वारा किसी भी आन्दोलन का दबाने की नीति को अपनाया। ऐसी स्थिति में संघर्ष अवश्यम्भावी था और वह हुआ भी।

मुस्लिम लीग—भारतीय राजनीति में आज मिस्टर जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग एक पहिली और न सुलझने वाले प्रश्न बन गए हैं। उनकी नीति व व्यूह-रचना के विरुद्ध अनेक प्रकार की तीक्ष्ण समालोचनाएं होती हैं। शिक्षित मुसलमानों का एक बहुत बड़ा समुदाय मिस्टर जिन्ना की राजनीतिक सफलता पर, जो उन्होंने इस युद्ध-काल में प्राप्त की है, बड़ा गर्व करता है और उन्हें एक बड़ा दूरदर्शी कुशलराजनीतिज्ञ और मुस्लिम हितकारी नेता मानता है। मुसलमानों का विश्वास है कि मुस्लिम लीग ने जो शक्ति व सम्मान पाया है और भारतीय राजनीति में उसे जो महत्वपूर्ण स्थिति मिली है उस सबका श्रेय मिस्टर जिन्ना की नीति-निपुणता को ही है। उनके विचार से मि० जिन्ना एक घुरन्धर राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने मुस्लिम जाति को बिना किसी कुर्बानी व त्याग के एक शक्तिशाली जमात के रूप में संगठित कर दिया है और उन्हें एक नया नारा देकर उच्च ध्येय की ओर जुटा दिया है। इन लोगों के विश्वास के मुताबिक मि० जिन्ना ने कांग्रेस और ब्रिटिश राजनीतिज्ञों दोनों ही को काफी मात दी है। ठीक इसके विरुद्ध ऐसे लोग भी हैं जो मिस्टर जिन्ना को देशद्रोही तक कहने से नहीं हिचकते। उनका विश्वास है कि मि० जिन्ना की नीति के कारण भारतीय आजादी का प्रश्न खटाई में पड़ा है। मि० जिन्ना की नीति एवं कार्यों से मुस्लिम जाति की अपेक्षा ब्रिटिश साम्राज्य-शाही को कहीं अधिक लाभ पहुंचा है, अतः यह लोग राष में आकर उन्हें ब्रिटिश एजेन्ट तक कह बैठते हैं। इस प्रकार की दो विरोधी शालोचनाओं के बीच हम वास्तविकता को तभी समझ सकते हैं जब मि० जिन्ना की नीति, व्यूह-रचना तथा विचार-धारा को जानने का प्रयत्न करें। तभी हमारे लिए यह घासान हो जायगा कि भारतीय राजनीति में आमतौर पर और युद्ध-काल में खास तौर पर मि० जिन्ना ने किस प्रकार की नीति को बरता है, उनका क्या ध्येय है और उसे प्राप्त करने के उनके कौन-से साधन हैं। इसमें कोई दो

राय नहीं हैं कि मिस्टर जिन्ना शक्ति-संतुलन की कला के प्रकांड पंडित और दूरदर्शी राजनीतिक नेता हैं, जिनका नेतृत्व बड़ी तेजी से फला-फूला है। मिस्टर जिन्ना मेरे निकट कोई विशेष व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि विशेष स्थितियों के परिणाम हैं। जिस प्रकार यूरोप में हिटलर और मुसोलिनी पैदा हुए उसी प्रकार भारतीय रंगमंच पर मि० जिन्ना पैदा हुए हैं। यूरोप में ब्रिटिश, फ्रांसीसी व रूसी संघर्ष के कारण हिटलर ने शक्ति पाई। उसने इस संघर्ष का फायदा उठाया और एक नई युद्ध-कला का आविष्कार किया। जर्मन जनता ने हिटलर को देवता के समान समझा और उसका स्वागत किया। हिटलर ने बिना युद्ध और बलिदान के एक विशाल जर्मन साम्राज्य बनाने की बात जर्मनों को बताई, उन्हें जाति-द्वेष का नारा दिया और अपने विरोधियों के प्रति नई नीति बरती। उसका कहना था कि अपने विरोधियों को यह कभी मत बताओ कि तुम क्या चाहते हो। उनके मस्तिष्क पर प्रचार व शक्ति-प्रदर्शन द्वारा बराबर वार करते रहो। उनके आपसी झगड़ों से पूरा फायदा उठाओ और जब कभी वह तुम्हारे पास समझौते के लिए भायें तो उनको दोषी ठहराते हुए उनसे कहो कि तुम यह भी नहीं जानते कि हम क्या चाहते हैं। जब वह तुम्हारी थोड़ी-सी बात मानने को तैयार हों तो तिरस्कार से उनकी सुलह-कारी नीति को ठुकराते हुए अपनी मांग बढ़ाते जाओ। एक ओर सुलह का दरवाजा खोले रखो, पर जब वह दरवाजे के नजदीक भायें तो दरवाजा बन्द कर उनकी मानसिक शक्ति को क्षीण करते रहो और जनता में अपनी शक्ति बढ़ाते रहो। इस प्रकार हर छोटी-मोटी जीत को एक विशाल रूप देकर अपने अनुयायियों पर अपने नेतृत्व का सिक्का जमाते रहो। इसी नीति को बड़ी सफलता के साथ भारतीय राजनीति में मिस्टर जिन्ना ने बरता और उनके नेतृत्व का जन्म और विकास उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार कि यूरोपीय रंगमंच पर हिटलर का हुआ। एक दूरदर्शी नेता की तरह मि० जिन्ना ने समझ लिया कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही कभी भी राजी-खुशी भारतीयों को शक्ति न देगी। उमड़ता हुआ राष्ट्रीयवाद, जो कांग्रेस के नेतृत्व में संगठित है, आजादी पाने के लिए बेकरार हो रहा है। अतः इन दोनों के संघर्ष से फायदा उठाकर अपनी शक्ति का विकास किया जा सकेगा। उन्होंने सोचा कि एक शक्ति को दूसरी शक्ति का कमजोर करने के लिए नई शक्ति पर निर्भर रहना होगा। इस विश्वास व विचार-धारा से प्रेरित होकर मि० जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के प्रश्न को आन्दोलन का रूप दिया और जाति-द्वेष का इन्जेक्शन लगाकर मुस्लिम जनता को नफरत, घृणा व द्वेष के आघार पर हिन्दुओं के

विरुद्ध संगठित किया। उन्होंने मुस्लिम जनता को एक नया ध्येय व नारा दिया और समझाया कि इस ध्येय की प्राप्ति के रास्ते में हिन्दू बाधक हैं और यहीं हिन्दू कांग्रेस में शामिल हैं। अतः कांग्रेस हिन्दुओं की जमात है और ऐसी जमात मुस्लिम-आकांक्षाओं की दुश्मन है।

इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्यशाही और हिन्दू कांग्रेस हमें दोनों ही से लड़ना है। यह तो उन्होंने कहा मुस्लिम जनता से; पर वास्तव में उनका स्थिति-विश्लेषण यह था कि कांग्रेस और नौकरशाही के बीच होने वाले संघर्ष के कारण वह अपना ध्येय बिना किसी बलिदान, त्याग तथा संघर्ष के ही प्राप्त कर सकेंगे। अंग्रेजों से उन्होंने कहा कि 'कांग्रेस केवल इसलिए सफल नहीं हो सकती कि मुसलमान उसमें शामिल नहीं हैं, और यदि मुस्लिम-आकांक्षाओं की पूर्ति न की गई और उनकी पाकिस्तान की मांग को न माना गया तो वह भी विरोध में शामिल हो सकते हैं। इसलिए अंग्रेजों के फायदे में यही है कि वह पाकिस्तान की मांग को मान लें।' कांग्रेस से उन्होंने कहा कि 'भारत को आजादी तभी मिल सकती है जब कांग्रेस और लीग मिल जायं और मिलकर अंग्रेजों पर जोर डालें और लीग कांग्रेस से तभी मिल सकती है जब कि कांग्रेस उनके पाकिस्तान के ध्येय को मान ले।' इस प्रकार दोनों ही के सामने उन्होंने अपनी पाकिस्तान की मांग को रखा। ब्रिटिश नौकरशाही ने कांग्रेस की मांग और शक्ति का प्रतिकार करने के लिए उनकी चापलूसी करने और उनकी शक्ति को बढ़ाने की नीति बरती। कांग्रेस ने अपने को सच्ची राष्ट्रवादी संस्था साबित करने तथा ब्रिटिश साम्राज्यशाही की पुरानी 'आपस में लड़ाने और हुकूमत करने' की नीति का प्रतिकार करने के लिए मुस्लिम लीग के प्रति दोस्ती और मेल-मिलाप की नीति अपनाई। दुर्भाग्य से मि० जिन्ना ने इन नीतियों को, जिनका ब्रिटिश साम्राज्यशाही और कांग्रेस हाई कमांड ने अपने-अपने हित में अनुसरण किया था, दोनों की कमजोरी समझा और अपने को शक्तिशाली समझा। किन्तु यह उनकी बड़ी भारी भूल थी।

किसी भी जाति के संगठन एवं शक्ति का पता इस बात से चलता है कि उसके नेताने अपने अनुयायियों के अन्दर कितनी त्याग और बलिदान की शक्ति पैदा की है और अपने संगठन को आक्रमण और बचाव दोनों ही प्रकार की लड़ाई के लिए सुदृढ़ बना लिया है। युद्ध-काल में मुस्लिम लीग को जो कूट-नीतिक सफलताएं हुईं उसके कारण मुस्लिम जनता चौंधिया गई और उसने इसे अपने नेता की व्यूह-रचना तथा नीति-निपुणता का परिणाम समझा। इस प्रकार नेता का भावी तारतम्य विगड़ गया। यह निश्चित है कि मुस्लिम लीग

को भविष्य में काफी कड़ुवें अनुभव होंगे और असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। युद्ध-काल में मिस्टर जिन्ना ने दोहरी नीति बरती। मुस्लिम जनता के ब्रिटिश-विरोधी और युद्ध-विरोधी भावों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक छोटे कांग्रेस के पीछे चलने की नीति को अपनाया और दूसरी ओर ब्रिटिश साम्राज्यशाही से छोटे-मोटे लाभ पाने का प्रयत्न किया। एक ओर उन्होंने कांग्रेस की भांति तय किया कि मुस्लिम लोग युद्ध-प्रयास में मदद न देंगे। दूसरी ओर आसाम, सीमाप्रान्त, बंगाल, आदि मुस्लिम प्रान्तों में ब्रिटिश नौकरशाही की सहायता से अपने मंत्रिमंडल कायम कराये और इस प्रकार ब्रिटिश-साम्राज्यशाही को युद्ध में मदद दी। साथ ही उन्होंने इस काल में कांग्रेस की शक्ति को क्षीण करने तथा मुसलमानों में हिन्दुओं के प्रति विरुद्ध भाव जागृत करने की नीति अपनाई। कांग्रेस ने सन् १९४२ में जब मुझे विद्रोह की खबरों की तो ब्रिटिश नौकरशाही पर अपना प्रभाव टालने के लिए मि० जिन्ना ने युद्ध-युद्ध के खतरे की धमकी देकर अपनी जमात और जाति के लिए अंग्रेज अधिकारियों से सुविधाजनक स्थिति प्राप्त करने की चेष्टा की। उन्होंने यह संकेत भी किया कि केवल उनकी नीति के कारण ही कांग्रेस खुले विद्रोह में सफल नहीं हो सकेगी, इसलिए अंग्रेजों को चाहिए कि वह उनके साथ समझौता कर लें और भारतीय राज्य-सत्ता उनके हाथ में सौंप दें। युद्ध-काल में मिस्टर जिन्ना की नीति यही रही कि वे कांग्रेस और ब्रिटिश साम्राज्यशाही के बच्चे हुए संघर्ष से अधिक-से-अधिक लाभ उठाएं। इस नीति में वह सफल भी हुए, पर युद्ध के पश्चात् समय पलटा, दुनिया की राजनीति बदली और पुराने विचार व तरीके निकम्मे दीख पड़े। ब्रिटिश नौकरशाही स्वयं अपने परस्पर विरोधी कारणों से टूटने लगी और उसका आर्थिक और सामाजिक ढांचा अस्त-व्यस्त होने लगा। ब्रिटेन की जनता में स्वयं साम्राज्यवाद विरोधी विचार और पकड़ने लगे और एक नई नीति व नए समाज की कल्पना की जाने लगी। केंद्र-गवर्नमेन्ट शक्ति में आई और मिस्टर जिन्ना के अंग्रेज मित्र मिस्टर एमर्स और मिस्टर चर्चिल पस्त हुए। पर मिस्टर जिन्ना ने इन सब बदलावों से कुछ न सीखा। उन्हें अपने पुराने साथियों और विस्त्रासों पर भरोसा और दृढ़ता हुई हालत में भी वह अपने उन्हीं पुराने पारियों से खेतना चलाते थे। समय आया कि ब्रिटिश-सरकार ने अपने आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जाकांजाओं के साथ मुलह और समझौते की नीति बरतना प्रारम्भ किया और कांग्रेस नेतृत्व से समझौता करने के लिए तैयार बढ़ाया। मिस्टर जिन्ना के लिए वह सब असहनीय था। उन्हें कभी भी ऐसी आशा न थी कि एक

सकता है। इस बदलती हुई स्थिति के लिए उन्होंने अपने मस्तिष्क में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रखी थी। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन वहाँ आया। मिस्टर जिन्ना ने अपनी पुरानी नीति के मुताबिक पुराने ही तरीके अपनाये और पुराने ही पाँसे खेले। वे नहीं समझ सके कि अब ब्रिटिश साम्राज्यशाही के हित में यह नहीं है कि वह भारतीय राष्ट्रवाद से संघर्ष करे। उनकी आधार-शिला टूट चुकी थी। अब उस पर कायम रहना मूर्खता थी। दिल्ली और शिमला में ये राजनीतिक दांव-पेच होते रहे और अन्त में १०० वर्ष के ब्रिटिश शासन के बाद मिस्टर जिन्ना को पता चला कि अंग्रेज लोग झूठ भी बोल सकते हैं। अपनी पूर्व ट्रेनिंग के अनुसार उन्होंने गुरानि तथा घमकी देने आदि की नीति बरती, पर ज़मीन उनके नीचे से निकल चुकी थी। ब्रिटिश सरकार को उनकी शक्ति का ज्ञान था। कांग्रेस भी उनकी वाचत काफ़ी जान चुकी थी। क्षोभ व क्रोध से उत्तेजित मिस्टर जिन्ना ने 'गृह-युद्ध' और 'सीधे संघर्ष' इत्यादि के नारे बुलन्द किए। पर जर्मनी और जापान की 'हराने वाली' ब्रिटिश-साम्राज्यशाही तथा कांग्रेस पर इन घमकियों का क्या असर हो सकता था? इन दोनों ने एक दूसरे को पहचाना और दोनों ने मिलकर मिस्टर जिन्ना को पहचाना। इन मिस्टर जिन्ना न कई घोषणाएँ कीं जो एक दूसरे से बिलकुल उलटी थीं। द्वेष और घृणा की गर्जना करने वाले मिस्टर जिन्ना शांति, सुलह व अहिंसात्मक आन्दोलन की चर्चा करने लगे। अस्थायी सरकार में जाने के प्रस्ताव को तिरस्कार पूर्वक ठुकराने वाले और हिन्दू मुस्लिम समान प्रतिनिधित्व पर एक इंच भी न झुकने वाले मिस्टर जिन्ना आज बिना किसी शर्त के केवल वाइसराय की शुभ प्रेरणा के आधार पर अस्थायी सरकार में शरीक हो गए। यह युग अब मिस्टर जिन्ना के ज्वाल का युग है जब कि उन्हें यह अनुभव करना होगा कि वलिदान, त्याग, खून, और आँसू के दौर में न गुजरने वाली जमात को कठोर वास्तविकता के सामने इसी प्रकार झुकना होता है।

कांग्रेस समाजवादी पार्टी—सन् १९३४ में कांग्रेस के अन्दर इस पार्टी का जन्म हुआ। यह एक उग्र, प्रगतिशील वामपक्षी कांग्रेस-जनों की पार्टी है। उनका विश्वास है कि समाज की रचना समाजवादी उसूलों के आधार पर होनी चाहिए और राष्ट्रीय आन्दोलन की गति-विधि को उग्र बनाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर गुप्त, गुरिल्ला युद्ध और संगठित हिंसा को भी अपनाया जा सकता है। यह लोग एक और राष्ट्रीय एकता के हितार्थ कांग्रेस हाई कमांड के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, पर साथ ही इनका गान्धीजी की अहिंसा की नीति एवं साधनों में पूर्णतः विश्वास नहीं है। समय पड़ने पर जो शस्त्र उपयोगी

हा, यह उसा का प्रयोग करने में विश्वास करते हैं। इन १२ सालों में इस पार्टी की शक्ति व सम्मान में काफी वृद्धि हुई है। जब यूरोपीय युद्ध प्रारम्भ हुआ तो इस पार्टी का भी यही कहना था कि सामूहिक आन्दोलन किया जाय। वह गान्धीजी द्वारा शुरू किये गए व्यक्तिगत सत्याग्रह से अधिक सन्तुष्ट नहीं। सन् १९४२ में जब कांग्रेस ने वर्धा-प्रस्ताव पास किया तो इन लोगों ने उसका बड़ा स्वागत किया और गांधीजी द्वारा प्रयुक्त 'अंग्रेजो भारत छोड़ो' व 'खुला विद्रोह' आदि शब्दों को इन लोगों ने क्रान्तिकारी रूप में जनता के सामने पेश किया। सन् १९४२ में जब ब्रिटिश नौकरशाही ने कांग्रेस पर प्रहार किया और कांग्रेसी नेता चारों ओर पकड़े जाने लगे तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेताओं ने खुले विद्रोह के सिलसिले में अपनी नवीन नीति को अपनाया और नये साधनों का प्रयोग किया। इन्होंने गान्धी जी के पुराने वक्तव्यों तथा समय-समय पर दिये गए भाषणों को अपने दृष्टिकोण से पेश करके जनता को यह बताने की चेष्टा की कि गान्धीजी वास्तव में 'खुला विद्रोह' चाहते थे, अतः मौजूदा हालत में हमारे लिए आवश्यक है कि इस आन्दोलन की चिनगारी को किसी-न-किसी रूप में जिन्दा रखें। गान्धीजी ने हर आदमी को आजाद कर दिया है और वह जिस तरह भी हो वह अपने प्रतिरोध की भावना का प्रदर्शन कर सकता है। अतः इन्होंने इस काल में गुप्त संगठन प्रारम्भ किया और 'आजाद हिंद दस्ते' बनाने के प्रयत्न किए। जहाँ सम्भव था वहाँ जनता का मोर्चा भी स्थापित किया गया। गुरिल्ला लड़ाई के सिद्धान्तों पर भी अमल करने के प्रयत्न किए, इस प्रकार सन् १९४२ के आन्दोलन में सबसे पहले हमने देखा कि गांधीजी की सामूहिक व प्रत्यक्ष आन्दोलन की कला के विरुद्ध समाजवादी नेताओं ने अपने ही तरीकों का प्रयोग किया और इस प्रकार भारतीय राजनीति में एक नये नेतृत्व का प्रत्यक्ष रूप हमारे सामने आया। जितने समाजवादी नेता अपने को पकड़-धकड़ से बचा सकते थे, उन्होंने अपने को बचाया और गुप्त तराकों से काम लिया। श्री जयप्रकाशनारायण जी के जेल से बाहर आजाने पर इस गुप्त आन्दोलन में नई स्फूर्ति, शक्ति व जीवन आ गया। इस पार्टी के प्रमुख नेता श्रीजयप्रकाशनारायण, श्री राममनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, वी० एस० डांडेकर और श्री मोहनलाल गौतम हैं। इनमें से अधिकतर अन्त समय तक अपने-अपने तरीकों से अपने-अपने सूबों में कार्य करते रहे। इनका प्रोग्राम नवयुवकों को विशेषकर आकर्षित करता है। इस तरह कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने सन् १९-४२ के आन्दोलन में काफी शक्ति प्राप्त की और अपने को एक नए नेतृत्व के रूप में संगठित कर लिया। इस विषय में हम अन्यत्र काफी प्रकाश डाल चुके हैं।

कम्युनिस्ट पार्टी—भारतीय राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने लिए एक विशेष आकर्षण पैदा कर लिया है। कुछ अपनी नीति के कारण और कुछ एक निश्चित विचार-धारा के आधार पर संगठित होने के कारण यह एक बड़ी सुसंगठित पार्टी है जिसमें बड़े जोशीले, उत्साही, फिलासफी-उन्मादित तथा पढ़े-लिखे नवयुवक शामिल हैं। भारत में होने वाले राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति इस पार्टी की सदा ही एक निराली नीति रही है और इस युद्ध के प्रति भी उसने जिस नीति को बरता है, उसके कारण इस पार्टी के प्रति सब दलों में भारी शंकाएं पैदा हो चली हैं और राष्ट्रीय सैनिकों और उसके बीच एक गहरी खाई भी पैदा हो गई है जिसे अब किसी मन्तव्य द्वारा पाटा नहीं जा सकता। कम्युनिस्ट पार्टी की नीति को हम तब तक ठीक नहीं समझ सकते जब तक कि हम यह न जान लें कि आखिर उसकी नीति की आधार-शिला क्या है। इस मौलिक बात का न जानने के कारण आज देश में इसके प्रति काफी रोष फैला हुआ है और स्वयं कम्युनिस्ट लोगों ने भी इस मौलिक बात को छिपाने का प्रयत्न किया है। बढ़ते हुए राष्ट्रवाद के प्रभाव को देखकर इन्होंने अपने-आपको भारतीय राष्ट्रीयता का एक अनिवार्य अंग बनाने का प्रयत्न किया और इसी दृष्टि से वह कांग्रेस में घुसे और उसके भीतर तमाम उग्र तथा उन्नतिशील शक्तियों का नेतृत्व ग्रहण करना चाहा, पर जो नीति इन्होंने युद्ध-काल में बरती उससे पता चलता है कि इनकी नीति-संचालन का राष्ट्रीय आकांक्षार्थी व भारत में होने वाली घटनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है, बल्कि उसका आधार सोवियत् रूस की वैदेशिक नीति ही है। यदि कम्युनिस्ट प्रारम्भ से इस सत्य को बताकर चलते और साफ तौर पर यह कहते कि उनके विश्वास के मुताबिक रूस उन्नतिशील विचारों का केन्द्र है और उस केन्द्र की हिफाजत करना तथा उसके आधार पर अपनी नीति का निर्माण करना हमारा परम कर्तव्य है तो ऐसी हालत में कम्युनिस्टों के प्रति कोई गलतफहमी न होती, पर इस नग्न सत्य को उन्होंने भारतीय जनता से छिपाना चाहा और अपने को भारतीय राजनीति का एक अंग बताकर सारी राष्ट्रीय राजनीति तथा आन्दोलन की प्रगति को अपने ही आधार पर चलाने का प्रयत्न करना चाहा। इस दोहरी नीति का भंडा-फोड़ आवश्यक था।

सन् १९३९ में जब युद्ध प्रारम्भ हुआ और हिटलर ने दोनों मोर्चों पर न खड़ने के खयाल से सोवियत् रूस से फंसला कर लिया, तो हमारे इन कम्युनिस्ट साथियों ने सारी दुनिया में इस युद्ध को साम्राज्यवादी युद्ध करार दिया और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शीघ्र ही एक सामूहिक आंदोलन करने की

सलाह दी। उस समय यह लोग कांग्रेस हाई कमांड का केवल इसलिए विरोध कर रहे थे कि वह साम्राज्यशाही से युद्ध न करके कुछ छोटा-मोटा फैसला करने की बात कर रहा था। इनके मुताबिक इस नीति का अनुसरण करना देश के साथ विश्वासघात करना था। यही नहीं, फ्रांस के कम्युनिस्ट नेता मिस्टर थोरे उस समय जर्मन रेडियो से निरन्तर इस बात का प्रचार कर रहे थे कि फ्रेंच जनता को इस साम्राज्यवादी युद्ध में अपनी सरकार का साथ नहीं देना चाहिए और इस प्रकार वह जर्मनी को इस लड़ाई के जीतने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद दे रहे थे।

यकायक सन् १९४१ में जर्मनी ने जब रूस पर आक्रमण कर दिया तो सारी दुनिया के कम्युनिस्टों की नीति बदल गई और उनके विश्वास के मुताबिक इस युद्ध का रूप भी बदल गया। अब यह युद्ध उनके लिए एक साम्राज्यवादी युद्ध नहीं था, बल्कि जनता की आकांक्षाओं के केन्द्रसंवित् रूस पर होने वाला यह आक्रमण सारी जनता के ऊपर प्रहार था। अतः इन्होंने उस युद्ध को अब जनता के युद्ध का रूप दिया। इस नीति के अनुसार भारतीय कम्युनिस्टों ने भी अपनी नीति बदली और इन्होंने अब कांग्रेस हाई कमांड तथा कांग्रेस संगठन को भी इस नीति को अपनाने की सलाह दी। इन दिनों भारत में बाह्य घटनाएं इस नीति के बिलकुल प्रतिकूल थीं। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध यहां गहरा असन्तोष फैल रहा था और उसके प्रति विद्वेष इतना बढ़ गया था कि भारतीय जनता कम्युनिस्टों के कथन को केवल साम्राज्यवादी युद्ध का प्रचार समझती थी। कम्युनिस्टों का जन-युद्ध का नारा जनता की आकांक्षाओं, इच्छाओं व मनोवृत्तियों के बिलकुल विपरीत था और इसलिए जब कोई इस युद्ध को जनता का युद्ध बताने की चेष्टा करता था तो साधारण जनता में भी चिढ़ और झुंझलाहट पैदा होती थी। ठीक इसी समय कम्युनिस्टों ने लोगों के गले से यह कड़वी बात उतारनी चाही। स्वभावतः उसका परिणाम यही हुआ कि इनका सम्बन्ध जनता से टूट गया।

सन् १९४२ में कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास किया तो कम्युनिस्टों ने इसका विरोध किया। उन्होंने अपने को आन्दोलन से अलग रखकर जहाँ तक सम्भव हुआ इसका विरोध किया। उस समय कम्युनिस्टों का विद्यार्थियों तथा मजदूरों पर काफी प्रभाव था। पर इन दोनों वर्गों ने इनके नारों व तराकों की अवहेलना करके आन्दोलन में पूरा सहयोग दिया। कम्युनिस्टों की इस नीति ने सब लोगों को यह बात बता दी कि उनकी नीति का आधार भारतीय आकांक्षाएं तथा भारत में होने वाली घटनाएं नहीं हैं। राष्ट्रवाद का

कम्युनिस्ट पार्टी—भारतीय राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने लिए एक विशेष आकर्षण पैदा कर लिया है। कुछ अपनी नीति के कारण और कुछ एक निश्चित विचार-धारा के आधार पर संगठित होने के कारण यह एक बड़ी सुसंगठित पार्टी है जिसमें बड़े जोशीले, उत्साही, फिलासफी-उन्मादित तथा पढ़े-लिखे नवयुवक शामिल हैं। भारत में होने वाले राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति इस पार्टी की सदा ही एक निराली नीति रही है और इस युद्ध के प्रति भी उसने जिस नीति को बरता है, उसके कारण इस पार्टी के प्रति सब दलों में भारी शंकाएं पैदा हो चली हैं और राष्ट्रीय सैनिकों और उसके बीच एक गहरी खाई भी पैदा हो गई है जिसे अब किसी मन्तव्य द्वारा पाटा नहीं जा सकता। कम्युनिस्ट पार्टी की नीति को हम तब तक ठीक नहीं समझ सकते जब तक कि हम यह न जान लें कि आखिर उसकी नीति की आधार-शिला क्या है। इस मौलिक बात का न जानने के कारण आज देश में इसके प्रति काफी रोष फैला हुआ है और स्वयं कम्युनिस्ट लोगों ने भी इस मौलिक बात को छिपाने का प्रयत्न किया है। बढ़ते हुए राष्ट्रवाद के प्रभाव को देखकर इन्होंने अपने-आपको भारतीय राष्ट्रीयता का एक अनिवार्य अंग बनाने का प्रयत्न किया और इसी दृष्टि से वह कांग्रेस में घुसे और उसके भीतर तमाम उग्र तथा उन्नतिशील शक्तियों का नेतृत्व ग्रहण करना चाहा, पर जो नीति इन्होंने युद्ध-काल में बरती उससे पता चलता है कि इनकी नीति-संचालन का राष्ट्रीय आकांक्षाओं व भारत में होने वाली घटनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है, बल्कि उसका आधार सोवियत् रूस की वैदेशिक नीति ही है। यदि कम्युनिस्ट प्रारम्भ से इस सत्य को बताकर चलते और साफ तौर पर यह कहते कि उनके विश्वास के मुताबिक रूस उन्नतिशील विचारों का केन्द्र है और उस केन्द्र की हिफाजत करना तथा उसके आधार पर अपनी नीति का निर्माण करना हमारा परम कर्तव्य है तो ऐसी हालत में कम्युनिस्टों के प्रति कोई गलतफहमी न होती, पर इस नग्न सत्य को उन्होंने भारतीय जनता से छिपाना चाहा और अपने को भारतीय राजनीति का एक अंग बताकर सारी राष्ट्रीय राजनीति तथा आन्दोलन की प्रगति को अपने ही आवार पर चलाने का प्रयत्न करना चाहा। इस दोहरी नीति का भंडा-फोड़ आवश्यक था।

सन् १९३९ में जब युद्ध प्रारम्भ हुआ और हिटलर ने दोनों मोर्चों पर न खड़ने के खयाल से सोवियत् रूस से फँसला कर लिया, तो हमारे इन कम्युनिस्ट साथियों ने सारी दुनिया में इस युद्ध को साम्राज्यवादी युद्ध करार दिया और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शीघ्र ही एक सामूहिक आंदोलन करने की

सलाह दी। उस समय यह लोग कांग्रेस हाई कमांड का केवल इसलिए विरोध कर रहे थे कि वह साम्राज्यशाही से युद्ध न करके कुछ छोटा-मोटा फंसला करने की बात कर रहा था। इनके मृताविक इस नीति का अनुसरण करना देश के साथ विश्वासघात करना था। यही नहीं, फ्रांस के कम्युनिस्ट नेता मिस्टर थोरे उस समय जर्मन रेडियो से निरन्तर इस बात का प्रचार कर रहे थे कि फ्रेंच जनता को इस साम्राज्यवादी युद्ध में अपनी सरकार का साथ नहीं देना चाहिए और इस प्रकार वह जर्मनी की इस लड़ाई के जीतने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद दे रहे थे।

यकायक सन् १९४१ में जर्मनी ने जब रूस पर आक्रमण कर दिया तो सारी दुनिया के कम्युनिस्टों की नीति बदल गई और उनके विश्वास के मृताविक इस युद्ध का रूप भी बदल गया। अब यह युद्ध उनके लिए एक साम्राज्यवादी युद्ध नहीं था, बल्कि जनता की आकांक्षाओं के केन्द्रसोवियत् रूस पर होने वाला यह आक्रमण सारी जनता के ऊपर प्रहार था। अतः इन्होंने उस युद्ध को अब जनता के युद्ध का रूप दिया। इस नीति के अनुसार भारतीय कम्युनिस्टों ने भी अपनी नीति बदली और इन्होंने अब कांग्रेस हाई कमांड तथा कांग्रेस संगठन को भी इस नीति को अपनाने की सलाह दी। इन दिनों भारत में बाह्य घटनाएं इस नीति के बिलकुल प्रतिकूल थीं। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध यहां गहरा असन्तोष फैल रहा था और उसके प्रति विद्वेष इतना बढ़ गया था कि भारतीय जनता कम्युनिस्टों के कथन को केवल साम्राज्यवादी युद्ध का प्रचार समझती थी। कम्युनिस्टों का जन-युद्ध का नारा जनता की आकांक्षाओं, इच्छाओं व मनोवृत्तियों के बिलकुल विपरीत था और इसलिए जब कोई इस युद्ध को जनता का युद्ध बताने की चेष्टा करता था तो साधारण जनता में भी चिढ़ और झुंझलाहट पैदा होती थी। ठीक इसी समय कम्युनिस्टों ने लोगों के गले से यह कड़ुवी बात उतारनी चाही। स्वभावतः उसका परिणाम यही हुआ कि इनका सम्बन्ध जनता से टूट गया।

सन् १९४२ में कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास किया तो कम्युनिस्टों ने इसका विरोध किया। उन्होंने अपने को आन्दोलन से अलग रखकर जहां तक सम्भव हुआ इसका विरोध किया। उस समय कम्युनिस्टों का विद्यार्थियों तथा मजदूरों पर काफी प्रभाव था। पर इन दोनों वर्गों ने इनके नारों व तराकों की अवहेलना करके आन्दोलन में पूरा सहयोग दिया। कम्युनिस्टों की इस नीति ने सब लोगों को यह बात बताने दी कि उनकी नीति का आधार भारतीय आकांक्षाएं तथा भारत में होने वाली घटनाएं नहीं हैं। राष्ट्रवाद का

कम्युनिस्ट पार्टी—भारतीय राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने लिए एक विशेष आकर्षण पैदा कर लिया है। कुछ अपनी नीति के कारण और कुछ एक निश्चित विचार-धारा के आधार पर संगठित होने के कारण यह एक बड़ी सुसंगठित पार्टी है जिसमें बड़े जोशीले, उत्साही, फिलासफी-उन्मादित तथा पढ़े-लिखे नवयुवक शामिल हैं। भारत में होने वाले राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति इस पार्टी की सदा ही एक निराली नीति रही है और इस युद्ध के प्रति भी उसने जिस नीति को बरता है, उसके कारण इस पार्टी के प्रति सब दलों में भारी शंकाएं पैदा हो चली हैं और राष्ट्रीय सैनिकों और उसके बीच एक गहरी खाई भी पैदा हो गई है जिसे अब किसी मन्तव्य द्वारा पाटा नहीं जा सकता। कम्युनिस्ट पार्टी की नीति को हम तब तक ठीक नहीं समझ सकते जब तक कि हम यह न जान लें कि आखिर उसकी नीति की आधार-शिला क्या है। इस मौलिक बात का न जानने के कारण आज देश में इसके प्रति काफी रोष फैला हुआ है और स्वयं कम्युनिस्ट लोगों ने भी इस मौलिक बात को छिपाने का प्रयत्न किया है। बढ़ते हुए राष्ट्रवाद के प्रभाव को देखकर इन्होंने अपने-आपको भारतीय राष्ट्रीयता का एक अनिवार्य अंग बनाने का प्रयत्न किया और इसी दृष्टि से वह कांग्रेस में घुसे और उसके भीतर तमाम उग्र तथा उन्नतिशील शक्तियों का नेतृत्व ग्रहण करना चाहा, पर जो नीति इन्होंने युद्ध-काल में बरती उससे पता चलता है कि इनकी नीति-संचालन का राष्ट्रीय आकांक्षाओं व भारत में होने वाली घटनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है, बल्कि उसका आधार सोवियत् रूस की वैदेशिक नीति ही है। यदि कम्युनिस्ट प्रारम्भ से इस सत्य को बताकर चलते और साफ तौर पर यह कहते कि उनके विश्वास के मुताबिक रूस उन्नतिशील विचारों का केन्द्र है और उस केन्द्र की हिफाजत करना तथा उसके आधार पर अपनी नीति का निर्माण करना हमारा परम कर्तव्य है तो ऐसी हालत में कम्युनिस्टों के प्रति कोई गलतफहमी न होती, पर इस नग्न सत्य को उन्होंने भारतीय जनता से छिपाना चाहा और अपने को भारतीय राजनीति का एक अंग बताकर सारी राष्ट्रीय राजनीति तथा आन्दोलन की प्रगति को अपने ही आधार पर चलाने का प्रयत्न करना चाहा। इस दोहरी नीति का भंडा-फोड़ प्रावश्यक था।

सन् १९३९ में जब युद्ध प्रारम्भ हुआ और हिटलर ने दोनों मोर्चों पर न खड़ने के खयाल से सोवियत् रूस से फँसला कर लिया, तो हमारे इन कम्युनिस्ट साथियों ने सारी दुनिया में इस युद्ध को साम्राज्यवादी युद्ध करार दिया और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शीघ्र ही एक सामूहिक आंदोलन करने की

सलाह दी। उस समय यह लोग कांग्रेस हाई कमांड का केवल इसलिए विरोध कर रहे थे कि वह साम्राज्यशाही से युद्ध न करके कुछ छोटा-मोटा फैसला करने की बात कर रहा था। इनके मुताबिक इस नीति का अनुसरण करना देश के साथ विश्वासघात करना था। यही नहीं, फ्रांस के कम्युनिस्ट नेता मिस्टर थोरे उस समय जर्मन रेडियो से निरन्तर इस बात का प्रचार कर रहे थे कि फ्रेंच जनता को इस साम्राज्यवादी युद्ध में अपनी सरकार का साथ नहीं देना चाहिए और इस प्रकार वह जर्मनी की इस लड़ाई के जीतने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद दे रहे थे।

यकायक सन् १९४१ में जर्मनी ने जब रूस पर आक्रमण कर दिया तो सारी दुनिया के कम्युनिस्टों की नीति बदल गई और उनके विश्वास के मुताबिक इस युद्ध का रूप भी बदल गया। अब यह युद्ध उनके लिए एक साम्राज्यवादी युद्ध नहीं था, बल्कि जनता की आकांक्षाओं के केन्द्रसोवियत् रूस पर होने वाला यह आक्रमण सारी जनता के ऊपर प्रहार था। अतः इन्होंने उस युद्ध को अब जनता के युद्ध का रूप दिया। इस नीति के अनुसार भारतीय कम्युनिस्टों ने भी अपनी नीति बदली और इन्होंने अब कांग्रेस हाई कमांड तथा कांग्रेस संगठन को भी इस नीति को अपनाने की सलाह दी। इन दिनों भारत में बाह्य घटनाएं इस नीति के बिलकुल प्रतिकूल थीं। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध यहां गहरा असन्तोष फैल रहा था और उसके प्रति विद्वेष इतना बढ़ गया था कि भारतीय जनता कम्युनिस्टों के कथन को केवल साम्राज्यवादी युद्ध का प्रचार समझती थी। कम्युनिस्टों का जन-युद्ध का नारा जनता की आकांक्षाओं, इच्छाओं व मनोवृत्तियों के बिलकुल विपरीत था और इसलिए जब कोई इस युद्ध को जनता का युद्ध बताने की चेष्टा करता था तो साधारण जनता में भी चिढ़ और झुंझलाहट पैदा होती थी। ठीक इसी समय कम्युनिस्टों ने लोगों के गले से यह कड़ुवी बात उतारनी चाही। स्वभावतः उसका परिणाम यही हुआ कि इनका सम्बन्ध जनता से टूट गया।

सन् १९४२ में कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास किया तो कम्युनिस्टों ने इसका विरोध किया। उन्होंने अपने को आन्दोलन से अलग रखकर जहां तक सम्भव हुआ इसका विरोध किया। उस समय कम्युनिस्टों का विद्यार्थियों तथा मजदूरों पर काफी प्रभाव था। पर इन दोनों वर्गों ने इनके नारों व तराकों की अवहेलना करके आन्दोलन में पूरा सहयोग दिया। कम्युनिस्टों की इस नीति ने सब लोगों को यह बात बता दी कि उनकी नीति का आधार भारतीय आकांक्षाएं तथा भारत में होने वाली घटनाएं नहीं हैं। राष्ट्रवाद का

कम्युनिस्ट पार्टी—भारतीय राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने लिए एक विशेष आकर्षण पैदा कर लिया है। कुछ अपनी नीति के कारण और कुछ एक निश्चित विचार-धारा के आधार पर संगठित होने के कारण यह एक बड़ी सुसंगठित पार्टी है जिसमें बड़े जोशीले, उत्साही, फिलासफी-उन्मादित तथा पढ़े-लिखे नवयुवक शामिल हैं। भारत में होने वाले राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति इस पार्टी की सदा ही एक निराली नीति रही है और इस युद्ध के प्रति भी उसने जिस नीति को बरता है, उसके कारण इस पार्टी के प्रति सब दलों में भारी शंकाएं पैदा हो चली हैं और राष्ट्रीय सैनिकों और उसके बीच एक गहरी खाई भी पैदा हो गई है जिसे अब किसी मन्तव्य द्वारा पाटा नहीं जा सकता। कम्युनिस्ट पार्टी की नीति को हम तब तक ठीक नहीं समझ सकते जब तक कि हम यह न जान लें कि आखिर उसकी नीति की आधार-शिला क्या है। इस मौलिक बात का न जानने के कारण आज देश में इसके प्रति काफी रोष फैला हुआ है और स्वयं कम्युनिस्ट लोगों ने भी इस मौलिक बात को छिपाने का प्रयत्न किया है। बढ़ते हुए राष्ट्रवाद के प्रभाव को देखकर इन्होंने अपने-आपको भारतीय राष्ट्रीयता का एक अनिवार्य अंग बनाने का प्रयत्न किया और इसी दृष्टि से वह कांग्रेस में घुसे और उसके भीतर तमाम उग्र तथा उन्नतिशील शक्तियों का नेतृत्व ग्रहण करना चाहा, पर जो नीति इन्होंने युद्ध-काल में बरती उससे पता चलता है कि इनकी नीति-संचालन का राष्ट्रीय आकांक्षाओं व भारत में होने वाली घटनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है, बल्कि उसका आधार सोवियत् रूस की वैदेशिक नीति ही है। यदि कम्युनिस्ट प्रारम्भ से इस सत्य को बताकर चलते और साफ तौर पर यह कहते कि उनके विश्वास के मुताबिक रूस उन्नतिशील विचारों का केन्द्र है और उस केन्द्र की हिफाजत करना तथा उसके आधार पर अपनी नीति का निर्माण करना हमारा परम कर्तव्य है तो ऐसी हालत में कम्युनिस्टों के प्रति कोई गलतफहमी न होती, पर इस नग्न सत्य को उन्होंने भारतीय जनता से छिपाना चाहा और अपने को भारतीय राजनीति का एक अंग बताकर सारी राष्ट्रीय राजनीति तथा आन्दोलन की प्रगति को अपने ही आधार पर चलाने का प्रयत्न करना चाहा। इस दोहरी नीति का भंडा-फोड़ आवश्यक था।

सन् १९३९ में जब युद्ध प्रारम्भ हुआ और हिटलर ने दोनों मोर्चों पर न खड़ने के खयाल से सोवियत् रूस से फैसला कर लिया, तो हमारे इन कम्युनिस्ट साथियों ने सारी दुनिया में इस युद्ध को साम्राज्यवादी युद्ध करार दिया और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शीघ्र ही एक सामूहिक आंदोलन करने की

सलाह दी। उस समय यह लोग कांग्रेस हाई कमांड का केवल इसलिए विरोध कर रहे थे कि वह साम्राज्यशाही से युद्ध न करके कुछ छोटा-मोटा फैसला करने की बात कर रहा था। इनके मुताबिक इस नीति का अनुसरण करना देश के साथ विश्वासघात करना था। यही नहीं, फ्रांस के कम्युनिस्ट नेता मिस्टर थोरे उस समय जर्मन रेडियो से निरन्तर इस बात का प्रचार कर रहे थे कि फ्रेंच जनता को इस साम्राज्यवादी युद्ध में अपनी सरकार का साथ नहीं देना चाहिए और इस प्रकार वह जर्मनी की इस लड़ाई के जीतने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद दे रहे थे।

यकायक सन् १९४१ में जर्मनी ने जब रूस पर आक्रमण कर दिया तो सारी दुनिया के कम्युनिस्टों की नीति बदल गई और उनके विश्वास के मुताबिक इस युद्ध का रूप भी बदल गया। अब यह युद्ध उनके लिए एक साम्राज्यवादी युद्ध नहीं था, बल्कि जनता की आकांक्षाओं के केन्द्रसोवियत् रूस पर होने वाला यह आक्रमण सारी जनता के ऊपर प्रहार था। अतः इन्होंने उस युद्ध को अब जनता के युद्ध का रूप दिया। इस नीति के अनुसार भारतीय कम्युनिस्टों ने भी अपनी नीति बदली और इन्होंने अब कांग्रेस हाई कमांड तथा कांग्रेस संगठन को भी इस नीति को अपनाने की सलाह दी। इन दिनों भारत में बाह्य घटनाएं इस नीति के बिलकुल प्रतिकूल थीं। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध यहां गहरा असन्तोष फैल रहा था और उसके प्रति विद्वेष इतना बढ़ गया था कि भारतीय जनता कम्युनिस्टों के कथन को केवल साम्राज्यवादी युद्ध का प्रचार समझती थी। कम्युनिस्टों का जन-युद्ध का नारा जनता की आकांक्षाओं, इच्छाओं व मनोवृत्तियों के बिलकुल विपरीत था और इसलिए जब कोई इस युद्ध को जनता का युद्ध बताने की चेष्टा करता था तो साधारण जनता में भी चिढ़ और झुंझलाहट पैदा होती थी। ठीक इसी समय कम्युनिस्टों ने लोगों के गले से यह कड़ुवी बात उतारनी चाही। स्वभावतः उसका परिणाम यही हुआ कि इनका सम्बन्ध जनता से टूट गया।

सन् १९४२ में कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास किया तो कम्युनिस्टों ने इसका विरोध किया। उन्होंने अपने को आन्दोलन से अलग रखकर जहाँ तक सम्भव हुआ इसका विरोध किया। उस समय कम्युनिस्टों का विद्यार्थियों तथा मजदूरों पर काफी प्रभाव था। पर इन दोनों वर्गों ने इनके नारों व तराकों की अवहेलना करके आन्दोलन में पूरा सहयोग दिया। कम्युनिस्टों की इस नीति ने सब लोगों को यह बात बता दी कि उनकी नीति का आधार भारतीय आकांक्षाएं तथा भारत में होने वाली घटनाएं नहीं हैं। राष्ट्रवाद का

कम्युनिस्ट पार्टी—भारतीय राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने लिए एक विशेष आकर्षण पैदा कर लिया है। कुछ अपनी नीति के कारण और कुछ एक निश्चित विचार-धारा के आधार पर संगठित होने के कारण यह एक बड़ी सुसंगठित पार्टी है जिसमें बड़े जोशीले, उत्साही, फिलासफी-उन्मादित तथा पढ़े-लिखे नवयुवक शामिल हैं। भारत में होने वाले राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति इस पार्टी की सदा ही एक निराली नीति रही है और इस युद्ध के प्रति भी उसने जिस नीति को बरता है, उसके कारण इस पार्टी के प्रति सब दलों में भारी शंकाएं पैदा हो चली हैं और राष्ट्रीय सैनिकों और उसके बीच एक गहरी खाई भी पैदा हो गई है जिसे अब किसी मन्तव्य द्वारा पाटा नहीं जा सकता। कम्युनिस्ट पार्टी की नीति को हम तब तक ठीक नहीं समझ सकते जब तक कि हम यह न जान लें कि आखिर उसकी नीति की आधार-शिला क्या है। इस मौलिक बात का न जानने के कारण आज देश में इसके प्रति काफी रोष फैला हुआ है और स्वयं कम्युनिस्ट लोगों ने भी इस मौलिक बात को छिपाने का प्रयत्न किया है। बढ़ते हुए राष्ट्रवाद के प्रभाव को देखकर इन्होंने अपने-आपको भारतीय राष्ट्रीयता का एक अनिवार्य अंग बनाने का प्रयत्न किया और इसी दृष्टि से वह कांग्रेस में घुसे और उसके भीतर तमाम उग्र तथा उन्नतिशील शक्तियों का नेतृत्व ग्रहण करना चाहा, पर जो नीति इन्होंने युद्ध-काल में बरती उससे पता चलता है कि इनकी नीति-संचालन का राष्ट्रीय आकांक्षाओं व भारत में होने वाली घटनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है, बल्कि उसका आधार सोवियत रूस की वैदेशिक नीति ही है। यदि कम्युनिस्ट प्रारम्भ से इस सत्य को बताकर चलते और साफ तौर पर यह कहते कि उनके विश्वास के मुताबिक रूस उन्नतिशील विचारों का केन्द्र है और उस केन्द्र की हिफाजत करना तथा उसके आधार पर अपनी नीति का निर्माण करना हमारा परम कर्त्तव्य है तो ऐसी हालत में कम्युनिस्टों के प्रति कोई गलतफहमी न होती, पर इस नग्न सत्य को उन्होंने भारतीय जनता से छिपाना चाहा और अपने को भारतीय राजनीति का एक अंग बताकर सारी राष्ट्रीय राजनीति तथा आन्दोलन की प्रगति को अपने ही आधार पर चलाने का प्रयत्न करना चाहा। इस दोहरी नीति का भंडा-फोड़ आवश्यक था।

सन् १९३९ में जब युद्ध प्रारम्भ हुआ और हिटलर ने दोनों मोर्चों पर न खड़ने के खयाल से सोवियत रूस से फँसला कर लिया, तो हमारे इन कम्युनिस्ट साथियों ने सारी दुनिया में इस युद्ध को साम्राज्यवादी युद्ध करार दिया और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध घोर ही एक सामूहिक आंदोलन करने की

सलाह दी। उस समय यह लोग कांग्रेस हाई कमांड का केवल इसलिए विरोध कर रहे थे कि वह साम्राज्यशाही से युद्ध न करके कुछ छोटा-मोटा फंसला करने की बात कर रहा था। इनके मुताबिक इस नीति का अनुसरण करना देश के साथ विश्वासघात करना था। यही नहीं, फ्रांस के कम्युनिस्ट नेता मिस्टर थोरे उस समय जर्मन रेडियो से निरन्तर इस बात का प्रचार कर रहे थे कि फ्रेंच जनता को इस साम्राज्यवादी युद्ध में अपनी सरकार का साथ नहीं देना चाहिए और इस प्रकार वह जर्मनी की इस लड़ाई के जीतने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद दे रहे थे।

यकायक सन् १९४१ में जर्मनी ने जब रूस पर आक्रमण कर दिया तो सारी दुनिया के कम्युनिस्टों की नीति बदल गई और उनके विश्वास के मुताबिक इस युद्ध का रूप भी बदल गया। अब यह युद्ध उनके लिए एक साम्राज्यवादी युद्ध नहीं था, बल्कि जनता की आकांक्षाओं के केन्द्रसोवियत् रूस पर होने वाला यह आक्रमण सारी जनता के ऊपर प्रहार था। अतः इन्होंने उस युद्ध को अब जनता के युद्ध का रूप दिया। इस नीति के अनुसार भारतीय कम्युनिस्टों ने भी अपनी नीति बदली और इन्होंने अब कांग्रेस हाई कमांड तथा कांग्रेस संगठन को भी इस नीति को अपनाने की सलाह दी। इन दिनों भारत में बाह्य घटनाएं इस नीति के बिलकुल प्रतिकूल थीं। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध यहां गहरा असन्तोष फैल रहा था और उसके प्रति विद्वेष इतना बढ़ गया था कि भारतीय जनता कम्युनिस्टों के कथन को केवल साम्राज्यवादी युद्ध का प्रचार समझती थी। कम्युनिस्टों का जन-युद्ध का नारा जनता की आकांक्षाओं, इच्छाओं व मनोवृत्तियों के बिलकुल विपरीत था और इसलिए जब कोई इस युद्ध को जनता का युद्ध बताने की चेष्टा करता था तो साधारण जनता में भी चिढ़ और झुंझलाहट पैदा होती थी। ठीक इसी समय कम्युनिस्टों ने लोगों के गले से यह कड़ुवी बात उतारनी चाही। स्वभावतः उसका परिणाम यही हुआ कि इनका सम्बन्ध जनता से टूट गया।

सन् १९४२ में कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास किया तो कम्युनिस्टों ने इसका विरोध किया। उन्होंने अपने को आन्दोलन से अलग रखकर जहां तक सम्भव हुआ इसका विरोध किया। उस समय कम्युनिस्टों का विद्यार्थियों तथा मजदूरों पर काफी प्रभाव था। पर इन दोनों वर्गों ने इनके नारों व तराकों की अवहेलना करके आन्दोलन में पूरा सहयोग दिया। कम्युनिस्टों की इस नीति ने सब लोगों को यह बात बता दी कि उनकी नीति का आधार भारतीय आकांक्षाएं तथा भारत में होने वाली घटनाएं नहीं हैं। राष्ट्रवाद का

कम्युनिस्ट पार्टी—भारतीय राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने लिए एक विशेष आकर्षण पैदा कर लिया है। कुछ अपनी नीति के कारण और कुछ एक निश्चित विचार-धारा के आधार पर संगठित होने के कारण यह एक बड़ी सुसंगठित पार्टी है जिसमें बड़े जोशीले, उत्साही, फिलासफी-उन्मादित तथा पढ़े-लिखे नवयुवक शामिल हैं। भारत में होने वाले राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति इस पार्टी की सदा ही एक निराली नीति रही है और इस युद्ध के प्रति भी उसने जिस नीति को बरता है, उसके कारण इस पार्टी के प्रति सब दलों में भारी शंकाएं पैदा हो चली हैं और राष्ट्रीय सैनिकों और उसके बीच एक गहरी खाई भी पैदा हो गई है जिसे अब किसी मन्तव्य द्वारा पाटा नहीं जा सकता। कम्युनिस्ट पार्टी की नीति को हम तब तक ठीक नहीं समझ सकते जब तक कि हम यह न जान लें कि आखिर उसकी नीति की आधार-शिला क्या है। इस मौलिक बात का न जानने के कारण आज देश में इसके प्रति काफी रोष फैला हुआ है और स्वयं कम्युनिस्ट लोगों ने भी इस मौलिक बात को छिपाने का प्रयत्न किया है। बढ़ते हुए राष्ट्रवाद के प्रभाव को देखकर इन्होंने अपने-आपको भारतीय राष्ट्रीयता का एक अनिवार्य अंग बनाने का प्रयत्न किया और इसी दृष्टि से वह कांग्रेस में घुसे और उसके भीतर तमाम उग्र तथा उन्नतिशील शक्तियों का नेतृत्व ग्रहण करना चाहा, पर जो नीति इन्होंने युद्ध-काल में बरती उससे पता चलता है कि इनकी नीति-संचालन का राष्ट्रीय आकांक्षाओं व भारत में होने वाली घटनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है, बल्कि उसका आधार सोवियत रूस की वैदेशिक नीति ही है। यदि कम्युनिस्ट प्रारम्भ से इस सत्य को बताकर चलते और साफ तौर पर यह कहते कि उनके विश्वास के मुताबिक रूस उन्नतिशील विचारों का केन्द्र है और उस केन्द्र की हिफाजत करना तथा उसके आधार पर अपनी नीति का निर्माण करना हमारा परम कर्तव्य है तो ऐसी हालत में कम्युनिस्टों के प्रति कोई गलतफहमी न होती, पर इस नग्न सत्य को उन्होंने भारतीय जनता से छिपाना चाहा और अपने को भारतीय राजनीति का एक अंग बताकर सारी राष्ट्रीय राजनीति तथा आन्दोलन की प्रगति को अपने ही आधार पर चलाने का प्रयत्न करना चाहा। इस दोहरी नीति का भंडा-फोड़ आवश्यक था।

सन् १९३९ में जब युद्ध प्रारम्भ हुआ और हिटलर ने दोनों मोर्चों पर न सड़ने के खयाल से सोवियत रूस से फौसला कर लिया, तो हमारे इन कम्युनिस्ट साथियों ने सारी दुनिया में इस युद्ध को साम्राज्यवादी युद्ध करार दिया और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शीघ्र ही एक सामूहिक आंदोलन करने की

सलाह दी। उस समय यह लोग कांग्रेस हाई कमांड का केवल इसलिए विरोध कर रहे थे कि वह साम्राज्यशाही से युद्ध न करके कुछ छोटा-मोटा फैसला करने की बात कर रहा था। इनके मुताबिक इस नीति का अनुसरण करना देश के साथ विश्वासघात करना था। यही नहीं, फ्रांस के कम्युनिस्ट नेता मिस्टर थोरे उस समय जर्मन रेडियो से निरन्तर इस बात का प्रचार कर रहे थे कि फ्रेंच जनता को इस साम्राज्यवादी युद्ध में अपनी सरकार का साथ नहीं देना चाहिए और इस प्रकार वह जर्मनी की इस लड़ाई के जीतने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद दे रहे थे।

यकायक सन् १९४१ में जर्मनी ने जब रूस पर आक्रमण कर दिया तो सारी दुनिया के कम्युनिस्टों की नीति बदल गई और उनके विश्वास के मुताबिक इस युद्ध का रूप भी बदल गया। अब यह युद्ध उनके लिए एक साम्राज्यवादी युद्ध नहीं था, बल्कि जनता की आकांक्षाओं के केन्द्रसोवियत् रूस पर होने वाला यह आक्रमण सारी जनता के ऊपर प्रहार था। अतः इन्होंने उस युद्ध को अब जनता के युद्ध का रूप दिया। इस नीति के अनुसार भारतीय कम्युनिस्टों ने भी अपनी नीति बदली और इन्होंने अब कांग्रेस हाई कमांड तथा कांग्रेस संगठन को भी इस नीति को अपनाते की सलाह दी। इन दिनों भारत में बाह्य घटनाएं इस नीति के बिलकुल प्रतिकूल थीं। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध यहां गहरा असन्तोष फैल रहा था और उसके प्रति विद्वेष इतना बढ़ गया था कि भारतीय जनता कम्युनिस्टों के कथन को केवल साम्राज्यवादी युद्ध का प्रचार समझती थी। कम्युनिस्टों का जन-युद्ध का नारा जनता की आकांक्षाओं, इच्छाओं व मनोवृत्तियों के बिलकुल विपरीत था और इसलिए जब कोई इस युद्ध को जनता का युद्ध बताने की चेष्टा करता था तो साधारण जनता में भी चिढ़ और झुंझलाहट पैदा होती थी। ठीक इसी समय कम्युनिस्टों ने लोगों के गले से यह कड़ुवी बात उतारनी चाही। स्वभावतः उसका परिणाम यही हुआ कि इनका सम्बन्ध जनता से टूट गया।

सन् १९४२ में कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास किया तो कम्युनिस्टों ने इसका विरोध किया। उन्होंने अपने को आन्दोलन से अलग रखकर जहां तक सम्भव हुआ इसका विरोध किया। उस समय कम्युनिस्टों का विद्यार्थियों तथा मजदूरों पर काफी प्रभाव था। पर इन दोनों वर्गों ने इनके नारों व तराकों की अवहेलना करके आन्दोलन में पूरा सहयोग दिया। कम्युनिस्टों की इस नीति ने सब लोगों को यह बात बता दी कि उनकी नीति का आधार भारतीय आकांक्षाएं तथा भारत में होने वाली घटनाएं नहीं हैं। राष्ट्रवाद का

नारा उनके लिए केवल एक साधन है, ध्येय नहीं और इस प्रकार भारतीय जनता उनके नेतृत्व पर कभी भी भारतीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए विश्वास नहीं कर सकती ।

कम्युनिस्टों का अपना ही एक तर्क है । यह उसी के द्वारा अपनी नीति निर्धारित करते हैं और उसे अकाट्य समझते हैं । यदि कोई इससे सहमत नहीं हो पाता तो यह मान बैठते हैं कि उसमें उस तर्क को समझने की शक्ति नहीं है । कभी-कभी उनकी मान्यता रोष का रूप भी धारण कर लेती है । सन् १९४२ में जब इन्होंने जनता के युद्ध का नारा लगाया तो सोथ ही भारतीय राष्ट्रवाद के सामने एक नया नारा रखा; जो वास्तव में अंग्रेजों की नीति से अधिक मेल खाता था । इन्होंने हमें बताया कि भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होनी चाहिए । राष्ट्रीय सरकार की स्थापना तब तक नहीं हो सकती जब तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता न हो । अतः कम्युनिस्टों ने कहा कि हम दोनों में समझौता कराने की कोशिश करेंगे । यह ठीक उसी प्रकार का तर्क है जो ब्रिटिश नौकरशाही हमें १०० वर्षों से बता रही है । इस तर्क का समर्थन करते हुए हमारे इन कम्युनिस्ट साथियों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि अभी तक भारतीय समाज पुराने दकियानूसी धार्मिक आधार पर ही संगठित है, किन्तु वास्तव में उसे मानना मार्क्सवाद के नियमों की अवहेलना करना है । कांग्रेस हाई कमांड और विशेष कर महात्मा गांधी जब हिन्दू-मुस्लिम एकता की बात करते थे तो कम्युनिस्ट उनके दृष्टिकोण को दकियानूसी कहकर मखौल उड़ाते थे । सन् १९४२ में हिन्दुस्तान के कम्युनिस्ट वही सब बातें कह रहे थे जिनकी अब तक वह कड़ी समालोचना करते थे । अब उनमें और नरमदल के लोगों के दृष्टिकोण में कोई फर्क न था । वह केवल राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की ध्वजा करते थे और जब कांग्रेस उसके लिए लड़ाई का विगुल बजाना चाहती थी तो वह उस लड़ाई से स्वयं बचना चाहते थे और जनता को भी उससे अलग रखना चाहते थे । बात वास्तव में यह थी कि चूंकि उस समय इंग्लैण्ड और रूस में समझौता था, इसलिए वह रूस की वैदेशिक नीति के अनुसार ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का आन्दोलन करना रूस के युद्ध-प्रयास के लिए घातक समझते थे । अतः उन्होंने जनता को प्रभावित करने तथा अच्छा तर्क ढूंढने के लिए जन-युद्ध का नारा उठाया जनता की उमड़ती हुई राष्ट्रीय भावनाओं को सन्तुष्ट करने के लिए राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का नारा भी लगाया । पर इसके लिए इन्होंने जिस साधन को बरता, उसका ध्येय की प्राप्ति से कोई लगाव न था ।

हिन्दू महासभा—भारतीय राजनीति में हिन्दू महासभा का कोई विशेष स्थान नहीं है। उसके अपने ही कारण हैं। फिर भी हिन्दू महासभा का संगठन कायम है। युद्ध-काल में इस पार्टी के नेताओं ने मुस्लिम लीग की तरह अवसरवादी नीति का ही अनुसरण किया। इन्होंने यद्यपि खुले रूप में युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने की नीति को नहीं बरता, पर सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की बढ़ती हुई संख्या का मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य-से अपना नाता बनाए रखने का प्रयत्न किया। एक ओर इसने कांग्रेस को हिन्दू-हित-विरोधी संस्था बताकर हिन्दू-जनता से सहानुभूति हासिल करने की नीति बरती और इस प्रकार प्राप्त की हुई शक्ति के आधार पर ब्रिटिश सरकार पर जोर डालकर सरकारी शासन में हिस्सा पाने की कोशिश की। उनका अभिप्राय था कि ब्रिटिश-सरकार के हाथ में राज्य सत्ता है और कांग्रेस, जिसमें मुख्यतः हिन्दू हैं, ब्रिटिश-सरकार से लड़ ही रही है अतः कांग्रेस की शक्ति का प्रतिकार करने के लिए ब्रिटिश-सरकार यह सिद्ध करना चाहेगी कि सारे हिन्दू कांग्रेस साथ नहीं हैं और इसे सिद्ध करने के लिए उसे किसी हिन्दू संस्था की अवश्य आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में हम ब्रिटिश-सरकार से हिन्दुओं के नाम पर शासन से कुछ हिस्सा पा सकेंगे। अतः इनका कहना था कि वह अंग्रेजों को युद्ध-प्रयास में मदद देने को तैयार हैं, बशर्ते कि हुकूमत उन्हें शासन में साझेदार बनाए। ब्रिटिश हुकूमत के लिए जहां एक ओर मुस्लिम-लीग की शक्ति को कांग्रेस के विरुद्ध प्रोत्साहित करना जरूरी था, वहाँ दूसरी ओर बढ़ती हुई मुस्लिम शक्ति का प्रतिकार करने के लिए यह भी आवश्यक था कि वह हिन्दू महासभा की शक्ति को बिलकुल नज़र अन्दाज न करे। युद्ध-काल में मुस्लिम-लीग और हिन्दू महासभा दोनों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे का प्रतिकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को मदद दी और ब्रिटिश सरकार ने इस दोनों ही संस्थाओं का यथासमय अच्छा लाभ उठाया।



परिशिष्ट

८ अगस्त १९४२ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पास किया प्रस्ताव

‘अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कार्यसमिति के १४ जुलाई १९४२ के प्रस्ताव के विषयों पर, जो कार्य समिति द्वारा प्रस्तुत किये गए थे, और वाद की घटनाओं पर, जिनमें युद्ध की घटनावली, ब्रिटिश सरकार के जिम्मेदार वक्ताओं के भाषण और भारत तथा विदेशों में की गई आलोचनाएं सम्मिलित हैं, अत्यंत सावधानी के साथ विचार किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसका समर्थन करती है और उसकी राय है कि वाद की घटनाओं ने इसे और भी औचित्य प्रदान कर दिया है और इस बात को स्पष्ट कर दिखाया है कि भारत में ब्रिटिश शासन का तात्कालिक अंत भारत के लिए और मित्रराष्ट्रों के आदर्श की पूर्ति के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इस शासन का स्थायित्व भारत की प्रतिष्ठा को घटाता और उसे दुर्बल बनाता है और अपनी रक्षा करने तथा विश्व-स्वातंत्र्य के आदर्श की पूर्ति में सहयोग देने की उसकी शक्ति में क्रमिक ह्रास उत्पन्न करता है।

‘अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने रूसी और चीनी मोर्चों पर स्थिति के विगड़ने को निराशा के साथ देखा है और वह रूसियों और चीनियों की उस वीरता की भूरि-भूरि प्रशंसा करती है जो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में प्रदर्शित की है। जो लोग स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और आक्रमण के शिकार हुए व्यक्तियों से सहानुभूति रखते हैं उन सबको नित्य बढ़ता जाने वाला खतरा उस नीति की परीक्षा करने के लिए बाध्य करता है जिसका मित्र-राष्ट्रों ने अभी तक अवलम्बन किया है और जिसके कारण बारम्बार भीषण असफलताएं हुई हैं। ऐसे उद्देश्यों और प्रणालियों पर आरुढ़ बने रहने से असफलता सफलता में परिणत नहीं की जा सकती, क्योंकि पिछले अनुभव से प्रकट हो चुका है कि असफलता इन नीतियों में निहित है। ये नीतियां स्वतंत्रता पर

इतनी आघारित नहीं की गई है, जितना कि अरबीन और औपनिवेशिक देशों पर आधिपत्य बनाए रखने और साम्राज्यवादी परम्पराओं तथा प्रणालियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के प्रयत्नों पर। साम्राज्य को अधिकार में रखना शासन-सत्ता की शक्ति बढ़ाने के बजाय एक भार और शाप बन गया है। आधुनिक साम्राज्यवाद की सर्वोत्कृष्ट क्रीड़ा-भूमि भारत इस प्रश्न की कसौटी बन गया है, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता से ही ब्रिटेन और मित्रराष्ट्रों की परीक्षा होगी और एशिया तथा अफ्रीका की जातियों में आशा और उत्साह भर जायगा।

“इस प्रकार इस देश में ब्रिटिश शासन के अंत होने की अतीव और तत्काल ही आवश्यकता है। इसी के ऊपर युद्ध का भविष्य और स्वतंत्रता तथा प्रजातंत्र की सफलता निर्भर है। स्वतंत्र भारत अपने समस्त विशाल सावनों को स्वतंत्रता के पक्ष में और नाज़ीवाद, फ़ासिस्टवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध लगाकर इस सफलता को सुनिश्चित कर देगा। इससे केवल युद्ध की स्थिति पर ही प्रबल प्रभाव नहीं पड़ेगा वरन् समस्त पराधीन और पीड़ित मानव-समाज भी मित्रराष्ट्रों के पक्ष में हो जायगा और भारत जिन राष्ट्रों का मित्र होगा उनके हाथ में विश्व की नैतिक और आत्मिक नेतृत्व भी आ जायगा। बंधनों में जकड़ा हुआ भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मूर्तिमान स्वरूप बना रहेगा और उस साम्राज्यवाद का कलंक समस्त मित्रराष्ट्रों के सौभाग्य को दूषित करता रहेगा।

“इसलिए आज के खतरे को देखते हुए भारत को स्वतंत्र कर देने और ब्रिटिश आधिपत्य को समाप्त कर देने की आवश्यकता है। भविष्य के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञाओं और गारंटियों से वर्तमान परिस्थिति में सुधार नहीं हो सकता और न उसका मुकाबला किया जा सकता है। इनसे जन-समुदाय के मस्तिष्क पर वह मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं पड़ सकता जिसकी आज आवश्यकता है। केवल स्वतंत्रता की दीप्ति से ही करोड़ों व्यक्तियों का वह बल और उत्साह प्राप्त किया जा सकता है जो तत्काल ही युद्ध के रूप को बदल देगा।

“इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे आग्रह के साथ भारत से ब्रिटिश शासन को हटा लेने की मांग को दुहराती है। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हो जाने पर एक अस्थायी सरकार स्थापित कर दी जायगी और स्वतंत्र भारत मित्रराष्ट्रों का मित्र बन जायगा और स्वातंत्र्य-संग्राम के सम्मिलित प्रयत्न की परीक्षाओं और दुःख-सुख में हाथ बंटायेगा। अस्थायी सरकार देश के मुख्य दलों और वर्गों के सहयोग से ही बनाई जा सकती है। इस प्रकार यह एक मिली-जुली सरकार होगी जिसमें भारतीयों के समस्त महत्त्वपूर्ण वर्गों का प्रतिनिधित्व

होगा। उसका प्रथम कर्तव्य अपनी समस्त सशस्त्र तथा अहिमात्मक शक्तियों द्वारा मित्रराष्ट्रों से मिलकर भारत की रक्षा करना, आक्रमण का विरोध करना, और खेतों, कारखानों तथा अन्य स्थानों के काम करने वाले उन श्रमजीवियों का कल्याण और उन्नति करना होगा जो निश्चय ही समस्त शक्ति और अधिकार के वास्तविक पात्र हैं। अस्थायी सरकार एक विधान-निर्मातृ परिषद् की योजना बनायेगी और यह परिषद् भारत सरकार के लिए एक ऐसा विधान तैयार करेगी जो जनता के समस्त वर्गों को स्वीकार होगा। कांग्रेस के मत से यह विधान संघ विषयक होना चाहिए जिसके अन्तर्गत संघ में सम्मिलित होने वाले प्रांतों को शासन के अधिकतर अधिकार प्राप्त होंगे। अवशिष्ट अधिकार भी इन प्रांतों को प्राप्त होंगे। भारत और मित्रराष्ट्रों के भावी सम्बन्ध इन समस्त स्वतंत्र देशों के प्रतिनिधियों द्वारा निश्चित कर दिये जाएंगे जो अपने पारस्परिक लाभ तथा आक्रमण का प्रतिरोध करने के सामान्य कार्य में सहयोग देने के लिए परस्पर वार्तालाप करेंगे। स्वतंत्रता भारत को अपनी जनता की सम्मिलित इच्छा और शक्ति के बल पर आक्रमण का कारगर ढंग से विरोध करने में समर्थ बना देगी।

“भारत की स्वतंत्रता विदेशी आधिपत्य से अन्य एशियाई राष्ट्रों की मुक्ति का प्रतीक और प्रारंभ होगी। बर्मा, मलाया, हिन्द-चीन, डच द्वीप समूह, ईरान, और ईराक को भी पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि इस समय जापानी नियंत्रण में जो देश हैं उन्हें बाद को किसी औपनिवेशिक सत्ता के अधीन नहीं रखा जायगा।

“इस संकट काल में यद्यपि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को प्रधानतः भारत की स्वाधीनता और रक्षा से सम्बन्ध रखना चाहिए तथापि कमेटी का मत है कि संसार की भावी शान्ति, सुरक्षा, और व्यवस्थित उन्नति के लिए स्वतंत्र राष्ट्रों का एक विश्वसंघ बनाने की आवश्यकता है। अन्य किसी शर्त को आधार बनाकर आधुनिक संसार की समस्याएं नहीं सुलझाई जा सकती। इस प्रकार के विश्व-संघ से उसमें सम्मिलित होने वाले राष्ट्रों की स्वतन्त्रता एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण और शोषण को रोकना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों का संरक्षण, पिछड़े हुए समस्त क्षेत्रों और लोगों की उन्नति और सबके सामान्य हित के लिए विश्व-साधनों का एकत्रीकरण किया जाना निश्चित हो जायगा। इस प्रकार का विश्व-संघ स्थापित हो जाने पर समस्त देशों में निःशस्त्रीकरण हो सकेगा, राष्ट्रीय सेनाओं, नौसेनाओं और वायु-सेनाओं की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी और विश्व-संघ-रक्षक सेना विश्व में शांति रक्षेगी

और आक्रमण को रोकेंगी ।

“स्वतन्त्र भारत ऐसे विश्व-संघ में प्रसन्नता पूर्वक सम्मिलित होगा और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएं सुलभाने में अन्य देशों के साथ समान अधिकार पर सह-योग देगा ।

“ऐसे संघ का द्वार उसके आवारभूत सिद्धांतों का पालन करने वाले समस्त राष्ट्रों के लिए खुला रहना चाहिए । युद्ध के कारण यह संघ प्रारम्भ में केवल मित्र राष्ट्रों तक ही सीमित रहेगा । यदि यह कार्य अभी प्रारम्भ कर दिया जाय तो युद्ध पर, बुरी राष्ट्रों की जनता पर और आगामी शांति पर इसका बहुत जोरदार प्रभाव पड़ेगा ।

“परन्तु कमेटी खेदपूर्वक अनुभव करती है कि युद्ध की दुःखद और व्याकुल कर देने वाली शिक्षाएं प्राप्त कर लेने के पश्चात् और विश्व पर संकट के बादलों के घिरे होने पर भी कुछ ही देशों की सरकारें विश्व-संघ बनाने की ओर कदम उठाने को तैयार हैं । ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया और विदेशी पत्रों की भ्रमपूर्ण आलोचनाओं से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय स्वतंत्रता की स्पष्ट मांग का भी विरोध किया जा रहा है, यद्यपि यह वर्तमान खतरे का सामना करने और अपनी रक्षा तथा इस आवश्यक घड़ी में चीन और रूस की सहायता कर सकने के लिए की गई है । चीन और रूस स्वतंत्रता की बड़ी मूल्यवान् निधि हैं और उसकी रक्षा होनी चाहिए, इसलिए कमेटी इस बात के लिए बड़ी उत्सुक है कि उसमें किसी प्रकार की बाधा न पड़े और मित्रराष्ट्रों की रक्षा करने की शक्ति में कोई विघ्न न होने पावे । परन्तु भारत और इन राष्ट्रों के लिए खतरा नित्य बढ़ता ही जा रहा है । और इस समय विदेशी शासन-प्रणाली के आगे सिर झुकाने से भारत का पतन होता जा रहा है और स्वयं आत्म-रक्षा करने तथा आक्रमण का विरोध करने की उसकी शक्ति घटती जा रही है । इस दशा में न तो नित्य बढ़ते जाने वाले खतरे का कोई प्रतिकार ही किया जा सकता है और न मित्रराष्ट्रों की जनता की कोई सेवा ही की जा सकती है । कार्य समिति ने ब्रिटेन और मित्रराष्ट्रों से जो सच्ची अपील की थी उसका अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है । बहुत से विदेशी क्षेत्रों में की गई आलोचनाओं से प्रकट होगया है कि भारत और विश्व की आवश्यकताओं के विषय में अज्ञानता फैली हुई है । कभी-कभी तो आधिपत्य बनाये रखने की भावना और जातिगत ऊंच-नीच का प्रतीक वह विरोध भी दिखाया गया है जिसे अपनी शक्ति और अपने उद्देश्य के औचित्य का ज्ञान रखने वाली कोई भी अभिमानी जाति सहन नहीं कर सकती ।

“इस अन्तिम क्षण में विश्व-स्वातंत्र्य का ध्यान रखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी फिर ब्रिटेन और मित्रराष्ट्रों से अपील करना चाहती है। परन्तु वह यह भी अनुभव करती है कि उसे अब राष्ट्र को एक ऐसी साम्राज्यवादी और शासन-प्रिय सरकार के विरुद्ध अपनी इच्छा प्रदर्शित करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है जो उस पर आधिपत्य जमाती है और जो उसे अपने तथा मानव-समाज के हित का ध्यान रखते हुए काम करने से रोकती है। इसलिए कमेटी भारत के स्वतन्त्रता और स्वाधीनता के अविच्छेद अधिकार का समर्थन करने के उद्देश्य से अहिंसात्मक प्रणाली से और अधिक-से-अधिक विस्तृत परिणाम पर एक विशाल संग्राम चालू करने की स्वीकृति देने का निश्चय करती है, जिससे देश गत २२ वर्षों के शांतिपूर्ण संग्राम में संचित का गई समस्त अहिंसात्मक शक्ति का प्रयोग कर सके। यह संग्राम निश्चय ही गांधीजी के नेतृत्व में होगा और कमेटी उनसे नेतृत्व करने और प्रस्तावित कार्यवाहियों में राष्ट्र का पथ-प्रदर्शन करने का निवेदन करती है।

“कमेटी भारतीयों से उन खतरों और कठिनाइयों का, जो उन पर आर्यग, साहस और दृढ़तापूर्वक सामना करने तथा गांधीजी के नेतृत्व में एक बने रहकर भारतीय स्वतन्त्रता के अनुशासित सैनिकों के समान उनके निर्देशों का पालन करने की अपील करती है। उन्हें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि अहिंसा इस आन्दोलन का आधार है। ऐसा समय आ सकता है जब निर्देश देना अथवा निर्देशों का हमारी जनता तक पहुंचना सम्भव न होगा और जब कांग्रेस समितियां काम नहीं कर सकेंगी। ऐसा होने पर इस आन्दोलन में भाग लेने वाले प्रत्येक नर-नारी को सामान्य निर्देशों की सीमा में रहते हुए अपने आप काम करना चाहिए। स्वतंत्रता की कामना और उसके लिए प्रयत्न करने वाले प्रत्येक भारतीय को स्वयं अपना पथ-प्रदर्शक बनकर उस कठिन मार्ग पर अग्रसर होते जाना चाहिए जहां विग्राम का कोई स्थान नहीं है वीर जो अंत में भारत की स्वतंत्रता और मुक्ति पर जाकर समाप्त होता है।

“अंत में यह बताना है कि यद्यपि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्वतन्त्र भारत की भावी सरकार के विषय में अपना विचार प्रकट कर दिया है, तथापि कमेटी समस्त सम्बद्ध लोगों के लिए यह विलकुल स्पष्ट कर देना चाहती है कि विशाल संग्राम आरम्भ करके वह कांग्रेस के लिए कोई सत्ता प्राप्त करने की इच्छुक नहीं है। सत्ता जब मिलेगी तो उस पर समस्त भारतीयों का अधिकार होगा।”

निर्देशिका

इससे आगे उन प्रान्तों के नक्शे दिये जा रहे हैं, जिनमें अगस्त-विद्रोह गोरदार रूप में रहा। हमारा इरादा तो यह था कि नक्शे पुस्तक के अंदर हर प्रांत का विवरण शुरू होने से पहले दिये जाते। पर कोशिश करने पर भी वह समय पर तैयार नहीं हो पाये। इस कारण इनको यहां देना पड़ रहा है।


इनका क्रम वही रखा गया है जो पुस्तक में प्रांतों का है। नक्शों में



निशान वाले वह स्थान हैं जहां आंदोलन तीव्रता से हुआ है। और



निशान वाले वह स्थान हैं जहां आंदोलन साधारण अवस्था में रहा। पंजाब प्रांत में आंदोलन बिल्कुल नहीं हुआ इस कारण वहां अंग्रेजी भंडा लगा दिया गया है।



C.P.
मध्य प्रांत

निज़ाम स्टेट

१५
१६



१७
१८


१९
२०

२१
२२

२३
२४

२५
२६

२७
२८
२९



३०
३१



TIBET
तिब्बत

BHUTAN
भूटान

BENGAL
बंगाल

BURMA
बर्मा

CHERAPUNJI
चरपुंजी


SHILONG
शिलोंग

TIPERA
तिमरा


MONIPUR STATE
मणिपुर स्टेट

BRAHMAPUTRA RIVER
ब्रह्मपुत्र नदी

A
S
S
A
M







निजाम रियासत
NIZAM'S STATE

उड़ीसा
ORISSA

बम्बई प्रांत
BOMBAY
PRESIDENCY

अरब सागर
ARABIAN SEA

मैसूर रियासत
MYSORE STATE

हयद्राबाद
HYDRABAD

मद्रास
MADRAS
PRESIDENCY

कोचीन
COCHIN
PRESIDENCY

तेक्नापल्ली
TECHNAPALLI

मद्रास
MADRAS

गुन्तूर
GUNTUR

मुसलिपट्टनम
MUSLIPATTAM

बंगाल
BENGAL


बंगाल
BENGAL

INDIAN OCEAN

हिन्द महा सागर

कोकोनाडा
COCONADA

कोकोनाडा



CENTRAL
मध्य

PROVINCES
प्रान्त

MADRAS
मद्रास

BIHAR विहार

ORISSA
ओरिसा

GANGAPUR
गंगपुर

BAY OF BENGAL
बंगाल की खाड़ी

BENGAL
बंगाल

BENGAL बंगाल

STATE STATES
राज्य राज्यों

BALASHARE
बालाशर

KALA HANDI
काला हान्डी

GOPALPUR
गोपालपुर

CHENNAI
चेन्नई

MAHARAJA
महाराजा

MAHARAJA
महाराजा

MAHARAJA
महाराजा

MAHARAJA
महाराजा


MAHARAJA
महाराजा


MAHARAJA
महाराजा


MAHARAJA
महाराजा

MAHARAJA
महाराजा

MAHARAJA
महाराजा







काश्मीर रियासत
KASHMIR
STATE

ख़ात
ABBOTABAD
एबटाबाद
P.

AFGHANISTAN
अफ़ग़ानिस्तान

पंजाब
PUNJAB

उत्तर
वज़ीरिस्तान
NORTH
WAZIRISTAN

कोहाट
KOHAT



पेशावर
PESHAWAR

दक्षिण
वज़ीरिस्तान
SOUTH
WAZIRISTAN

बंनु
BANNU

बलोचिस्तान
BALOCHISTAN

डॉ. I. KHAN
डॉ. इस्माइल ख़ां



KASHMIR
काश्मीर

PUNJAB
पंजाब

BALOCHISTAN
बलूचिस्तान

LAHORE
लाहौर

SHIMLA STATES
शिमला की रियासतें

UNITED PROVINCES
संयुक्त प्रांत

RAJPUTANA
राजपूताना

SIND
सिंध

PATIALA
पटियाला

N
W
F
P

